

प्रकाशक
पाश्वनाथ विद्याभ्रम शोध संस्थान
आई० टी० आई० रोड, वाराणसी-५
फोन ३११४६२



प्रकाशन वर्ष
प्रथम सस्करण सन् १९६६
द्वितीय सस्करण सन् १९८९



मूल्य रु० ८० ००

JAINA SĀHITYA KĀ BRHAD ITIHĀSA
Vol I ANGA ĀGAMA
Second Edition 1989
Price Rs 80 00



मुद्रक
वर्धमान मुद्रणालय
जवाहरनगर कालोनी, वाराणसी-१०

प्रकाशकीय

प्रथम संस्करण

मन् १९५२ में जब पहली बार स्व० ढा० वासुदेवशरण अग्रवाल से हिन्दू विश्वविद्यालय में साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने पथप्रदर्शन किया कि श्री सोहनलाल जैनधर्म प्रचारक समिति को जैनविद्या के सम्बन्ध में कुछ प्राथमिक साहित्य प्रकाशित करना चाहिए। उसमें जैन साहित्य का इतिहास भी था।

उन्होंने अपनी ओर से बड़ी उत्सुकता और उत्साह से इस कार्य को प्रारम्भ कराया। १९५३ में मुनि श्री पुण्यविजयजी की अध्यक्षता में इसके लिए अहमदाबाद में सम्मेलन भी हुआ। इतिहास की रूपरेखा निश्चित की गई। तब अनुमान यही था कि शीघ्र ही इतिहास पूर्ण होकर प्रकाशित हो जाएगा। परन्तु कारणवशात् विलम्ब होता चला गया। हमें खुशी है कि आखिर यह काम होने लगा है।

जैनागमों के सम्बन्ध में रूपरेखा बनाते समय यही निश्चय हुआ था कि इतिहास का यह भाग पहिले वैचरदामजी दोशी अपने हाथ में लें। परन्तु उस समय वे इस कार्य के लिए समय कुछ कम दे रहे थे। अत. वे यह कार्य नहीं कर सकते थे। हर्य की बात है कि इतने कालोपरात भी यह भाग उन्हीं के द्वारा निर्मित हुआ है।

जैन साहित्य के इतिहास के लिए एक उपसमिति बनाई गई थी। समिति उस उपसमिति के कार्यकर्ताओं और सदस्यों के प्रति आभार प्रकाशित करती है तथा प० वैचरदामजी व प० दलसुख भाई भालवणिया और ढा० मोहनलाल मेहता का भी आभार मानती है जिनके हार्दिक सहयोग के कारण प्रस्तुत भाग प्रकाशित हो सका है।

इस भाग के प्रकाशन का सारा खर्च श्री मनोहरलाल जैन, वी० काम० (मुनिलाल मोतीलाल जैनी, ६१ चम्पागली, वर्माई २, अमृतसर और दिल्ली) तथा उनके सहोदर सर्वथी रोशनलाल, तिलकचन्द्र और धर्मपाल ने बहन किया है। यह ग्रन्थ उनके पिता स्व० श्री मुनिलाल जैन की पुण्यसृति में प्रकाशित हो रहा है। वे जीवनपर्यन्त समिति के खाजाची रहे।

लाला मुनिलाल जैन का जन्म अमृतसर में सन् १८९० (वि० स० १९४७) में हुआ था, उनके अतिरिक्त लाला महताव शाहू के तीन पुत्र श्री मोतीलाल, मूढ़ताम् शूरा - देशिङ् धूर्घ्र

श्री भीमसेन और श्री ह सराज हैं। परिवार तातेड गोत्रीय ओमगाल है। लाल मुनिलाल ज्येष्ठ भाई थे।

सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में उन्हें विशेष मर्चि थी। शतावधानीजी की प्रेरणा से ही उन्हें 'श्री भोहनलाल जैनप्रम प्रचारक समिति' की प्रवृत्तियों में विश्वास हो गया था। यथागतिक वे इसके लिए धन एकत्रित करने में भाग लेते रहे। अपने पास से और परिवार में धन दिलाने रहे। वे उदारगति व्यक्ति थे। किसी पदादि के इच्छुक नहीं थे परन्तु मायियों के साथी, सहचरों के सहचर थे। स्थानीय जैन सभा के उपप्रधान और प्रधान वर्षों तक रहे। जैन परमार्थ फण्ड मोसायटी के वे आदि सदस्य थे। पदार्थिकारों भी रहे। इसी प्रकार पूज्य अमरसिंह जीवदया भण्डार का काय वे चिरकाल तक स्व० लाल रत्नचन्द के साथ मिलकर करते रहे।

इन सब सफलताओं का श्रेय परिवार को और से प्राप्त जीवित सहकार पर है। उनकी मृत्यु दिसम्बर १९६४ के अन्त में स्वपत्नी के देहान्त के एक माह बाद हुई। उनकी पत्नी पतिभनत भार्या थी।

हरजसराय जैन
मंत्री

प्रकाशकीय

द्वितीय संस्करण

जैन साहित्य का बृहद् इतिहास, भाग-१ [द्वितीय संस्करण] पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करने में अत्यन्त हर्ष का अनुभव हो रहा है। इस ग्रन्थ का प्रथम संस्करण सन् १९६६ में प्रकाशित हुआ था और विगत ४ वर्षों से इसकी प्रतिरूपित विकासार्थ अनुपलब्ध थी। इसकी उपयोगिता और मार्ग को देखते हुए संस्थान ने इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित करने का निर्णय किया। यद्यपि इसमें पर्याप्त सशोधन की अपेक्षा थी, किन्तु विलम्ब से बचने हेतु इसमें प्रथम संस्करण की सामग्री को ही यथावत् रखा गया है।

इस ग्रन्थ के प्रकाशन की व्यवस्था मस्थान के निदेशक डा० सागरमल जैन ने की है, अत भै सुवर्प्रथम उनके प्रति आभार व्यक्त करता है। प्रूफ रीडिंग और शब्दानुक्रमणिका तैयार करने में डा० बद्रोक कुमार मिह, डा० शिवप्रसाद और श्री इन्द्रेश चन्द्र सिंह का सहयोग प्राप्त हुआ है, अत इसके लिये हम उनके आभारी हैं।

अन्त में इस ग्रन्थ के सुन्दर तथा त्वरित मुद्रण के लिये मैं वर्षमान मुद्रणालय, वाराणसी के सचालकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।

मंत्री

पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान
वाराणसी

(द्वितीय संस्करण)

शातव्य है कि अब तक इस इतिहास के सात भाग प्रकाशित हो चुके हैं और आशा है कि आठवाँ भाग भी शोध ही पूर्ण होकर प्रकाशित होगा।

इसी प्रकार हिन्दी जैन साहित्य का बृहद् इतिहास भी तीन खण्डों में प्रकाशित हो रहा है। इसका भी प्रथम मल्लुर्जर खण्ड—आदिकाल से १६वीं शताब्दी तक प्रकाशित हो चुका है। शेष खण्ड भी शोध प्रकाशित होंगे।

साथ ही दार्शनिक जैन साहित्य का इतिहास भी तैयार किया जा रहा है।

सागरमल जैन

१६-१२-१९८९

निदेशक

पृष्ठ

आचार के पर्याय	११६
प्रथम श्रुतस्कन्ध के अध्ययन	११७
द्वितीय श्रुतस्कन्ध की चूलिकाएँ	१२२
एक रोचक कथा	१२३
पद्मात्मक अश	१२४
आचाराग की वाचनाएँ	१२५
आचाराग के कर्ता	१२६
अगसूत्रों की वाचनाएँ	१२७
देवर्विगणि समाश्रमण	१२९
महाराज सारवेल	१३०
आचाराग के शब्द	१३१
आहृचर्चय एवं आहृण	१३१
चतुर्वर्ण	१३३
सात धर्ण व नव वर्णन्तर	१३४
शस्त्रपरिज्ञा	१३५
आचाराग में उत्तिस्तित परमत	१३८
नियन्त्रणसमाज	"
आचाराग के वचनों से मिलते वचन	१४३
आचाराग के शब्दों से मिलते शब्द	१४५
जाणइ-पासइ का प्रयोग भाषाशैली के रूप में	१४९
वसुपद	१५१
वेद	१५१
आमगध	१५२
आस्रव व परिस्रव	१५३
वर्णभिलासा	१५३
मुनियों के उपकरण	१५४
महावीर चर्या	१५५
कुछ सुभाषित	१५६
द्वितीय श्रुतस्कन्ध	१५८
आहार	१५८
मिक्षा के योग्य कुल	१५९

पृष्ठ	
उत्सव के समय भिक्षा	१५९
भिक्षा के लिए जाते समय	१६०
राजकुलों में	१६०
<u>मक्खन, मधु, मद्य व मास</u>	<u>१६१</u>
सर्विलित सामग्री	१६१
ग्राह्य जल	१६२
अग्राह्य भोजन	१६२
शर्याँषणा	१६३
ईर्यापथ	१६३
भाषाप्रयोग	१६४
वस्त्रधारण	१६४
पात्र वैणा	१६५
अवग्रहैषणा	१६५
मल्मूत्रविसर्जन	१६५
शब्दश्रवण व रूपदर्शन	१६६
परक्रियानिवेद	१६६
महावीर-चरित	१६६
ममत्वमुक्ति	१६९
वीतरागता एव सर्वज्ञता	१६९
४ सूत्रकृताग	१७२-२११
सूत्रकृत की रचना	१७४
नियतिवाद तथा आजीविक सम्प्रदाय	१७५
सास्थ्यमत	१७६
अज्ञानवाद	१७७
कर्मचयवाद	१७८
बुद्ध का शुकर-मासभक्षण	१८१
हिंसा का हेतु	१८१
जगत्-कर्तृत्व	१८२
सथमघर्म	१८३
वेयालिय	१८४
उपसर्ग	१८५

पृष्ठ	
स्त्री-परिज्ञा	१८९
नरक-विभक्ति	१८९
दीरम्बन	१९०
कुण्डल	१९२
वीर्य अर्थात् पराक्रम	१९२
घर्म	१९३
नमाचि	१९४
मार्ग	१९४
समवयरण	१९५
याधानव्य	१९७
ग्रन्थ अर्थात् परिग्रह	१९७
आदान अयवा आदानीय	१९८
गाथा	१९९
त्राहण, श्रमण, भिष्णु व निप्रव्य	१९९
सात महाअव्ययन	२००
पुण्डरीक	२००
क्रियास्थान	२०२
वौद्वदृष्टि से हिंसा	२०३
आहारपरिज्ञा	२०४
प्रत्यास्थान	२०५
आचारश्रुत	२०६
आद्वं कुमार	२०७
नालदा	२०८
उदय पेढाल्युत्त	२०८
५ स्थानाग व समवायाग	२१२-२२३
शैली	२१५
विषय-पञ्चदृता	२१७
विषय-नैविष्य	२१७
प्रबन्धा	२१८
स्थविर	२२०
लेखन-पद्धति	२२०

	पञ्च
अनुपलब्ध शासन	२२१
गमधारण	२२२
भूकम्प	२२२
नदियाँ	२२२
राजघानियाँ	२२२
वृष्टि	२२३
६ व्याख्याप्रज्ञप्ति	२२४-२४९
मगल	२२६
प्रश्नकार गौतम	२२७
प्रश्नोत्तर	२२७
देवगति	२२९
काकामोहनीय	२३०
लोक का आधार	२३१
पाश्वापत्त्व	२३२
वनस्पतिकाय	२३३
जीव की समानता	२३४
केवली	२३४
स्वासोच्छ्वास	२३४
जगालिन्वरित	२३५
शिवराज्ञि	२३६
परिमाजक ताथस	२३७
स्वर्ण	२३८
देवभाषा	२३८
गोशालक	२३९
वायुकाय व अग्निकाय	२४१
जरा व शोक	२४१
सावद्य व निरवद्य भाषा	२४१
सम्यदृष्टि व मिष्यादृष्टि देव	२४१
स्वन	२४२
कोणिक का प्रधान हाथी	२४३
कम्प	२४३

	पृष्ठ
नरकस्थ एव स्वर्गस्थ पृथ्वीकार्यिक आदि जीव	२४३
प्रथमता-अप्रथमता	२४३
कार्तिक सेठ	२४३
माकदी अनगार	२४४
युग्म	२४४
पुद्गल	२४४
मद्भुक श्रमणोपासक	२४४
पुद्गल-ज्ञान	२४५
यापनीय	२४६
मास	२४६
विविध	२४६
उपसहार	२४९
७ ज्ञाताधर्मकथा	२५०-२५६
कारागार	२५१
शैलक मुनि	२५१
शुक परिचाजक	२५२
थावच्चा सार्थवाही	२५३
चोकसा परिचाजिका	२५३
चीन एव चीनी	२५३
डबती नौका	२५३
उदकज्ञात	२५४
विविध मतानुयायी	२५४
दयालु मुनि	२५५
पाण्डव-प्रकरण	२५५
सु समा	२५६
८ उपासकदशा	२५७
मर्यादा-निर्वारण	२५८
विघ्नकारी देव	२५८
मासाहारिणी स्त्री व नियतिवादी श्रावक	२५९
आनन्द का अवधिज्ञान	२५९
उपसहार	२५९

	पृष्ठ
९ अन्तकृतदशा	२६१
द्वारकान्धर्मन	२६२
गजसुकुमाल	२६२
दयाशील कृष्ण	२६३
कृष्ण की मृत्यु	२६४
वजुंनमाली एवं सुवक्ष सुदर्शन	२६४
अन्य अतहृत	२६५
१० अनुत्तरीपपातिकदशा	२६६
जालि आदि राजकुमार	२६७
दीप्सेन आदि राजकुमार	२६७
धन्यकुमार	२६७
११ प्रश्नव्याकरण	२६९
अमत्यवादी भत	२७०
हिमादि आम्बव	२७१
अहिमादि सवर	२७२
१२ विपाकसूत्र	२७४
मृणापुत्र	२७५
कामघ्वजा व उज्जितक	२७६
अभग्नसेन	२७७
शकट	२७७
वृहस्पतिदत्त	२७८
नदिवर्धन	२७८
उ वरदत्त व धन्वन्तरि वैद्य	२७९
धोरिक मछलीमार	२७९
देवदत्ता	२७९
अजू	२८०
सुखविपाक	२८०
विपाक का विषय	२८०
अव्ययनन्नाम	२८१
१ परिशिष्ट	२८२
दृष्टिवाद	२८२

	पृष्ठ
२ परिशिष्ट	२८३
अचेलक परम्परा के प्राचीन ग्रन्थों में सचेलकसम्मत	२८३
अगादिगत अवतरणों का उल्लेख	२८६
३ परिशिष्ट	२८६
आगमों का प्रकाशन व सशोधन	२८६
अनुक्रमणिका	२८९
सहायक ग्रन्थों की सूची	३२९

प्रस्तावना

प० दलभुख मालवणिया

अध्यक्ष

ला० द० भारतीय संस्कृति विद्यामन्दिर

अहमदाबाद—९

प्रस्तुत हतिहास की योजना और मर्यादा

वैदिकधर्म और जैनधर्म

प्राचीन यति—मुनि—श्रमण

तीर्थंकरों की परम्परा

आगमों का वर्गीकरण

उपलब्ध आगमों और उनकी टोकाओं का परिणाम

आगमों का काल

आगम-विच्छेद का प्रश्न

श्रुतावतार

प्रस्तुत इतिहास की योजना और मर्यादा :

प्रस्तुत ग्रन्थ 'जैन साहित्य का वृहद् इतिहास' की मर्यादा क्या है, यह स्पष्ट करना आवश्यक है। यह केवल जैनधर्म या दर्शन में ही मम्बद्ध माहित्य का इतिहास नहीं होगा अपितु जैनों द्वारा लिखित समग्र माहित्य का इतिहास होगा।

माहित्य में यह भेद करना कि यह जैनों का लिखा है और यह जैनेतरों का, उचित तो नहीं है किन्तु ऐमा विवश होकर ही करना पड़ा है। भारतीय साहित्य के इतिहास में जैनों द्वारा लिखे विविध साहित्य की उपेक्षा होती आई है। यदि ऐसा न होता तो यह प्रथम जल्दी न होता। उदाहरण के तौर पर सस्तर साहित्य के इतिहास में जब पुराणों पर लिखना हो या महाकाव्यों पर लिखना ही तब इतिहासकार प्राय हिन्दू पुराणों से ही सन्तोष कर लेते हैं और यही गति महाकाव्यों की भी है। इस उपेक्षा के कारणों की चर्चा जल्दी नहीं है किन्तु जिन ग्रन्थों का विशेष अभ्यास होता हो उन्हीं पर इतिहासकार के लिए लिखना आसान होता है यह एक मुस्त्य कारण है। 'कादम्बरी' के पढ़ने-पढ़ानेवाले अधिक हैं, अतएव उमकी उपेक्षा इतिहासकार नहीं कर सकता किन्तु घनपाल की तिलक 'मञ्जरी' के विषय में प्राय उपेक्षा ही है क्योंकि वह पाठ्यग्रन्थ नहीं। किन्तु जिन विरल व्यक्तियों ने उसे पढ़ा है वे उसके भी गुण जानते हैं।

इतिहासकारों ने तो इतनी फुसरंत कहीं कि वह एक-एक ग्रन्थ स्वयं पढ़े और उसका मूल्याकान करें। होता प्राय यही है कि जिन ग्रन्थों की चर्चा अधिक हुई हो उन्हीं को इतिहास-ग्रन्थ में स्थान मिलता है, अन्य ग्रन्थों की प्राय उपेक्षा होती है। 'यशस्तिलक' जैसे चम्पू को बहुत वर्णों तक उपेक्षा ही रही किन्तु डॉ० हन्दिकी ने जब उसके विषय में पूरी पुस्तक लिख डाली तब उम पर विद्वानों का ध्यान गया।

इसी परिस्थिति को देखकर जब इम इतिहास की योजना बन रही थी तब डॉ० ए० एन० उपाध्ये का सुझाव था कि इतिहास के पहले विभिन्न ग्रन्थों या विभिन्न विषयों पर अभ्यास, लेख लिखाये जायें तब इतिहास की सामग्री तैयार होगी और इतिहासकार के लिए इतिहास लिखना आसान होगा। उनका यह वहमूल्य सुझाव उचित ही था किन्तु उचित यह समझा गया कि जब तक ऐसे लेख तैयार न हो जायें तब तक हाथ पर हाथ घरे बैठे रहना भी उचित नहीं है। अतएव निश्चय हुआ कि भव्यम् मार्ग से जैन साहित्य के इतिहास को अनेक

विद्वानों के सहयोग से लिखा जाय। उसमें गहरे चिन्तनपूर्वक समीक्षा कदाचित् सम्भव न हो तो भी ग्रन्थ का सामान्य विषय-परिचय दिया जाय, जिससे कितने विषय के कौन से ग्रन्थ हैं—इसका तो पता विद्वानों को ही ही जायगा और फिर जिज्ञासु विद्वान् अपनी शब्द के ग्रन्थ स्वयं पढ़ने लगेंगे।

इस विचार को स्व० हॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने गति दी और यह निष्ठय हुआ कि ई० सन् १९५३ में अहमदाबाद में होने वाले प्राच्य विद्या परिषद् के सम्मेलन के अवसर पर वहाँ विद्वानों की उपस्थिति होगी। अतएव उस अवसर का लाभ उठाकर एक योजना विद्वानों के समक्ष रखी जाय। इसी विचार से योजना का पूर्वरूप वाराणसी में तैयार कर लिया गया और अहमदाबाद में उपस्थिति निम्न विद्वानों के परामर्श से उसको अन्तिम रूप दिया गया :—

- १ मुनि धी पुण्यविजयजी
- २ आचार्य जिनविजयजी
- ३ प॑ सुखलालजी सघवी
- ४ प० वेचरदासजी दोषी
- ५ हॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल
- ६ हॉ० ए० एन० उपाध्ये
- ७ हॉ० पी० एल० वैद्य
- ८ हॉ० मोतीचन्द
- ९ श्री अगरचन्द नाहटा
- १० हॉ० भोगीलाल साढेसरा
११. हॉ० प्रबोध पण्डित
- १२ ज्ञ० इन्द्रचन्द्र शास्त्री
- १३ प्र० पद्मनाभ जैनी
- १४ श्री वालाभाई वीरचंद देसाई जयभिक्षु
- १५ श्री परमानन्द कुवरजी कापडिया

यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि वाराणसी में योजना सम्बन्धी विचार जब चल रहा था तब उसमें सम्पूर्ण सहयोग श्री प० महेन्द्रकुमारजी का था और उन्हीं की प्रेरणा से पण्डितद्वय श्री कैलाशचन्द्रजी शास्त्री तथा श्री फूलचन्द्रजी शास्त्री भी सहयोग देने को तैयार ही गये थे। किन्तु योजना का पूर्वरूप जब तैयार हुआ तो इन तीनों पण्डितों ने निर्णय किया कि हमें अलग हो जाना चाहिए। तदनुसार उनके सहयोग से हम बच्चत ही रहे—इसका दुख सबसे

बैंक मृद्दे है। उन्होंने व्यती पृथक् योजना बनाई और यह अनन्द जा चिन्ह है कि उनकी योजना के अन्तर्गत प० श्री जैलगचन्द्र द्वारा लिखित 'इन साहित्य जा इतिहास प्रवंशीठिक' श्री गोपेश्वर वर्मा द्वारा ग्रन्थ-नाम, ग्रन्थाल्पी से दीर्घि० स० १८८९ में प्रकाशित हुआ है। जैनों द्वारा लिखित नाहित्य का लिखना अधिक परिचय कराया जाय, लच्छा ही है। यह भी नाम है कि विविध दृष्टिकोण से साहित्य की उनीश्वा होगी। अरएव हमें उच्च योजना जा न्वागत ही करने हैं।

अहमदाबाद में विद्वानों ने इन योजना को अन्तिम रूप दिया तथा उस चमय द्वारा लेनक लिखित हुए, उनमें ने कुछ ने उच्च व्यती लघु लिखकर नहीं दिया तो उन दोनों जो दूसरों से लिखवाना पड़ा है किन्तु दूसरे योजना में परिचर्त्त ज्ञाना उत्तिर नहीं उन्हा गया है। हम आशा करते हैं कि व्यापक हमें उच्च दूसरे योजना के इन्द्रजार इतिहास का कार्य जागे बढ़ायेंगे।

'इन साहित्य जा बृहद् इतिहास' जो कही भाँति ने प्रकाशित होने ला रखा है, उसमा यह प्रथम भाँति है। दैन उग ग्रन्थों का परिचय प्रस्तुत भाग में मुझे ही लिखना या किन्तु हुआ यह कि पञ्चनाम विद्यालय ने प० देवरत्नजी जो बनाए हिन्दू गुरुविदिशी में दैन आनंद के चिन्य पर वगवान देने के लिए आनन्दित चिन्य। उन्होंने ये व्याख्यान विनृतल्प से तुरागी में लिखे भी थे। उत्तर यह उत्तिर उन्हा गया कि उन्हीं व्याख्यानों के आधार पर प्रस्तुत भाग के लिए उन ग्रन्थों जो परिचय दिनी में निष्ठा लाय। डॉ. मोहनलाल नेहरा ने इसे उच्च पूर्ण व्याख्यान लिया और इस प्रभार भेरा भार हुन्ना हुन्ना। डॉ. नेहरा का लिखा 'उग ग्रन्थों का परिचय' प्रस्तुत भाग में नुक्ति है।

‘श्री प० देवरत्नजी जा आगमों का व्यवयन गहरा है, उनकी आनंदीन भी अवश्य है और आगमों के विषय ने लिखनेवालों में वे उप्रदृत हो है।’ उन्हीं के व्याख्यानों के आधार पर लिखा गया प्रस्तुत आपनिचय यदि विद्वानों को उग आनंद के व्यवयन के प्रति आकर्षित कर सकेना सो योजक इन प्रयात्र को सक्त नाहें।

बैंकधर्म और जैनधर्म :

बैंकधर्म और जैनधर्म द्वी पुलना को जाय तो जैनधर्म का वह रूप जो इसके प्राचीन साहित्य से उपलब्ध होता है, वेद से उपलब्ध बैंकधर्म से लच्छक नाश में मुक्तन्त्रित है। वेद के इत्तदादि देवों का रूप और जैनों के बाराष्य का उच्च देवा जाय तो बैंकधर्म देव सामान्य मानव से लाभिक गतिशाली है किन्तु

वृत्तियों की दृष्टि से हीन ही है । मानवसुलभ क्रोध, राग, त्रेष आदि वृत्तियों का वैदिक देवों में साम्राज्य है तो जैनों के आराध्य में इन वृत्तियों का अभाव ही है । (वैदिकों के इन देवों की पूज्यता कोई आध्यात्मिक शक्ति के कारण नहीं किन्तु नाना प्रकार से अनुग्रह और निग्रह शक्ति के कारण है जब कि जैनों के आराध्य ऐसी कोई शक्ति के कारण पूज्य नहीं किन्तु वीतरागता के कारण आराध्य है । आराधक में वीतराग के प्रति जो आदर है वह उसे उनकी पूजा में प्रेरित करता है, जब कि वैदिक देवों का डर आराधक के यज्ञ का कारण है) वैदिकों ने भूदेवों की कल्पना तो की किन्तु वे कालक्रम से स्वार्थी हो गये थे । उनको अपनी पुरोहिताई की रक्षा करनी थी । किन्तु जैनों के भूदेव वीतराग मानव के रूप में कल्पित हैं । उन्हें यज्ञादि करके कर्माई का कोई साधन जुटाना नहीं था । धार्मिक कर्मकाण्ड में वैदिकों में यज्ञ मूल्य था जो अधिकाश बिना हिंसा या पशु-चध के पूर्ण नहीं होता था जब कि जैनघर्म में कियाकाण्ड तपस्यारूप है—अनशन और ध्यानरूप है जिसमें हिंसा का नाम नहीं है । ये वैदिक यज्ञ देवों को प्रसन्न करने के लिए किये जाते थे जब कि जैनों में अपनी आत्मा के उत्कर्ष के लिए ही धार्मिक अनुष्ठान होते थे । उसमें किसी देव को प्रसन्न करने की बात का कोई स्थान नहीं था । उनके देव तो वीतराग होते थे जो प्रसन्न भी नहीं होते और अप्रसन्न भी नहीं होते । वे तो केवल अनुकरणीय के रूप में आराध्य थे ।

वैदिकों ने नाना प्रकार के इन्द्रादि देवों की कल्पना कर रखी थी, जो तीनों लोक में थे और उनका वर्ग मनुष्य वर्ग से भिन्न था और मनुष्य के लिए आराध्य था । किन्तु जैनों ने जो एक वर्ग के रूप में देवों की कल्पना की है वे मानव वर्ग से पृथग्वर्ग होते हुए भी उनका वह वर्ग सब मनुष्यों के लिए आराध्य कोटि में नहीं है । मनुष्य देव की पूजा भीतिक उन्नति के लिए भले करे किन्तु आत्मिक उन्नति के लिए तो उसमें कोई लाभ नहीं ऐसा मन्त्राध्य जैनघर्म का है । अतएव ऐसे ही वीतराग मनुष्यों की कल्पना जैनघर्म ने की, जो देवों के भी आराध्य हैं । देव भी उस मनुष्य की सेवा करते हैं । साराश यह है कि देव की नहीं किन्तु मानव की प्रतिष्ठा बढ़ाने में जैनघर्म अग्रसर है ।

देव या ईश्वर इस विश्व का निर्माता या नियन्ता है, ऐसी कल्पना वैदिकों की देखी जाती है । उसके स्थान में जैनों का सिद्धान्त है कि सृष्टि तो अनादि काल से चली आती है, उसका नियन्त्रण या सर्जन प्राणियों के कर्म से होता है, किसी अन्य कारण से नहीं । विश्व के मूल में कोई एक ही तत्त्व होना जरूरी है—इस विषय में वैदिक निष्ठा देखी जाय तो विविध प्रकार की है । अर्थात् वह एक तत्त्व क्या है, इस विषय में नाना मत है किन्तु ये सभी मत इस बात में तो

एकमत है ति दिन । मरम पर्वण हो परम । उन्नियम मेंना ता
म्पाट गत्ये । ति दिन पर्वण मोहण न । नहीं तिन्नु यह ना नाना
सत्त्वा का गमान है ।

उद्दे के बाद श्रावणाम् य ॥ “या या योगा प्रात हा गड और यज्ञ ही
मृग रा गये । पुराणी ता अभियासा इत्याहा इत्यवाया ति रा दिव
उपित रग ग ता ता यत्ता ॥ १ ॥ अभियासा या गया ति रा ता इत्या न
होते हुए ना या के परामार्द हुए गये । एक प्रात रा ॥ २ ॥ यो पर जनवा री
विजय री तिन्नु । नमे नी शाय यह था ति राननद रा ॥ ३ ॥ यह—ग्राह्यावग ही
यज्ञ-विभि का अपन एकाधण य थ रात्रा ॥ ४ ॥ गया था । उन दर्शनी अभियासना
इननी बढ़ा रा गड यो ति उन । यिना बी उनके द्वाग तिय ये वैदिक मन्त्राड
बीर विधिविरान न विना यज्ञ या गम्भूति हा ही नहीं गर्ती यो । तिन्नु जैनयम ।
में इमा विष्णुत दाग जारा है । जो भी त्याग तप या ता माग अपनाये चाहे
वह शूद्र ही या न हो, गुरुपद को प्राप्त रा मरना था और मनवश्चात्र का नन्दा
मागदर्शक नी उनता था । शूद्र वैदेषिक रा ही नहीं । रता था तिन्नु जैनगम्ब
पाठ में उनल लिए बोर्ड चारा नहीं नी । घममाग में नी और पुराग का गमान
अधिकार था, दाना ही माधना करके माध पा नकने थ ।

वेदाच्ययन में शब्द ता महत्त्व या अनणव वैदेषिक के पाठ की सुरक्षा हुई,
सस्कृत भाषा को पर्वत्र माना गया, उच्च महत्त्व मिला । किन्तु जैनों में पद का
नहीं पदाथ या महत्त्व था । अतएव उनके यहीं धम के मीलिक निदान्त की
सुरक्षा हुई किन्तु शब्दों को सुरक्षा नहीं हुई । परिणाम अप्पट था कि व सस्कृत
का नहीं, किन्तु लोकभाषा प्रागृत का ही महत्त्व दे सकत थे । प्राकृत अपनी प्रकृति
के अनुमार सदैव एकरूप रह ही नहीं सकती थी, वह वदलनी ही गड़े जब कि
वैदिक सस्कृत उसी रूप में आज बेदों में उपलब्ध है । उपनिषदों के पहले के काल
में वैदिकधर्म में ग्राहणों का प्रभुत्व स्पष्टरूप से विदित होता है, जब कि जबमे
जैनधर्म का इतिहास जात है तबसे उसमें ग्राहण नहीं किन्तु क्षत्रियवर्ग ही नेता
माना गया है । उपनिषद काल में वैदिकधर्म में ग्राहणों के समक्ष क्षत्रियों ने अपना
सिर उठाया है और वह भी विद्या के क्षेत्र में । किन्तु वह विद्या बेद न हाकर
आत्मविद्या थी और उपनिषदों में आत्मविद्या का ही प्रावधान्य हो गया है । यह
ग्राहणवर्ग के ऊपर स्पष्टरूप से क्षत्रियों के प्रभुत्व की सूचना देता है ।

वैदिक और जैनधर्म में इस प्रकार का विरोध देखकर आधुनिक पश्चिम के
विद्वानों ने प्रारम्भ में यह लिखना शुरू किया कि बोद्धधर्म की ही तरह जैनधर्म भी
वैदिकधर्म के विरोध के लिए खड़ा हुआ एक क्रान्तिकारी नया धर्म है या वह

बोद्धर्म की एक शास्त्रामान है। (किन्तु जैसे-जैसे जैनधर्म और बौद्धधर्म के मौलिक साहित्य का विशेष अध्ययन बढ़ा, पश्चिमी विद्वानों ने ही उनका जग दूर किया और अब सुलझे हुए पश्चिमी विद्वान् और भारतीय विद्वान् भी यह उचित ही मानने लगे हैं कि जैनधर्म एक स्थृतन्त्र धर्म है—वह वैदिक धर्म की शास्त्रामान है, या वेदधर्म के विरोध में स्थान हुआ नया धर्म है। यद्यपि हम प्राचीनता के प्रधापाती नहीं हैं, प्राचीन होनेवाल रे ही जैनधर्म अज्ञान नहीं हो जाता किन्तु जो परिस्थिति है उससा यथार्थप से निष्पण जरूरी होने रे ही यह कह रहे हैं कि जैनधर्म वेद के विरोध में गाड़ा होनेवाला नया धर्म नहीं है। अन्य विद्वानों का अनुमरण नारदे हुम यह कहने के लिए बाज्य हैं कि भारत के बाहरी प्रदेश में रहनेवाले आर्य सोण जब भारत में आये तब जिग धर्म में भारत में उनकी टप्पार हुई थी उस धर्म पा ही विकासित है—ऐना विकास सम्भव है। यदि वेद से ही इस धर्म का विकास होता या नेवल वैदिकधर्म का विरोध ही करना होता तो जैसे अन्य वैदिकों ने वद ॥१॥ प्रामाण्य गानकर ही वेदविरोधी वातो का प्रवर्तन कर दिया, जैसे उपनिषद् के गृहणियों ने, ऐसा ही जैनधर्म में भी होता किन्तु ऐसा नहीं हुआ है, ये तो नास्तिक ही गिने गये—वेदनिष्ठक ही गिने गये है—इन्होंने वेदप्रामाण्य कर्मी स्वीकृत किया ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में उसे धर्मिकधर्म की शास्त्रा नहीं गिना जा सकता। मत्य तो यह है कि वेद में माननेवाले आर्य जैसे-जैसे पूर्व गा और घड़े हैं वैसे वैसे वे भौतिकता में दूर हटकर आध्यात्मिकता में अप्रभाव होते रहे हैं—ऐसा यथा हुआ ? इसके कारणों को जब खोज की जाती है तब यही फ़लिन होता है कि ये जैन-जैसे प्रस्तारी प्रजा के प्रभाव में आये हैं वैष्णवों उन्होंने जपना रवैया धदला है—उसी धदलते हुए रवये की गैंग उपनिषदों की रचना में देखी जा सकती है। उपनिषदों में कई वेद-मान्यताओं ता विगेध तो है किर भी वे वेद के अंग बने और उदान्तु कहन्ते हुए, यह एक और वेद का प्रभाव और दूसरी और नई सूक्ष्म ता समन्वय ही तो है। वेद का अग धनकर वेदान्त कहलाये और एक सरह से वेद का अन्त भी कर दिया) उपनिषद् वन जाने के बाद दाशानिको ने वेद की गाँव और रखान्नर उपनिषदों के सहारे ही वेद की प्रतिष्ठा बदानी शुरू की। वेदभक्ति रही किन्तु निष्ठा तो उपनिषद् में ही बढ़ी। एक समय यह भी आया कि वेद की विनिगाम रह गई और अर्थ नदारद हो गया। उसके अर्थ का उदार मध्यकाल में हुआ भी तो वह वेदान्त के अर्थ को अप्रसुर करके ही हुआ। आधुनिक काल में भी दयानन्द जैसो ने भी यह साहम नहीं किया कि वेद के भौलिक हिंसा-प्रधान अर्थ की प्रतिष्ठा

फरें। वेद के हाग का यह कारण पूर्वभारत की प्रजा के मन्त्रागे में निहित है और जैनधर्म के प्रवतार महापुण्ड्रप जितने भा हुआ है वे सुन्यस्प में पूर्णगारत की ही देन हैं। जब हम यह देखते हैं तो महज ही अनुमान हाता है कि पूर्वभारत का यह धर्म ही जैनधर्म के उदय का कारण हा माना है, जिसने वैदिक धर्म को भी नया स्प दिया और हिंसक तथा भीतिहासी धर्म को वर्हिमा और आध्यात्मिकता का नया पाठ पढ़ाया।

जब तक पश्चिमी विद्वानों ने केवल वेद और वैदिक साहित्य का अध्ययन किया था और जब तक सिन्धुस्मृति को प्रकाश में लानेवाले खुदाई काय नहीं हुए थे तब तक—भारत में जो कुछ स्मृति है उसका मूल वेद में ही होना चाहिए—ऐसा प्रतिपादन वे करते रहे। विन्तु जब म मोहेन-जोदारों और हरप्पा की खुदाई हुई है तब ने पश्चिम के विद्वानों ने अपना मन बदल दिया है और वेद के अलावा वेद सभी वहन-चहन वेदपूर्वकाल में भारतीय स्स्कृति थी—इस नतीजे पर पहुँचे हैं। और अब तो उस तथाकथित सिन्धुस्मृति के अवशेष प्राय समग्र भारतवर्ष में दिखाई दते हैं—ऐसी परिस्थिति में भारतीय धर्मों के इतिहास को उस नये प्रकाश में दरखने का प्रारम्भ पश्चिमी और भारतीय विद्वानों ने किया है और कई विद्वान् इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जैनवर्म वैदिकधर्म से स्वतन्त्र है। वह उसकी शाखा नहीं है और न वह केवल उसके विरोध में ही खड़ा हुआ है।

प्राचीन यज्ञत-मुनि-शमण :

मोहेन-जोदारों में और हरप्पा में जो खुदाई हुई उसके अवशेषों का अध्ययन करके विद्वानों ने उसकी स्स्कृति को सिन्धुस्मृति नाम दिया था और खुदाई में सबसे निम्नस्त्रुतमें मिलने वाले अवशेषों को वैदिक स्स्कृति से भी प्राचीन स्मृति के अवशेष हैं—ऐसा प्रतिपादन किया था। सिन्धुस्मृति के समान ही स्स्कृति के अवशेष अब तो भारत के कई भागों में मिले हैं—उसे देखते हुए उस प्राचीन स्स्कृति का नाम सिन्धुस्मृति अव्याप्त हो जाता है। वैदिक स्स्कृति यदि भारत के बाहर से आने वाले आयों की स्स्कृति है तो सिन्धुस्मृति का यथार्थ नाम भारतीय स्स्कृति ही हो सकता है।

(अनेक स्थलों में होनेवाली खुदाई में जो नाना प्रकार की मोहरें मिली हैं उन पर कोई न कोई लिपि में लिखा हुआ भी मिला है। वह लिपि सम्भव है कि चित्रलिपि हो। किन्तु दुभाग्य है कि उस लिपि का यथाथ वाचन अभी तक हो नहीं पाया है। ऐसी स्थिति में उसकी भाषा के विषय में कुछ भी कहना सम्भव

नहीं है । और वे लोग अपने धर्म को यथा कहते थे, यह किसी लिखित प्रमाण से जानना सम्भव नहीं है । किन्तु अन्य जो सामग्री मिली है उस पर से विद्वानों का अनुमान है कि उस प्राचीन भारतीय सकृति में योग को अवश्य स्थान था । यह तो हम अच्छी तरह ने जानते हैं कि वैदिक आर्यों में वेद और व्राणकाल में योग की कोई चर्चा नहीं है । उनमें तो यज्ञ को ही महत्व का स्थान मिला हुआ है । दूसरी ओर जैन-बौद्ध में यज्ञ का विरोध या और योग का महत्व । ऐसी परिस्थिति में यदि जैनधर्म को उपाकरणित गिन्धुमस्कृति से भी सम्बद्ध किया जाय तो उचित होगा ।

अब प्रश्न यह है कि वैदिकाल में उनका नाम यथा रहा होगा ? (आर्यों ने जिनके नाम युद्ध निया उन्हें दास, दस्यु जैसे नाम दिये हैं । किन्तु उसमें हमारा काम नहीं चलता । हमें तो वह दाव चाहिए जिससे उस गस्तृति का घोष हो जिसमें योगप्रक्रिया का महत्व हो । ये दास-दस्यु पुर में रहते थे और उनके पुरो का नाश करके आर्यों के मुखिया इन्द्र ने पुरन्दर गी पदवी को प्राप्त किया । उसी दृढ़ ने यतियो और मुनियो की भोहत्या गी है—ऐसा उल्लेख गिनना है (अथर्व ० २ ५ ३) । अधिक सम्भव यही है कि गे मुनि और यति दाव उन मूल भारत के निवासियों ने सकृति के सूचक हैं और इन्हीं दावों की विशेष प्रतिष्ठा जैनगस्तृति में प्रारम्भ से देखी भी जाती है । अतएव यदि जैनधर्म का पुराना नाम यतिधर्म या मुनिधर्म माना जाय तो इसमें आपत्ति की वात न होगी ।) यति और मुनिधर्म दीर्घकाल के प्रयाह में वहता हुआ कई शास्त्र-प्रशासनों में विभक्त हो गया था । यह हाल वैदिकों का भी था । (प्राचीन जैन और बौद्ध शास्त्रों में धर्मों के विविध प्रवाहों को सूक्ष्मवद्ध करके श्रमण और व्राह्मण इन दो विभागों में बांटा गया है । इनमें व्राह्मण तो वे हैं जो वैदिक सकृति के अनुयायी हैं और दोष पुमी का समावेश श्रमणों में होता था ।) अतएव इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि भगवान् महावीर और बुद्ध के समय में जैनधर्म का समावेश श्रमणवर्ग में था ।

(ऋग्वेद (१० १३६ २) में 'वातरशना मुनि' का उल्लेख हुआ है, जिसका अर्थ है—नग्न मुनि । और आण्यक में जाकर तो 'श्रमण' और 'वातरशना' का एकीकरण भी उल्लिखित है । उपनिषद् में तापस और श्रमणों को एक बताया गया है (वृहदा० ४ ३ २२) । इन सबका एक साथ विचार करने पर श्रमणों की तपस्या और योग की प्रवृत्ति ज्ञात होती है । ऋग्वेद के वातरशना मुनि और यति भी मैं ही हो सकते हैं । इस दृष्टि से भी जैनधर्म का सम्बन्ध श्रमण-परम्परा से सिद्ध होता है और हम श्रमण-परम्परा का विरोध वैदिक या व्राह्मण-परम्परा से चला आ रहा है, इसकी सिद्धि उक्त वैदिक सूच्य से होती है कि इन्होंने यतियों और

मुनियों की हत्या की तथा पतञ्जलि के उम व्यतीव्य स भी होती है जिसमें कहा गया है कि श्रमण और नाहाणों का शाश्वतिक विरोध है (पातञ्जल महाभाष्य ५४९)। (जैनशास्त्रों में पांच प्रकार के श्रमण गिनाये हैं उनमें एक निर्गन्ध श्रमण का प्रकार है—यही जैनवर्म के अनुयायी श्रमण है। उनका वीद्वग्रन्थों में निर्गन्ध नाम से परिचय कराया गया है—इससे इस गत की पुष्टि होती है कि जैन भुनि या यति को भगवान् वृद्ध के समय में निर्गन्ध रुहा जाता था और वे श्रमणों के एक वर्ग में थे।)

सारांश यह है कि वेदकाल में जैनों के पुरखे मुनि या यति में शामिल थे। उसके बाद उनका समावेश श्रमणों में हुआ और भगवान् महावीर के समय वे निर्गन्ध नाम से विशेषरूप से प्रभिद्वय थे। जैन नाम जैनों की तरह वौद्धों के लिए भी प्रसिद्ध रहा है क्योंकि दोनों में जिन द्वीप आराधना समानन्य से होती थी। किन्तु भारत से वौद्धधर्म के प्राय लोप के बाद केवल महावीर के अनुयायियों के लिए जैन नाम रह गया जो आज तक चालू है।

तीर्थंकरों की परम्परा :

जैन-परम्परा के अनुसार इस भारतवर्ष में कालचक्र उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में विभक्त है। प्रत्येक में उ अरे होते हैं। अभी अवसर्पिणी काल चल रहा है। इसके पूर्व उत्सर्पिणी काल था। अवसर्पिणी के समाप्त होने पर पुन उत्सर्पिणी कालचक्र शुरू होगा। इस प्रकार अनादिकाल से यह चल रहा है और अनन्तकाल तक चलेगा। उत्सर्पिणी में सभी भाव उन्नति को प्राप्त होते हैं और अवसर्पिणी में ह्लास को। किन्तु दोनों में तीर्थंकरों का जन्म होता है। उनकी सब्या प्रत्येक में २४ की मानी गई है। तदनुमार प्रस्तुत अवसर्पिणी में अवतरक २४ तीर्थंकर हो चुके हैं। अन्तिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर हुए और प्रथम तीर्थंकर कृष्णभद्रे। इन दोनों के बीच का अन्तर अस्वय वर्ष है। अर्थात् जैन-परम्परा के अनुसार कृष्णभद्रे का समय भारतीय ज्ञात इतिहासकाल में नहीं आता। उनके अस्तित्व-काल की यथार्थता सिद्ध करने का हमारे पास कोई साधन नहीं। अतएव हम उन्हें पौराणिक काल के अन्तर्गत ले सकते हैं। उनकी अवधि निश्चित नहीं करते। किन्तु कृष्णभद्रे का चरित्र जैनपुराणों में वर्णित है और उसमें जो समाज का चित्रण है वह ऐसा है कि उसे हम स्सकृति का उष काल कह सकते हैं। उस समाज में राजा नहीं था, लोगों को लिखना-पढ़ना, खेती करना और हृषियार चलाना नहीं आता था। समाज में अभी सुस्सकृत लग्नप्रथा ने प्रवेश नहीं किया था। भाई-बहन पति पत्नी की तरह व्यवहार करते और सन्तानोत्पत्ति होती थी। इस समाज को सुस्सकृत बनाने का प्रारम्भ कृष्णभद्रे ने किया।

यिही हमें ऋग्वेद के यम यमी सवाद की याद आती है। उसमें यमी जो यम को बहन है वह यम के साथ सम्गोग की इच्छा करती है किन्तु यम ने नहीं माना, और इसे पुरुष की तलाश करने को कहा। उससे यह जलक मिलती है कि भाई-बहन का पति गली होकर रहना किसी समय समाज में जायज था) किन्तु उस प्रधा के प्रति ऋग्वेद के समय में अनन्ति स्पष्ट है। (ऋग्वेद का समाज ऋषभदेव कालीन समाज से भागे बढ़ा हुआ है—इसमें सन्देह नहीं है। कृष्ण आदि का उस समाज में प्रचलन स्पष्ट है। इस दृष्टि ने देखा जाय तो ऋषभदेव के समाज का काल ऋग्वेद से भी प्राचीन हो जाता है। किरना प्राचीन, यह कहना सम्भव नहीं नहीं अतएव उसकी चर्चा करना निरर्थक है। जिस प्रकार जैन शास्त्रों में राजपरम्परा की स्थापना की चर्चा है और उत्तरार्पणी और अवसर्पणी काल की व्यवस्था है वैसे ही काल की दृष्टि से उन्नति और ह्रास का चित्र सथा राजपरम्परा की स्थापना का चित्र बौद्धपरम्परा में भी मिलता है। इसके लिए दीघनिकाय के चक्रवर्तिसुत्त (भाग ३, पृ० ४६) तथा अग्नज्ञसुत्त (भाग ३, पृ० ६३) देखना चाहिए। जैनपरम्परा के कुलकरों की परम्परा में नामि और उनके पुत्र ऋषभ का जो स्थान है करीब वैसा ही स्थान बौद्धपरम्परा में महासम्मत का है (अग्नज्ञ-सुत्त-दीघ० का) और सामयिक परिस्थिति भी दोनों में करीब-करीब समानरूप से चिन्हित है। सस्कृति के विकास का उसे प्रारम्भ काल कहा जा सकता है। ये सब वर्णन पौराणिक हैं, यही उसकी प्राचीनता में प्रबल प्रमाण माना जा सकता है।

‘हिन्दू पुराणों में ऋषभचरित ने स्थान पाया है और उनके माता-पिता मरुदेवी और नामि के नाम भी वही हैं जैगा जैनपरम्परा मानती है और उनके त्याग और तपस्या का भी वही रूप है जैसा जैनपरम्परा में वर्णित है। आश्चर्य तो यह है कि उनको वेदाविदों द्वारा भी विष्णु के अवताररूप में बुद्ध की तरह माना गया है।’ यह इम वात का प्रमाण है कि ऋषभ का व्यक्तित्व प्रभावक था और जनता में प्रतिष्ठित भी। ऐमा न होता तो वैदिक परम्परा में तथा पुराणों में उनको विष्णु के अवतार का स्थान न मिलता। जैनपरम्परा में तो उनका स्थान प्रथम तीर्थकर के न्यू में निश्चित किया गया है। उनकी साधना का क्रम यज्ञ न होकर तपस्या है—यह इस वात का प्रमाण है कि वे थ्रमण-परम्परा से मुख्यरूप से सम्बद्ध थे। थ्रमणपरम्परा में यज्ञ द्वारा देव में नहीं किन्तु अपने कर्म द्वारा अपने में विश्वास मुख्य है।

‘४० श्री कैलाशचन्द्र ने दिव और ऋषभ के एकीकरण की जो सम्भावना प्रकट की है और जैन तथा धैव धर्म का मूल एक परम्परा में नोजने का जो प्रयाम किया है’ वह सबमान्य हो या न हा किन्तु इतना तो कहा ही जा सकता है कि ऋषभ का व्यक्तित्व ऐसा या जो वैदिकों से भी वार्षित रखता था और उनकी प्राचीनकाल में ऐसी प्रसिद्धि रही जिसकी उपक्षा उन्होंना सम्भव नहीं था। अतएव ऋषभचरित ने एक या दूसरे प्रमद्ध में वेदा में ऐसे पुराणों और अन्त में श्रीमद्भागवत में भी विशिष्ट ववतागों में स्थान प्राप्त किया है। अनावश्यक जैन जीवों ने भी जैनों की हम परम्परा में कि जैनपरम का प्राम्भ ऋषभद्व महाश्री है—मत्य की सम्भावना मानी है।^१

डा० रामारूणन् ने यजुर्वेद में ऋषभ, अग्निनाय गाँव अग्निष्टनेमि का उल्लेख होने की बात रखी है किन्तु डा० शुर्णिग मानन है कि त्रैसी रोई सूचना उसमें नहीं है।^२ ५० श्री कैलाशचन्द्र ने^३ डा० रामारूणन् का समर्थन किया है। किन्तु इस विषय में निर्णय के लिए अधिक गवेषणा की आवश्यकता है।^४)

एक ऐसी भी मान्यता विद्वानों में प्रचलित है^५ कि जैनों ने अपने २० तीर्थकरों की नामावलि की पूर्ति प्राचीनकाल में भाग्य में प्रसिद्ध उन महापुरुषों के नामों को लेकर की है जो जैनपरम को अपनानेवाले विभिन्न वर्गों के लोगों में मान्य थे। इस विषय में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि ये महापुरुष यज्ञों की—हिंसक यज्ञों की प्रतिष्ठा करनेवाले नहीं थे किन्तु कलणा की ओर त्याग-तपस्या की तथा आध्यात्मिक भावना की प्रतिष्ठा करनेवाले थे—ऐसा माना जाय तो इसमें धापत्ति की कोई बात नहीं हो सकती।

जैनपरम्परा में ऋषभ में लेकर भगवान् महावीर तक २४ तीर्थद्वारा माने जाते हैं उनमें स कुछ ही का निर्देश जैनतर्यासाम्बो में है। तीर्थद्वारों की जो कथाएँ जैनपुराणों में दी गई हैं उनमें ऐसी ऋथाएँ भी हैं जो अन्यथा भी प्रसिद्ध हैं किन्तु नामान्तरों से। अतएव उनपर विशेष विचार न करके यहाँ उन्हीं तीर्थकरों पर विशेष विचार करना है जिनका नाममान्य अन्यथा उपलब्ध है या जिनके विषय में विना नाम के भी निश्चित प्रमाण मिल सकते हैं।

-१ जै० सा० इ० पू०, प० १०७

-२ जै० सा० इ० पू०, पू० ५

-३ Doctrine of the Jainas, p 28, Fn 2

४ जै० सा० इ० पू०, पू० १०८

५ Doctrine of the Jainas, p 28

(बोद्ध अगुत्तरनिकाय में पूर्वकाल में होनेवाले सात शास्त्रा बीतराग तीर्थकरों की बात भगवान् बुद्ध ने कही है—“भूतपृथ्वि भिक्खवे सुनेतो नाम सत्था अहोसि तित्थकरों कामेसु बीतरागो मुगपवत् अरनेमि कुद्दालक हृत्थपाल जोतिपाल अरको नाम सत्था अहोसि तित्थकरों कामेसु बीतरागो। अरकस्स खो पन, भिक्खवे, सत्थयुनो अनेकानि सावकसत्तानि महेसु” (भाग ३ पृ० २५६-२५७) }

इसी प्रसंग में अरकसुत में अरुकुका उपदेश कैसा था, यह भी भगवान् बुद्ध ने वर्णित किया है। उनका उपदेश या कि “अप्यक, जीवित मनुस्मानं परित्त, लहुक वहुदुक्षेव वहुपायास मन्तय बोद्धव्य नक्तव्य कुमल, चरितव्य ब्रह्मचरिय, नत्तिय जातस्स अमरण” (पृ० २५७)। और गनुष्यजीवन को इस नक्तव्यरता के लिए उपमा दी है कि सूर्य के निकलने पर ऐसे तृणाम्र में स्थित (धास आदि पर पड़ा) जीवनिन्दु तत्काल विनष्ट हो जाता है वैसे ही गनुष्य पा यह जीवन भी धीघ मरणाधीन होता है। इस प्रकार इस ओसविन्दु की उपमा के अलावा पानी के बुद्दवुद और पानी में दण्डगजि आदि का भी उदाहरण देकर जीवन की क्षणिकता बताई गई है (पृ० २५८)।

अरक के इम उपदेश के साथ उत्तराध्ययनतः ‘समय गोयम मा पमायए’ उपदेश मुल्नीय है (उत्तरा ग १०)। उसमें भी जीवन यी क्षणिकता के ऊपर भार दिया गया है और अप्रमादी वनने को कहा गया है। उसमें भी कहा है—

कुमगे जह ओसविन्दुए थोव चिठ्ठइ लंवमाणए ।
एव मण्याण जीविय समय गोयम मा पमायए ॥

अरक के समय के विषय में भगवान् बुद्ध ने कहा है कि अरक तीर्थकर के समय में मनुष्यों की आयु ६० हजार वर्ष की होती थी, ५०० वर्ष की कुमारिका पति के थोग्य मानी जाती थी। उस समय के मनुष्यों को केवल छ प्रकार थी पीड़ा होती थी—शीत, उष्ण, भूस, तृपा, पेशाव करना और भलोत्सर्ग करना। इनके अलावा कोई रोगादि की पीड़ा न होती थी। इतनी बड़ी आयु और इतनी कम पीड़ा फिर भी अरक का उपदेश जीवन की नक्तवता का और जीवन में बहुदु स का था।

भगवान् बुद्ध द्वारा वर्णित इस अरक तीर्थकर की बात का अठारहवें जैन तीर्थकर अर के साथ कुछ मेल वैठ सकता है या नहीं, यह चिचारणीय है। जैनशास्त्रों के आधार से अर की आयु ८४००० वर्ष मानी गई है और उनके बाद होनेवाले मल्ली तीर्थकर की आयु ५५००० वर्ष है। अतएव पौराणिक

दृष्टि से विशार किया जाय तो अरक का समय अर और मन्ली के बीच ठहरता है। इस आयु के नेद नो न माना जाय तो इनना रहा ही जा पाना है कि अर या अरक नाम का सौर्य महात व्यक्ति प्राचीन पुराणकान में दृश्य था जिन्हें बीद्र और जैन द्वीना ने तीव्राग गा पद दिया है। द्विगणी ग्रात यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस अरक ने भी पहले बुद्ध के मत ने अर्जनेमि नामक एक तीथकर हुआ है। बुद्ध के बताये गए अर्जनेमि और जैन तीथकर अर का भी कुछ मध्यन्त हो माना है। नामगाम्य अंगिरा स्प म है ही वार दोना दी पीराणिकना भी मान्य है।

बीद्र वेगान् मे एक अजित धेर र नाम मे गाया है—

मरणे मे भय नत्यि निकन्ति नत्यि जीविते ।

मन्देह निकितपिस्मामि मम्पजानो पटिस्ततो ॥

—धेरगाया १ २०

उमकी अट्ठाया में कहा गया है कि ये अजित ९१ वल्प के पहले प्रत्येक-बुद्ध हो गये हैं। जैना के द्वारे तीथार अजित श्रीर ये प्रत्येकबुद्ध अजित योग्यता और नाम के अलावा पीराणिकना में भी माम्य रखते हैं। महाभाग्य में अजित और शिव का ऐश्वर्य वर्णित है। बीद्रो ने, महाभाग्य के और जैनो के अजित एक हैं या भिन्न, यह कहना कठिन है किन्तु इतना तो कहा ही जा सकता है कि अजित नामक व्यक्ति ने प्राचीनकाल में प्रतिष्ठा पाई थी।

बीद्रपिटक में निगन्य नातपृत का नई वार नाम आता है और उनके उपदेश की कई वाते ऐसी हैं जिसमे निगन्य नातपृत की ज्ञातपुत्र भगवान् महावीर से अभिन्नता सिद्ध होती है। इस विषय मे सबप्रथम डॉ० जेकोवी ने विद्वानो का ध्यान आरूपित किया था और अब तो यह वात सर्वमान्य हो गई है। डॉ० जेकोवी ने बीद्रपिटक से ही भगवान् पाश्वनाथ के अस्तित्व को भी मानित किया है। भगवान् महावीर के उपदेशो में बीद्रपिटको मे वारवार उल्लेख आता है कि उन्होने चतुर्याम का उपदेश दिया है। डॉ० जेकोवी ने इस पर से अनुमान लगाया है कि बुद्ध के समय मे चतुर्याम का पाश्वनाथ द्वारा दिया गया उपदेश जैसा कि स्वयं जैनधर्म की परम्परा मे माना गया है, प्रचलित था। भगवान् महावीर ने उस चतुर्याम के स्थान मे पांच महाब्रत का उपदेश दिया था। इस वात को बुद्ध जानते न थे। अतएव जो पाश्व का उपदेश था उसे महावीर का उपदेश कहा गया। बीद्रपिटक के इस गलत उल्लेख से जैन परम्परा को मान्य पाश्व और उनके उपदेश का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार बीद्रपिटक से हम पाश्वनाथ के अस्तित्व के विषय में प्रबल प्रमाण पाते हैं।)

(सोरेन्सन ने महाभारत के विशेष नामों का क्रोप बनाया है। उसके देखने से पता चलता है कि सुपार्श्व, चन्द्र और सुमति ये तीन नाम ऐसे हैं जो तीर्थंकरों के नामों से साम्य रखते हैं। विशेष बात यह भी ध्यान देने की है कि ये तीनों ही असुर हैं। और यह भी हम जानते हैं कि पौराणिक मान्यता के अनुसार अहंतों ने जो जैनधर्म का उपदेश दिया है वह विशेषत असुरों के लिए था। अर्थात् वैदिक पौराणिक मान्यता के अनुसार जैनधर्म असुरों का धर्म है। ईश्वर के अवतारों में जिस प्रकार ऋषभ को अवतार माना गया है उसी प्रकार सुपार्श्व को महाभारत में कृपय नामक असुर का अशावतार माना गया है। चन्द्र को भी अशावतार माना गया है। मुमति नामक असुर के लिए कहा गया है कि वरणप्रासाद में उनका स्थान दैत्यों और दानवों में था। तथा एक अन्य सुमति नाम के ऋषि का भी महाभारत में उल्लेख है जो भीज्म के समकालीन बताये गये हैं।)

जिस प्रकार भागवत में ऋषभ का अवतार माना गया है उसी प्रकार अवतार के न्यू में तो नहीं किन्तु विष्णु और शिव के जो सहस्रनाम महाभारत में दिये गये हैं उनमें श्रेयम, अनन्त, धर्म, शान्ति और सम्मव—ये नाम विष्णु के भी हैं और ऐसे ही नाम जैन तीर्थंकरों के भी मिलते हैं। सहस्रनामों के अभ्यास से यह पता चलता है कि पौराणिक महापुरुषों का अभेद विष्णु से और शिव से करना—यह भी उसका एक प्रयोजन था। प्रस्तुत में इन नामों से जैन तीर्थंकर अभिप्रेत है या नहीं, यह विचारणीय है। शिव के नामों में भी अनन्त, धर्म, अजित, ऋषभ—ये नाम आते हैं जो तत्त्व तीर्थंकरों के नाम भी हैं।)

(शान्ति विष्णु का भी नाम है, यह कहा ही गया है। महाभारत के अनुसार उम नाम के एक इन्द्र और ऋषि भी हुए हैं। इनका सम्बन्ध शान्ति नामक जैन तीर्थंकर से है या नहीं, यह विचारणीय है। वीसवें तीर्थंकर के नाम मनिसुन्नत में मनि को सुन्नत ना विशेषण भाना जाय तो सुन्नत नाम ठहरता है। महाभारत में विष्णु और शिव का भी एक नाम सुन्नत मिलता है। नामसाम्य के अलावा जो इन महापुरुषों का सम्बन्ध असुरों से जोड़ा जाता है वह इस बात के लिए तो प्रमाण बनता ही है कि ये वेदविरोधी थे। उनका वेदविरोधी होना उनके श्रमण-परमण से सम्बद्ध होने की सम्भावना को दृढ़ करता है।)

आगमों का वर्गीकरण :

साम्प्रतकाल में आगम रूप से जो ग्रन्थ चपलव्व हैं और मान्य हैं उनकी सूची नीचे दी जाती है। उनका वर्गीकरण करके यह सूची दी है क्योंकि प्रायः उसी रूप में वर्गीकरण साम्प्रतकाल में मान्य है—

(१६)

११ अग—जो श्वेताम्बरो के सभी सम्प्रदायो को मान्य हैं वे हैं—

१ आयार (आचार), २ सूयगड (सूत्रकृत), ३ ठाण (स्थान), ४ समवाय, ५ वियाहपन्नति (व्यास्याप्रज्ञप्ति), ६ नायाघट्मकहाओ (ज्ञातघर्षकथा), ७ उवास-गदसाओ (उपासदशा), ८ अतगडदमाओ (अन्तकृदशा), ९ अनुत्तरोववाह्यदसाओ (अनुत्तरोपपादिकदशा), १० पण्हावागरणाह (प्रश्नव्याकरणानि), ११ विवागमुय (विपाकश्रुतम्) (१२ दृष्टिवाद, जो विचिन्न हुआ है)।

१२ उपाग—जो श्वेताम्बरो के तीनो सम्प्रदायो को मान्य हैं—

१ उववाह्य (औपपातिक), २ रायपसेणइज्ज (राजप्रसेनजित्‌क) अथवा राय-पसेणिय (राजप्रश्नीय), ३ जीवाजीवाभिगम, ४ पण्वणा (प्रज्ञापना), ५ सूर-पण्णति (सूर्यप्रज्ञप्ति), ६ जबुद्वौवपण्णति (जन्म्बूद्वौप्रज्ञप्ति), ७ चदपण्णति (चन्द्र-प्रज्ञप्ति), ८-१२ निरयावलियासुयव्यव (निरयावलिकाश्रुतस्कन्ध), ८ निरया-वलियाओ (निरयावलिका), ९ कप्पवर्द्दिसियाओ (कल्पावतसिका), १० पुष्कर-याओ (पुष्पिका), ११ पुष्करलाओ (पुष्पचूला), १२ वण्हदसाओ (वृण्डिदशा)।

१० प्रकीर्णक—जो केवल श्वेताम्बर मूर्तिपूजक सम्प्रदाय को मान्य हैं—

१ चतुसरण (चतु शरण), २ अठरपच्चाक्षाण (आठुरप्रत्यास्थान), ३ भत्तपरिन्ना (भक्तपरिज्ञा), ४ सथार (सस्तार), ५ तहुलवेयालिय (तण्डुलवैचारिक), ६ चदवेज्जय (चन्द्रवेद्यक), ७ देविदत्थय (देवेन्द्रस्तव), ८ गणिविज्ञा (गणि-विद्या), ९ महापञ्चव्याण (महाप्रत्यास्थान), १० वीरत्थय (वीरस्तव)।

६ छेद—१ आयारदसा अथवा दसा (आचारदशा), २ कप्प (कल्प^१), ३ बवहार (ब्यवहार), ४ निसीह (निशीथ), ५ महानिसीह (महानिशीथ), ६ जीयकप्प (जीतकल्प)। इनमें से अन्तिम दो स्थानकवासी और तेरापन्थी को मान्य-नहीं हैं।

२ चूलिकासूत्र—१ नन्दी, २ अणुयोगदारा (अनुयोगद्वाराणि)।

४ मूलसूत्र—१ उत्तरज्ञाया (उत्तराध्याया), २ दसवेयालिय (दशवैकालिक), ३ आवस्य (आवस्यक), ४ पिण्डनिज्जुति (पिण्डनिर्युक्ति)। इनमें से अन्तिम स्थानकवासी और तेरापन्थी को मान्य नहीं है।

यह जो गणना दी गई है उसमें एक के बदले कभी-कभी हूँसरा भी आता है, जैसे पिण्डनिर्युक्ति के स्थान में बोधनिर्युक्ति। दस प्रकीर्णकों में भी नामभेद देखा

१ दशाश्रुत में से पृथक् किया गया एक दूसरा कल्पसूत्र भी है। उसके नामसाम्य से भ्रम उत्पन्न न हो इसलिए इसका दूसरा नाम बृहत्कल्प रखा गया है।

जाता है । छेद में भी नामभेद है । कभी-कभी पञ्चकल्प को इस वर्ग में शामिल किया जाता है ।^१

प्राचीन उपलब्ध आगमों में आगमों का जो परिचय दिया गया है उसमें यह पाठ है—“इह खलु समणेण भगवया महावीरेण आहगरेण तित्थगरेण । इमे दुवालसगे गणिपिडगे पण्णत्ते, त जहा—आयारे सूयगडे ठाणे समवाए वियाहपन्नति नायाधम्मकहाओ उवासगदसाओ अतगडदसाओ अणुत्तरो-ववाइयदसाओ पण्हावागरण विवागसुए दिट्ठिवाए । तत्थ णं जे से चउत्थे अगे समवाए त्ति आहिए तस्स ण अयमट्ठे पण्णत्ते” (समवाय अग का प्रारम्भ) ।

समवायाग मूल में जहाँ १२ संस्था का प्रकरण चला है वहाँ द्वादशाग का परिचय न देकर एक कोटि समवाय के बाद वह दिया है । वहाँ का पाठ इस प्रकार प्रारम्भ होता है—दुवालसगे गणिपिडगे पञ्चत्ते, त जहा आयारे । दिट्ठिवाए । से क त आयारे ? आयारे ण समणाण “इत्यादि क्रम से एक-एक का परिचय दिया है । परिचय में “अगट्ट्याए पढमे अगट्ट्याए दोच्चे ” इत्यादि देकर द्वादश अगो के क्रम को भी निश्चित कर दिया है । परिणाम यह हुवा कि जहाँ कही अगो की गिनती की गई, पूर्वोच्च क्रम का पालन किया गया । अन्य वर्गों में जैसा व्युत्क्रम दीखता है वैसा द्वादशागो के क्रम में नहीं देखा जाता ।

दूसरी बात ध्यान देने की है कि “तस्स ण अयमट्ठे पण्णत्ते” (समवाय का प्रारम्भ) और “अगट्ट्याए पढमे”—इत्यादि में ‘अट्ठ’ (अर्थ) शब्द का प्रयोग किया है वह विशेष प्रयोजन से है । जो यह परम्परा स्थिर हुई है कि ‘अत्थ भासइ अरहा (आवनि० १९२)—उसी के कारण प्रस्तुत में ‘अट्ठ’—‘अर्थ’ शब्द का प्रयोग है । तात्पर्य यह है कि ग्रन्थरचना—शब्दरचना तीर्थकर भगवान् महावीर की नहीं है किन्तु उपलब्ध आगम में जो ग्रन्थ-रचना है, जिन शब्दों में यह आगम उपलब्ध है उससे फलित होनेवाला अर्थ या तात्पर्य भगवान् द्वारा प्रणीत है । ये भी शब्द भगवान् के नहीं हैं किन्तु इन शब्दों का तात्पर्य जो स्वयं भगवान् ने बताया था उससे भिन्न नहीं है । उन्हीं के उपदेश के आधार पर “सुत्त गन्थन्ति गणहरा निउण” (आवनि० १९२)—गणघर सूत्रों की रचना करते हैं । साराश यह है कि उपलब्ध अग आगम की रचना गणघरों ने की है—ऐसी परम्परा है ।

^१ देखिए—Prof Kapadia—A History of the Canonical Literature of the Jains, Chap II

यह चना तत्त्वों ने इनमें मन से नहीं जो किन्तु प्राचीन महारीन के उच्छव के दासग पा दो हैं इनके ये जगत् प्रभाव भवते जाते हैं।

तीसरी बात जो ध्यान देने की है वह यह कि इन द्वादश ग्रन्थों को 'लग' लगा दया है। इन्हीं द्वादश ग्रन्थों का एक दर्शन है किन्तु गोपितक के दास से परिचय दिया गया है। गोपितक ने इन द्वादश के अङ्गों का इन द्वादश ग्रन्थों का उल्लेख नहीं है। इससे यह भी स्पृश्चित्र होता है कि दृष्टिक्षय से जगत् ये ही ये और इन्होंने भी चना गत्वर्ते ने दो दो थे।

'गोपितक' द्वादश ग्रन्थ लगों के समुच्चय के लिए तो प्रयुक्त हुए हैं किन्तु वह प्रत्येक के लिए भी प्रयुक्त होता होगा ऐसा सम्बाधा के एक उल्लेख से प्रदर्शित होता है—“तिग्रह गणिगपिडगाग आदारचूलिया उज्ज्वल सत्तावत अज्जयणा पक्षता तं जहाऽआदारे सूयगडे ठागे।” (उल्लेख ५७ वा।) अर्थात् आदार आदि प्रत्येक जो दृष्टि व्यंग दर्शन है वैसे ही प्रयुक्त की 'गोपितक' ऐसी भी उन्होंने यो ऐसा उन्मान किया जा सकता है।

वैदिक साहित्य में 'ब्रह्म' (ब्रह्मा) उन्होंने सहित्याएं, जो प्रवान वेद थे, उनमें मिल जुड़ ग्रन्थों के लिए प्रयुक्त हैं। और वहीं 'ब्रह्म' का गान्धयं है—वैदों के व्यष्टियत में सहायमूर्ति विविध विद्याओं के प्रत्यय। लायोत् वैदिक वाङ्मय में 'ब्रह्म' ना दात्यर्थीय नीतिक नहीं किन्तु गौण ग्रन्थों में है। इन्होंने 'ब्रह्म' ध्यान का यह तात्पर्य नहीं है। आचार आदि लग ग्रन्थ किंतु के सहायक या गौण ग्रन्थ नहीं है किन्तु इन्हीं वाले ग्रन्थों से बनते वाले एक वर्ग की इच्छा होने से 'ब्रह्म' कहे गये हैं। इसमें उल्लेख नहीं। इसीसे लागे चतुर शुद्धपूर्वक की कृप्ता की गई और इन द्वादश ग्रन्थों को उठ शुद्धपूर्वक के लगावन से माना गया।

अविकाश इन दीर्घांत्रों की परम्परा पौराणिक होने पर भी द्यन्मय सम्प्रदाय साहित्य का जो आदिकोत्तर सन्दर्भ लाता है वह जैनामूल्य ब्रह्म साहित्य वैद विद्वान् पुराना नहीं है, वह नानी कृष्ण वात है। लिंग भी उसे वौद्धपितक का सनकालीन तो नाना जा सकता है।

इ० जैनोदी लादि का यो कहना है कि सनय की दृष्टि से उल्लेख का उल्लंघनमय जो नो नमा जाय किन्तु उसमें इन तथ्यों का सम्बन्ध है वे उल्लंघने

✓^१ Doctrine of the Jains, P. 73

✓^२ नन्दानूर्ण, पृ० ४७, कापाडिया—जैनोनिक लिटरेचर, पृ० २१

✓^३ “वौद्धसाहित्य वैनसाहित्य का सनकालीन है है”—ऐसा ८० वैज्ञानिक उल्लंघन लिखते हैं तब इसका लर्य यही हो सकता है। देखिये—इन सा इसूर्वपीठिका, पृ० १७४

नहीं हैं जो उसी सप्रह काल के हों। ऐसे कई तथ्य उसमें सगृहीत हैं जिनका सम्बन्ध प्राचीन पूर्व परम्परा से है ॥५॥ अतएव जैनागमों के समय का विचार करना हो तब विद्वानों की यह मान्यता ध्यान में अवश्य रखनी होगी।

जैन परम्परा के अनुसार तीर्थंकर भले ही बनेक हो किन्तु उनके उपदेश में साम्य होता है और तत्त्वाल में जो भी अन्तिम तीर्थंकर हो उन्हीं का उपदेश और शासन विचार और आचार के लिए प्रजा में मान्य होता है। इस दृष्टि से भगवान् महावीर अन्तिम तीर्थंकर होने से उन्हीं का उपदेश अन्तिम उपदेश है और वही प्रमाण भूत है। शेष तीर्थंकरों का उपदेश उपलब्ध भी नहीं और यदि हो तब भी वह भगवान् महावीर के उपदेश के अन्तर्गत हो गया है—ऐसा मानना चाहिए।

प्रस्तुत में यह स्पष्ट करना जरूरी है कि भगवान् महावीर ने जो उपदेश दिया उसे सूत्रबद्ध किया है गणधरों ने। इसीलिए अर्थोपदेशक या अर्थरूप शास्त्र के कर्ता भगवान् महावीर भाने जाते हैं और शब्दरूप शास्त्र के कर्ता गणधर हैं।^३ अनुयोगदारागत (सू० १४४, प० २१९) सुत्तागम, अत्थागम, अतागम, अणत-रागम आदि जो लोकोत्तर आगम के भेद हैं उनसे भी हसीं का समर्थन होता है। भगवान् महावीर ने यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि उनके उपदेश का सम्बाद भगवान् पाश्वनाथ के उपदेश से है तथा यह भी शास्त्रों में कहा गया है कि पाश्व और महावीर के आध्यात्मिक सन्देश में मूलत योही भेद नहीं है। कुछ बाह्याचार में भले ही भेद दिखता हो।^४

जैन परम्परा में आज शास्त्र के लिए 'आगम' शब्द व्यापक हो गया है किन्तु प्राचीन काल में वह 'श्रुत' या 'सम्यक् श्रूत' के नाम से प्रसिद्ध था ।^५ इसी से 'श्रुतेवली' शब्द प्रचलित हुआ न कि आगमकेवली या सूत्रकेवली। और

✓ १ Doctrine of the Jainas, P 15

✓ २ इसी दृष्टि से जैनागमों को अनादि-अनन्त कहा गया है—'इच्छेश्वय दुष्कलसग गणिपिण्ड न कयाइ नासी, न कयाइ न भवह, न कयाइ न भविस्सह, भुविच भवह च भविस्सह य, घुवे निवाए सासए अक्खए अब्बए अब्द्विए निच्चे'—नन्दी, सू० ५८, समवायाग, सू० १४८

✓ ३. अथ भासइ अरहा सुत्त गथति गणहरा निरुण ।

सासणस्स हियद्वाए तओ सुत्त पवत्तह ॥

—आवश्यकनियुक्ति, गा० १९२; घवला भा० १, प० ६४ तथा ७२

✓ ४ Doctrine of the Jainas, P 29

नन्दी, सू० ४१

न्यविंशी भी गाना में भी श्रुतस्यविंशी को स्थान मिला है वह भी 'श्रुत' शब्द की प्राचीनता मिल रही है। अचार्य उमाम्बाति ने श्रुत के पर्यायों में श्रुत एवं श्रुत दि दिया है वह इस प्रतार है—श्रुत, श्रुतवचन, श्राव, उन्नेश, ऐनिक, वान्माय, प्रवचन त्री-चिनवचन। इनमें से आप 'श्राव' शब्द ही विशेषज्ञ प्रतिपत्ति है।

सम्बायाग आदि गानों में भासून होता है जिसका भावान् बहावी ने जो उनके दिया था उसकी भासूना 'द्वादशांगी' में हुई थी वह 'गणिपिट्ट' इसलिए भासूयाः त्रि गणि के लिए वही श्रुतज्ञान का भासूना ता।

मन्य ये प्रमाह में लालों की मच्छा दरती ही नहीं जो ४५ दर फूटे गए हैं। इन्हुंनी नमान्य तीर पर उत्तराम्बने में दृष्टिशक्ति सम्भाव ने वह ४५ लौर म्यानम्बासी तथा तेगपन्ध में ३० नहीं कीमित है। दिग्न्द्रों में एवं मन्य ऐसा या जब वह चम्पा १२ वर्ग छाँ १८ वर्गवाह्य = ३६ में कीमित त्री ५० इन्हुंनी द्वग्नज्ञान भी पर्याप्ता विगतिवार्ता के ६८० वर्ग दर ही रही है उनके बाद वह आगिक न्य से चलती रही—ऐसी दिग्न्द्रन्यम् ता है।

आगम भी क्रमम जो सम्भावृद्धि हुई उनका जाग यह है जिसको के बनावा उन्य प्रत्येकदुष्म नहायुरयों ने जो उनके दिया था उसे भी प्रत्येकदुष्म के केवली होने से आगम में सुनिविष्ट रखने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। इसी प्रकार गणिपिट्ट के ही शाधार पर नन्द दुष्म यित्रों के हितार्थ श्रुतज्ञवनी लाचार्यों ने जो मन्य बनाये थे उनका उनावेग भी, आगम के लाय उनका अविरोध होने से बार आगमानं भी ही पुष्टि करनेवाले होने से, लागमों ने करन्त्या गया। बहुत में सम्पूर्णदग्धपूर्व के जाता द्वारा प्रदित मन्य भी आगम में सुनिविष्ट इसलिए किये गये कि वे भी आगम जो पुष्ट करने वाले थे बार उनका आगम से

१ व्यानाग, नू० १५९ २ वृत्तवार्यमाय्य, १ २०

३ सर्वप्रथम लन्दुयोगद्वार सूत्र में लोकोन्नर आगम में द्वादशांग गणिपिट्ट का समावेश किया है और आगम के कई प्रकार के नेद किये हैं—नू० १४४, पू० २१८

४ "दुवालसुगे गणिपिट्टगे"—सम्बायाग, नू० १ लौर १३६, नन्दी, नू० ४३ आदि।

५ जयवल्ला, पू० २५, घवना, ना० १, पू० ९६, गोम्बद्वार—जीवकाङ्क्षा, ना० ३६७, ३६८ विद्येप के लिए देखिए—आगमयुग का जैनदर्शन, पू० २२-२७

६ जै० सा० इ० पूर्वपीठिका, पू० ५२८, ५३४, ५३८ (इनमें सकलश्रुत-ज्ञान का विच्छेद दर्शित है। यह संगत नहीं लेंता)।

विरोध इसलिए भी नहीं हो सकता था कि वे निश्चित रूप से सम्बद्धिष्ठ होते थे ।
निम्न गाथा से इसी बात की सूचना मिलती है—

सुत गणहरकथिद तहेव पत्तेयबुद्धकथिद च ।
सुदकेवलिणा कथिद अभिष्णदसपूव्वकथिद च ॥३४॥

—मूलचार ५ ८०

इससे कहा जा सकता है कि किसी ग्रन्थ के आगम में प्रवेश के लिए यह भानदण्ड था । अतएव वस्तुत जब से दशपूर्वधर नहीं रहे तब से आगम की सल्या में वृद्धि होना रुक् गया होगा, ऐसा माना जा सकता है । किन्तु श्वेताम्बरों के आगमरूप से मान्य कुछ प्रकीर्णक ग्रन्थ ऐसे भी हैं जो उस काल के बाद भी आगम में सम्मिलित कर लिये गये हैं । इसमें उन ग्रन्थों की निर्दोषता और वैराग्य भाव की वृद्धि में उनका विशेष उपयोग—ये ही कारण हो सकते हैं या कर्ता आचार्य की उस काल में विशेष प्रतिष्ठा भी कारण हो सकती है ।

जैनागमों की सल्या जब बढ़ने लगी तब उनका वर्गीकरण भी आवश्यक हो गया । भगवान् महावीर के मौलिक उपदेश का गणधरकृत सम्रह द्वादश ‘अग’ या ‘गणिपिटक’ में था, अतएव यह स्वयं एक वर्ग हो जाय और उससे अन्य का पार्थक्य किया जाय यह जरूरी था । अतएव आगमों का जो प्रथम वर्गीकरण हुआ वह अग और अगबाह्य हस आधार पर हुआ । इसीलिए हम देखते हैं कि अनुयोग (सू० ३) के प्रारम्भ में ‘अगपविटु’ (अगप्रविष्ट) और ‘अगबाहिर’ (अगबाह्य) ऐसे श्रुत के भेद किये गये हैं । नन्दी (सू० ४४) में भी ऐसे ही भेद हैं । अगबाहिर के लिए वहाँ ‘अणगपविटु’ शब्द भी प्रयुक्त है (सू० ४४ के अन्त में) । अन्यथा नन्दी (सू० ३८) में ही ‘अगपविटु’ और ‘अणगपविटु’—ऐसे दो भेद किये गये हैं ।

इन अगबाह्य ग्रन्थों की सामान्य सज्जा ‘प्रकीर्णक’ भी थी, ऐसा नन्दीसूत्र से प्रतीत होता है ।^२ अगशब्द को ध्यान में रख कर अगबाह्य ग्रन्थों की सामान्य सज्जा ‘उपाग’ भी थी, ऐसा निरयावलिया सूत्र के प्रारम्भिक उल्लेख से प्रतीत

^२ यही गाथा जयधवला में उद्धृत है—पृ० १५३ इसी भाव को व्यक्त करनेवाली गाथा मस्तृत में द्वोणाचार्य ने ओघनियुक्ति की टीका में पृ० ३ में उद्धृत की है ।

२ एवमाइयाइ चउगासीइ पह्लगसहस्साइ । अहवा जस्स जत्तिया सीसा उप्पत्तियाए चउच्चिव्हाए बुद्धीए उवचेबा तस्स तत्तियाइ पह्लगसह-स्साइ ”—नन्दी, सू० ४४

होता है और उसमे यह भी प्रतीत होता है कि जोड़े एवं चन्द्र ऐना वा जद ये निष्पावन्तियादि पात्र ही उपार जाने जाते होते ।

चन्द्रावाया, नन्दी, अनुयोगा तथा पालिङ्गनृत्र के चन्द्र जब सुन्दर आगम के चन्द्र विनाम दो ही थे—अग और आवाह्य । आवार्यं रमान्वान्ति के चन्द्राधनुक्रमार्घ्ये ने भी यही अलिंग होता है कि उनसे चन्द्र भी अगप्रविष्ट और अगवाह्य देखे ही चिनाप्रविष्टि थे ।

न्यानामा चन्द्र (२६६) में जिन चार प्रजन्मियों जो आवाह्य चहा गया है वे हैं—चन्द्रशक्तिनि, नूर्यंप्रजन्मिति, अन्दृष्टौप्रजन्मिति और द्वौप्रजन्मिति । इनमें में अन्दृष्टौप्रजन्मिति जो छोड़ जर शेष रीत शालिक है—ऐसा भी इस्तेव न्यानामा (२५०) में है ।

अग के अतिरिक्त आवारकल्प (निमीय) (न्यानामा, १३३, चन्द्रावाया, २८), आवारकल्प (व्याशुरकल्प), चन्द्रवा, द्विष्टिदना, दीर्घदशा और नक्षेषित्रदशा जा भी न्यानामा (२५५) में उल्लेख है । किन्तु वन्वशनादि शास्त्र अनुष्ठान है । दीनान्तर के सम्बन्ध में भी यही स्थिति थी, जिससे उन्होंने बहुत पढ़ा कि ये कानून ग्रन्थ हैं, हम नहीं जानते । चन्द्रावाया में उनावयन के ३६ लक्ष्यनों के नाम दिये हैं (उन ३६) तथा व्याक्तिव्यवहार इन रीत के उद्देश्यान्तराल भी चर्ची हैं । किन्तु उनकी उद्देश्यान्तराल नहीं दी गई है ।

प्रजन्मिति का एक चर्चा लंगा होता, ऐसा न्यानामा से पता चलता है । कुपलयनाला (पृ० ३४) में आवाह्य में प्रजापन के जनिरिति दो प्रजन्मियों जा उल्लेख है ।

‘छेद चक्र चंद्र से प्रचलित हृद और छेद में प्रात्मन में कैरीन से शास्त्र चर्चिति देय—यह भी निष्वयदूर्वक नहीं चहा जा सकता । किन्तु लावन्यकनियुक्ति में नवंप्रथम ‘छेदनुत’ जा उल्लेख निलगा है । उससे प्राचीन उल्लेख जनों तक निलगा नहीं है ।’ इससे जनों इतना तो कहा ही जा सकता है कि आवश्यकनियुक्ति के भन्दा में छेदनुत जा वर्ण पृथक् हो गया था ।

कुपलयनाला जो १५३-१५४३ ई० में चनाप्त हुई, उसमें जित नाम ग्रन्थों और विषयों जा ग्रन्थ चिन्तन जने थे उनके कुछ नाम लियाये हैं ।^३ उसमें सूचन्धयन आवार के नेतृत्व द्वौप्रजन्मयन्तरे ज्ञाते के नाम हैं । उदनन्तर प्रजापना, नूर्यंप्रजन्मिति तथा चन्द्रप्रजन्मिति का उल्लेख है । उदनन्तर ये गायाएँ हैं—

१ चन्द्राधनुक्रमार्घ्य, २ २०

२ आद० नि० ७३६, कैलोनिकल लिटरेचर, पृ० ३६ में उद्दृष्ट ।

३ कुपलयनाला, पृ० ३४ ।

४ विपाक जा नाम इनमें नहीं आता, यह भव्य लेखक की या लिपिकार की व्यावरानी के कारण है ।

अण्णाइ य गणहरभासियाइ सामणकेवलिकयाइं ।
 पच्चेयसयबुद्धेर्हि विरइयाइ गुणेति महरिसिणो ॥
 कथयइ पचावयव दसह च्चय साहण परुनेति ।
 पच्चक्षमणुमाणपमाणचउक्य च अणे वियारेति ॥
 भवजलहिजाणवत्त पेम्ममहारायणियलणिद्वलण ।
 कम्मटुगठिवज्ज अणे धम्म परिकहेति ॥
 मोहधयाररविणो परवायकुरगदरियकेसरिणो ।
 णयसयखरणहरिल्ले अणे अह वाइणो तत्थ ॥
 लोयालोयपयास दूरतरसणहवत्थुपज्जोय ।
 केवलिसुत्तणिवद्व णिमित्तमणे वियारति ॥
 णाणाजीवुपत्तो सुवण्णमणिरयणधाउसजोय ॥
 जाणति जणियजोणी जोणीण पाहुड अणे ॥
 ललियवयणत्थसार सव्वालकारणिव्वडियसोह ।
 अमयप्पवाहमहुर अणे वव्व विहतति ॥
 वहुततमतविज्ञावियाणया सिद्धजोयजोइसिया ।
 अच्छति अणुणेंता अवरे सिद्धतसाराइ ॥

कुचलयमालागत इस विवरण में एक तो यह बात ध्यान देने योग्य है कि अग के बाद अगवाहो का उल्लेख है। उनमें अगो के अलावा जिन आगमो के नाम हैं वे भाश्र प्रज्ञापना, चन्द्रप्रज्ञाप्ति और सूर्यप्रज्ञाप्ति के हैं। इसके बाद गणधर, सामान्यकेवली, प्रत्येकवुद्ध और स्वयसम्बुद्ध के हारा भाषित या विरचित ग्रन्थो का सामान्य तीर पर उल्लेख है। वे कौन थे इसका नामपूर्वक उल्लेख नहीं है। दूसरी बात यह ध्यान देने की है कि इसमें दशपूर्वक्त ग्रन्थो का उल्लेख नहीं है। गणधर का उल्लेख हीने से श्रुतकेवली का उल्लेख सूचित होता है। दूसरी ओर कर्म, मन्त्र, तन्त्र, निमित्त आदि विद्याओं के विषय में उल्लेख है और योनिपाहुड का नामपूर्वक उल्लेख है। काव्यो का चिन्तन भी मुनि करते थे यह भी बताया है। निमित्त को केवलीसूत्रनिवद्व कहा गया है। कुचलयमाला के दूसरे उल्लेख से यह फलित होता है कि लेखक के मन में केवल आगम ग्रन्थो का ही उल्लेख करना अभीष्ट नहीं है। प्रज्ञापना आदि तीन अगवाहो ग्रन्थो का जो नामोल्लेख है यह अगवाहो में उनकी विशेष प्रतिष्ठा का द्वेष्टक है। घवला^१ जो ८ १०, ८१६ ई० को समाप्त हुई, उससे भी यही सिद्ध होता है कि उस काल तक आगम के अगवाहो और अगप्रविष्ट ऐसे दो विभाग थे।

किन्तु साम्प्रतकाल में श्वेताम्बरो में आगमो का जो वर्गीकरण प्रसिद्ध है वह कव शूल हुआ, या किसने शूल किया—यह जानने का निश्चित साधन उपस्थित नहीं है ।

श्रीचन्द्र आचार्य (लेखनकाल ई० १११२ से प्रारम्भ) ने ‘सुखबोधा सामाचारी’ की रचना की है । उसमें उन्होंने आगम के स्वाध्याय की तपोविधि का जो वर्णन किया है उसमें पता चलता है कि उनके काल तक अग और उपाग की व्यवस्था अर्थात् अमुक अङ्ग का अमुक उपाग ऐसी व्यवस्था बन चुकी थी । पठनक्रम में सर्वप्रथम आवश्यक सूत्र, तदनन्तर दशवैकालिक और उत्तराव्ययन के बाद आचार आदि अग पढ़े जाते थे । सभी अग एक ही साथ क्रम से पढ़े जाते थे, ऐसा प्रतीत नहीं होता । प्रथम चार आचाराग से समवायाग तक पढ़ने के बाद निमीह, जीयकप्प, पचकप्प, कप्प, ववहार और दसा^१ पढ़े जाते थे । निसीह आदि की यहाँ छेदसज्ञा का उल्लेख नहीं है किन्तु इन सबको एक माय रखा है यह उनके एक वर्ग को सूचना तो देता ही है । इन छेदग्रन्थों के अध्ययन के बाद नायव्रम्मकहा (छठा अग), उवासगदसा, अतगडदसा, अगुत्तरोववाइय-दसा, पण्हावागरण और विपाक—इन अगों की वाचना होती थी । विवाग के बाद एक पक्कि में भगवई का उल्लेख है किन्तु यह प्रक्षिप्त हो—ऐसा लगता है क्योंकि वहाँ कुछ भी विवरण नहीं है (पृ० ३१) । इसका विशेष वर्णन आगे चलकर “गणिजोगेमु य पचमग विवाहपञ्चति” (पृ० ३१) इन शब्दों से शूल होता है । विपाक के बाद उवाग की वाचना का उल्लेख है । वह इस प्रकार है—उववाई, ग्रायपसेणाइय, जीवाभिगम, पन्नवणा, सूरपन्नति, जबूदीवपञ्चति, चन्दपन्नति । तीन पन्नतियों के विवरण में उल्लेख है कि “तभो पन्नतिओं कालिआओ सघटु च कीरइ” (पृ० ३२) । तात्पर्य यह जान पड़ता है कि इन तीनों की तत् तत् अग की वाचना के साथ भी वाचना की जा नकती है । शेष पाँच अगों के लिए लिखा है कि “सेसाण पचण्हमगाण भयतरेण निरयावलिया सुयव्वत्त्वां उवगा” (पृ० ३२) । इस निरयावलिया के पाँच वर्ग हैं—निरयावलिया, कप्पवर्डिसिया, पुष्किया, पुष्कवृलिया और वण्हीदमा । इसके बाद ‘इयाणि पड़न्नगा’ (पृ० ३२) इस उल्लेख के साथ नदी, अनुयोग-द्वार, देविन्दत्यअ, तदुलवेयालिय, चदावेज्जय, आउरपञ्चवक्षाण और गणिविज्ञा

१ नुखबोधा सामाचारी में ‘निमीह भमत्त’ ऐसा उल्लेख है और तदनन्तर जीयकप्प आदि में भमवन्धित पाठ के अन्त में ‘कप्पवहारदमासुयव्वत्त्वां समत्तो’—ऐसा उल्लेख है । अतएव जीयकप्प और पचकप्प की स्थिति सन्दिग्ध बनती है—पृ० ३०

का उल्लेख करके 'एवमाइया' लिखा है। इस उल्लेख से यह सिद्ध होता है कि प्रकीर्णक में उत्तिलिखित के अलावा अन्य भी थे। यहाँ यह भी ध्यान देने की वात है कि नन्दी और अनुयोगद्वार को साम्राज्यकाल में प्रकीर्णक से पृथक् गिना जाता है किन्तु यहाँ उनका समावेश प्रकीर्णक में है। इस प्रकरण के अन्त में 'बाहिरजोगविहिसमत्तो' ऐसा लिखा है उससे यह भी पता चलता है कि उपाग और प्रकीर्णक दोनों की सामान्य सज्जा या वर्ग अगवाह्य था। इसके बाद भगवती की वाचना का प्रसरण उठाया है। यह भगवती का महत्व सूचित करता है। भगवती के बाद महानिसीह का उल्लेख है और उसका उल्लेख निसीहादि छेद ग्रथो के साथ नहीं है—इससे सूचित होता है कि वह बाद की रचना है। मतान्तर देने के बाद अन्त में एक गाथा दी है जिससे सूचना मिलती है कि कौन किस अग का उपाग है—

“उ० रा० जी० पन्नवणा सु० जं० च० नि० क० क० पू० पू० वल्लिदसनामा ।

आयाराइउवगा नायव्वा आणपूव्वीए ॥”

—सुखबोधा सामाचारी, पृ० ३४

श्रीचन्द्र के इस विवरण से इतना तो फलित होता है कि उनके समय तक अग, उपाग, प्रकीर्णक इतने नाम तो निश्चित हो चुके थे। उपागो में भी कौन ग्रथ समाविष्ट हैं यह भी निश्चित हो चुका था, जो साम्प्रतकाल में भी वैसा ही है। प्रकीर्णक वर्ग में नन्दी-अनुयोगद्वार शामिल था जो बाद में जाकर पृथक हो गया। मूलसज्जा किसी की भी नहीं मिलती जो आगे जाकर आवश्यकादि को मिली है।

जिनप्रभ ने अपने 'सिद्धान्तागमस्तव' में आगमों का नामपूर्वक स्तवन किया है किन्तु वर्गीकरण नहीं किया। उनका स्तवनक्रम इस प्रकार है—आवश्यक, विशेषावश्यक, दशवैकालिक, औषधनिर्युक्ति, पिण्डनिर्युक्ति, नन्दी, अनुयोगद्वार, उत्तराभ्ययन, ऋषिभावित, आचारागे आदि ग्यारह अग (इनमें कुछ को अग सज्जा दी गई है), औपपातिक आदि १२ (इनमें किसी को भी उपाग नहीं कहा है) भरणसमाधि आदि १३ (इनमें किसी को भी प्रकीर्णक नहीं कहा है), निशीथ, दशाश्रुत, कल्प, व्यवहार, पचकल्प, जीतकल्प, महानिशीथ—इतने नामों के बाद निर्युक्ति आदि टीकाओं का स्तवन है। तदनन्तर दृष्टवाद और अन्य कालिक, उत्कालिक ग्रन्थों की सूति की गई है। तदनन्तर अगविद्या, विशेषणवती, समति, नयकक्रवाल, तत्त्वार्थ, ज्योतिष्करण, सिद्धप्राभृत, वसुदेवहिण्डी, कर्मप्रकृति आदि प्रकरण ग्रन्थों का सल्लेख है। इस सूची से एक बात तो सिद्ध होती है कि भले ही जिनप्रभ ने वर्गों के नाम नहीं दिये किन्तु उस समय तक कौन ग्रन्थ किसके साथ उल्लिखित होना चाहिए ऐसा एक क्रम तो बन गया होगा। इसीलिए हम मूलसूत्रों और चूल्कासुत्रों के नाम एक साथ ही पाते हैं। यही बात अग, उपाग, छेद और प्रकीर्णक में भी लागू होती है।

आचार्य उमान्वाति भाग में अग के माथ उपाग^१ शब्द का निर्देश करते हैं और अगवाह्य प्रथ उपागयन्द ने उन्हें अभिप्रेत है। आचार्य उमान्वाति ने अग-वाह्य की जो नूची दी है वह भी जिनप्रम की नूची का पूर्वच्चय है। उसमें प्रथम सामायिकादि छ आवश्यकों का उल्लेख है, उदनतर “दशवैकालिक, उत्तराध्याया, दग्गा, कन्पव्यवहारे, निर्णीय, अ॒यिभायिनान्येवमादि”—इसु प्रकार उल्लेख है। इसमें जो आवश्यकादि मूल्सूत्रों का तथा दग्गा आदि ऐदग्रन्थों का एक साय निर्देश है, वह उनके वर्गोंकरण की पूर्वनूचना देता ही है। घवला में १४ अग-वाह्यों की जो गणना की गई है उनमें भी प्रथम छ आवश्यकों का निर्देश है, उदनतर दशवैकालिक और उत्तराध्ययन का और उदनतर कप्पववहार, कप्पा-कप्पिय, महाकप्पिय, पुढ़रीय, महापुढ़रीय और निसीह का निर्देश है। इसमें केवल पुढ़रीय, महापुढ़रीय का उल्लेख ऐसा है जो निसीह को अन्य छेद से पृथक् कर रहा है। अन्यथा यह भी मूल और छेद के वर्गोंकरण की नूचना दे ही रहा है।

आचार्य जिनप्रम ने ई १३०६ में विविमार्गप्रपा ग्रन्थ की समाप्ति की है। उसमें भी (प० ४८ से) उन्होंने आगमों के न्वाध्याय की तपोविधि का वर्णन किया है। क्रम में निम्न ५^२ ग्रन्थों का उनमें उल्लेख है—१ आवश्यक^३, २ दशवैकालिक, ३ उत्तराध्ययन, ४ आचार्णग, ५ नूयगडाग, ६ ठाणग, ७ उमवायाग, ८ निसीह, ९-११ दसा-कप्प-चवहार^४, १२ पचकप्प, १३ बीयकप्प, १४ विवाहपत्रति, १५ नायावस्मकहा, १६ उवानगदना, १७ अतगडदसा, १८ अनुत्तरोववाडयदना, १९ पण्हावागन्न, २० विवागनुय (दिट्ठिवाबो दुवाल-नमग न बोच्छिल्ल) (प० ५६) इसके बाद यह पाठ प्रानगिक है—“इथं य दिक्षुपरियाएण निवासो आयारपक्षप वहिज्जा वाइज्जा य। एव चउत्रासो सूयगड। पचवासो दना-कप्प-चवहारे। अटुवानो ठाण-समवाए। दसवासो भगवर्ड। इक्कारमवामा खुड्हियाविमाणाडिपचज्जयणे। वारमवासो अणो-ववायाडिपचज्जयणे। तेरमवासो उट्टुणसुयाडचउरज्जयणे। चउदसाडअट्टु-रमतवासो कमेण कमेण आसीविमभावणा-दिट्ठिविसभावणा-चारणभावणा-महासुमिणभावणा-तेप्रनिमग्ने। एगूणवोमवासा दिट्ठीवाय सपुञ्जवीसवासो सञ्चमुत्तजोगो त्ति’॥ (प० ५६)।

‘अन्यथा हि अनिवद्दमङ्गोपाङ्गश समुद्रप्रतरणवद् दुरव्यवसेय स्यात्—’
तत्त्वाधभाव्य, ’ २०

२ “बाहनिज्जूसी आवस्य चेव अणुपविट्टा”—विविमार्गप्रपा, प० ४९

३ दसा-कप्प-चवहार का एक श्रुतस्कन्ध है यह सामान्य मान्यता है। किन्तु किसी के मत से कप्प-चवहार का एक स्कन्ध है—वही प० ५२

इसके बाद “इयार्ण उवगा” ऐसा लिखकर जिस अग का जो उपाग है उसका निर्देश इस प्रकार किया है—

अंग	उपाग
१ बाचार	२१ ओवाइय
२ सूयगड	२२ रायपसेणह्य
३ ठाण	२३ जीवमिगम
४ समवाय	२४ पण्णवणा
५ भगवई	२५ सूरपण्णति
६ नाया(घम्म)	२६ जवुद्वीवपण्णति
७ उवासगदसा	२७ चदपण्णति
८-१२ अतगडसादि	२८-३२ निरयावलिया सुयवखध (२८ 'कप्पिया') २९ कप्पवर्डिसिया, ३० पुप्पिया, ३१ पुफचूलिया, ३२ वण्हदसा)

आचार्य जिनप्रभ ने मतान्तर का भी उल्लेख किया है कि “अणे पुण चद-पण्णति सूरपण्णति च भगवईउवगे भणति । तेसि मणेण उवासगदसाईण पंचणहमगण उवग निरयावलियासुयक्खंधो”—पृ० ५७

इस मत का उत्थान इस कारण से हुआ होगा कि जब ११ अग उपलब्ध है और बाहरहाँ अग उपलब्ध ही नहीं तो उसके उपाग की आवश्यकता नहीं है । अतएव भगवती के दो उपाग मान कर यारह अग और बारह उपाग की संगति बैठाने का यह प्रयत्न है । अन्त में श्रीचन्द्र की सुखबोधा सामाचारी में प्राप्त गाथा उद्घृत करके ‘उवगविही’ की समाप्ति की है ।

तदनन्तर ‘सप्यं पहण्णगा’—इस उल्लेख के साथ ३३ नदी, ३४ अनुयोगदाराइ, ३५ देविदत्यय, ३६ तदुलवेयालिय, ३७ मरणसमाहि, ३८ महापच्चव्याण, ३९ आउरपच्चव्याण, ४० सथारय, ४१ चन्द्रविज्ञय, ४२ भत्तपरिणा, ४३ चर-सरण, ४४ वीरत्यय, ४५ गणिविज्जा, ४६ दीवसागरपण्णति, ४७ सगहणी, ४८ गच्छायार, ४९ दीवसागरपण्णति, ५० इसिमासियाइ—इनका उल्लेख करके

१ श्रीचन्द्र की सुखबोधा सामाचारी में इसके स्थान में निरयावलिया का निर्देश है ।

ही यह सूक्ष हो, जब उन्होंने विविमार्गप्रपा लिखी। जिनप्रम का लेखनकाल सुदीर्घ था यह उनके विविधतीर्थकल्प की रचना से पता लगता है। इसकी रचना उन्होंने ई० १२७० में शुरू की और ई० १३३२ में इसे पूर्ण किया। इसी बीच उन्होंने १३०६ ई० में विविमार्गप्रपा लिखी है। स्तवन सम्भवत इससे प्राचीन होगा।

उपलब्ध आगमों और उनको टीकाओं का परिमाण ।

समवाय और नन्दीसूत्र में अगो की जो पदसख्या दी है उसमें पद से क्या अभिप्रेत है यह ठीक रूप से ज्ञात नहीं होता। और उपलब्ध आगमों से पदसख्या का मेल भी नहीं है। दिगम्बर पट्टखण्डागम में गणित के आधार पर स्पष्टीकरण करने का जो प्रयत्न है^२ वह भी काल्पनिक ही है, तथ्य के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं दीखता।

अतएव अब उपलब्ध आगमों का क्या परिमाण है इसकी चर्चा की जाती है। ये सख्याएँ हस्तप्रतियों में ग्रन्थाभ्रूप से निर्दिष्ट हुई हैं। उसका तात्पर्य होता है—३२ लक्षरो के श्लोकों से। लिपिकार अपना लेखन पारिश्रमिक लेने के लिए गिनकार प्राय अन्त में यह सख्या देते हैं। कभी स्वयं ग्रन्थकार भी इस सख्या का निर्देश करते हैं।^३ यहाँ दो जानेवाली सख्याएँ, भादारकर और इण्टल रिसर्च इस्टीट्यूट के बोल्युम १७ के १-३ भागों में आगमों और उनकी टीकाओं की हस्तप्रतियों की जो सूची छपी है उसके आधार से हैं—इससे दो कार्य सिद्ध होते—श्लोकसख्या के बोध के अलावा किस आगम की कितनी टीकाएँ लिखी गईं इसका भी पता लगेगा।

१ अग (१) आचाराग २६४४, २६५४

„ नियुक्ति ४५०

„ चूणि ८७५०

„ वृत्ति १२३००

„ दीपिका (१) ९०००, १००००, १४०००

„ „ (२) ९०००

„ अवचूरि

„ पर्याय

१. जै० सा० स० ई०, पू० ४१६.

२ जै० सा० ई० पूर्वपीठिका, पू० ६२१, पट्टखण्डागम, पू० १३, पू० २४७-२५४

३ कभी-कभी शूर्त लिपिकार सख्या गलत भी लिख देते हैं।

(२०)

(१) गूगटनाग ३१०० (प्रदा श्रावन्तर की १०००)

,, तिर्थि २०८ गाय
 ,, तिरुक्कि मन के साय २६८०
 ,, तिरुक्कि { १७५०, १३००, १३३२५,
 ,, वृनि } १८०००
 ,, रामगृहुत नेत्रिता (१) ४०००, ८६००, ७१००
 ३००० (यह गम्या मन के साय
 पी है)

,, गामुगहा दोपिता १३४९६
 पादरंनाट्टर वानित (टवा) ८०००
 नृणि
 पर्याय

(२) स्थानाग ३७३०, ३७५०

,, टीका (कमयंश्व) १४३५०, १८५००
 ,, मटोक १८०००
 ,, दीपिका (नागर्यिगणि) सह १८०००
 ,, वालावचोष
 ,, स्त्रवक १९०००
 ,, पर्याय
 .., वोल

(३) समवाय १६६७, १७६७

,, वृत्ति ३५७५, ३७००
 ,, पर्याय

(४) भगवती १६०००, १५८००

,, वृत्ति १८६१६, १९७७६
 ,, अवचूर्णि ३११४
 ,, पर्याय

(५) जाताधर्म ५५००, ६०००, ५२५०, ५६२७,
 ५७५०, ६०००

,, वृत्ति ३७००, ३८१५, ४७००
 ,, सवृत्ति ९७५५
 वालावबोवसह १८२००

(३१)

- (७) उपासकदशा ९१२, ८७२, ८१२
,, वृत्ति ९४४
- (८) अन्तकृत ९००
,, वृत्ति (उपां अन्तं अनुत्तं) १३००
,, स्तवक
- (९) अनुत्तरोपपातिक १९२
,, वृत्ति ४३७
- (१०) प्रश्नव्याकरण १२५०
,, वृत्ति ४६३०, ५६३०, ४८००, ५०१६
,, स्तवक
,, पर्याय
- (११) विपाक १२५०
,, वृत्ति १०००, ९०९, ११६७
,, स्तवक
२. उपाग (१) औपपातिक ११६७, १५००
,, वृत्ति ३४५५, ३१३५, ३१२५
- (२) राजप्रश्नीय २५०९, २०७९, २१२०
,, वृत्ति ३६५०, ३७००, ३७९८
- (३) जीवाभिगम ४७००, ५२००
,, वृत्ति १४०००
,, स्तवक
,, पर्याय
- (४) प्रज्ञापना ७९८९, ८१००, ७७८७
,, टीका १४०००, १५०००
.. प्रदेशव्याख्या

	टगागर	१५०००
	जुर्णि (गरण)	२०२३, १८०३, १८६०
	,, विषुति (श्रावा)	
(७) चन्द्रप्रज्ञनि	२०५८	
	,, विश्वा	९"००
(८-१२) निर्ग्यावलिका (५)	११००	
	,, दीपा	६०५, ६५०, ७३७, ६३७
	,, दंडा	११००
	,, पर्याय	
	,, वालावदोष	
३ प्रकीर्णक (१) चतुर्थरण		गाया ६३
	,, अवचूरि	
	,, दंडा	
	,, विषमपद	
(२) आतुर्ग्रत्याख्यान		गाया ८४
	,, विवरण	८५०
	,, दंडा	
(३) भक्तपरिज्ञा		गा० १७३
		ग्रन्थाग्र १७१
	,, अवचूरि	
(४) सस्तारक		गाया १२१
	,, विवरण	
	,, अवचूरि	
	,, वालावदोष	
(५) तन्दुलवैचारिक		४००
	,, वालावदोष	
(६) चन्द्रवैध्यक		गाया १७४
		गा० १७५
(७) देवेन्द्रस्तव		गा० ३०७, गा० २९२
(८) गणिविद्या		गा० ८६, गा० ८५
(९) महाग्रत्याख्यान		गा० १४३, गा० १४२
(१०) वीरस्तव	गा० ४३, गा० ४२	

(३३)

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| (११) अंगचूलिका | |
| (१२) अगविद्या | ९००० |
| (१३) बजीबकल्प | गाथा ४४ |
| (१४) आराधनापत्राका | ९९० |
| (रचना स १०७८) | |
| (१५) कवचद्वार | गा० १२९ |
| (१६) गच्छाचार | १६७ |
| विवृति ५८५० (विजयविमल) | |
| ,, वानरपि | |
| ,, अवचूरि | |
| (१७) जम्बूस्वामिस्वाठ्याय | |
| ,, टवा | |
| ,, „ „ (पद्मसुन्दर) | |
| (१८) ज्योतिष्करण्डक | |
| ,, टीका ५५०० | |
| (१९) तीर्थोद्गालिक | गा० १२५१, गा० १२३३ |
| | ग्रन्थाम १५६५ |
| (२०) द्वीपसागरप्रज्ञप्ति | |
| (२१) पर्यन्ताराधना | ७४ |
| ,, बालावबोष २४५ | |
| ,, „ ३०० | |
| (२२) पिण्डविशुद्धि | |
| ,, टीका ४४०० | |
| ,, सुबोधा २८०० | |
| ,, दीपिका ७०३ | |
| ,, बालावबोष | |
| ,, अवचूर्णि | |
| (२३) मरणविधि | |
| (२४) योनिप्राभृत | |
| (२५) वकचूलिका | |
| (२६) सारावली | |
| (२७) सिद्धप्राभृत | गाथा १२१ |

४. छेदग्रन्थ (१) निगोद	८००
,, त्रिपुरा-भाष्य गा० ६८३०	
प्र साप्र ८८००	
,, टिप्पणी ७१०५ (१)	
,, नर्ति (प्रथम न०) ५३१५	
,, विश्वारपात्रांगा०	
,, पर्याय	
(२) महानिगोद	८५,८८
,, टटा	
(३) व्याप्तिकार	
,, त्रिपुरा-भाष्य ५३००,	
गा० ८६२०	
,, दीपा प्रथम गा० (३० १-३ १६४५६	
,, पीठिता २३५४	
,, पीठिता लोक ३० १ १०८७८	
,, उ० ३ २५६	
,, उ० १० ४१३३	
,, उ० १—१० ३१६२५	
,, द्वितीय चण्ड १०३६६	
,, चूणि १०३६०	
,, पीठिता २०००	
,, पर्याय	
(४) दशाश्रुत १३८०	
,, नियुक्ति गा० १५४	
,, चूणि २२२५, ४३२१, २१६१, २३२५ (?)	
,, दीका (शहस्र) ५१५२	
,, टिप्पणक	
,, पर्याय	
कल्पसूत्र (दशाश्रुत का अश) १२१६	
,, सन्देहविवोपयि (जिनप्रभ) २२६८	
,, अवचूणि	
,, किरणावली (घर्मदास) ८०१४ (?)	

- „ प्रदीपिका (सघविजय) ३२००
 „ दीपिका (जयविजय) ३४३२
 „ कल्पद्रुमकलिका (लक्ष्मीवल्लभ)
 „ अवचूरि
 „ टिप्पणक
 „ वाचनिकाम्नाय
 „ टवा
 „ निर्युक्ति—सदेहविपोपविसह ३०४१
 „ वृत्ति (उदयमागर)
 „ टिप्पण (पृथ्वीचन्द्र)
 „ दुर्गापदानिरक्ति ४१८
 „ कल्पान्तर्वाच्य (कल्पसमर्थन) २७००
 „ पर्युपणाष्टाह्लिकाव्याख्यान
 „ पर्युपणपर्वविचार
 „ मञ्जरी (रत्नसागर) ५६९५ (?)
 „ लता (समयसुन्दर) ८०००
 „ सुदोधिका (विनयविजय) ५४००
 „ कौमुदी (शान्तिसागर) ३७०७, ९५३८ (?)
 „ ज्ञानदीपिका (ज्ञानविजय)
 (५) वृहत्कल्प ४००, ४७३
 „ लघुमाल्य सटीक (पीठिका) ५६००
 „ उ० १-२ ९५००
 „ „ २-४ १२५४०
 „ लघुमाल्य ६६००
 „ टवा
 „ चूर्ण १४०००, १६०००
 „ विशेषचूर्णि ११०००
 „ वृहद्द्वाल्य ८६००
 „ पर्याय
 (६) पञ्चकल्प
 „ चूर्ण ३१३५
 „ वृहद्द्वाल्य ३१८५ (गा० २५७४)
 „ पर्याय

(३६)

(७) जीतकल्प गा० १०३, गा० १०५

“ यिषग्णना (श्रीगिरा)
 “ टीपा ६७७३
 “ गण (गिरगा)
 “ पर्याय

(८) गनिजीतकल्प

“ तिष्ठि ५०००

५—चूलिका सूत्र (१) नन्दी ७००

“ उत्तिगह ८५३५
 “ गुण २८००
 “ विषग्ण (इरि०) २३३६
 “ „ (मलय०) ७७३२, ७८३७
 “ उर्गपद्म्याम्या (श्रीगन्ध्र)
 “ पर्याय

स्थविरावलि (गन्दीगता)

“ अवज्ञरि
 “ टचा
 “ वालावचोप

(२) अनुयोगद्वार १३९९, १६०४, १८००, २००५

“ युत्ति (हेम) ५७००, ६०००
 “ वार्तिक

६—मूलसूत्र (१) उत्तराघ्ययन २०००, २३००, २१००

“ मुखबोधा (देवेन्द्र = नेमिचन्द्र) १४९१६, १४२००,
 १२०००, १४४२७, १४४५२, १४०००
 “ अवज्ञरि
 “ वृत्ति (कीर्तिवल्लभ) ८२६०
 “ अक्षरार्थ
 “ „ लक्ष्मेश ६५९८
 “ वृत्ति (भावविजय) १४२५५
 “ दीपिका (लक्ष्मीवल्लभ)
 “ दीपिका ८६७०

(३७)

- „ वालावबोध ६२५०
„ टवा ७००० (पाश्वचन्द्र)
„ कथा ५०१० (पद्मसागर), ४५००
„ निर्युक्ति ६०४
„ वृहदवृत्ति (शान्तिसूरि) १८०००
„ वृहदवृत्तिपर्याय
„ अवचूणि (ज्ञानसागर) ५२५०

(२) दशवैकालिक ७००

- „ निर्युक्ति ५५०
„ वृत्ति (हरिं)
„ वृत्ति अवचूरि
„ „ पर्याय
„ टीका (सुमति) २६५०
„ टीका ३०००
„ टीका २८००
„ अवचूरि २१४३
„ टवा (कनकसुन्दर) १५००

(३) अावश्यक

- „ चैत्यवन्दन-लित्तिविस्तरा १२७०
„ „ पञ्जिका
„ टवा (देवकुशल) ३२५०
„ वृत्ति (तरुणप्रभ)
„ अवचूरि (कुलमण्डन)
„ वालावबोध
„ टवा
„ निर्युक्ति २५७२, ३५५०, ३१००, ३३७५, ३१५०
„ „ पीठिका-वालावबोध
„ „ शिष्यहिता (हरिं) १२३४३
„ „ विवृति (मलय०)
„ „ लघुवृत्ति (तिलकाचार्य)
„ „ निर्युक्ति-अवचूरि (ज्ञानसागर) ९००५
„ „ वालावबोध

" " शीर्पिणा
 " " लघुयूति १२००,०
 " " प्रदग्न्यास्या (हेमरड) ८६०० (?)
 " " विगेनावश्याभास्य गा० ८३१८,
 गा० ३६१२, प्र याग्र ०००,
 गा० ८३१६
 " " वृत्ति स्वोपन
 " " वृत्ति (माटगानाम) २२७००
 " " वृत्ति (हेमरड) ०८०००, २८९७२

(४) पिण्डनियुक्ति ७६९?

" शिष्यहिना (धोगणि = गमदधोण)
 " वृत्ति (मालिक्यज्ञोपर)
 " अवनृति (क्षमात्तल)

(५) मोघनियुक्ति १४६०, गा० ११६२, गा० ११५४,
 गा० ११६५, गा० ११६४

" टीका (द्वोण०) मह ७३८५, ८३८५
 " टीका (द्वोण०) ६५४५
 " अवनृति (शानगागर) ३४००

(६) पादिकसूत्र

" वृत्ति (यजोदेव) २७००
 " अवनृति ६२९, १०००

आगम और उनसी टीकाओं के परिणाम के उक्त निर्देश से यह पता चलना है कि आगम साहित्य कितना विस्तृत है। उत्तरगव्ययन, दशवैकालिक, कन्यसूत्र तथा आवश्यकसूत्र—इनको टीकाओं को सूची भी काफी लम्बी है। सबसे अधिक टीकाएँ लिखी गई हैं कल्पसूत्र और अवश्यकसूत्र पर। इससे इन सूत्रों का विशेष पठन-शाठन सूचित होता है। जब ने पशु पाण में सधनमध्य कल्पसूत्र के वाचन को प्रतिष्ठा हुई है, इस सूत्र का अत्यधिक प्रचार हुआ। आवश्यक तो नित्य-क्रिया का ग्रन्थ होने से उस पर अधिक टीकाएँ लिखी जायें यह स्वाभाविक है।

आगमों का काल

आधुनिक विदेशी विद्वानों ने इस बात को माना है कि भले ही देवधि ने पुस्तक-संग्रहन करके आगमों के सुरक्षा-कार्य को आगे बढ़ाया किन्तु वे, जैसा कि

कुछ जैन आचार्य भी मानते हैं, वे उनके कर्ता नहीं हैं। आगम तो प्राचीन ही है। उन्होंने उन्हें यश-तत्र व्यवस्थित किया।^१ आगमों में कुछ अश प्रक्षिप्त हो सकता है किन्तु उस प्रक्षेप के कारण समप्र आगम साहित्य का काल देवर्धि का काल नहीं हो जाता। उसमें कई अश ऐसे हैं जो मौलिक हैं। अतएव पूरे आगम साहित्य का एक काल नहीं है। तत्त्व आगम का प्ररीक्षण करके कालनिर्णय करना जरूरी है। सामान्य तौर पर विद्वानों ने अग-आगमों का काल, प्रक्षेपों को छोड़कर, पाटलिपुत्र की वाचना के काल को माना है। पाटलिपुत्र की वाचना भगवान् महावीर के बाद छठे आचार्य के काल में भद्रवाहू के समय में हुई और उसका काल है ई ८० पूर्वी शताब्दी का दूसरा दशक।^२ डा. जेकोवी ने छन्द आदि की दृष्टि से अध्ययन करके यह निश्चय किया था कि किसी भी हालत में आगम के प्राचीन अश ई ८० पूर्वी के अन्त से लेकर ई ८० पूर्वी तीसरी के प्रारम्भ से प्राचीन नहीं ठहरते।^३ हर हालत में हम इतना तो मान ही सकते हैं कि आगमों का प्राचीन अश ई ८० पूर्व का है। उन्हें देवर्धि के काल तक नहीं आया जा सकता।

आगमों का लेखनकाल ई ८५३ (मतान्तर से ई ८० ४६६) माना जाता है। वलभी में उस समय किसने आगम लेखवद किये गये इसको कोई सूचना नहीं मिलती। किन्तु इतनी तो कल्पना की जा सकती है कि अग-आगमों का प्रक्षेपों के साथ यह अन्तिम स्वरूप था। अतएव अगों के प्रक्षेपों को यही अन्तिम मर्यादा हो सकती है। प्रश्नव्याकरण जैसे सर्वथा नूतन अग की वलभी-लेखन के समय क्या, स्थिति थी यह एक समस्या बनी ही रहेगी। इसका हल अभी तो कोई दीखता नहीं है।

कई विद्वान् इस लेखन के काल का और अग-आगमों के रचनाकाल का सम्मिश्रण कर देते हैं और इसी लेखन-समय को रचना काल भी मान लेते हैं। यह तो ऐसी ही बात होगी जैसे कोई किसी हस्तप्रति के लेखनकाल को देख कर उसे ही रचनाकाल भी मान ले। ऐसा मानने पर तो समग्र वैदिक साहित्य के काल का निर्णय जिन नियमों के आधार पर किया जाता है वह नहीं होगा और हस्त-प्रतियों के आधार पर ही करना होगा। सच बात तो यह है कि जैसे वैदिक वाङ्मय श्रुत है वैसे ही जैन आगमों का अग विभाग भी श्रुत है। अतएव उसके

१ देखें—सेक्रेट बुक्स आँफ दी ईस्ट, भाग २२ की प्रस्तावना, पृ० ३९ में जेकोवी का कथन।

२ Doctrine of the Jains, P 73

३ सेक्रेट बुक्स आँफ दी ईस्ट, २२, प्रस्तावना पृ० ३१ से, डोक्ट्रिन आँफ दी जैन्स, पृ० ७३, ८१

काल निर्णय के लिए उन्हीं नियमों का उपयोग आवश्यक है जिन नियमों का वैदिक वाड्मय के काल निर्णय में किया जाता है। अग-आगम भगवान् महावीर का उपदेश है और उसके आधार पर उनके गणघरों ने अगों की रचना की है। अत रचना का प्रारम्भ तो भगवान् महावीर के काल से ही माना जा सकता है। उसमें जो प्रक्षेप हो उन्हें अलग कर उनका समय-निर्णय अन्य आधारों से करना चाहिए।

आगमों में अगवाह्य ग्रन्थ भी शामिल हुए हैं और वे तो गणघरों की रचना नहीं हैं। अतः उनका समयनिर्धारण जैसे अन्य आचार्यों के ग्रन्थों का समय निर्धारित किया जाता है वैसे ही होना चाहिए। अगवाह्यों का सम्बन्ध विविध वाचनाओं से भी नहीं है और सकलन से भी नहीं है। उनमें जिन ग्रन्थों के कर्ता का निश्चित रूप से पता है उनका सभय कर्ता के समय से निश्चित होना चाहिए। वाचना, सकलना और लेखन जिन आगमों के हुए उनके माथ जोड़ कर इन अगवाह्य ग्रन्थों के समय को भी अनिश्चित कोटि में ढाल देना अन्यथा है और इसमें सचाई भी नहीं है।

अगवाह्यों में प्रज्ञापना के कर्ता आर्यश्याम हैं अतएव आर्यश्याम का जो समय है वही उसका रचनासमय है। आर्यश्याम को वीरनिवाणि सबत् ३३५ में युगप्रधान पद मिला और वे ३७६ तक युगप्रधान रहे। अतएव प्रज्ञापना इसी काल की रचना है, इसमें सन्देह को स्थान नहीं है। प्रज्ञापना आदि से अन्त तक एक व्यवस्थित रचना है जैसे कि षट्खण्डागम आदि ग्रन्थ हैं। तो क्या कारण है कि उसका रचनाकाल वही न माना जाय जो उसके कर्ता का काल है और उसके काल को वलभी के लेखनकाल तक खीचा जाय? अतएव प्रज्ञापना का रचनाकाल ३० पू० १९२ से ३० पू० १५१ के बीच का निश्चित मानना चाहिए।

चन्द्रप्रज्ञप्ति^१, सूर्यप्रज्ञप्ति और जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति—ये तीन प्रज्ञप्तियाँ प्राचीन हैं इसमें भी सन्देह को स्थान नहीं है। दिगम्बर परम्परा ने दृष्टिवाद के परिकर्म में इन तीनों प्रज्ञप्तियों का समावेश किया है और दृष्टिवाद के अश का अविच्छेद भी माना है। तो यही अधिक सम्भव है कि ये तीनों प्रज्ञप्तियाँ विच्छिन्न न हुई हों। इनका उल्लेख इतेऽम्बरो के नन्दी आदि में भी मिलता है। अतएव यह तो माना ही जा सकता है कि इन तीनों की रचना इतेऽम्बर-दिगम्बर के मतभेद के पूर्व हो चुकी थी। इस दृष्टि से इनका रचनासमय विक्रम के प्रारम्भ से इधर नहीं आ सकता। दूसरी बात यह है कि सूर्य-चन्द्रप्रज्ञप्ति में जो उपोतिष की चर्चा है वह

१ साम्राज्यकाल में उपलब्ध चन्द्रप्रज्ञप्ति और सूर्यप्रज्ञप्ति में कोई भेद नहीं दीखता।

भारतीय प्राचीन वेदाग के समान है। बाद का जो ज्योतिष का विकास है वह उसमें नहीं। ऐसी परिस्थिति में इनका भवय विक्रम पूर्व ही हो सकता है, बाद में नहीं।

छेदसूत्रों में दशाश्रुत, वृहत्कल्प और व्यवहार सूत्रों की रचना भद्रवाहु ने की थी। इनके ऊपर प्राचीन निर्युक्ति-भाष्य आदि प्राकृत टीकाएँ भी लिखी गई हैं। अतएव इनके विच्छेद की कोई कल्पना करना उचित नहीं है। ध्वला में कल्प-व्यवहार को अगवाहु गिना गया है और उसके विच्छेद की वहाँ कोई चर्चा नहीं है। भद्रवाहु का समय ₹० पू० ३५७ के आसपास निश्चित है। अत उनके द्वारा रचित दशाश्रुत, वृहत्कल्प और व्यवहार का समय भी वही होना चाहिए। निशीथ आचाराग की चूला है और किसी काल में उसे आचाराग से पृथक् किया गया है। उस पर भी निर्युक्ति, भाष्य, चूणि आदि टीकाएँ हैं। ध्वला (प०९६) में अगवाहु रूप से इसका उल्लेख है और उसके विच्छेद की कोई चर्चा उसमें नहीं है। अतएव उसके विच्छेद की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। डा० जेकोवी और शुर्प्रिंग के अनुसार प्राचीन छेदसूत्रों का समय ₹० पू० चौथी का अन्त और तीसरी का प्रारम्भ माना गया है वह उचित हो है।^१ जीतकल्प आचार्य जिनभद्र की कृति होने से उसका भी समय निश्चित ही है। यह स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं किन्तु पूर्वोक्त छेद ग्रन्थों का साररूप है। आचार्य जिनभद्र के समय के निर्धारण के लिए विशेषावश्यक की जैसलमेर की एक प्रति के अन्त में जो गाथा दी गई है वह उपयुक्त साधन है। उसमें शक सबन ५.३१ का उल्लेख है। तदनुसार ₹० ६०९ बनता है। उससे इतना सिद्ध होता है कि जिनभद्र का काल इससे बाद तो किसी भी हालत में नहीं ठहरता। गाथा में जो शक सबत् का उल्लेख है वह सम्भवत उस प्रति के किसी स्थान पर रखे जाने का है। इससे स्पष्ट है कि वह उससे पहले रचा गया था। अतएव इसी के आम-पास का काल जीतकल्प की रचना के लिए भी लिया जा सकता है।

महानिशीथ का जो सस्करण उपलब्ध है वह आचार्य हरिभद्र के द्वारा उद्धार किया हुआ है। अतएव उसका भी वही समय होगा जो आचार्य हरिभद्र का है। आचार्य हरिभद्र का समयनिर्धारण अनेक प्रमाणों से आचार्य जिनविजयजी ने किया है और वह है ₹० ७०० से ८०० के बीच का।

मूलसूत्रों में दशवैकालिक की रचना आचार्य शश्यमधव ने की है और यह चूंकि साधुओं के नित्य स्वाध्याय के काम में आता है अतएव उसका विच्छेद होना

१ डॉक्ट्रिन ऑफ दी जैन्स, पृ० ८१

सम्भव नहीं था । अपराजितसूरि ने सातवी-आठवी शती में उसकी टीका भी लिखी थी । उससे पूर्व नियुक्ति, चूर्ण आदि टीकाएँ भी उस पर लिखी गई हैं । पांचवी-छठी शती में होने वाले आचार्य पूज्यपाद ने (सर्वार्थसिद्धि, १२०) भी दशवैकालिक का उल्लेख किया है और उसे प्रमाण मानना चाहिए ऐसा भी कहा है । उसके विच्छेद की कोई चर्चा उन्होंने नहीं की है । घबला (पृ० ९६) में भी अगवाह्य रूप से दशवैकालिक का उल्लेख है और उसके विच्छेद की कोई चर्चा नहीं है । दशवैकालिक में चूलाएँ बाद में जोड़ी गई हैं यह निश्चित है किन्तु उसके जो दस अध्ययन हैं जिनके आधार पर उसका नाम निष्पत्ति है वे तो मौलिक ही हैं । ऐसी परिस्थिति में उन दस अध्ययनों के कर्ता तो शायम्भव हैं ही और जो समय शायम्भव का है वही उसका भी है । शायम्भव वीर नि ७५ से ९० तक युगप्रधान पद पर रहे हैं अतएव उनका समय ई० पू० ४५२ से ४२९ है । इसी समय के बीच दशवैकालिक की रचना आचार्य शायम्भव ने की होगी ।

उत्तराध्ययन किसी एक आचार्य की कृति नहीं है किन्तु सकलन है । उत्तराध्ययन का उल्लेख अगवाह्य रूप से घबला (पृ० ९६) और सर्वार्थसिद्धि में (१२०) है । उसपर नियुक्ति-चूर्ण टीकाएँ प्राकृत में लिखी गई हैं । इसी कारण उसकी सुरक्षा भी हुई है । उसका समय जो विद्वानों ने माना है वह है ई० पू० १०० तीसरी-चौथी शती ।^१

आवश्यक सूत्र तो अगागम जितना ही प्राचीन है । जैन नियन्त्रों के लिए प्रतिदिन करने की आवश्यक क्रिया सम्बन्धी पाठ इसमें है । अगो में जहाँ स्वाध्याय का उल्लेख आता है वहाँ प्राय यह लिखा रहता है कि 'सामाइयाइणि एकादसगणि' (भगवती सूत्र ९३, ज्ञाता ५६, ६४, विपाक ३३), 'सामाइयमाइयाइ चोहमपुच्चाइ' (भगवती सूत्र ६१७, ४३२, ज्ञाता० ५४, ५५, १३०) । इससे सिद्ध होता है कि अग से भी पहले आवश्यक सूत्र का अध्ययन किया जाता था । आवश्यक सूत्र का प्रथम अध्ययन सामाधिक है । इस दृष्टि से आवश्यक सूत्र के मौलिक पाठ जिन पर नियुक्ति, भाष्य, विशेषावश्यक भाष्य, चूर्ण आदि प्राकृत टीकाएँ लिखी गई हैं वे अग जितने पुराने होगे । अगवाह्य आगम के भेद आवश्यक और आवश्यकव्यतिरिक्त—इस प्रकार किये गये हैं । इससे भी इसका महत्व सिद्ध होता है । आवश्यक के छहों अध्ययनों के नाम घबला में अगवाह्य में गिनाये हैं । ऐसी परिस्थिति में आवश्यक सूत्र की प्राचीनता सिद्ध होती ही है । आवश्यक चूंकि नित्यप्रति करने की क्रिया है अतएव ज्ञानवृद्धि और व्यान-

^१ डॉक्ट्रिन ऑफ़ दी जैन्स, पृ० ८१

वृद्धि के लिए उसमें समय-समय पर उपयोगी पाठ बढ़ते गये हैं। आधुनिक भाषा के पाठ भी उसमें जोड़े गये हैं किन्तु मूल पाठ कौन से थे इसका तो पृथक्करण प्राचीन प्राकृत टीकाओं के आधार पर करना सहज है। और वैसा श्री प० सुखलालजी ने अपने 'प्रतिक्रमण' ग्रन्थ में किया भी है। अतएव उन पाठों के ही समय का विचार यहाँ प्रस्तुत है। उन पाठों का समय भगवान् महावीर के जीवनकाल के आसपास नहीं तो उनके निर्वाण के निकट या बाद की प्रथम शती में तो रखा जा सकता है।

पिण्डनिर्मित दशवेकालिक की टीका है और वह आचार्य भद्रबाहु की कृति है। ये भद्रबाहु अधिक सम्बव यह है कि द्वितीय हो। यदि यह स्थिति सिद्ध हो तो उनका समय पाँचवीं शताब्दी ठहरता है।

नन्दीसूत्र देववाचक की कृति है अतएव उसका समय पाँचवीं-छठी शताब्दी हो सकता है। अनुयोगद्वारसूत्र के कर्ता कौन है यह कहना कठिन है किन्तु इतना कहा जा सकता है कि वह आवश्यक सूत्र की व्याख्या है अतएव उसके बाद का तो है ही। उसमें कई ग्रन्थों के उल्लेख हैं। यह कहा जा सकता है कि वह विक्रम पूर्व का ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ ऐसा है कि सम्बव है उसमें कुछ प्रक्षेप हुए हो। इसकी एक सक्षिप्त वाचना भी मिलती है।

प्रकीर्णकों में से चतुरसरण, आउरपञ्चक्षत्राण और भत्तपरिन्ना—ये तीन वीर-भद्र की रचनाएँ हैं ऐसा एक भर है। यदि यह सच है तो उनका समय ३५० ९५१ होता है। गच्छाचार प्रकीर्णक का आधार है—महानिशीथ, कल्प और व्यवहार। अतएव यह कृति उनके बाद की हो इसमें सन्देह नहीं है।^१

वस्तुस्थिति यह है कि एक-एक ग्रन्थ लेकर उसका बारीकी से अध्ययन करके उसका समय निर्वारित करना अभी बाकी है। अतएव जब तक यह नहीं होता तब तक ऊपर जो समय की चर्चा की गई है वह काम चलाऊ समझी जानी चाहिए। कई विद्वान् इन ग्रन्थों के अध्ययन में लगे तभी यथार्थ और सवग्राही निर्णय पर पहुँचा जा सकेगा। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक ऊपर जो समय के बारे में लिखा है वह मान कर हम अपने शोषकार्य को आगे बढ़ा सकते हैं।

आगम-विच्छेद का प्रश्न ।

व्यवहारसूत्र में विशिष्ट आगम-पठन की योग्यता का जो वर्णन है (दशम उद्देशक) उस प्रसग में निर्दिष्ट आगम तथा नन्दी और पाक्षिकसूत्र में जो आगम-सूची दी है तथा स्थानाग में प्रासगिक रूप से जिन आगमों का उल्लेख

है—द्वतीयादि के आधार पर श्री कार्पटिया ने द्वेताम्बरों के अनुमार अनुपलब्ध आगमों की विस्तृत चर्चा की है ।^१ अतएव यहाँ विस्तार अनावश्यक है । निम्न अग-आगमों का अश द्वेताम्बरों के अनुमार मान्त्रतकाल में अनुपलब्ध है —

१ आचाराग का महापरिज्ञा अध्ययन, २ ज्ञातावमन्त्राय की कई कथाएँ, ३ प्रश्नव्याकरण का वह स्पष्ट जो नन्दी, समवाय आदि में निर्दिष्ट है तथा दृष्टिवाद—इतना अश तो अगों में म विचिठ्ठन हो गया यह स्पष्ट है । अगों के जो परिणाम निर्दिष्ट हैं उसे देखते हुए और यदि वह वस्तुमिथ्यति का वोधक है तो मानना चाहिए कि अगों का जो भाग उपलब्ध है उसमें कही अधिक विलुप्त हो गया है । किन्तु अगों का जो परिमाण वराया गया है वह वस्तुमिथ्यति का वोधक ही ऐसा जैवता नहीं क्योंकि अधिकाक्ष को उत्तरोत्तर द्विगृण-द्विगृण वराया गया है किन्तु वे यथार्थ में वैमे ही रूप में हो ऐसी सम्भावना नहीं है । केवल महत्त्व समर्पित करने के लिए वैमा कह दिया हो यह अधिक सम्भव है । ऐसी ही वात द्वीप-ममुदो के परिमाण में भी देखी गई है । वह भी गणितिक सचाई हो सकती है पर यथार्थ में उसका कोई मेल नहीं है ।

द्विगृण आम्नाय जो घबला टीका में निर्दिष्ट है तदनुमार गौतम से सकल श्रुत (द्वादशाग और चौदह पूर्व) लोहार्य को मिला, उनमें जम्बू को । ये तीनों ही सकल पृतसागर के पारगामी थे । उसके बाद क्रम से विष्णु आदि पांच आचार्य हुए जो चौदह पूर्वघर थे । यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि जब उन्हें चौदह पूर्वघर कहा है तो वे शेष अगों के भी ज्ञाता थे ही । अर्थात् ये भी सकलथृतघर थे । गौतम आदि तीन अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में सर्वज्ञ भी हुए और ये पांच नहीं हुए, इतना ही इन दोनों वर्गों में भेद है ।

उसके बाद विग्राहाचार्य आदि र्यारह आचार्य दस पूर्वघर हुए । तात्पर्य यह है कि सकलश्रुत में से केवल दसपूर्व अश के ज्ञाता थे, सम्पूर्ण के नहीं । इसके बाद नक्षत्रादि पांच आचार्य ऐसे हुए जो एकादशागधारी थे और वारहवें अग के चौदह पूर्वों के अशघर ही थे । एक भी पूर्व सम्पूर्ण इन्हें ज्ञात नहीं था । उसके बाद सुभद्रादि चार आचार्य ऐसे हुए जो केवल आचाराग को सम्पूर्ण रूप से किन्तु शेष अगों और पूर्वों के एक देश को ही जानते थे । इसके बाद सम्पूर्ण आचाराग के धारक भी कोई नहीं हुए और केवल सभी अगों के एक देश को और सभी पूर्वों के एक देश को जानने वाले आचार्यों की परम्परा चली । यही परम्परा बरसेन तक चली है ।^२

१ केनोनिकल लिटरेचर, प्रकरण ४

२ घबला पृ० १, पृ० ६५-६७, जयघबला, पृ० ८३

इस विवरण से यह स्पष्ट है कि सकलश्रुतधर होने में द्वादशाग का जानना जरूरी है। अंगबाह्य ग्रन्थों का आधार ये ही द्वादशाग थे अतएव सकलश्रुतधर होने में अगबाह्य महत्त्व के नहीं। यह भी स्पष्ट होता है कि इसमें क्रमशः अगवरो अर्थात् अगविच्छेद की ही चर्चा है। धवला में ही आवश्यकादि १४ अगबाह्यों का उल्लेख है^१ किन्तु उनके विच्छेद की चर्चा नहीं है। इससे यह फलित होता है कि कम से कम धवला के समय तक अगबाह्यों के विच्छेद की कोई चर्चा दिगम्बर आम्नाय में थी ही नहीं। आचार्य पूज्यपाद ने श्रुतविवरण में सर्वार्थिसिद्धि में अगबाह्य और अगों की चर्चा की है किन्तु उन्होंने आगमविच्छेद की कोई चर्चा नहीं की। आचार्य अकलक जो धवला से पूर्व हुए हैं उन्होंने भी अग या अगबाह्य आगमविच्छेद की कोई चर्चा नहीं की है। अतएव धवला की चर्चा से हम इतना ही कह सकते हैं कि धवलाकार के समय तक दिगम्बर आम्नाय में अगविच्छेद की बात तो थी किन्तु आवश्यक आदि अगबाह्य के विच्छेद की कोई मान्यता नहीं थी। अतएव यह सशोधन का विषय है कि अगबाह्य के विच्छेद की मान्यता दिगम्बर परम्परा में कब से चली? खेद इस बात का है कि प० कैलाशचन्द्रजी ने आगमविच्छेद की बहुत बड़ी चर्चा अपनी पीठिका में की है किन्तु इस मूल प्रश्न की छानबीन किये बिना ही दिगम्बरों की सम्मतकालीन मान्यता का उल्लेख कर दिया है और उसका समर्थन भी किया है।

वस्तुस्थिति तो यह है कि आगम की सुरक्षा का प्रश्न जब आचार्यों के समझ था तब द्वादशागरूप गणिपिटक की सुरक्षा का ही प्रश्न था क्योंकि ये ही भौलिक आगम थे। अन्य आगम ग्रन्थ तो समय और शक्ति के अनुसार बनते रहते हैं और लुप्त होते रहते हैं। अतएव आगमवाचना का प्रश्न मुख्यरूप से अगों के विषय में ही है। इन्हीं की सुरक्षा के लिए कई वाचनाएँ की गई हैं। इन वाचनाओं के विषय में प० कैलाशचन्द्र ने जो चिन्ह उपस्थित किया है (पीठिका प० ४९६ से) उस पर अधिक विचार करने की आवश्यकता है। वह यथासमय किया जायगा।

यहाँ तो हम विद्वानों का व्याज इस बात की ओर खीचना चाहते हैं कि आगम पुस्तकाकार रूप में लिखे जाते ये या नहीं, और इस पर भी कि श्रुत विच्छेद की जो बात है वह लिखित पुस्तक की है या स्मृत श्रुत की? आगम पुस्तक में लिखे जाते ये इसका प्रमाण अनुयोगद्वारसूत्र जितना तो प्राचीन है ही। उसमें आवश्यकसूत्र की व्याख्या के प्रसग से स्थापना-आवश्यक की चर्चा

में पोत्यकम्म को स्थापना-आवश्यक कहा है ।^१ इनी प्रकार श्रुत के विषय में स्थापना-श्रुत में भी पोत्यकम्म को स्थापना-श्रुत कहा है (अनुयोगद्वार सूत्र ३१ पृ० ३२ अ) । द्रव्यश्रुत के भेद रूप से ज्ञायकशरीर और भव्यशरीर के अतिरिक्त जो द्रव्यश्रुत का भेद है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि “पत्तयपोहय-लिहिय” (सूत्र ३७) उस पद की टीका में अनुयोगद्वार के टीकाकार ने लिखा है—“पत्रकाणि तलतास्यादिसबन्धीनि, तत्सधातनिष्पन्नास्तु पुस्तका, ततश्च पत्रकाणि च पुस्तकाश्च, तेषु लिखित पत्रकपुस्तकलिखितम् । अथवा ‘पोत्यय’ति पोत वस्त्र पत्रकाणि च पोत च, तेषु लिखित पत्रकपोतलिखित जगरीरभव्यशरीर व्यतिरिक्त द्रव्यश्रुतम् । अत्र च पत्रकादिलिखितस्य श्रुतस्य भावश्रुतकारणत्वात् द्रव्यश्रुतत्वमेव अवस्थेयम् ।” पृ० ३४ ।

इस श्रुतचर्चा में अनुयोगद्वार को भावश्रुतरूप से कौन सा श्रुत विवरित है यह नी आगे की चर्चा से स्पष्ट हो जाता है । आगे लोकोत्तर नोआगम भाव-श्रुत के भेद में तीर्थक-प्रणीत द्वादशाग एगिप्टिक आचार आदि को नावश्रुत में गिना है ।^२ इससे बता को कोई स्थान नहीं रहना चाहिए और यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अनुयोगद्वार के समय में आचार आदि अग पुस्तकरूप में लिखे जाते थे ।

अग आगम पुस्तक में लिखे जाने थे किन्तु पठन पाठन प्रणाली में तो गुरुमुख से ही आगम की वाचना लेनी चाहिए वह नियम था । अन्यथा करना बच्छा नहीं समझा जाता था । अतएव प्रथम गुरुमुख से पढ़ कर ही पुस्तक में लेखन या उसका उपयोग किया जाता होगा ऐसा अनुमान होता है । विशेषावश्यकभाव्य में वाचना के शिक्षित आदि गुणों^३ के वर्णन में आचार्य जिनभद्र ने ‘गुरुवायणो-वगय’—गुरुवाचनोपगत का स्पष्टीकरण किया है कि “ए चोरित पोत्यथातो-वा”—गा० ८.२ । उनकी स्वकृत व्याख्या में लिखा है कि “गुरुनिर्वाचितम्, न चौर्यात् कण्ठादित, स्वतत्रेण वाऽधीत पुस्तकात्”—विशेषा० स्वोपज्ञ व्याख्या गा० ८५२ । तात्पर्य यह है कि गुरु किनी अन्य को पढ़ाते हो और उसे चौरी से हृनकर या पुस्तक से श्रुत का ज्ञान लेना यह उचित नहीं है । वह तो

१ अनुयोग की टीका में लिखा है—“अथवा पोत्य पुस्तक नच्चेह सपुटकरूप गृह्यने तत्र कर्म तन्मध्ये वर्तिकालिखित रूपकमित्यर्थं । अथवा पोत्य ताड-पत्रादि तत्र कम तच्छेदनिष्पन्न रूपकम्” पृ० १३ अ ।

२ अनुयोगद्वार—सूत्र ४८, पृ० ३७ अ ।

३ अनुयोगद्वार में शिक्षित, स्थित, जित आदि गुणों का निर्देश है उनकी व्याख्या जिनभद्र ने की है—अनु० सू० १३

गुरुमुख से उनकी सम्मति से सुन कर ही करना चाहिए । इससे भी स्पष्ट है कि अनुयोगद्वार के पहले ग्रन्थ लिखे जाते थे किन्तु उनका पठन सबप्रथम गुरुमुख से होना जरूरी था । यह परम्परा जिनभद्र तक तो मान्य थी ही ऐसा भी कहा जा सकता है । गुरु के मुख से सुनकर अपनी स्मृति का भार हल्का करने के लिए कुछ नोव्हेप (टिप्पण्णूप) आगम प्रारम्भ में लिखे जाते होंगे । यह भी कारण है कि उसका मूल्य उतना नहीं हो सकता जितना श्रुतधर की स्मृति में रहे हुए आगमों का । यह सब अनुमान ही है । किन्तु जब आगम पुस्तकों में लिखे गये थे फिर भी वाचनाओं का महत्व माना गया, तो उससे यही अनुमान हो सकता है जो सत्य के निकट है । गुरुमुख से वाचना में जो आगम मिले वही आगम परम्परागत कहा जायेगा । पुस्तक से पढ़ कर किया हुआ ज्ञान, या पुस्तक में लिखा हुआ आगम उतना प्रमाण नहीं माना जायगा जितना गुरुमुख से पढ़ा हुआ । यही गुरुपरम्परा की विशेषता है । अतएव पुस्तक में जो कुछ भी लिखा हो किन्तु महत्व तो उसका है जो वाचक की स्मृति में है । अतएव पुस्तकों में लिखित होने पर भी उसके प्रामाण्य को यदि महत्व नहीं मिला तो उसका मूल्य भी कम हुआ । इसी के कारण पुस्तक में लिखे रहने पर भी जब्जब सध को मालूम हुआ हो कि श्रुतधरों का हास हो रहा है, श्रुतसकलन के प्रयत्न की आवश्यकता पड़ी होगी और विभिन्न वाचनाएँ हुई होंगी ।

अब आगमविच्छेद के प्रश्न पर विचार किया जाय । आगमविच्छेद के विषय में भी दो भूत हैं । एक के अनुसार सुत विनष्ट हुआ है, तब दूसरे के अनुसार सुत नहीं किन्तु सुतधर—प्रधान अनुयोगधर विनष्ट हुए हैं ।^१ इन दोनों मान्यताओं का निर्देश नन्दी-चूर्णिं जितना तो पुराना है ही । आश्चर्य तो इस बात का है कि दिग्म्बर परम्परा के धवला (पृ० ६५) में तथा जयधवला (पृ० ८३) में दूसरे पक्ष को माना गया है अर्थात् श्रुतधरों के विच्छेद की चर्चा प्रधानरूप से की गई है और श्रुतधरों के विच्छेद से श्रुत का विच्छेद फलित माना गया है । किन्तु आज का दिग्म्बर समाज श्रुत का ही विच्छेद फलित मानता है । इससे भी सिद्ध है कि पुस्तक में लिखित आगमों का उतना ही महत्व नहीं है जितना श्रुतधरों की स्मृति में रहे हुए आगमों का ।

जिस प्रकार धवला में श्रुतधरों के विच्छेद की बात कही है उसी प्रकार तित्वयोगाली प्रकीर्णक में श्रुत के विच्छेद की चर्चा की गई है । वह इस प्रकार है—

प्रथम भगवान् महावीर से भद्रबाहु तक की परम्परा दी गई है और स्थूलभद्र भद्रबाहु के पास चौदहपूर्व की बाचना लेने गये इस बात का निर्देश है। यह निर्दिष्ट है कि दसपूर्वधरों में अन्तिम सर्वमित्र थे। उसके बाद निर्दिष्ट है कि वीरनिर्वाण के १००० वर्ष बाद पूर्वों का विच्छेद हुआ। यहाँ पर यह ध्यान देना जल्दी है कि यही उल्लेख भगवती सूत्र में (२८) भी है। तित्थोगाली में उसके बाद निम्न प्रकार से क्रमशः श्रुतविच्छेद की चर्चा की गई है—

ई० ७२३ =	वीर-निर्वाण १२५० में विवाहप्रज्ञप्ति और छ अगो का विच्छेद
ई० ७७३ =	, १३०० में समवायाग का विच्छेद
ई० ८२३ =	, १३५० में ठाणाग का „
ई० ८७३ =	, १४०० में कल्प-च्यवहार का „
ई० ९७३ =	, १५०० में दशाश्रुत का „
ई० १३७३ =	, १९०० में सूक्षकूताग का „
ई० १४७३ =	, २००० में विशाख मुनि के समय में निशीय का „
ई० १७७३ =	, २३०० में आचाराग का „

दुसमा के श्रुत में दुष्पसह मुनि के होने के बाद यह कहा गया है कि वे ही अन्तिम आचारधर होंगे। उसके बाद अनाचार का साम्राज्य होगा। इसके बाद निर्दिष्ट है कि—

ई० १९९७३ =	वीरनिं० २०५०० में उत्तराध्ययन का विच्छेद
ई० २०३७३ =	, २०९०० में दशवैकालिक सूत्र का विच्छेद
ई० २०४७३ =	, २१००० में दशवैकालिक के अर्थ का विच्छेद, दुष्पसह मुनि की मृत्यु के बाद।
ई० २०४७३ =	, पर्यन्त आवश्यक, अनुयोगद्वार और नन्दी सूत्र अव्यवच्छिन्न रहेंगे।

—तित्थोगाली गा० ६९७-८६६

तित्थोगालीय प्रकरण इतेऽन्वरों के अनुकूल ग्रन्थ है ऐसा उसके अध्ययन से प्रतीत होता है। उसमें तीर्थंकरों की भाताओं के १४ स्वप्नों का उल्लेख है गा० १००, १०२४, स्त्री-मुक्ति का समर्थन भी इसमें किया गया है गा० ५५६, आवश्यकनियुक्ति की कई गाथाएँ इसमें आती हैं गा० ७० से, ३८३ से इत्यादि, अनुयोगद्वार और नन्दी का उल्लेख और उनके तीर्थंपर्यन्त टिके रहने की बात, दशशाश्चर्य की चर्चा गा० ८८७ से, नन्दीसूत्रगत सघस्तुतिका अवतरण गा० ८४८ से है।

आगमो के क्रमिक विच्छेद की चर्चा जिस प्रकार जैनो में है उसी प्रकार बौद्धों के अनागतवश में भी त्रिपिटक के विच्छेद की चर्चा की गई है। इससे प्रतीत होता है कि श्रमणों को यह एक सामान्य धारणा है कि श्रुत का विच्छेद क्रमशः होता है। तिथ्योगाली में अगविच्छेद की चर्चा है। इस बात को व्यवहार-भाष्य के कर्ता ने भी माना है—

“तिथ्योगाली एत्थं वत्तव्वा होइ आणुपुब्वीए।

जे तस्स उ अगस्स वुच्छेदो जर्हि विणिह्डुओ ॥”

—व्य० भा० १० ७०४

इससे जाना जा सकता है कि अगविच्छेद की चर्चा प्राचीन है और यह दिग्म्बर-श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायों में चली है। ऐसा होते हुए भी यदि श्वेताम्बरों ने अगो के अश को सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया और वह अश आज हमें उपलब्ध है—यह माना जाय तो इसमें क्या अनुचित है ?

एक बात का और भी स्पष्टीकरण जरूरी है कि दिग्म्बरों में भी धवला के अनुसार सर्व अगो का सम्पूर्ण रूप से विच्छेद माना नहीं गया है किन्तु यह माना गया है कि पूर्व और अग के एकदेशघर हुए हैं और उनकी परम्परा चली है। उस परम्परा के विच्छेद का भय तो प्रदर्शित किया है किन्तु वह परम्परा विच्छिन्न हो गई ऐसा स्पष्ट उत्तेज धवला या जयधवला में भी नहीं है। वहाँ स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि वीरनिर्बाण के ६८३ वर्ष बाद भारतवर्ष में जितने भी आचार्य हुए हैं वे सभी “सब्वेसिमगपुब्वाणमेकदेसधारया जादा” अर्थात् सर्व अग-पूर्व के एकदेशघर हुए हैं—जयधवला भा० १, प० ८६, धवला प० ६७।

तिलोयपण्णति में भी श्रुतविच्छेद की चर्चा है और वहाँ भी आचारागधारी तक का समय वीरनि० ६८३ बताया गया है। तिलोयपण्णति के अनुसार भी या श्रुत का सर्वथा विच्छेद मान्य नहीं है। उसे भी अग-पूर्व के एकदेशघर के अस्तित्व में सन्देह नहीं है। उसके अनुसार भी अगवाह्य के विच्छेद का कोई प्रश्न उठाया नहीं गया है। वस्तुतः तिलोयपण्णति के अनुसार श्रुतीयं का विच्छेद वीरनि० २०३१७ में हीगा अर्थात् तब तक श्रुत का एकदेश विद्यमान रहेगा ही (देखिए, ४ गा० १४७५—१४९३) ।

तिलोयपण्णति में प्रक्षेप की मात्रा अधिक है, फिर भी उसका समय डा० उपाध्ये ने जो निश्चित किया है वह माना जाय तो वह ३७० ४७३ और ६०९ के बीच है। तदनुसार भी उस समय तक सर्वथा श्रुतविच्छेद की चर्चा नहीं थी। तिलोयपण्णति का ही अनुसरण धवला में माना जा सकता है।

ऐसी ही बात यदि श्वेताम्बर परम्परा में भी हुई हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है । उसमें भी सम्पूर्ण नहीं, किन्तु अग-आगमो का एकदेश सुरक्षित रहा हो और उसे ही सकलित कर सुरक्षित रखा गया हो तो इसमें क्या असरति है ? दोनों परम्पराओं में अग-आगमो का जो परिणाम बताया गया है उसे देखते हुए श्वेताम्बरों के अग-आगम एकदेश ही सिद्ध होते हैं । ये आगम आधुनिक दिग्म्बरों को मान्य हों या न हों यह एक दूसरा प्रश्न है । किन्तु श्वेताम्बरों ने जिन अगों को सकलित कर सुरक्षित रखा है उसमें अगों का एक अश—बड़ा अश विद्यमान है—इतनी बात में तो शका का कोई स्थान होना नहीं चाहिए । साथ ही यह भी स्वीकार करना चाहिए कि उन अगों में यत्रन्तत्र प्रक्षेप भी हैं और प्रस्तव्याकरण तो नया ही बनाया गया है ।

इस चर्चा के प्रकाश में यदि हम निम्न वाक्य जो प० कैलाशचन्द्र ने अपनी पीठिका में लिखा है उसे निराधार कहें तो अनुचित नहीं माना जायगा । उन्होंने लिखा है—“और अन्त में महावीरनिवारण से ६८३ वर्ष के पश्चात् अगों का ज्ञान पूर्णतया नष्ट हो गया ।” पीठिका प० ५१८ । उनका यह मत स्वयं घबला और जयघबला के अभिमतों से विरुद्ध है और अपनी कल्पना के आधार पर खड़ा किया गया है ।

श्रुतावतार

श्रुतावतार की परम्परा श्वेताम्बर-दिग्म्बरों में एक सी है किन्तु प० कैलाशचन्द्रजी ने उसमें भी भेद बताने का प्रयत्न किया है । अतएव यहाँ प्रथम दोनों सम्प्रदायों में इसी विषय में किस प्रकार ऐक्य है, सर्व प्रथम इसकी चर्चा करके बाद में पण्डितजी के कुछ प्रश्नों का समाधान करने का प्रयत्न किया जाता है । भगवान् महावीर शासन के नेता थे और उनके अनेक गणधर थे इस विषय में दोनों सम्प्रदायों में कोई भत्तभेद नहीं । भगवान् महावीर या अन्य कोई तीर्थंकर अर्थ का ही उपदेश देते हैं, सूत्र की रचना नहीं करते इसमें भी दोनों सम्प्रदायों का ऐकमत्य है ।

श्रुतावतार का क्रम बताते हुए अनुयोगद्वार में कहा गया है—

“अहवा आगमे तिविहे पण्णते । त जहा अत्तागमे अणतरागमे परप-रागमे । तित्थगराण अत्थस्स अत्तागमे, गणहराण सुत्तस्स अत्तागमे अत्थस्स अणतरागमे, गणहरसीसाण सुत्तस्स अणतरागमे अत्थस्स परपरागमे । तेण पर सुत्तस्स वि अत्थस्स वि णो अत्तागमे, णो अणतरागमे परपरागमे ।” अनुयोगद्वार स० १४४, प० २१९ । इसी का पुनरावर्तन निशीथचूर्णि (प०४) आदि में भी किया गया है ।

पूज्यपादकृत सर्वार्थसिद्धि ग्रन्थ में इस विषय में जो लिखा है वह इस प्रकार है—“तत्र सर्वज्ञेन परमर्षिणा परमाचिन्त्यकेवलज्ञानविभूतिविशेषण अर्थत् आगम उद्दिष्ट । तस्य साक्षात् शिष्ये बुद्ध्यतिशयर्द्धयुक्तौ, गणधरै श्रुतकेवलिभिरनुस्मृतग्रन्थरचनम्—अङ्गपूर्वलक्षणम् ।”—सर्वार्थसिद्धि १ २० ।

स्पष्ट है कि पूज्यपाद के समय तक ग्रन्थरचना के विषय में श्वेताम्बर-दिग्म्बर में कोई मतभेद नहीं है । यह भी स्पष्ट है कि केवल एक ही गणधर सूत्र रचना नहीं करते किन्तु अनेक गणधर सूत्ररचना करते हैं । पूज्यपाद को तो यही परम्परा मान्य है जो श्वेताम्बरों के सम्मत अनुयोग में दी गई है यह स्पष्ट है । इसी परम्परा का समर्थन आचार्य अकलक और विद्यानन्द ने भी किया है—

बुद्ध्यतिशयर्द्धयुक्तैर्गणधरै अनुस्मृतग्रन्थरचनम्—आचारादिद्वादशविधम-
ञ्जप्रविष्टमुच्यते ।”—राजवार्तिक १ २० १२, पृ० ७२ । “तस्याप्यर्थतः
सर्वज्ञवोतरागप्रणेतृकृत्वसिद्धे, ‘अहंद्विष्टितार्थं गणधरदेवे ग्रथितम्’ इति
वचनात् ।” तत्वार्थश्लोकवार्तिक पृ० ६, “द्रव्यश्रुत हि द्वादशाङ्गं वचनात्म-
कमाप्तोपदेशरूपमेव, तदर्जनानं तु भावश्रुतम् तदुभयमपि गणधरदेवाना
भगवद्वर्हत्सर्वज्ञवचनातिशयप्रसादात् स्वमतिश्रुतिज्ञानावरणवीर्यन्तरायक्ष-
योपशमातिशयाच्च उत्पद्यमान कथमाप्तायत्तं न भवेत् ?” वही पृ० १ ।

इस तरह आचार्य पूज्यपाद, आचार्य अकलक और आचार्य विद्यानन्द ये सभी दिग्म्बर आचार्य स्पष्ट रूप से मानते हैं कि सभी गणधर सूत्र-रचना करते हैं ।

ऐसी परिस्थिति में इन आचार्यों के मत के अनुसार यही फलित होता है कि गौतम गणधर ने और अन्य सुधर्मा आदि ने भी ग्रन्थरचना की थी । केवल गौतम ने ही ग्रन्थरचना की हो और सुधर्मा आदि ने न की हो यह फलित नहीं होता । यह परिस्थिति विद्यानन्द तक तो मान्य थी ऐसा प्रतीत होता है । ऐसा ही मत श्वेताम्बरों का भी है ।

प० कैलाशचन्द्र ने यह लिखा है कि “हमने इस बात को खोजना चाहा कि जैसे दिग्म्बर परम्परा के अनुसार प्रधान गणधर गौतम ने महावीर की देशना को अगो में गूथा वैसे श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार महावीर की वाणी को सुनकर उसे अगो में किसने निवद्ध किया ? किन्तु खोजने पर भी हमें किसी खास गणधर का निर्देश इस सम्बन्ध में नहीं मिला ।”—पीठिका पृ० ५३० ।

इस विषय में प्रथम यह बता देना जरूरी है कि यहाँ प० कैलाशचन्द्रजी यह बात ‘केवल गौतम ने ही अगरचना की थी’—इस मन्तव्य को मानकर ही

कर रहे हैं । और यह मन्त्रव्य ध्वला से उन्हें मिला है जहाँ यह कहा है गया कि गौतम ने अग्नज्ञान सुधर्मा को दिया । अतएव यह फलित किया गया कि सुधर्मा ने अग्नग्रथन नहीं किया था, केवल गौतम ने किया था ।

हमने ऊपर जो पूज्यपाद आदि ध्वला से प्राचीन आचार्यों के अवतरण दिये हैं उससे तो यहीं फलित होता है कि ध्वलाकार ने अपना यह नया मन्त्रव्य प्रचलित किया है यदि—जैसा पण्डित कैलाशचन्द्र ने माना है—यहीं सच हो । अतएव ध्वलाकार के वाक्य की सगति बैठाना हो तो इस विषय में दूसरा ही मार्ग लेना होगा या यह मानना होगा कि ध्वलाकार प्राचीन आचार्यों से पृथक् भत्तान्तर को उपस्थित कर रहे हैं, जिसका कोई प्राचीन आधार नहीं है । यह केवल उन्हीं का चलाया हुआ मत है । हमारा मत तो यहीं है कि ध्वलाकार के वाक्य की सगति बैठाने का दूसरा ही मार्ग लेना चाहिए, न कि पूर्वाचार्यों के मत के साथ उनकी विसगति का ।

अब यह देखा जाय कि क्या श्वेताम्बरों ने किसी गणधर व्यक्ति का नाम सूत्र के रचयिता के रूप में दिया है कि नहीं जिसकी खोज तो ८० कैलाशचन्द्र ने की किन्तु वे विफल रहे ।

आवश्यकनियुक्ति की गाथा है—

“एकारस वि गणधरे पवायए पवयणस्स वदामि ।
सञ्च गणधरवंस वायगवस पवयण च ॥ ८० ॥

—विशेषा० १०६२

इसकी टीका में आचार्य मलघारी ने स्पष्ट रूप से लिखा है—

“गौतमादीन् वन्दे । कथ भूतान् प्रकर्षेण प्रधाना आदौ वा वाचका प्रवाचका प्रवचनस्य आगमस्य ।” पृ० ४९० ।^१

इसी नियुक्ति गाथा को भाष्यगाथाओं की स्वोपज टीका में जिनभद्र ने भी लिखा है—

“यथा अहून्तर्यस्य वक्तेति पूज्यस्तथा गणधरा गौतमादय सूत्रस्य वक्तार इति पूज्यन्ते मङ्गलत्वाच्च ।”

प्रस्तुत में गौतमादि का स्पष्ट उल्लेख होने से ‘श्वेताम्बरो मे साधारण रूप से गणधरों का उल्लेख है किन्तु खास नाम नहीं मिलता’—यह पण्डितजी का कथन निर्मूल सिद्ध होता है ।

^१ यह पुस्तक पण्डितजी ने देखी है अतएव इसका अवतरण यहाँ दिया है ।

यहाँ यह भी बता देना जरूरी है कि पण्डितजी ने अपनी पीठिका में जिन "तत्त्वनियमनाण" इत्यादि नियुक्ति की दो गाधाओं को विशेषावश्यक से उद्धृत किया है (पीठिका पृ० ५३० की टिप्पणी) उनकी टीका तो पण्डितजी ने अवश्य ही देखी होगी—उसमें आचार्य हेमचन्द्र स्पष्टरूप से लिखते हैं—

"तेन विमलबुद्धिमयेन पटेन गणधरा गौतमादयो"—विदेशा० टीका० गा० १०९५, पृ० ५०२ । ऐसा होते हुए भी पण्डितजी को द्वेताम्बरों में सूत्र के रचयिता के रूप में ज्ञास गणधर के नाम का उल्लेख नहीं मिला—यह एक आश्चर्यजनक घटना ही है । और यदि पण्डितजी का मतलब यह हो कि किसी स्वास=एक ही व्यक्ति का नाम नहीं मिलता तो यह बता देना जरूरी है कि द्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों के मत से जब सभी गणधर प्रवचन की रचना करते हैं तो किसी एक ही का नाम तो मिल ही नहीं सकता । ऐसी परिस्थिति में इसके आधार पर पण्डितजी ने श्रुतावतार की परम्परा में दोनों सम्प्रदायों के भेद को मानकर जो कन्पनाजाल खड़ा किया है वह निरर्थक है ।

प० कैलाशचन्द्रजी मानते हैं कि द्वेताम्बर-वाचनागत अगज्ञान मार्वजनिक है "किन्तु दिगम्बर-परम्परा में अगज्ञान का उत्तराधिकार गुरु-शिष्य परम्परा के रूप में ही प्रवाहित होता हुआ माना गया है । उसके अनुसार अगज्ञान ने कभी भी सार्वजनिक रूप नहीं लिया ।"—पीठिका पृ० ५४३ । यहाँ पण्डितजी का तात्पर्य ठीक समझ में नहीं आता । गुरु अपने एक ही शिष्य को पढ़ाता था और वह फिर गुरु बनकर अपने शिष्य को—इस प्रकार की परम्परा दिगम्बरों में चली है—क्या पण्डितजी का यह अभिप्राय है ? यदि गुरु अनेक शिष्यों को पढ़ाता होगा तब तो अगज्ञान द्वेताम्बरों की तरह सार्वजनिक हो जायगा । और यदि यह अभिप्राय है कि एक ही शिष्य को, तब शास्त्रविरोध पण्डितजी के ध्यान के बाहर गया है—यह कहना पड़ता है । पद्मशङ्खागम की धबला में परिपाटी और अपरिपाटी से सकन श्रुत के पारगामी का उल्लेख है । उसमें अपरिपाटी से—'अपरिवाड्हिए पुण सयलसुदपारगा संखेज्जसहस्सा' (धबला पृ० ६५) का उल्लेख है—इसका स्पष्टीकरण पण्डितजी यथा करेंगे ? हमें तो यह समझ में आता है कि युगप्रवान या वशपरम्परा में जो क्रमशः आचार्य-गणवर हुए अर्थात् गण के मुखिया हुए उनका उल्लेख परिपाटीक्रम में समझना चाहिए और गण के मुख्य आचार्य के अलावा जो श्रुतघर थे वे परिपाटीक्रम से सम्बद्ध न होने से अपरिपाटी में गिने गये । वैसे अपरिपाटी में सहक्षी की सत्या में सकल श्रुतघर थे । तो यह अगश्रुत द्वेताम्बरों की तरह दिगम्बरों में भी सार्वजनिक था ही यह भानना पड़ता है । यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना जरूरी है कि जयधबला में यह स्पष्ट

लिया है कि सुधर्मा ने फेवल एक जम्भु गो ही नहीं किन्तु अपने अनेक शिष्यों को अगों भी बाचना दी थी—“तद्विवसे चेव सुहम्माडरियो जवूमामियादीणमणे-याणमाइरियाण वक्खाणिददुवालसगो धाडचउवक्षदयेण केव त्री जादो ।”
—जयश्वला प० ८४ ।

यहाँ स्पष्ट रूप में जम्भू ने अपने शिष्य ऐसे एक नहीं किन्तु अनेक आचार्यों को द्वादशांग पठाया है—ऐसा उल्लेख है। इस पर ने बया हम अन्पना नहीं कर सकत गि भथ में श्रुतधरों की नस्या बहुत बड़ी होती थी ? ऐसी स्थिति में द्वेताम्बर-दिग्म्बरों में जिस विषय में कभी भेद रहा नहीं उन विषय में भेद की कल्पना करना उचित नहीं है। प्राचीन परम्परा के अनुमार द्वेताम्बर और दिग्म्बर दोनों में यही मान्यता फलित होती है कि सभी गणधर्म सूत्ररचना करते थे और अपने अनेक शिष्यों को उसकी बाचना देते थे। एक बात और यह भी है कि अगज्ञान सार्वजनिक हो गया द्वेताम्बरों में और दिग्म्बरों में नहीं हुआ—इसमें पडितजी का विशेष रात्पर्य बया यह है कि केवल दिग्म्बर परम्परा में ही गुरु शिष्य परम्परा से ही अगज्ञान प्रवाहित हुआ और द्वेताम्बरों में नहीं ? यदि ऐसा ही उनका मन्त्रव्य है जैसा कि उनके आगे उद्घृत अवतरण से स्पष्ट है तो यह भी उनका नहना उचित नहीं जैसता। हमने आचार्य जिनभद्र के अवतरणों से यह स्पष्ट किया ही है कि उनके समय तक यही परम्परा थी कि शिष्य को गुरुमुख से ही और वह भी उनको अनुमति से ही, चोरी से नहीं, श्रुत का पाठ लेना जरूरी था और यही परम्परा विशेषावश्यक के टीकाकार हेमचन्द्र ने भी मानी है। इतना ही नहीं आज भी यह परम्परा द्वेताम्बरों में प्रचलित है कि योगपूर्वक, तपस्यापूर्वक गुरुमुख से ही श्रुतपाठ शिष्य को लेना चाहिए। ऐसा होने पर ही वह उसका पाठी कहा जायगा। ऐसी स्थिति में द्वेताम्बर-परम्परा में वह सार्वजनिक हो गया और दिग्म्बर-परम्परा में गुरुशिष्य परम्परा तक सीमित रहा—पडितजी का यह कहना कहाँ तक सगत है ?

सार्वजनिक से तात्पर्य यह हो कि कई साधुओं ने मिल कर अग की बाचना निश्चित की अरएव द्वेताम्बरों में वह व्यक्तिगत न रहा और सार्वजनिक हो गया। इस प्रकार सार्वजनिक ही जाने से ही दिग्म्बरों ने अगशासन को मान्यता न दी हो यह बात हमारी समझ से तो परे है। कोई एक व्यक्ति कहे वही सत्य और अनेक मिलकर उनकी सचाई की मोहर दें तो वह सत्य नहीं—ऐसा मानने वाला उस काल का दिग्म्बर सम्बद्धाय होगा—ऐसा मानने को हमारा भन तो तैयार नहीं। इसके समर्थन में कोई उल्लेख भी नहीं है। आज दिग्म्बर समाज जिस किसी कारण से द्वेताम्बर सम्मत आगमों को न मानता हो उसकी स्तोज करना

(५५)

जरूरी है किन्तु उनका कारण यह तो नहीं हो सकता कि चूंकि अग सावंजनिक हो गये थे, अतएव वे दिगम्बर समाज में मान्य नहीं रहे। अतएव पठितजी का यह लिखना कि “उसने इस विषय में जन-जन की स्वृति को प्रमाण नहीं माना” निराधार है, कोरी कल्पना है। आखिर जिनके इन्हें पठितजी ने जन-जन शब्द का प्रयोग किया है वे कौन थे? यथा उन्होंने अपने गुरुओं से अगज्ञान लिया ही नहीं था? अपनी कल्पना से ही अगों का सफलन कर दिया था? हमारा तो विश्वास है कि जिनको पठितजी ने ‘जन-जन’ कहा है वे किसी आचार्य के शिष्य ही थे और उन्होंने अपने आचार्य से सीखा हुआ श्रुत हो वहाँ उपस्थित किया था। इसीलिए तो कहा गया है कि जिसको जितना याद था उसने उतना वहाँ उपस्थित किया।



अंग आगम

प्रकरण

१

जैन श्रुत

जैन श्रमण व शास्त्रलेखन
अचेलक परम्परा व श्रुतसाहित्य

श्रुतज्ञान

अक्षरश्रुत व अनक्षरश्रुत

सम्यक्श्रुत व मिथ्याश्रुत

सादिक, अनादिक, सपर्यवसित व अपर्यवसित श्रुत
गमिक-अगमिक, अगप्रविष्ट-अनगप्रविष्ट व कालिक-उत्कालिक श्रुत

प्रथम प्रकरण

जैन श्रुत

महान् लिपिशास्त्री ध्रो बोधाजी का निश्चित मत है कि ताडपत्र, भोजपत्र, कागज, स्थाही, लेपनी आदि का परिचय हमारे पूर्वजों को प्राचीन समय से ही था। ऐसा होने हुआ भी किनी भारतीय अथवा एशियाई धर्म-परम्परा के मूलभूत धर्मशास्त्र अधिकाद्यतया रचना के समय ही ताडपत्र अथवा कागज पर लिखद्वारा हुए हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता।

आज भी पचीस भौ वर्ष अथवा इसमें दुगुने समय पहले के जिजासु अपने-अपने धर्मशास्त्रों को आदर व विनयपूर्वक अपने-अपने गुरुओं द्वारा प्राप्त कर सकते थे। वे इस प्रकार से प्राप्त होनेवाले धास्त्रों को कठाप्र करते तथा कठाप्र पाठों को वार्त-वार न्मरण कर याद रखते। धर्मवाणी के शुद्ध उच्चारण सुरक्षित रहें, इनका वे पूरा ध्यान रखते। कहीं काना, माथा, अनुच्छार, विसर्ग आदि निर्यक्त्व में प्रविष्ट न हो जायें अथवा निकल जायें, इसकी भी वे पूरी मावधानी रखते।

बैस्ता एवं वेदों के विशुद्ध उच्चारणों की सुखा का आवेस्तिक पद्धितों एवं वैदिक पुरोहितों ने पूरा ध्यान रखा है। इसका समर्थन वत्तमान में प्रचलित अवेस्ता गाथाओं एवं वेद-पाठों की उच्चारण-प्रक्रिया से होता है।

जैन परम्परा में भी आवश्यक क्रियाकाण्ड के सूत्रों की अक्षरसख्या, पदसख्या, लघु एवं गुरु अक्षरसख्या आदि का खास विधान है। सूत्र का किस प्रकार उच्चारण करना, उच्चारण करते समय किन-किन दोषों से दूर रहना—इत्यादि का अनुयोगद्वार आदि में स्पष्ट विधान किया गया है। इसमें प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में जैन परम्परा में भी उच्चारण विषयक कितनी सावधानी रखी जाती थी। वत्तमान में भी विधिज्ञ इसी प्रकार परम्परा के अनुसार सूत्रों-चारण करते हैं एवं यति आदि का पालन करते हैं।

इस प्रकार विशुद्ध रीति से सन्चित श्रुतसम्पत्ति को गुरु अपने शिष्यों को संपत्ते रथा शिष्य पुन अपनी परम्परा के प्रशिष्यों को संपत्ते। इस तरह श्रुत की परम्परा भगवान् महावीर के निर्वाण के बाद लगभग एक हजार वर्ष तक निरन्तर प्रवाह के रूप में चलती रही।

महावीर-निर्वाण के लगभग एक हजार वर्ष बाद अर्थात् विक्रम की चौथी-पाँचवीं शताब्दी में जब वलभी में आगमों को पुस्तकारूढ़ किया गया तब से कठाग्र-प्रथा धीरे धीरे कम होने लगी और अब तो यह विलकुल मद हो गई है।

जिस समय कठाग्रपूर्वक शास्त्रों को स्मरण रखने की प्रथा चालू थी उम समय द्वास कार्य को सुव्यवस्थित एव अविमवादी रूप में मम्पन्न करने के लिए एक विशिष्ट एव आदरणीय वर्ग विद्यमान था जो उपाध्याय के न्य में पहचाना जाता था। जैन परम्परा में अरिहत् आदि पाँच परमेष्ठों माने जाते हैं। उनमें इम वर्ग का चतुर्थ स्थान है। इम प्रकार सध में इस वर्ग की विशेष प्रतिष्ठा है।

धर्मशास्त्र प्रारम्भ में लिखे गये न थे अपितु कठाग्र थे एव स्मृति द्वारा सुरक्षित रखे जाते थे, इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए शास्त्रों के लिए वर्तमान में प्रयुक्त श्रुति, स्मृति एव श्रुत शब्द पर्याप्त हैं।

विद्वज्जगत् जानता है कि द्राह्यण परम्परा के मुख्य प्राचीन शास्त्रों का नाम श्रुति है एव तदनुवर्ती वाद के शास्त्रों का नाम स्मृति है। श्रुति एव स्मृति—ये दोनों शब्द रूढ़ नहीं अपितु योगिक हैं तथा सर्वथा अन्वर्थक हैं। जैन परम्परा के मुख्य प्राचीन शास्त्रों का नाम श्रुत है। श्रुति एव स्मृति की हो भाति श्रुत शब्द भी योगिक है। अत इन नामों वाले शास्त्र सुन-सुन कर सुरक्षित रखे गये हैं, ऐसा स्पष्टतया फलित होता है। आचाराग आदि सूत्र 'सुय मे' आदि वाक्यों से शुरू होते हैं। इसका अर्थ यही है कि शास्त्र सुने हुए हैं एव सुनते-सुनते चलते आये हैं।

प्राचीन जैन आचार्यों ने जो श्रुतज्ञान का स्वरूप बताया है एव उसके विभाग किये हैं उसके मूल में भी यह 'सुय' शब्द रहा हुआ है, ऐसा मानने में कोई हर्ज नहीं है।

वैदिक प्ररम्परा में वेदों के सिवाय अन्य किसी भी ग्रन्थ के लिए श्रुति शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है जबकि जैन परम्परा में समस्त शास्त्रों के लिए, फिर चाहे वे प्राचीन हो अथवा अर्वाचीन, श्रुत शब्द का प्रयोग प्रचलित है। इस प्रकार श्रुत शब्द मूलतः योगिक होते हुए भी अब रूढ़ हो गया है।

जैसा कि पहले कहा गया है, हजारों वर्ष पूर्व भी धर्मोपदेशकों को लिपियों तथा लेखन-साधनों का ज्ञान था। वे लेखन-कला में निपुण भी थे। ऐसा होते हुए भी जैन धर्मशास्त्रों को सुव्यवस्थित रखने की व्यवस्था करने वाले थे अर्थात् जैन शास्त्रों में काना-माना जितना भी परिवर्तन न हो, इसका सतत ध्यान रखने वाले महानुभाव थे उन्होंने इन शास्त्रों को सुन-सुन कर स्मरण रखने का महान् भानसिक भार क्यों कर उठाया होगा?

अति प्राचीन काल से चली आने वाली जैन श्रमणों की चर्या, साधना एवं परिस्थिति का विचार करने पर इस प्रश्न का समाधान स्वतः हो जाता है।

जैन श्रमण व शास्त्रलेखन ।

जैन मुनियों की मन, वचन व काया से हिंसा न करने, न करवाने एवं करते हुए का अनुभोदने न करने की प्रतिज्ञा होती है। प्राचीन जैन मुनि इस प्रतिज्ञा का अक्षरश पालन करने का प्रयत्न करते थे। जिसे प्रातः करने में हिंसा की तनिक भी सम्भावना रहती ऐसी वस्तुओं को वे स्वीकार न करते थे। आचाराग आदि उपलब्ध सूत्रों को देखने से उनकी यह चर्या स्पष्ट मालूम होती है। बौद्ध ग्रन्थ भी उनके लिए 'दीघतपस्सी' (दीर्घतपस्सी) शब्द का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार अत्यन्त कठोर आचार परिस्थिति के कारण ये श्रमण धर्मरक्षा के नाम पर भी अपनी चर्या में अपवाद की आकाशा रखने वाले न थे। यही कारण है कि उन्होंने हिंसा एवं परिग्रह की सम्भावना वाली लेखन-प्रवृत्ति को नहीं अपनाया।

यद्यपि धर्म-प्रचार उन्हें दृष्ट था किन्तु वह केवल आचरण एवं उपदेश द्वारा ही। हिंसा एवं परिग्रह को सम्भावना के कारण व्यक्तिगत निर्वाण के अभिलाषी उन नि स्पृह मुमुक्षुओं ने शास्त्र-लेखन की प्रवृत्ति की उपेक्षा की। उनकी इस अहिंसा-प्ररायणता का प्रतिविम्ब वृहत्कल्प नामक छेद सूत्र में स्पष्टतया प्रतिविम्बित है। उसमें स्पष्ट विधान है कि पुस्तक पास में रखनेवाला श्रमण प्रायशिच्छत का भागी होता है (वृहत्कल्प, गा ३२२-३२३, पृ १०५४-१०५७)।

इस उल्लेख से यह भी सिद्ध होता है कि कुछ साधु पुस्तकें रखते भी होंगे। अत यह नहीं कहा जा सकता कि भगवान् महावीर के बाद हजार वर्ष तक कोई भी आगमग्रन्थ पुस्तकरूप में लिखा ही न गया हो। हाँ, यह कहा जा सकता है कि पुस्तक-लेखन की प्रवृत्ति विद्वान्स्प से स्वीकृत न थी। अहिंसा के आचार को रूढ़रूप से पालने वाले पुस्तकें नहीं लिखते किन्तु जिन्हें ज्ञान से विशेष प्रेम या वे पुस्तकें अवश्य रखत होंगे। ऐसा मानने पर ही अग के अतिरिक्त समग्र विशाल साहित्य की रचना सम्भव हो सकती है।

वृहत्कल्प में यह भी बताया गया है कि पुस्तक पास में रखने वाले श्रमण में, प्रमाद-दोष उत्पन्न होता है। पुस्तक पास में रहने से धर्म-वचनों के स्वाध्याय का आवश्यक कार्य टल जाता है। धर्म वचनों को कठस्थ रख कर उनका बार-बार स्मरण करना स्वाध्यायरूप आन्तरिक तप है। पुस्तकें पास रहने से यह तप मन्द होने लगता है तथा गुरुमुख से प्राप्त सूत्रपाठों को उदात्त-अनुवात आदि मूल उच्चारणों में सुरक्षित रखने का श्रम भाररूप प्रतीत होने लगता है। परिणामतः सूत्रपाठों के मूल उच्चारणों में परिवर्तन होना प्रारम्भ हो जाता है। इसका

सोरठ (सौराष्ट्र] प्रदेश में स्थित गिरनार की चन्द्रगुफा में रहते थे । वे अष्टागमहानिमित्त शास्त्र में पारगत थे । उन्हें ऐसा मालूम हो गया कि अब श्रुतसाहित्य का विच्छेद हो जाएगा ऐसा भयकर समय आ गया है । यह जानकर भयभीत हुए प्रवचनप्रेमी धरसेन ने दक्षिण प्रदेश में विचरने वाले महिमा नगरी में एकत्रित आचार्यों को एक पत्र लिख भेजा । पत्र पढ़कर आचार्यों ने आंघ्र प्रदेश के वेन्नातट नगर के विशेष वृद्धिसम्पन्न दो शिष्यों को आचार्य धरसेन के पास भेज दिया । आये हुए शिष्यों की परीक्षा करने के बाद उन्हें धरसेन ने अपनी विद्या अर्थात् श्रुतसाहित्य पढ़ाना प्रारम्भ किया । पढ़ते-पढ़ते आपाढ शुक्ला एकादशी का दिवस आ पहुँचा । इस दिन ठीक दोपहर में उनका अव्ययन पूर्ण हुआ । आचार्य दोनों शिष्यों पर बहुत प्रसन्न हुए एवं उनमें से एक का नाम भूतवली व द्वूसरे का नाम पुष्पदन्त रखा । इसके बाद दोनों शिष्यों को बापस भेजा । उन्होंने सोरठ से बापस जाते हुए (अकुलेश्वर या अकलेश्वर) नामक ग्राम में चातुर्मासि किया । तदनन्तर आचार्य पुष्पदन्त वनवास के लिए गये एवं आचार्य भूतवली द्रमिल (द्रविड) में गये । आचार्य पुष्पदन्त ने जिनपालित नामक शिष्य को दीक्षा दी । फिर बीउ सूत्रों की रचना की एवं जिनपालित को पढ़ाकर उसे द्रविड देश में आचार्य भूतवली के पास भेजा । भूतवली ने यह जानकर कि आचार्य पुष्पदन्त अल्प आयु वाले हैं तथा महाकर्म-प्रकृतिप्राभृत सम्बन्धी जो कुछ श्रुतसाहित्य है वह उनकी मृत्यु के बाद नहीं रह सकेगा, द्रव्यप्रमाणानुयोग को प्रारम्भ में रखकर घटखण्डागम की रचना की । इस खड़सिद्धान्तश्रुत के कर्ता के रूप में आचार्य भूतवली तथा पुष्पदन्त दोनों माने जाते हैं ।^१ इस कथानक में सोरठ प्रदेश का उल्लेख आता है । श्री देवधिगणि की ग्रन्थलेखन-प्रवृत्ति का सम्बन्ध भी सोरठ प्रदेश की ही बलभी नगरी के साथ है ।

जब विक्रम की तेरहवीं शताब्दी में आचार्य अभयदेव ने अग्रगान्थों पर वृत्तियाँ लिखी तब कुछ श्रमण उनके इस कार्य से असहमत थे, यह अभयदेव के प्रवन्ध में स्पष्टतया उल्लिखित है ।

इसे देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि जब ग्रन्थलेखन की प्रवृत्ति प्रारम्भ हुई होगी तब तत्कालीन समस्त जैन परम्परा की इस कार्य में सहमति रही होगी । फिर भी जिन्होंने अपदाद-मार्ग का अवलम्बन लेकर भी ग्रन्थलेखन द्वारा धर्मवचनों को सुरक्षित रखने का पवित्रतम् कार्य किया है उनका हमपर—विशेषकर सशोधकों पर महान् उपकार है ।

श्रुतज्ञान ।

जैन परम्परा में प्रचलित 'श्रुत' शब्द के बल जैन शास्त्रों के लिए ही खड़ नहीं

^१ घटखण्डागम, प्रथम भाग, पृ० ६७-७१

है। शास्त्रों के अतिरिक्त 'श्रुत' शब्द में लिपिर्या भी समाविष्ट हैं। 'श्रुत' के जितने भी कारण अर्थात् निमित्तकारण है, वे सब 'श्रुत' में समाविष्ट होते हैं। ज्ञानवृप कोड़ भी विचार भावश्रुत कहलाता है। वह केवल आत्मगुण होने के कारण उदाहरण मूरूत होता है। विचार को प्रकाशित करने का निमित्त कारण शब्द है अब वह भी निमित्त-नैनिमित्तिक के कथचित् अभेद द्वारा अपेक्षा से 'श्रुत' कहलाता है। शब्द मूरूत होता है। इसे जैन परिभाषा में 'द्रव्यश्रुत' कहते हैं। शब्द की ही भावित भावश्रुत को सुनिश्चित एव न्यायी रखने के जो भी निमित्त अर्थात् कारण हैं वे भी 'द्रव्यश्रुत' कहलाते हैं। इनमें यमन्त्र लिपियों का समावेश होता है। इनके अनिरिक्त कागज, न्याही, लंबनी आदि भी परम्परा की अपेक्षा से 'श्रुत' कहे जा सकते हैं। यही कारण है कि ज्ञानपत्रमी अथवा श्रुतपत्रमी के दिन सब जैन सामूहिक न्यूप से एकत्र होकर इन साधनों का तथा समन्वय प्रकार की जैन पुन्त्रकों का विद्याल प्रदर्शन करते हैं एव उत्सव मनाने हैं। देव-प्रतिमा के समान इनके पास घृत-दीपक जलाते हैं एव वदन, नमन, पूजन आदि करते हैं। प्रत्येक शब्द, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो—व्यक्त हो अथवा अव्यक्त—'द्रव्यश्रुत' में समाविष्ट होता है। प्रत्येक भावश्रुतक उक्त—जैसे धीक, खसार आदि—का भी व्यक्त शब्द के ही समान द्रव्यश्रुत में समावेश होता है। द्रव्यश्रुत एव भावश्रुत के विषय में आचार्य देवबाचक ने न्दिन्दूष में विस्तृत एव स्पष्ट चर्चा की है।

न्दिन्दूषकार ने ज्ञान के पांच प्रकार बताये हैं मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्यायज्ञान एव केवलज्ञान। जैन परम्परा में 'प्रत्यक्ष' शब्द के द्वारा अर्थ म्बीहृत है। पहला अक्ष अर्थात् आत्मा। जो ज्ञान सीधा आत्मा द्वारा ही हो, जिसमें इन्द्रियों अथवा मन की सहायता की आवश्यकता न हो वह ज्ञान पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहलाता है। दूसरा अक्ष अर्थात् इन्द्रियाँ एव मन। जो ज्ञान इन्द्रियों एव मन की सहायता से उत्पन्न हो वह व्यावहारिक प्रत्यक्ष कहलाता है। उक्त पांच ज्ञानों में अवधि, मन पर्याय एव केवल ये तीन पारमार्थिक प्रत्यक्ष हैं एव मति व्यावहारिक प्रत्यक्ष है।

श्री भद्रवाहुविरचित आवश्यक-नियुक्ति, जिनभद्रगणि क्षमाश्रमणरचित विशेषा-विद्यकभाष्य, श्रीहरिभद्रविरचित आवश्यक-नृत्ति आदि ग्रन्थों में पचज्ञानविपयक विस्तृत चर्चा की गई है। इसे देखते हुए ज्ञान अथवा प्रमाण के स्वरूप, प्रकार आदि की चर्चा प्रारम्भ में कितनी सक्षिप्त थी तथा धीरे-धीरे कितनी विस्तृत होती गई, इसका स्पष्ट पता लग जाता है। ज्यो-ज्यो तर्कदृष्टि का विकास होता गया त्यो त्यों इस चर्चा का भी विस्तार होता गया।

यहाँ इस लघ्वी चर्चा के लिए अवकाश नहीं है। केवल श्रुतज्ञानका परिचय देने के लिए उत्सम्बद्ध प्रासादिक विषयों का स्पर्श करते हुए आगे बढ़ा जाएगा।

इन्द्रियों तथा मन द्वारा होने वाले वोध को मतिज्ञान कहते हैं। इसे अन्य दार्शनिक 'प्रत्यक्ष' कहते हैं। जबकि जैन परम्परा में इसे 'व्यावहारिक प्रत्यक्ष' कहा जाता है। इन्द्रिय-मन-निरपेक्ष एवं सीधा आत्मा द्वारा न होने के कारण मतिज्ञान वस्तुत परोक्ष ही है।

दूसरा श्रुतज्ञान है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, श्रुतज्ञान के मुख्य दो भेद हैं द्रव्यश्रुत और भावश्रुत। भावश्रुत आत्मोपयोगरूप अर्थात् चेतनारूप होता है। द्रव्यश्रुत भावश्रुत की उत्तर्ति में निमित्तरूप व जनकरूप होता है एवं भावश्रुत से जन्य भी होता है। यह भाषारूप एवं लिपिरूप है। कागज, स्पाही, लेखनी, दावात, पुस्तक इत्यादि समस्त श्रुतसाधन द्रव्यश्रुत के ही अन्तर्गत हैं।

श्रुतज्ञान के परस्पर विरोधी सात युग्म कहे गये हैं अर्थात् देववाचक ने श्रुतज्ञान के सब मिलाकर चौदह भेद बताए हैं। इन चौदह भेदों में सब प्रकार का श्रुतज्ञान समाविष्ट हो जाता है। यहाँ निम्नोक्त छ युग्मों की चर्चा विविक्षित है —

१ अक्षरश्रुत व अनक्षरश्रुत, २ सम्यक्श्रुत व मिथ्याश्रुत, ३ सादिकश्रुत व अनादिकश्रुत, ४ सर्पर्वसित अर्थात् सान्तश्रुत व अपर्वसित अर्थात् अनन्तश्रुत, ५ गमिकश्रुत व अगमिकश्रुत, ६ अग्रप्रविष्टश्रुत व अनग्रप्रविष्ट अर्थात् अगवाह्यश्रुत।

अक्षरश्रुत व अनक्षरश्रुत

इस युग्म में प्रयुक्त 'अक्षर' शब्द भिन्न-भिन्न अपेक्षा से भिन्न अर्थ का वोध कराता है। अक्षरश्रुत भावरूप है अर्थात् आत्मगुणरूप है। उसे प्रकट करने में तथा उसको वृद्धि एवं विकास करने में जो अक्षर अर्थात् छविनिर्याँ, स्वर अथवा व्यञ्जन निमित्तरूप होते हैं उनके लिए 'अक्षर' शब्द का प्रयोग होता है। छविनियों के संकेत भी 'अक्षर' कहलाते हैं। सकेत में अक्षर का अर्थ है—अक्षरात्मक छविनिर्याँ तथा उनके समस्त संकेत। छविनियों में समस्त स्वर-व्यञ्जन समाविष्ट होते हैं। संकेतों में समस्त अक्षररूप लिपियों का समावेश होता है।

आज के इस विज्ञानयुग में भी अमुक देश अथवा अमुक लोग अपनी अभीष्ट अमुक प्रकार की लिपियों अथवा अमुक प्रकार के संकेतों को ही विशेष प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं तथा अमुक प्रकार की लिपियों व संकेतों को कोई महत्त्व नहीं देते, जब कि आज से हजारों वर्ष पहले जैनाचार्यों ने श्रुत के एक भेद अक्षरश्रुत में समस्त प्रकार की लिपियों एवं अक्षर-संकेतों को समाविष्ट किया था। प्राचीन जैन परम्परा में भावा, लिपि अथवा संकेतों को केवल विचार-प्रकाशन के बाह्य के रूप

मे ही स्वीकार किया गया है। उन्हें ईश्वरीय ममज तर जिसी प्रकार की विशेष पूजा प्रतिष्ठा नहीं दी गई है। उतना ही नहीं, जैन धाराम तो यहाँ तक रहते हैं कि चित्र विनिप्र गामां, लिपिया अथवा सकेत मनुष्य को बामना के गत मे गिरने से नहीं बात गाते। गामना के गर्त मे गिरने से बानाने के बमागारण साधन विद्यायुक्त मदाचरण, गयग, धीर, तप इत्यादि हैं। जैन परम्परा एव जैन धास्तो मे ही प्राग्भूत यह धोणा चली आती है कि जिसी भी नाया, लिपि अथवा गोन जाग नित्त मे जड जमाये हुए गाग-टेगादिक जी परिणनि को उम फारेवाली विद्यायुक्त विचारणारा ही प्रतिष्ठायोग्य है। इस प्रकार का मान्यता मे ही अहिमा की भ्यापना व आचरण निहित है। व्यावहारिक टृप्टि से भी डमी मे गानवजाति का कन्याण है। इसके अभाव मे विषमता, वगविघ्रह व क्लेशवरन की ही गम्भावना रहती है।

जिस प्रकार अधारश्रुत मे विविध भाषाएँ, विविध लिपियाँ एव विविध सकेत समाविष्ट हैं उसी प्रकार अनधारश्रुत मे शूयमाण अव्यवक्त ध्वनियो तथा दृश्यमान शारीरिक चेष्टाओ का ममानेश निया गया है। इस प्रकार की ध्वनियाँ एव चेष्टाएँ भी अमुक प्रकार के बोन का निमित्त बनती हैं। यह पहले ही रहा जा चुका है कि बोध के समस्त निमित्त, ध्रुत मे समाविष्ट हैं। इस प्रकार कराह, चीत्कार नि द्वाम तदार, नामी, छोक आदि बोध-निमित्त सर्वेत यनक्षरश्रुत मे समविष्ट हैं। गोगो की कगह उमनी व्यथा की जापक होती है। चीत्कार व्यथा अथवा वियोग की जापक हो सकती है। नि द्वास दुख एव विरह का सूचक है। छोक किसी विशिष्ट सकेत की सूचक हो सकती है। धूकने की चेष्टा निन्दा अथवा तिरस्कार की भावना प्रकट कर सकती है अथवा किसी अन्य तथ्य का सकेत कर सकती है। इसी प्रकार आंख के इशारे भी विभिन्न चेष्टाओ को प्रकट करते हैं।

एक पुरुष अपनी परिचित एक स्त्री के घर मे घुसा। घर मे स्त्री की सास थी। उसे देख कर स्त्री ने गाली देते हुए जोर से उसको पीठ पर एक धप्पा लगाया। कपडे पर भरे हुए मले हाथ की पाँचो उगलिया उठ आई। इस सकेत का पुरुष ने यह अथ निकाला कि कृष्णपक्ष की पचमी के दिन फिर आना। पुरुष का निकाला हुआ यह अर्थ ठौक था। उम स्त्री ने इसी अर्थ के सकेत के लिए धप्पा लगाया था।

इस प्रकार अव्यवक्त ध्वनियाँ एव विशिष्ट प्रकार की चेष्टाएँ भी अमुक प्रकार के बोध का निमित्त बनती हैं। जो लोग इन ध्वनियो एव चेष्टाओ का रहस्य समझते हैं उन्हें इनसे अमुक प्रकार का निश्चित बोध होता है।

मतिज्ञान एवं श्रुतज्ञान के सर्वसम्मत सावधिक साहृदय को ध्यान में रखते हुए यह कहना उपयुक्त प्रतीत होता है कि साकेतिक भाषा के अतिरिक्त साकेतिक चेष्टाएँ भी श्रुतज्ञान में समाविष्ट हैं। ऐसा होते हुए भी इस विषय में भाव्यकार जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण ने विशेषावश्यकभाष्य में, वृत्तिकार आचार्य हरिमद्र ने आवश्यकवृत्ति में तथा आचार्य मलयगिरि ने नन्दिवृत्ति में जो मत व्यक्त किया है उसका यहाँ निर्देश करना आवश्यक है।

उक्त तीनों आचार्य लिखते हैं कि अश्रूयमाण शारीरिक चेष्टाओं को अनक्षर-श्रुत में समाविष्ट न करने की स्फूर्ति परम्परा है। तदनुसार जो सुनने योग्य है वही श्रुत है, अन्य नहीं। जो चेष्टाएँ सुनाई न देती हों उन्हें श्रुतरूप नहीं समझना चाहिए।^१ यहाँ 'श्रुत' शब्द को स्फूर्ति न मानते हुए योगिक माना गया है।

अचेलक परम्परा के तत्त्वार्थ-राजवार्तिक नामक ग्रन्थ में वराया गया है कि 'श्रुतशब्दोऽप्य रूढिशब्द इति सर्वमतिपूर्वस्य श्रुतत्वसिद्धिभवति' अर्थात् 'श्रुत' शब्द रूढ़ है। श्रुतज्ञान में इसी भी प्रकार का मतिज्ञान कारण हो सकता है।^२ इस व्याख्या के अनुसार श्रूयमाण एवं दृश्यमान दोनों प्रकार के सकेतो द्वारा होने वाला ज्ञान श्रुतज्ञान की कोटि में आता है।

मेरी दृष्टि से 'श्रुत' शब्द का व्यापक अर्थ में प्रयोग करते हुए श्रूयमाण व दृश्यमान दोनों प्रकार के नकेतो व चेष्टाओं को श्रुतज्ञान में समाविष्ट करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

इस प्रकार अक्षरश्रुत व अनक्षरश्रुत इन दो अवान्तर भेदों के साथ श्रुतज्ञान का व्यापक विचार जैन परम्परा में अति प्राचीन समय से होता आया है। इसका उल्लेख ज्ञान के स्वरूप का विचार करने वाले समस्त जैन ग्रन्थों में आज भी उपलब्ध है।

सम्यकश्रुत व मिथ्याश्रुत •

ऊपर वराया गया है कि भाषासापेक्ष, अव्यक्तव्यनिसापेक्ष तथा सकेतसापेक्ष -समस्तज्ञान श्रुत की कोटि में आता है। इसमें क्षूठा ज्ञान, चौर्य को सिखाने वाला ज्ञान, अनाचार का पोषक ज्ञान इत्यादि मुक्तिविरोधी एवं आत्मविकासवावक ज्ञान भी समाविष्ट हैं। भासारिक व्यवहार को अपेक्षा से भले ही ये समस्त ज्ञान 'श्रुत' कहे जाएँ किन्तु यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि की मुख्यता हो एवं इसी एक लक्ष्य को

^१ विशेषावश्यकभाष्य, गा ५०३, पृ २७५, हारिमद्रोय आवश्यकवृत्ति, पृ २५, गा २०, मलयगिरि नन्दिवृत्ति, पृ १८९, सू ३९.

^२ अ १, सू २०, पृ १

दृष्टि में रखते हुए समस्त प्रकार के प्रथत्न करने की वाग-वाग् प्रेरणा दी गई हो वहाँ केवल तद्मार्गपियोगी अक्षरश्रुत एवं अनक्षरश्रुत हाँ श्रुतज्ञान को कोटि में समाविष्ट हो सकता है।

इस प्रकार के मार्ग के लिए तो जिस वक्ता अथवा धोता की दृष्टि शमसध्वन हो, सवेगसम्पन्न हो, निर्वेदयुक्त हो, अनुकम्पा अर्थात् करुणावृति में परिपूर्ण हो एवं देहभिन्न आत्मा में श्रद्धाशील हो उभी का ज्ञान उपयोगी सिद्ध होता है। इस तथ्य को स्पष्ट रूप में समझाने के लिए नन्दिमूर्तकार ने वरलाया है कि शामादियुक्त वक्ता अथवा धोता का अक्षर-अनक्षररूपश्रुत ही सम्यक्श्रुत होता है। शामादिरहित वक्ता अथवा धोता का वही श्रुत मिथ्याश्रुत कहलाता है। इस प्रकार उक्त श्रुत के पुन दो विभाग किये गये हैं। प्रमुख श्रुत-विचारणा में आत्मविकासोपयोगी श्रुत को ही सम्यक्श्रुत कहा गया है। यह विचारणा सम्प्रदायनिरपेक्ष है। इसी का परिणाम है कि तथाकथित जैन सम्प्रदाय के न होते हुए भी अनेक व्यक्तियों के विषय में अहत्व अथवा सिद्धत्व का निर्देश जैन आगमों में मिलता है।

जैन शास्त्रों के द्वितीय वर्ग सूयगड—सूयकृताग के तृतीय अध्ययन के चतुर्थ उद्देशक की प्रथम चार गाथाओं में वैदिक परम्परा के कुछ प्रभिद्व पुष्यों के नाम दिये गये हैं एवं उन्हें महापुरुष कहा गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने सिद्धि प्राप्त की, यह भी वराया गया है। इन गाथाओं में यह भी वराया गया है कि वे शीत जल का उपयोग करते अर्थात् ठण्डा पानी पीते, स्नान करते, ठड़े पानी में खड़े रह कर साधना भी करते तथा भोजन में बीज एवं हरित अर्थात् हरी-कच्ची बनस्पति भी लेते थे। इन महापुरुषों के विषय में मूल गाथा में आने वाले 'तप्न-तपोबन' शब्द की व्याख्या करते हुए वृत्तिकार ने लिखा है कि वे तपोबन थे अर्थात् पचासिन तप तपते थे तथा कद, मूल, फल, बीज एवं हरित अर्थात् हरी-कच्ची बनस्पति का भोजनादि में उपयोग करते थे। इस वर्णन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि मल गाथाओं में निर्दिष्ट उपर्युक्त महापुरुष जैन सम्प्रदाय के क्रियाकाङ्क्षा के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करते थे। किंतु भी वे सिद्धि को प्राप्त हुए थे। यह बात आहत प्रवचन में स्वीकार की गई है। यह तथ्य जैन प्रवचन की विशालता एवं सम्यक्श्रुत की उदारतापूर्ण व्याख्या को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त है। जिनकी दृष्टि सम्यक् है अर्थात् शम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा एवं आरितव्य से परिप्लावित है उनका श्रुत भी सम्यक्श्रुत है अर्थात् उनका सम्यज्ञानी होना स्वाभाविक है। ऐसी अवस्था में वे सिद्धि प्राप्त करें, इसमें आश्चर्य क्या है? जैन प्रवचन में जिन्हें अन्यलिंगसिद्ध कहा गया है वे इस प्रकार के महापुरुष हों।

सकते हैं। जो जैन सम्प्रदाय के वेष में न हो अर्थात् जिनका बाह्य क्रियाकाण्ड जैन सम्प्रदाय का न हो फिर भी जो आन्तरिक शुद्धि के प्रभाव से सिद्धि—मुक्ति को प्राप्त हुए हो वे अन्यालिंगसिद्ध कहलाते हैं। उपर्युक्त गाथाओं में अन्यालिंग से सिद्धि प्राप्त करने वालों के जो नाम बताये हैं वे ये हैं असित, देवल, द्वैपायन, पाराशार, नमीविदेही, रामपुत्र, बाहुक तथा नारायण। ये सब महापुरुष वैदिक परम्परा के महाभारत आदि ग्रन्थों में मुप्रसिद्ध हैं। इन गाथाओं में 'एते पुर्व्विं महापुरिसा आहिता इह समता' इस प्रकार के निर्देश द्वारा मूलसूत्रकार ने यह बताया है कि ये सब प्राचीन समय के प्रसिद्ध महापुरुष हैं तथा इन्हें 'इह' अर्थात् आर्हत प्रवचन में सिद्धरूप से स्वीकार किया गया है। यहाँ 'इह' का सामान्य अर्थ आर्हत प्रवचन तो है ही किन्तु वृत्तिकार ने 'ऋषिभाषितादौ' अर्थात् 'ऋषि-भाषित आदि ग्रन्थों में' इस प्रकार का विशेष अर्थ भी बताया है। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ऋषिभाषित ग्रन्थ इतना अविक प्रमाणप्रतिष्ठित है कि इसका निर्देश वृत्तिकार के कथनानुसार स्वयं मूलसूत्रकार ने भी किया है।

सूत्रकृताग में 'ऋषिभाषित' नाम का परोक्ष रूप से उल्लेख है किन्तु स्थानाग च समवायाग में तो इसका स्पष्ट निर्देश है। इनमें उसकी अध्ययन-सम्प्लाय भी बताई गई है। स्थानाग में प्रश्नव्याकरण के दस अध्ययनों के नाम बताते हुए 'ऋषिभाषित' नाम का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।^१ 'ऋषिभाषित के चौवालीस अध्ययन देवलोक में से मनुष्यलोक में आये हुए जीवों द्वारा कहे गये हैं' इस प्रकार 'ऋषिभाषित' नाम का तथा उसके चौवालीस अध्ययनों का निर्देश समवायाग के चौवालीसवें समवाय में है। इससे मालूम होता है कि यह ग्रन्थ प्रामाण्य की दृष्टि से विशेष प्रतिष्ठित होने के साथ ही विशेष प्राचीन भी है। इस ग्रन्थ पर आचार्य भद्रवाहु ने नियुक्ति लिखी जिससे इसकी प्रतिष्ठा व प्रामाणिकता में विशेष वृद्धि होती है।

सङ्घाग्रय से ऋषिभाषित ग्रन्थ इस समय उपलब्ध है। यह आगमोदय समिति द्वारा प्रकाशित किया गया है। इनमें जैन सम्प्रदाय के न होने पर भी जैन परम्परा द्वारा मान्य अनक महापुरुषों के नामों का उनके वचनों के साथ निर्देश किया गया है। जिस प्रकार इस ग्रन्थ में भगवान् वर्धमान-महावीर एवं भगवान् पार्वत के नाम का उल्लेख 'आर्हत् ऋषि' विशेषण के साथ किया गया है उसी प्रकार इनमें याजवल्क्य, वुढ़, मखलिपुत्र आदि के नामों के साथ भी 'आर्हत् ऋषि' विशेषण

लगाया गया है।^१ यही कारण है कि सूत्रकृताग को पूर्वोक्त गाथाओं में बताया गया है कि ये महापुरुष सिद्धिप्राप्त हैं।

ऋषिभाषित में जिन अर्हद्वृप ऋषियों का उल्लेख है उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं —

(१) असित देवल, (२) अगरिसि—अगिरस—भारद्वाज, (३) महाकश्यप, (४) मखलिपुत्त, (५) जण्णवक्क—याज्ञवल्क्य, (६) वाहुक, (७) मधुरायग—माथुरायण, (८) सोरियायण, (९) वरिसव कण्ह, (१०) आरियायण, (११) गाथापतिपुत्र तरुण, (१२) रामपुत्र, (१३) हरिगिरि, (१४) मातग, (१५) वायु, (१६) पिंग माहणपरिव्वायव—ब्राह्मणपरिव्राजक, (१७) अरुण महासाल, (१८) तारायण, (१९) सातिपुत्र—शाक्यपुत्र बुद्ध, (२०) दीवायण—द्वैपायन, (२१) सोम, (२२) यम, (२३) वरुण, (२४) वैश्रमण।

इनमें से असित, मखलिपुत्त, जण्णवक्क, वाहुक, मातग, वायु, सातिपुत्र बुद्ध, सोम, यम, वरुण, वैश्रमण व दीवायण—इन नामों के विषय में थोड़ा-बहुत वर्णन उपलब्ध होता है। असित, वाहुक, द्वैपायन, मातग व वायु के नाम महाभारत आदि वैदिक ग्रन्थों में मिलते हैं तथा उनमें इनका कुछ वृत्तान्त भी आता है। मखलिपुत्त श्रमणपरम्परा के इतिहास में गोशालक के नाम से प्रसिद्ध है। इसे जैन आगमों व बौद्ध पिटकों में मखलिपुत्त गोसाल कहा गया है। जण्णवक्क याज्ञवल्क्य ऋषि का नाम है जो विशेषत वृहदारण्यक उपनिषद् में प्रसिद्ध है। सातिपुत्र बुद्ध शाक्यपुत्र गौतम बुद्ध का नाम है।

प्राचीन व अवधीन अनेक जैन ग्रन्थों में मखलिपुत्र गोशालक की खूब हँसी उडाई गई है। शाक्यमुनि बुद्ध का भी पर्याप्त परिहास किया गया है।^२ इनमें जैनश्रुत के अतिरिक्त अन्य समस्त शास्त्रों को मिथ्या कहा गया है। जिनदेव के अतिरिक्त अन्य समस्त देवों को कुदेव तथा जैनमुनि के अतिरिक्त अन्य समस्त मुनियों को कुण्डु कहा गया है। जबकि ऋषिभाषित का सकलन करनेवालोंने जैनसम्प्रदाय के लिंग तथा कर्मकाण्ड से रहित मखलिपुत्र, बुद्ध, याज्ञवल्क्य आदि को ‘अर्हत्’ कहा है तथा उनके बचनों का सकलन किया है। यही नहीं, इस ग्रन्थ को आगमकोटि का माना है। तात्पर्य यह है कि जिनकी दृष्टि सम्युक्त है उनके कैसे भी सरल बचन सम्यक्श्रुतरूप है तथा जिनकी दृष्टि शम सवेगादि गुणों से रहित है उनके भाषा, काव्य, रस व गुण की दृष्टि से श्रेष्ठतम बचन भी मिथ्या-श्रुतरूप हैं। वेद, महाभारत आदि ग्रन्थों को मिथ्याश्रुतरूप मानने वाले आचार्यों

चार वेद, कपिल-दर्शन, नहानारात्र, रामायण, वैशेषिक-शास्त्र, बुद्ध-चत्तन, व्याकरण-शास्त्र, नाटक चाया उभयन्त्र आएं अर्थात् बहत्तर क्षणाएं मिथ्यादृष्टि ने निए मिथ्याश्रुत एव उन्नगदृष्टि के लिए उन्नच्छ्रुत हैं। उद्यवा उन्नगदृष्टि की प्राप्ति में निनित्तत्व होने के कारण ये सब मिथ्यादृष्टि के लिये भी उन्नच्छ्रुत हैं।

नदिमूलकार के इन कथन में ऐसा भी नहीं बताया गया है कि उन्नु शास्त्र उपने लाय ही उन्नक हैं अयवा उमूक शास्त्र उपने लाय ही निव्या हैं। उन्नगदृष्टि एव मिथ्यादृष्टि की लपेजा से ही शास्त्रों को उन्नक् एव मिथ्या कहा गया है। लाचार्यहरिनन्दनर ने भी प्रकारान्तर से इसी बात का सन्दर्भ दिया है।

लाचार्य हरिनन्दन के लगभग दो सौ वर्ष बाद होने वाले शोलाकाचार्य ने उपर्याएकाराचृति में जैनानिमत्त कियाकाण्ड को समावृत्तके सामना करने जौ सूचना देने हुए लिखा है कि चाहे कोई मूलि दो उन्नवारी हो, तीन उन्नवारी हो, एक उन्नवारी हो अयवा एक भी उन्न न रखा हो अर्थात् उचेतक हो निन्नु जो एक-दूसरे की अवहेल्ना नहो करते वे सब भगवान् की आज्ञा में विचरते हैं। उहान, धूर्ति आदि कारणों से जो निल-निल उन्नवाले हैं—निल-निल दाह्य लाचार वाले हैं किन्तु एक-दूसरे जा उपनान नहो करते, न उपने को हीन हो नानो हैं वे सब आनार्यों जिन भावान् जौ आज्ञानुसार राग-ट्रैपादिक की परिपति का विनाश करने का यथाविधि प्रयत्न कर रहे हैं। इच्छ प्रकार का विचार रखने, व इसी प्रकार पत्तर चिन्तय उवहार करने का नाम हो सन्नक्ष्म उद्यवा, उन्नक्ष्म जा उन्निजान है।^१

१ एतद्विषयक मूल्यांश व वृत्ति इच्छ प्रकार है—

मूलपाठ

‘जहृय नगद्या पवैद्य उमेव अनिच्छिन्ना सञ्चजो सञ्चत्ताए उन्नत
(उन्नत) एव उन्निजापिज्जा’

—जाचाराग, ल० ६, उ० ३, सू १८०

वृत्ति

“या—येत प्रकारेण ‘इदन्’ इति युक्तरन्, उत्यमाप च—एतद् भगवता दीर्घवर्मानस्त्वामिता प्रकर्षेण आदौ दा देवितन्—प्रदेवितम्—इति। उपन्न-लाघवम् लाहारलघव वा अनिमेत्य—ज्ञात्वा १ कथन्? सर्वतः इति द्रव्यतः क्षेत्रतः कालतः भावतस्त। द्रव्यतः लाहार-उपकरणादौ, क्षेत्रतः तर्वत्र ग्रामादौ, काल्या लहनि रात्रौ वा दुर्भिमादी वा उर्बतिना भावतः कृतिमकल्पाद्वावेत। तथा सन्यक्तवम्—इति प्रश्नत्तम् शोभनम् एकम् उगत वा उत्तम्, सन्यक्तवम्,

सर्वं एव सर्वदर्शी प्रणीत हादशाग गणिपिटक चतुर्दशपूयधर यायत दशपूयधर के लिए सम्यक्ष्रुतरूप है। इनके नोचे के किमी भी अधिकारी के लिए वह सम्यक्ष्रुत ही भी सकता है और नहीं भी। अधिकारी के सम्बद्धिगमन्त्व होने पर उसके लिए वह सम्यक्ष्रुत होता है व अधिकारी के मिथ्यादृष्टि होने पर उसके लिए वह मिथ्याश्रुत होता है।

नन्दिनगूप्तकार के कथनानुगार अज्ञानियो अर्थात् मिथ्यादृष्टियो हारा प्रणीत वेद, महाभारत, रामायण, कफिल्यचन, बुद्धवचन आदि धास्त्र मिथ्यादृष्टि के लिए मिथ्याश्रुतरूप व नम्यादृष्टि से लिए नम्य-स्रुतरूप हैं। इन धास्त्रों में भी कई प्रत्यक्ष ऐसे वाते हैं जिन्हें सोचने-उमसने ने कभी-नभी गिथ्यादृष्टि भी अपना दुराप्रह छोड़ कर सम्बद्धिट हो सकता है।

नन्दिनगूप्तार के सम्यक्ष्रुतनम्यन्ती उपर्युक्त गथन में पठने वाले, सुनने वाले अथवा ममने वाले को विद्येष्ट्रुष्टि पर विदोग भार दिया गया है। तात्पर्य यह है कि सम्यक्ष्रुष्टिनम्यन्त होता है उपर्युक्ते लिए प्रत्येक धास्त्र सम्यक्ष्रुत होता है। इसमें विवरोत दृष्टि वाले के लिए प्रत्येक धास्त्र मिथ्या होता है। दूध साँग भी वीता है व गज्जन भी, किन्तु अपने-अपने स्वभाव के अनुगार उमसा परिणाम विभिन्न होना है। नांप के परोर में वह दूध रिप बनता है जब कि सज्जन के घारीर में वही दूध अमृत बनता है। यही बात दाम्द्रो के लिए भी है।

नम्यादृष्टि वा अथं जैन एव मिथ्यादृष्टि वा अर्थात् नहीं है। जिसके चित्त में शम, संधंग, निवेद, करण व आन्तिक्षय—इन पांच वृत्तियों का प्रादुर्भाव हुआ हो व आचरण भी तदनुगार हा वह नम्यादृष्टि है। जिसके चित्त में इनमें से एक भी वृत्ति ना प्रादुर्भाव न हुआ हो वह मिथ्यादृष्टि है। यह बात पारमाधिक दृष्टि में जैनप्रवचन-मम्पत है।

तदेवभूत नम्यत्वमेव ममन्यमेव वा ममभिजानीयात—मम्यग् आभिमूल्येन जानीयात—परिचिन्त्यात्। तथाहि—अचेल अग्नि एकचेलभादिक नावमन्यते।
यत उक्तम्—

जो वि द्युत्य-तिवत्यो गगेण अचेलगा व सथरह।

ए हु ते हीलति पर मवेऽवि य ते जिणाणाए॥

जे खलु विमर्सिकप्या सधयणमिद्यादिकारण पप्य।

णज्वमन्नद्व ण य हीण गप्याण मन्नह तेहि॥

सव्वेऽवि जिणाणाए जहविर्हि कम्मववणभट्टाए।

विहरति उज्जया खलु मम्म अभिजाणह एव॥

—आचाराग-वृत्ति, पृ० २२२,

हैं—अपौरुषेय है अतः उनमें प्रयुक्त शब्दों का अर्थ अथवा निर्वचन लौकिक रीति से लौकिक शब्दों द्वारा मनुष्य कैसे कर सकता है ? इस प्रकार की वेद-रक्षकों की मनोवृत्ति होने के कारण भी सम्भवतः यास्क इस कार्य को सम्पूर्णतया न कर सके हों। इस निरुक्त के अतिरिक्त वेदों के शब्दों को तत्कालीन अर्थ-सन्दर्भ में समझने का कोई भी साधन न पहले या और न अभी है। साध्य नामक विद्वान् ने वेदों पर जो भाष्य लिखा है वह वैदिक शब्दों को तत्कालीन वातावरण एवं सदभ की दृष्टि से समझाने में असमर्थ है। ये अवाचीन भाष्यकार हैं। इन्होंने अपनी अवाचीन परम्परा के अनुसार वेदों की शृङ्खलाओं का मुख्यतः यज्ञपरक अर्थ किया है। यह अर्थं ऐतिहासिक तथा प्राचीन वेदकालीन समाज की दृष्टि से ठीक है या नहीं, इसका वर्तमान सशोधकों को विश्वास नहीं होता। अतः यह कहा जा सकता है कि आज तक वेदों का ठीक-ठीक अर्थ हमारे सामने न आ सका। स्वामी दयानन्द ने वेदों पर एक नया भाष्य लिखा है किन्तु वह भी वेदकालीन प्राचीन वातावरण व सामाजिक परिस्थिति को पूर्णतया समझाने में असमर्थ ही है।

वेदाभ्यासी स्वर्गीय लोकमान्य तिलक ने अपनी 'ओरायन' नामक पुस्तक में लिखा है कि अवेस्ता को कुछ कथाएँ वर्दों के समझने में सहायक होती हैं। कुछ सशोधक विद्वान् वेदों को ठीक ठीक समझने के लिए जद, अवेस्ता-गाथा तथा वेदकालीन अन्य साहित्य के अभ्यासपूर्ण मनन, चिन्तन आदि पर भार देते हैं। दुर्भाग्यवश कुछ धर्मात्म राजाओं ने जद, अवेस्ता-गाथा आदि साहित्य को ही नष्ट कर डाला है। वर्तमान में जो कुछ भी थोड़ा-बहुत साहित्य उपलब्ध है उसे सही-सही अर्थ में समझने की परम्परा अवेस्तागाथा की प्रमाणरूप मानने वाले पारसी अध्यव्यु के पास भी नहीं है और न उस शास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित ही विद्यमान हैं। ऐसी स्थिति में वेदों के अध्ययन में रत किसी भी सशोधक विद्वान् को निराशा होना स्वाभाविक ही है।

प्राचीन काल में शास्त्र के प्रामाण्य के लिए अपौरुषेयता एवं अलौकिकता आवश्यक मानी जाती। जो शास्त्र नया होता व किंतु पुरुष ने उसे अमुक समय बनाया होता उसकी प्रतिष्ठा अलौकिक तथा अपौरुषेय शास्त्र की अपेक्षा कम होती। सम्भवतः इसीलिए वेदों को अलौकिक एवं अपौरुषेय मानने की प्रथा चालू हुई हो। जब चिन्तन बढ़ने लगा, तर्कशास्त्रित का प्रयोग अधिक होने लगा एवं हिंसा, मद्यपान आदि से जनता की वरबादी बढ़ने लगी तब वैदिक अनुष्ठानों एवं वेदों के प्रामाण्य पर भारी प्रहार होने लगे। यहाँ तक कि उपनिषद् के चिन्तकों एवं सार्वदर्शन के प्रणेता कपिल मुनि ने इसका भारी विरोध किया एवं वेदोक्त

हिमसु अनुष्ठानों का अप्राप्यत्व पिछा किया । उसे प्रकाश का मार्ग न रहने हुए धूम का मार्ग कहा । गोता में भगवान् प्रणा ने 'यामिमा पुष्पिना वाच प्रवदन्त्यविपिश्चिन' से प्रारम्भ कर 'त्रगुणप्रविष्टा वेदा निस्त्रेगुणा भवाऽर्जुनः' ॥ तरु के वचनों में इसी का समर्थन किया । द्रव्यमय यज्ञ को अपका ज्ञानमय व तपोभय यज्ञ की महिमा बताई एव मगाज को आत्मशोक यज्ञो वी और मोडने का भरमक प्रयत्न किया । अनामयन कम करने रहने की अन्युन्तम प्रेरणा देकर् भाग्तीय त्यागी वर्ग को धूपव शिक्षा दी । जैन एव बीढ़ विन्तकों ने तप, शम, दम इत्यादि की माध्यमा कर हिमा-विधायक वेदों के प्रामाण्य का ही विगेत्र किया एव उनको अपीरुपेयता तथा नित्यना का उन्मुक्तन कर उनके प्रामाण्य का मन्देह-युक्त बना दिया ।

प्रामाण्य की विचारणाग में क्रान्ति के बाज बोने वाले जैन एव बीढ़ विन्तकों ने कहा कि गाम्बर, वचन अथवा ज्ञान स्वतन्त्र नहीं हैं—स्वयंभू नहीं है अपिन् वक्ता की वचनस्त्व अथवा विचारणास्त्व किया के नाय सम्बद्ध हैं । लेखक अथवा वक्ता यदि निष्पृह है, करणापूर्ण है, शम-दमयुक्त है, सप्तम प्राणियों को आत्मवन् समरने वाला है, जिनेन्द्रिय हैं, लोगों के आध्यात्मिक कर्मों को दूर करने में मर्मय है, अमावारण प्रतिभासम्पन्न विचारणाग वाड़ा है तो तत्प्रणीत शास्त्र अथवा वचन भी सब जनहितकर होता है । उसके उथुक्त गुणों में विपरोत गुण-युक्त होने पर तत्प्रणीत शास्त्र अथवा वचन मवजनहितकर नहीं होता । जतुएव शास्त्र, वचन अथवा ज्ञान का प्रामाण्य तदाधाररूपत पुनर्य पर अवलम्बित है । जो शास्त्र अथवा वचन अनादि माने जाते हैं, नित्य माने जाते हैं अथवा अपीरुपेय माने जाते हैं उनकी भा उपर्युक्त टग से परीक्षा किए त्रिना उनके प्रामाण्य के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

जैनों ने यह भी स्वीकार किया कि शास्त्र, वचन अथवा ज्ञान अनादि, नित्य अथवा अपीरुपेय अवश्य हो सकता है किन्तु वह प्रवाह—परम्परा की अपेक्षा से, न कि किसी विशेष शास्त्र, वचन अथवा ज्ञान की अपेक्षा से । प्रवाह की अपेक्षा से ज्ञान, वचन अथवा शास्त्र भले ही अनादि, अपीरुपेय अथवा नित्य हो किन्तु उसका प्रामाण्य केवल अनादिता पर निर्भर नहीं है । जिस शास्त्रविशेष का जित व्यक्ति-विशेष से सम्बन्ध हो उस व्यक्ति की परीक्षा पर ही उस शास्त्र का प्रामाण्य निभर है । जैनों ने अपने देश में अवश्य ही इस प्रकार का एक नया विचार शुरू किया है, यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा ।

गीतोपदेशक भगवान् शृणु ने व भारत दर्शन के प्रवर्तक ज्ञातिकारी कपिल 'मुनि' ने येदो के हिनामय अनुष्ठानो को हानिकारक बनाते हुए लोगो को येद। विमुग होने के लिए परित्यन हिया। जिस गुग में वेदों की प्रतिष्ठा दृढ़मूल थी । ॥१॥ एव ममाज इनके प्रति इनमा अधिक व्यापक था कि उनसे जरा भी अलग होना नहीं चाहता था उन गुग में परमात्मा कृष्ण एव आत्मादो परिष्ठुनि ने वेदों की प्रतिष्ठा पर भोगा आपात करने के वजाय अनासाम कर्म करने की प्रेरणा देकर स्वर्गपामनादृलक यशो पर मुठागामात किया एव घर्म के नाम पर चलने वाले हिङ्गामय व दद्यप्रवात गणादित्कर्मकाण्डो के भाग को धममार्ग कहा। इतना ही नहीं, उपनिषद्कारों ने तो यज्ञ करने वाले द्रृतियजो को ईकुओ एव लुट्टरों द्वारा दद्यप्रवात द्य ल गा को उनरा विद्याम न गर्ते की सलाह दी । कि- भी इनमें ने किसी ने यदो के निरक्षे—मर्यादा अप्रामाण्य की शादणा की हो, ऐसा सोइ प्रमाण इच्छ नहीं है ।

धीरे-धीरे जब धेदिक पुरोहितो था जोर दम पहो लगा, धनियो में भी क्रान्तिकारक पृथ्य देदा होने लगे, गुराद पर क्षत्रिय थाने गो एव ममाज की श्रद्धा येदो से हृने लगो तब जैना एव शौदं। ने भारी जोग्यम उठा कर भी येदो छे अप्रामाण्य की धोणा की । वेदों के अप्रामाण्य की धोणा करने के माय ही जैनों ने द्रथप्रणवामा ही परिष्ठुनि, जोवनदृष्टि एव अन्तवृत्ति को प्रामाण्य का हेतु मानने की अर्थात् वसना अववा जाता है अन्तरिक गुण-र्दीयो के आधार पर उसके बचन अववा जान के प्रामाण्य-अप्रामाण्य ता निरचय करने था नयी प्रणाली प्रारम्भ को । यह प्रणाला स्वत प्रामाण्य मानने यालो की पुरानी जड़ी आने वाली पौधपरा के लिए नर्वया नयो थी । यहाँ श्रुत के विषय में जो अनादित्य एव निन्यत्व यी रूपना को गई २ वह स्वत प्रामाण्य मानने वालो की प्राचीन परम्परा को लक्ष्य में रखा की गई है । नाय ही श्रुत का जो आदित्य, अनिन्यत्व अववा पौधप्रयत्न व्वीतार किया गया है वह लोगो की परीक्षणशक्ति, दिवेकनवित तथा नयोधनशक्ति तो जागत कारने की दृष्टि से ही, जिससे कोई आन्मार्पी 'तानस्य कूपोऽश्रिति त्रुवाग' यों कह कर पिता के कृए में न गिरे अपिनु मायवान होगर पर थागे नद्दाए ।

अनेकान्तवाद, विभृत्यवाद अववा न्याद्वाद की समन्य-दृष्टि के अनुरार ईन चल सकने योग्य प्राचीन विचारधारा को ठेग पहुँचाना नहीं चाहते थे । वे यह भी नहीं चाहते कि प्राचीन विचारमणी के नाम पर बहम, अजान अववा जडता का पोषण हो । इसीलिए वे पहले मे ही प्राचीन विचारधारा को सुरक्षित रखते हुए

१ देखिये—महावीर-नाणी की प्रस्तावना ।

क्रान्ति के नये विचार प्रस्तुत करने में लगे हुए हैं। यही कारण है कि उन्होने श्रुत को अपेक्षाभेद से नित्य व अनित्य दोनो माना है।

श्रुत सादि अर्थात् आदियुक्त है, इसका तात्पर्य यह है कि शास्त्र में नित्य नई नई शोधों का समावेश होता ही रहता है। श्रुत अनादि अर्थात् आदिरहित है, इसका तात्पर्य यह है कि नई-नई शोधों का प्रवाह निरन्तर चलता ही रहता है। यह प्रवाह कव्र व कहाँ से शुरू हुआ, इसके विपर्य में कोई निश्चित कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए उसे अनादि अथवा नित्य कहता ही उचित है। इस नित्य का यह अर्थ नहीं कि अब इसमें कोई नई शोध हो ही नहीं सकती। इसीलिए शास्त्रकारों ने श्रुत को नित्य अथवा अनादि के साथ ही साथ अनित्य अथवा सादि भी कहा है। इस प्रकार गहराई से विचार करने पर मालून होगा कि कोई भी शास्त्र किसी भी समय अक्षरशा वैसा का वैसा ही नहीं रहता। उसमें परिवर्तन होते ही रहते हैं। नये-नये सशोधन सामने आते ही रहते हैं। वह नित्य नया-नया होता रहता है।

यह कहा जा चुका है कि हमारे देश के प्राचीनतम शास्त्र वेद और अवेस्ता है। इसके बाद नाह्यण, आरण्यक, उपनिषद् व जैनसूत्र तथा वौद्धपिटक हैं। इनके बाद हैं दर्शनशास्त्र। इनमें सशोधन का प्रवाह सतत चला आता है। अवेस्ता अथवा वेद तथा नाह्यणों के काल में जो अनुज्ञान-परम्परा स्वर्गप्राप्ति का साधन मानी जाती थी वह उपनिषद् आदि के समय में परिवर्तित होने लगी व धीरे-धीरे निन्दनीय मानी जाने लगी।

उपनिषदों के विचारक कहने लगे कि ये यज्ञ दूटी हुई नाव के समान हैं। जो लोग इन यज्ञों पर विश्वास रखते हैं वे बार बार जन्म मरण प्राप्त करते रहते हैं।^१ इन यज्ञों पर विश्वास रखाने वाले व रखने वाले लोगों की स्थिति अधे के नेतृत्व में चलने वाले अधो के समान होती है। वे अविद्या में निमग्न रहते हैं, अपने-आप को पढ़ित समझते हैं एवं जन्म-मरण के चक्कर में घूमते रहते हैं।^२

ये विचारक इतना ही कहकर चुप न हुए। उन्होने यहाँ तक कहा कि जिस

१ प्लवा होते अदृढा यज्ञरूपा एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्यु ते पुनरेवापि यन्ति ।

—मुड्कोपनिषद् १ २ ७ ।

२ अविद्यायामन्तरे वर्तमाना स्वय धीरा पण्डित मन्यमाना ।

दन्दम्यमाणा परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथाऽन्धा ॥

—कठोपनिषद् १ २ ५ ।

जैन श्रुत

प्रकार निवाद व लुटेरे धनिकों को जगल में ले जाकर पकड़कर गढ़े में फेंक देते। हैं एव उनका घन लूट लेते हैं उसी प्रकार अहत्विज् व पुरोहित यजमानों को गढ़े में फेंक कर (यजादि द्वारा) उनका घन लूट लेते हैं।^१ इन उल्लेखों से स्पष्ट है कि शास्त्रों का विकास निरन्तर होता आया है। जो पढ़तिर्यां पुरानी हो गई एव नये, युग व नये सशोधनों के अनुकूल न रहीं वे भिट्ठी गईं तथा उनके बजाय नवयुगा-नुकूल नवीन पढ़तिर्यां व नये विचार आते गये।

जैन परम्परा में भी यह प्रसिद्ध है कि अहंत् पाश्वर्के समय में सवस्त्र श्रमणों को परम्परा थी एव चानुर्याम धर्म था। भगवान् महावीर के समय में नया सशोधन हुआ एव अवस्थ्र श्रमणों को परम्परा को भी स्थान मिला। साथ ही साथ चार के बजाय पाच यात्र—पचयाम की प्रथा प्रारम्भ हुई। इस प्रकार श्रुत अर्थात् शास्त्र परिवर्तन की अपेक्षा से सादि भी है तथा प्रवाह की अपेक्षा से अनादि भी है।

इस प्रकार जैसे अमुक दृष्टि से वेद नित्य है, अविनाशी है, अनादि है, अनन्त है, अपीच्छेय है वैसे ही जैनशास्त्र भी अमुक अपेक्षा से नित्य है, अनादि है, अनन्त है एव अपीच्छेय है।

बौद्धों ने तो अपने पिटकों को आदि-अनादि की कोई चर्चा ही नहीं की। भगवान् बुद्ध ने लोगों से स्पष्ट कहा कि यदि आपको ऐसा मालूम हो कि इन शास्त्रों से हमारा हित होता है तो इहें मानना अन्यथा इनका आप्रह भर रखना। गमिक-अगमिक, अगप्रविष्ट-अनगप्रविष्ट व कालिक-उत्कालिक श्रुत

श्रुत की शैली की दृष्टि से गमिक व अगमिक सूत्रों में विशेषता है। श्रुत के रचयिता के भेद से अगप्रविष्ट व अनगप्रविष्ट भेद प्रतिष्ठित हैं। श्रुत के स्वाध्याय के काल की अपेक्षा से कालिक व उत्कालिक सूत्रों में अन्तर है।

गमिकश्रुत का स्वरूप समझाने हुए सूत्रकार कहते हैं कि दृष्टिवाद नामक शास्त्र गमिकश्रुतरूप है एव समस्त कालिकश्रुत अगमिकश्रुतरूप हैं।

गमिक अर्थात् 'गम' युक्त। सूत्रकार ने 'गम' का स्वरूप नहीं बताया है। चूर्णिकार एव वृत्तिकार 'गम' का स्वरूप बताते हुए कहते हैं —“इह आदि-मध्य अवसानेषु किञ्चित् विशेषत भूयोभूय तस्यैव सूत्रस्य उच्चारण गम। तत्र आदौ 'सुय मे आउसं तेण भगवाय एवमक्खाय। 'इह खलु'

^१ यथाह वा इद निवादा वा सेलगा वा पापकृतो वा वित्तवन्त पुरुषमरणे गृहोत्वा कर्त्तमन्वन्य वित्तमादाय द्रवन्ति, एवमेव ते अहत्विजो यजमान कर्त्तमन्वस्य वित्तमादाय द्रवन्ति यमेवविदो याजयन्ति।

(बावोंस परीसहा ममगेण भगवता महाकोरेण कासवेण पवेइया) इत्यादि । एव मध्य-अवमानयो अपि यथासभव द्रष्टव्यम् । गमा अस्य विद्यन्ते इति गमिकम्” (नदिवृत्ति, पृ० २०३, सू० ६४) ।

गम का अर्थ है प्रारम्भ में, मध्य में एव अन्त में किंचित् परिवर्तन के साथ पुन-पुन उसी सूत्र का उच्चारण । जिस श्रूत में ‘गम’ हो अर्थात् इस प्रकार के सदृश—समान पाठ हो वह गमिकश्रूत है ।

विशेषावश्यकभाव्य में ‘गम’ शब्द के दो अर्थ किये हैं —

भग-गणियाइ गमिय ज सरिसगम च कारणवसेण ।

गाहाइ अर्गामय खलु कालियसुय दिट्ठिवाए वा ॥५४३॥

(इस गाथा की वृत्ति में वताया गया है कि विविध प्रकार के भगो--विकल्पों का नाम ‘गम’ है । अथवा गणित—विशेष प्रकार की गणित की चर्चा का नाम ‘गम’ है । इस प्रकार के ‘गम’ जिस सूत्र में हो वह गमिकश्रूत कहलाता है)। अथवा सदृश पाठों को ‘गम’ कहते हैं । जिस सूत्र में कारणवशात् सदश पाठ आते हो वह गमिक कहलाता है ।^१ समवायाग की वृत्ति में अर्थपरिच्छेद को ‘गम’ कहा गया है । नन्दिसूत्र की वृत्ति में भी ‘गम’ का अथ अर्थपरिच्छेद ही वताया है । श्रूत अर्थात् सूत्र के प्रत्येक वाक्य में से मेघावी शिष्य जो विशिष्ट अथ प्राप्त करते हैं उसे अर्थपरिच्छेद कहते हैं । इस प्रकार जिस श्रूत में ‘गम’ आते हो उसका नाम अगमिकश्रूत है ।

उदाहरण के तौर पर वर्तमान आचाराग आदि एकादशागरूप कालिक सूत्र^२ अगमिकश्रूतान्तर्गत है^३ जबकि वारहवा अग दृष्टिवाद (लुप्त) गमिकश्रूत है ।

सारा श्रूत एक समान है, समानविषयों की चर्चा वाला है एव उसके प्रणेता आत्मार्थी त्यागी मुनि हैं । ऐसा होते हुए भी अमुक सूत्र अगरूप हैं एव अमुक अगवाह्य, ऐसा क्यो ? ‘अग’ शब्द का अथ है मुख्य एव ‘अगवाह्य’ का अथ है गौण । जिस प्रकार वेदरूप पुरुष के छन्द, ज्योतिष आदि छ अगों की कल्पना अति-प्राचीन है उसी प्रकार श्रूत अर्थात् गणिपिटकरूप पुरुष के द्वादशागों की कल्पना भी प्राचीन है । पुरुष के बारह अग कौन-कौन-से हैं, इसका निर्देश करते हुए कहा गया है —

१ गमा सदृशपाठा ते च कारणवशेन यत्र बहवो भवन्ति तद् गमिकम् ।

२ जो दिवस एव रात्रि के प्रथम तथा अन्तिम प्रहररूप काल में पढ़े जाते हैं वे कालिक कहलाते हैं ।

३ तच्च प्राय आचारादि कालिकश्रूतम्, असदृशपाठात्मकत्वात् ।

पायदुग जघा उरु गायदुगद्व तु दो य बाहू य ।

गीवा सिरं च पुरिसो वारसअगो सुयविसिद्धो ॥

—नदिवृत्ति, पृ० २०२

इस गाथा का स्पष्टीकरण करते हुए वृत्तिकार लिखते हैं — इह पुरुषस्य द्वादश अङ्गानि भवति तद्यथा—द्वी पादो, द्वे जड्धे, द्वे उरुणी, द्वे गान्धार्घे, द्वी बाहू, गीवा, शिरश्च, एव श्रुतपुरुषस्य अपि परमपुरुषस्य आचारादोनि द्वादशअङ्गानि क्रमेण वेदितव्यानि श्रुतपुरुषस्य अगेषु प्रविष्टम्—अगभावेन व्यवस्थितमित्यर्थ । यत् पुनरेतस्येत्र द्वादशाङ्गात्मकस्य श्रुतपुरुषस्य व्यतिरेकेण स्थितम्—अगवाह्यत्वेन व्यवस्थित तद् अनङ्गप्रविष्टम् ।'

इस प्रकार वृत्तिकार के धर्थनानुसार श्रुतपुरुष परमपुरुष के आचारादि वारह अगो को निम्न रूप से समझा जा सकता है —

आचार व सूत्रकृत श्रुतपुरुष के दो पैर हैं, स्थान व समवाय दो जघाएँ हैं, व्यास्त्याप्रज्ञप्ति ज्ञाताधर्मकथा दो धूटने हैं, उपासक व अतरूत दो गान्धार्घ हैं (शरीर का ऊंसी एव नीचे का भाग अथवा अगला (पेट आदि) एव पिछला (पीठ आदि) भाग गान्धार्घ कहलाता है), अनुत्तरीपातिक व प्रश्नव्याकरण दो वाहुएँ हैं, विपाकसूत्र गीवा—गर्दन हैं तथा दृष्टिवाद मस्तक है ।

तात्पर्य यह है कि आचारादि वारह अग जैनश्रुत में प्रधान हैं, विशेष प्रतिष्ठित हैं एव विशेष प्रामाण्ययुक्त हैं तथा मूल उपदेष्टा के आशय के अधिक निकट हैं जबकि अनग अर्थात् अगवाह्य सूत्र अगो की अपेक्षा गौण है, कम प्रतिष्ठा वाले हैं एव अल्प प्रामाण्ययुक्त हैं तथा सूत्र उपचेष्टा के प्रधान आशय के कम निकट हैं ।

विशेषावश्यकभाव्यकार जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण अग-अनग की विशेषता वताते हुए कहते हैं —

गणहर-च्येरक्य वा आएसा मुक्कवागरणभो वा ।

घुव-च्चलविसेसभो वा अगाणगेसु नाणर्त्त ॥९५०॥

अगश्रुत का सीधा सम्बन्ध गणधरो से है जबकि अनग—अगवाह्यश्रुत का सीधा सुम्बन्ध स्थविरो से है । अथवा गणधरो के पूछने पर तीर्थंकर ने जो वताया वह अगश्रुत है एव विना पूछे अपने-आप वताया हुआ श्रुत अगवाह्य है । अथवा जो श्रुत सदा एकरूप है वह अगश्रुत है तथा जो श्रुत परिवर्तित अर्थात् न्यूनाधिक होता रहता है वह अगवाह्यश्रुत है । इस प्रकार स्वयं भाव्यकार ने भी अगवाह्य को अपेक्षा अगश्रुत की प्रतिष्ठा कुछ विशेष ही वताई है ।

ऐसा प्रतीत होता है कि जिम भगव श्रमणसच में किम शास्त्र को विशेष महत्त्व दिया जाय व किम शास्त्र को विशेष महत्त्व न दिया जाय, यह प्रश्न उठ सब उसके भमाधान के लिए समन्वयप्रिय थागमिक भाष्यकार ने एक भाय उपयुक्त तीन विशेषताएँ बताकर समस्त शास्त्रों की एव उन शास्त्रों को मानने वालों की प्रतिष्ठा सुरक्षित रखी। ऐसा होते हुए भी अग एव अगवाह्य का भेद तो बना ही रहा एव अगवाह्य सूत्रों की अपेक्षा अगों की प्रतिष्ठा भी विशेष ही रही।

वर्तमान में जो अग एव उपागरूप भेद प्रचलित है वह अति प्राचीन नहीं है। यद्यपि 'उपाग' शब्द चूर्णियों एव तत्त्वार्थभाष्य जितना प्राचीन है तथापि अमुक अग का अमुक उपाग है, ऐसा भेद उतना प्राचीन प्रतीत नहीं होता। यदि अगो-पागरूप भेद विशेष प्राचीन होता तो नदीसूत्र में इसका उल्लेख अवश्य मिलता। इससे स्पष्ट है कि नन्दी के समय में थ्रुत का अग व उपागरूप भेद करने की प्रथा न थी अपितु अग व अनग अर्थात् अगप्रविष्ट व अगवाह्यरूप भेद करने की परिपाटी थी। इतना ही नहीं, नदीसूत्रकार ने तो वर्तमान में प्रचलित समस्त उपागों को 'प्रकीर्णक' शब्द से भी सम्बोधित किया है।

उपागों के वर्तमान क्रम में पहले औपपातिक आता है, बाद में राजप्रश्नीय आदि, जबकि तत्त्वार्थवृत्तिकार हरिभद्रसूरि तथा सिद्धसेनसूरि के उल्लेखानुसार (अ० १, सू० २०) पहले राजप्रसेनकीय (वर्तमान राजप्रश्नीय) व बाद में औपपातिक आदि आते हैं। इससे प्रतीत होता है कि इस समय तक उपागों का वर्तमान क्रम निश्चित नहीं हुआ था।

नदीसूत्र में निर्दिष्ट अगवाह्य कालिक एव उत्कालिक शास्त्रों में वर्तमान में प्रचलित उपागरूप समस्त ग्रन्थों का समावेश किया गया है। कुछ उपाग कालिक श्रुतान्तर्गत हैं व कुछ उत्कालिक श्रुतान्तर्गत।

उपागों के क्रम के विषय में विचार करने पर मालूम होता है कि यह क्रम अगों के क्रम से सम्बद्ध नहीं है। जो विषय अग में हो उसी से सम्बन्धित विषय उसके उपाग में भी हो तो उस अग और उपाग का पारस्परिक सम्बन्ध दैठ सकता है। किन्तु बात ऐसी नहीं है। पठ अग ज्ञातवर्षकथा का उपाग जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति कहा जाता है एव सप्तम अग उपासकदशा का उपाग चन्द्रप्रज्ञप्ति कहा जाता है जबकि इनके विषयों में कोई समानता अथवा सामर्जस्य नहीं है। यही बात अन्य अगोपागों के विषय में भी कही जा सकती है। इस प्रकार बारह अगों का उनके उपागों के साथ कोई विषयैक्य प्रतीत नहीं होता।

एक बात यह है कि उपाग व अगवाह्य इन दोनों शब्दों के अर्थ में बड़ा अन्तर अगवाह्य शब्द से ऐसा आभास होता है कि इन सूत्रों का सम्बन्ध अगों के

साथ नहीं है अथवा बहुत कम है जब कि उपाग शब्द अगो के साथ सीधा सम्बद्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि अगवाहो की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये अथवा अग के समकक्ष उनके प्रामाण्यस्थापन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किसी गीतार्थ ने इन्हें उपाग नाम से सम्बोधित करना प्रारम्भ किया होगा।

दूसरी बात यह है कि अगो के साथ सम्बन्ध रखने वाले दशवैकालिक, उत्तरा-ध्ययन आदि सूत्रों को उपागो में न रख कर औपपातिक से उपागो की शुरुआत करने का कोई कारण भी नहीं दिया गया है। सम्भव है कि दशवैकालिक आदि विशेष प्राचीन होने के कारण अगवाहा होते हुए भी प्रामाण्ययुक्त रहे हों एवं औपपातिक आदि के विषय में एतद्विषयक कोई विवाद खड़ा हुआ हो और इसी-लिए इन्हें उपाग के रूप में माना जाने लगा हो।

एक बात यह भी है कि ये औपपातिक, राजप्रश्नीय, जीवाभिगम, प्रज्ञापना आदि ग्रन्थ देवधिगणिक्षमाश्रमण के सम्मुख थे ही और इसलिए उन्होंने अगसूत्रों में जहाँ-तहाँ 'जहा उववाइओ, जहा पञ्चवणाओ, जहा जीवाभिगमे' इत्यादि पाठ दिये हैं। ऐसा होते हुए भी 'जहा उववाइओउवागे, जहा पञ्चवणा-उवागे' इस प्रकार उपाग 'शब्दयुक्त कोई पाठ नहीं मिलता। इससे अनुमान होता है कि कदाचित् देवधिगणिक्षमाश्रमण के बाद ही इन ग्रन्थों को उपाग कहने का प्रयत्न हुआ हो। श्रूत का यह सामान्य परिचय प्रस्तुत प्रयोजन के लिए पर्याप्त है।



अंग ग्रन्थों का बाह्य परिचय

आगमों की प्रत्येक दल
अचेलक परम्परा में अग्विषयक उल्लेख
अगों पा बाला स्प
नाम-निर्देश
आचारादि छगों में नामों पा अर्थ
अगों पा पद-परिमाण
पद पा अर्थ
अगों का क्रम
अगों की दैसी क भाषा
प्रकरणों का विषयनिर्देश
परम्परा का आधार
परमर्तों का उल्लेख
विषय-क्षेत्रिक्षय
जैन परम्परा का लक्ष्य

द्वितीय प्रकरण

अंग अन्थों का बाह्य परिचय

सर्वप्रथम अग्रग्रथो के बाह्य तथा अतरंग परिचय से थया अभिप्रेत है, यह स्पष्टीकरण आवश्यक है। अगो के नामो का अर्थ, अगो का पदपरिणाम अथवा श्लोकपरिणाम, अगो का क्रम, अगो की शैली तथा भाषा, प्रकरणों का विषय-निर्देश, विषयविवेचन की पढ़ति, बाचनावैविषय इत्यादि की समीक्षा बाह्य परिचय में रखी गई है। अगो में चचित स्वसिद्धान्त तथा परसिद्धान्तमन्वन्धी तथ्य, उनकी विशेष समीक्षा, उनका पृथक्करण, तन्निष्पत्ति ऐतिहासिक अनुसंधान, सदन्तरंगत विशिष्ट शब्दों का विवेचन इत्यादि बातें अतरंग परिचय में समाविष्ट हैं।

आगमों की ग्रन्थवद्धना १

जैनसंघ की मुह्य दो परम्पराएँ हैं 'अचेलक परम्परा व सचेलक परम्परा'। दोनों परम्पराएँ यह मानती हैं कि आगमों के अध्ययन-अध्यापन की परम्परा अवण्ड रूप में कायम न रही। दुष्काल आदि के कारण आगम अक्षरशः सुरक्षित न रखे जा सके। आगमों में बाचनाभेद—पाठभेद वरावर बढ़ते गये। सचेलक परम्परा द्वारा मान्य आगमों को जब पुस्तकारूढ़ किया गया तब श्रमणसंघ ने एकत्र होकर जो माथुरी बाचना मान्य रखी वह ग्रन्थवद्ध की गई, साथ ही उपर्युक्त बाचनाभेद अथवा पाठभेद भी लिये गये। अचेलक परम्परा के आचार्य धरसेन, यतिवृषभ, कुदकुद, भट्ट अकलक आदि ने इन पुस्तकारूढ़ आगमों अथवा इनसे पूर्व के उपलब्ध आगमों के आशय को ध्यान में रखते हुए नवीन साहित्य का संजन किया। आचार्य कुदकुदरचित्र साहित्य में आचारापाहुड, सुत्तापाहुड, स्थानपाहुड, समवायपाहुड आदि पाहुडार्थ ग्रन्थों का समावेश किया जाता है। इन पाहुडों के नाम सुनने से आचाराग, सूत्रकृताग, स्थानाग, समवायाग आदि की स्मृति हो आती है। आचार्य कुदकुद ने उपर्युक्त पाहुडों की रचना इन अर्गों के आधार से की प्रतीत होती है। इसी प्रकार पट्टखण्डागम, जयधवला, महाधवला आदि ग्रन्थ भी उन्नचन आचार्यों ने आचाराग से लेकर दूष्टिवाद तक के आगमों के आधार से बनाये हैं। इनमें स्थान-स्थान पर परिकर्म आदि का निर्देश किया

१ यहाँ अचेलक शब्द दिग्गम्बरपरम्परा के लिए और सचेलक शब्द द्वेताम्बर-परम्परा के लिए प्रयुक्त है। ये ही प्राचीन शब्द हैं जिनसे इन दोनों परम्पराओं का प्राचीन काल में वोष होता था।

ने अथवा उनकी भाँति अचेलक परम्परा के अन्य किन्ही महात्माओं ने अग आदि-सूत्रों पर वृत्तियां आदि लिखी हो जो उपलब्ध न हो। इस विषय में विशेष अनुसंधान की आवश्यकता है।

सचेलक परम्परा में अगों की नियुक्तियाँ, भाष्य, चूणियाँ, अवचूणियाँ, वृत्तियाँ, ट्वे आदि उपलब्ध हैं। इनसे अगों के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त होती है।

अगों का बाह्य रूप :

अगों के बाह्य रूप का प्रथम पहलू है अगों का श्लोकपरिमाण अथवा पद-परिमाण। ग्रन्थों की प्रतिलिपि करने वाले लेखक अपना पारिश्रमिक श्लोकों की सख्त्या पर निर्धारित करते हैं। इसलिए वे अपने लिखे हुए ग्रन्थ के अन्त में 'ग्रन्थाग्र' शब्द द्वारा श्लोक-सख्त्या का निर्देश अवश्य कर देते हैं। अथवा कुछ प्राचीन ग्रन्थकार स्वयमेव अपने ग्रन्थ के अन्त में उसके श्लोकपरिमाण का उल्लेख कर देते हैं। ग्रन्थ पूर्णतया सुरक्षित रहा है अथवा नहीं, वह किसी कारण से त्वणित तो नहीं हो गया है अथवा उसमें किसी प्रकार की वृद्धि तो नहीं हुई है—इत्यादि वातें जानने में यह प्रथा अति उपयोगी है। इससे लिपि-लेखकों को पारिश्रमिक देने में भी सरलता होती है। एक श्लोक बत्तीस अक्षरों का मान कर श्लोकसख्त्या बताई जाती है, फिर चाहे रचना गद्य में ही क्यों न हो! वर्तमान में उपलब्ध अगों के अन्त में स्वयं ग्रन्थकारों ने कहीं भी श्लोकपरिमाण नहीं बताया है। अतः यह मानना चाहिए कि यह सख्त्या किन्ही अन्य ग्रन्थप्रेमियों अथवा उनकी नकल करने वालों ने लिखी होगी।

अपने ग्रन्थ में कौन-कौन से विषय चर्चित हैं, इसका ज्ञान पाठक को प्रारम्भ में ही हो जाय, इस दृष्टि से प्राचीन ग्रन्थकार कुछ ग्रन्थों अथवा ग्रन्थगत प्रकरणों के प्रारम्भ में सग्रहणी गाथाएँ देते हैं किन्तु यह कहना कठिन है कि अगगत वैसी गाथाएँ खुद ग्रन्थकारों ने बनाई हैं अथवा अन्य किन्ही सग्रहकों ने।

कुछ अगों की नियुक्तियों में उनके कितने अध्ययन हैं एव उन अध्ययनों के नाम हैं, यह भी बताया गया है। इनमें ग्रन्थ के विषय का निर्देश करने वाली कुछ सग्रहणी गाथाएँ भी उपलब्ध होती हैं।

समवायाग व नन्दीसूत्र में जहाँ आचाराग आदि का परिचय दिया हुआ है वहाँ अगों की सग्रहणीयाँ अनेक हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है। यह 'सग्रहणी' शब्द विषयनिर्देशक गाथाओं के अर्थ में विवक्षित हो तो यह मानना चाहिए कि जहाँ-जहाँ 'सग्रहणीया अनेक है' यह बताया गया है वहाँ-वहाँ उन-उन सूत्रों के विषय-निर्देश अनेक प्रकार के हैं, यही बताया गया है। अथवा इससे यह समझना

चाहिए कि आचारागादि का परिचय सक्षेप-विम्तार मे अनेक प्रकार से दिया जा सकता है। यहाँ यह स्मरण रखना आवश्यक है कि विषय-निर्देश भले ही भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा अथवा भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा विविध ढग से किया गया हो किन्तु उसमें कोई मीलिक भेद नहीं है।

अचेलक व सचेलक दोनों परम्पराओं के ग्रन्थों मे जहाँ अगो का परिचय आता है वहाँ उनके विषय तथा पद-परिमाण या निर्देश करने वाले उल्लेख उपलब्ध होते हैं। अगो का ग्रन्थाग्र अर्थात् श्लोकपरिमाण कितना है, यह अब देखें। वृह-ट्रिप्पनिका नामक एक प्राचीन जैनग्रन्थसंचो उपलब्ध है। यह आज से लगभग चार सौ वर्ष पूर्व लिखी गई मालूम होती है। इसमें विविध विषय वाल अनेक ग्रन्थों की श्लोकसंख्या बताई गई है, साथ ही लेखनसमय व ग्रन्थलेखक का भी निर्देश किया गया है। ग्रन्थ सबृत्तिक है अथवा नहो, जैन है अथवा अजैन, ग्रन्थ पर अन्य कितनी वृत्तियाँ हैं, आदि वातें भी इसमें मिलती हैं। अगविषयक जो कुछ जानकारी इसमें दी गई है उसका कुछ उपयोगी साराश नीचे दिया जाता है' —

आचाराग—श्लोकग्रन्था २५२५, सूत्रकृताग—श्लोकसंख्या २१००, स्थानाग—श्लोकमस्त्या ३६००, समवायाग—श्लोकसंख्या १६६७, भगवती (व्यास्थाप्रज्ञप्ति)—श्लोकसंख्या १५७५२ (इकतालीस शतकयुक्त), ज्ञातधर्मकथा—श्लोकमस्त्या ५४००, उपासकदशा—श्लोकसंख्या ८१२, अतकृद्दशा—श्लोकसंख्या ८९९, अनुत्तरोपपातिकदशा—श्लोकसंख्या १९२, प्रश्नव्याकरण—श्लोकसंख्या १२५६, विषयकसूत्र—श्लोकसंख्या १२१६, समस्त अगो की श्लोकसंख्या ३५३३९।

नाम-निर्देश .

तत्त्वाथमूल के भाष्य में केवल अगो के नामों का उल्लेख है। इसमें पाचवें अग का नाम 'भगवती' न देते हुए 'व्यास्थाप्रज्ञप्ति' दिया गया है। बारहवें अग का भी नामोल्लेख किया गया है।

अचेलक परम्पराभिमत पूज्यपादकृत सर्वार्थसिद्धि नामक तत्त्वार्थवृत्ति में अगो के जो नाम दिये हैं उनमें थोड़ा अन्तर है। इसमें ज्ञातधर्मकथा के बजाय ज्ञातृ-धर्मकथा, उपासकदशा के बजाय उपासकाध्ययन, अतकृद्दशा के बजाय अतकृद्दशम् एव अनुत्तरोपपातिकदशा के बजाय अनुत्तरोपपादिकदशम् नाम है। दृष्टिवाद के भेदरूप पाँच नाम बताये हैं परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूवगत एव चूलिका। इनमें से पूर्वगत के भेदरूप चौदह नाम इस प्रकार हैं १ उत्पादपूव, २ अग्रायणीय, ३. वीर्यानुप्रवाद, ४ अस्तिनास्तिप्रवाद, ५ ज्ञानप्रवाद, ६ सत्यप्रवाद,

७ लात्मप्रवाद, ८ कर्मप्रवाद, ९ प्रत्यार्थ्यान, १० विज्ञानप्रवाद, ११ कल्पाणि,
१२ प्राणाधार्य, १३ किषाणिगाल, १४ लोकविद्वन्मार ।

इसी प्रकार अकलकृत तत्त्वार्थाज्ञातिक में फिर पौष्टि परिवर्तन है ।
इसमें अन्तहृदाम् एव अनुत्तरोपपादिकरणम् के स्थान पर फिर अन्तहृदा एव
अनुत्तरोपपादिकरणा का प्रयोग हुआ है ।

भूतनामरकृत वृत्ति में शान्तर्मांश्या के स्थान पर देवठ शान्तक्षया का प्रयोग
है । इसमें अन्तहृदाम् एव अनुत्तरोपपादिकरणम् नाम मिलते हैं ।

गोम्बटमार नामक प्रन्थ में द्वितीय अनु गता नाम सुदृश्य है, पचम अनु ना
नाम विवाहणति है, पठ्ठ अनु वा नाम नाहस्य घम्भेहा है, पठ्ठम अनु का
नाम अन्तव्यदासा है ।

जगदण्णति नामक प्रन्थ में द्वितीय अंग का नाम तूदयष्टि, पचम अनु का नाम
दिवायपञ्चति (अन्तहृतम् 'दिवायपञ्चति' शिरा हुक्षा है) एव पठ्ठ अनु वा
नाम नाहस्यम्भवा है । दृष्टिवाद के गम्बन्ध में एहा गता है कि इसमें ३६३ दृष्टियों
मा तिनाँरक्ष किया गया है । साप ही दिवायाद, अक्षियायाद, अशानयाद एव
विनययाद के अनुरायियों दे सूख्य-मूर्ख नाम भी दिये गये हैं । ये सब नाम
प्राप्त हैं । राजवातिक में भी इसी प्रकार के नाम बताये गये हैं । यहाँ ये
सब छन्दृत में हैं । इन दोनों स्थानों के नामों में पुष्टि पुष्टि अन्तर ब्धा गया है ।

इस प्रकार दोनों परम्पराओं में अगों के जो नाम बताये गये हैं उनमें पौर्व
दिवीप अत्तर शिराई नहीं देता । नरेन्द्र परम्परा के समवायांग, नर्दीमूत्र एव
पाक्षिक्यत्रुद में अगों के जो नाम आये हैं उकाक उत्तरेण परते के बाद दोनों
परम्पराओं के प्रन्थों में प्रसिद्ध हर गव नामों में जो पुष्टि परिवर्त्ता हुआ है उसकी
चर्चा की जाएगी । भमवायाग आदि में ये नाम इस प्रकार हैं —

१. भमवायाग	२. नन्दीसूत्र	३. पाक्षिक्यसूत्र	४. तत्त्वार्थगाय
(प्रापृत)	(प्रापृत)	(प्रापृत)	(सम्पृत)
१ आयारे	आयारो	आयारो	आचार
२ नूयगदे	मूयगदो	मूयगदो	सूत्रहृतम्
३ ठाण	ठाण	ठाण	स्वानम्
४ भमवाभो, भमाग	भमवाभो, भमाए	भमवाभो, भमाए	भमवाय
५ विवाहपन्नती	विवाहपन्नती	विवाहपन्नती	
विवाहे	विवाहे	विवाहे	व्यास्याप्रशस्ति
६ णायाधम्म-	णायाधम्म-	णायाधम्म-	
फहाओ	फहाओ	फहाओ	ज्ञातधर्मकथा

७ उवासगदसाओ	उवासगदसाओ	उवासगदसाओ	उपासकाध्ययनदशा
८ अन्तगडदसाओ	अन्तगडदसाओ	अन्तगडदसाओ	अन्तकृदशा
९ अणुत्तरोववाइय-	अणुत्तरोववाइय-	अणुत्तरोववाइय-	अनुत्तरोपपातिक-
दसाओ	दसाओ	दसाओ	दशा
१० पण्हावागरणाइ	पण्हावागरणाइ	पण्हावागरणाइ	प्रश्नव्याकरणम्
११ विवागसुअ	विवागसुअ	विवागसुअ	विपाकश्रुतम्
१२. दिट्ठिवाओ	दिट्ठिवाओ	दिट्ठिवाओ	दृष्टिपात

इन नामों में कोई विशेष भेद नहीं है। जो घोड़ा भेद दिवाई देता है वह केवल विभक्ति के प्रत्यय अथवा एकवचन-बहुवचन का है।

पचम अग का स्फूर्त नाम व्याख्याप्रज्ञप्ति है। इसे देखते हुए उसका प्राकृत नाम वियाहपन्नति होना चाहिए जबकि सर्वत्र प्राय वियाहपन्नति रूप ही देखने को मिलता है। प्रतिलिपि-लेखकों की असावधानी व अर्थ के अज्ञान के कारण ही ऐसा हुआ भालूम होता है। अति प्राचीन ग्रन्थों में वियाहपन्नति रूप मिलता भी है जो कि व्याख्याप्रज्ञप्ति का शुद्ध प्राकृत रूप है।

स्फूर्त ज्ञातधर्मकथा व प्राकृत नायाघम्मकहा अथवा णायाघम्मकहा में कोई अन्तर नहीं है। 'ज्ञात' का प्राकृत में 'नाय' होता है एव समास में 'दीर्घहस्ती मिथो वृत्ती' (८ १४—हेमप्राप्त्या०) इस नियम द्वारा 'नाय' के हस्त 'य' का दीर्घ 'या' होने पर 'नाय' हो जाता है। अचेलक परम्परा में नायाघम्मकहा के वजाय ज्ञातधर्मकथा, ज्ञातकथा, नाहस्सघम्मकहा, नाहधम्मकहा आदि नाम प्रचलित हैं। इन शब्दों में नाममात्र का अर्थभेद है। ज्ञातधर्मकथा अथवा ज्ञाताधर्मकथा का अर्थ है जिनमें ज्ञात अर्थात् उदाहरण प्रधान हो ऐसी धमकथाएँ। अथवा जिस ग्रन्थ में ज्ञातो वाली अर्थात् उदाहरणों वाली एव धर्मवाली कथाएँ हो वह ज्ञाताधर्मकथा है। ज्ञातधर्मकथा का अर्थ है जिसमें ज्ञात अर्थात् ज्ञाता अथवा ज्ञातवश के भगवान् महावीर द्वारा कही हुई धर्मकथाएँ हो वह ग्रन्थ। यही अर्थ ज्ञातकथा को भी है। नाहस्सघम्मकहा अथवा नाहवम्मकहा भी नायाघम्मकहा का ही एक रूप मालूम होता है। उच्चारण की गडवडी व लिपिलेख के प्रमाद के कारण 'नाय' शब्द 'नाह' के रूप में परिणत हो गया प्रतीत होता है। भगवान् महावीर के वश का नाम नाय-नात-ज्ञात है। ज्ञातवशोत्पन्न भगवान् महावीर द्वारा प्रतिपादित धर्मकथाओं के आधार पर भी ज्ञातधर्मकथा आदि नाम कलित किये जा सकते हैं।

द्वितीय अग का स्फूर्त नाम सूत्रङ्कृत है। राजवार्तिक आदि में भी इसी नाम का निर्देश है। ध्वला एव जयध्वला में सूदयद, गोम्मटसार में सुद्युष तथा

अगपण्णति में सूदयड नाम मिलते हैं। सचेलक परम्परा में सुत्तगड अथवा सूद्यगड नाम का उल्लेख मिलता है। इन सब नामों में कोई अन्तर नहीं है। केवल शीरसेनी भाषा के चिह्न के रूप में अचेलक परम्परा में 'त' अथवा 'त्त' के बजाय 'द' अथवा 'द्द' का प्रयोग हुआ है।

पचम अग का नाम घटला व जयधवला में वियाहपण्णति तथा गोम्मटमार में विवादपण्णति है जो नस्फृतस्त्र्य व्यास्त्याप्रज्ञति का ही व्यापान्तर है। अग-पण्णति में विवायपण्णति अथवा विवागपण्णति नाम बदाया गया है एव छाया में विवाकप्रज्ञति शब्द रचा गया है। इनमें मुद्रण की अशुद्धि प्रतीत होती है। मूल में वियाहपण्णति होना चाहिए। ऐसा होने पर छाया में व्यास्त्याप्रज्ञति रखना चाहिए। यहाँ भी आदि पद 'वियाह' के स्पान पर असाधारणी के कारण 'विवाय' हो गया प्रतीत होता है। सचेलक परम्परा में गशृत में व्यास्त्याप्रज्ञति एव प्राकृत में वियाहपण्णति नुप्रभिद्ध है। पचम अग का यही नाम ठीक है। ऐसा होते हुए भी वृत्तिकार अभ्यदेवमूरि ने वियाहपण्णति व वियाहपण्णति नाम स्वीकार किए हैं एव वियाहपण्णति का अर्थ त्रिया है वियाहप्रज्ञति अर्थात् ज्ञान के विविध प्रवाहों की प्रज्ञति अंग वियाहपण्णति वा अथ त्रिया है वियाहप्रज्ञति अर्थात् त्रिना वाधा वाली—प्रमाणनिद्र प्रज्ञति। श्री अभ्यदेव को वियाहपण्णति, वियाहपण्णति एव वियाहण्णति—ये तीन पाठ मिले मालूम होते हैं। इनमें से वियाहपण्णति पाठ ठीक है। दोष दो प्रतिलिपि-लेखन की वृष्टि के परिणाममय है।

आचारादि अंगों के नामों का अर्थ

आयार—प्रथम अग का आचार—आयार नाम तदगत विषय के अनुस्त्रा ही है। इसके प्रथम विनाग में आतरिक व वाह्य दोनों प्रकार के आधार की चर्चा है।

सुत्तगड—सूत्रवृत्त का एक अर्थ है मूर्त्रों द्वारा अर्थात् प्राचीन सूत्रों के आधार से बनाया हुआ अथवा संक्षिप्त सूत्रों—वाष्पों द्वारा बनाया हुआ। इसका दूसरा अर्थ है सूचना द्वारा अर्थात् प्राचीन भचनाओं के आधार पर बनाया हुआ। इस नाम से ग्रन्थ के विषय का स्पष्ट पना नहीं उग सकता। इससे इसकी रचनापद्धति का पता अवश्य लगता है।

ठाण—स्थान व समवाय नाम आचार की भाँति स्फुटार्थक नहीं कि जिन्हें मुनते ही अर्थ की प्रतीति हो जाय। जैन माधुब्रों की सद्व्याके लिए 'ठाण' शब्द जैन परम्परा में सुप्रचलित है। यहाँ कितने 'ठाणे' हैं? इस प्रकार के प्रश्न का अर्थ सब जैन समझते हैं। इस प्रश्न में प्रयुक्त 'ठाणा' के अर्थ की ही भाँति तृतीय अग 'ठाण' का भी अर्थ सद्व्या ही है। 'समवाय' नाम की भी यही स्थिति है। इस नाम से यह प्रकट होता है कि इसमें बड़ी सद्व्या का समवाय है। इस प्रकार

ठाण नामक तृतीय अग जैन तत्त्व-सख्या का निरूपण करने वाला है एवं समवाय नामक चतुर्थ अग जैन तत्त्व के समवाय का अर्थात् बड़ी सख्या वाले तत्त्व का निरूपण करने वाला है ।

वियाहपण्णति—व्याख्याप्रक्षेपिति नामक पचम अग का अर्थ ऊपर बताया जा चुका है । यह नाम ग्रन्थगत विषय के अनुरूप है ।

णायाघम्मकहा—ज्ञातघमकथा नाम कथादूचक है, यह नाम से स्पष्ट है । इस कथाग्रन्थ के विषय में भी ऊपर कहा जा चुका है ।

उवासगदसा—उपासकदशा नाम से यह प्रकट होता है कि यह अग उपासको से सम्बन्धित है । जैन परिभाषा में 'उपासक' शब्द जैनघमनीयादी श्रावको—गृहस्थो के लिए रूढ़ है । उपासक के साथ जो 'दशा' शब्द जुड़ा हुआ है वह दशा—दस सख्या का सूचक है अथवा दशा—अवस्था का दोतक भी हो सकता है । यहाँ दोनो अर्थ समानरूप से सगत हैं । उपासकदशा नामक सप्तम अग में दस उपासकों की दशा का वर्णन है ।

अतगङ्गदसा—जिन्होने आध्यात्मिक साधना द्वारा राग-द्वेष का अन्त किया है तथा मुक्ति प्राप्त की है वे अन्तकृत हैं । उनसे सम्बन्धित शास्त्र का नाम अतगङ्गदसा—अतकृतदशा है । इम प्रकार अष्टम अग का अतकृतदशा नाम सार्थक है ।

अनुत्तरोववाइयदसा—इसी प्रकार अनुत्तरोपपात्रिकदशा अथवा अनुत्तरोपपादिकदशा नाम भी सार्थक है । जैन मान्यता के अनुसार स्वग में बहुत ऊँचा अनुत्तरविमान नामक एक देवलोक है । इस विमान में जन्म ग्रहण करने वाले तपस्वियों का वृत्तान्त इम अनुत्तरोपपात्रिकदशा नामक नवम अग में उपलब्ध है । इसका 'दशा' शब्द भी सख्यादाचक व अवस्थादाचक दोनो प्रकार का है । ऊपर जो औपपात्रिक व औपपादिक ये दो शब्द आये हैं उन दोनों का अर्थ एक ही है । जैन व बौद्ध दोनो परम्पराओं में उपपात्र अथवा उपपाद का प्रयोग देवों व नारकों के जन्म के लिए हुआ है ।

पण्डावागरणाइ—प्रश्नव्याकरण नाम के प्रारभ का 'प्रश्न' शब्द सामान्य प्रश्न के अर्थ में नहीं अपितु ज्योतिषशास्त्र, निमित्तशास्त्र आदि से सम्बन्धित अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । इस प्रकार के प्रश्नों का व्याकरण जिसमें किया गया हो उसका नाम प्रश्नव्याकरण है । उपलब्ध प्रश्नव्याकरण के विषयों को देखते हुए यह नाम साथक प्रतीत नहीं होता । प्रश्न का सामान्य अर्थ चर्चा किया जाय अर्थात् हिंसा-अहिंसा, सत्य-असत्य आदि से सम्बन्धित चर्चा के अर्थ में प्रश्न शब्द लिया जाय तो वतमान प्रश्नव्याकरण सार्थक नाम वाला कहा जा सकता है ।

विवागसुय—भारहवें अंग का नाम है विपाकश्रुत, विपाकसूत्र, विवागसुअ, विवागसुय अथवा विवागसुत् । ये सब नाम एकार्थक एव समान हैं । विपाक शब्द का प्रयोग पातजल योगदर्शन एव चिकित्साशास्त्र में भी हुआ है । चिकित्साशास्त्र का विपाक शब्द खानपान इत्यादि के विपाक का सूचक है । यहाँ विपाक का यह अर्थ न लेते हुए आध्यात्मिक अर्थ लेना चाहिए अर्थात् सदसत् प्रवृत्ति द्वारा होने वाले आध्यात्मिक सस्कार के परिणाम का नाम ही विपाक है । पापप्रवृत्ति का परिणाम पापविपाक है एव पुण्यप्रवृत्ति का परिणाम पुण्यविपाक है । प्रत्युत्त अग का विपाकश्रुत नाम सार्थक है क्योंकि इसमें इस प्रकार के विपाक को भोगने वाले लोगों को कथाओं का सग्रह है ।

दिट्ठिवाय—चारहवा अग दृष्टिवाद के नाम से प्रसिद्ध है । यह अभी उपलब्ध नहीं है । अत इसके वियों का हमें ठीक-ठीक पता नहीं है । दृष्टि का अर्थ है दर्शन और वाद का अर्थ है चर्चा । इस प्रकार दृष्टिवाद का शब्दार्थ होता है दर्शनों की चर्चा । इस अग में प्रधानतया दार्शनिक चर्चाएँ रही होगी, ऐसा ग्रन्थ नाम से प्रतीत होता है । इसके पूर्वगत विभाग में चौदह पूर्व समाविष्ट है जिनके नाम पहले गिनाये जा चुके हैं । इन पूर्वों को लिखने में कितनी स्याही खर्च हुई हूँड़ होगी, इसका अदाज लगाने के लिए सचेलक परम्परा में एक मजेदार कल्पना की गई है । कल्पसूत्र के अर्वाचीन वृत्तिकार कहते हैं कि प्रथम पूर्व को लिखने के लिए एक हाथी के वजन जितनी स्याही चाहिए द्वितीय पूर्व को लिखने के लिए दो हाथियों के वजन जितनी, तृतीय के लिए चार हाथियों के वजन जितनी, चतुर्थ के लिए आठ हाथियों के वजन जितनी, इस प्रकार उत्तरोत्तर दुगुनी-दुगुनी करते-करते अतिम पूर्व को लिखने के लिए आठ हजार एक सौ बानवे हाथियों के वजन जितनी स्याही चाहिए ।

कुछ मुनियों ने ग्यारह अगों तथा चौदह पूर्वों का अध्ययन केवल वारह वर्ष में किया है, ऐसा उल्लेख व्याख्याप्रज्ञप्ति में आता है । इतना विशाल साहित्य इतने अल्प समय में कैसे पढ़ा गया होगा? यह एक विचारणीय प्रश्न है । इसे ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त कल्पना को महिमावर्धक व अतिशयोक्तिपूर्ण कहना अनुचित न होगा । इतना अवश्य है कि पूर्वगत साहित्य का परिमाण काफी विशाल रहा है ।

स्थानागसूत्र में^१ वारहवें अग के दस पर्यायवाची नाम दत्ताये हैं १ दृष्टि-वाद, २ हेतुवाद, ३ भूतवाद, ४ तथ्यवाद, ५ सम्प्रवाद, ६ धर्मवाद ७ भाषाविचय अथवा भाषाविजय, ८ पूर्वगत, ९ अनुयोगगत और १० सर्वजीव-

१ स्थानाग, १०.७४२

अंग ग्रन्थो का बाह्य परिचय

२७

तालिका—१

सचेलक परम्परा

भारह अग

१ अग का नाम	२ समवायागत	३ नन्दितपदसख्या	४ समवायाग-वृत्ति	५ नन्दितवृत्ति
१ आचाराग	आठारह हजार पद	आठारह हजार पद	आठारह हजार पद	नन्दी के वृत्तिकार ने सब समवायाग की वृत्ति के अनुसार ही लिखा है।
२ पदसख्या				नन्दी में इसके समर्थन में नन्दी सुन की छूणि का पाठ दिया है।
३ सुन्धूतसख्या				
४ सुन्धूतसख्या				नन्दी के मूल के अनुसार ही
५ स्थानाग				नन्दी के मूल के अनुसार ही
६ समवायाग				नन्दी के मूल के अनुसार ही
७ व्याख्याप्रक्रिटि				नन्दी के मूल के अनुसार ही

१ अग का नाम २ समवायागत ३ नन्दितपदसख्या ४ समवायाग-वृत्ति

पदसख्या

छत्तीस हजार पद

बहतर हजार पद

एक लाख चौका-

लीप हजार पद

चौरासी हजार पद

लीप हजार पद

दो लाख अठासी

हजार पद

समवायाग के मूल के अनुसार ही

६ जीताधर्मकथा	सख्ये हजार पद	सख्ये हजार पद	पाच लाख छिह्नतर हजार पद अथवा समवयाग की वृत्ति के अनुसार ही सब समझना चाहिए । विशेषतया
७ उपासकदशा	सख्ये लाख पद	सख्ये हजार पद	सख्ये हजार पद अथवा सूक्ष्मालापकरूप सख्ये हजार पद उपसर्गपद, निपातपद, नामिकपद, आरूपातपद एवं मिश्रपद की अपेक्षा से पाच लाख छिह्नतर हजार पद समझते चाहिए ।
८ अतकुद्दशा	सख्ये हजार पद	सख्ये हजार पद	गारह लाख बाबन हजार पद अथवा सूक्ष्मालापकरूप सख्ये हजार पद
९ अनुत्तरोप-प्रतिकदशा	सख्ये लाख पद	सख्ये हजार पद	तेईस लाख चार हजार पद लाख चार हजार पद छियालीस लाख आठ हजार पद
१० प्रस्तवाधर्मकरण	सख्ये लाख पद	सख्ये हजार पद	बाबने लाख सोलह हजार पद
११ विपाकसूत्र	सख्ये लाख पद	सख्ये हजार पद	एक करोड़ चौरासी लाख बत्तीस हजार पद

तालिका—२

सचेलक परम्परा

बारहवें अग दृष्टिवाद के चौदह पूर्व

१ पूर्व का नाम	२. समवायाग-	३ नदिगत	४ समवा-	५ नदि-वृत्ति
	गत पदसख्या	पदसख्या	याग-वृत्ति	
१ उत्पाद	×	×	एक करोड़ पद	एक करोड़ पद
२ अग्रायणीय	×	×	छियानवे लाख पद	छियानवे लाख पद
३ वीर्य प्रवाद	×	×	सत्तर लाख पद	सत्तर लाख पद
४ अस्ति- नास्ति- प्रवाद	×	×	साठ लाख पद	साठ लाख पद
५ ज्ञानप्रवाद	×	×	एक कम एक करोड़ पद	एक कम एक करोड़ पद
६ सत्यप्रवाद	×	×	एक करोड़ ७ पद	एक करोड़ ७ पद
७ आत्मप्रवाद	×	×	छब्बीस करोड़ पद	छब्बीस करोड़ पद
८ कर्मप्रवाद	×	×	एक करोड़ असी हजार पद	एक करोड़ असी हजार पद
९ प्रत्याख्यानपद	×	×	चौरासी लाख पद	चौरासी लाख पद
१० विद्यानुवाद	×	×	एक करोड़ दस लाख पद	एक करोड़ दस लाख पद
११ अवध्य	×	×	छब्बीस करोड़ पद	छब्बीस करोड़ पद
१२ प्राणायु	×	×	एक करोड़ छप्पन लाख पद	एक करोड़ छप्पन लाख पद
१३ क्षियाविशाल	×	×	नौ करोड़ पद	नौ करोड़ पद
१४ लोकविन्दुसार	×	×	साढे बारह करोड़ पद	साढे बारह करोड़ पद

तालिका—३

अचेलक परम्परा

ग्यारह अग

१ अग का नाम	२ पदपरिमाण	३ किस ग्रन्थ मे निर्देश
१ आचाराग	१८०००	घवला, जयघवला, गोम्मट- सार एव अगपण्णति
२ सूत्रकृताग	३६०००	"
३ स्थानाग	४२०००	"
४ समवायाग	१६४०००	"
५ व्याख्याप्रज्ञप्ति	२२८०००	"
६ ज्ञाताधर्मकथा	५५६०००	"
७. उपासकदशा	११७००००	"
८ अन्तकृदशा	२३२८०००	"
९ अनूत्तरोपपातिकदशा	९२४४०००	"
१० प्रश्नव्याकरण	९३१६०००	"
११ विपाकश्रुत	१८४०००००	"

तालिका—४

अचेलक परम्परा

चौदह पूर्व

१ पूर्व का नाम	२ पदस्थ्या	३ किस ग्रन्थ मे निर्देश
१. उत्पाद	एक करोड़ पद	घवला, जयघवला, गोम्मट- सार एव अगपण्णति
२ अग्रायण-अग्रायणीय	छियानबे लाख पद	"
३ वीर्यप्रवाद-वीर्यानु- प्रवाद	सत्तर लाख पद	"

१ पूर्व का नाम	२ पदस्थ्या	३ किस ग्रन्थ में निर्देश
४ अस्तिनास्तिप्रवाद	साठ लाख पद	धवला, जयघवला, गोम्मट-सार एवं अगपण्णति
५ ज्ञानप्रवाद	एक कम एक करोड़ पद	"
६ सत्यप्रवाद	एक करोड़ छ पद	"
७ आत्मप्रवाद	छब्बीस करोड़ पद	"
८ कर्मप्रवाद	एक करोड़ अस्सी लाख पद	"
९ प्रत्यास्थान	चौरासी लाख पद	"
१० विद्यानुवाद-विद्यानु-प्रवाद	एक करोड़ दस लाख पद	"
११ कल्याण (अवन्ध)	छब्बीस करोड़ पद	"
१२ प्राणवाद प्राणावाय (प्राणायु)	तेरह करोड़ पद	"
१३ क्रियाविशाल	नौ करोड़ पद	"
१४ लोकविन्दुसार	वारह करोड़ पचास लाख पद	"

पूर्वों की पदस्थ्या में दोनों परम्पराओं में अत्यधिक साम्य है। यारह अगों की पदस्थ्या में विशेष भेद है। सचेलक परम्परा में यह स्थ्या प्रथम अग से प्रारम्भ होकर आगे क्रमशः दुगुनी-दुगुनी होती गई मालूम होती है। अचेलक परम्परा के उल्लेखों में ऐसा नहीं है। बरंमान में उपलब्ध अगसूत्रों की पदस्थ्या उपर्युक्त दोनों प्रकार की पदस्थ्या से भिन्न है।

प्रथम अग में अठारह हजार पद बताये गये हैं। आचाराग (प्रथम अग) के दो विभाग हैं प्रथम श्रुतस्कन्ध व पाच चूलिकाओं सहित द्वितीय श्रुतस्कन्ध। इनमें से पाचवीं चूलिका निशीथ सूत्ररूप एक स्वतन्त्र प्रथ ही है। अत यह यहाँ अभिप्रेत नहीं है। दूसरे शब्दों में यहाँ केवल चार चूलिकाओं सहित द्वितीय श्रुतस्कन्ध ही विवक्षित है। अब प्रश्न यह है कि उपर्युक्त अठारह हजार पद दोनों श्रुतस्क धों के हैं अथवा केवल प्रथम श्रुतस्कन्ध के? इस विषय में आचाराग-नियुक्तिकार, आचाराग-वृत्तिकार, समवायाग वृत्तिकार एवं नन्दि-वृत्तिकार—ये चारों एकमत हैं कि अठारह हजार पद केवल प्रथम श्रुतस्कन्ध के हैं। द्वितीय श्रुतस्कन्ध की पदस्थ्या अलग ही है। समवायाग व नन्दी सूत्र के मूलपाठ में यहाँ पदस्थ्या बताई गई है वहाँ इस प्रकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं किया

गया है। वहाँ केवल इतना ही बताया गया है कि आचाराग के दो श्रुतस्कन्ध हैं, पचीस अध्ययन हैं, पचासी उद्देशक हैं, पचासी समुद्देशक हैं, अठारह हजार पद हैं, सख्येय अक्षर हैं। इस पाठ को देखते हुए यही निष्कर्प निकाला जा सकता है कि अठारह हजार पद पूरे आचाराग के अर्थात् आचाराग के दोनो श्रुतस्कन्धों के हैं, किसी एक श्रुतस्कन्ध के नहीं। जिस प्रकार पचीस अध्ययन, पचासी उद्देशक आदि दोनो श्रुतस्कन्धों के मिलाकर हैं उसी प्रकार अठारह हजार पद भी दोनो श्रुतस्कन्धों के मिलाकर ही हैं।

पद का अर्थ

पद क्या है? पद का स्वरूप बताते हुए विशेषावश्यक भाष्यकार^१ कहते हैं कि पद अर्थ का वाचक एवं द्योतक होता है। बैठना, बोलना, अश्व, वृक्ष इत्यादि पद वाचक हैं। प्र, परि, च, वा इत्यादि पद द्योतक हैं। अथवा पद के पाच प्रकार हैं नामिक, नैपातिक, औपसर्गिक, आख्यातिक व मिश्र। अश्व, वृक्ष आदि नामिक हैं। खलू, हि इत्यादि नैपातिक हैं। परि, अप, अनु, आदि औपसर्गिक हैं। दौड़ता है, जाता है, आता है इत्यादि आख्यातिक हैं। सप्त, प्रवर्धमान, निवर्तमान आदि पद मिश्र हैं। इसी प्रकार अनुयोगद्वारवृत्ति^२, अगस्त्यसिंहविरचित दशवैकालिकचूर्णि,^३ हरिभद्रकृत दशवैकालिकवृत्ति,^४ क्षीलाकृत आचारागवृत्ति^५ आदि में पद का सोदाहरण स्वरूप बताया गया है। प्रथम कर्मग्रन्थ की सातवी गाथा के अन्तर्गत पद की व्याख्या करते हुए देवेन्द्रसुरि कहते हैं —“पद तु अर्थसमाप्ति इत्याद्युक्तिसदभावेऽपि येन केनचित् पदेन अष्टादशपदसहस्रादिग्रमाणा आचारादिग्रन्था गोयन्ते तदिह गृह्यते, तस्यैव द्वादशाङ्गश्रुतपरिमाणेऽधिकृतत्वात् श्रुतमेदानामेव चेह प्रस्तुतत्वात्। तस्य च पदस्य तथाविधाम्नायाभावात् प्रमाण न ज्ञायते।” अर्थात् अर्थसमाप्ति का नाम पद है किन्तु प्रस्तुत में जिस किसी पद से आचाराग आदि ग्रन्थों के अठारह हजार एवं यथाक्रम अधिक पद समझने चाहिए। ऐसे ही पद की इस श्रुतज्ञानरूप द्वादशाग के परिमाण में चर्चा है। इस प्रकार के पद के परिमाण के सम्बन्ध में हमारे पास कोई परम्परा नहीं है कि जिससे पद का निश्चित स्वरूप जाना जा सके।

^१ विशेषावश्यकभाष्य, गा १००३, पृ ४६७

^२ पृ० २४३-४

^३ पृ० ९

^४ प्रथम अध्ययन की प्रथम गाथा

^५. प्रथम श्रुतस्कन्ध का प्रथम सूत्र

नदी आदि में उल्लिखित पदस्थ्या और सचेलक परम्परा के आचारागादि विद्यमान ग्रन्थों की उपलब्ध श्लोकसंख्या के समन्वय का किसी भी टीकाकार ने प्रयत्न नहीं किया है।

अचेलक परम्परा के राजवार्तिक, सर्वार्थसिद्धि एवं श्लोकवार्तिक में एतद्विषयक कोई उल्लेख नहीं है। जयधवला में पद के तीन प्रकार वताई गये हैं प्रमाणपद, अर्थपद व मध्यमपद। आठ अक्षरों के परिमाण वाला प्रमाणपद है। ऐसे चार प्रमाणपदों का एक श्लोक होता है। जितने अक्षरों द्वारा अर्थ का बोध हो उतने अक्षरों वाला अर्थपद होता है। १६३४८३०७८८८ अक्षरों वाला मध्यमपद कहलाता है। धवला, गोम्मटसार एवं अगपण्णति में भी यही व्याख्या की गई है। आचाराग आदि में पदों की जो संख्या वताई गई है उनमें प्रत्येक पद में इतने अक्षर समझने चाहिए। इस प्रकार आचाराग के १८००० पदों के अक्षरों की संख्या २९४२६९५४१९८४००० होती है। अगपण्णति आदि में ऐसी संख्या का उल्लेख किया गया है। साथ ही आचाराग के अठारह हजार पदों के श्लोकों की संख्या ९१९५९२३११८७००० वताई गई है। इसी प्रकार अन्य अगों के श्लोकों एवं अक्षरों को संख्या भी वताई गई है। वर्तमान में उपलब्ध अगों से न तो सचेलकसमत पदसंख्या का और न अचेलकसमत पद-संख्या का मेल है।

बीद्र ग्रन्थों में उनके पिटकों के परिमाण के विषय में उल्लेख उपलब्ध है। मजिक्षमनिकाय, दीघनिकाय, सयुत्तनिकाय आदि की जो सूत्रसंख्या वताई गई है उसमें भी वर्तमान में उपलब्ध सूत्रों की संख्या से पूरा मेल नहीं है।

वैदिक परम्परा में 'शतशाख सहस्रशाख' इस प्रकार की उकित द्वारा वेदों की सैकड़ोंहजारों शाखाएँ मानी जाती हैं। आहुणो, आरण्यको, उपनिषदों तथा महाभारत के लाखों श्लोक होने की मान्यता प्रचलित है। पुराणों के भी इतने ही श्लोक होने की कथा प्रचलित है।

अगो का क्रम

ग्यारह अगों के क्रम में सर्वप्रथम आचाराग है। आचाराग को क्रम में सर्वप्रथम स्थान देना सर्वथा उपयुक्त है क्योंकि सध्यवस्था में सबसे पहले आचार की व्यवस्था अनिवार्य होती है। आचाराग की प्राथमिकता के विषय में दो भिन्न-भिन्न उल्लेख मिलते हैं।^१ कोई कहता है कि पहले पूर्वों की रचना ही वाद में आचाराग आदि बने। कोई कहता है कि सर्वप्रथम आचाराग बना व वाद में अन्य रचनाएँ हुईं। चूर्णिकारों एवं वृत्तिकारों ने इन दो परस्पर विरोधी उल्लेखों

की संगति विठाने का आपेक्षिक प्रयास किया है। फिर भी यह मानना विशेष उपयुक्त एवं दुष्टिग्राह्य है कि सर्वप्रथम आचाराग की रचना हुई। 'पूर्व' शब्द के अर्थ का आधार लेकर यह कल्पना को जाती है कि पूर्वों की रचना पहले हुई, किन्तु यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि इनमें भी आचाराग आदि शास्त्र समाविष्ट ही हैं। अत पूर्वों में भी सर्वप्रथम आचार की व्यवस्था न की गई हो, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? 'पूर्व' शब्द से केवल इतना ही व्यनित होता है कि उस सघप्रवर्तनके सामने कोई पूर्व परम्परा अथवा पूर्व परम्परा का साहित्य विद्यमान था जिसका आधार लेकर उसने समयानुसार अथवा परिस्थिति के अनुसार कुछ परिवर्तन के साथ नई आचार-योजना इस प्रकार तैयार की कि जिसके द्वारा नवर्निमित सघ का आध्यात्मिक विकास हो सके।

भारतीय साहित्य में भाषा आदि की दृष्टि से वेद सबसे प्राचीन हैं, ऐसा विद्वानों का निश्चित भत है। पुराण आदि भाषा वर्गेरह की दृष्टि से बाद की रचना मानी गई है। ऐसा होते हुए भी 'पुराण' शब्द द्वारा जो प्राचीनता का भास होता है उसके आधार पर वायुपुराण में कहा गया है कि ब्रह्मा ने सब शास्त्रों से पहले पुराणों का स्मरण किया। उसके बाद उनके मुख से वेद निकले।^१ जैन परम्परा में सभवत इसी प्रकार की कल्पना के आधार पर पूर्वों को प्रथम स्थान दिया गया हो। चूंकि पूर्व हमारे सामने नहीं हैं अत उनकी रचना आदि के विषय में विशेष कुछ नहीं कहा जा सकता।

आचाराग को सर्वप्रथम स्थान देने में प्रथम एवं प्रमुख हेतु है उसका विषय। दूसरा हेतु यह है कि जहाँ जहाँ अगो के नाम आये हैं वहाँ-वहाँ मूल में अथवा वृत्ति में सबसे पहले आचाराग का ही नाम आया है। तीसरा हेतु यह है कि इसके नाम के प्रथम उल्लेख के विषय में किसी ने कोई विस्वाद अथवा विरोध खड़ा नहीं किया।

आचाराग के बाद जो सूत्रकृताग आदि नाम आये हैं उनके क्रम की योजना किसने किस प्रकार की, इसकी चर्चा के लिए हमारे पास कोई उल्लेखनीय साधन नहीं हैं। इतना अवश्य है कि सचेलक व अचेलक दोनों परम्पराओं में अगो का एकही क्रम है। इसमें आचाराग का नाम सर्वप्रथम आता है व बाद में सूत्रकृताग आदि का।

१ प्रथमं सर्वशास्त्राणां पुराण ब्रह्मणा स्मृतम् ।

अनन्तर च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनि सुता ॥

—वायुपुराण (पत्राकार), पत्र २.

अगो की शैली व भाषा

शैली की दृष्टि से प्रथम अग में गद्यात्मक व पद्यात्मक दोनों प्रकार की शैली है। द्वितीय अग में भी इसी प्रकार की शैली है। तीसरे से लेकर ग्यारहवें अग तक गद्यात्मक शैली का ही अवलम्बन लिया गया है। इनमें कही एक भी पद्य नहीं है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता किन्तु प्रधानतः ये सब गद्य में ही हैं। इनमें भी ज्ञातात्मकथा आदि में तो वसुदेवर्हडी अथवा कादम्बरी की गद्य-शैली के समकक्ष कही जा सके ऐसी गद्यशैली का उपयोग हुआ है। यह शैली उनके रचना-समय पर प्रकाश ढालने में भी समर्थ है। हमारे साहित्य में पद्यशैली अति प्राचीन है तथा काव्यात्मक गद्यशैली इसकी अपेक्षा अर्वाचीन है। गद्य को याद रखना बहुत कठिन होता है इसलिए गद्यात्मक ग्रन्थों में यत्रतत्र सग्रह-गाथाएँ देखी जाती हैं जिनसे विषय को याद रखने में सहायता मिलती है। जैन ग्रन्थों पर भी यहीं बात लागू होती है।

इस प्रसंग पर यह बताना आवश्यक है कि आचाराग सूत्र में पद्यसंख्या अल्प नहीं है। किन्तु अति प्राचीन समय से चली आने वाली हमारे पूर्वजों की एत-द्विषयक अनभिज्ञता के कारण वर्तमान में आचाराग का अनेक बार मुद्रण होते हुए भी उसमें गद्य-पद्यविभाग का पूर्णतया पृथक्करण नहीं किया जा सका। ऐसा प्रतीत होता है कि वृत्तिकार शीलाक को भी एतद्विषयक पूर्ण परिचय न था। इनसे पूर्व विद्यमान त्रूपिकारों के विषय में भी यहीं बात कहीं जा सकती है। वर्तमान महान् सशोधक श्री शुर्किंग ने अति परिश्रमपूर्वक आचाराग के समस्त पद्यों का पृथक्करण कर हम पर महान् उपकार किया है। खेद है कि इस प्रकार का सस्करण अपने समक्ष रहते हुए भी हम नव मुद्रण आदि में उसका पूरा उपयोग नहीं कर सके। आचाराग के पन्थ श्रिष्टुभ्, जगती इत्यादि वैदिक पद्यों से मिलते हुए हैं।

भाषा की दृष्टि से जैन आगमों की भाषा साधारणतया अर्धमागधी कही जाती है। वैयाकरण इसे बार्य प्राकृत कहते हैं। जैन परम्परा में शब्द अर्थात् भाषा का विशेष महत्त्व नहीं है। जो कुछ महत्त्व है वह अर्थ अर्थात् भाव का है। इसीलिए जैन शास्त्रों में भाषा पर कभी जोर नहीं दिया गया। जैन शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि विश्व-विचित्र भाषाएँ मनुष्य की चित्तशुद्धि व आत्म-विकास का निर्माण नहीं करती। जीवन की शुद्धि का निर्माण तो सत् विचारों द्वारा होता है। भाषा तो विचारों का केवल बाहन अर्थात् माध्यम है। अत माध्यम के अतिरिक्त भाषा का कोई मूल्य नहीं। परम्परा से चला आने वाला साहित्य भाषा की दृष्टि से परिवर्तित होता आया है। अत इसमें प्राकृत भाषा

का एक स्वरूप स्थिर रहा हुआ है, यह नहीं कहा जा सकता। इसीलिए आचार्य हेमचन्द्र ने जैन आगमों की भाषा को आर्प प्राकृत_नाम_दिया है।

प्रकरणों का विषयनिर्देश

आचाराग के मूल सूत्रों के प्रकरणों का विषयनिर्देश नियुक्तिकार ने किया है, यह उन्हीं की सूत्र प्रतीत होती है। स्थानाग, समवायाग एवं विशेषावश्यकभाष्य व हारिमटीय आवश्यकवृत्ति आदि में अनेक स्थानों पर इस प्रकार के क्रम का अथवा अध्ययनों के नामों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। समवायाग एवं नदी के मूल में तो केवल प्रकरणों की सूच्या ही दी गई है। अत इन सूत्रों के कर्ताओं के सामने नामवार प्रकरणों की परम्परा विद्यमान रहो होगी अथवा नहीं यह निश्चित नहीं कहा जा सकता। इन नामों का परिचय स्थानाग आदि ग्रन्थों में मिलता है। अत यह निश्चित है कि अगग्रन्थों को ग्रन्थबद्ध—पुस्तकारूढ़ करने वाले अथवा आगग्रन्थों पर नियुक्ति लिखने वाले को इसका परिचय अवश्य रहा होगा।

परम्परा का आधार

आचाराग के प्रारम्भ में ही ऐसा वाक्य आता है कि 'उन भगवान् ने इस प्रकार कहा है।' इस वाक्य द्वारा सूत्रकार ने इस बात का निर्देश किया है कि यहा जो कुछ भी कहा जा रहा है वह गुह्य-परम्परा के अनुसार है, स्वकल्पित नहीं। इस प्रकार के वाक्य अन्य धर्म परम्पराओं के शास्त्रों में भी मिलते हैं। बौद्ध पिटक ग्रन्थों में प्रत्येक प्रकरण के आदि में 'एवं मे सुत।' एक समय भगवा उक्तद्वाय विहरति सुभगवने सालराजमूले।^१—इस प्रकार के वाक्य आते हैं। वैदिक परम्परा में भी इस प्रकार के वाक्य मिलते हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं में अनेक स्थानों पर पूर्व परम्परा की सूचना देने के लिए 'अग्नि पूर्वेभि ऋषिभि ईडय नूतनै उत' यो कह कर परम्परा के लिए 'पूर्वेभि।' अथवा 'नूतनै' हत्यादि पद-रखने की प्रथा स्वीकार की गई है। उपनिषदों में कही प्रश्नात्तर की पद्धति है तो कही अमुक ऋषि ने अमुक को कहा, इस प्रकार की प्रथा स्वीकृत है। सूत्रकृताग आदि में आचाराग से भिन्न प्रकार की वाक्यरचना द्वारा पूर्व परम्परा का निर्देश किया गया है।

परमतों का उल्लेख

अगस्त्रों में अनेक स्थानों पर 'एगे पवयमाणा' ऐसा कहते हुए सूत्रकार ने परमतों का भी उल्लेख किया है। परमत का विशेष नाम देने की प्रथा न होते हुए भी उस मत के विवेचन से नाम का पता लग सकता है। बुद्ध का नाम सूत्र-

कृष्णग मे स्पष्ट दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त मक्खलिपुत्र गोशाल के आजीविक मत का भी स्पष्ट नाम आता है। कही पर अन्तर्भित्या—अन्यथूयिका अर्थात् अन्य गण वाले यो कहते हैं, इस प्रकार कहते हुए परमत का निर्देश किया गया है। आचाराग मे तो नहीं किन्तु सू वक्तुग आदि मे कुछ स्थानों पर भगवान् पाश्वनाथ के शिष्यों के लिए अथवा पाश्वर्तीर्थ के अनुयायियों के लिए 'पास-वच्चिउजा' एवं 'पासत्या' शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। आजीविक मत के आचार्य गोशालके के छ दिशाचर महायक थे। इन दिशाचरों के सम्बन्ध मे प्राचीन टीकाकारों एवं चूर्णिकारों ने कहा है कि ये पासत्य अर्थात् पाश्वनाथ की परम्परा के ये। कुछ स्थानों पर अन्य मत के अनुयायियों के कालादायी आदि नाम भी आये हैं। अन्य मत के लिये सर्वत्र 'मिथ्या' शब्द का प्रयोग किया गया है अर्थात् अन्यतीर्थिक जो इस प्रकार कहते हैं वह मिथ्या है, यो कहा गया है। आचाराग मे हिंसा-अहिंसा की चर्चा के प्रमग पर 'पावादुया—प्रावादुका' शब्द भी अन्य मत के वादियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। जहाँ-कही भी अन्य मत का निरास किया गया है वहाँ किसी विशेष प्रकार की तार्किक युक्तियों का प्रयोग नहीं किया गया है। ऐसा कहने वाले मन्द हैं, वाल हैं, आरम्भ-समारभ तथा विषयों मे फैम हुए हैं। वे दोघकाल तक भवभ्रमण करते रहेंगे। इस प्रकार के आप्तेष ही अधिकतर देखने को मिलते हैं। अथ की विशेष स्पष्टता के लिए यत्र-तत्र उदाहरण, उपमाएँ व स्पष्टक भी दिये गये हैं। सूर्यग्रहणादि से भविष्यत तत्कालीन मिथ्या धारणाओं का निरसन करने का भी प्रयास किया गया है। ऊँच-नीच की जातिगत कल्पना का भी निरास किया गया है। बौद्ध पिटको मे इस प्रकार की कुशद्वाओं के निरसन के लिए जिस विशद चर्चा एवं तर्कपद्धति का उपयोग हुआ है उस कोटि की चर्चा का अगस्त्यो मे अभाव दिखाई देता है।

विषय-चैविध्य

अग्रगत्यो मे निम्नोक्त विषयो पर भी प्रकाश ढाला गया है स्वग-नरकादि परलोक, सूर्य चन्द्रादि ज्योतिष्क देव, जन्मद्वौपादि द्वीप, लवणादि समुद्र, विविध प्रकार के गर्भ व जन्म, परमाणु-क्षयन, परमाणु की साशता आदि। इस प्रकार इन सूत्रों मे केवल अध्यात्म एवं उसकी साधना की ही चर्चा नहीं है अपितु तत्सम्बद्ध अन्य अनेक विषयो की भी चर्चा की गई है। इनमे कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि अमुक प्रश्न तो अव्याकृत है अर्थात् उसका व्याकरण—स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। यहाँ तक कि मुक्तात्मा एवं निर्वाण के विषय मे भी विस्तार से चर्चा की गई है। तत्कालीन समाजव्यवस्था, विद्याम्यास की पद्धति, राज्यस्था, राजाओं के वैभव-विलास, मध्यपान, गणिकाओं का राज्यस्था मे स्थान, विविध प्रकार की सामाजिक प्रणालियाँ, युद्ध, चावविवाद, अलकारशाला, क्षीरशाला,

जैन मुनियों की आचार-प्रणाली, अन्य मत के तापसों व परिद्राजकों की वेषभूषा, दीक्षा तथा आचार-प्रणाली, अपराधी के लिए दण्ड-व्यवस्था, जैलों के विविध प्रकार, व्यापार व्यवसाय, जैन व अजैन उपासकों की चर्चा, मनोती मनाने व पूरी करने की पद्धतिया, दासप्रथा, इन्द्र, रुद्र, स्कन्द, नाग, भूत, यक्ष, शिव, वैश्रमण, हरिणगमेशी आदि देव, विविध-कलाएँ, नृत्य, अभिनय, लविधया, विकुर्वणाशक्ति, स्वर्ग में होने वाली चौरिया आदि, नगर, उद्यान, समवसरण (धर्मसभा), देव-सुर-सग्राम, वनस्पति आदि विविध जीव, उनका आहार, श्वासोच्छ्वास, आयुष्य, अध्यवसाय आदि अनेक विषयों पर अगग्रन्थों में पर्याप्त प्रकाश ढाला गया है।

जैन परम्परा का लक्ष्य

जैन तीर्थंकरों का लक्ष्य निर्वाण है। वीतरागदशा की प्राप्ति उनका अन्तिम एव प्रधानतम् व्यय है। जैनशास्त्र कथाओं द्वारा, तत्त्वचर्चा द्वारा अथवा स्वर्ग-नरक, सूर्य-चन्द्र आदि के वर्णन द्वारा इसी का निरूपण करते हैं। जब वेदों की रचना हुई तब वैदिक परम्परा का मूल्य व्येय स्वर्गप्राप्ति था। इसी व्यय को लक्ष्य में रखकर वेदों में विविध कर्मकाण्डों की योजना की गई है। उनमें हिंसा-अहिंसा, सत्य-असत्य, मदिरापान-अपान इत्यादि की चर्चा गौण है। धीरे-धीरे चिन्तनप्रवाह ने स्वर्गप्राप्ति के स्थान पर निर्वाण, वीतरागता एव स्थितप्रज्ञता को प्रतिष्ठित किया। बाह्य कर्मकाड़ भी इसी व्यय के अनुकूल बने। ऐसा होते हुए भी इस नवीन परिवर्तन के साथ-साथ प्राचीन परम्परा भी चलती रही। इसी का परिणाम है कि जो व्यय नहीं है अथवा अन्तिम साध्य नहीं है ऐसे स्वर्ग के वर्णनों को भी बाद के शास्त्रों में स्थान मिला। ऋग्वेद के प्रारम्भ में धनप्राप्ति को इच्छा से अग्नि की स्तुति की गई है जबकि आचाराग के प्रथम वाक्य में मैं क्या था? इत्यादि प्रकार से आत्मरूप व्यक्ति के स्वरूप का चिन्तन है। सूत्रकृताग के प्रारम्भ में बन्धन व मोक्ष की चर्चा की गई है एव बताया गया है कि परिग्रह बन्धन है। थोड़े से भी परिग्रह पर ममता रखने वाला दुख दे दूर नहीं रह सकता। इस प्रकार जैन परम्परा के मूल में आत्मा व अपरिग्रह है। इसमें स्वर्ग-प्राप्ति का महत्व नहीं है। जैनग्रन्थों में बताया गया है कि साधक की साधना में जब कोई दोष रह जाता है तभी उसे स्वर्गरूप ससार में भ्रमण करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में स्वर्ग सयम का नहीं अपितु सयमगत दोष का परिणाम है। स्वर्ग-प्राप्ति को भवभ्रमण का नाम देकर यह सूचित किया है कि जैन परम्परा में स्वर्ग का कोई मूल्य नहीं है। अगस्त्रों में जितनी भी कथाएँ आई हैं सब में साधकों के निर्वाण को ही प्रमुख स्थान दिया गया है।

अंग ग्रंथों का अंतरंग परिचय : आचारांग

विषय

अचेलकता व सचेलकता
आचार के पर्याय
प्रथम श्रुतस्कष्ट के अध्ययन
द्वितीय श्रुतस्कष्ट की चूलिकाएँ
एक रोचक कथा
पद्यात्मक अशा
आचारांग की वाचनाएँ
आचारांग के कर्ता
अगस्त्रो की वाचनाएँ
देवद्विगणि क्षमाश्रमण
महाराज खारवेल
आचारांग के शब्द
महाचर्चयं एव माहृण
चतुर्वर्णं
सात वर्णं व नव वर्णान्तर
शस्त्रपरिक्षा
आचारांग में उल्लिखित परमत
निर्ग्रन्थसभाज
आचारांग के वचनों से मिलते वचन
आचारांग के शब्दों से मिलते शब्द
जाणइ-पासइ का प्रयोग भाषाशैली के रूप में
वसुपद
वेद
आमग्रंथ
आन्तर व परिस्तर
वर्णाभिलाषा

मुनियों के उपकरण
 महावीर-चर्चा
 कुछ सुभाषित
 द्वितीय श्रुतस्कव
 आहार
 भिक्षा के योग्य कुल
 उत्सव के समय भिक्षा
 भिक्षा के लिए जाते समय
 राजकुलों में
 मक्खन, मधु, मदा व मास
 सम्मिलित सामग्री
 ग्राह्य जल
 अग्राह्य भोजन
 शश्यैषणा
 ईर्यापथ
 भाषाप्रयोग
 धर्मविवारण
 पात्रैषणा
 अवग्रहैषणा
 मलमूत्रविसर्जन
 शब्दश्वरण व रूपदर्शन
 परक्रियानिषेध
 महावीर-चरित
 ममत्वमुक्ति
 चीतरागता एव सर्वज्ञता

में भी जर्जर है। इसमें उनके नियामस्थान का भी विषार दिया गया है। गाय ही योग्य—प्रथात् प्रमाण तथा उनकी मनोवृत्ति का भी नियम है। इसी प्रकार परम्परागतीने, द्विवारांग तथा नियामस्थानी भिन्नभा एवं उनके पर्यांगों पर मनोवृत्तियों पर भी प्रकार लाला गया है। इन भावार गोंगर की भुविराम बाल्यानिक योग्यता पर ही प्रारम्भिक क्षमताना में भार दिया गया है।

विषय ।

पठमार बाचारांग में इतना उपर्युक्त विषयों का नियमण है : पदि हि सो नियम प्रकार १ डाकुल राज्यानिक लादि दल्गों में आपावग के जिन विषयों का उपर्युक्त है ये इनमें व्यासर य नामा-ए हैं कि इतार ५ गों में ते प्रत्येक अव में विही न रिनी प्रकार उनकी पर्यांग जाती ही है। इनका सम्बन्ध देवल बाचारांग में भी नहीं है। असेवा पाल्या के नव्यातिर लादि इतार में आपावग के भुत्तार्य, अध्ययन लादि के विषय में पोर्ट उन्नेत भी मिलता। उसमें देवा उत्तरी पद-मार्या के विषय में छान्दोग्य लाला। यसेष्टा पाल्या य गायावाग तथा बद्धी-शूद्र में व्यासर गया है कि आपारांग के दो भुत्तार्य हैं, य तिन अध्ययन। इनमें पदम्भर्या के विषय में भी इन्हें मिलता है। आपारांग के दो भुत्तार्यों में ने प्रथम भुत्तार्य का नाम 'प्राणपत्य' है। इनमें जो अध्ययन तिनें के कारण इने 'नव्यात्यय' कहा गया है। द्वितीय भुत्तार्य प्रद्या श्र तम्भार्य की नामान्यप है। इसका दूसरा नाम 'बाचारांग' भी है। यसपाठा में प्रश्नित पदति के अनुगाम इन प्रथम भुत्तार्य का पर्याप्ति भी कह दरखते हैं। गायानिक पादि प्राणी में वापावांग का जो विषय व्याप्ता गया है यह द्वितीय भुत्तार्य के धधरता गिल जाता है। इन उपर्युक्त में नियुक्तिकार य वृत्तिकार कहते हैं कि इतिर पुण्यों में नियमों के द्वितीय दृष्टि में आपारांग के प्रथम भुत्तार्य के धप्रकट वर्ण को प्रवट प—विमावग व्यष्ट कर चुन्निक्ष्य—आपाराप्राप्त द्वितीय भुत्तार्य की चमा रही है। नव्यात्यय के प्रथम अध्ययन 'धन्वनिक्षा' में गमारग—ममान्त्रम अध्ययन आगम—आद्यन अध्यार्थ द्विगो के रागागम गमम के विषय में जो विचार गामाग तीरं पर गमे गये हैं उन्हीं का यथोचित विभाग पर द्विनीय भुत्तार्य में पन महाप्रती एवं उनकी भावनाओं के गाय ही गाय गमम की गायिषया, द्विविष्टा आदि का य चातुर्यांग, पंचायाग, चात्रिमोजात्याग इत्यादि का परिचय दिया गया है। द्वितीय अध्ययन 'लोकविजय' के पांचव उद्देशक में आनेवाले 'भव्वामगधे परिनाय निरामगधे परिव्येत' तथा 'अदिमामाणे काय-विवक्ष-एमु' इन वायवा में एवं आठवें विमोक्ष अथवा विमोह नामक अध्ययन में द्वितीय उद्देशक में आने वाले 'से भिक्खु पत्त्वकमेज वा चिट्ठेज वा सुसाणसि

तथा 'किमी नी प्राण का हनन नहीं करना चाहिए' इस प्रकार का कथन आया का है, इम मत को पुष्टि की गई है। 'अवरेण पुञ्च न सरति एगे', 'तहागया उ' इत्यादि उल्लेखों द्वारा तथागत बुद्ध के मरु का निर्देश किया गया है। 'यतो वाचो निवर्तन्ते' जैसे उपनिषद्-वाक्यों से मिलने-जुलने 'सब्वे सरा नियट्वति, तत्का जन्थ न विज्जइ' इत्यादि वावयों द्वारा आत्मा की अगोचरता बनाई गई है। अचेलक—सवया नन, एक वस्त्रधारी, द्विवस्त्रधारी, तथा त्रिवस्त्रधारी भिक्षुओं की चर्या से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण उल्लेख प्रथम श्रुतस्कन्ध में उपलब्ध है। इन उल्लेखों में सचेलकता और अचेलकता की संगतिरूप सापेक्ष मर्यादा का प्रतिपादन है। प्रथम श्रुतस्कन्ध में आने वाली सभी वातें जैनघर्म के इरिहास की दृष्टि से, जैनमुनियों की चर्या की दृष्टि से एवं समग्र जैनसंघ को अपरिग्रहा-त्मक व्यवस्था की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं।

अचेलकता व सचेलकता

भगवान् महावीर की उपस्थिति में अचेलकता-सचेलकता का कोई विशेष विवाद न था। सुषमस्वामी के समय में भी अचेलक व सचेलक प्रथाओं की

संगति थी। आचाराग के प्रथम श्रुतस्कन्ध में अचेलक अर्थात् वस्त्ररहित भिक्षु के विषय में तो उल्लेख आता है किन्तु करपात्री अर्थात् पाणिपात्री भिक्षु के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट उल्लेख दृष्टिगोचर नहीं होता। वीरनिर्वाण के हजार वर्ष बाद संक्षित कल्पसूत्र के सामाचारी-प्रकरण की २५३, २५४ एवं २५५ वीं कढिका में 'पाणिपडिग्हियस्स भिक्खुस्स' इन शब्दों में पाणिपात्री अथवा करपात्री भिक्षु का स्पष्ट उल्लेख उपलब्ध होता है व आगे की कढिका में 'पडिग्गहधारिस्स भिक्खुस्स' इन शब्दों में पात्रधारी भिक्षु का भी उल्लेख है। इस प्रकार सचेलक परम्परा के आगम में अचेलक व सचेलक की भाँति करपात्री एवं पात्रधारी भिक्षुओं का भी स्पष्ट उल्लेख है।

आचाराग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध में वस्त्रधारी भिक्षुओं के विषय में विशेष विवेचन आता है। इसमें सर्वथा अचेलक भिक्षु के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं मिलता। वैसे मूल में तो भिक्षु एवं भिक्षुणी जैसे सामान्य शब्दों का ही प्रयोग हुआ है। किन्तु जहा-जहा भिक्षु को ऐसे वस्त्र लेने चाहिए, ऐसे वस्त्र नहीं लेने चाहिए—इत्यादि चर्या का विश्वान है वहाँ सचेलक अथवा पाणिपात्र भिक्षु की चर्या के विषय में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि द्वितीय श्रुतस्कन्ध का ज्ञाकाव सचेलक प्रथा की ओर है। सम्भवतः इसीलिए स्वयं नियुक्तिकार ने इसकी रचना का दायित्व स्थविरो पर डाला है। सुघर्मास्वामी का ज्ञाकाव दोनों परम्पराओं की सापेक्ष संगति की ओर मालूम पड़ता है। इस ज्ञाकाव का प्रतिविम्ब प्रथम श्रुतस्कन्ध में दिखाई देता है। दूसरा अनुमान यह भी हो सकता है कि नगनता तथा सचेलकता (जीर्णवस्त्रधारित्व अथवा अल्पवस्त्रधारित्व) दोनों प्रथाओं की मान्यता होने के कारण जो समुदाय अपनी शारीरिक, मानसिक अथवा सामाजिक परिस्थितियों एवं मर्यादाओं के कारण सचेलकता की ओर ज्ञाकने लगा हो उसका प्रतिनिधित्व दूसरे श्रुतस्कन्ध में किया गया हो। जिस युग का यह द्वितीय श्रुतस्कन्ध है उस युग में भी अचेलकता समादर-णीय मानो जाती थी एवं सचेलकता की ओर ज्ञाका हुआ समुदाय भी अचेलकता को एक विशिष्ट तपश्चर्या के रूप में देखता था एवं अपनी अमुक मर्यादाओं के कारण वह स्वयं उस ओर नहीं जा सकता था। एतद्विषयक अनेक प्रमाण अज्ञ-शास्त्रों में आज भी उपलब्ध हैं। अगस्त्यामें अचेलकता एवं सचेलकता दोनों प्रथाओं का सापेक्ष समर्थन मिलता है।

अचेलक अर्थात् यथाजात एवं सचेलक अर्थात् अल्पवस्त्रधारी—इन दोनों प्रकार के साधक श्रमणों में अमुक प्रकार का श्रमण अपने को अधिक उत्कृष्ट समझे

एवं दूसरे को अपकृष्ट समझे, यह ठीक नहीं। यह वार आचाराग्र के मूल में ही कही गई है। वृत्तिकार ने भी अपने शब्दों में इसी आशय को अधिक स्पष्ट किया है। उन्होंने तत्सम्बन्धी एक प्राचीन गाथा भी उद्घृत की है जो इस प्रकार है —

जो वि दुवर्थतिवत्थो बहुवत्थ अचेलओ व सथरइ।

न हु ते हीलति पर सब्वे वि अ ते जिणाणाए॥

—द्वितीय श्रुतस्त्रिवा, सू० २८६, पृ० ३२७ पर वृत्ति

कोई चाहे द्विवस्त्रिवारी हो, त्रिवस्त्रिवारी हो, बहुवस्त्रिवारी हो अथवा निर्वस्त्र हो किन्तु उन्हें एक-दूसरे की अबहेलना नहीं करनी चाहिए। निर्वस्त्र ऐसा न समझे कि मैं उत्कृष्ट हूँ और ये द्विवस्त्रिवारी आदि अपकृष्ट हैं। इसी प्रकार द्विवस्त्रिवारी आदि ऐसा न समझें कि हम उत्कृष्ट हैं और यह त्रिवस्त्रिवारी या निर्वस्त्र श्रमण अपकृष्ट हैं। उन्हें एक-दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सभी जिन भगवान् को आज्ञा का अनुसरण करने वाले हैं।

इससे स्पष्ट है कि निर्वस्त्र व वस्त्रिवारी दोनों के प्रति मूल सूत्रकार से लाग कर वृत्तिकारपर्यन्त समस्त आचार्यों ने अपना समभाव व्यक्त किया है। उत्तराध्ययन में आने वाले केशी-गीतभीय नामक २३ वें अध्ययन के सवाद में भी इसी तथ्य का प्रतिपादन किया गया है।

आचार के पर्याय

जहाँ-जहाँ द्वादशाग अर्थात् वारह अग्रधी के नाम बताये गये हैं, सबत्र प्रथम नाम आचाराग का आता है। आचार के पर्यायवाचो नाम नियुक्तिकार ने इस प्रकार बताये हैं आयार, आचाल, आगाल, आगर, आसास, आयरिस, अग, आइण्ण, आजाति एवं आमोक्ष। इन दस नामों में आदि के दो नाम भिन्न नहीं अपितु एक ही शब्द के दो रूपान्तर हैं। 'आचाल' के 'च' का लोप नहीं हुआ है जबकि 'आयार' में 'च' लुप्त है। इसके अतिरिक्त 'आचाल' में मागवी भाषा के नियम के अनुसार 'र' का 'ल' हुआ है। 'आगाल' शब्द भी 'आयार' से भिन्न मालूम नहीं पड़ता। 'थ' तथा 'ग' का प्राचीन लिपि की अपेक्षा से मिथ्या होना सभव है तथा वर्तमान हस्तप्रतियों में प्रयुक्त प्राचीन देवनागरी लिपि की अपेक्षा से भी इनका मिश्रण असम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में 'आयार' के बजाय 'आगाल' का वाचन सभव है। इसी प्रकार 'आगाल' एवं 'आगर' भी भिन्न मालूम नहीं पड़ते। 'आगार' शब्द के 'ग' के 'आ' का ह्रस्व होने पर 'आगर' एवं 'आगार' के 'र' का 'ल' होने पर 'आगाल' होना सहज है। 'आइण्ण' (आचीर्ण) नाम में 'चर' धातु के भूतकृदत का प्रयोग हुआ है। इसे देखते हुए 'आयार' के अन्तर्गत

इस नाम का भी नमावेद हो जाता है। इस प्रकार आयार, आचाल, आगाल, आगर एवं बाइण भिन्न-भिन्न शब्द नहीं अपितु एक ही शब्द के विभिन्न रूपान्तर हैं। आसास, आयरिस, अग, आजाति एवं आमोक्ष शब्द आयार शब्द में भिन्न हैं। इनमें से 'अग' शब्द का नम्बन्ध प्रत्येक के नाय रहा हुआ है जैसे आयारबग अथवा आयारग इत्यादि। आयार—आचार, सूत्र श्रुतरूप पुराय का एक विशिष्ट अग है अतः इसे आयारग—आचाराग कहा जाता है। 'आजाति' शब्द स्थानाग-सूत्र में दो वर्णों में प्रयुक्त हुआ है जन्म के अर्थ में व आचारदशा नामक शास्त्र के दसवें अध्ययन के नाम के रूप में। रामवत आचारदशा व आचार के नाम-साम्य के कारण आचारदशा के अमुक अध्ययन का नाम समग्र आचाराग के लिए प्रयुक्त हुआ है। आसास आदि शोप शब्दों की कोई उल्लेखनीय विदेपता प्रतीत नहीं होती।

प्रथम श्रुतस्कन्ध के अध्ययन

नवग्रहाचर्यस्य प्रथम श्रुतस्कन्ध के नी अध्ययनों के नामों का निर्देश स्थानाग व समवायाग में उपलब्ध है। इनी प्रकार का अन्य उल्लेख आचारागनियुक्ति (गा० ३१-२) में भी मिलता है। तदनुमार नी अध्ययन इस प्रकार है १ सत्यपरिणा (शस्त्रपरिज्ञा), २ लोगविजय (लोकविजय), ३ सोकोसणिज्ज (शोतोल्लाय), ४ सम्पत्त (सम्पत्त), ५ आवति (यावन्त), ६ धूम (धृत), ७ विमोह (विमोह अथवा विमोक्ष), ८ उवहाणमुब (उषधानश्रुत), ९ महा-परिणा (महापरिज्ञा)। नदिमूत्र की हारिभद्रीय तथा मल्यगिरिकृत वृत्ति में महा-परिणा का क्रम आठवाँ तथा उवहाणमुब का क्रम नववाँ है। आचाराग नियुक्ति में धूम के बाद महापरिणा, उसके बाद विमोह य उसके बाद उवहाणमुब का निर्देश है। इस प्रकार अध्ययनक्रम में कुछ अन्तर होते हुए भी सद्या की दृष्टि से सब एकमत है। इन नवी अध्ययनों का एक सामान्य नाम नवग्रहाचर्य भी है। यहाँ वहाँ वहाँचर्य शब्द व्यापक अर्थ—सयम के अर्थ में प्रयुपत हुआ है। आचाराग की उपलब्ध वाचना में छठा धूम, सातवा महापरिणा, आठवा विमोह एवं नववा उवहाणमुब—इस प्रकार का क्रम है। नियुक्तिकार ने तथा वृत्तिकार शीलाक ने भी यही क्रम स्वीकार किया है। प्रस्तुत चर्चा में इसी क्रम का अनुमरण किया जाएगा।

उपयुक्त नी अध्ययनों में से प्रथम अध्ययन का नाम शस्त्रपरिज्ञा है। इसमें कुल मिलाकर सात उद्देशक—प्रकरण हैं। नियुक्तिकार ने इन उद्देशकों का विपयक्रम निरूपण करते हुए बताया है कि प्रथम उद्देशक में जीव के अस्तित्व का निरूपण है तथा आगे के छ उद्देशकों में पृथ्वीकाय आदि छः जीवनिकायों के

आर्थ-गगार्ग को चर्ना है। इन प्राचीना में शन्ति शाद ता अनेक वार प्रयोग किया गया है एवं डैकिया शम्भ्र जी अपेक्षा सर्वंगा भिन्न प्रकार के अभिधेय एवं स्पष्ट परिचान कराया गया है। अन शादाय की टूटि वे भी इम अध्ययन एवं शम्भ्रपरिचा नाम गाया हैं।

द्वितीय अध्ययन का नाम लोकविजय है। इसमें कुछ छ उद्देशक हैं। कुछ स्वाना पर 'गढ़िए लोए, लाए पव्वहिए, लोगविपस्सी, विडत्ता लोग, बना लोगमन्न, लोगम्म कम्ममारभा' इस प्राचीन के वास्तो में 'लोक' शन्द ता प्रयोग तो भिन्ना हैं किन्तु गारे अध्ययन में कहीं भी 'विजय' शन्द का प्रयोग नहीं दिनार्ड देता। किर भी ममग्र अध्ययन में गोकविजय का ही उपदेश है, ऐमा कहा जा सकता है। यहा विजय का वय लोकप्रभिद्ध जीत ही है। लोक पर विजय प्राप्त करना अर्थात् ममार के मूल कारणस्प क्रोध, मान, माया व लोभ—इन चार कथाओं को जीतना। यही इस अध्ययन का सार है। नियुक्ति-तार ने इस अध्ययन के द्वारा उद्देशकों का जो विषयानुक्रम बताया है वह उसी स्प में उपलब्ध है। वृत्तिकार ने भी उसी का अनुसरण किया है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य वैराग्य बढ़ाना, भयम में दृढ़ करना, जातिगत अभिमान को दूर करना, भोगों की आमवित से दूर रखना, भोजनादि के नियमित होने वाले आरम्भ-नमारभ का त्याग करवाना, ममता छुड़वाना आदि है।

तृतीय अध्ययन का नाम सीओसणिज्ज—शीतोष्णीय है। इसके चार उद्देशक हैं। शीत अर्थात् शीतलता अथवा सुख एवं उष्ण अर्थात् परिताप अथवा दुख। प्रस्तुत अध्ययन में इन दोनों के त्याग का उपदेश है। अध्ययन के प्रारम्भ में ही 'सीओसिणचचार्दि' (शीतोष्णत्यागी) ऐसा शब्द-प्रयोग भी उपलब्ध है। इस प्रकार अध्ययन का शीतोष्णीय नाम सार्थक है। नियुक्तिकार ने चारों उद्देशकों का विषयानुक्रम इस प्रकार बताया है प्रथम उद्देशक में असयमी को सुप्त—सोते हुए की कोटि में गिना गया है। दूसरे उद्देशक में बताया है कि इस प्रकार के सुप्त व्यक्ति महान् दुख का अनुभव करते हैं। तृतीय उद्देशक में कहा गया है कि श्रमण के लिए केवल दुख सहन करना अर्थात् देहदमन करना ही पर्याप्त नहीं है। उसे चित्तशुद्धि की भी वृद्धि करते रहना चाहिए। चतुर्थ अध्ययन में कथाय त्याग, पापकर्म-त्याग एवं सयमोत्कर्प का निरूपण है। यही विषयक्रम वत्त-मान में भी उपलब्ध है।

चतुर्थ अध्ययन का नाम सम्मत—सम्प्रक्त्व है। इसके चार उद्देशक हैं। प्रथम उद्देशक में अहिंसाधर्म की स्थापना व सम्प्रक्त्वबाद का निरूपण है। द्वितीय उद्देशक में हिंसा की स्थापना करने वाले अन्य यूथिकों को अनाय कहा गया है।

एव उनसे प्रश्न किया गया है कि उन्हें मन की अनुकूलता सुरक्ष्य प्रतीत होती है अथवा मन को प्रतिकूलता ? इम प्रकार इम उद्देशक में भी अहिमाधर्म का ही प्रतिपादन किया गया है । तृतीय उद्देशक में निर्दोष तप पा अर्थात् केवल वेह-दमन का नहीं अपितु नित्यउद्धिष्ठोपक अक्रोध, अलोभ, धमा, गतोप आदि गुणों की वृद्धि करने वाले तप का निरूपण है । चतुर्थ उद्देशक में सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए धर्यात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र एव सम्यक्त्वप की प्राप्ति के लिए यत्न करने का उपदेश है । इस प्रकार यह अध्ययन सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए प्रेरणा देने वाला है । इसमें अनेक स्थानों पर 'सम्मत्तदभिणो, सम्म एव ति' आदि वाक्यों में सम्मत—सम्यक्त्व शब्द का साक्षात् निर्देश भी है । इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन का सम्यक्त्व नाम सार्थक है । विषयानुक्रम की दृष्टि से भी नियुक्तिकार व सूत्रकार में सम्य है ।

नियुक्तिकार के कथनानुमार पाचवें अध्ययन के दो नाम हैं । आवंति व लोकसार । अध्ययन के प्रारम्भ में, मध्य एव अन्त में आवंति शब्द का प्रयोग हुआ है अतः इसे आवंति नाम दे सकते हैं । इसमें जो कुछ निरूपण है वह समग्र-लोक का मान्यता है अतः इसे लोकसार भी कहा जा सकता है । अध्ययन के प्रारम्भ में ही 'लोक' शब्द का प्रयोग किया गया है । अन्यत्र भी अनेक बार 'लोक' शब्द का प्रयोग हुआ है । समग्र अध्ययन में कहीं भी 'मार' शब्द का प्रयोग दृष्टिगोचर नहीं होता । अध्ययन के अन्त में शब्दातीत एव वृद्धि व तर्क से अग्रम्य आत्मतत्त्व का निरूपण है । यही निरूपण सारक्ष्य है, यो समझ कर इसका नाम लोकसार रखा गया हो, यह सम्भव है । इसके छ उद्देशक हैं । नियुक्तिकार ने इनका जो विषयक्रम बताया है वह आज भी उसी रूप में उपलब्ध है । इनमें सामान्य श्रमणवर्या का प्रतिपादन है ।

छठे अध्याय का नाम धूत है । अध्ययन के आरम्भ में ही 'अग्रधाइ से धूय नाण' इस वाक्य में धूय—धूत शब्द का उल्लेख है । आगे भी धूयवायं पवैएस्सामि' यो कह कर धूतवाद का निर्देश किया गया है । इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन का धूत नाम सार्थक है । हमारी भाषा में 'अवधूत' शब्द का जो भर्यं प्रचलित है वही अर्थ प्रस्तुत धूत शब्द का भी है । इस अध्ययन के पाँच उद्देशक हैं । इसमें तृष्णा को जटकने का उपदेश है । आत्मा में जो सयण याने सदन, शयन या स्वजन, उपकरण, शरीर, रस, वैभव, मत्कार आदि की तृष्णा विद्यमान है उमे जटक कर साफ कर देना चाहिए ।

सातवें अध्ययन का नाम महापरिन्ना—महापरिज्ञा है । यह अध्ययन वर्तंनान में अनुपलब्ध है किन्तु इस पर लिखी गई नियुक्ति उपलब्ध है । इससे पता

चलता है कि नियुक्तिकार के सामने यह अध्ययन अवश्य रहा होगा। नियुक्तिकार ने 'महापरिन्ना' के 'महा' एवं 'परिन्ना' इन दो पदों का निरूपण करने के साथ ही परिन्ना के प्रकारों का भी निरूपण किया है एवं अन्तिम गाथा में बताया है कि सावक को देवागना, नरागना, व तिर्यञ्चागना इन तीनों का मन, वचन व काया से त्याग करना चाहिए। इस परित्याग का नाम महापरिज्ञा है। इस अध्ययन का विषय नियुक्तिकार के शब्दों में 'मोहसमुत्या परिसहृवमग्ना' अर्थात् मोहजन्य परीष्ठ अथवा उपर्मा हैं। इसकी व्याख्या करते हुए वृत्तिकार शीलाकदेव कहते हैं कि मयमी श्रमण को सावना में विघ्नरूप से उत्पन्न मोहजन्य परीष्ठहो अथवा उपर्माओं को समभावपूर्वक सहन करना चाहिए^१। स्त्री-ससर्ग भी एक मोहजन्य परीष्ठ ही है। भगवान् महावीरकृत आचारविधानों में व्रह्मचर्य अर्थात् त्रिविध स्त्री-ससर्गत्याग प्रधान है। परम्परा से चले आने वाले चार यामो—चार महाव्रतों में भगवान् महावीर ने व्रह्मचर्य व्रत को अलग से जोड़ा। इससे पता चलता है कि भगवान् महावीर के समय में एतद्विषयक कितनी शिखिलता रही होगी। इस प्रकार के उग्रशैथिल्य एवं आचारपतन के युग में कोई विघ्नमतोपी कदाचित् इस अध्ययन के लोप में निमित्त बना हो तो कोई आश्चर्य नहीं।

आठवें अध्ययन के दो नाम मालूम पड़ते हैं एक विमोक्ष अथवा विमोक्ष और दूसरा विमोह। अध्ययन के मध्य में 'इच्छेय विमोहाययण' तथा 'अणु-पुव्वेण विमोहाइ' व अध्ययन के अन्त में 'विमोहन्नयर हिय' इन वाक्यों में स्पष्ट रूप से विमोह' शब्द का उल्लेख है। यही शब्दप्रयोग अध्ययन के नामकरण में निमित्तभूत मालूम होता है। नियुक्तिकार ने नाम के रूप में 'विमोक्ष-विमोक्ष' शब्द का उल्लेख किया है। वृत्तिकार शीलाकसूरि मूल व नियुक्ति दोनों का अनुसरण करते हैं। अथ की दृष्टि से विमोह व विमोक्ष में कोई तात्त्विक भेद नहीं है। प्रस्तुत अध्ययन के आठ उद्देशक हैं। उद्देशकों की संख्या की दृष्टि से यह अध्ययन शेष आठों अध्ययनों से बड़ा है। नियुक्तिकार का कथन है कि इन आठों उद्देशकों में विमोक्ष विषयक निरूपण है। विमोक्ष का अथ है अलग हो जाना—साथ में न रहना। विमोह का अर्थ है मोह न रखना—ससर्ग न करना। प्रथम उद्देशक में बताया है कि जिन अनगारों का आचार अपने आचार से मिलता न दिखाई दे उनके ससर्ग से मुक्त रहना चाहिए—उनके साथ नहीं रहना चाहिए अथवा वैसे अनगारों से मोह नहीं रखना चाहिए—उनका सग नहीं

१ सप्तमे त्वयम्—सयमादिगुणयुक्तस्य कदाचिद् मोहसमुत्था परीष्ठहा उपसर्गा वा प्रादुर्भवेषु ते सम्यक् सोढन्या —प० ९

करना चाहिए। दूसरे उद्देशक में बताया है कि आहार, पानी, वस्त्र आदि दूषित हो तो उनका त्याग करना चाहिए—उनमें अलग रहना चाहिए—उन पर मोह नहीं रखना चाहिए। तृतीय उद्देशक में बताया है कि साथु के शरीर का कपन देख कर यदि कोई गृहस्थ शका करे कि यह साथु कामावेश के कारण काँपता है तो उसकी शका को दूर करना चाहिए—उसे शका से मुक्त करना चाहिए—उसका शकारूप जो मोह है उसे दूर करना चाहिए। आगे के उद्देशकों में उपकरण एवं शरीर के विमोक्ष अथवा विमोह के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया है जिसका सार यह है कि यदि ऐसी शारीरिक परिस्थिति उत्पन्न हो जाय कि सयम की रक्षा न हो सके अथवा स्त्री आदि के अनुकूल अथवा प्रतिकूल उपसर्ग होने पर सयम-भग की स्थिति पैदा हो जाय तो विवेकपूर्वक जीवन का मोह छोड़ देना चाहिए अर्थात् शरीर आदि से आत्मा का विमोक्ष करना चाहिए।

नवें अध्ययन का नाम उवहाणमुय-उपघानश्रूत है। इसमें भगवान् महावीर की गभीर ध्यानमय व घोरतपोमय साधना का वर्णन है। उपघान शब्द तृप के पर्याय के रूप में जैन प्रवचन में प्रसिद्ध है। इसीलिए इसका नाम उपघानश्रूत रखा गया मालूम होता है। नियुक्तिकार ने इस अध्ययन के नाम के लिए 'उवहाणमुय' शब्द का प्रयोग किया है। इसके चार उद्देशक हैं। प्रथम उद्देशक में दीक्षा लेने के बाद भगवान् को जो कुछ सहन करना पड़ा उसका वर्णन है। उन्होंने सर्वप्रकार की हिंसा का त्याग कर अहिंसामय चर्चा स्वीकार की। वे हमेत अनु में अर्थात् कड़कड़ाती ठड़ी में धरवार छोड़ कर निकल पड़े एवं कठोर प्रतिज्ञा की कि 'इस वस्त्र से शरीर को ढकूगा नहीं' इत्यादि। तृतीय उद्देशक में भगवान् ने कैमे-कैमे स्थानों में निवास किया एवं वहाँ उन्हें कैमे-कैसे परीपह महन करने पड़े, यह बताया गया है। चतुर्थ उद्देशक में बताया है कि भगवान् ने किस प्रकार उपसर्व्यों की, मिष्ठाचर्यों में क्या-क्या व कैसा-कैसा शुष्क भोजन लिया, कितने समय तक पानी पिया व न पिया, इत्यादि। पहले 'आचार' के जो पर्यायवाची शब्द बताये हैं उनमें एक 'आइण्ण' शब्द भी है। आइण्ण का अर्थ है आचीण अर्थात् आचरित। आचाराग में जिस प्रकार की चर्या का वर्णन किया गया है, वैसी ही चर्या का जिसने आचरण किया है उसका इस अध्ययन में वर्णन है। इसी को दृष्टि में रखते हुए सम्मूण आचाराग का एक नाम 'आइण्ण' भी रखा गया है।

आचाराग के प्रथम श्रुतस्कन्ध के नी अध्ययनों के सब मिलाकर ५१ उद्देशक हैं। इनमें से सातवें अध्ययन महापरिज्ञा के सातो उद्देशकों का लोप हो जाने के कारण वर्तमान में ४४ उद्देशक ही उपलब्ध हैं। नियुक्तिकार ने इन सब उद्देशकों का विपर्यानुक्रम बताया है।

द्वितीय श्रुतस्कन्ध की चूलिकाएँ

आचाराग का द्वितीय श्रुतस्कन्ध पाँच चूलिकाओं में विभक्त है। इनमें से प्रथम चार चूलिकाएँ तो आचाराग में ही हैं किन्तु पाँचवीं चूलिका विशेष विम्बूत होने के कारण आचाराग से भिन्न कर दी गई है जो निशीथसूत्र के नाम से एक अलग प्रथ के रूप से उपलब्ध है। नन्दिसूत्रकार ने कालिक सूत्रों की गणना में 'निसीह' नामक जिस शास्त्र का उल्लेख किया है वह आचाराग्र—आचार-चूलिका का यही प्रकरण हो सकता है। इसका दूसरा नाम आचारकल्प अथवा आचारप्रकल्प भी है जिसका उल्लेख नियुक्ति, स्थानाग व समवायाग में मिलता है।

आचाराग की चार चूलिकाओं में से प्रथम चूलिका के सात अध्ययन है—
 १. पिण्डैषणा, २. शश्यैषणा, ३. ईर्यैषणा, ४. भाषाजातैषणा, ५. वस्त्रैषणा,
 ६. पात्रैषणा, ७. अवग्रहैषणा। द्वितीय चूलिका के भी सात अध्ययन हैं १.
 स्थान, २. निषीधिका, ३. उच्चारप्रस्त्रवण, ४. शब्द, ५. रूप, ६. परक्रिया, ७
 अन्योन्यक्रिया। तृतीय चूलिका में भावना नामक एक ही अध्ययन है। चतुर्थ
 चूलिका में भी एक ही अध्ययन है जिसका नाम विमुक्ति है। इस प्रकार चारों
 चूलिकाओं में कुल सोलह अध्ययन हैं। इन अध्ययनों के नामों की योजना तद-
 न्तर्गत विषयों को ध्यान में रखते हुए नियुक्तिकार ने की प्रतीत होती है।
 पिण्डैषणा आदि समस्त नामों का विवेचन नियुक्तिकार ने निषेपपद्धति द्वारा
 किया है। पिण्ड का अर्थ है आहार, शश्या^१ का अर्थ है निवासस्थान, ईर्या का
 अर्थ है गमनागमन प्रवृत्ति, भाषाजात का अर्थ है भाषासमूह, अवग्रह का अर्थ है
 गमनागमन की स्थानमर्यादा। वस्त्र, पात्र, स्थान, शब्द व रूप का वही अर्थ है
 जो सामान्यतया प्रचलित है। निषीधिका अर्थात् स्वाध्याय एव ध्यान करने का
 स्थान, उच्चारप्रस्त्रवण अर्थात् दीर्घशक्ति का एव लघुशक्ति, परक्रिया अर्थात् दूसरों
 द्वारा की जानेवाली सेवाक्रिया, अन्योन्यक्रिया अर्थात् परस्पर की जाने वाली
 अनुचित क्रिया, भावना अर्थात् चिन्तन, विमुक्ति अर्थात् वीतरागता।

१ मूल में सेज्जा व सिज्जा शब्द है। इसका सस्कृत रूप 'सद्या' मानना विशेष उचित होगा। निषद्या और सद्या ये दोनों समानार्थक शब्द हैं तथा सदन, सद्म आदि शब्द वस्ति-निवास-स्थान के सूचक हैं परन्तु प्राचीन लोगों ने सेज्जा व सिज्जा का सस्कृत रूप 'शश्या' स्वीकार किया है। हेमचन्द्र जैसे प्रखर प्रतिभाशाली वैयाकरण ने भी 'शश्या' का 'सेज्जा' बनाने का नियम दिया है। सदन, सद्म और सद्या ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं।

पिण्डैषणा अध्ययन में ग्यारह उद्देशक हैं जिनमें बताया गया है कि श्रमण को अपनी साधना के अनुकूल सयम पोषण के लिए आहार-पानी किस प्रकार प्राप्त करना चाहिए। सयम-पोषक निवासस्थान की प्राप्ति के सम्बन्ध में शाय्यैषणा नामक द्वितीय अध्ययन में सविस्तर विवेचन है। इसके तीन उद्देशक हैं। ईर्यैषणा अध्ययन में कैपे चलना, किस प्रकार के मार्ग पर चलना आदि का विवेचन है। इसके भी तीन उद्देशक हैं। भाषाजात अध्ययन में श्रमण को किस प्रकार की भाषा बोलनी चाहिए, किसके साथ कैसे बोलना चाहिए आदि का विवेचन है। इसमें दो उद्देशक हैं। वस्त्रैषणा अध्ययन में वस्त्र किस प्रकार प्राप्त करना चाहिए इत्यादि का विवेचन है। इसमें भी दो उद्देशक हैं। पात्रैषणा नामक अध्ययन में पात्र के रखने व प्राप्त करने का विधान है। इसके भी दो उद्देशक हैं। अवग्रहैषणा अध्ययन में श्रमण को अपने लिए स्वीकार करने के मर्यादित स्थान को किस प्रकार प्राप्त करना चाहिए, यह बताया गया है। इसके भी दो उद्देशक हैं। इस प्रकार प्रथम चूलिका के कुल मिलाकर पचीस उद्देशक हैं।

द्वितीय चूलिका के सातो अध्ययन उद्देशकरहित हैं। प्रथम अध्ययन में स्थान एव द्वितीय में निषीधिका की प्राप्ति के सम्बन्ध में प्रकाश ढाला गया है। तृतीय में दीर्घशका व लघुशका के स्थान के विषय में विवेचन है। चतुर्थ व पचम अध्ययन में क्रमशः शब्द व रूपविषयक निरूपण है जिसमें बताया गया है कि किसी भी प्रकार के शब्द व रूप से श्रमण में रागद्वेष उत्पन्न नहीं होना चाहिये। छठे में परक्रिया एव सातवें में अन्योन्यक्रियाविषयक विवेचन है।

प्रथम श्रुतस्कन्ध में जो आचार बताया गया है उसका आचरण किसने किया है? इस प्रश्न का उत्तर तृतीय चूलिका में है। इसमें भगवान् महावीर के चरित्र का वर्णन है। प्रथम श्रुतस्कन्ध के नवम अध्ययन उपधानश्रूत में भगवान् के जन्म, माता पिता, स्वजन इत्यादि के विषय में कोई उल्लेख नहीं है। इन्हीं सब वातों का वर्णन तृतीय चूलिका में है। इसमें पाँच महावृतों एव उनकी पाँच-पाँच भावनाओं का स्वरूप भी बताया गया है। इम प्रकार 'भावना' के वर्णन के कारण इम चूलिका का भावना नाम सार्थक है।

चतुर्थ चूलिका में केवल ग्यारह गाथाएँ हैं जिनमें विभिन्न उपमाओं द्वारा वीतराग के स्वरूप का वर्णन किया गया है। अन्तिम गाथा में सबसे अन्त में 'विमुच्चइ' क्रियापद है। इसी को दृष्टि में रखते हुए इस चूलिका का नाम विमुक्ति रखा गया है।

एक रोचक कथा ।

उपर्युक्त चार चूलिकाओं में से अन्तिम दो चूलिकाओं के विषय में एक रोचक

कथा मिलती है। यद्यपि निर्युक्तिकार ने यह स्पष्ट बताया है कि आचाराग की पाँच चूलिकाएँ स्थविरकृत हैं फिर भी आचार्य हेमचन्द्र ने तृतीय व चतुर्थ चूलिका के सम्बन्ध में एक ऐसी कथा दी है जिसमें इनका सम्बन्ध महाविदेह क्षेत्र में विराजित सीमघर तीर्थद्वार के साथ जोड़ा गया है। यह कथा परिशिष्ट पर्व के नवम सर्ग में है। इसका सम्बन्ध स्थूलभद्र के भाई श्रियक की कथा से है। श्रियक की बड़ी वहन साध्वी यक्षा के कहने से श्रियक ने उपवास किया और वह मर गया। श्रियक की मृत्यु का कारण यक्षा अपने को मानती रही। किन्तु वह श्रीसध द्वारा निर्दोष घोषित की गई एव उसे श्रियक की हत्या का कोई प्रायशिचत्त नहीं दिया गया। यक्षा श्रीसध के इस नियम से सन्तुष्ट न हुई। उसने घोषणा की कि जिन भगवान् खुद यदि यह निर्णय दें कि मैं निर्दोष हूँ तभी मुझे सन्तोष हो सकता है। तब समस्त श्रीसध ने शासनदेवी का आह्वान करने के लिए काउसग—कायोत्सर्ग—ध्यान किया। ऐसा करने पर तुरन्त शामनदेवी उपस्थित हुई एव साध्वी यक्षा को अपने साथ महाविदेह क्षेत्र में विराजित सीमघर भगवान् के पास ले गई। सीमघर भगवान् ने उसे निर्दोष घोषित किया एव प्रसन्न होकर श्रीसध के लिए निम्नोक्त चार अध्ययनों का उपहार दिया भावना, विमुक्ति, रतिकल्प और विचित्रचर्या। श्रीसध ने यक्षा के मुख से सुन कर प्रथम दो अध्ययनों को आचाराग की चूलिका के रूप में एव अन्तिम दो अध्ययनों को दशवैकालिक की चूलिका के रूप में जोड़ दिया।

हेमचन्द्रसूरिलिखित इस कथा के प्रामाण्य-अप्रामाण्य के विषय में चर्चा करते की कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने यह घटना कहाँ से प्राप्त की, यह अवश्य शोधनीय है। दशवैकालिक-नियुक्ति, आचाराग-नियुक्ति, हरिभद्रकृत दशवैकालिक-वृत्ति, शीलाकृत आचाराग-वृत्ति आदि में इस घटना का कोई उल्लेख नहीं है।

पद्यात्मक अवश्यकता।

आचाराग-प्रथमश्रुतस्कन्ध के विमोह नामक अष्टम अध्ययन का सम्पूर्ण आठवाँ उद्देशक पद्यमय है। उपधानश्रुत नामक सम्पूर्ण नवम अध्ययन भी पद्यमय है। यह बिलकुल स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त द्वितीय अध्ययन लोकविजय, तृतीय अध्ययन शीरोष्णीय एव पष्ठ अध्ययन धूत में कुछ पद्य बिलकुल स्पष्ट हैं। इन पद्यों के अतिरिक्त आचाराग में ऐसे अनेक पद्य और हैं जो मुद्रित प्रतियों में गद्य के रूप में छपे हुए हैं। चूणिकार कही-कही 'गाहा' (गाथा) शब्द द्वारा मूल के पद्यभाग का निर्देश करते हैं किन्तु वृत्तिकार ने तो शायद ही ऐसा कही किया हो। आचाराग के प्रथम श्रुतस्कन्ध के सम्पादक श्री शुभ्रिंग ने अपने सस्करण में समस्त पद्यों का स्पष्ट पृथक्करण किया है एव उनके छदों पर भी जर्मन भाषा में पर्याप्त प्रकाश

दाला है तथा वताया है कि इनमें आर्या, जगती, त्रिष्टुभ, वैतालीय, श्लोक आदि का प्रयोग हुआ है। साथ ही बौद्ध पिटकग्रन्थ सुत्तनिपात के पद्मों के साथ आचाराग प्रथमशुत्तस्कन्ध के पद्मों की तुलना भी की है। आश्चर्य है कि शीलाक से लेकर दीपिकाकार तक के प्राचीन व अर्वाचीन वृत्तिकारों का ध्यान आचाराग के पद्मभाग के पृथक्करण की ओर नहीं गया। वर्तमान भारतीय सशोधकों, सपादकों एवं अनुवादकों का ध्यान भी इस ओर न जा सका, यह खेद का विषय है।

आचाराग्ररूप द्वितीय श्रुत्स्कन्ध की प्रथम दो चूलिकाएँ पूरी गद्य में हैं। तृतीय चूलिका में दो-चार जगह पद्म का प्रयोग भी दृष्टिगोचर होता है। इसमें महावीर की सम्पत्ति के दान के मम्बन्ध में उपलब्ध वर्णन छ आर्योंमें है। महावीर द्वारा दीक्षाशिविका में दैठ कर ज्ञातखण्ड वन की ओर किये गये प्रस्थान का वर्णन भी ग्यारह आर्योंमें है। भगवान् जिस समय सामायिक चारित्र अगीकार करने के लिए प्रतिजावचन का उच्चारण करते हैं उस समय उपस्थित जनसमूह इस प्रकार शान्त हो जाता है भानो वह चित्तलिखित हो। इस दृश्य का वर्णन भी दो आर्योंमें है। आगे पांच महाप्रतीकों की भावनाओं का वर्णन करते समय अपरिग्रह व्रत की भावना के वर्णन में पांच अनुष्टुभों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार भावना नामक तृतीय चूलिका में कुछ चौबीस पद्म हैं। शेष सम्पूर्ण अश गद्य में हैं। विमुक्ति नामक चतुर्थ चूलिका पूरी पद्ममय है। इसमें कुल ग्यारह पद्म हैं जो उपजाति जैसे किसी छन्द में लिखे गये प्रतीत होते हैं। सुत्तनिपात के आमगवसुत्त में भी ऐसे छद का प्रयोग हुआ है। इस छद में प्रत्येक पाद में वारह अक्षर होते हैं। इम प्रकार पूरे द्वितीय श्रुत्स्कन्ध में कुल पैतीस पद्मों का प्रयोग हुआ है।

आचाराग की वाचनाएँ ।

नदिसूत्र व समवायाग में लिखा है कि आचाराग की अनेक वाचनाएँ हैं। वर्तमान में ये सब वाचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं किन्तु शीलाक की वृत्ति में स्वीकृत पाठ्लृप एक वाचना व उसमें नागार्जुनीय के नाम से उल्लिखित द्वूभरी वाचना—इस प्रकार दो वाचनाएँ प्राप्य हैं। नागार्जुनीय वाचना के पाठभेद वर्तमान पाठ से विलकुल विलक्षण हैं। उदाहरण के तौर पर वर्तमान में आचाराग में एक पाठ इस प्रकार उपलब्ध है—

कट्ट एवं अवयाणओ विद्या मदस्स बालिया लद्वा हुरत्था ।

—आचाराग अ ५, उ १, सू १४५-

इस पाठ के वजाय नागार्जुनीय पाठ इस प्रकार है—

जे गलु विमए सेवई सेविता णालोएइ, परेण वा पुटो निष्टव्वइ,
अहवा त पर सएण वा दोमेण पाविद्ययरेण वा दोमेण उवर्लिपिज्ज ति ।

आचार्य शीलाक ने अपनी वृत्ति में जो पठ स्वीकार किया है उसमें और नागाजुनीय पाठ में शब्द रचना की दृष्टि में वहूत अन्तर है, यद्यपि आशय में भिन्नता नहीं है । नागाजुनीय पाठ स्वीकृत पाठ की प्रेक्षा अति स्पष्ट एवं विशद है । उदाहरण के लिए एक और पाठ लें —

विगग स्वेसु गच्छेज्जा महया—खुड्हएहि (एसु) वा ।

—आचाराग थ ३, उ ३, सू ११७

इस पाठ के वजाय नागाजुनीय पाठ इस प्रकार है --

विसयम्मि पचगम्मि वि दुविहम्मि तिय तिय ।

भावथो मुटु जाणित्ता स न लिप्पइ दोसु वि ॥

नागाजुनीय पाठान्तरो के अतिरिक्त वृत्तिकार ने और भी अनेको पाठभेद दिये हैं, जैसे 'मोयणाए' के स्थान पर 'भोयणाए', 'चित्ते' के स्थान पर 'चिट्ठे', 'पियाउया' के स्थान पर 'पियायाया' इत्यादि । भवत है, इस प्रकार के पाठ-भेद मुखायश्रुत की परम्परा के कारण अथवा प्रतिलिपिकार के लिपिदोष के कारण हुए हो । इन पाठ भेदों में विशेष अर्थभेद नहीं है । हा कभी-कभी इनके अय में अन्तर अवश्य दिखाई देता है । उदाहरण के लिए 'जातिमरणमोयणाए' का अर्थ है जन्म और मृत्यु से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, जब कि 'जातिमरणभोयणाए' का अर्थ है जातिभोज अथवा मृत्युभोज के उद्देश्य से । यहा जातिभोज का अर्थ है जन्म के प्रसंग पर किया जाने वाला भोजन का समारम अथवा जाति विशेष के निमित्त होने वाला भोजन-समारम्भ एवं मृत्युभोज का अर्थ है श्राद्ध अथवा मृतकभोजन ।

आचाराग के कर्ता

आचाराग के कर्तृत्व के सम्बन्ध में इसका उपोद्घातात्मक प्रथम वाक्य कुछ प्रकाश डालता है । वह वाक्य इस प्रकार है सुय मे आउस । तेण भगवया एवमक्खाय—हे चिरञ्जीव । मैंने सुना है कि उन भगवान् ने ऐसा कहा है । इस वाक्य रचना से यह स्पष्ट है कि कोई तृतीय पुरुष कह रहा है कि मैंने ऐसा सुना है कि भगवान् ने यो कहा है । इसका अर्थ यह है कि मूल वक्ता भगवान् है । जिसने सुना है वह भगवान् का साक्षात् श्रोता है । और उसी श्रोता से सुनकर जो इस समय सुना रहा है, वह श्रोता का श्रोता है । यह परम्परा वैसी ही है जैसे कोई एक महाशय प्रवचन करते हो, दूसरे महाशय उस प्रवचन को सुनते

हो एव सुन कर उमे तीसरे महाशय को सुनाते हो। इससे यह व्वनित होता है कि भगवान् के मुख से निकले हुए शब्द तो वे ज्यो-ज्यो बोलते गये त्यो-त्यो विलीन होते गये। बाद में भगवान् की कही हुई वात बताने का प्रसाग आने पर सुनने वाले महाशय यो कहने हैं कि मैंने भगवान् से ऐसा सुना है। इसका अर्थ यह हुआ कि लोगों के पास भगवान् के खुद के शब्द नहो आते अपिनु किसी सुनने वाले के शब्द आते हैं। शब्दों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे जिस रूप से बाहर आते हैं उसी रूप में कभी नहो टिक सकते। यदि उन्हें उसी रूप में सुरक्षित रखने की कोई विशेष व्यवस्था हो तो अवश्य वैसा हो सकता है। वर्तमान युग में इस प्रकार के वैज्ञानिक साधन उपलब्ध हैं। ऐसे साधन भगवान् महावीर के समय में विद्यमान न थे। अत हमारे सामने जो शब्द हैं वे साक्षात् भगवान् के नहीं अपितु उनके हैं जिन्होने भगवान् से सुने हैं। भगवान् के खुद के शब्दों व श्रोता के शब्दों में शब्द के स्वरूप की दृष्टि से वस्तुत बहुत अन्तर है। फिर भी ये शब्द भगवान् के ही हैं, इम प्रकार की छाप मन परसे किसी भी प्रकार नहीं मिट सकती। इसका कारण यह है कि शब्दयोजना भले ही श्रोता की हो, आशय तो भगवान् का ही है।

अगसूत्रों की वाचनाएँ

ऐसी मान्यता है कि पहले भगवान् अपना आशय प्रकट करते हैं, बाद में उनके गणधर अर्थात् प्रधान शिष्य उस आशय को अपनी-अपनी शैली में शब्दवद्ध करते हैं। भगवान् महावीर के ग्यारह गणधर थे। वे भगवान् के आशय को अपनी-अपनी शैली व शब्दों में ग्रथित करने के विशेष अधिकारी थे। इससे फलित होता है कि एक गणधर की जो शैली व शब्दरचना हो वही दूसरे की हो भी और न भी हो। इसीलिए कल्पसूत्र में कहा गया है कि प्रत्येक गणधर की वाचना भिन्न-भिन्न थी। वाचना अर्थात् शैली एव शब्दरचना। नन्दिसूत्र व समवायाग में भी वताया गया है कि प्रत्येक अङ्गसूत्र की वाचना परित्त (अर्थात् परिमित) अथवा एक से अधिक (अर्थात् अनेक) होती है।

ग्यारह गणधरों में से कुछ तो भगवान् को उपस्थिति में हो मुवित प्राप्त कर चुके थे। सुधर्मास्वामी नामक गणधर सब गणधरों में दीर्घयु थे। अत भगवान् के समस्त प्रवचन का उत्तराधिकार उन्हें मिला था। उन्होने उमे सुरक्षित रखा एव अपनी शैली व शब्दों में ग्रथित कर आगे को शिष्य-प्रशिष्यपरम्परा को मौंपा। इस शिष्य-प्रशिष्यपरम्परा ने भी सुधर्मास्वामी को ओर से प्राप्त वसीयत को अपनी शैली व शब्दों में बहुत लम्बे काल तक कण्ठस्थ रखा।

आचार्य भद्रवाहु के समय में एक भयङ्कर व लम्बा दुष्काल पड़ा। इस समय

की भग्नावना बहुत कम हो गई। देवद्विगणितमात्रमण ने किसी प्रकार भी नई वाचना का प्रवतन नहीं किया अग्रिम जो श्रुतपाठ पढ़ते की वाचनाओं में निर्दिष्ट ही नुस्खा या उसों को एक एवं उपर्युक्त स्तर से प्रत्यक्ष फिल्म। एतद्विगणक उपलब्ध उल्लेख इन प्रकार है —

कलहभृत्यमि नवरे देवद्विगणमुहूर्ण समणवंधेण ।

पृथङ् आगमु लिहिओ नवतयअमीओ वौराओ ॥

धर्षन् लन्मोपुर नामह नगर में देवद्विगणमण वर्षा १८०
(भ्रातार मे १९३) में आगमों को प्राप्त किया।

देवद्विगणि धमात्रमण :

बत्तेजान समस्त ऐन प्रधनग प्राटिन में गही भी देवद्विगणि धमात्रमण^१ जैसे

- १ आगमों दो पस्तामन गर्नेयाले आचार्य गा नाम देवद्विगणितमात्रमण है। अमृक विगिट गीतार्थ पुर भी 'गानी' और 'धमात्रमण' गहा जाता है। जैसे विगितावदकमात्र्य के प्रणेता जिादगणितमात्रमण है ये से ही उच्चकोटि के गीतार्थ देवद्वि भी गणितमात्राग है। इसी गुरुपरपरा का काम वन्दिमूर्ति पी न्द्रियावती में दिया हुआ है। इसी टीनी भी यन्त्रकार ने वाचक-वश में नहीं गिनाया। अत वाचको न ये गणितमात्रमण अलग मालूम होते हैं और वाचकथा को परम्परा अलग मालूम द्योनी है। नन्दिमूर्ति के प्रणेता देवद्वाचक नाम के आचार्य हैं। उनकी गुण-परा नन्दिमूर्ति की स्वविगाकती में दी है और ये स्वधृत्य से वाचकथा को प-परा में है अत देवद्वाचक और देवद्विगणितमात्रमण अलग-अलग आचार्य के नाम हैं तथा विसी प्रकार से कदाचित् गणितमात्रामण पद और वाचक पद भिन्न नहीं हैं ऐसा मानने पर भी इन दोनों आचार्यों की गुरुपरपरा भी एक सी नहीं मालूम होती। इसलिए भी ये दोनों भिन्न-भिन्न आचार्य हैं। प्रश्नपदति नामक छोटे से ग्राम में लिखा है कि नन्दिमूर्ति देवद्वाचक ने बनाया है और पाठों की वाचार न लिखना पटे इसलिए देवद्वाचकाङ्क्षन नन्दिमूर्ति की माकी पुस्तकामृष्ट करते समय देवद्विगणितमात्रमण ने दी है। ये दोनों आचार्य भिन्न-भिन्न होने पर भी प्रश्नपदति का यह उल्लेख नंगत ही मरकता है। प्रश्नपदति के वर्ता के विचार में ये दोनों एक ही होने तो वे ऐसा लिखते कि नन्दिमूर्ति देवद्वाचक भी कृति है और अपना ही कृति भी गाकी देवद्वि ने दी है, परन्तु उन्होंने ऐसा न लिखकर ये दोनों भिन्न भिन्न हो, इस प्रकार निर्देश किया है। प्रश्नपदति के कर्ता मूलि हरिदर्शन हैं जो अपने को नवागीवृत्तिकार या अभयदेवसूरिके शिष्य कहते हैं।—देखो प्रश्नपदति, पृ० २

महाप्रभावक आचार्य का सम्पूर्ण जीवन-वृत्तात उपलब्ध नहीं होता। इन्होने कितने परिस्थितियों में आगमों की ग्रन्थवद्ध किया? उस समय अन्य कौन श्रुतधर पुरुष विद्यमान थे? बलभीपुर के मध्य ने उनके इस कार्य में किस प्रकार को सहायता की? इत्यादि प्रश्नों के समावान के लिए वर्तमान में कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है। आश्चर्य तो यह है कि विक्रम की चौदहवी शताब्दी में होनेवाले आचार्य प्रभाचन्द्र ने अपने प्रभावक चरित्र में अन्य अनेक महाप्रभावक पुरुषों का जीवन चरित्र दिया है। किन्तु इनका कही निर्देश भी नहीं किया है।

देवद्विंशिष्ठमात्रमण ने आगमों को ग्रन्थवद्ध करते समय कुछ महत्वपूर्ण वाते ध्यान में रखी। जहाँ जहाँ शास्त्रों में समान पाठ आये वहाँ-वहाँ उनकी पुनरावृत्ति न करते हुए उनके लिए एक विशेष ग्रन्थ अथवा स्थान का निर्देश कर दिया, जैसे 'जहा उत्तराइए' 'जहा पण्णवण्णाए' इत्यादि। एक ही ग्रन्थ में वही वात बार-बार आने पर उसे पुन युन न लिखते हुए 'जाव' शब्द का प्रयोग करते हुए उसका अन्तिम शब्द लिख दिया, जैसे 'आगकुमारा जाव विहरति' तीण कालेण जाव परिसा पिण्डाया' इत्यादि। इसके अतिरिक्त उन्होने महावीर के बाद की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ भी आगमों में जोड़ दी। उदाहरण के लिए स्थानाग में उल्लिखित दस गण भगवान् महावीर के निर्वाण के बहुत समय बाद उत्पन्न हुए। यही वात जमालि को छोड़कर शेष निह्लियों के विषय में भी वही जा सकती है। पहले से चली आने वाली माथुरी व वालमी इन दो वाचनाओं में से देवद्विंशिष्ठ ने माथुरी वाचना को प्रधानता दी। साथ ही वालमी वाचना के पाठभेद को भी सुरक्षित रखा। इन दो वाचनाओं में सगति रखने का भी उन्होंने भरसक प्रयत्न किया एव सबका समावान कर माथुरो वाचना को प्रमुख स्थान दिया।

महाराज खारवेल

महाराज खारवेल ने भी अपने समय में जैन प्रवचन के समुद्घार के लिए श्रमण-श्रमणियों एव श्रावक-श्राविकाओं का वृहद् सध एकत्र किया। खेद है कि इस सम्बन्ध में किसी भी जैन ग्रन्थ में कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं है। महाराज खारवेल ने कलिंगात खडगिरि व उदयगिरि पर एतद्विषयक जो विस्तृत लेख खुदवाया है उसमें इस सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख है। यह लेख पूरा प्राकृत में है। इसमें कलिंग में भगवान् ऋषभदेव के मंदिर की स्थापना व अन्य अनेक घटनाओं का उल्लेख है। वर्तमान में उपलब्ध 'हिमवत् येरावली' नामक प्राकृत-संस्कृत-मिश्रित पट्टावली में महाराज खारवेल के विषय में स्पष्ट उल्लेख है कि उन्होंने प्रवचन का उद्घार किया।

आचाराग के शब्द

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आचाराग के कर्तृत्व का विचार करने पर यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि इसमें आशय तो भगवान् महावीर का ही है। रही वात शब्दों की। हमारे सामने जो शब्द है वे किनके हैं? इसका उत्तर इतना न रख नहीं है। या तो ये शब्द सुधर्मस्वामी के हैं या जम्बूस्वामी के हैं या उनके बाद होने वाले किसी सुविहित गीतार्थ दे हैं। किर भी इतना निश्चित है कि ये शब्द इनने पैदे हैं कि मुनते ही मोर्धे हृदय में घुस जाते हैं। इससे मालूम होता है कि ये किनी असाधारण अनुभवात्मक आध्यात्मिक पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए पुरुष के हृदय में से निकले हए हैं एवं मुनते वाटे ने भी इन्हें उमी निष्ठा से मुरक्कित रखा है। ब्रह्म इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि ये शब्द सुधर्मस्वामी की वाचना का अनुसरण करने वाले हैं। सम्भव है इनमें सुधर्मा के नुद के शब्दों का प्रतिविम्ब हो। यह भी असम्भव नहीं कि इन प्रतिविम्बस्प शब्दों में मे अमुक शब्द भगवान् महावीर के शुद्ध के शब्दों के प्रतिविम्ब के रूप में हो, अमुक शब्द सुधर्मस्वामी के वचनों के प्रतिविम्ब के रूप में हो, अमुक शब्द गीतार्थ महा-पुरुषों के शब्दों की प्रतिविम्बिति के रूप में हो। इनमें से कौन से शब्द फिस कोटि के हैं, इनका पृथक्करण यहाँ सम्भव नहीं। वर्तमान में हम गुरुनानक, कबीर, नरमिह मेहता, आनन्दधन, यशोविजय उपाध्याय आदि में जो भजन-स्तवन गाते हैं उनमें मूल की अपेक्षा कुछ-कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। इसी प्रकार का घोड़ा-चहूत परिवर्तन आचाराग के प्रथम श्रुतस्कन्ध में प्रतीत होता है। यही वात सूत्रसूताग के प्रथम श्रुतस्कन्ध के विषय में भी कही जा सकती है। शोप अगो के विषय में ऐसा नहीं कह सकते। ये गीतार्थ स्थिविरों की रचनाएँ हैं। इनमें महावीर आदि के शब्दों का आधिक्य न होते हुए भी उनके आशय का अनुसरण तो है ही।

ब्रह्मचर्य एवं ब्राह्मण •

आचाराग का दूसरा नाम ब्रह्मचर अर्थात् ब्रह्मचर्य है। इस नाम में 'ब्रह्म' और 'चर्य' ये दो शब्द हैं। नियुक्तिकार ने ब्रह्म की व्याख्या करते हुए नामत ब्रह्म, स्थापनात् ब्रह्म, द्रव्यत ब्रह्म एव भावत ब्रह्म—इस प्रकार ब्रह्म के चार भेद बतलाये हैं। नामत ब्रह्म अर्थात् जो केवल नाम से ब्रह्म—ब्राह्मण है। स्थापनात् ब्रह्म का अर्थ है चित्रित ब्रह्म अथवा ब्राह्मणों की निशानी रूप यज्ञोपवीतादि युक्त चित्रित आकृति अथवा भिट्ठी आदि द्वारा निर्मित वैसा आकार-मूर्ति-प्रतिमा। अथवा जिन मनुष्यों में वाह्य विह्वों द्वारा ब्रह्मभाव की स्थापना-कल्पना की गई हो, जिनमें ब्रह्मपद के अर्थात् नुसार गुण भले ही न हों वह स्थापनात् ब्रह्म-ब्राह्मण कहलाता है। यहाँ ब्रह्म शब्द का ब्राह्मण अर्थ निविशित है। मूलतः तौ ब्रह्म शब्द

ब्रह्मचर्य का ही वाचक है। चूँकि ब्रह्मचर्य सयम रूप है अत ब्रह्म शब्द सऋह प्रकार के सयम सूचक भी हैं। इसका समर्थन स्वय नियुक्तिकार ने (२८ वी गाथा में) किया है। ऐसा होते हुए भी स्थापनात ब्रह्म का स्वरूप समझते हुए नियुक्तिकार ने यज्ञोपवीनादियुक्त और ब्राह्मणगुणवर्जित जाति ब्राह्मण को भी स्थापनात ब्रह्म क्यो कहा? किसी दूसरे को अर्थात् क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र को स्थापनात ब्रह्म क्यो नही कहा? इसका समाधान यह है कि जिस काल में आचारागसूत्र की योजना हुई वह काल भगवान् भगवीर व सुधर्मा का था। उस काल में ब्रह्मचर्य घारण करने वाले अधिकाशत ब्राह्मण होने थे। किसी समय ब्राह्मण वास्तुविक अर्थ में ब्रह्मचारी थे किन्तु जिस काल की यह सूत्रयोजना है उस काल में ब्राह्मण अपने ब्राह्मणवर्म से अर्थात् ब्राह्मण के यथार्थ आचार से अनुत्त हो गये थे। किर भी ब्राह्मण जाति के वाह चिह्नों को घारण करने के कारण ब्राह्मण ही माने जाते थे। इस प्रकार उस समय गुण नही किन्तु जाति ही ब्राह्मणत्व का प्रतीक मानी जाने लगी। सुत्तनिपान के ब्राह्मणवर्मिकसुत (चूलवग्ग, सू० ७) में भगवान् बुद्ध ने इस विषय में सुन्दर चर्चा की है। उसका सार नीचे दिया है —

आवस्तो नगरो मे जेतवनस्थित अनाथपिण्डिक के उद्यान में आकर स्थरे हुए भगवान् बुद्ध ये कोशल देश के कुछ वृद्ध व कुलोन ब्राह्मणों ने आकर प्रश्न किया—“हे गौतम! क्या आजकल के ब्राह्मण प्राचीन ब्राह्मणों के ब्राह्मणवर्म के अनुसार आचरण करते हुए दिखाई देते हैं?” बुद्ध ने उत्तर दिया—“हे ब्राह्मणो! आजकल के ब्राह्मण पुराने ब्राह्मणों के ब्राह्मणवर्म के अनुसार आचरण करते हुए दिखाई नही देते।” ब्राह्मण कहने लगे—“हे गौतम! प्राचीन ब्राह्मणवर्म क्या है, यह हमें बताइए।” बुद्ध ने कहा—‘प्राचीन ब्राह्मण ऋषि सयतात्मा एव तपस्वी थे। वे पांच इन्द्रियों के विषयों का त्याग कर आत्मचिन्तन करते। उनके पास पशु न थे, घन न था। स्वाध्याय ही उनका घन था। वे ब्रह्मनिधि का पालन करते। लोग उनके लिए श्रद्धापूर्वक भोजन बना कर हार पर तैयार रखते व उन्हें देना उचित समझते। वे अवध्य थे एव उनके लिए किसी भी कुटुम्ब में आने-जाने की कोई रोकन्दोक न थी। वे अडतालीस वर्ष तक, कौमार ब्रह्मचर्य का पालन करते एव प्रज्ञा व शील का सम्पादन करते। कहुकाल के अतिरिक्त वे अपनी प्रिय स्त्री का सहवास भी स्वीकार नही करते। वे ब्रह्मचर्य, शील, आर्जव, मार्दव, तप, समाधि, अहिंसा एव शान्ति की सुन्ति करते। उस समय सुकुमार, उन्नतस्कन्ध, तेजस्वी एव यशस्वी ब्राह्मण स्वघर्मनुसार आचरण करते तथा कृत्य-अकृत्य के विषय में सदा दक्ष रहते। वे चावन,

तृतीय प्रकारण

अंगग्रन्थों का अंतरंग परिचय : आचारांग

बहूदों से टाङ्गे परिचय में अन्तर्ग्रन्थों की दृष्टि, भाषा, प्रारम्भकम् तथा विषय विवेचन की जाए जो गई। अतरंग परिचय में तिनाकृष्णलुभी पर प्रशासन ढाना जाएगा ।

- (१) अचेलक य मनेश्वर दोनों परम्पराओं के प्रन्थों में निदिष्ट अन्तर्ग्रन्थों के विवरों का उल्लेख य उनकी वर्तमान विषयों के साथ तुलना ।
- (२) अन्तर्ग्रन्थों के मुख्य नामों तथा उनके क्षणयनों में नामों की चर्चा ।
- (३) पादाचारी, याचनावर्णों तथा छ दो से विषय में निर्देश ।
- (४) अन्तर्ग्रन्थ में उपनिषद् उपोद्घात द्वारा उनके पर्यात्य का विचार ।
- (५) अन्तर्ग्रन्थों में आने वाले पुष्ट वालापत्रों को जूलि, वृत्ति इत्यादि के अनुचार तुलनात्मक चर्चा ।
- (६) अन्तर्ग्रन्थ में आने वाले अन्यमत्स्याधी उल्लेखों की चर्चा ।
- (७) अग्रों में आने वाले विदेष प्रकार के वर्णन, विशेष नाम, नगर इत्यादि के नाम तथा सामाजिक एवं ऐतिहासिक उल्लेख ।
- (८) अन्तर्ग्रन्थों में प्रयुक्त मुराय-मुस्य शब्दों के विषय में निर्देश ।

अचेलक परम्परा के राजपातिक, धयला, जयपयला, गोमटसार, अन्तर्ग्रन्थति आदि प्रन्थों में बताया है कि आचारांग^१ में मनमुद्दि, वचनमुद्दि, कायमुद्दि,

^१ (अ) प्रथम श्रुतस्कन्ध—W Schubring, Leipzig, 1910 जैन साहित्य नशोधक समिति, पूना, मन् १९२४

(आ) नियुक्ति तथा दीलाक, जिनहम् य पादवर्चन्द्र की टीकाओं के साथ—
घनपत सिंह, पलकत्ता, विं स० १९३६

(इ) नियुक्ति य दीलाक की टीका के साथ—आगमोदय समिति, सूरत,
विं स० १९७२-१९७३

(ई) अप्रेजी अनुवाद—H Jacobi, S B E Series, Vol. 22,
Oxford 1884

(उ) मूल—H Jacobi, Pali Text Society, London 1882

(क) प्रथम श्रुतस्कन्ध का जर्मन अनुवाद—Worte Mahavira, W
Schubring, Leipzig, 1926.

इस सम्बन्ध में चूर्णिकार ने जो निरूपण किया है वह नियुक्तिकार से कुछ भिन्न मालूम पड़ता है। चूर्णि में बताया गया है कि भगवान् ऋषभदेव के नमय में जो राजा के आश्रित थे वे क्षत्रिय हुए तथा जो राजा के आश्रित न थे वे गृहपति कहलाये। वाद में अग्नि की सौज होने के उपरान्त उन गृहपतियों में से जो शिल्प तथा वाणिज्य करने वाले थे वे वैश्य हुए। भगवान् के प्रब्रज्या लेने वे भरत का राज्याभिषेक होने के बाद भगवान् के उपदेश द्वारा श्रावकवर्म की उत्पत्ति होने के अनन्तर ब्राह्मण उत्पन्न हुए। ये श्रावक धर्मप्रिय थे तथा 'मा हणो मा हणो' रूप भर्हिमा का उद्घोष करने वाले थे अत लोगों ने उन्हें माहण-ब्राह्मण नाम दिया। ये ब्राह्मण भगवान् के आश्रित थे। जो भगवान् के आश्रित न थे तथा किसी प्रकार का शिल्प आदि नहीं करते थे वे अश्रावक थे वे शोकातुर व द्वोहस्त्वभावयुक्त होने के कारण शूद्र कहलाये। 'शूद्र' शब्द के 'शू' का अर्थ शोकस्वभावयुक्त एवं 'द्र' का अर्थ द्वोहस्त्वभावयुक्त किया गया है। नियुक्तिकार ने चतुर्वर्ण का क्रम क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य व ब्राह्मण—यह बताया है जबकि चूर्णिकार के अनुमार यह क्रम क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण व शूद्र—इस प्रकार है। इस क्रम-परिवर्तन का कारण सम्भवत वैदिक परम्परा का प्रभाव है।

सात वर्ण व नव वर्णान्तर

नियुक्तिकार ने व तदनुसार चूर्णिकार तथा वृत्तिकार ने सात वर्णों व नौ वर्णान्तरों की उत्पत्ति का जो क्रम बताया है वह इस प्रकार है —

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र ये चार मूल वर्ण हैं। इनमें से ब्राह्मण व क्षत्रियाणों के सयोग से उत्पन्न होनेवाला उत्तम क्षत्रिय, शूद्र क्षत्रिय अथवा सकर क्षत्रिय कहलाता है। यह पचम वर्ण है। क्षत्रिय व वैश्य-स्त्री के सयोग से उत्पन्न होने वाला उत्तम वैश्य, शूद्र वैश्य अथवा सकर वैश्य कहलाता है। यह पछ्य वर्ण है। इसी प्रकार वैश्य व शूद्रों के सयोग से उत्पन्न होने वाला उत्तम शूद्र, शूद्र शूद्र अथवा सकर शूद्र रूप सप्तम वर्ण है। ये सात वर्ण हुए। ब्राह्मण व वैश्य स्त्री के सयोग से उत्पन्न होने वाला अब्द्ध नामक प्रथम वर्णान्तर है। इसी प्रकार क्षत्रिय व ता के सयोग से उग्र, ब्राह्मण व शूद्रों के सयोग से निषाद अथवा पाराशर, शूद्र वैश्य-स्त्री के सयोग से अयोगव, वैश्य व क्षत्रियाणों के सयोग से मागघ, क्षत्रिय ब्राह्मणी के सयोग से सूर्त, शूद्र व क्षत्रियाणों के सयोग से क्षत्तृक, वैश्य व ह्याणी के सयोग से वैदेह एवं शूद्र ब्राह्मणी के सयोग से चाढाल नामक अन्य उठ वर्णान्तरों की उत्पत्ति बताई गई है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य वर्णान्तर हैं। उग्र व क्षत्रियाणों के सयोग से उत्पन्न होने वाला श्वपाक, वैदेह व क्षत्रियों के सयोग से उत्पन्न होने वाला वैणव, निषाद व अब्द्धी अथवा शूद्रों के

सयोग से उत्पन्न होने वाला बोफलम, पृष्ठ य निपादी के सयोग से उत्पन्न होने वाला कुचुटक अथवा कुपकुरक बहुआता है।

इन प्रकार यज्ञों व वर्णन्तरों को उत्पत्ति पा स्वरूप बताते हुए चृणिकार स्वास्थ शब्दों में किए रखे हैं कि 'एव स्वच्छदगतिविगणित' अर्थात् वैदिक परम्परा में व्राह्मण आदि की उत्पत्ति के विषय में जो कुछ गहरा गया है वह सब स्वच्छन्द-मतियों को कन्यना है। उपमुँक वर्ण-वर्णन्तर मम्बन्धो ममस्त विवेचन मनुस्मृति (अ० १०, द्लोर० ४-४५) में उपलब्ध है। चृणिकार य मनुस्मृतिकार के उल्लेखों में कहीं-नहीं नाम आदि में घोटा-घोडा अन्तर दृष्टिगोचर होता है।

शस्त्रपरिच्छा

आचाराग ने प्रथम ध्रुतस्फूर्त्य के प्रथम अध्ययन का नाम मत्स्यपर्णिना अर्थात् शस्त्रपरिच्छा है। शस्त्रपरिच्छा अर्थात् शस्त्रों का ज्ञान। आचाराग श्रमण-व्राह्मण के आधार से सम्बन्धित पन्थ है। उसमें कहो भी युद्ध अथवा नेता का वर्णन नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथम अध्ययन में शस्त्रों के मत्स्यन्ध में विश्लेषण यीसे सम्भव ही नकारा है? मध्यार्थ में लाठी, तलवार, गजर, बन्दूक आदि की ही शस्त्रों के रूप में प्रसिद्धि है। आज के वैज्ञानिक युग में अणुवम, उद्जननम आदि भी शस्त्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऐसे शस्त्र स्पष्ट रूप से हिंसक हैं, यह सर्वविदित है। आचाराग के कर्ताओं को दृष्टि से क्लोथ, मान, माया, लोभ, राग, हेष, काम, ईर्ष्या मनुष्य आदि वर्यों भी भयकर शस्त्र हैं। इतना ही नहीं, इन गपायों द्वारा ही उपम्युक्त शस्त्रोंस्त्रे उत्पन्न हुए हैं। इन दृष्टिकोण समस्त प्रवृत्तियाँ शस्त्र-रूप हैं। क्षयाय के अभाव में कोई भी प्रवृत्ति शस्त्ररूप नहीं है। यही भगवान्-महावार का दशन व चिन्तन है। आचाराग के शस्त्रपरिच्छा नामक प्रथम अध्ययन में क्षयायरूप अथवा क्षयायजन्य प्रवृत्तिरूप शस्त्रों का ही ज्ञान कराया गया है। इसमें वराया गया है कि जो वाह्य शीघ्र के बहाने पृथ्वी, जल इत्यादि का अमर्यादित विवाद करते हैं वे हिंसा तो करते हो हैं, चोरी भी करते हैं। इसी का विवेचन करते हुए चृणिकार ने कहा है कि 'चउभद्वीए मट्टियाहि स प्हाति' अर्थात् वह चौमुठ (वार) मिट्टी से स्नान करता है। कुछ वैदिकों की मान्यता है कि मिन्न-भिन्न अंगों पर कुल मिला कर चौमुठ वार मिट्टी लगाने पर ही पवित्र हुआ जा सकता है। मनुस्मृति (अ० ५, द्लोर० १३५-१४५) में वाह्य शीघ्र अर्थात् शरीर शुद्धि व पात्र आदि की शुद्धि के विषय में विस्तृत विवाद है। उसमें विभिन्न क्रियाओं के बाद शुद्धि के लिए किस-किस अग्नि पर कितनी-कितनी वार मिट्टी व पानी का प्रयोग करना चाहिए, इसका स्पष्ट उल्लेख है। इस विवाद में गृहस्थ, ग्रहाचारी, वनवासी एवं यति का अलग-अलग विचार किया गया है।

अर्थात् इनकी अपेक्षा से भिन्नी व पानी के प्रयोग की मरुथा में विभिन्नता वर्ताई गई है। भगवान् महावीर ने समाज को आत्मरिक शुद्धि की ओर मोड़ने के लिए कहा कि इसे प्रकार की बाह्य शुद्धि हिंसा को बढ़ाने का ही एक साधन है। इससे पृथ्वी, जल, अग्नि, वनस्पति तथा वायु के जीवों का कचूमर निकल जाता है। यह और हिंसा की जननी है। इससे अनेक अनर्थ उत्पन्न होते हैं। अमण व ब्राह्मण को सरल बनाना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए, पृथ्वी आदि के जीवों का हनन नहीं करना चाहिए। पृथ्वी आदि प्राणरूप है। इनमें आगन्तुक जीव भी रहते हैं। अत शौच के निमित्त इनका उपयोग करने से इनकी तथा इनमें रहने वाले प्राणियों की हिंसा होती है। अत' यह प्रवृत्ति शास्त्ररूप है। आत्मरिक शुद्धि के अभिलाखियों को इसका ज्ञान होना चाहिए। यही भगवान् महावीर के शस्त्र-परिज्ञा प्रबचन का सार है।

रूप, रस, गन्ध, शब्द व स्पर्श अज्ञानियों के लिए आवर्तरूप हैं, ऐसा समझ कर विवेकी को इनमें मूर्च्छित नहीं होना चाहिए। यदि प्रमाद के कारण पहले इनकी ओर झुकाव रहा हो तो ऐसा निश्चय करना चाहिए कि अब मैं इनसे बचूँगा—इनमें नहीं फ़ैंग—पूर्ववत् आवरण नहीं करूँगा। रूपादि में लोलुप व्यवित विविध प्रकार की हिंसा करते दिखाई देते हैं। कुछ लोग प्राणियों का बध कर उन्हें पूरा का पूरा पकाते हैं। कुछ चमड़ी के लिए उन्हें मारते हैं। कुछ कैवल मास, रक्त, पित्त, चरबी, पख, पूँछ, बाल, सींग, दाँत, नख अथवा हड्डी के लिए उनका बध करते हैं। कुछ शिकार का शौक पूरा करने के लिए प्राणियों का बध करते हैं। इस प्रकार कुछ लोग अपने किसी स्वार्थ के लिए जीवों का कूरतापूर्वक नाश करते हैं तो कुछ निष्प्रयोजन ही उनका नाश करने में तत्पर रहते हैं। कुछ लोग कैवल तमाशा देखने के लिए साढ़ों, हायियो, मुग्गों वगैरह को लड़ाते हैं। कुछ साँप आदि को मारने में अपनी बहादुरी समझते हैं तो कुछ साँप आदि को मारना धर्म समझते हैं। इम प्रकार पूरे शस्त्र-परिज्ञा अध्ययन में भगवान् महावीर ने सासार में होने वाली विविध प्रकार की हिंसा के विषय में अपने विचार व्यवत् किये हैं एव उसके परिणाम की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने बताया है कि यह हिंसा ही ग्रन्थ है—परिग्रहरूप है, मोहरूप है, माररूप है, नरकरूप है।

खोरदेह—अचेस्ता नामक पारसो धर्मग्रन्थ^१ में पृथ्वी, जल, अग्नि, वनस्पति, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि के साथ किसी प्रकार का अपराध न करने की अर्थात् उनके प्रति धात्रक व्यवहार न करने की शिक्षा दी गई है। यही बात मनुसमृति में द्वयरो तरह

१ 'पतेत पशेमानी' नामक प्रकरण

से कही गई है। उसमें घृत्वे द्वारा अग्नि की हिस्ता का, घट द्वारा जल की हिस्ता का, एवं इसी प्रकार के अन्य शाधनों द्वारा अन्य प्रकार की हिस्ता का निषेच किया गया है। घट, चूल्हा, चंचली आदि जौ जीववश का स्थान बताया गया है एवं गृहम् के लिए इनके प्रति साधारणी रुपने का विधान किया गया है।

शस्त्रपरिज्ञा में जो मार्ग बताया गया है पह परामाण्डा का मार्ग है। उस परामाण्डा के नाम पर पठैचने के लिए दान्य अव्यान्तर मार्ग भी है। इनमें से एक मार्ग है गृहस्थायम् का। इनमें भी चउते-चरते शाधन हैं। इन सब में एक वार्त सर्वाधिक महत्त्व की है और यह ही प्रत्येक प्रकार की मर्यादा का निर्धारण। इनमें भी ज्यो-ज्यों आगे घड़ा जाय स्यों-स्यों मर्यादा का क्षेत्र बढ़ाया जाय एवं अन्त में बनासकन जीवन पा अनुभव किया जाय। इगो का नाम अहिमक जीवनसाधना अवधा वाच्यात्मिक शोधन है। अध्यात्म शुद्धि के लिए दह, इन्द्रियो, मन तथा अन्य बाहु पदार्थ शाधनरूप हैं। इन नाधनों पा उपरोग अहिमक वृत्तिपूर्वक होना चाहिए। इस प्रकार की वृत्ति के लिए सरूपशुद्धि परमावश्यक है। सम्भूल्य की शुद्धि के लिए नव क्रियाकालण्ठ य प्रवृत्तियों निरर्थक हैं। प्रवृत्ति भले ही बल्प हो विन्तु होनी चाहिए सम्भूल्यशुद्धिपूर्वक। आच्यात्मिक शुद्धि ही जिनका लक्ष्य है वे देवन्न भेड़चाल अधदा लृष्टिगत प्रधाह में देघ गर नहीं चल सकते। उनके लिए विवेकयुक्त सम्भूल्यशुद्धिपूर्वक है। अदृशमन, इन्द्रियदमन, मनोदमन, तथा आरम्भ-नमारम्भ, व विषय तपायो के त्याग के मम्मन्य में जो बातें शस्त्रपरिज्ञा अध्ययन में बताई गई हैं वे मव बातें भिन्न-भिन्न स्प में भिन्न-भिन्न स्वानो पर गोता एवं मनुस्मृति में भी बताई गई हैं। मनु ने स्पष्ट यहा है कि लोहे के सुख बाला फाल (हल वादि) भूमि पा एवं भूमि में रहे हुए अन्य-अन्य प्राणियों वा हनन करता है। अत छृष्टि की वृत्ति निन्दित है^१। यह विवान अमुक कोटि के मच्चे आहूण के लिए है और वह भी उत्तरण के स्प में। अपवाह के तीर पर तो ऐसे आहूण के लिए भी इसमें विपरीत विधान हो सकता है। भूमि की ही तरह जउ आदि से मवधित आरम्भ-समारम्भ का भी मनुस्मृति में निषेच किया गया है^२। गोता में 'सर्वारम्भपरित्यागी'^३ को पण्डित कहा गया है

१ मनुस्मृति, अ० ३, श्लो० ६८।

२ छृष्टि साद्विति भन्यन्ते मा वृत्ति सद्विग्हिता।

भूमि भूमिशयादच्चैव हन्ति काष्ठमयोमुखम् ॥

—मनुस्मृति, अ० १०, श्लो० ८४

३ अ० ८, श्लो० २०१-२

४ अ० १२, श्लो० १६, अ० ४, श्लो० १९

एवं बताया गया है कि जो समस्त आरम्भ का परित्यागी है वह गुणातीत है^१। उसमें देहदमन की भी प्रतिष्ठा की गई है एवं तप के बाह्य व आन्तरिक स्वरूप पर पर्याप्त प्रकाश ढाला गया है^२। जैन परम्परा के त्यागी मुनियों के तपश्चरण की भाँति कायक्लेशरूप तप सम्बन्धी प्रल्पणा वैदिक परम्परा को भी अपीष्ट है। इसी प्रकार जलशौच अर्थात् स्नान आदिष्वप बाह्य शौच का त्याग भी वैदिक परम्परा को इष्ट है^३। आचाराग के प्रथम व द्वितीय दोनों श्रुतस्कन्धों में आचार-विचार का जो वर्णन है वह सब मनुस्मृति के छठे अध्याय में वर्णित वानप्रस्थ व सन्यास के स्वरूप के साथ मिलता-जुलता है। मिक्षा के नियम, कायक्लेश सहन करने की पद्धति, उपकरण, वृक्ष के मूल के पास निवास, भूमि पर शयन, एक सभय भिक्षा-चर्या, भूमि का अवलोकन करते हुए गमन करने की पद्धति, चतुर्थ भक्त, अष्टम भक्त आदि अनेक नियमों का जैन परम्परा के त्यागी वर्ग के नियमों के साथ साम्य है। इसी प्रकार का जैन परम्परा के नियमों का साम्य महाभारत के शान्तिपर्व में उपलब्ध तप एवं त्याग के वर्णन के साथ भी है। बौद्ध परम्परा के नियमों में इस प्रकार को कठोरता एवं देहदमनता का प्राय अभाव दिखाई देता है।

आचाराग के प्रथम अध्ययन शस्त्रपरिज्ञा में समग्र आचाराग का सार आजाता है अत यहाँ अन्य अध्ययनों का विस्तारपूर्वक विवेचन न करते हुए आचाराग में आने वाले परमतों का विचार किया जाएगा।

आचाराग में उल्लिखित परमत

आचाराग के प्रथम श्रुतस्कन्ध में जो परमतों का उल्लेख है वह किसी विशेष नामपूर्वक नहीं अपितु 'एगे' अर्थात् 'कुछ लोगों' के रूप में है जिसका विशेष स्पष्टी-करण चूर्णि अथवा वृत्ति में किया गया है। प्रारम्भ में ही अर्थात् प्रथम अध्ययन के प्रथम वाक्य में ही यह बताया गया है कि 'इह एगेसि नो सन्ना भवइ' अर्थात् इस सासार में कुछ लोगों को यह भान नहीं होता कि मैं पूव से आया हुआ हूँ या दक्षिण से आया हुआ हूँ अथवा किस दिशा या विदिशा से आया हुआ हूँ अथवा ऊपर से या नीचे से आया हुआ हूँ? इसी प्रकार 'एगेसि नो नाय भवइ' अर्थात् कुछ को यह पता नहीं होता कि मेरी आत्मा औपपातिक है अथवा अनौपपातिक, मैं कौन

१ सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीत स उच्चते—अ० १४, श्लो० २५

२ अ० १७, श्लो० ५-६, १४, १६-७

३ देखिये—श्री लक्ष्मणशास्त्रो जोशी लिखित वैदिक संस्कृति का इतिहास (मराठी), पृ० १७६

नाथान् महावीर के आन्मित्यक वरनों को उद्दिष्ट पार चूणिकार पढ़ते हैं फि क्रियावादा भतों के एक जी प्रस्तुति भेद है। उनमें मेरुष बातमा गो नर्यज्ञापी मानते हैं। शुष्ठ मृत्युं, शुष्ठ ब्रह्मर्त्युं, शुष्ठ भारती भानों हैं। शुष्ठ दयाराज्^१ परिमाण, शुष्ठ तस्त्रपरिमाण, शुष्ठ अगुष्ठपरिमाण भानते हैं। शुष्ठ स्त्रोग आन्मा गो दोषिता ने चतुर्वासन भणिक मानते हैं। जो लक्षियात्मी है वे आत्मा गो व्यनिन्द्य ही नहीं मानते। जो अकानवादी—अशारी^२ वे हम विषय में दोर् विद्याद ही नहीं करते। विगवदारी गी वद्यानवादियों के ऐ गमान हैं। उत्तिगदों में अत्मा जो इनामालपरिमाण, तप्तुलपरिमाण, अगुष्ठपरिमाण आदि मानने के उल्लेख उपलब्ध हैं।

प्रथम अध्ययन के तृतीय उद्देशक में 'अणगार मा त्ति एगे वथमाणा' अर्थात् 'शुष्ठ ऋग गढ़ते हैं कि हम अगार हैं' ऐसा वाक्य आता है। वरने को अगार वहने वाले ये लोग पृथ्वी आदि का आलभग अर्थात् हिंग करते हुए नहीं हिचकिचाते। ये अगार कीन हैं? इसका स्पष्टीकरण करते हुए चूणिकार कहते

१. अन्व विद्येष—सर्वा

२. आन्दोग्य—नृतीय अध्याय चौदहवाँ मण्ड; आन्मोपनिषद्—प्रथम कण्डका, नारायणोपनिषद्—इलो० ७१

सर्व प्राण, सर्व भूत, सर्व जीत, सर्व सत्त्व हनन करने योग्य हैं, सत्ताप पहुँचाने योग्य हैं, उपद्रुत करने योग्य हैं एव स्वामित्व करने योग्य हैं। ऐसा करने में कोई दोष नहीं। इस प्रकार कुछ श्रमणों व ब्राह्मणों के मत का निर्देश कर सूत्रकार ने अपना अभिमत बताते हुए कहा है कि यह बचन अनार्यों का है अर्थात् इस प्रकार हिंसा का समर्थन करना अनार्यमार्ग है। इसे आर्या ने दुर्दर्शन कहा है, दुःश्वेष कहा है, दुर्मंत कहा है, दुविज्ञान कहा है एव दुष्प्रत्यवेक्षण कहा है। हम ऐसा कहते हैं, ऐसा भाषण करते हैं; ऐसा बताते हैं, ऐसा प्रस्परण करते हैं कि किसी भी प्राण, किसी भी भूत, किसी भी जीव, किसी भी सत्त्व को हनना नहीं चाहिए, अस्त नहीं करना चाहिए, परिताप नहीं पहुँचाना चाहिए, उपद्रुत नहीं करना चाहिए एव उस पर स्वामित्व नहीं करना चाहिए। ऐसा करने में ही दोष नहीं है। यह आर्यबचन है। इसके बाद सूत्रकार कहते हैं कि हिंसा का विग्रान करने वाले, एव उसे निर्दोष मानने वाले समस्त प्रवादियों को एकत्र कर प्रत्येक को पूछना चाहिए कि तुम्हें मन की अनुकूलता दुखरूप लगती है या प्रतिकूलता? यदि वे कहें कि हमें तो मन की प्रतिकूलता दुखरूप लगती है तो उनसे कहना चाहिए कि जैसे तुम्हें मन की प्रतिकूलता दुखरूप लगती है वैसे ही समस्त प्राणियों, भूतों, जीवों व सत्त्वों को भी मन की प्रतिकूलता दुखरूप लगती है।

विमोह नामक आठवें अध्ययन में कहा गया है कि ये वादी आलभार्थी हैं, प्राणियों का हनन करने वाले हैं, हनन कराने वाले हैं, हनन करने वालों का समर्थन करने वाले हैं, अदत्त को लेने वाले हैं। वे निम्न प्रकार से भिन्न-भिन्न बचन बोलते हैं लोक हैं, लोक नहीं हैं, लोक अध्रुव हैं, लोक सादि हैं, लोक अनादि हैं, लोक सान्त हैं, लोक अनन्त हैं, सुकृत हैं, दुष्कृत हैं, कल्याण हैं, पाप हैं, सधु हैं, असधु हैं, सिद्धि हैं, असिद्धि हैं, नरक हैं, अनरक हैं। इस प्रकार की तत्त्वविषयक विप्रतिपत्ति वाले ये वादी अपने-अपने धर्म का प्रतिपादन करते हैं। सूत्रकार ने सब वादों को सामान्यतया यादृच्छिक (आकस्मिक) एव हेतु-शून्य कहा है तथा किसी नाम विशेष का उल्लेख नहीं किया है। इनकी व्याख्या करते हुए चूर्णिकार व वृत्तिकार ने विशेषत वैदिक शास्त्र के सार्थ आदि मतों का उल्लेख किया है एव शाक्य अर्थात् बौद्ध भिक्षुओं के आचरण तथा उनकी अमुक मान्यताओं का निर्देश किया है। आचाराग की ही तरह दीघनिकाय के ब्रह्मजालसुत्त में भी भगवान् बुद्ध के समय के अनेक वादों का उल्लेख है।

निर्ग्रन्थसमाज

तत्कालीन निर्ग्रन्थसमाज के वातावरण पर भी आचाराग में प्रकाश डाला गया है। उस समय के निर्ग्रन्थ सामान्यतया आचारसम्पन्न, विवेकी, तपस्वी एव-

विनीतवृत्ति वाले ही होते थे, फिर भी कुछ ऐसे निग्रन्थ भी थे जो वर्तमान काल के अविनीत शिष्यों को भाँति अपने हितैयो गुरु के नामने होने में भी नहीं हिचकिचाते। आचारण के छठे अध्ययन के चौथे उद्देश्यक में इनी प्रकार के शिष्यों को उद्दिदष्ट न के बनाया गया है कि जिस प्रकार पक्षी के बच्चे को उसकी माता दाने देकर बड़ा करती है उसी प्रकार ज्ञानी पूर्ण अपने शिष्यों को दिन-रात अध्ययन करात है। शिय ज्ञान प्राप्त करने के बाद 'उपशम' को न्याय कर अर्थात् नाित को छोड़कर ज्ञान देनेवाले महापुरुषों के सामने कठोर भाषा का प्रयोग प्रारम्भ करते हैं।

मगवान महाबोर के ममय में उत्कृष्ट त्याग, तप व मयम के अनेक जीते-जागने आदर्शों की उपस्थिति में भी कुछ व्रमण तप-त्याग अगीका करने के बाद भी उम्मे स्थिति नहीं रह सकते थे एवं इष्ये इष्ये दूषण मेवन करते थे। आचार्य के पूछने पर झूठ बोलने तक के लिए तैयार हो जाते थे। प्रस्तुत मूल में ऐसा एक उल्लेख उपलब्ध है जो इस प्रकार है 'वहुक्रोधी वहुमानी, वहुकपटी, वहुलोभी, नट की भाँति विविध ढग से व्यवहार करने वाला, शठवत्, विविध भक्त्य वाला, आत्मवो मे आमक्त, भैंह से उत्तित बाद करनेवाला, 'मुझे कोई देव न ले' इम प्रकार के भय मे अपकृत्य करने वाला सतत मूढ घर्म को नहीं जानता। जो चतुर आत्मार्थी है वह कभी अव्रह्यचर्य का सेवन नहीं करता। कदाचित् कामावेश में अव्रह्यचर्य का मेवन हो जाय तो उसका अपलाप करना अर्थात् आचार्य के सामने उसे स्वीकार न करना महान् मूर्खता है।' इस प्रकार के उल्लेख यही बताते हैं कि उग्र तप, उग्र सयम, उग्र ब्रह्मचर्य के युग में भी कोई-कोई ऐसे निकल आते हैं। यह वासना व कपाय की विचित्रता है।

जैन श्रमणों का अन्य श्रमणों के साथ किस प्रकार का सम्बन्ध रहता था, यह भी जानने योग्य है। इस विषय में आठवें अध्ययन के प्रथम उद्देश्यक के प्रारम्भ में ही बताया गया है कि समनोज्ञ (समान आचार-विचार वाला) भिज्ञ असमनोज्ञ (भिन्न आचार-विचार वाला) को भोजन, पानी, वस्त्र, पात्र, कम्बल व पादपुङ्छण^१ न दे, इसके लिए उसे निमन्त्रित भी न करे, न उमड़ी आदरपूर्वक सेवा

१ मूलशब्द 'पायपुङ्छण' है। प्राकृत भाषा में 'पुङ्छ' धातु परिमाजन अथ में आता है। वेखिए—प्राकृत-व्याकरण, ८४ १०४ संस्कृत भाषा का 'मृज्' धातु और प्राकृत भाषा का 'पुङ्छ' धातु समानार्थक हैं। अतः 'पायपुङ्छण' शब्दका संस्कृत रूपान्तर 'पादमार्जन' हो सकता है। जैनपरम्परा में 'पुजणी' नाम का एक छोटा-सा उपकरण प्रसिद्ध है। इसका सम्बन्ध भी 'पुङ्छ' धातु से है और यह उपकरण परिमाजन के लिए ही उपयुक्त होता है। 'अगोळा'

ही करे। इसी प्रकार अनमनोज्ञ ये सब यस्तुएँ ले भी नहीं, न उनके निमन्यण को ही व्योकार रे लौग न उत्तरे क्षणी नेया ही करावे। जैन शमणों में अन्य अन्याएँ के समग्र से किंवि प्रकार की आचार-विचारयित्यग विधितत्ता न आ जाय, इसी दण्डि ने यह दिखाया है। इसके पोछे इत्यो प्राप्ताग की द्वेष-चूँडि अपवा निदा-भाव नहीं है।

आचाराग के वचनों से मिलते वनन-

आचाराग के कुछ वनन वाय शास्त्रों के वचनों में मिलते-जु़ते हैं। आचाराग में एक वाय है 'दोर्दि चि अतेहि अदिन्यमाणे'—अर्थात् जो दोनों अन्तों द्वारा अदृश्यगान है वर्यन् जिनका पूर्णां—आदि नहीं है य परिनमान— इन्त नी नहीं है। इम प्रकार जो (आत्मा) पूर्यन्ति य परिनमान में दिनार्दि नहीं देता। इसी से मिलना हूँ वा वाय तजोविदु उपनिषद् के प्रथम अध्ययन के तेटिंद्वे स्लोक में एत प्रकार है—

आदावन्ते च मध्ये च जगोऽन्मित्त विद्यते ।

येनेद मतत व्याप्त न देशो विजन मृत ॥

यह पर्य पूर्ण आत्मा अपदा मिद्द आत्मा के स्वरूप के विषय में है।

आचाराग के उपर्युक्त वाय को बाद ही दूसरा वाय है 'य न छिजजइ न भिजजइ न छज्जइ न हम्मद्द वचन मवलोए' अर्थात् गर्वलोक में जिगी के द्वारा आत्मा का छेदन नहीं होता, मेदन नहीं होता, धहन नहीं होता, हनन नहीं होता। इससे मिलते हुए वाय उपनिषद् तथा भगवद्गीता में इम प्राप्तार हैं—

न जायते न म्रियते न मृद्यति न भिद्यते न दह्यते ।

न छिद्यते न कम्पते न कुप्यते सर्वदहनोऽयमात्मा ॥

—सुवालोपनिषद्, नवम सण्ठ, ईशायष्टोत्तरशतोपनिषद् पृ २१०

अच्छेद्योऽयमदाहोऽयमवलेद्योऽयोऽय एव च ।

नित्य नवंगत स्थाणुरचलोऽय मनातन ॥

—भगवद्गीता, अ २, स्लो० २३

'जस्स न लिय पुरा पच्छा मज्जे तस्स कओ सिया'^१ अर्थात् जिसका आगा

शब्द का सम्बन्ध भी 'अगपुष्ट' शब्द के माथ है। 'पोष्टना' क्रियापद इस 'पुष्ट' धातु से ही सम्बन्ध रखता है—पोष्टना माने परिमाजन करना।

^१ आचाराग, १ ३ ३

^२ वही १४४

व पीछा नहीं है उमका ब्रोच कैमे ही उकड़ा है ? आचाराग का वह बाज्य यो आत्मविषय है । इसमें मिलना-जुलना वाक्य गांडपादकांक्षा^१ में इस प्रकार है । आदावन्त च यन्तान्ति वत्मानेऽपि नत्तथा ।

जन्मभग्नार्तीत, नित्यमूलन आन्मा का स्वन्प वताते हुए मूत्रजाग बहते हैं । भवे नग नियटूनि । नक्का जत्य न विजजड, मई तत्य न गाहिया । ओए, अप्पद्वृष्टाणम्य खेपन्ने—ये न दोहे, न हम्मे, न वट्ठ, न तमे, न चररसे, न परिमठ्ले, न किण्हे, न नोल, न लाहिए, न हालिहे, न मुक्किले, न सुरभिगधे, न दुरभिगधे, न तित्ते, न कड्हुए, न कसाए, न अविले, न महुरे, न कक्कवडे, न मउए, न गुर्खे, न लहुए, न नाए, न ऊण्हे, न निढ्हे, न लुक्स्ते, न कार, न ख्हे, न नगे, न इन्यो, न पुरिसे, न अन्नहा, परिन्ने, सन्ने, उवमा न विजजड । अरुदी मत्ता, अपयस्म पय नत्यि, से न सह्दे, न ख्वे, न गधे, न रमे, न फासे, इच्छेयाव ति वेमि ।^२

ये नव वचन भिन्न-भिन्न दपनिषदों में इस प्रकार मिलते हैं

'न नव चक्षुर्गच्छति न वाग गच्छति न मनो, न विद्यो न विजानीमो वर्यन्तद् अनुशिष्यात् अन्यदेव तद् विदितात् अयो अविदितादपि इति वृश्चम पूर्वोपाये ये नन्तद् व्याच्चक्षिरे ।^३

'जगन्द्रमम्यर्गमरूपमवग्रम्, तयाऽरम नित्यमगन्त्रवच्च यत् ।'^४

'अम्बूलम्, अनणु, अहूम्ब्रम्, अदोर्घम्, अलोहितम्, अस्तेहम्, अच्छायम्, अतमो, अवायु, अनाकाशम्, असगम्, अरसम्, अग्न्यम्, अचक्षुञ्जम्, अश्रोत्रम् अवाग्, अमनो, अतेजस्कम्, अप्राणम्, अमूखम्, अमात्रम् अनन्तरम्, अवाह्यम्, न तद् अठनाति किञ्चन, न तद् अशनाति कञ्चन ।'^५

'नान्त प्रज्ञम्, न वहि प्रजम्, नोभयन-प्रज्ञम्, न प्रज्ञानघनम्, न प्रज्ञम्, नाप्रज्ञम्, अदृष्टम्, अव्यवहार्यम्, अग्राह्यम्, अलक्षणम्, अचिन्त्यम्, अव्यपदब्यम् ।'^६

^१ प्रकरण २ छ्लोक ६

^२ आचाराग, १ ५ ६

^३ केनोपनिषद् ख १, छ्लो० ३

^४ कठोपनिषद्, अ १, छ्लो १५

^५ वृहदार्ण्यक, ब्राह्मण ८, छ्लोक ८

^६ माण्डुक्योपनिषद्, छ्लोक ७

‘यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ।’^१

‘अच्युतोऽहम्, अचिन्त्योऽहम्, अतवर्योऽहम्, अप्राणोऽहम्, अकायोऽहम्, अशब्दोऽहम्, अरूपोऽहम्, अस्पर्शोऽहम्, अरसोऽहम्, अगन्धोऽहम्, अरोग्रोऽहम्, अगामोऽहम्, अवागोऽहम्, अदृश्योऽहम्, अवर्णोऽहम् अश्रुतोऽहम्, अदृष्टोऽहम् ।’^२

आचाराग में बताया गया है कि ज्ञानियों के बाहु शृण होते हैं तथा मांस एव रक्त पतला होता है—कम होता है आगयपन्नाणार्ण किसा वाहा भवति पयणुए य भम-सौणिए ।^३

उपनिषदों में भी बताया गया है कि ज्ञानी पुरुष को शृण होना चाहिए, इत्यादि

मधुकरीवृत्त्या आहारमाहरञ्ज कृशो भूत्वा मेदोवृद्धिमकुर्वन् आज्य रुधिरमिव त्यजेत्—नारदपरिव्राजकोपनिषद्, भप्तम उपदेश यथालाभमन्नो-यात् प्राणसधारणार्थं यथा मेदोवृद्धिनं जायते । कृशो भूत्वा यामे एकरात्रम् नगरे सन्यासोपनिषद्, प्रथम अध्याय ।

आचाराग प्रयमध्रुतस्कष्ट के अनेक वाक्य सूत्राङ्कुताग, उत्तराध्ययन एव दक्षयै-कालिक में अक्षरण उपलब्ध हैं । इम सम्बन्ध में श्री पूर्णिंग ने आचाराग के स्वसम्पादित सम्पर्कण में यथास्थान पर्याप्त प्रकाश दाला है । साथ ही उन्होंने आचाराग के पुष्ट वाक्यों की ओढ़ प्रन्य घम्मपद व सुत्तनिपात के सदृश वाक्यों से भी तुल्ना की है ।

आचाराग के शब्दों से मिलते शब्द

अब यहाँ कुछ ऐसे शब्दों की चर्चा की जाएगी जो आचाराग के साथ ही साथ परशास्त्रों में भी उपलब्ध हैं तथा ऐसे शब्दों के सम्बन्ध में भी विचार किया जाएगा जिनको व्यास्था चूर्णिकार एव वृत्तिकार ने विलक्षण की है ।

आचाराग के प्रारम्भ में ही कहा गया है कि ‘मे कहाँ से आया हूँ व कहाँ जाऊँगा’ ऐसी विचारणा करने वाला आयावाई, लोगावाई, कम्मावाई, किरियावाई कहलाता है । आयावाई का अर्थ है आत्मवादी अर्थात् आत्मा का स्वतन्त्र अन्तित्व स्वीकार करने वाला । लोगावाई का अर्थ है लोकवादी अर्थात् लोक का अन्तित्व मानने वाला । कम्मावाई का अर्थ है कर्मवादी एव किरियावाई का अर्थ

१ तीत्तिरीयोपनिषद्, ब्रह्मानन्द बल्ली २, अनुवाक ४ ।

२ ब्रह्मविद्योपनिषद्, इलोक. ८१-९१ ।

३ आचाराग, १ ६ ३ ।

है क्रियावादी । ये चारों वाद आत्मा के अस्तित्व पर अवलम्बित हैं । जो आत्मवादी है वही लोकवादी, कर्मवादी एवं क्रियावादी है । जो आत्मवादी नहीं है वह लोकवादी, कर्मवादी अथवा क्रियावादी नहीं है । सूत्रकृताग में बौद्धमत को क्रियावादी दर्शन कहा गया है अहावर पुरक्खाय किरियावाइदरिसण (अ १, उ २, गा २४) । इसकी व्याख्या करते हुए चूर्णिकार व वृत्तिकार भी इसी कथन का समर्थन करते हैं । इसी सूत्रकृत-आगसूत्र के समवसरण नामक बारहवें अध्ययन में क्रियावादी आदि चार वादों की चर्चा की गई है । वहाँ मूल में किसी दर्शन विशेष के नाम का उल्लेख नहीं है तथापि वृत्तिकार ने अक्रियावादी के रूप में बौद्धमत का उल्लेख किया है । यह कैसे ? सूत्र के मूल पाठ में जिसे क्रियावादी कहा गया है एवं व्याख्यान करते हुए स्वयं वृत्तिकार ने जिसका एक जगह समर्थन किया है उसी को अन्यत्र अक्रियावादी कहना कहीं तक युक्तिसंगत है ?

आचाराग में आने वाले 'एयावति' व 'सम्बावति' इन दो शब्दों का चूर्णिकार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं किया है । वृत्तिकार शीलाक्षुरि इनकी व्याख्या करते हुए कहते हैं एतौ द्वौ शब्दौ मागधदेशीभाषाप्रसिद्ध्या, 'एतावन्त सर्वेऽपि इत्येतत्पर्यायौ' (आचारागवृत्ति, पृ० २५) अर्थात् ये दो शब्द मगध की देशी भाषा में प्रसिद्ध हैं एवं इनका 'इतने सारे' ऐसा अर्थ है । प्राकृत व्याकरण को किसी प्रक्रिया द्वारा 'एतावन्त' के अर्थ में 'एयावति' सिद्ध नहीं किया जा सकता और न 'सर्वेऽपि' के अर्थ में 'सम्बावति' ही साधा जा सकता है । वृत्तिकार ने परम्परा के अनुसार अर्थ समझाने की पद्धति का आश्रय लिया प्रतीत होता है वृहदारण्यक उपनिषद् में (तृतीय ग्राहण में) 'लोकस्य सर्वावित' अर्थात् 'सारे लोक को' ऐसा प्रयोग आता है । यहाँ 'सर्वावित' 'सर्वावित' का घटी विभक्ति का रूप है । इसका प्रथमा का बहुवचन 'सर्वावित' हो सकता है । आचाराग के सम्बावति और उपनिषद् के 'सर्वावित' इन दोनों प्रयोगों की तुलना की जा सकती है ।

आचाराग में एक जगह 'अकस्मात्' शब्द का प्रयोग मिलता है आठवें अध्ययन में जहाँ अनेक वादो—लोक हैं, लोक नहीं है इत्यादि का निर्देश है वहाँ इन सब वादों को निहेंतुक बताने के लिए 'अकस्मात्' शब्द का प्रयोग किया गया है । सम्पूर्ण आचाराग में, यहाँ तक कि समस्त अगसाहित्य में अत्यन्यञ्जनयुक्त ऐसा विजातीय प्रयोग अन्यत्र कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता । वृत्तिकार ने इस शब्द का स्पष्टीकरण भी पूरबत् मगध की देशी भाषा के रूप में ही किया है । वे कहते हैं 'अकस्मात् इति मागधदेशे आगोपालाङ्गनादिना सस्कृतस्यैव

उच्चारणाद् इहापि तथैव उच्चारित इति' (आचारागवृत्ति प० २४२) अर्थात् मगध देश में ग्रालिने भी 'अकस्मात्' का प्रयोग करते हैं। अर्थ यहाँ भी इस शब्द का वैसा ही प्रयोग हुआ है।

मुष्टिकोपनिषद् के (प्रथम मुष्टक, द्वितीय खण्ड, छलोक ९) 'पत् धर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेन आतुरा क्षीणलोकाश्चवन्ते' इस पद्य में जिस अर्थ में 'आतुर' शब्द है उसी अर्थ में आचाराग का आचर—आतुर शब्द भी है। लोकभाषा में 'कामातुर' का प्रयोग इसी प्रकार का है।

लोगों में जो-जो बल्लुएं शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध हैं उम्में अतिरिक्त अन्य पदार्थों अर्थात् भाषा के लिए भी शास्त्र शब्द का प्रयोग होता है। आचाराग में राग, ढेप, क्रोध, लोभ, मोह एवं तजजन्य समस्त प्रवृत्तियों को सत्य—शास्त्ररूप कहा गया है। अन्य किसी शास्त्र में इस अर्थ में 'शास्त्र' शब्द का प्रयोग दिखाई नहीं देता।

बोद्धपिटकों में जिस अर्थ में 'मार' शब्द का प्रयोग हुआ है उसी अर्थ में आचाराग में भी 'मार' शब्द प्रयुक्त है। सुत्तनिपात के कप्पमाणवपुच्छा सुत्त के चतुर्थ पद्य व भद्रावृथमाणवपुच्छा सुत्त के तृतीय पद्य में भगवान् बुद्ध ने 'मार' का स्वरूप स्पष्ट समझाया है। लोकभाषा में जिसे 'धौतान' कहते हैं वही 'मार' है। सर्व प्रकार का आलभन धौतान की प्रेरणा का ही कार्य है। सूत्रकार ने इस तथ्य का प्रतिपादन 'मार' शब्द के द्वारा किया है। इसी प्रकार 'नरम'—'नरक' शब्द का प्रयोग भी सर्व प्रकार के आलभन के लिए किया गया है। निरालव उपनिषद् में वध, मोक्ष, स्वर्ग, नरक आदि अनेक शब्दों की व्याख्या की गई है। उम्में नरक की व्याख्या इस प्रकार है 'असत्ससारविषयजनससर्ग एव नरक' अर्थात् असत् मसार, उम्में विषय एव असज्जनों का सर्ग ही नरक है। यहाँ भव प्रकार के आलभन को 'नरक' शब्द से निर्दिष्ट किया है। इस प्रकार 'नरक' शब्द का जो अर्थ उपनिषद् को अभीष्ट है वही आचाराग को भीअभीष्ट है।

आचाराग में 'नियागपदिवन्न'—नियागप्रतिपन्न (अ १, उ ३) पद में 'नियाग' शब्द का प्रयोग है। याग व नियाग पर्यायवाची शब्द हैं जिनका अर्थ है यज्ञ। इन शब्दों का प्रयोग वैदिक परम्परा में विशेष होता है। जैन परम्परा में 'नियाग' शब्द का अर्थ भिन्न प्रकार से किया गया है। आचाराग-वृत्तिकार के शब्दों में 'यजन याग नियतो निश्चितो वा याग नियागो मोक्षमार्ग सगतार्थत्वाद् धातो—सम्यग्ज्ञानदर्शनचारित्रात्मतया गत सगतम् इति त नियाग सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रात्मक मोक्षमार्गं प्रतिपन्न' (आचारागवृत्ति, प० ३८) अर्थात् जिसमें सम्यग्दर्शन, सम्यज्ञान व सम्यक् चारित्र की सगति हो वह मार्ग अर्थात् मोक्षमार्ग नियाग है। मूलसूत्र में

‘नियाग’ के स्थान पर ‘निकाय’ अथवा ‘नियाय’ पाठान्तर भी है। वृत्तिकार लिखते हैं ‘पाठान्तरं वा निकायप्रतिपन्न—निर्गत काय औदारिकादियस्मात् यस्मिन् वा सति स निकायो मोक्ष त प्रतिपन्न निकायप्रतिपन्न तत्कारणस्य सम्यग्दर्शनादे. स्वशब्दत्याऽनुष्ठानात्’ (आचारागवृत्ति, पृ० ३८) अर्थात् जिसमें से औदारिकादि शरीर निकल गये हैं अथवा जिसकी उपस्थिति में औदारिकादि शरीर निकल गये हैं वह निकाय अर्थात् मोक्ष है। जिसने मोक्ष की साधना स्वीकार की है वह ‘निकायप्रतिपन्न’ है। चूर्णिकार ने पाठान्तर न देते हुए केवल ‘निकाय’ पाठ को ही स्वीकार किया है तथा उसका अर्थ इस प्रकार किया है ‘णिकाओ णाम देसप्पदेसबहुत्त णिकाय पडिवज्जति जन्मा आऊजीवा अहवा णिकाय णिच्च मोक्ख मग्ग पडिवन्नो’ (आचाराग-चूर्णि, पृ० २५) अर्थात् णिकाय का अर्थ है देशप्रदेश-बहुत्व। जिस अथ में जैन प्रवचन में ‘अतिथिकाय’—‘अस्तिकाय’ शब्द प्रचलित है उसी वर्ष में ‘निकाय’ शब्द भी स्वीकृत है, ऐसा चूर्णिकार का कथन है। जिसने पानी को निकायरूप-जोवरूप स्वीकार किया है वह निकायप्रतिपन्न है। अथवा निकाय का अर्थ है मोक्ष। वृत्तिकार ने केवल मोक्ष अर्थ को स्वीकार कर ‘नियाग’ अथवा ‘निकाय’ शब्द का विवेचन किया है।

‘महावीहि’ एवं ‘महाजाण’ शब्दों का व्याख्यान करते हुए चूर्णिकार तथा वृत्तिकार दोनों ने इन शब्दों को मोक्षमार्ग का सूचक अथवा मोक्ष के साधनरूप सम्यग्दर्शन-ज्ञान-उप आदि का सूचक बताया है। महावीहि अर्थात् महावीरि एवं महाजाण अर्थात् महायान। ‘महावीहि’ शब्द सूत्रकृताग के वैतालीय नामक द्वितीय अध्ययन के प्रथम उद्देशक की २१ वीं गाथा में भी आता है ‘पणया वीरा महावीहि सिद्धिपह’ इत्यादि। यहा ‘महावीहि’ का अर्थ ‘महामार्ग’ बताया गया है और उसे ‘सिद्धिपह’ अर्थात् ‘सिद्धिपथ’ के विशेषण के रूप में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार आचाराग में प्रयुक्त ‘महावीहि’ शब्द का जो अर्थ है वही सूत्रकृताग में प्रयुक्त ‘महावीहि’ शब्द का भी है। ‘महाजाण’-‘महायान’ शब्द जो कि जैन परम्परा में मोक्षमार्ग का सूचक है, बौद्ध दर्शन के एक भेद के रूप में भी प्रचलित है। प्राचीन बौद्ध परम्परा का नाम हीनयान है और बाद की नयी बौद्ध परम्परा का नाम महायान है।

प्रस्तुत सूत्र में ‘वीर’ व ‘महावीर’ का प्रयोग बार-बार आता है। ये दोनों शब्द व्यापक अर्थ में भी समझे जा सकते हैं और विशेष नाम के रूप में भी। जो सयम को साधना में शूर है वह वीर अथवा महावीर है। जैनवर्म के अन्तिम तीर्थंकर का मूल नाम तो वर्धमान है किन्तु अपनी साधना की शूरता के कारण वे

यीर सदसा महायोग दर्ते जाने हैं। 'योर' व 'महायोग' दासा पा खर्च इन योनों
में समाज आ छवड़ा है।

इन दो दे प्रशुक्त 'शास्त्र' व 'शास्त्रिय' दर्तों का अर्थ शास्त्र स्थ में
समाज सार्वित्र। जो सम्भव आजार-नाम्ना है—शिष्यों का साधारण साधरण
दर्ते दाने हैं व शास्त्र—पाठ हैं। जो यों नहीं हैं तो बजारिय-प्राप्त हैं।

महावी (मेषाणो), घटयं (घटियात्), खोर, पदिभ (पदित), पात्रभ
(उपर), दीर, कुमल (कुमा) माहा (वादान), रातो (शानी),
उरमपरदु (उरमपरसुद्), मुनि (मुनि), बृह, भगवं (भगवान्), आमुक्तन
(आमुक्त्र), छायदरबातु (भाद्रपद्युष्) आदि दर्तों का प्रशास प्रमुख ग्रन्थ में
कई दार दृष्टा हैं। इनका अर्थ दृष्ट लात्त है। इन दासा दो युक्तो ही जो मात्राय
योग होता है वही इनका दृष्ट है और वही दृष्ट अर्थ यह है कि इनका नाम
ही जाता है। तेजा होने हुए भी शृनिवार तुदा शृनिवार ने इन दर्तों का अर्जन
परिवारा के अनुसार शिलिष्ट अथ दिला है। उत्तराता है रिए पात्र (परम-
दत्त्वा) वा अर्थ वर्त्ता दृष्टया है एवं, कुमल (कुमल) का अर्थ वौषट्कर अथवा
वर्षमान व्यानी, मुनि (मुनि) का अर्थ शिशान्त्र भगवा शीर्षकर दिला है।

जाणद-नामद वा प्रयोग भाषावैनी के स्वयं में :

आचारण में 'अरम्मा जाणद पामद' (५,६), 'आमुफन्नेण जाणया
पानया' (७, १), 'अजाणओ अपानओ' (५, ४) आदि वारय आते हैं,
जिनमें वेष्टों के जाने व देखने का उल्लेख है। इन उल्लेख को लेकर प्राचीन
ग्रन्थहारों ने मध्यन के शार व दर्तन के क्रमान्तर के क्रियाद के गारो दिवाद गहा
पिया है और किनके शारय पश्च आगमिक पद्म व दूसरा तारिक पश्च इन प्रकार
के दो पद्म भी देख हो गये हैं। मुक्ते तो ऐसा प्रतीत होता है कि 'जाणद' व
'पामद' ये दो क्रियापद देवत 'आवालैनी'—बोलने वी एक धौली के प्रतीक हैं।
यहने यात्रे के मन में शान व दर्तन के क्रम-अवगम पा कोई दिवार नहीं रहा है।
जैते अवश्य 'पन्नवेमि पूर्वेमि भासेमि' आदि क्रियापदों का समानार्थ में प्रयोग
हुआ है यहें ही यही भी 'जाणद पामद' एवं युग्म क्रियापद गमानामें में
प्रयुक्त हूँगा है। जो मनुष्य वेष्टी नहीं है अर्थात् उद्दमस्य है उसको लिए भी
'जाणद पामद' अथवा 'अजाणओ अपासओ' का प्रयोग होता है। दर्तन शान के
क्रम के अनुसार तो पहले 'पामद' अथवा 'अपासओ' और बाद में 'जाणद' अथवा
'अजाणओ' का प्रयोग होता चाहिए किन्तु ये अवश्य इस प्रकार के किसी क्रम को
दृष्टि में ग्राहक नहीं वहे गये हैं। यह तो बोलने की एक धौली मात्र है। वौद
ग्रन्थों में भी इस धौली का प्रयोग दिलाई देता है। मजिदामनिकाय के मध्यासव

मुन ए मगरान् युद्ध से पूरा ग ए गव्यामें गरे ? 'जाननों अहं भिक्षवे परम्परों आमरान गर्य बदामि, नों ब्रजानना नों अपम्परों' वर्णन है निश्चुलो ! मैं जाना हुआ—ज्ञाना हुआ आमरों दे गय दी शत्रु रना है, ननी जागा हुआ—नहीं देना हुआ नहीं। इसी प्रकार ए प्रयोग भगवन् सूत्र में भी भिर्गा ? 'जे उमे भने ! वैदिया वचिदिया जीवा एएमि आणाम वा पाणाम वा उम्मान वा निस्वान वा जाणामा पामामो, जे उमे पुटविकाड्या एगिदिया जीवा एएमि ए आणाम वा नीमान वा न याणामो न पामामा' (ग ३, व १)—दोदियादिर जीव जो 'जानाव्यवान आदि ऐते हैं यह ए जानों , शास्त्रे ? तिनु एवेदिय जीव जो व्याम आदि ऐते हैं वह हम नहीं जानने, नहीं दगते ।

जान एं स्वरूप को परिभाषा के अनुभार दर्शन मामान्य, उपयोग सामान्य, बोध ऋयवा निगलार प्रतीति है, जब त्रि ज्ञान विशेष उपयोग, विशेष वाप्र ऋयवा माकार प्रतीति है । मन पर्याय-उपयोग ज्ञानरूप हो माना जाना है, दर्शनरूप नहीं, क्योंकि उसमें विशेष का ही बोध होना है, मामान्य वा नहीं । ऐसा होते हुए भी नदीसूत्र में उज्जुमति एव विपुलमति मन पर्यायगानों के लिए 'जाणइ' व 'पासइ' दानों पदा का प्रयोग हुआ है । यदि 'जाणइ' पद केवल ज्ञान का ही द्योतक होता आर 'पासइ' पद के वल दर्शन का ही प्रतीक होना तो मन पर्यायगानों के लिए केवल 'जाणइ' पद का ही प्रयोग किया जाना, 'पासइ' पद का नहीं । नदी में एक द्विपथक पाठ इस प्रकार है —

दध्वओ ण उज्जुमई ण अणते अणतपएमिए खेदे जाणइ पासइ, ते चेव
वित्तलमई अभभिहितराए वित्तलतराए वित्तिभिरतराए जाणइ पासइ ।
खेतओ ण उज्जुमई जहन्नेण उक्कोसेण मणोगणे भावे जाणइ पासइ,
त चेव वित्तलमई विमुद्धतर जाणइ पासइ । कालओ ण उज्जुमई
जहन्नेण .उक्कोसेण पि जाणइ पासइ त चेव वित्तलमई विमुद्धतराग
जाणइ पासइ । भावओ ण उज्जुमई जाणइ पासइ । त चेव वित्तलमई
विमुद्धतराग जाणइ पासइ ।

इसी प्रकार श्रुतज्ञाना के सम्बन्ध में भी नदीसूत्र में 'सुअणाणी उवउत्ते सध्वदव्वाइ जाणइ पासइ' ऐसा पाठ आता है । श्रुतज्ञान भी ज्ञान ही है, दर्शन नहीं । फिर भी उसके लिए 'जाणइ' व 'पासइ' दोनों का प्रयोग किया गया है ।

यह सब देखते हुए यही मानना विशेष उचित है कि 'जाणइ पासइ' का प्रयोग केवल एक भाषाशैली है । इसके आधार पर ज्ञान व दर्शन के क्रम-अक्रम का विचार करना युक्तियुक्त नहीं ।

वसुपद

आचाराग में वसु, अणुवसु, वसुमत, दृव्यसु आदि वसु पद वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है। 'वसु' शब्द अवेस्ता, वेद एव उपनिषद् में भी मिलता है। इससे मालूम होता है कि यह शब्द बहुत प्राचीन है। अवेस्ता में इस शब्द का प्रयोग 'पवित्र' के अर्थ में हुआ है। वहाँ इसका उच्चारण 'वसु' न होकर 'बोहू' है। वेद एव उपनिषद् में इसका उच्चारण 'वसु' के रूप में ही है।^१ उपनिषद् में प्रयुक्त 'वसु' शब्द हस अर्थात् पवित्र आत्मा का धौतक है हस शुचिवद् वसु (कठोपनिषद्, वल्ली ५, श्लोक २, छान्दोग्योपनिषद्, खण्ड १६, श्लोक १-२)। वाद में इस शब्द का प्रयोग वसु नामक बाठ देवो अथवा धन के अर्थ में होने लगा। आचाराग में इस शब्द का प्रयोग आत्मार्थी पवित्र मुनि एव आत्मार्थी पवित्र गृहस्थ के अर्थ में हुआ है। वसु अर्थात् मुनि। अणुवसु अर्थात् छोटा मुनि—आत्मार्थी पवित्र गृहस्थ। दुर्व्यसु अर्थात् मुक्तिगमन के अयोग्य मुनि—अपवित्र मुनि—आचारहीन मुनि।

वेद

वैयक्ति—वेदवान् और वैयक्ति—वेदवित् इन दोनों शब्दों का प्रयोग आचाराग में भिन्न-भिन्न अध्ययनों में हुआ है। चूर्णिकार ने इनका विवेचन करते हुए लिखा है 'वेतिज्जइ जेण स वेदो त वेदयति इति वेदवित्' (आचाराग—चूर्णि, पृ १५२) 'वेदवी-तित्यगर एव कित्तयति चिवेग, दुवालसग वा प्रवचन वेदो तं जे वेदयति स वेदवी' (वही पृ १८५)। इन अवतरणों में चूर्णिकार ने तीर्यकर को वेदवी—वेदवित् कहा है। जिससे वेदन हो अर्थात् ज्ञान हो वह वेद है। इसीलिए जैन सूत्रों को अर्थात् द्वादशाग्र प्रवचन को वेद कहा गया है। नियुक्ति-कार ने आचाराग को वेदरूप बताया है। वृत्तिकार ने भी इस कथन का समर्थन किया है एव आचारादि आगमों को वेद तथा तीर्यकरो, गणघरो एव चतुर्दश-पूर्वियों को वेदवित् कहा है। इस प्रकार जैन परम्परा में ऋग्वेदादि को हिंसा-चारप्रधान होने के कारण वेद न मानते हुए अहिंसाचारप्रधान आचारागादि को वेद माना गया है। वसुवेवहिंडी (प्रथमभाग, पृ १८३-१९३) में इसी प्रकार के ग्रन्थों को आयंवेद कहा गया है। वस्तुतः देखा जाय तो वेद की प्रतिष्ठा से प्रभावित हो कर ही अपने शास्त्र को वेद नाम दिया गया है, यही मानना उचित है।

^१ अवेस्ता के लिए देखिए—गाथाओं पर नवो प्रकाश, पृ ४४८, ४६२, ४६४, ८२३

वेद के लिए देखिए—ऋग्वेद महल २, सूक्त २३, मन्त्र ९ तथा सूक्त ११, मन्त्र १.

आमगध .

आचाराग के 'सव्वामगध परिन्नाय निरामगधे परिक्वए' (२,५) वायथ में यह निर्देश किया गया है कि मुनि को मव आमगधो को जानकर उनका त्याग करना चाहिए एव निरामगध ही विचरण करना चाहिए । चूँकार अथवा वृत्तिशार ने आमगध का व्युत्पत्तिपूर्वक अथ नहीं बताया है । उन्होंने केवल यही कहा है कि 'आमगध' शब्द आहार से सम्बन्धित दोष का सूचक है । जो आहार उद्गम दोष मे दूषित हो अथवा शुद्धि की दृष्टि से दोषयुक्त हो वह आमगध कहा जाता है । सामान्यतया 'आम' का अर्थ होता है कच्चा और गध का अर्थ होता है वास । जिसकी गध आम हो वह आमगध है । इस दृष्टि से जो आहारादि परिपक्व न हो अर्थात् जिसमें कच्चे को गन्ध मालूम होती हो वह आमगध में समाविष्ट होता है । जैन भिक्षुओं के लिए इस प्रकार का आहार त्याज्य है । लक्षणा से 'आमगध' शब्द इसी प्रकार के आहारादि सम्बन्धी अन्य दोषों का भी सूचक है ।

बौद्धपिटक ग्रन्थ सुत्तनिपात में 'आमगध' शब्द का प्रयोग हुआ है । उसमें तिष्य नामक तापस और भगवान् बुद्ध के बीच 'आमगध' के विचार के विषय में एक सवाद है । यह तापस कद, मूल, फल जो कुछ भी धर्मानुसार मिलता है उसके द्वारा अपना निर्वाह करता है एव तापसघम का पालन करता है । उसे भगवान् बुद्ध ने कहा कि हे तापस ! तू जो परप्रदत्त अथवा स्वोपाञ्जित कद आदि ग्रहण करता है वह आमगध है—अमेघवस्तु—अपवित्रपदार्थ है । यह सुनकर तिष्य ने बुद्ध से कहा कि हे ब्रह्मबन्ध ! तू स्वयं सुसङ्कृत—अच्छी तरह से पकाये हुए पक्षियों के मास से युक्त चावल का भोजन करने वाला है और मैं कद आदि खाने वाला हूँ । किर भी तू मुझे तो आमगधभोजी कहता है और अपने आपको निरामगधभोजी । यह कैसे ? इसका उत्तर देते हुए बुद्ध कहते हैं कि प्राणघात, वघ, छेद, चोरी, असत्य, वचना, लूट, व्यभिचार आदि अनाचार आमगध हैं, मासभोजन आमगध नहीं । असयम, जिह्वालोलुपता, अपवित्र आचरण, नास्तिकता, विषमता तथा अविनय आमगध है मासाहार आमगध नहीं । इस प्रकार प्रस्तुत सूत्र में समस्त दोषो—आतरिक व बाह्य दोषों को आमगध कहा गया है ।

आचाराग में प्रयुक्त 'आमगध' का अर्थ आतरिक दोष तो है ही, साथ ही मासाहार भी है । जैन भिक्षुओं के लिये मासाहार के त्याग का विषयान है । 'सव्वामगध परिन्नाय' लिखने का वास्तविक अर्थ यही है कि बाह्य व आतरिक

सब प्रकार का आमगढ़ होय है अर्थात् वाष्ण आमगढ़—मासादि एवं आन्तरिक आमगढ़—आम्यन्तरिक दोष ये दोनों ही त्याज्य हैं ।

आस्त्र व परिस्त्र

'जे आसवा ते परिस्त्रवा, जे परिस्त्रवा ते आसवा, जे अणासवा ते अपरिस्त्रवा, जे अपरिस्त्रवा ते अणासवा' आचाराग (अ. ४, उ. २) के इस वाक्य का अर्थ समझने के लिये आस्त्र व परिस्त्रव का अर्थ जानना जरूरी है । आनन्द शब्द 'वधन के हेतु' के अर्थ में और परिस्त्रव शब्द 'वधन के नाश के हेतु' के अर्थ में जैन व बौद्ध परिभाषा में रूढ़ है । अत 'जे आसवा' का अर्थ यह हूँ जो आनन्द हैं अर्थात् वधन के हेतु हैं वे कई बार परिस्त्रव अर्थात् वधन के नाश के हेतु बन जाते हैं और जो वधन के नाश के हेतु हैं वे कई बार अपरिस्त्रव अर्थात् वधन में हेतु बन जाते हैं और जो वधन के हेतु हैं वे कई बार वधन में अहेतु बन जाते हैं । इन वाक्यों का गूढ़ार्थ 'मन एव मनुष्याणा कारण दन्ध-मोक्षयो' के सिद्धान्त के आधार पर समझा जा सकता है । वधन व मुक्ति का कारण मन ही है । मन की विचिन्ता के कारण ही जो हेतु वधन का कारण होता है वही मुक्ति का भी कारण बन जाता है । इसी प्रकार मुक्ति का हेतु वधन का कारण भी बन सकता है । उदाहरण के लिए एक ही पुस्तक किसी के लिए ज्ञानाजंन का कारण बनती है तो किसी के लिए बलेश का, अथवा किसी ममय विद्योपाजंन का हेतु बनती है तो किसी समय बलह का । तात्पर्य यह है कि चित्तशुद्धि अथवा अप्रमत्ता पूर्वक की जाने वाली क्रियाएँ ही अनास्त्रव अथवा परिस्त्रव का कारण बनती हैं । अगुड़ चित्त अथवा प्रमादपूर्वक की गई क्रियाएँ आस्त्र अथवा अपरिस्त्रव का कारण होती हैं ।

वर्णभिलापा

'वर्णाएसी नारभे कचण सब्लोए' (आचाराग, अ ५, उ २ सू १५५) का अर्थ इस प्रकार है । वर्ण का अभिलापी लोक में किसी का भी आल-भन न करे । वर्ण अर्थात् प्रशसा, यश, कौर्ति । उसके आदेशी अर्थात् अभिलापी को सारे मसार में किसी की भी हिंमा नहीं करनी चाहिए, किसी का भी भोग नहीं लेना चाहिए । हमी प्रकार असत्य, चौर्य आदि का भी आचरण नहीं करना चाहिए । यह एक अर्थ है । दूसरा अर्थ इस प्रकार है ससार में कौर्ति अथवा प्रशसा के लिए देहदमनादिक की प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए । तीसरा अर्थ यो है लोक में वर्ण अर्थात् रूपसौन्दर्य के लिए किसी प्रकार का संस्कार—स्नानादि की प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए ।

उग्रु ज्ञान गुण में मुमुक्षुओं ने लिंग तिर्यो प्राप्ति भी हिंगा न बर्नने का विचार किया है। इसमें तिर्यो अपवाद का उल्लेख अयग्ना निर्देश नहीं है। किंतु भी वृत्तिकार गहनों, तिर्यो प्राप्ति भी अर्थात् जैन धारण की कौतुक के लिए लोई इस प्राप्ति द्वारा आग्न—तिर्यो गर गरना है। प्रवचनोद्घावनायं तु आग्नभते (आनागगन्ति, पृ २९३)। वृत्तिप्राप्ति द्वारा यह रथन कहाँ तरु युक्तिमन्त्र है, यह विचाराग्नीय है।

मुनियों के उपकरण

आनागग में भिक्षु के वस्त्र के उपयोग एवं अनुपयोग के सम्बन्ध में जो पाठ है उनमें कही भी वृत्तिकारनिर्दिष्ट जिनान्य आदि भेदों का उल्लेख नहीं है, केवल भिक्षु की साधन मामग्री वा निर्देश है। इसमें अचेलकना एवं सचेलकना का प्रतिपादन भिक्षु की अपनी परिम्यति को दूषित में रखते हुए किया गया है। इस विषय में किसी प्रकार की अनिवार्यता को स्वायन नहीं है। यह केवल आत्मबल व देहपल की तन्त्रमता पर आधारित है। जिसका आत्मबल अथवा देहपल अपेक्षाकृत अन्य है उसे भी भूमध्यार ने साधना का पूर्ण अवगत दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि अचेल, प्रिवश्चपारो, द्विवश्चपारी, एवं वस्त्रधारी एवं केवल लज्जानिवाद्याय का उपयोग करने वाला—ये सब भिक्षु समानलूप से आदरणीय हैं, इन सबके प्रति समानता का भाव रखना चाहिए। समत्तमेव सम्भिजाणिया। इनमें से अमुक प्रकार के मुनि उत्तम हैं अयवा श्रेष्ठ हैं एवं अमुक प्रकार के हीन हैं अयवा अवम हैं, ऐमा नहीं समझना चाहिए। यहाँ एक वाति विशेष उल्लेखनीय है। प्रथम श्रुतस्कन्ध में मुनियों के उपकरणों के सम्बन्ध में आने वाले समस्त उल्लेखों में कहो भी मुहूर्पत्ती नामक उपकरण का निर्देश नहीं है। उनमें केवल वस्त्र, पात्र, कबल, पादपुछन, अवग्रह तथा कटासन का नाम है वत्थ पडिग्गह कबल पायपुछण ओग्गह च कडासण (२, ५), वत्थ पडिग्गह कबल पायपुछण (६, २), वत्थ वा पडिग्गह वा कबल वा पायपुछण वा (८, १), वत्थ वा पडिग्गह वा कबल वा पायपुछण वा (८, २)। भगवतीसूत्र में तथा अन्य अङ्गसूत्रों में जहाँ-जहाँ दीक्षा लेने वालों का अधिकार आता है वहा-वहा रजोहरण तथा पात्र के सिवाय किसी अन्य उपकरण का उल्लेख नहीं दीखता है। यह हकीकत भी मुहूर्पत्ती के सम्बन्ध में विवाद खड़ा करने वाली है। भगवती सूत्र में ‘गौतम मुहूर्पत्ती का प्रतिलेखन करते हैं’ इस प्रकार का उल्लेख आता है। इससे प्रतीत होता है कि आचाराग की रचना के समय मुहूर्पत्ती का भिक्षुओं के उपकरणों में समावेश न था किन्तु बाद में इसकी वृद्धि की गई। मुहूर्पत्ती के बाधने का उल्लेख तो कहीं दिखाई नहीं देता। सभव है बोलते समय

अन्य पर धूंक न गिरे तथा पुस्तक पर भी धूंक न पडे, इस दृष्टि से मुहूर्पत्ती का उपयोग प्रारम्भ हुआ हो। मुंह पर मुहूर्पत्ती वाष रवते का रियाज तो बहुत समय बाद ही चला है।^१

महावीर-चर्या

भाचाराग के उपयानश्रुत नामका नववें अध्ययन में भगवान् महावीर का जो चरित्र दिया गया है वह भगवान् की जीवनचर्या का साक्षात् धोनक है। उसमें कहीं भी अत्युन्नि नहीं है। उनके पास इद, सूर्य आदि के आने की घटना का कहीं भी निर्देश नहीं है। इस अध्ययन में भगवान् के धर्मनक्ष के प्रवर्तन अर्थात् उपदेश का स्पष्ट उल्लेख है। इनमें भगवान् की दीक्षा से लेकर निर्वाण तक की समग्र जीवन-घटना का उल्लेख है। भगवान् ने साक्षात् की, वीतराग हुए, देशना की अर्थात् उपदेश दिया और अन्त में 'अभिनिष्ठुहे' अर्थात् निर्वाण प्राप्त किया। इस अध्ययन में एक जगह ऐसा पाठ है—

अप्प तिरिय पेहाए अप्प पिटुओ व पेहाए।
अप्प दुइए पडिभाणी पथपेही चरे जयमाणे ॥

अर्थात् भगवान् ध्यान करते नमय तिरथा नहीं देखते अथवा कम देखते, पीछे नहीं देखते अथवा कम देखते, बालते नहीं अथवा कम बोलते, उत्तर नहीं देते अथवा कम देते एव माग को ध्यानपूर्वक यतना से देखते हुए चलते।

इस महज चर्या का भगवान् के जन्मजात माने जाने वाले अवधिज्ञान के साथ विगेध होता देख चूणिकार इस प्रकार समाधान करते हैं कि भगवान् को आख का उपयोग करने की कोई आधयकता नहीं है (क्योंकि वे छद्मावन्या में भी अपने अवधिज्ञान से बिना आख के ही देख सकते हैं, जान सकते हैं) फिर भी शिष्यों को समझाने के लिए इस प्रकार का उल्लेख आवश्यक है ये एत भगवतो भवति, तहावि आयरिय धम्माण सिस्त्साण इति काउ अप्प तिरिय (चूणि, पृ० ३१०) इस प्रकार चूणिकार ने भगवान् महावीर से सम्बन्धित महिमावतक अतिशयोक्तियों को सुसगत करने के लिए मूलसूत्र के बिलकुल सीधे-सादे एव सुगम वचनों को अपने ढग से समझाने का अनेक स्थानों पर प्रयास किया है। पीछे के टीकाकारा ने भी एक या दूसरे ढग से इसी पद्धति का अवलम्बन लिया

^१ जैन शासन में क्रियाकाड में परिवर्तन करने वाले और स्थानकवासी परम्परा के प्रवर्तन प्रधान पुरुष श्री लोकाशाह भी मुहूर्पत्ती नहीं बाधते थे। बाधने की प्रथा बाद में चली है। देखिए—गुरुदेव श्री रत्नमूर्ति समृति-ग्रन्थ में प० ११ दलसुखभाई भालवणिया का लेख 'लोकाशाह और उनकी विचारधारा'।

है। यह तत्कालीन वातावरण एवं भक्ति का सूचक है। ललितविस्तर आदि वौद्ध ग्रन्थों में भी भगवान् वृद्ध के विषय में जैन ग्रन्थों के ही समान अनेक अतिशयोक्तिपूण उल्लेख उपलब्ध हैं। महावीर के लिए प्रयुक्त मर्वज्ज, सवदर्शी, अन्तज्ञानी, केवली आदि शब्द आचाय हरिभद्र के कथनानुसार भगवान् के आत्मप्रभाव, वीतरागता एवं क्रान्तिदर्शिता—दूरदर्शिता के सूचक हैं। वाद में जिस अर्थ में ये शब्द रुढ़ हुए हैं एवं शास्त्रार्थ का विषय बने हैं उस अर्थ में वे उनके लिए प्रयुक्त हुए प्रतीत नहीं होते। प्रत्येक महापुरुष जब सामान्य चर्या से ऊचा उठ जाता है—असाधारण जीवनचर्या का पालन करने लगता है तब भी वह मनुष्य ही होता है। तथापि लोग उसके लिए लोकोत्तर शब्दों का प्रयोग प्रारम्भ कर देते हैं और इस प्रकार अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। उत्तम कोटि के विचारक उस महापुरुष का यथाशक्ति अनुमरण करते हैं जब कि सामान्य लोग लोकोत्तर शब्दों द्वारा उनका स्तवन करते हैं, पूजन करने हैं, महिमा गाकर प्रसन्न होते हैं।

कुछ सुभाषित

आचारारण के प्रथम श्रुतस्कन्ध की समीक्षा समाप्त करने के पूर्व उसमें आने वाले कुछ सूक्त अर्थसहित नीचे दिये जाने आवश्यक हैं। वे इस प्रकार हैं—

- | | |
|--|--|
| १ पण्या वीरा महावीर्हि | वीर पुरुष महामार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। |
| २ जाए सद्वाए निक्खतो तमेव
अणुपालिया | जिस श्रद्धा के साथ निकला उसी का पालन कर। |
| ३ धीरे मुहूर्तमवि नो पमायए | धीर पुरुष एक मुहूर्त के लिए भी प्रमाद न करे। |
| ४ वओ अच्चेइ जोव्वण च | वय चला जा रहा है और यौवन भी। |
| ५ खण जाणाहि पडिए | है पडित। क्षण को—समय को समझ। |
| ६ सव्वे पाणा पियाउया
सुहसाया दुक्खपडिकूला
अप्पियवहा पियजीविणो
जीवितकामा | सब प्राणियों को आयुष्य प्रिय है, सुख अच्छा लगता है, दुःख अच्छा नहीं लगता, वय अप्रिय है, जीवन प्रिय है, जीने की इच्छा है। |
| ७ सव्वेसि जीविअ पियं | सबको जीवन प्रिय है। |

८ जेण मिया तेण णो सिया

जिसके द्वारा है उसके द्वारा नहीं है
अर्थात् जो अनुकूल है वह प्रतिकूल हो
जाता है ।

९ जहा अतो तहा वाहि
जहा वाहि तहा अतो

जैसा अन्दर है वैसा बाहर है और जैसा
बाहर है वैसा अन्दर है ।

१० कामकामी खलु अय पुरिसे

यह पुरुष सचमुच कामकामी है ।

११ कासंकासेऽय खलु पुरिसे

यह पुरुष 'मै करूँगा, मै करूँगा' ऐसे ही
करता रहता है ।

१२ वेर्द वडढद अप्पणो

ऐसा पुरुष अपना वेर बढ़ाता है ।

१३ सुत्ता अमृणी मुणिणो
सयय जागरति

अमृनि सोये हुए हैं और मृनि सतत
जाग्रत हैं ।

१४ अकम्मस्म ववहारो न विजजइ कर्महीन के व्यवहार नहीं होता ।

१५ अग्ग च मूल च विर्गिच
धीरे

है धीर पुरुष । प्रपञ्च के अग्रभाग व मूल
को काट डाल ।

१६ का अरद्ध के आणदे एत्य पि
अग्गहे चरे

यथा अरति और यथा आनन्द, दोनों में
अनामक्त रहो ।

१७ पुरिसा । तुममेव तुम मित्त
कि वहिया मित्तमिच्छसि

है पुरुष । तू ही अपना मित्र है पिर
वाह्य मित्र को इच्छा वयों करता है ?

१८ पुरिमा । अत्ताणमेव अभि-
निश्चिन्न एव दुक्खा पमो-
क्षसि

है पुरुष । तू अपने आप को ही निगृहीत
कर । इस प्रकार तेरा हु ख दूर
होगा ।

१९ पुरिसा । सच्चमेव समभि-
जाणाहि

है पुरुष । सत्य को ही सम्यक्रूप से
समझ ।

२० जे एग नामे से वहु नामे, जे
वहु नामे से एग नामे

जो एक को ज्ञाकाता है वह वहूतो को
ज्ञाकाता है और जो वहूतो को ज्ञाकाता है
वह एक को ज्ञाकाता है ।

२१ सब्बओ पमत्तस्स भय
अप्पमत्तस्स नरिय भयं “

प्रमादी को चारों ओर से भय है,
अप्रमादी को कोई भय नहीं ।

२२ जनि बोग महाजाण	बोग पुराय महायान को बोग जाने हैं ।
२३ रमेहि अप्याण	आन्मा रा अर्थात् गुद को नम ।
२४ जरेहि अप्याण	आन्मा को अर्थात् गुद का जीरा इन ।
२५ वहु दुश्या हु जनवो	मनमूच प्राणी वहु दुश्या है ।
२६ तुम मि नाम त चेव ज हनव्वा नि मन्नमि	तू जिसे इनने योग्य ममयता है वह तू गुद ही है ।

द्वितीय शुनस्कन्ध

आचारागण के प्रथम शुनस्कन्ध को उपर्युक्त नमीकार के ही उमान द्वितीय शुनस्कन्ध वो भी नमीकार आवश्यक है । द्वितीय शुनस्कन्ध का सामान्य परिचय पहले दिया जा चुका है । यह पांच चूल्हिकाओं में विभक्त है जिसमें आचार-प्रकृत्य अयवा निधीय नामक पञ्चम चूल्हिका आचाराग से अन्त छोड़कर एक न्वरुन्ध ग्रथ ही बन गई है । अत उत्तमान द्वितीय शुनस्कन्ध में देवल चार चूल्हिकाएँ ही हैं । प्रथम चूल्हिका में नार प्रकरण है जिसमें ने प्रदयम प्रकरण आहारविषयक है । इस प्रकरण में कुछ विवेषणा है । जिसकी चर्चा करना आवश्यक है ।

आहार

जैन भिक्षु के लिए यह एक सामान्य नियम है कि अग्न, पान, वादिम एवं व्यादिम छोटे-बड़े जीवों से युक्त हो, काई ने व्याप्त हो, गेहूं आदि के दानों के नहिन हो, हरी बनस्पति आदि ने भिक्षित हो, ठाड़े पानी से भिगोया हुआ हो, जीवयुक्त हो, रजवाला हो उने भिक्षु स्वीकार न करे । कदाचित् अनाववानी से ऐसा भोजन आ भी जाये तो उसमें जीवजन्तु आदि निकाल कर विवेकपूर्वक उनका उपयोग करे । भोजन करने के लिये स्थान कौमा हो ? उसके चर्तर में कहा गया है कि भिक्षु एकान्त स्थान ढूँढे अर्थात् एकान्त में जाकर किमी वाटिका, उपायथ अथवा शून्यगृह में इसी के न देखते हुए भोजन करे । वाटिका आदि कैसे हो ? जिसमें वैठन की जगह अडे न हो, अन्य जीवजन्तु न हो, अनाज के दाने अथवा फूल आदि के बीज न हो, हरे पत्ते आदि न पड़े हो, औस न पड़े हो, ठण्डा पानी न गिरा हो, काई न चिपको हो, गोली मिट्टी न हो, मकड़ी के जाले न हो ऐसे निर्जीव स्थान में वैठकर भिक्षु भोजन करे । आहार, पानी आदि में अखाद्य अथवा अपेय पदार्थ के निकलने पर उसे ऐसे स्थान में फेंके जहाँ एकान्त हो अर्थात् किसी का आना-जाना न हो तथा जीवजन्तु आदि भी न हो ।

भिक्षा के हेतु अन्य मत के माय अथवा गृहस्थ के साथ किसी के घर में प्रवेश न करे अथवा घर से बाहर न निकले यद्योऽपि वृत्तिमार के फलनानुमार अन्य तीर्थियों के माय प्रवेश करने ये निकलने वाले भिक्षु को आध्यात्मिक य बास्तु हानि होती है । इस नियम ने एक धात यह फलित होती है कि उस जगत्ते में भी सम्प्रदाय सम्प्रदाय के बीच परस्पर सद्भावना का अभाव था ।

आगे एक नियम यह है कि जो भोजन अन्य श्रमणों अपार्नि धीद श्रमणों, तापसों, आज्ञीविकों आदि के लिए अथवा अतिरियों, भिलारियों, यनोपको^१ आदि के द्विष्टे बनाया गया हो उसे जैनभिक्षु प्रहण न करे । इस नियम द्वारा अन्य भिक्षुओं अथवा श्रमणों को हानि न पहुँचाने को भावना व्यक्त होती है । एसी प्रकार जैन भिक्षुओं को नित्यपिण्ड, अप्रपिण्ड (भाजन का प्रयत्न भाग) आदि देने वाले कुलों में से भिक्षा प्रहण करने को मनाही को गई है ।

भिक्षा के योग्य कुल

जिन कुलों में भिक्षु भिक्षा के लिये जाते थे ये ये हैं उप्रातुल, भोगबुल, राजन्यकुल, सत्रियकुल, दश्वाकुल, हरियशकुल, वैसिङ्कुल—गोष्ठा का कुल, वैसिङ्कुल—धैश्यकुल, गडागकुल—गौव में धोपणा करने वाले नापितों का कुल, कोट्टागकुल—वर्द्धकुल, वृक्षरात्र अथवा धोकणाकालियकुल—वुनकरकुल । गाय ही यह भी चताया गया है कि जो कुल अनिन्दित है, अजुगुप्तित है उन्हीं में जाना चाहिए, निन्दित व जुगुप्तित कुनों में नहीं जाना चाहिए । वृत्तिमार के फलनानुमार चमार कुल अथवा दासकुल निन्दित माने जाते हैं । इस नियम द्वारा यह फलित होता है कि द्वितीय श्रुतस्तन्त्र की योजना के समय जैनधर्म में कुल के आधार पर उच्च-कुल एवं नीचकुल की भावना को स्थान मिला हो । इसके पूछ जैन प्रवचन में इस भावना की गध तक नहीं मिलती । जहाँ गुद चाषाणाल के मुनि बनने के उल्लेख हैं वहाँ नीचकुल अथवा गर्हितकुल की कल्पना ही कैमे हो सकती है ?

उत्सव के समय भिक्षा

एक जगह खान-पान के प्रसाद से जिन विशेष उत्सवों के नामों का उल्लेख किया गया है वे ये हैं हन्द्रमह, स्कदमह, रुद्रमह, मुकुन्दमह, भूतमह, यक्षमह, नागमह, स्तूपमह, चैत्यमह, वृक्षमह, गिरिमह, कूपमह, नदीमह, सरोवरमह, सागरमह, आकरमह इत्यादि । इन उत्सवों पर उत्सव के निमित्त से आये हुए निमन्त्रित व्यक्तियों के भोजन कर लेने पर ही भिक्षु आहारप्राप्ति के लिए किसी

^१ विशिष्ट वेदधारी भिक्षारी ।

के घर में जाय, उससे पूर्व नहीं। इतना ही नहीं, वह घर में जाकर गृहपति की स्त्री, वहन, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, दास, दासी, नौकर, नौकरानी से कहे कि जिन्हें जो देना था उन्हें वह दे देने के बाद जो बचा हो उसमें से मुझे भिक्षा दो। इस नियम का प्रयोजन यही है कि किसी के भोजन में अन्तराय न पड़े।

सखडि अर्थात् सामूहिक भोज में भिक्षा के लिए जाने का नियेव करते हुए कहा गया है कि इस प्रकार की भिक्षा अनेक दोषों की जननी है। जन्मोत्सव, नामकरणोत्सव आदि के प्रसग पर होने वाले वृहद्भोज के निमित्त अनेक प्रकार की हिंसा होती है। ऐसे अवसर पर भिक्षा लेने जाने की स्थिति में साधुओं की सुविधा के लिए भी विशेष हिंसा की सम्भावना हो सकती है। अत सखडि में भिक्षु भिक्षा के लिए न जाय। आगे सूत्रकार ने यह भी बताया है कि जिस दिशा में सखडि होती हो उस दिशा में भी भिक्षु को नहीं जाना चाहिए। सखडि कहाँ कहाँ होती है? ग्राम, नगर, खेड़, कर्वंत, मठब, पट्टण, आकर, द्रोणमुख, नैगम, आश्रम, सनिवेश व राजवानी—इन सब में सखडि होती है। सखडि में भिक्षा के लिए जाने से भयकर दोष लगते हैं। उनके विषय में सूत्रकार कहते हैं कि कदाचित् वहाँ अधिक खाया जाय अथवा पीया जाय और बमन हो अथवा अपच हो तो रोग होने की सभावना होती है। गृहपति के साथ, गृहपति की स्त्री के साथ, परिज्ञाजको के साथ, परिज्ञाजिकाओं के साथ एकमेव हो जाने पर, मदिरा आदि पीने की परिस्थिति उत्पन्न होने पर ब्रह्मचर्य-भग का भय रहता है। यह एक विशेष भयकर दोष है।

भिक्षा के लिये जाते समय

भिक्षा के लिये जाने वाले भिक्षु को कहा गया है कि अपने सब उपकरण साथ रखकर ही भिक्षा के लिए जाय। एक गाँव से दूसरे गाँव जाते समय भी वैसा ही करे। वर्तमान में एक गाँव से दूसरे गाव जाते समय तो इस नियम का पालन किया जाता है किन्तु भिक्षा के लिए जाते समय वैसा नहीं किया जाता। धीरे धीरे उपकरणों में वृद्धि होती गई। अत भिक्षा के समय सब उपकरण साथ में नहीं रखने की नई प्रथा चली हो ऐसा शक्य है।

राजकुलों में

आगे बताया गया है कि भिक्षु को क्षत्रियों अर्थात् राजाओं के कुलों में, कुराजाओं के कुलों में, राजभूत्यों के कुलों में, राजवश के कुलों में भिक्षा के लिए नहीं जाना चाहिए। इससे मालूम होता है कि कुछ राजा एवं राजवश के लोग भिक्षुओं के साथ असद्व्यवहार करते होंगे अथवा उनके यहाँ का आहार समय की साधना में विघ्नकर होता होगा।

मवखन, मधु, मद्य व माम :

किसी गांव में निर्दल अथवा युद्ध भिक्षुओं ने स्पर्शवाम कर रखा हो अथवा कुछ समय के लिए भारतकल्पी भिक्षुओं ने निवास किया हुआ हो और वहीं ग्रामानुग्राम विचरते हुए अन्य भिक्षु अतिथि के रूप में आये हो जिन्हें देत कर पहले से ही वहीं रहे हुए भिक्षु यो महें कि हे श्रमणो ! यह गांव सो बहुत छोटा है अथवा घर-घर सूतक लगा हुआ है इसलिए आप लोग आस पास के अमुक गांव में भिक्षा के लिए जाएँ। यही हमारे अमुक मम्बन्धो रहते हैं। आपको उनके यहीं से दूध, दही, मक्कान, धी, गुड, तेल, घाहद, मद्य, गास, जलेबी, श्रोवण्ड, पूढ़ी आदि सब युष्ट मिलेगा। आपको जो पमन्द हो वह लें। गांभीर आवश्यक वात साक घर किर यहां आ जावें। गुन्नकार गहते हैं कि भिक्षु को इस प्रकार भिक्षा प्राप्त नहीं करनी चाहिए। यहीं जिन खाय पदार्थों के नाम गिनाये हैं उनमें मक्कान, घाहद, मद्य व माम का समावेश है। इसमें मालूम होता है कि प्राचीन समय में कुछ भिक्षु मवसन आदि लेते होंगे। यहीं मक्कान, घाहद, मद्य एवं मास शब्द का कोई अन्य अर्थ नहीं है। यृत्तिकार स्वयं एतद्विषयक स्पष्टीकरण करते हुए पहने हैं कि कोई भिक्षु अंतिप्रमाणी हो, याने पीने का बहुत लालची हो तो वह घाहद, मद्य एवं मास ले भी सकता है अथवा कश्चित् अंतिप्रमाणादावज्ञव्य अत्यन्तगृह्णनुत्या मधु-मद्य-मामानि अपि आश्रयेत् अत तदुपादानम् (आचाराग-चृति, पृ ३०६)। यूरिकार ने इसका अपवादसूत्र के रूप में भी व्याख्यान किया है। भूलपाठ के सन्दर्भ को देखते हुए यह उत्सर्गसूत्र ही प्रतीत होता है, अपवादसूत्र नहीं।

सम्मिलित सामग्री .

भिक्षा के लिए जाते हुए बीच में स्थाई, गढ़ आदि आने पर उन्हें लांघ कर आये न जाय। इसी प्रकार मार्ग में सन्मत साँढ़, भैंसा, घोड़ा, मनुष्य आदि होने पर उस ओर न जाय। भिक्षा के लिए गये हुए जैन भिक्षु आदि को भिक्षा देने वाला गृहपति यदि यो कहे कि हे आयुष्मान् श्रमणो ! मैं अपी विशेष काम में अवस्त हूँ। मैंने यह सारी भोजन-सामग्री आप सब को दे दी है। इसे आप लोग खा लीजिए अथवा अपस में बाट लीजिए। ऐसी स्थिति में वह भोजन-सामग्री जैनभिक्षु स्वीकार न करे। कदाचित् कारणविद्यात् ऐसी सामग्री सुझ अकेले को दे दी है अथवा मेरे लिए ही पर्याप्त है। उसे आपस में बाटते समय अथवा साथ में मिलकर खाते समय किसी प्रकार का पक्षपात अथवा धालाकी न करे। भिक्षा-

ग्रहण का यह नियम औत्सर्विक नहीं अविनु आपवादिक है। वृत्तिकार के अनुसार अमुक प्रकार के भिन्नताओं के लिए ही यह नियम है, सबके लिए नहीं।

ग्राह्य जल

भिन्न के लिए ग्राह्य पानी के प्रकार ये हैं उत्त्वेदिम—पिंडी हुई वस्तु को भिंगोकर रखा हुआ पानी, सत्त्वेदिम—तिल आदि विना पिंडी वस्तु को धोकर रखा हुआ पानी, तण्डुलोदक—चावल का धोवन, तिलोदक—तिल का धोवन, तुषोदक—तुष का धोवन, यवोदक—यव का धोवन, आयाम—आचामन—अवश्यान, आरनाल—जौ, शुद्ध अचित—निर्जीव पानी, आप्रपानक—आम का पानक, द्राक्षा का पानी, विल्व का पानी, अमचूर का पानी, बनार का पानी, क्षजूर का पानी, नारियल का पानी, केर का पानी, वेर का पानी, आवले का पानी, इमली का पानी इत्यादि।

भिन्न पकाई हुई वस्तु ही भोजन के लिए ले सकता है, कच्चों नहीं। इन वस्तुओं में कद, मूल, फल, फूल, पत्र आदि सबका सगावेश है।

अग्राह्य भोजन

(कही पर अतिथि के लिए मास अथवा मछलों पकाई जाती हो अथवा तेल में पूए तले जाते हो तो भिन्न लालचवश लेने न जाय। किसी रुण भिन्न के लिए उसकी आवश्यकता होने पर वैसा करने में कोई हर्ज नहीं) मूल सूत्र में एक अग्रह यह भी बताया गया है कि भिन्न को अस्थिवहूल अर्थात् जिसमें हड्डी की बहुलता हो वैसा मास व कटकवृत्त अर्थात् जिसमें काटों की बहुलता हो वैसी मछलों नहीं लेनी चाहिए। यदि कोई गृहस्थ यह कहे कि आपको ऐसा मास व मछली चाहिए? तो भिन्न कहे कि यदि तुम मुझे यह देना चाहते हो तो केवल मुदगल भाग दो और हड्डियों व काटे न आवें इसका व्यान रखो। ऐसा कहते हुए भी गृहस्थ यदि हड्डीवाला मास व काटोवाली मछली दे तो उसे लेकर एकान्त में जाकर किसी निर्दोष स्थान पर बैठ कर मास व मछली खाकर वच्ची हुई हड्डियों व काटों को निर्जीव स्थान में डाल दे। यहाँ भी मास व मछली का स्पष्ट उल्लेख है। वृत्तिकार ने इस विषय में स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि इस सूत्र को आप वादिक समझना चाहिए। (किसी भिन्न को लूपा अथवा अन्य कोई रोग हुआ हो और किसी अच्छे वैद्य ने उसके उपचार के हेतु बाहर लाने के लिए मास आदि की सिफारिश की हो तो भिन्न आपवादिक रूप से वह ले सकता है। लाने के बाद वह द्वाएं काटो व हड्डियों को निर्दोष स्थान पर फेंक देना चाहिए।) यहाँ वृत्तिकार ने मूल में प्रयुक्त 'मुज' वातु का 'स्वाना' अर्थ न करते हुए 'बाहर

स्थाना' गर्दं किया है। यह लर्ड सून के सन्दर्भ की दृष्टि से उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। वृत्तिकार ने अपने युग के अहिंसाप्रधान प्रभाषण से प्रभावित होकर ही मूल अर्थ में यथ तत्र इस प्रकार के परिवर्तन किए हैं।

शब्दव्याख्या

शब्दव्याख्या नामक द्वितीय प्रकरण में यहा गया है कि जिस स्थान में गृहस्थ सकुड़म्ब रहते ही वहाँ भिक्षु नहीं रह सकता क्योंकि ऐसे स्थान में रहने से बनेक दोष लगते हैं। कर्ह यार ऐसा होता है कि लोगों द्वारा इस भान्यता से कि ये श्रमण अद्वाचारी होते हैं अत इनसे उत्पन्न होने वाली सन्तान सेजस्ती होती है, कोई स्त्री अपने पास रहने वाले भिक्षु को कामदेव के पजे में फौना देती है जिससे उसे संयमभ्रष्ट होना पड़ता है। प्रमुख प्रकरण में मकान वे प्रकार, मकानमालिकों के अवधारण, उनके आभूषण, उनके अन्यग के साधन, उनके स्नान सम्बन्धी द्रव्य आदि का उल्लेख है। इसमे प्राचीन गमय के मकानों व सामाजिक व्यवसायों का शुल्क परिचय मिल सकता है।

ईर्यापथ

ईर्यापथ नामक तृतीय अध्ययन में भिक्षुओं के पाद-विहार, नौकारोहण, जल-प्रवेश आदि का निरूपण किया गया है। ईर्यापथ दाढ़ बोद्ध-परम्परा में भी प्रचलित है। तदनुमार स्थान, गमन, नियदा और शयन इन चार का ईर्यापथ में समावेश होता है। विनयपिटक में एतद्विधक विस्तृत विवेचन है। विहार करते समय बोद्ध भिक्षु अपनी परम्परा के नियमों के अनुमार तैयार होकर चलता है इसी का नाम ईर्यापथ है। दूसरे शब्दों में अपने समस्त उपकरण साथ में लेकर सावधानीपूर्वक गमन करने, शरीर के अवयव न हिलाने, हाथ न उछालने, पैर न पछाड़ने का नाम ईर्यापथ है। जैन परम्पराभिमत ईर्यापथ के नियमों के अनुसार भिक्षु को वर्षाकृतु में प्रवास नहीं करना चाहिए। जहाँ स्वाध्याय, दोच आदि के लिए उपयुक्त स्थान न हो, भयम की साधना के लिए यथोप्त उपकरण सुलभ न हों, अन्य श्रमण, आहार, याचक आदि वढ़ी समय में आये हुए हो अथवा आने वाले हों वहाँ भिक्षु का वर्षाकृतु नहीं करना चाहिए। वर्षाकृतु बीत जाने पर व हेमन्त ऋतु आने पर मार्ग निर्दोष हो गये हो—जीवयुक्त न रहे हो तो भिक्षु को विहार कर देना चाहिए। चलते हुए पैर के नीचे कोई जीव-जन्म न होना चाहिए। टेढ़ा रखकर चलना चाहिए, किसी भी तरह चलकर उस जीव की रक्षा करनी चाहिए। विवेकपूर्वक नीची नजर रखकर सामने चार हाथ भूमि देखते हुए

चलना चाहिए। वैदिक परम्परा व वौद्ध परम्परा के भिन्नों के लिए भी प्रवास करते समय इसी प्रकार से चलने की प्रक्रिया का विधान है। मार्ग में चोरों के विविध स्थान, म्लेच्छो—वर्वर, अवर, पुर्लिद, भील आदि के निवासस्थान आवें तो भिन्न को उस और विहार नहीं करना चाहिए क्योंकि ये लोग घर्म से अनभिज्ञ होते हैं तथा अकालभोजी, असमय में धूमने वाले, असमय में जगने वाले एवं सावुओं से द्वेष रखने वाले होते हैं। इसी प्रकार भिन्न राजा रहतराज्य, गणराज्य (अनेक राजाओं वाला राज्य), अल्पवयस्कराज्य (कम उम्र वाले राजा का राज्य), द्विराज्य (दो राजाओं का सयुक्त राज्य) एवं अशान्त राज्य (एक-दूसरे का विरोधी राज्य) की ओर भी विहार न करे क्योंकि ऐसे राज्यों में जाने से समय की विराघना होने का भय रहता है। जिन गाँवों की दूरी बहुत अधिक हो अर्थात् जहाँ दिन भर चलते रहने पर भी एक गाँव से दूरे गाँव न पहुँचा जाता हो उस ओर विहार करने का भी निषेच किया गया है। मार्ग में नदी आदि आने पर उस नाव की सहायता के बिना पारन कर सकने की स्थिति में ही भिन्न नाव का उपयोग करे, अन्यथा नहीं। पानी में चलते समय अथवा नाव से पानी पार करते समय पूरी सावधानी रखे। यदि दो-चार कोस के घेरे में भी स्थलमार्ग हो तो जलमार्ग से न जाय। नाव में बैठने पर नाविक द्वारा किसी प्रकार की सेवा माँगी जाने पर न दे किन्तु मौनपूर्वक ध्यान परायण रहे। कदाचित् नाव में बैठे हुए लोग उसे पकड़ कर पानी में फेंकने लगें तो वह उन्हें कहे कि आप लोग ऐसा न करिये। मैं खुद ही पानी में कृद जाता हूँ। फिर भी यदि लोग उसे पकड़ कर फेंक दें तो समझावपूर्वक पानी में गिर जाय एवं तैरना आता हो तो धान्ति से तैरते हुए बाहर निकल जाय। विहार करते हुए मार्ग में चोर भिलें और भिन्न से कहें कि ये कपडे हमें दें तो वह उन्हें कपड़े न दे। छीनकर ले जाने की स्थिति में दयनीयता न दिखावे और न किसी प्रकार की शिकायत ही करे।

भाषाप्रयोग .

भाषाजात नामक अनुर्ध्व अव्ययन में भिन्न की भाषा का विवेचन है। भाषा के विविध प्रकारों में से किस प्रकार की भाषा का प्रयोग भिन्न को करना चाहिए, किसके साथ कैसी भाषा बोलनी चाहिए, भाषा-प्रयोग में किन बारों का विशेष ध्यान रखना चाहिये—इन सब पहलुओं पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है।

वस्त्रधारण •

वस्त्रैपणा नामक पचम प्रकरण में भिन्न के वस्त्रग्रहण व वस्त्रधारण का विचार है। जो भिन्न तरुण हो, वलवान् हो, रुण न हो उसे एक वस्त्र धारण करना

चाहिए, दूसरा नहीं। मिक्षुणी को चार सघाटियाँ घारण करनी चाहिये जिनमें से एक दो हाथ चौड़ी हो, दो तीन हाथ चौड़ी हो और एक चार हाथ चौड़ी हो। क्षिमण किस प्रकार के वस्त्र घारण करे? जगिय—कँट आदि की छन से बना हुआ, भगिय—द्वीन्द्रिय आदि प्राणियों की लार से बना हुआ, साणिय—सनकी छाल से बना हुआ, पोत्तग—ताडपत्र के पत्तों से बना हुआ, खोमिय—कपास का बना हुआ एवं तूलकड़—आक आदि की रुई से बना हुआ वस्त्र श्रमण काम में ले सकता है) पतले, सुनहले, चमकते एवं बहुमूल्य वस्त्रों का उपयोग श्रमण के लिये वर्जित है। आहुणों के वस्त्र के उपयोग के विषय में भनुमृति (अ० २, छ्लो० ४०-४१) में एवं बौद्ध श्रमणों के वस्त्रोपयोग के सम्बन्ध में विनयपिटक (प० २७५) में प्रकाश ढाला गया है। आहुणों के लिए निम्नोक्त छ प्रकार के वस्त्र अनुमत हैं कृष्णमृग, रुह (मृगविशेष) एवं छाग (बकरा) का चमड़ा, सन, क्षुमा (अलसी) एवं मेष (भेड़) के लोम से बना वस्त्र। बौद्ध श्रमणों के लिए निम्नोक्त छ प्रकार के वस्त्र विहित हैं: कौशेय—रेशमी वस्त्र, कबल, कोजव—लवे बाल बाला कबल, क्षीम—अलसी की छाल से बना हुआ वस्त्र, शाण—सन की छाल से बना हुआ वस्त्र, भग—भग की छाल से बना हुआ वस्त्र। जैन मिक्षुओं के लिए जगिय आदि उपर्युक्त छ प्रकार के वस्त्र ग्राह्य हैं। बौद्ध मिक्षुओं के लिए बहुमूल्य वस्त्र न लेने के सम्बन्ध में कोई विशेष नियम नहीं है। जैन श्रमणों के लिए कबल, कोजव एवं बहुमूल्य वस्त्र के उपयोग का स्पष्ट निषेध है।

पात्रैषणा

पात्रैषणा नामक षष्ठ अध्ययन में बताया गया है कि तस्ण, बलवान् एवं स्वस्थ मिक्षु को केवल एक पात्र रखना चाहिए। यह पात्र अलाद्यु, काष्ठ अथवा मिट्टी का हो सकता है। बौद्ध श्रमणों के लिए मिट्टी व लोहे के पात्र का उपयोग विहित है, काष्ठादि के पात्र का नहीं।

अवग्रहैषणा :

अवग्रहैषणा नामक सप्तम अध्ययन में अवग्रहविषयक विवेचन है। अवग्रह अर्थात् किसी के स्वामित्व का स्थान। निर्गन्ध मिक्षु किसी स्थान में छहरने के पूर्व उसके स्वामी की अनिवार्यरूप से अनुमति ले। ऐसा न करने पर उसे अदत्तादान—चोरी करने का दोष लगता है।

मलमूत्रविसर्जन :

द्वितीय चूलिका के उच्चार-प्रस्तवणनिकों प नामक दसवें अध्ययन में बताया गया है कि मिक्षु को अपना टट्टी-पेशाब कर्ही व कैसे ढालना चाहिए? ग्रन्थ की

योजना करने वाले जानी एवं अनुभवी पुरुष यह जानते थे कि यदि भूलमूल उप-युक्त स्थान पर न डाला गया तो लोगों के स्वास्थ्य की हानि होने के साथ ही साथ अन्य प्राणियों को कष्ट पहुँचेगा। एवं जीवाहिमा में चृद्धि होगी। जहाँ व जिस प्रकार डालने में किसी भी प्राणी के जीवन की विराघना की आशका हो वहाँ व उस प्रकार भिक्षु को मलमूलादिक नहीं डालना चाहिए।

शब्दश्रवण व रूपदर्शन

आगे के दो अध्ययनों में बताया गया है कि किसी भी प्रकार के मधुर शब्द नुनने की भावना से अथवा कक्षण शब्द न सुनने की इच्छा में भिक्षु को गमन-गमन नहीं करना चाहिए। फिर भी यदि वैसे शब्द सुनने ही पड़े तो समग्र-पूर्वक सुनना व सहन करना चाहिए। यही बात मनोहर व अमनोहर रूपादि के विषय में भी है। इन अध्ययनों में सूत्रकार ने विविध प्रकार के शब्दों व रूपों पर प्रकाश डाला है।

परक्रियानिषेध ।

इनसे आगे के दो अध्ययनों में भिक्षु के लिए परक्रिया अर्थात् किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके शरीर पर की जाने वाली किसी भी प्रकार की क्रिया, यथा शृङ्खार, उपचार आदि स्वीकार करने का निषेध किया गया है। इसी प्रकार भिक्षु-भिक्षु के दीच की अथवा भिक्षुणी-भिक्षुणी के दीच की परक्रिया भी निषिद्ध है।

महावीर-चरित

भावना नामक तृतीय चूलिका में भगवान् महावीर का चरित्र है। इसमें भगवान् का स्वर्गच्यवन, गर्भपहार, जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान एवं निर्वाण वर्णित है। (आपादि शुल्का पञ्ची के दिन हस्तीतरा नक्षत्र में भारतवर्ष के लक्षण ब्राह्मण-कुडपुर ग्राम में भगवान् स्वर्ग से मृत्युलोक में आये। तदनन्तर भगवान् के हितानुकूल्यक देव ने उनके गर्भ को आस्त्रित कृज्ञा त्रयोदशी के दिन हस्तीतरा नक्षत्र में उत्तर-क्षत्रियकुडपुर ग्राम में रहने वाले जातक्षत्रिय काश्यपगोत्रीय भिद्वाय की वासिष्ठगोत्रीया त्रिशला क्षत्रियाणी की कुक्षि में बदला और त्रिशला के गर्भ को दधिण-ब्राह्मणकुण्डपुर ग्राम में रहने वाली जालघर गोत्रीया देवानन्दा ब्राह्मणों की कुक्षि में बदला। उस समय महावीर तीन ज्ञानयुक्त थे।) नौ महोने व साढ़े सात दिन-रात बीतने पर चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन हस्तीतरा नक्षत्र में भगवान् का जन्म हुआ। जिस रात्रि में भगवान् पैदा हुए उस रात्रि में भवनरति, वाणज्यन्तर, ज्योतिष्क एवं वैमानिक देव व देवियाँ उनके जन्मस्थान पर आये। चारों ओर

दिव्य प्रकाश फैल गया । देवो ने अगृत को तथा अन्य सुगन्धित पदार्थों व रसों की वर्षा की । भगवान् का सूतिकर्म देव-देवियों ने सम्पन्न किया । भगवान् के शिशला के गर्भ में आने के बाद सिद्धार्थ का घर घन, सुर्यं लादि में बढ़ने लगा अत माता पिता ने जातिभोजन कराकर सूब धूमधाम के माय भगवान् का वर्ध-भान नाम रखा । भगवान् पांच प्रकार के अर्थात् शब्द, स्पदं, रम, स्वप्न व ग्रन्थमय कामसोगों का भोग करते हुए रहने लगे । (भगवान् के तीन नाम थे वर्तमान, अमण व महावीर । इनके पिता के भी तीन नाम थे सिद्धार्थ, श्रेयाम व जसस । माता के भी तीन नाम थे प्रिशला, विदेहदत्ता व प्रियकारिणी । इनके पितृव्य अर्थात् चान्द्र का नाम सुपाद्वर्ष, ज्येष्ठ भ्राता का नाम नदिवर्धन, ज्येष्ठ भगिनी का नाम सुदर्शना व भ्राता का नाम यशोदा था । इनकी पुत्री के दो नाम थे अनवद्या व प्रियदर्शना ॥८॥ इनकी दीहिनी के भी दो नाम थे शेषवती व यनीमती ।) इनके मातापिता पादवापित्य अर्थात् पादवनाथ के अनुयायी थे । वे दोनों श्रावक धर्म का पालन करते थे । महावीर तीस धर्म तक मागारावस्या में रहकर माता-पिता के स्वर्गवाम के बाद उपनी प्रतिज्ञा पूरी होने पर समस्त रिद्विसिद्धि का त्याग कर अपनी सपत्ति को लोगों में बाट कर हैमन्त ऋतु की मृगशीर्ष—अगहन कृष्णा दशमी के दिन हस्तोत्तरा नक्षत्र में अनगार वृत्ति वाले हुए । उस ममय लोकान्तिक देवों न आकर भगवान् महावीर से कहा कि भगवन् । समस्त जीवों के हितव्यप तीर्थ का प्रवर्तन कीजिये । बाद में चारों प्रकार के देवों ने आठर उनका दीक्षा-महोत्सव किया । (उन्हें शरीर पर व शरीर के नीचे को भाग पर फूक मारते ही उड़ जाय ऐसा पारदर्शक हस्तलक्षण वस्त्र पहनाया,) आभूपण पहनाये और पालकी में बैठा कर अभिनिष्क्रमण-उत्सव किया । भगवान् पालकी में सिहासन पर बैठे । उनके दोनों ओर शक और ईशान इन्द्र खड़े-खड़े चौधर डुलाते थे । पालकी के अग्रभाग अर्थात् पूर्वभाग को सुरो ने, दक्षिणभाग को असुरो ने, पश्चिम भाग को गरुडो ने एव उत्तरभाग तो नागों ने उठाया । उत्तरक्षियकुण्डपुर के दीचोदीच होने हुए भगवान् ज्ञातस्वर्ण नामक उद्यान में आये । पालकी से उत्तर कर मारे आभूपण निकाल दिये । बाद में भगवान् के पास घुटनों के बल बैठे हुए वैश्रमणी देवों ने हस्तलक्षण व पदे में वे आभूपण ले लिये । तदनन्तर भगवान् ने अपने दाहिने हाथ से सिर की दाहिनी ओर के व बायें हाथ से बायी ओर

१ ज्येष्ठ भगिनी व पुत्री के नामों में कुछ गद्वदी हुई मालूम होती है । विशेषावश्यकभाव्यकार ने (गाया २३०७) महावीर की पुत्री का नाम ज्येष्ठा, सुदर्शना व अनवद्यामी बताया है जब कि आचाराग में महावीर की बहिन का नाम सुदर्शना तथा पुत्री का नाम अनवद्या व प्रियदर्शना बताया गया है ।

के बालों का लोच किया। इन्द्र ने भगवान् के पास घुटनों के बल बैठकर वज्रमय थाल में वे बाल ले लिये व भगवान् की अनुमति से उन्हें क्षीरसमुद्र में डाल दिये। बाद में भगवान् ने मिठों को नमस्कार कर 'सब्व मे अकरणिज्ज पावकम्म' अर्थात् मेरे लिए मन्त्र प्रकार का पापकर्म अकरणीय है, इस प्रकार का सामायिकचारित्र स्वीकार किया। जिस समय भगवान् ने यह चारित्र स्वीकार किया उस समय देवपरिषद् एव मनुष्यपरिषद् चित्रवत् स्थिर एव शान्त हो गई। इन्द्र की आज्ञा से बजने वाले दिव्य बाजे शान्त हो गये। भगवान् द्वारा उच्चरित चारित्रग्रहण के शब्द सबने शान्त भाव से सुने। क्षायोपशमिक चारित्र स्वीकार करने वाले भगवान् को मन पर्यायज्ञान उत्पन्न हुआ। इस ज्ञानद्वारा वे ढाई हीप में रहे हुए व्यक्त मनवाले समस्त पचेन्द्रिय प्राणियों के मनोगत भावों को जानने लगे। बाद में दीक्षित हुए भगवान् को उनके मिश्रजनो, जातिजनो स्वजनों एव सम्बन्धीजनो ने विदाई दी। विदाई लेने के बाद भगवान् ने यह प्रतिज्ञा की कि आज से बारह वर्ष पर्यन्त शरीर की चिन्ता न करते हुए देव, मानव, पशु एव पक्षीकृत समस्त उपसर्गों को समभावपूर्वक सहन करेंगा, क्षमापूर्वक सहन करेंगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर वे मुहूर्त दिवस शेष रहने पर उत्तरसत्रियकुण्डपुर से रवाना होकर कम्भारग्राम पहुँचे। तत्पश्चात् शरीर की किसी प्रकार की परवाह न करते हुए महावीर उत्तम सथम, तप, ग्रहनचर्य, क्षमा, त्याग एव सत्तोषपूर्वक पाँच समिति व तीन गुण्ठि का पालन करते हुए, अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरणे लगे एव आने वाले उपसर्गों को शान्तिपूर्वक प्रसन्न चित्त से सहन करने लगे। इस प्रकार भगवान् ने बारह वर्ष व्यतीत किये। (तेरहवा वर्ष लगने पर वैशाख शुक्ला दशमी के दिन छाया के पूर्व दिशा की ओर मुड़ने पर अर्थात् अपराह्न में जिस समय महावीर जिभियग्राम के बाहर उज्जुवालिया नामक नदी के उत्तरी किनारे पर स्थामाक नामक गृहपति के खेत में व्यावृत्त नामक चैत्य के समीप गोदोहासन से बैठे हुए आतापना ले रहे थे दो उपवास धारण किये हुए थे, सिर नीचे रख कर दोनों घुटने ऊँचे किये हुए ध्यान में लीन थे उस समय उन्हें अनन्त—प्रतिपूर्ण—समग्र—निरावरण केवलज्ञान-दर्शन हुआ।)

अब भगवान् अहंत—जिन हुए, केवली—सर्वज्ञ—सर्वभावदर्शी हुए। देव, मनुष्य एव असुरलोक पर्यायों के ज्ञाता हुए। आगमन, गमन, स्थिति, व्यवन, उपपात, प्रकट, गुण्ठि, कथित, अकथित आदि समस्त क्रियाओं व भावों के द्रष्टा हुए, ज्ञाता हुए। जिस समय भगवान् केवली, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी हुए उस समय भवनपति आदि चारों प्रकार के देवों व देवियों ने आकर भारी उत्सव किया।

भगवान् ने अपनी आत्मा तथा लोक को सम्पूर्णतया देखकर पहले देवों को

झोर वाद में मनुज्यो को धर्मोपदेश दिया । वाद में गौतम लादि धर्मज-निप्रवृत्त्यों को भावनायुक्त पाँच महाव्रतों तथा छ जीवनिकायों का स्वस्प समझाया । भावना नामक प्रस्तुत चूलिका में इन पाँच महाव्रतों का स्वस्प विस्तारण्यक समझाया गया है । साथ ही प्रत्येक व्रत की पांच-राष्ट्र भाषनाओं का स्वस्प भी बताया गया है ।

ममत्वमुक्ति ।

अन्त में विमुक्ति नामक धर्तुर्प चूलिका में ममत्यमूलक आरम्भ और परिप्रहृ के फल की भीमासा करते हुए भिट्ठु को उनसे दूर रखने को बहा गया है । उसे पवर की भाँति निश्चल व दृढ़ रह कर सर्व की कैंचुली की भाँति ममत्य को उतार कर फेंक देना चाहिए ।

बीतरागता एव सर्वज्ञता ।

पातल योगसूत्र में यह बताया गया है कि अमुक भूमिया पर पौर्णे हुए जाघक को केवलज्ञान होता है और वह उस ज्ञान द्वारा समस्त पदार्थों तथा समस्त घटनाओं को जान लेता है । इस परिमाण के अनुसार भगवान् महावीर को भी केवली, सर्वज्ञ अथवा सर्वदर्शी कहा जा सकता है । किन्तु गाधक-जीवन में प्रशानता एव महत्ता केवलज्ञान के खलदर्शन की नहीं है अपितु योतरागता, योत्तमोहृता, निराकृतता, निष्क्रियता की है (बीतरागता को दृष्टि से ही आचार्य हरिभद्र ने कृपिल और सुग्रत को भी सर्वज्ञ के रूप में स्वीकार किया है ।) भगवान् महावीर को ही सर्वज्ञ मानना व किसी अन्य को सर्वज्ञ न मानना ठोक नहीं । जिसमें बीतरागता है वह सर्वज्ञ है—उसका ज्ञान निर्दोष है । जिसमें सरागता है वह अल्पज्ञ है—उसका ज्ञान सदोष है ।

इन प्रकार आचाराग की समीक्षा पूरी करने के बाद अब हितीय अग मूल-कृताग की समीक्षा प्रारम्भ की जाती है । इस अगसूत्र व आगे के अन्य अगसूत्रों की समीक्षा उतने विस्तार से न हो सकेगी जिसने विस्तार से आचाराग की हुई है और न वैसा कोई निश्चित विवेचना-क्रम ही रखा जा सकेगा ।



सूत्रकृतांग

सूत्रकृत की रचना
 नियतिवाद तथा आजीविक सम्प्रदाय
 सास्थमत
 कर्मचयवाद
 बुद्ध का शूकर-मासमक्षण
 हिंसा का हेतु
 जगत्-कर्तृत्व
 स्थमधर्म
 वेयालिय
 उपसग
 स्त्री परिज्ञा
 नरक-विभासित
 वीरस्तव
 कुशील
 वीर्य अर्थात् पराक्रम
 घर्म
 समाधि
 मार्ग
 समवसरण
 याथातथ्य
 ग्रथ अर्थात् परिग्रह
 आदान अथवा आदानीय
 गाथा
 ब्राह्मण, धर्मण, भिक्षु ए निप्रन्थ
 सात महाब्रध्ययन

१७१

सूत्रकृताग

पुण्डरीक
क्रियास्थान
बोद्ध दृष्टि से हिंसा
आहारपरिज्ञा
प्रत्याख्यान
आचारशुत
वाद्वकुमार
नालदा
उदय पेढालपुत्र

चतुर्थं प्रकरण

मूल्यकृतांग

महाराष्ट्र में मूल्यकृतांग^१ का वरिष्ठम दो दृष्टि द्वारा देय है जिसमें
भागवत—व्यापार—परमत, भाग, अधीन, दुर्लभ, पार, आत्मव, नवर
तित्रिग, रथ, मात्र, नारि वाचक से विषय य निरैन है, नवदीर्घिता के जिए बोक्त-
वाचा है, एक शब्द में शब्दों का व्यापार विवरणादी मात्रा, पौराणी अधिवासादी मत्रों, खट्टड
व्यापारादी व्यापार व्यापारादी मत्रों इस प्रकार मव निनाकर यीन से
तित्रिग भार द्वितीय अर्थात् अच ददित्र मात्रा की नर्मा है। इसमें कुट्टात्त
नर्मात् मूल्यकृतांग में शामां देव प्रकार है। मूल्यकृतांग के इस मामात्त विवरणात के
माय ही माय मायावाचक (ऐश्वर्य नमवाच) में इत्तरे तेह्न अस्यवनों के विशेष
गामा का तो उत्तरेन विद्या देय है। इसी प्रकार श्रमान्वत्र में भी इच्छा के
तेह्न अस्यवाच, का विरेन है—प्रथम शुरुमात्र य में नोन्ह व द्वितीय शुरुमात्र में
मात्र। इसमें नायदा में गाम गर्ही दिये गये हैं।

- (५) नियुक्ति व शोलार दो टीका के साप—बागमोदय समिति, वस्त्रई
सन् १९१७, गोदीपादर्जन जैन प्रन्थमाला, वस्त्रई, सन् १९५०।
- (आ) शोलार, व्यापुल व पादयचन्द्र दो टीकाओं के साप—प्रनपर्विह
यन्यत्ता, विं ग० १९३६।
- (इ) अग्रेजी अनुवाद—H Jacobi, S B E Series, Vol 45
Oxford, 1895
- (ई) हिन्दी छायानुवाद—गोपालदास जीवाभाई पटेल, द्वे० स्पा० जैन
कॉन्करेस वस्त्रई, सन् १९३८।
- (उ) हिन्दी अनुवादसहित—अमोलक ऋषि, हैदराबाद, थी० स० २४४६।
- (ऊ) नियुक्तिसहित—पी० एल० बैद्य, पूना, सन् १९२८।
- (ऋ) गुजराती छायानुवाद—गोपालदास जीवाभाई पटेल, पूजाभाई जैन
प्रन्थमाला, अहमदाबाद।
- (ए) प्रथम शुरुस्कन्ध शीलाकृत टीका व उसके हिन्दी अनुवाद के साप—
अस्विकादत्त ओक्षा, महावीर जैन ज्ञानोदय सोसायटी, राजकोट, विं
स० १९९३-१९९५, द्वितीय शुरुस्कन्ध हिन्दी अनुवादसहित—अस्विका-
दत्त ओक्षा, वैंगलोर, विं स० १९९७।

सूत्रकृताग

नदिसूत्र में बताया गया है कि सूत्रकृताग में लोक, अलोक, लोकालोक, जीव, अजीव, स्वसमय एव परसमय का निरूपण है तथा क्रियावादी आदि तीन सौ तिरसठ पाञ्चाण्डियों अर्थात् अन्य मतावलम्बियों की चर्चा है।

राजवार्तिक के अनुसार सूत्रकृताग में ज्ञान, विनय, कल्प्य तथा अकल्प्य का विवेचन है, छेदोपस्थापना, व्यवहारधर्म एव क्रियाओं का प्रकरण है।

घबला के अनुसार सूत्रकृताग का विषयनिरूपण राजवार्तिक के ही समान है। इसमें स्वसमय एव परसमय का विशेष उल्लेख है।

जयघबला में कहा गया है कि सूत्रकृताग में स्वसमय, परसमय, स्त्रीपरिणाम, क्लीवता, अस्पष्टता—मन की बातों की अस्पष्टता, कामावेश, विभ्रम, आसफालन—सुख—स्त्री सग का सुख, पुस्कामिता—पुरुषेच्छा आदि की चर्चा है।

अगपण्णति में बताया है कि सूत्रकृताग में ज्ञान, विनय, निर्विघ्न अध्ययन, सर्वसत्रक्रिया, प्रज्ञापना, सुकथा, कल्प्य, व्यवहार, धर्मक्रिया, छेदोपस्थापन, यत्ति-समय, परसमय एव क्रियाभेद का निरूपण है।

प्रतिक्रमणग्रन्थत्रयी नामक पुस्तक में ‘तेवीसाए सुद्युडज्ज्ञाणेसु’ ऐसा उल्लेख है जिसका अर्थ है कि सूत्रकृत के तेह्स अध्ययन है। इस पाठ की प्रभाचन्नीय वृत्ति में इन तेह्स अध्ययनों के नाम भी गिनाये हैं। ये नाम इस प्रकार हैं : १ समय, २ वैतालीय, ३ उपर्सग, ४ स्त्रीपरिणाम, ५ नरक, ६ वीरस्तुति, ७ कृशीलपरिभाषा, ८ वीर्य, ९ धर्म, १० अग्र, ११ मार्ग, १२ समवसरण, १३ त्रिकालग्रन्थहिंद (?), १४ आत्मा, १५ तदित्यगाथा (?), १६ पुण्डरीक, १७ क्रियास्थान, १८ आहारकपरिणाम, १९ प्रत्यास्थान, २० अनगारगुणकीर्ति, २१ श्रुत, २२ अर्थ, २३ नालदा। इस प्रकार अचेलक परम्परा में भी सूत्रकृताग के तेह्स अध्ययन मान्य हैं। इन नामों व सचेलक परम्परा के टीकाग्रथ आवश्यक-वृत्ति (पृ ६५१ व ६५८) में उपलब्ध नामों में घोड़ा-सा अन्तर है जो नगण्य है।

अचेलक परम्परा में इस अग के प्राकृत में तीन नाम मिलते हैं ‘सुद्युड’, सूदयड और सूदयद। इनमें प्रयुक्त ‘सुद’ अथवा ‘सूद’ शब्द ‘सूत्र’ का एव ‘यड’ अथवा ‘यद’ शब्द ‘कृत’ का सूचक है। इस अग के प्राकृत नामों का सस्कृत रूपान्तर ‘सूत्रकृत’ ही प्रसिद्ध है। पूज्यपाद स्वामी से लेकर श्रुतसागर तक के सभी तत्त्वार्थवृत्तिकारों न ‘सूत्रकृत’ नाम का ही उल्लेख किया है। सचेलक परम्परा में इसके लिए सूतगढ़, सूयगढ़ और सुत्तकड़—ये तीन प्राकृत नाम प्रसिद्ध हैं। इनका सस्कृत रूपान्तर भी हरिभद्र आदि आचार्यों ने ‘सूत्रकृत’ ही दिया

है। प्राकृत में भी नाम तो एक ही है किन्तु उच्चारण एवं व्यजनविकार को विविधता के कारण उसके रूपों में विशेषता आ गई है। अथवोधक सक्षिप्त शब्दरचना को 'सूत्र' कहते हैं। इस प्रकार को रचना जिसमें 'कृत' अर्थात् की गई है वह सूत्रकृत है। समवायाग आदि में निर्दिष्ट विषयों अथवा अध्ययनों में से सूत्रकृताग की उपलब्ध वाचना में स्वमत तथा परमत की चर्चा प्रथमथुरुत्स्कन्ध में सक्षेप में और द्वितीय श्रुतस्कन्ध में स्पष्ट स्पष्ट से आती है। इसमें जीवविषयक निरूपण भी स्पष्ट है। नवदीक्षितों के लिए उपदेशप्रद वोधवचन भी वतमान वाचना में उपलब्ध है। ठीन सौ तिरसठ पाखड़मतों की चर्चा के लिए इस सूत्र में एक पूरा अध्ययन ही है। अन्यत्र भी प्रसगवशात् भूतवादी, स्वच्छवादी, एकात्मवादी, नियरिवादी आदि मतावलम्बियों की चर्चा आती है। जगत् की रचना के विविध वादों की चर्चा तथा मोक्षमार्ग का निरूपण भी प्रस्तुत वाचना में उपलब्ध है। यत्र तत्र ज्ञान, आस्र, पुण्य पाप आदि विषयों का निरूपण भी इसमें है। कल्प्य-अकल्प्यविषयक थ्रमणसम्बन्धी आचार-च्यवहार की चर्चा के लिए भी वतमान वाचना में अनेक गाथाएँ तथा विशेष प्रकरण उपलब्ध हैं। धर्म एवं क्रिया-स्थान नामक विशेष अध्ययन भी मौजूद हैं। जयघवलोक्त स्त्रीपरिणाम से लेकर पुस्काभिता तक के सब विषय उपर्सगपरिज्ञा तथा स्त्रीपरिज्ञा नामक अध्ययनों में स्पष्टतया उपलब्ध हैं। इस प्रकार अचेलक तथा सचेलक ग्रन्थों में निर्दिष्ट सूत्रकृताग के विषय अधिकाशतया वर्तमान वाचना में विद्यमान हैं। यह अध्यय है कि किसी विषय का निरूपण प्रधानतया है तो किसी का गौणतया।

सूत्रकृत की रचना

सूत्रकृताग के तेईस अध्ययनों में से प्रथम अध्ययन का नाम समय है। 'समय' शब्द सिद्धान्त का सूचक है। इस अध्ययन में स्वसिद्धान्त के निरूपण के साथ ही साथ परमत का भी निरसन की दृष्टि से निरूपण किया गया है। इसका प्रारम्भ 'बुज्जिङ्गज' शब्द से शुरू होने वाले पद से होता है।

बुज्जिङ्गज त्ति तिउट्टिङ्गा बंधण परिजाणिथा ।
किमाह बंधण वोरो कि वा जाण तिउट्टइ ॥

इस गाथा के उत्तरार्थ में प्रश्न है कि भगवान् महावीर ने बंधन किसे कहा है? इस प्रश्न के उत्तर के रूप में यह समझ द्वितीय अग बनाया गया है। नियुक्तिकार कहते हैं कि जिनवर का वचन सुनकर अपने क्षयोपशम द्वारा शुभ अभिप्रायपूर्वक गणघरों ने जिस 'सूत्र' की रचना 'कृत' अर्थात् की उसका नाम त्रकृत है। यह सूत्र अलेक्योगवर साधुओं को स्वाभाविक भाषा अर्थात् प्राकृत-

भाषा में प्रमाणिन अर्थात् कहा गया है ।^१ इस प्रकार नियुक्तिकार ने ग्रथकार के रूप में किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं बताया है । वक्ता के रूप में जिनवर का तथा श्रोता के रूप गणधरों का निर्देश किया है । चूर्णिकार तथा वृत्तिकार ने अपनी पूर्व परम्परा का अनुसरण करते हुए वक्ता के रूप में सुघर्षा का एवं श्रोता के रूप में जबू का नामोल्लेख किया है । इस ग्रन्थ में बुद्ध के मत के उल्लेख के साथ बुद्ध का नाम भी स्पष्ट आता है एवं बुद्धोपदिष्ट एक रूपकक्षा का भी अत्यन्त स्पष्ट उल्लेख है । इससे कल्पना की जा सकती है कि जब बौद्ध पिटकों के सकलन के लिए संगीतिकाएँ हुईं, उनको धाचना निश्चित हुई तथा बुद्ध के विचार लिपिबद्ध हुए वह काल इस सूत्र के निर्माण का काल रहा होगा । आचाराग में भी अन्यमतों का निर्देश है किन्तु एतद्विषयक जैसा उल्लेख सूत्रकृताग में है वैसा आचाराग में नहीं । सूत्रकृताग में इन मत-मतान्तरों का निरसन 'ये मत मिथ्या हैं, ये मतप्रवर्तक आरम्भी हैं, प्रमादी हैं, विषयासक्त हैं' इत्यादि शब्दों द्वारा किया गया है । इसके लिए किसी विशेष प्रकार की तर्कशैली का प्रयोग प्रायः नहीं है ।

नियतिवाद तथा आजीविक सम्प्रदाय

सूत्रकृताग के प्रथम अध्ययन के द्वितीय उद्देशक के प्रारम्भ में नियतिवाद का उल्लेख है । वर्हा मूल में इस मत के पुरस्कर्ता गोशालक का कही भी नाम नहीं है । उपासकुदशा नामक सर्वनम अग में गोशालक तथा उसके मत नियतिवाद का स्पष्ट उल्लेख है ।^२ उसमें बताया गया है कि गोशालक के मतानुसार वल, बीयं, उत्थान, कर्म आदि कुछ नहीं हैं । सर्वभाव सर्वदा के लिए नियत हैं । बौद्ध ग्रन्थ दीवनिकाय, मज्जिमनिकाय, सयुत्तनिकाय, अगुत्तरनिकाय आदि में तथा जैन ग्रन्थ व्याख्याप्रज्ञपति, स्थानाग, समवायाग, औपपातिक आदि में भी आजीविक मत-प्रवर्तक नियतिवादी गोशालक का (नामपूर्वक अथवा नामरहित) वर्णन उपलब्ध है । इस वर्णन का सार यह है कि गोशालक ने एक विशिष्ट पथ-प्रवर्तक के रूप से अच्छी स्थाति प्राप्त की थी । वह विशेषतया शावस्ती की अपनी अनुयायिनी हाला नामक कुम्हारिन के यहाँ इसी नगरी के आजीविक मठ में रहता था । गोशालक का आजीविक सम्प्रदाय राजमान्य भी हुआ । प्रियदर्शी राजा अशोक एवं उसके उत्तराधिकारी महाराजा दशरथ ने आजीविक सम्प्रदाय को दान दिया था, ऐसा उल्लेख शिलालेखों में आज भी उपलब्ध है । बौद्ध ग्रन्थ,

१ सूत्रकृतागनियुक्ति, गा १८-१९

२ देखिये—सदाल्पुत्त एवं कुड्कोलियसम्बन्धी प्रकरण

महावश की टीका में यह बताया गया है कि अशोक का पिता विन्दुसार भी आजीविक सम्प्रदाय का आदर करता था। छट्ठी शताब्दी में हुए वराहमिहिर के ग्रन्थ में भी आजीविक भिजुओं का उल्लेख है। बाद में इस सम्प्रदाय का बीरेधीरे हास होता गया व अन्त में किसी अन्य भारतीय सम्प्रदाय में विलयन हो गया। फिर तो यहाँ तक हुआ कि आजीविक सम्प्रदाय, त्रैराशिकमत और विग्म्वर परम्परा—इन तीनों के बीच कोई भेद ही नहीं रहा।^१ शीलाकदेव व अभयदेव^२ जैसे विद्वान् वृत्तिकार तक इनकी भिन्नता न बता सके। कोशिकार^३ हलायुध (दम्भी शताब्दी) ने इन तीनों को पर्यायवाची माना है। दक्षिण के तेरहवीं शताब्दी के कुछ शिलालेखों में ये तीनों अभिन्न रूप से उल्लिखित हैं।

सार्व्यसमत

प्रस्तुत सूत्र में अनेक मर्त-मर्तान्तरों की चर्चा आती है। इनके पुरस्कर्ताओं के विषय में नामपूर्वक कोई खास वर्णन मूल में उपलब्ध नहीं है। इन मर्तों में से बौद्धमर्त व नियतिवाद विशेष उल्लेखनीय है। इन दोनों के प्रवर्तक भगवान् महावीर के समकालीन थे। सार्व्यसम्मत आत्मा के अकर्तृत्व का निरसन करते हुए सूत्रकार कहते हैं

जे ते उ वाइणो एव लोगे तेसि कओ सिया ?
तमाओ ते तमं जति मदा आरम्भनिस्सिआ ॥

अर्थात् इन वादियों के मतानुसार ससार की जो व्यवस्था प्रत्यक्ष दिखाई देती है उसकी सगति कैसे होगी? ये अघकार से अघकार में जाते हैं, मद हैं, आरम्भ-समारम्भ में झूंवे हुए हैं।

उपर्युक्त गाथा के शब्दों से ऐसा मालूम होता है कि भगवान् महावीर के

१ 'स एव गोशालकमतानुसारी त्रैराशिक निराकृत् । पुन अन्येन प्रकारेण आह'—सूत्रकृत० २, श्रुत० ६ आद्रांकीय अध्ययन गाथा १४वी का अव० तरण—शीलाङ्कवृत्ति, पृ० ३९३

२ 'ते एव च आजीविका त्रैराशिका भणिता'—समवायवृत्ति—अभयदेव, पृ० १३०

३ 'र्जोहरणधारी च श्वेतवासा सिताम्बर' ॥३४४॥

नगनाटो दिग्वासा क्षपण श्रमणश्च जीवको जैन ।

आजीवो मलधारी निर्गन्ध्य कथ्यते सद्गु ॥३४५॥

समय में अथवा सुभ्रयोजक के युग में सार्वगमतानुयायी अर्हिसप्रधान अथवा अपरिग्रहप्रधान नहीं दिखाई देते थे ।

अज्ञानवाद :

प्रस्तुत सूत्र के प्रथम अध्ययन के द्वितीय उद्देशक को छठी गाथा से जिस वाद की चर्चा प्रारम्भ होती है व चौदहवी गाथा से जिसका व्यण्डन शुरू होता है उसे चूर्णिकार तथा वृत्तिकार ने "अज्ञानवाद" नाम दिया है । नियुक्तिकार ने कहा है कि नियतिवाद के बाद क्रमशः अज्ञानवाद, ज्ञानवाद एवं बुद्ध के कर्मचय की चर्चा आती है । नियुक्तिकारनिर्दिष्ट अज्ञानवाद की चर्चा चूर्णि अथवा वृत्ति में कही भी दिखाई नहीं देती । समवसरण नामक बारहवें अध्ययन में जिन भूल्य चार बादों का उल्लेख है उनमें अज्ञानवाद का भी समावेश है । इस वाद का स्वरूप वृत्तिकार ने इस प्रकार बताया है कि 'अज्ञानमेव श्रेय' अर्थात् अज्ञान ही कल्याणरूप है । अतः कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है । ज्ञान प्राप्त करने से उल्टी हानि होती है । ज्ञान न होने पर बहुत कम हानि होती है । उदाहरणाथ जानकर अपराध किये जाने पर अधिक दण्ड मिलता है जबकि अज्ञान-वश अपराध होने की स्थिति में दण्ड बहुत कम मिलता है अथवा विलकुल नहीं मिलता । वृत्तिकार शीलाकाचार्यनिर्दिष्ट अज्ञानवाद का यह स्वरूप भूल गाथा में दृष्टिगोचर नहीं होता । यह गाथा इस प्रकार है

माहणा समणा एगे सब्वे नाण सय वए ।

सब्वलोगे वि जे पाणा न ते जाणति किचण ॥

—अ १, उ २, गा १४

अर्थात् कई एक याहाण कहते हैं कि वे स्वयं ज्ञान को प्रतिपादित करते हैं, उनके अतिरिक्त इस समस्त सासार में कोई कुछ भी नहीं जानता ।

इस गाथा का तात्पर्य यह है कि कुछ नाहाणों एवं श्रमणों की दृष्टि से उनके अतिरिक्त सारा जगत् अज्ञानी है । यही अज्ञानवाद की भूमिका है । इसमें से 'अज्ञानमेव श्रेय' का सिद्धान्त वृत्तिकार ने कैसे निकाला ? भगवान् महावोर के समकालीन छ तीर्थकरों में से सज्यवेलहिषुत नामक एक तीर्थकर अज्ञानवादी था । सभवत उसी के मत को ध्यान में रखते हुए उक्त गाथा को रचना हुई हो । उसके मतानुसार तत्त्वविषयक अज्ञेयता अथवा अनिश्चयता ही अज्ञानवाद की आधारशिला है । यह मत पाश्चात्यदर्शन के अज्ञेयवाद अथवा सशयवाद से मिलता-जुलता है ।

कर्मचयवाद

द्वितीय उद्देशक के अन्त में भिक्षुसमय अर्थात् बौद्धमत के कर्मचयवाद की चर्चा है। यहाँ बौद्धदर्शन को सूत्रकार, चूर्णिकार तथा वृत्तिकार ने क्रियावादी अर्थात् कर्मवादी कहा है। सूत्रकार कहते हैं कि इस दर्शन की कर्मविषयक मान्यता 'दु खस्कन्ध' को बढ़ाने वाली है।

अधावर पुरक्खाय किरियावादिदर्सण।
कर्मचित्तापणट्टाण दुक्खवक्खधिवद्धण ॥ २४ ॥

चूर्णिकार ने 'दुक्खवक्खधि' का अर्थ 'कर्मसमूह' किया है एवं वृत्तिकार ने 'असातोदयपरम्परा' अर्थात् 'दु खपरम्परा'। दोनों की व्याख्या में कोई तात्त्विक भेद नहीं है क्योंकि दु खपरम्परा कर्मसमूहजन्य ही होती है। इस प्रसग पर सूत्रकार ने बौद्धमतसम्बन्धी एक गाथा दी है, जिसका आशय यह है कि अमुक प्रकार की आपत्ति में फैसा हुआ असयमी पिता यदि लाचारीवह अपने पुत्र को मार कर साजाय तो भी वह कर्म से लिप्त नहीं होता। इस प्रकार के मास-सेवन से मेघावी अर्थात् सयमी साधु भी कर्मलिप्त नहीं होता। गाथा इस प्रकार है

पुत पि ता समारभ आहारद्वमसजते।
भुजमाणो वि मेघावी कम्मुणा नोवलिप्ते^१ ॥ २८ ॥

अथवा

पुत पि या समारभ आहारेज्ज असजए।
भुजमाणो य मेहावी कम्मुणा नोवलिप्तइ^२ ॥ २८ ॥

उपरोक्त द्वी गाथा में विशेष प्रकार के अर्थ का सूत्रक पाठमेद बहुत समय से चला आ रहा है, उस पाठमेद के अनुसार गाथा के अर्थ में बड़ी भिन्नता होती है। देविए चूर्णिकार का पाठ 'पि ता' ऐसा है, उसमें दो पद हैं तथा 'पिता' शब्द का अर्थ इस पाठ में नहीं है। इस पाठ के अनुसार 'पुत्र का भी वध करके' ऐसा अर्थ होता है। जब कि वृत्तिकार का पाठ 'पिया' अथवा पिता ऐसा है, इस पाठ में एक ही पद है 'पिया' अथवा 'पिता'। इस पाठ के अनुसार 'पिता पुत्र का वध करके' ऐसा अर्थ होता है और वृत्तिकार ने भी इसी अर्थ का निष्पण किया है, दो पद वाला पाठ जितना प्राचीन है उतना एक पद वाला 'पिता' पाठ प्राचीन

^१ बौद्धसम्मत चार आर्यसत्यों में से एक

^२ चूर्णिकारसम्मत पाठ

^३ वृत्तिकारसम्मत पाठ,

नहो । 'पि ता' ऐसा पृथक्-पृथक् न पढ़ कर 'पिता' ऐसा पढ़ने से सभव है कि ऐसा पाठ भेद हुआ हो । चर्णिकार और वृत्तिकार दोनों ही 'पुत्र के वध करने' इस आशय में एक मत है । चर्णिकार 'पिता' का अर्थ स्वीकार नहीं करते और वृत्तिकार 'पिता' का अर्थ स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं । पदच्छेद न करने की दृष्टि में ऐसा पाठ भेद हो गया है परन्तु विशेष विचार करने में मालूम होता है कि बौद्धत्रिपटिक के अन्तर्गत आए हुए सयुत्तनिकाय में एक ऐसी रूपक-कथा आती है जिसमें पिता पुत्र का वध करके उसका भोजन में उपयोग करता है । सभव है कि वृत्तिकार की स्मृति में सयुत्तनिकाय की वह कथा रही हो और उसी कथा का आशय स्पृतिपथ में रखकर उन्होंने 'पिता पुत्र का वध करके' इस प्रकार के अर्थ का निरूपण किया हो ।

भगवान् बुद्ध ने अपने मध्य के भिक्षुओं को किस दृष्टि से और किम उद्देश्य से भोजन करना चाहिए इस वात को ममज्ञाने के लिए यह कथा कही है । कथा का सार यह है ।—

एक आदमी अपने इकलौते पुत्र के साथ प्रवास कर रहा है, साथ में पुत्र की माता भी है । प्रवास करते-करते वे तीनों ऐसे दुर्गम गहन जगल में आ पहुँचते हैं जहाँ शरीर के निर्वाह योग्य कुछ भी प्राप्य न था । विना भोजन शरीर का निर्वाह नहीं हो मृकता और विना जीवन-निर्वाह के यह शरीर काम भी नहीं दे सकता । अन्त में ऐसी स्थिति आ गई कि उनमें चला ही नहीं जाता था और इस जगल में तीनों ही स्तम्भ हो जायेंगे । तब पुत्र ने पिता से प्रार्थना की कि पिता जी, मुझे मार कर भोजन करें और शरीर को गतिशील बना ले । आप हैं तो सारा परिवार है, आप नहीं रहेंगे तो हमारा परिवार कैसे जीवित रह सकता है ? अतः विना सकोच आप अपने पुत्र के मास का भोजन करके इस भयानक अरण्य को पार कर जायें और मारे परिवार को जीवित रखें । तब पिता ने पुत्र के मास का भोजन में उपयोग किया और उस अरण्य से बाहर निकल आए ।

इस कथा को कह कर तथागत ने भिक्षुओं में पूछा कि हे भिक्षुओ ! क्या पुत्र के मास का भोजन में उपयोग करने वाले पिता ने अपने स्वाद के लिए ऐसा किया है ? क्या अपने शरीर की शवित बढ़े, वल का सचय हो, शरीर का रूप-लावण्य और सौंदर्य बढ़े, इस हेतु से उसने अपने पुत्र के मास का भोजन में उपयोग किया है ?

तथागत के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भिक्षुओं ने कहा कि भदत ! नहीं, नहीं । उसने एकमात्र अटवी पार करने के उद्देश्य से शरीर में चलने का सामर्थ्य आ सके इसी कारण से अपने पुत्र के मास का भोजन में उपयोग किया दै ।

तब तथागत ने कहा—हे भिक्षुओ ! तुमने घरवार छोड़ा है और ससाररूपी अटवी को पार करने के हेतु से ही भिक्षु-न्नत लिया है, तुम्हें ससाररूप भीपण जगल पार कर निवाण लाभ करना है तो इसी एक निमित्त को लक्ष्य में रखकर भोजन पान लेते रहो वह भी परिमित और धमप्राप्त तथा कालप्राप्त । मिले तो ठीक है, न मिले तो भी ठीक समझो । स्वाद के लालच से, शरीर में बल बढ़े, शक्ति का सचय हो तथा अपना रूप, लावण्य तथा सौंदर्य बढ़ता रहे इस वृष्टि से खान-पान लोगे तो तुम भिक्षुक धर्म से च्युत हो जाओगे और मोघभिक्षु—पिंडो लक भिक्षु हो जाओगे ।

तथागत बुद्ध ने इस रूपक कथा द्वारा भिक्षुओ को यह समझाया है कि भिक्षुगण किस उद्देश्य से खान-पान लेवे । मालूम होता है कि सभय बीतने पर इस कथा का आशय विस्मृत हो गया—स्मृति से बाहर चला गया और केवल शब्द का अर्थ ही ध्यान में रहा और इस अर्थ का ही मासभोजन के सम्बन्ध में लोग क्या भिक्षुगण भी उपयोग करने लग गए हो । इसी परिस्थिति को देख कर चूर्णिकार ने अपने तरीके से और वत्तिकार ने अपने तरीके से इस गाथा का विवरण किया है ऐसा मालूम पड़ता है । विसुद्धिमण्ड और भहायान के शिक्षा-समुच्चय में भी इसी बात का प्ररूपण किया गया है ।

सूक्ष्मत को उक्त गाथा की व्याख्या में चूर्णिकार व वृत्तिकार में मतभेद है । चूर्णिकार के अनुसार किसी उपासक अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा अपने पुत्र को मारने के उसके मास द्वारा तैयार किया गया भोजन भी यदि कोई मेधावी भिक्षु खाने के काम में ले तो वह कर्मलिप्त नहीं होता । हाँ, मारने वाला अवश्य पाप का भागी होता है । वृत्तिकार के अनुसार आपत्तिकाल में निरुपाय हो अनासक्त भाव से अपने पुत्र को मारकर उसका भोजन करने वाला गृहस्थ एवं ऐसा भोजन करने वाला भिक्षु इन दोनों में से कोई भी पापकर्म से लिप्त नहीं होता । तात्पर्य यह कि कर्मवन्ध का कारण ममत्वभाव—आसक्ति—रागद्वेष—कषाय है, न कि कोई क्रियाविशेष ।

ज्ञाताधर्मकथा नामक छठे अगसून्न में सुसुमा नामक एक अध्ययन है जिसमें पूर्वोक्त सयुत्तनिकायादि प्रतिपादित रूपक के अनुसार यह प्रतिपादित किया गया है कि आपत्तिकाल में आपवादिक रूप से मनुष्य अपनी खुद की सन्तान का भी मास भक्षण कर सकता है । यहाँ मृत सतान के मासभक्षण का उल्लेख है न कि मारकर उसका मास खाने का । इस चर्चा का सार केवल यही है कि अनासक्त होकर भोजन करने वाला अथवा अन्य प्रकार की क्रिया में प्रवृत्त होने वाला कर्मलिप्त नहीं होता ।

बुद्ध का धूकर-भासभक्षण ।

बोद्ध परम्परा में एक कथा ऐसी प्रचलित है कि गुरु बुद्ध ने धूकरमह्य क्षयन सूखर का मास खाया था ।^१ सजर का मास गाने हुए भी बुद्ध पापकर्म से नित नहीं हुए । ऐसा मानूम होता है कि उपर्युक्त गाया में गूढ़कार ने योद्ध यमत कर्मचय या न्यून्य समझते हुए इसी पट्टा का निर्देश किया है । यह वैसे गाया के प्रारम्भ में जो 'पुत्त' पाठ है वह इनी कारण गे विष्ट हुआ मालूम पट्टा है । ऐसे दृष्टि से यही "पोत्ति" पाठ होना चाहिए । अमरकोश तथा अभिधानचिन्नामणि में पोत्री (प्राण्त पोति) दाढ़ धूकर के पर्याय के स्वर्ण में सुप्रसिद्ध है । वयवा नन्दत पोत्र (प्राण्त पुत्र) दाढ़ धूकर के मुम का सूनक माना गया है । यदि ऐसा ममधा जाय तो इसी तथा पाला पुत्र दाढ़ इस गाया में प्रयुक्त हुआ है तो धूकर का अर्थ भी समत हो जाता है । अत इस "पुत्त" पाठ को विष्ट करने की जन्मत नहीं रहती । मठोपन महानुभाव इस विषय में जारी विचार है । इसी प्रकार उक्त गाया में प्रयुक्त 'मेहायी' दाढ़ भगवान् बुद्ध का सूचक है । इन दृष्टि में यह माना उपर्युक्त प्रतीत होता है कि उक्ता गाया में कर्मचय की चर्चा करते हुए बुद्ध के धूकर-भासभक्षण गा उल्लंग किया गया है । ऐसी यह प्रमुणा यहाँ तक तथ्य है, इसका निर्णय गवेषणाक्षोल विद्वन्न ही रहेंगे । उपर्युक्त गाया के पहले गी तीन गायाओं में भी बोद्ध समत कर्मचयन का ही न्यून्य बताया गया है ।

हिसा का हेतु ।

मूयूहृताग के द्वितीय थ्रुतम्भात्र में आने वाले आद्रपीय नामक छठे अष्टयन में बाद्यकुमार नामक प्रत्येकबुद्ध के साथ होने वाले बोद्ध सम्प्रदाय के यादियों के धाद्यविवाद का उल्लेच है । उसमें भी कर्मचयन के स्वरूप की ही चर्चा है । बोद्धमत के समधक कहते हैं कि भानमिक गणन्य ही हिसा गा कारण है । तिल अयवा भरणों की घली का एक पिण्ठ पटा हो और फोई उते पुण्य समझ कर उसका नाश करे तो हमारे मत में यह हिसा के दोगे गे लिप्त होता है । इसी प्रकार अलावु को कुमार समझ कर उसका नाश करने वाला भी हिसा गा भागी होता है । इसमें विपरीत पुण्य को खली समझ कर एवं कुमार को अलावु समझ कर उसका नाश करने वाला, प्राणिवध का भागी नहीं होता । इतना ही नहीं, इस प्रकार की बुद्धि ने पकाया हुआ पुण्य का अथवा कुमार का मास बुद्धों के भोजन के लिए विहित है । इस प्रकार पकाये हुए मास द्वारा जो उपासक अपने सम्प्रदाय के दो हजार भिक्षुओं को भोजन कराते हैं वे महान् पुण्यस्कन्ध का उपा-

^१ देखिये—बुद्धचर्चा, पृ. ५३५ ।

जेन करते हैं और उसके द्वारा आरोप्य (आरोप्य) नामक देवयोनि में जन्म लेते हैं । बौद्धवादियों की इम भान्यता का प्रतीकार करते हुए आद्रेकुमार कहते हैं कि खली को पुरुष समझना अथवा अलावु को कुमार समझना या पुरुष को खली समझना अथवा कुमार को अलावु समझना कैसे सभव है ? जो ऐसा कहते हैं और उस कथन को स्वीकार करते हैं वे अज्ञानी हैं । जो ऐसा समझ कर भिक्षुओं को भोजन करवाते हैं वे अमर्थत हैं, अनार्थ हैं, रक्षणात्मक हैं । वे आद्रेशिक मास का भक्षण करने वाले हैं, जिह्वा के स्वाद में आसक्त हैं । समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए ज्ञातपुत्र महानीर तथा उनके अनुयायी भिक्षु आद्रेशिक भोजन का सर्वथा त्याग करते हैं । यह निर्दन्धन्यधर्म है ।

प्रथम अध्ययन के तृतीय उद्देशक की पहली ही गाथा में आद्रेशिक भोजन का निपेष किया गया है । किमी भिक्षुविशेष अथवा भिक्षुममूह के लिए बनाया जाने वाला भोजन, वस्त्र, पात्र, स्थान आदि आहंत मुनि के लिए अग्राह्य है । बौद्ध भिक्षुओं के विषय में ऐसा नहीं है । स्वयं भगवान् बृद्ध निमन्त्रण स्वीकार करते थे । वे एव भिक्षुसंघ उन्हीं के लिए तैयार किया गया निरामिप अथवा सामिप आहार ग्रहण करते थे तथा विहारों व उद्यानों का दान भी स्वीकार करते थे ।

जगत्-कर्तृत्व

प्रस्तुत उद्देशक की पाचवी गाथा से जगत्-कर्तृत्व की चर्चा शुरू होती है । इससे जगत् को देवउप्त (देवउप्त) अर्थात् देव का बोया हुआ, वभरत (व्रह्मरूप) अर्थात् व्रह्मा का बोया हुआ, इस्सरेण कृत (इश्वरेण कृत) अर्थात् ईश्वर का बनाया हुआ, सभुणा कृत (स्वयंभुना कृत) अर्थात् स्वयम् का बनाया हुआ कहा गया है । साथ ही यह भी बताया गया है कि यह कथन महर्षियों का है इति वुत्त महेसिणा । चूर्णिकार 'महर्षि' का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहते हैं 'महत्रृष्णी नाम स एव व्रह्मा अथवा व्यासादयो महर्षय' अर्थात् महर्षि का अर्थ है व्रह्मा अथवा व्यास आदि ऋषि । यहाँ छठी गाथा में जगत् को प्रवानकारणिक भी बताया गया है । प्रवान का अर्थ है सार्थसम्मत प्रकृति । सातवी गाथा में बताया गया है कि मार रचित माया के कारण यह जगत् अशाश्वत है अर्थात् सासार का प्रलयकर्ता मार है । चूर्णिकार ने 'मार' का अर्थ 'विष्णु' बताया है जबकि वृत्तिकार ने 'मार' शब्द का 'यम' अर्थ किया है । आठवीं गाथा में जगत् को अड्डकृत अर्थात् अडे में से पैदा होने वाला बताया गया है—अडकडे जगे । इन सब वादों का खण्डन करने के लिए सूत्रकार ने कोई विशेष तर्क प्रस्तुत न करते हुए केवल इतना ही कहा है कि ऐसा मानने वाले अज्ञानी हैं, असत्यभावी हैं, तत्त्व से अन-

प्रथम भव्ययन के बन्दिश न्यूज़ीलैंड में शिर्षंच वा गदग एवं से आपरेल वा चर्चें दिया गया है और विभिन्न शहरों में उपलब्ध है। इहाँ गया है। तीसरी गाया में यह अनादा गया; इसे दृष्टि लेंगों वो मामुख। बंगलूरु परिषद् एवं द्वारम—न्यूज़ीलैंड—दिया ज्ञानानुष्ठान विद्यालय दिया है। शिर्षंचों वो यह गत स्थीराकार गहरे गम्भीर जाहिण। इन्हें बमहाना जाहिण तिक्करित हुए गया अगरियहों वा अनादा गया खागर नहीं हो जाएगा है।

पासबो गाया वा लोकवाद की जर्दी प्राप्त होती है। इसपर लोकविषयक निष्पत्ति व अनिष्पत्ति, गारुदा व धनतेजा, परिषितजा व अपरिषितजा भादि का विचार है। वृत्तिकार वे प्रोटोपिण्डावाद वो अधिकाद पहा हैं और वताया हैं वि शत्रु अमृत गमय तक गोता हि व दृश्य देगता नहीं, अमृत गमय तक जागता है व दमता है—यह गम लोकवाद है।

वेयालिय

द्वितीय अध्ययन का नाम वेयालिय है। निर्युक्तिकार, चूर्णिकार तथा वृत्तिकार इसका अर्थ वैदारिक तथा वैतालीय के रूप में करते हैं। विदार का अर्थ है विनाश। यहाँ रागद्वेषरूप संस्कारों का विनाश विवक्षित है। जिस अध्ययन में रागद्वेष के विदार का वर्णन हो उसका नाम है वैदारिक। वैतालीय नामक एक छद है। जो अध्ययन वैतालीय छद में है उसका नाम है वैतालीय। प्रस्तुत अध्ययन के नाम के हन दो अर्थों में से वैतालीय छद वाला अर्थ विशेष उपयुक्त प्रतीत होता है। वैदारिक अर्थपरक नाम अतिव्याप्त है व्योकि यह अर्थ तो अन्य अध्ययनों अथवा ग्रन्थों से भी सम्बद्ध है अत केवल इसी अध्ययन को वैदारिक नाम देना उपयुक्त नहीं।

प्रस्तुत अध्ययन में तीन उद्देशक हैं जिनमें वैराग्यपोषक वर्णन के साथ श्रमणघर्मं का प्रतिपादन है। प्रथम उद्देशक की पाचवी गाथा में बताया गया है कि देव, गाधर्व, राक्षस, नाग, राजा, सेठ, ब्राह्मण आदि सब दुखपूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मृत्यु के लिए सब जीव समान हैं। उसके सामने किसी का प्रभाव काम नहीं करता। नवी गाथा में सूत्रकार कहते हैं कि साधक भले ही नन रहता हो व निरन्तर भास-भास के उपचास करता ही किन्तु यदि वह दमी है तो उसका यह सब आचरण खोखला है।

आचाराग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध के प्रथम अध्ययन के तृतीय उद्देशक में 'पण्या वीरा महावीहि' ऐसा एक खण्डित वाक्य है। सूत्रकृताग के प्रस्तुत अध्ययन के प्रथम उद्देशक की इक्कीसवीं गाथा में इस वाक्यवाला पूरा पद है —

तम्हा दवि इक्ख पडिए पावाओ विरतेऽभिणिवुडे ।
पण्या वीरा महावीहि सिद्धिपह णेआउ धुव ॥

इस उद्देशक की वृत्तिसम्मत गाथाओं और चूर्णिसम्मत गाथाओं में अत्यधिक पाठभेद है। पाठभेद के कुछ नमूने ये हैं —

वृत्तिगत पाठ	चूर्णिगत पाठ
सयमेव कडेहि गाहइ	सयमेव कडेऽभिगाहए
णो तस्स मुच्चेज्जपुट्य ॥ ४ ॥	णो तेण मुच्चे अपुट्य ॥ ४ ॥
कामेहि य सथवेहि गिद्धा	कामेहि य सथवेहि य
कम्मसहा कालेण जतवो ॥ ६ ॥	कम्मसहे कालेण जतवो ॥ ६ ॥
जे इह मायाइ मिज्जई	जइविह मायादि मिज्जती
आगता गव्भायण्टतसो ॥ १० ॥	आगता गव्भादण्टतसो ॥ ९ ॥

इन पाठभेदो के अतिरिक्त चूर्णिकार ने कई जगह अन्य पाठान्तर भी दिये हैं एवं नागार्जुनीय वाचना के पाठभेदो का भी उल्लेख किया है।

प्रथम उद्देशक की अन्तिम गाथा के 'वेतालियमगगमागतो' इस प्रथम चरण में अध्ययन के वेतालिय-वेतालीय नाम का भी निर्देश है। यहाँ 'वेतालिय' शब्द वेतालोय छन्द का निर्देशक है। इसका दूसरा अर्थ वैदारिक अर्थात् रागद्वेष का विदारण करने वाले भगवान् महावीर के रूप में भी किया गया है। ये दोनों अर्थ चूर्णि में हैं।

प्रथम उद्देशक में २२, द्वितीय उद्देशक में ३२ और तृतीय उद्देशक में २२ गाथाएँ हैं। इस प्रकार वैतालीय अध्ययन में कुल मिलाकर ७६ गाथाएँ हैं। इनमें हिसान करने के सम्बन्ध में प्रकाश ढाला गया है एवं महाप्रतो व अनुप्रतो का निरूपण करते हुए उनके अनुमरण पर भार दिया गया है। साधक श्रमण हो या गृहस्थ, उसे साधना में आने वाले प्रत्येक विघ्न का सामना करना चाहिए एवं वीतरागता की भूमिका पर पहुँचना चाहिए। इन सब उपदेशात्मक गाथाओं में उपमाएँ दे-देकर भाव को पूरी तरह स्पष्ट किया गया है। द्वितीय उद्देशक की अठारहवीं गाथा का आद्य चरण है 'उसिणोदगतत्त्वभोइणो' अर्थात् गरम पानी को बिना ठड़ा किये ही पीने वाला। यह मुनि का विशेषण है। इस प्रकार के मुनि को राजा आदि के ससंग से दूर रहना चाहिए। दशवैकालिक सूत्र के तृतीय अध्ययन की छठी गाथा के उत्तरार्थ का प्रथम चरण 'तत्ताऽनिव्युडभोइत्त' भी गरम-नगरम पानी पीने की परम्परा का समर्थक है। तृतीय उद्देशक की तीसरी गाथा में महाप्रतो की महिमा बताते हुए कहा गया है कि जैसे वणिकों द्वारा लाये हुए उत्तम रत्नों को राजा-महाराजा धारण करते हैं उसी प्रकार ज्ञानियों द्वारा उपदिष्ट रात्रिभोजनविरमणयुक्त रत्नसदृश महाप्रतो को उत्तम पुरुष ही धारण कर सकते हैं। इस गाथा की व्याख्या में चूर्णिकार ने दो मतों का उल्लेख किया है पूर्वदिशा में रहने वाले आचार्यों के मत का व पश्चिम दिशा में रहने वाले आचार्यों के मत का। सभव है, चूर्णिकार का तात्पर्य पूर्वदिशा अर्थात् मधुरा अथवा पाटलिपुत्र के सम्बन्ध से स्कन्दिलाचार्य आदि से एवं पश्चिमदिशा अर्थात् बलभी के सम्बन्ध से नागार्जुन अथवा देवघिरणि आदि से हो। रात्रिभोजनविरमण का पृथक् उल्लेख एतद्विषयक शैयित्य को दूर करने अथवा इसे ज्ञात के समकक्ष बनाने की दृष्टि से किया गया प्रतीत होता है। इसी सूत्र के वीरस्तुति नामक छठे अध्ययन में भी रात्रिभोजन का पृथक् नियेष किया गया है। प्रस्तुत उद्देशक की अन्तिम गाथा में भगवान् महावीर के लिए 'नायपुत्त' का प्रयोग हुआ है। साथ ही इन विशेषणों का भी उपयोग किया गया है अणुत्तरणाणी, अणुत्तरदसी, अणुत्तरनाणदसणधरे, अरहा, भगव और वेसालिए अर्थात् श्रेष्ठतमज्ञानी,

थ्रेप्टसपदर्शी, थ्रेप्टसमज्ञानदशनधर, अहत्, भगवान् और वैशालिक—विशाला नगरी में उत्पन्न ।

उपसर्ग

तृतीय अध्ययन का नाम उपमग्वरिज्ञा है । साधक जब अपनी माध्यना के लिए उत्पर होता है तब स लगानर माध्यना के अन्त तक उसे अनेक प्रकार के विधों का मामना करना पड़ता है । साधनाकाल में आने वाले इन विधों, वाधाओं, विषयों को उपमग कहते हैं । वैमे ये उपसर्ग गिने नहीं जा सकते, फिर भी प्रस्तुत अध्ययन में इनमें से कुछ प्रतिकूल एवं अनुकूल उपसर्ग गिनाये गये हैं । इनमें इन विधों की प्रकृति का परा लग सकता है । सच्चा साधक इस प्रकार के उपसर्गों का जीत कर बोतराग अथवा स्थिरप्रज्ञ बनता है । यही सम्पूर्ण अध्ययन का सार है । इस अध्ययन के चार उद्देशक हैं । प्रथम उद्देशक में २७ गाथाएँ हैं, जिनमें भिक्षावृत्ति, शीत, ताप, भूख प्यास, डाम, मच्छर, अस्नान, अपमान, प्रतिकूलग्रन्थ, केशलोच, आजीवन-व्रह्मचर्य आदि प्रतिकूल उपसर्गों का वर्णन है । मनुष्य को जब तक सप्ताम में जिसे जीतना है उसके बल का पता नहीं होता तब तक वह अपने को शूर समझता है और कहता है कि इसमें क्या ? उसे तो मैं एक चुटकी में साफ कर दूगा । मेरे सामने वह तो एक मच्छर है । किन्तु जब शत्रु मामने आता है तब उसके होश गायब हो जाते हैं । मूरकार ने इस तथ्य को समझाने के लिए शिशुपाल और कृष्ण का उदाहरण दिया है । यहा कृष्ण के लिए 'महारथ' शब्द का प्रयोग हुआ है । चूर्णिकार ने महारथ का अर्थ केशव (कृष्ण) किया है । साधक के लिये उपसर्गों को जीतना उतना ही कठिन है जितना कि शिशुपाल के लिए कृष्ण को जीतना । उपसर्गों की चपेट में आनेवाले ढीलेढाले व्यक्ति की तो श्रद्धा ही समाप्त हो जाती है । जिस प्रकार निबल सत्री अपने ऊपर आपत्ति आने पर अपने मा-वाप व पोहर के लोगों को याद करती है उसी प्रकार निबल साधक अपने ऊपर उपसर्गों का आक्रमण होने पर अपनी रक्षा के लिए स्वजनों को याद करने लगता है ।

द्वितीय उद्देशक में २२ गाथाएँ हैं । इनमें स्वजनों अर्थात् माता पिता, भाई-बहन, पुत्र-पुत्री, पति-पत्नी आदि द्वारा होने वाले उपसर्गों का वर्णन है । ये उपसर्ग प्रतिकूल नहीं अपितु अनुकूल होते हैं । जिस प्रकार साधक प्रतिकूल उपसर्गों से भयभीत होकर अपना मार्ग छोड़ सकता है उसी प्रकार अनुकूल उपसर्गों के आकर्षण के कारण भी पथञ्चष्ट हो सकता है । इस तथ्य को समझाने के लिए अनेक उपमाएँ दी गई हैं ।

तृतीय उद्देशक में सब मिल कर २१ गाथाए हैं। इनमें इस प्रकार के उपसर्गों का वर्णन है जो निर्बल मनवाले श्रमण की वासना द्वारा उत्पन्न होते हैं तथा अन्य मनवाले लोगों के आक्षर्णों के पात्र होते हैं। निर्बल भिक्षु के मन में किस प्रकार के मकल्प-विकल्प उत्पन्न होते हैं, इसका यथार्थ चित्रण प्रस्तुत उद्देशक में है। बुद्धिमान् भिक्षु इन सब सकल्प-विकल्पों में ऊपर उठ कर अपने मार्ग में स्थिर रहते हैं जबकि अज्ञानी व मूढ़ भिक्षु अपने मार्ग से च्युत हो जाते हैं। इस उद्देशक में आनेवाले अन्यमतियों से चूर्णिकार व वृत्तिकार का तात्पर्य आजीवको एवं दिग्म्बर परम्परा के भिक्षुओं से है (आजीविकप्राया अन्यतोर्थिका, बोडिंग—चूर्णि)। जब सयत भिक्षुओं के सामने किसी के साथ वाद-विवाद करने का प्रसंग उपस्थित हो तब उन्हें किसी को विरोधभाव व क्लेश न हो इस ढंग से तर्क व युक्ति का बहुगुणयुक्त मार्ग स्वीकार करना चाहिए। प्रस्तुत उद्देशक की सोलहवीं गाथा में कहा गया है कि प्रतिवादियों की यह मान्यता है कि दानादि धर्म की प्रज्ञापना आरम्भस्मारभ में पड़े हुए गृहस्थों की शुद्धि के लिए है, भिक्षुओं के लिए नहीं, ठीक नहीं। पूर्वपुरुषों ने इसी दृष्टि से अर्थात् गृहस्थों की ही शुद्धि की दृष्टि से दानादिक की कोई निरूपणा नहीं की। चूर्णिकार ने यहां पर केवल इतना ही लिखा है कि इस प्रवृत्ति का पूर्व में कोई निवेद नहीं किया गया है जबकि वृत्तिकार ने इस कथन को थोड़ा सा बढ़ाया है और कहा है कि सर्वज्ञ पुरुषों ने प्राचीन काल में ऐसी कोई बात नहीं कही है। यह चर्चा वृत्तिकार के कथनानुसार दिग्म्बरपक्षीय भिक्षुओं और श्रेताम्बर परम्परा के साधुर्खों के बीच है। वृत्तिकार का यह कथन उपयुक्त प्रतीत होता है।

चतुर्थ उद्देशक में सब मिल कर २२ गाथाए हैं। इस उद्देशक के विषय के सम्बन्ध में नियुक्तिकार कहते हैं कि कुछ श्रमण कुरक्का अर्थात् हेत्वाभास द्वारा अनाचाररूप प्रवृत्तियों को आचार में समाविष्ट करने का प्रयत्न करते हैं एवं जानवृक्षकर अनाचार में फसने का उपसर्ग उत्पन्न करते हैं। प्रस्तुत उद्देशक में इसी प्रकार के उपसर्गों का वर्णन है।

प्रथम चार गाथाओं में बताया गया है कि कुछ शिथिल श्रमण यो कहने लगते हैं कि प्राचीन काल में कुछ ऐसे भी उपस्थी हुए हैं जो उपवासादि उपन करते, उष्ण पानी न पोते, फल फूल आदि खाते फिर भी उन्हें जैन प्रवचन में महापुरुष के रूप में स्वाक्षर किया गया है। इतना ही नहीं, इन्हें मुक्त भी माना गया है। इनके नाम ये हैं रामगुत्त, बाहुध, नारायणरिसि अथवा तारायणरिसि, आसिलदेवल, दीवायणमहारिसि और पारासर। इन पुरुषों का महापुरुष एवं अहंतु के रूप में ऋषिभावित नामक अति प्राचीन जैनप्रवचनानुसारी श्रुति में स्पष्ट

उल्लेख है। इसके आधार पर कुछ शिथिल अमण यह कहने के लिए तंयार होते हैं कि यदि ये लोग ठड़ा पानी पीकर, निरतरभोजी रहकर एवं फल-फूलादि साकर महापुरुष बने हैं एवं मुक्त हुआ हैं तो हम वैसा वयो नहीं कर सकते? इस प्रकार के हेत्वाभास द्वारा ये शिथिल अमण अपने आचार में अप्ट होते हैं। उपर्युक्त सब तपस्चियों का वृत्तान्त वैदिक ग्रन्थों में विवेप्र प्रसिद्ध है। एतद्विषयक विशेष विवेचन 'पुरातत्त्व' नामक व्रैमासिक पत्रिका में प्रकाशित 'मूश्रकृतागमा आवता विगेपनामो' शीर्षक लेख में उपलब्ध है।

कुछ शिथिल अमण यो कहते हैं कि सुख द्वाग सुख प्राप्त किया जा सकता है अत सुख प्राप्त करने के लिए कष्ट महन करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग सुखप्राप्ति के लिए तपस्चिप कष्ट उठाते हैं वे भ्रम में हैं। चूर्णिकार ने यह मत शाकयो अर्थात् वीदो का माना है। वृत्तिकार ने भी इसी का समर्थन किया है और कहा है कि लोच आदि के कष्ट से मतपत्त कुछ स्वयूध्य अर्थात् जैन श्रमण भी इस प्रकार कहने लगते हैं एके शाक्यादय स्वयूध्या वा लोचादिना उपतप्ता। चूर्णिकार व वृत्तिकार की यह मान्यता कि 'सुख से सुख मिलता है' यह मत वीदो का है, सही है किन्तु बुद्ध के प्रवचन में भी तप, सवर, अहिंसा तथा त्याग की महिमा है। हाँ, इतना अवश्य है कि उसमे घोरातिघोरतम तप का समर्थन नहीं है। विसुद्धिमग्ग व धम्मपद को देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है।

आगे की गाथाओं में तो इनमे भी अधिक भयकर हेत्वाभासो द्वारा अनुकूल तर्क लगाकर वासना तृप्तिस्थिप सुखकर अनुकूल उपसर्ग उपपत्र किये गये हैं। नवी व दसवी गाथा में बताया गया है कि कुछ अनाय पासत्थ (पाश्वस्थ अथवा पाशस्थ) जो कि स्त्रियो के वशीभूत हैं तथा जिनशासन से पराहमुख हैं, यो कहते हैं कि जैसे फोडे को दबाकर साफ कर देने से शान्ति मिलती है वैसे ही प्रार्थना करने वाली स्त्री के साथ सभोग करने में कोई दोष नहीं है। जिस प्रकार भेड अपने घुटनों को पानी में झुकाकर पानी को बिना गदा किये धीरे धीरे स्थिरतापूर्वक पीता है उसी प्रकार रागरहित चित्त वाला मनुष्य अपने चित्त को दूषित किये बिना स्त्री के साथ सभोग करता है। इसमें कोई दोष नहीं है। वृत्तिकार ने इस प्रकार की मान्यता रखने वालों में नीलवस्त्रवाले बौद्धविशेषों, नाथवादिक मठल में प्रविष्ट शैवविशेषों एवं स्वयूध्यिक कृशील पाशवस्थों का समावेश किया है। इन गाथाओं से स्पष्ट है कि जैनेतर भिक्षुओं की भाँति कुछ जैन श्रमण—शिथिल चैत्यवासी भी स्त्रीससर्ग का मेवन करने लगे ये। इस प्रकार के लोगों को पूतना की उपमा देते हुए सूत्रकार ने कहा है कि जैसे पिशाचिनी पूतना छोटे बालकों में आसक्त रहती है वैसे ही ये मिथ्यादृष्टि स्त्रियों में आसक्त रहते हैं।

स्त्री परिज्ञा

स्त्रीपरिज्ञा नामक चतुर्थ अध्ययन के दो उद्देशक हैं। पहले उद्देशक में ३१ एवं द्वासरे में २२ गायाएँ हैं। स्त्रीपरिज्ञा का अर्थ है स्त्रियों के स्वभाव का सब तरह से ज्ञान। इस अध्ययन में यह बताया गया है कि स्त्रियां श्रमण को किस प्रकार फैसाती हैं और किस प्रकार उसे अपना गुलाम तक बना लेती हैं। इसमें यहाँ उक कहा गया है कि स्त्रियां विश्वसनीय नहीं हैं। वे मन में कुछ और ही मीचती हैं, मुँह से कुछ और ही बोलती हैं व प्रवृत्ति कुछ और ही करती हैं। इस प्रकार स्त्रियां अति मायावी हैं। श्रमण को स्त्रियों का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। इस विषय में तनिक भी असावधानी रखने पर श्रमणत्व का बिनाश हो सकता है। प्रस्तुत अध्ययन में स्त्रियों को जो निन्दा की गयी है वह एकाग्री है। वास्तव में श्रमण की भ्रष्टता का मुख्य कारण तो उसकी सुद की वासना ही है। स्त्री उस वासना का उत्तेजित करने में निमित्त कारण अवश्य बन सकती है। वैसे सभी स्त्रियां एकसी नहीं होती। सासार में ऐसी अनेक स्त्रियां हूई हैं जो प्रात् स्मरणीय हैं। फिर जैसे स्त्रियों में दोप दिखाई देते हैं वैसे ही पुरुषों में भी दोपों की कमी नहीं है। ऐसी स्थिति में केवल स्त्री पर दोपारोपण करना उचित नहो। नियुक्तिकार ने इस तथ्य को स्वीकार किया है और कहा है कि जो दोप स्त्रियों में है वे ही पुरुषों में भी हैं। अत साधक श्रमण को पूरी तरह से सावधान रहना चाहिए। पतन का मुख्य कारण तो सुद के दोप ही है। स्त्री अथवा पुरुष तो उसमें केवल निमित्त है। जैसे स्त्रा के परिचय में आने पर पुरुष में दोप उत्पन्न होते हैं वैसे ही पुरुष के परिचय में आने पर स्त्री में भी दोप उत्पन्न होते हैं अत वैराग्यमार्ग में स्थित श्रमण व श्रमणी होनो को सावधानी रखनी चाहिए। यदि ऐसा है तो फिर इस अध्ययन का नाम 'स्त्रीपरिज्ञा' ही क्यों रखा? 'पुरुषपरिज्ञा' भी तो रखना चाहिये था। इस प्रश्न का समाधान करते हुए चूर्णिकार व वृत्तिकार कहते हैं कि 'पुरिसोत्तरिओ धम्मो' अर्थात् धर्म पुरुषप्रवान हैं अत पुरुष के दोप बताना ठीक नहीं। धर्मप्रवर्तन के पुरुष होते हैं अत पुरुष उत्तम माना जाता है। इस उत्तमता को लाभित न करने के लिए ही प्रस्तुत अध्ययन का नाम 'पुरुषपरिज्ञा' न रखते हुए 'स्त्रीपरिज्ञा' रखा गया। व्यावहारिक दृष्टि से टीकाकारों का यह समाधान ठीक है, पारमार्थिक दृष्टि से नहीं। सूत्रकार ने प्रस्तुत अध्ययन में प्रसगवशात् गृहस्थोपयोग अनेक वस्तुओं तथा बालोपयोगी अनेक खिलौनों के नाम भी गिनाये हैं।

नरकविभक्ति

पचम अध्ययन का नाम नरकविभक्ति है। चतुर्थ अध्ययनोक्त स्त्रीकृत

उपर्योग में फैसले वाला नरागामी बनता है। नग्कविभविन अध्ययन के दो उद्देशक हैं। प्रथम उद्देशक म २३ गाथाओं है और द्वितीय में २५। इनमें यह बताया गया है कि नन्दा ने विभागों में अर्थात् नग्क के भिन्न भिन्न घटनों में कौन कौन भयकर आठ भोजने पड़ते हैं एवं कैसी-कैसी धमागारण यातनाएं सहनी पड़ती हैं? जो जोग पापी है—हिंसक है, अमर्यमापी है, चोर है, लुटेरे हैं, महापरिग्रही है, अमदाचारी है उन्हें इम प्रकार के नग्कवासों में जन्म लेना पड़ता है नग्क को इन भद्रकर वेदनाओं को सुनने वीर पुरुष जरा भी हिंसक प्रवृत्ति न करें, अपरिग्रही वर्णे एवं निर्झर्भवृत्ति का नेवन करें—यही इस अध्ययन का उद्देश्य है। वैदिक, बौद्ध व जैन इन तीनों परम्पराओं में नरक के महाभयों का वर्णन है। इसमें प्रतीत होता है कि नरकविषयक यह कल्पना अति प्राचीन काल में चली आ रही है। योगमूल के व्यामधाप्य में उभयनरकों का वर्णन है। भागवत में अद्वैतन नरक गिनाये गये हैं। बौद्ध परम्परा के पिटकग्रन्थस्य सुत्तनिपात के कोकाश्चिय नामक मुत्त में नरकों का वर्णन है। यह वर्णन प्रस्तुत अध्ययन के वर्णन से बहुत कुछ मिलता जुलता है। अभिवर्षकोश के तृतीय कोश स्थान के प्रारम्भ में आठ नरकों के नाम दिये गये हैं। इन सब स्थलों को देखने से पता चलता है कि भारतीय परम्परा की तीनों शाखाओं का नरकवर्णन एक दूसरेसे काफी मिलता हुआ है। इतना ही नहो, उनकी शब्दावली भी बहुत-कुछ नमान है।

वीरस्तव

पछले अध्ययन में वीर वधमान की स्तुति की गई है इसलिए इस अध्ययन का नाम वीरस्तव रखा गया है। इसमें २९ गाथाएं हैं। भगवान् महावीर का मूल नाम तो वधमान है किन्तु उनको असाधारण वीरता के कारण उनकी स्थानिक वीर अथवा महावीर के रूप में हुई है। इसीन्हें प्रस्तुत अध्ययन में प्रस्तुत नाम 'महावीर' द्वारा स्तुति की गई है। इस अध्ययन की तियुक्ति में स्तव अथवा स्तुति कैसी-कैसी प्रवृत्ति द्वाग द्वारा होती है उसकी वाह्य व आम्यन्तरिक दोनों रीतिया बताई गई हैं। इस अध्ययन में भी पहले के अध्ययनों की भाँति चूर्णिसमतवाचना एवं वृन्निसमतवाचना में काफी अन्तर है। तीमरी गाथा में महावीर को जिन विशेषणों द्वारा परिचित करवाया गया है वे ये हैं खेयन्न, कुसल, आसुपन्न, अणतनाणो, अणतदसो। खेयन्न अर्थात् क्षेत्रज्ञ अथवा खेदज्ञ। क्षेत्रज्ञ का अर्थ है आत्मा के स्वरूप का यथावस्थित ज्ञान रखने वाला आत्मज्ञ अथवा क्षेत्र अर्थात् आकाश उमे जानने वाला अर्थात् लोकालोकरूप आकाश के स्वरूप का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ कहलाता है। खेदज्ञ का अर्थ है समारियों के खेद अर्थात् दुःख को जानने वाला। भगवद्गीता में 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग' नामक

एक पूरा वध्याय है। उसमें ३४ श्लोकों द्वारा कीव एवं द्वेषना के स्वरूप के विषय में विस्तृत वच्चां की गई है। भगवान् महावीर के लिए प्रमुख 'शोषण' विवेचण की व्याख्या यदि गीता के इस वध्याय एवं अनुग्राम को जाय तो भविक उन्नित होगी। इस व्याख्या में ही भगवान् को 'आप' के रूप का पता लग गया है। कुशल, धारुण, अनन्तवशानी एवं अनन्तदर्शी का अर्थ सुप्रतीत है। पौरी गाया में भगवान् के शृतिगुण तथा घण्टन हैं। भगवान् पृतिमान् है, स्थितात्मा है, निरामगम है, प्रन्यातीत है, निभग है। शृतिमान् वा अर्थ है पैर्यंगामी। गैंगा भी सुन अधवा दुःख वा प्रशंग उपस्थित होने पर नगवान् तथा एकान्प रहते हैं। यही उनका पैर्यंग है। स्थितात्मा का अर्थ है रिपर अत्मावाला। मानापमान की किमी भी स्थिति में भगवान् स्थितिरचिता—निषेद रहते हैं। निरामगम वा अर्थ है गिर्दोकभाजी। भगवान् का भोजन सर्व प्रकार से निर्दोंग होता है। प्रन्यातीत का अर्थ है परिप्रहरित। भगवान् अपने पास किसी प्रकार का परिप्रहर नहीं रखते, किन्तु प्रकार की मायामाययों पर उनका अधिकार क्षमता नहीं होना बोर न ये किनी वस्तु की वाकाशा ही रगते हैं। निर्भय का अर्थ है निष्ठर। भगवान् मयन् एवं मयदा तथा निर्भय रहने हैं। आगे की गायाओं में भाय अनेक विजेपणों एवं उपमाओं द्वारा भगवान् की स्तुति की गई है। भगवान् शूरुप्रश अर्थात् मगलमय प्रकाशों हैं, अनिकेतचारी अर्थात् अनगार हैं, औपतर अर्थात् सत्तारूप प्रवाह को तीरने वाले हैं, अनन्तचक्षु अर्थात् अनन्तदर्शी हैं, निरतर धर्मरूप प्रकाश के उपराने वाले हैं, अनन्तचक्षु अर्थात् अनगार हैं, निरतर धर्मरूप प्रकाश के उपराने वाले हैं, अनेक विजेपणों में भगवान् महावीर श्रेष्ठ है। योद्वावों में जैरा विष्वकूमेन अर्थात् गृहण एवं धात्रियों में जैसे दत्तवयन श्रेष्ठ हैं दैसे ही अश्रियों में वधमान महावीर श्रेष्ठ हैं। यहाँ नूणिकार व वृत्तिकार ने दत्तवयन दत्तवयन का जो सामान्य अर्थ (चक्रवर्ती) किया है वह उपर्युक्त प्रतीत नहीं होता। यह शब्द एक विष्विष्ट धात्रिय के नाम का सूचक है। जिसके मुख में जन्म से ही दात हो उगका नाम है दत्तवयन। इस नाम के विरय में महाभारत में जी ऐसी ही प्रसिद्धि है। वृत्तिकार ने तो विष्वकूसेन का भी सामान्य अर्थ (चक्रवर्ती) किया है जब कि अमरकोश आदि में इसका कृष्ण अर्थ प्रसिद्ध है।

वधमान महावीर ने जिस परम्परा का अनुसरण किया उसमें वधा सुधार किया? इसका उत्तर देते हुए सूत्रकार ने लिखा कि उन्होंने स्त्रीसहवास एवं रात्रिभोजन

का निपेत्र किया । भगवान् महावीर ने पूर्व चलो आने वालो भगवान् पाश्वनाथ को परम्परा चतुर्यामप्रधान थी । उसमें मैथुनविरमण व्रत का स्पष्ट शब्दों में समावेश करने का कार्य भगवान् महावीर ने किया । इसी प्रकार उन्होंने उसमें रात्रि-भोजनविरमण व्रत का भी अलग से समावेश किया ।

कुशील

मातवा अध्ययन कुशीलविषयक है । इस अध्ययन में ३० गाथाएँ हैं । कुशील का अर्थ है अनुपयुक्त अथवा अनुचित आचार वाला । जैन परम्परा की दृष्टि से जिनका आचार शुद्ध नहीं है अर्थात् जो असयमी है उनमें से कुछ का योडा बहुत परिचय प्रस्तुत अध्ययन में मिलता है । इन कुशीलों में चूर्णिकार ने गीतम सम्प्रदाय, गोत्रतिक सम्प्रदाय, रडदेवता सम्प्रदाय (चडीदेवता सम्प्रदाय) वारिभद्रक सम्प्रदाय, अग्निहोमवादियों तथा जलगीतवादियों का समावेश किया है । चृत्तिकार ने भी इनकी मान्यताओं का उल्लेख किया है । औषधातिक सूत्र में इस प्रकार के अनेक कुशीलों का नामोल्लेख है । प्रस्तुत अध्ययन में सूत्रकार ने तीन प्रकार के कुशीलों की चर्चा की है (१) आहारसंपज्जन अर्थात् आहार में मधुरता उत्पन्न करने वाले लवण आदि के त्याग से मोक्ष मानने वाले, (२) सोओदगसेवण अर्थात् शीतल जल के सेवन से मोक्ष मानने वाले, (३) हुएण अर्थात् होम से मोक्ष मानने वाले । इनकी मान्यताओं का उल्लेख करते हुए ग्रन्थकार ने विविध दृष्टान्तों द्वारा इन भवों का खण्डन किया है एवं यह प्रतिपादित किया है कि मोक्ष के प्रतिबधक कारणों—राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ आदि का अत करने पर ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है ।

वीर्य अर्थात् पराक्रम

आठवा अध्ययन वीर्यविषयक है । इसमें वीर्य अर्थात् पराक्रम के स्वरूप का विवेचन है । चूर्णि की वाचना के अनुसार इसमें २७ गाथाएँ हैं जबकि वृत्तिसमत वाचना के अनुसार गाथासंख्या २६ हो है । चूर्णि में १९ वीं गाथा अधिक है । इस अध्ययन में चूर्णि की वाचना व वृत्ति की वाचना में बहुत अन्तर है । नियुक्तिकार ने वीर्य की व्याख्या करते हुए कहा है कि वीर्य शब्द सामर्थ्य-पराक्रम बल—शक्ति का संचक है । वीर्य उनके प्रकार का है । जड़ वस्तु में वीर्य होता है एवं चेतन वस्तु में भी । चदन, कबल, शस्त्र, औषध आदि की विविध शक्तियों का अनुभव हम करते ही हैं । यह जड़ वस्तु का वीर्य है । शारीरबल, इद्रियबल, मनोबल, उत्साह, धैर्य, क्षमा आदि चेतन वस्तु की शक्तियां हैं । सूत्रकार कहते हैं कि वीर्य दो प्रकार का है अकर्मवीर्य अर्थात् पवित्रवीर्य और कर्मवीर्य अर्थात् बालवीर्य । संयमपरायण का वीर्य पहितवीर्य

एकृताग

हलाता है तथा अमर्यमपरगण का वीरं धात्योर्य । 'कर्मयोर्य' का 'कर्म' इदं प्रमाद एव अन्यम् का सूनक है तथा 'अर्नयोर्य' का 'अकर्म' इदं भप्रमाद एव नयम् का निरेशक है । कर्मयोर्य—धात्योर्य का विग्रह परिचय देते हुए मूलसार कहते हैं नि कुछ नोग प्राणियों के विभावा के लिङ अस्त्रविद्या सीखते हैं एव कुछ औग प्राणियों को हिंसा के लिए यशादि शीखते हैं । इसी प्रकार अकर्मयोर्य—उठितयोर्य का विवेचन करने हुए कहा गया है कि इस वीर्य में नयम् की प्रशानता है । ज्यों वर्षों पठितयोर्य वडता जाता है स्योन्त्यो नयम् वडता जाता है एव पूर्णनयम् प्राप्त होने पर निर्विण्डर्ष व्याय मुख मिलता है । यही पठितयोर्य अपवा अवर्मयोर्य का मार है । वाऽयोर्य धरवा कर्मयोर्य का परिणाम इनसे विपरीत होता है—मार वडता है । उमरे हुए वडता है—मार वडता है ।

धर्म ।

धर्म नामक नवम धर्मायन का व्याख्यान इसने हुए नियुक्तिकार आदि ने 'धर्म' इच्छा का अनेक रूपों में प्रयोग किया है, यद्या—पुरुषम्, नगरधर्म, ग्रामधर्म, राज्यधर्म, गणधर्म, नपधर्म, पाराटपधर्म, ध्रुतधर्म, धारिनधर्म, गृहस्थधर्म, पदार्थधर्म, दानधर्म आदि । अपवा नामान्यनया धर्म दो प्रकार का है लोकिक धर्म और नोकोत्तर धर्म । जैन परमार्थ जैन प्रणाली के अतिरिक्त गद्य धर्म, भार्ग अपवा मन्त्रधार्य शौकिक धर्म में ममाविष्ट है । जैन प्रणाली की दृष्टि से प्रवर्तित ममात्र त्राचार-विचार नोकोत्तर धर्म में ममाविष्ट होता है । प्रस्तुत अध्ययन में नोकोत्तर धर्म का निरूपण है । इसमें नृणि की वाचना के अनुगार ३७ गायाएँ हैं जिनकि वृत्तिकी वाचना में अनुगार गायाओं पी मम्या ३६ हैं । गायाओं की वाचना में भी नृणि क वृत्ति की दृष्टि से गाप्ती भेद है ।

प्रथम गया वे पूर्वार्थ में प्रस्तुत हैं कि मतिमान् आहृणों में कोन सा ध कीमा धर्म बताया है? उत्तर में उत्तर है कि जिनप्रभुवा ने—अहंतो ने जिस आजंवस्थ—अवपटक्ष्य धर्म का प्रतिपादन किया है उसे मेरे द्वारा सुनो । आगे बताया गया है कि ज्ञान आग्न आदि दृष्टिप्रवृत्तियों में फैसे रहा है वे इन लोक नया पर्लोक में दुष्प गे मुक्ति नहीं पा सकते । अत निगमतार्थ एव निरहकाररूप अज्ञुधर्म का आचरण करना चाहिए जो परमार्थनुगामी है । धर्मणधर्म ऐ द्रूष्ट-रूप कुछ आदान प्रस्तुत अध्ययन में इस प्रकार गिनाये हैं—

- १ अदत्य वचन
- २ वहिदा अर्थात् परिग्रह एव अग्रहाचर्य
- ३ अदत्तादान अर्थात् चोर्य
- ४ वक्ता अर्थात् माया—पट—परिकृचन—पलिउचण

- ५ लोग—भजन—भयण
- ६ क्रोध—स्थिटिल—थडिल
- ७ मान—उच्चयण—उस्मयण

ये सब धूरदान अर्थात् धूरता के आयतन हैं। इनके अतिरिक्त धावन, रेजन, वमन, विरेचन, स्नान, दतप्रभालन, हस्तकमं आदि दूषित प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए सूत्रकार ने आहार सम्बन्धी व अन्य प्रकार के कुछ दूषण भी गिनाये हैं। भिक्षुओं को इनका आचरण नहीं करना चाहिए, ऐसा निग्रन्थ महामुनि महावोर ने कहा है। भावा कैसी बोलनी चाहिए इस पर भी सूत्रकार ने प्रकाश ढाला है।

समाधि

दसवें अध्ययन का नाम समाधि है। इस अध्ययन में २४ गाथाएँ हैं। समाधि का अर्थ है तुट्ठि—सरोप—प्रमोद—आनन्द। नियुक्तिकार ने द्रव्यसमाधि, स्नेशसमाधि, कालसमाधि एवं भावसमाधि का स्वरूप बताया है। जिन गुणों द्वारा जीवन में समाधिलाभ हो वे भावसमाधि कहलाते हैं। यह भावसमाधि ज्ञानसमाधि, दर्शनसमाधि, चारित्रसमाधि एवं तपसमाधि रूप हैं। प्रस्तुत अध्ययन में इस भाव-समाधि अर्थात् आत्म प्रसन्नता की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में प्रकाश ढाला गया है। सपूर्ण अध्ययन में किसी प्रकार का सचय न करना, समस्त प्राणियों के साथ आत्मकृत व्यवहार करना, सब प्रकार की प्रवृत्ति में हाथ-पैर आदि को सयम में रखना, किसी अदत्त वस्तु को ग्रहण न करना आदि सदाचार के नियमों के पालन के विषय में वार्त्त्वार कहा गया है। सूत्रकार ने पुनः पुन इस बात का समर्थन किया है कि स्त्रियों में आसक्त रहने वाले एवं परिग्रह में ममत्व रखने वाले श्रमण समाधि प्राप्त नहीं कर सकते। अतः समाधिप्राप्ति के लिए यह अनिवार्य है कि स्त्रियों में आसक्ति न रखी जाय, मैथुनक्रिया से दूर रहा जाय एवं परिग्रह में ममत्व न रखा जाय। एकान्त क्रियावाद व एकान्त अक्रियावाद को अज्ञानमूलक बताते हुए सूत्रकार ने कहा है कि एकान्त क्रियावाद का अनुसरण करने वाले तथा एकान्त अक्रियावाद का अनुसरण करने वाले दोनों ही वास्तविक धर्म अथवा समाधि से बहुत दूर हैं।

मार्ग

मार्ग नामक ग्यारहवें अध्ययन का विषय समाधि नामक दसवें अध्ययन के विषय से मिलता जुलता है। इसकी गाथा सर्वा ३८ है। चूणिसमत वाचना व वृत्तिसमत वाचना में पाठमेद है। इस अध्ययन के विवेचन के प्रारम्भ में नियुक्तिकार ने 'मार्ग' शब्द का विविध प्रकार से अर्थ किया है एवं मार्ग के अनेक प्रकार बताये हैं, यथा फलकमार्ग (पट्टमार्ग), लतामार्ग, आदोल्कमार्ग

(शाखामार्ग), वेत्रमार्ग रजनुमार्ग, दवनमार्ग (बाहनमार्ग), विलमार्ग, पाशमार्ग, कोलकमार्ग, अजमार्ग, पक्षिमार्ग, छत्रमार्ग, जलमार्ग, आकाशमार्ग । ये सब बाह्यमार्ग हैं । प्रस्तुत अध्ययन में इन मार्गों के विवरण में कुछ नहीं कहा गया है कि तु जिससे आत्मा को समाधि प्राप्त हो—शान्ति मिले उसी मार्ग का विवेचन किया गया है । ऐसा मार्ग जानमार्ग, दर्शनमार्ग, चारिशमार्ग एवं तपोमार्ग कहलाता है । सक्षेप में उसका नाम सयममार्ग अथवा सदाचारमार्ग है । इस पूरे अध्ययन में आहारशुद्धि, सदाचार, सयम, प्राणातिपात्रिमण आदि पर प्रकाश ढाला गया है एवं कहा गया है कि प्राणों की परवाह किये बिना इन सबका पालन करना चाहिए । दानादि प्रवृत्तियों का श्रमण को न सो समर्थन करना चाहिए और न निषेध, क्योंकि यदि वह कहता है कि इस प्रवृत्ति में धर्म है अथवा पृथ्य है तो उसमें होने वाली हिंसा का समर्थन होता है जिसमें प्राणियों की रक्षा नहीं हो पक्षती और यदि वह कहता है कि इस प्रवृत्ति में धर्म नहीं है अथवा पृथ्य नहीं है तो जिसे मृत पहुँचाने के लिए वह प्रवृत्ति की जाती है उसे मुख्यप्राप्ति में अन्तर्गत पहुँचती है जिससे प्राणियों का माट बढ़ता है । ऐसी स्थिति में श्रमण के लिए इस प्रकार की प्रवृत्तियों के प्रति उपेक्षागाम अथवा भीन रूक्षता ही थेष्ठ है ।

समवसरण

बारहवें अध्ययन का नाम समवसरण है । इस अध्ययन में २२ गाण्डार्त हैं । चूर्णिसमत वाचना ॥८ वृत्तिसमत वाचना में पाठभेद है । देवादक्षत समवसरण अथवा समोसरण यहा विवक्षित नहीं है । उसका शब्दार्थ नियुक्तिकार ने सम्मेलन अथवा मिलन अर्थात् एकत्र होना किया है । चूर्णिकार तथा वृत्तिकार ने भी इस अर्थ का समर्थन किया है । यही अर्थ यहा अभीष्ट है । समवसरण नामक प्रस्तुत अध्ययन में विविध प्रकार के मतप्रवर्तकों अथवा भतों का सम्मेलन है । ये मतप्रवर्तक हैं—क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी और विनयवादी । क्रिया को माननेवाले क्रियावादी कहलाते हैं । ये आत्मा, कमफल आदि को मानते हैं । अक्रिया को मानने वाले अक्रियावादी कहलाते हैं । ये आत्मा, कमफल आदि का अस्तित्व नहीं मानते । अज्ञान को माननेवाले अज्ञानवादी कहलाते हैं । ये ज्ञान की उपयोगिता स्वीकार नहीं करते । विनय को माननेवाले विनयवादी कहलाते हैं । ये किसी भी भत को निन्दा नहीं करते अपितु समस्त प्राणियों का विनयपूर्वक आदर करते हैं । विनयवादी लोग गधे से लेकर गाय तक तथा चाहाल से लेकर बाह्यण तक सब स्थलचर, जलचर और खेचर प्राणियों को

नमस्कार करते रहते हैं। यही उनका विनयवाद है। प्रस्तुत अध्ययन में केवल हन चार मतों अर्थात् वादों का ही उल्लेख है। स्थानाग सूत्र में अक्रियावादियों के आठ प्रकार बताए गये हैं एकवादी, अनेकवादी, मितवादी, निर्मितवादी, सुखवादी, समुच्छेदवादी, नियतवादी तथा परलोकाभाववादी।^१ समवायाग में सूत्रकृताग का परिचय देते हुए क्रियावादी आदि मतों के ३६३ भेदों का केवल एक सख्या के रूप में निरूपण कर दिया गया है। ये भेद कौन से हैं, इसके विषय में वहाँ कुछ नहीं कहा है। सूत्रकृताग की नियुक्ति में क्रियावादी के १८०, अक्रियावादी के ८४, अज्ञानवादी के ६७ और विनयवादी के ३२—इस प्रकार कुल ३६३ भेदों की सख्या बताई गई है। ये भेद फिस प्रकार हुए हैं एवं उनके नाम क्या हैं, इसके विषय में नियुक्तिकार ने कोई प्रकाश नहीं ढाला है। चूर्णिकार एवं वृत्तिकार ने इन भेदों की नामपूर्वक गणना की है।

प्रस्तुत अध्ययन के प्रारम्भ में क्रियावाद आदि से सम्बन्धित चार वादियों का नामोल्लेख है। यहाँ पर बताया गया है कि समवसरण चार ही है, अधिक नहीं। द्वितीय गाथा में अज्ञानवाद का निरसन है। सूत्रकार कहते हैं कि अज्ञानवादी वैसे तो कुशल है किन्तु घर्मोपाय के लिए अकुशल है। उनमें विचार करने की प्रवृत्ति का अभाव है। अज्ञानवाद क्या है अर्थात् अज्ञानवादियों की मान्यता का स्वरूप क्या है, इसका स्पष्ट एवं पूर्ण निरूपण न तो सूत्रकार ने किया है, न किसी दीकाकार ने। जैसे सूत्रकार ने निरसन को प्रधानता दी है वैसे ही दीकाकारों ने भी वह शैली अपनाई है। परिणामत बौद्धों तक को अज्ञानवादियों की कोटि में गिना जाने लगा। तीसरी गाथा में विनयवादियों का निरसन है। चौथी गाथा का पूर्वार्थ विनयवाद से सम्बन्धित है एवं उत्तरार्थ अक्रियावाद विषयक है। पाँचवीं गाथा में अक्रियावादियों पर आक्षेप किया गया है कि ये लोग हमारे द्वारा प्रस्तुत तक का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकते, मिथ्यभाषा द्वारा छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, उनमत्त की भाँति बोलते हैं अथवा गूँगे की तरह साफ जबाब नहीं दे सकते। छठी गाथा में इस प्रकार के अक्रियावादियों को सासार में ऋण करने वाला बताया गया है। सातवीं गाथा में अक्रियावाद की मान्यता इस प्रकार बताई है सूर्य उदित नहीं होता, सूर्य अस्त भी नहीं होता, चन्द्रमा बढ़ता नहीं, चन्द्रमा कम भी नहीं होता, नदियाँ पर्वतों से निकलती नहीं, वायु बहता नहीं। इस तरह यह सम्पूर्ण लोक नियन है बध्य है, निष्क्रिय है। ग्यारहवीं गाथा में कहा गया है कि यहाँ जो चार समवसरण अर्थात् वाद बताये गये हैं उनका तथागत

^१ विशेष परिचय के लिए देखिये—स्थानाग-समवायांग (प० दलसुख मालवणिया कृत गुजराती रूपान्नर), पृ ४४८

पुनर्वों अर्थात् तीर्थकरो ने लोक का यथार्थ स्वरूप समझ कर ही प्रतिपादन किया है एवं अन्य वादो का निरसन करते हुए क्रियावाद की प्रतिष्ठा की है। उन्होने बताया है कि जो कुछ दुख—क्रम है वह अन्यकृत नहीं अपितु स्वकृत है एवं 'विज्ञा' अर्थात् ज्ञान तथा 'चरण' अर्थात् चारिश्रूप क्रिया इन दोनों द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इस गाथा में केवल ज्ञान द्वारा अथवा केवल क्रिया द्वारा मुक्ति मानने वालों का निरसन है। आगे की गाथाओं में ससार एवं तदगत आसक्ति का स्वरूप, कर्मनाश का उपाय, रागद्वेषरहितता, ज्ञानी पुरुषों का नेतृत्व, बुद्धत्व अत्तरत्व, सर्वत्र समझाव, मध्यस्थवृत्ति, घर्मप्रलृपणा, क्रियावादप्रलृपकृत्व आदि पर प्रकाश डाला गया है।

याथातथ्य

तेरहवें अध्ययन का नाम आहत्तहिय-याथातथ्य है। इसमें २३ गाथाएँ हैं। याथातथ्य का अथ है यथार्थ-वास्तविक-परमाय-जैसा है वैसा। इस अध्ययन की प्रथम गाथा में ही आहत्तहिय-आघत्तघिज्ज—याथातथ्य शब्द का प्रयोग हुआ है। अध्ययन के नाम से तो ऐसा मालूम होता है कि इसमें किसी व्यापक वस्तु का विवेचन किया गया है किन्तु बात ऐसी नहीं है। इसमें शिष्य के गुण-दोषों की वास्तविक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। शिष्य कैसे विनयी होते हैं व कैसे अविनयी होते हैं, कैसे अभिमानी होते हैं, व कैसे सरल होते हैं, कैसे क्रोधी होते हैं व कैसे शान्त होते हैं, कैसे कपटी होते हैं व। कैसे सरल होते हैं, कैसे लोभी होते हैं व कैसे नि स्पृह रहते हैं—यह सब प्रस्तुत अध्ययन में वर्णित है।

ग्रन्थ अर्थात् परिग्रह

चौदहवें अध्ययन का नाम ग्रन्थ है। नियुक्त आदि के अनुसार ग्रन्थ का सामान्य अथ परिग्रह होता है। ग्रन्थ दो प्रकार का है वाह्यग्रन्थ और आम्यन्तरग्रन्थ। वाह्य ग्रन्थ के मुख्य दस प्रकार हैं—१ क्षेत्र, २ वास्तु, ३ धन धान्य, ४ ज्ञातिजन व मित्र, ५ वाहन, ६ शयन, ७ आसन ८ दासी, ९ दास, १० विविध सामग्री। इन दस प्रकार के वाह्य ग्रन्थों में मूर्छा रखना ही वास्तविक ग्रन्थ है। आम्यन्तर ग्रन्थ के मुख्य चौदह प्रकार हैं—१ क्रोध, २ मान, ३ माया, ४ लोभ, ५ स्नेह, ६ हृष, ७ मिथ्यात्व, ८ कामाचार, ९ सर्वमें अहसि, १० असर्वमें रुचि, ११ विकारो हास्य, १२ शोक, १३ भय, १४ धृणा। जो दोनों प्रकार के ग्रन्थ से रहित है अर्थात् जिन्हें दोनों प्रकार के ग्रन्थ में रुचि नहीं है तथा जो सर्वमार्ग की प्रलृपणा करने वाले आचाराग आदि ग्रन्थों का अध्ययन करने वाले हैं वे शैक्ष अथवा शिष्य कहलाते हैं। शिष्य दो प्रकार के होते हैं दोक्षाशिष्य और शिक्षाशिष्य। दोक्षा देकर

बनाया हुआ जिज्य दीक्षाशिष्य कहलाता है। इसी प्रकार शिक्षा देकर अर्थात् सूत्रादि सिखाकर बनाया हुआ शिष्य शिक्षाशिष्य कहलाता है। आचार्य अर्थात् गुरु के भी शिष्य की ही तरह दो भेद हैं दीक्षा देने वाला गुरु—दीक्षा गुरु और शिक्षा देने वाला गुरु—शिक्षागुरु। प्रस्तुत अध्ययन में यह बताया गया है कि इस प्रकार के गुरु और शिष्य कैसे होने चाहिए, उन्हें कैसी प्रवृत्ति करनी चाहिए, उनके कर्तव्य क्या होने चाहिए? इसमें २७ गायाएँ हैं। अध्ययन की प्रारम्भिक गाथा में हो 'ग्रन्थ' शब्द का प्रयोग है। वीसवीं गाथा में 'ण याऽसियावाय वियागरेज्जा' ऐसा उल्लेख है। इसका अर्थ यह है कि भिक्षु को किसी को आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। यहाँ 'आशिष्' शब्द का प्राकृत रूप 'आसिया' अथवा 'आसिआ' हुआ है, जैसे 'सरित्' शब्द का प्राकृतरूप 'सरिया' अथवा 'सरिमा' होता है। आचार्य हेमचन्द्र ने इसके लिए स्पष्ट नियम बनाया है जो स्त्रियाम् आत् अविद्युत्' (८११५) सूत्र से प्रकट होता है। ऐसा होते हुए भी कुछ विद्वान् इसका अर्थ यो करते हैं कि भिक्षु को अस्याद्वादयुक्त वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह ठोक नहीं। प्रस्तुत गाथा में स्याद्वाद अथवा अस्याद्वाद का कोई उल्लेख नहीं है और न वहा इस प्रकार का कोई प्रसग ही है। वृत्तिकार ने भी इसका अर्थ आशीर्वाद के निवेद के रूप में हो किया है।

आदान अथवा आदानाय

पद्महर्वे अध्ययन के तीन नाम हैं आदान अथवा आदानीय, सकलिका अथवा शृखला और जमतीत अथवा यमकीय। नियुक्तिकार का कथन है कि इस अध्ययन की गाथाओं में जो पद पहली गाथा के अत में आता है वही दूसरी गाथा के आदि में आता है अर्थात् जिस पद का आदान प्रथम पद के अन्त में है उसी का आदान द्वितीय पद के प्रारम्भ में है अतएव इसका नाम आदान अथवा आदानीय है। वृत्तिकार कहते हैं कि कुछ लोग इस अध्ययन को सकलिका नाम से पुकारते हैं। इसके प्रथम पद का अन्तिम वचन एवं द्वितीय पद का आदि वचन शृखला की भाँति जुड़े हुए हैं अर्थात् उन दोनों की कटिंग एक समान है अतएव इसका नाम सकलिका अथवा शृखला है। अध्ययन का आदि शब्द जमतीत—ज अतीत है अत इसका नाम जमतीत है। अथवा इस अध्ययन में यमक अलकार का प्रयोग हुआ है अत इसका नाम यमकीय है जिसका आपरप्राकृतरूप जमईय है। नियुक्तिकार ने इसका नाम आदान अथवा आदानीय बताया है। दूसरे दो नाम वृत्तिकार ने बताये हैं।

इस अध्ययन में विवेक की दुलभता, सयम के सुपरिणाम, भगवान् महावीर अथवा वीतराग प्रृष्ठ का स्वभाव, सयमी मनुष्य की जीवनपद्धति आदि का

निरूपण है। इसमें विशेष नाम अर्थात् व्यवित्रबाचक नाम के रूप में तीन बार 'महावीर' शब्द का उत्था एक बार 'काश्यप' शब्द का उल्लेख है। यह 'काश्यप' शब्द भी भगवान् महावीर का ही सूचक है। इसमें २५ गाथाएँ हैं। अन्य अध्ययनों की भाँति इसमें भी चूर्णिसमत एवं वृत्तिसमत वाचना में भेद है।

गाथा

सोलहवें अध्ययन का नाम गाहा—गाथा है। यह प्रथम श्रुतस्कन्ध का अन्तिम अध्ययन है। गाथा का अर्थ बताते हुए नियुक्तिकार कहते हैं कि जिसका भव्यता से गान किया जा सके वह गाथा है। अथवा जिसमें बहुत अर्थसमुदाय एकत्र कर समाविष्ट किया गया हो वह गाथा है। अथवा पूर्वोक्त पद्धति अध्ययनों को विष्ट्रित कर प्रस्तुत अध्ययन में समाविष्ट किया गया है इसलिए भी इसका नाम गाथा है।

नियुक्तिकार ने ऊपर सामुद्र छद का जो नाम दिया है उसका लक्षण छदो-नुशासन के छठे अध्याय में इस प्रकार बताया गया है औजे सप्त समे नव सामुद्रकम्। यह लक्षण प्रस्तुत अध्ययन पर लागू नहीं होता अत इस विषय में विशेष शोष नी आवश्यकता है। वृत्तिकार ने इस छद के विषय में इतना ही लिखा है कि 'तच्चेदं छन्दं—अनिवद्धं च यत् लोके गाथा इति तत्पाण्डतै प्रोक्तम्' अर्थात् जो अनिवद्ध है—छदोवद्ध नहीं है उसे सासार में पढ़ितो ने 'गाथा' नाम दिया है। इससे मालूम होता है कि यह अध्ययन किसी प्रकार के पद्धति में नहीं है फिर भी गाथा जा सकता है अतएव इसका नाम गाथा रखा गया है।

आत्माण, श्रमण, मिक्षु व नियन्त्य

इम अध्ययन में बताया गया है कि जो समस्त पापकर्म से विरत है, राग-द्वेष-कलह-अम्याद्यान पैशुन्य परनिन्दा-अरति रति मायामृपावाद मिद्यादर्शनशल्य से रहित है, समितियुक्त है, ज्ञानादिगुण सहित है, सर्वदा प्रयत्नशील है, क्रोध नहीं करता, अहकार नहीं रखता वह आत्माण है। इसी प्रकार जो अनासन्क है, निदान रहित है, कपायमुक्त है, हिंसा असत्य-चहिदा (अग्रहाचर्य-परिग्रह) रहित है वह श्रमण है। जो अभिमानरहित है, विनयसम्पन्न है, परिग्रह एवं उपसर्गों पर विजय प्राप्त करने वाला है, आध्यात्मिक वृत्तियुक्त है, परदत्तभोजी है वह मिक्षु है। जो ग्रथरहित है—परिग्रहादिरहित एकाकी है, एकविदु है—केवल आत्मा का ही जानकार है, पूजा सत्कार का अर्थी नहीं है वह नियन्त्य है। इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन में आत्माण, श्रमण, मिक्षु एवं नियन्त्य का स्वरूप बताया गया है। यहीं समस्त अध्ययनों का सार है।

सात महाअध्ययन

द्वितीय श्रुतस्कन्ध के सात अध्ययन हैं। नियुक्तिकार ने इन सात अध्ययनों को महाअध्ययन कहा है। वृत्तिकार ने इन्हे महाअध्ययन कहने का कारण बताते हुए लिखा है कि प्रथम श्रुतस्कन्ध में जो वातें संशोध में कही गई हैं वे ही इन अध्ययनों में विस्तार में बताई गई हैं अतः इन्हे महाअध्ययन कहा गया है। इन सात अध्ययनों के नाम ये हैं १ पुण्डरीक, २ क्रियास्थान, ३ आहारपरिज्ञा, ४ प्रत्याख्यानक्रिया, ५ आचारअत अथवा अनगारश्रुत, ६ आद्रकीय, ७ नालदीय। इनमें मेरे आचारश्रुत व आद्रकीय ये दो अध्ययन पद्धतिरूप हैं, शेष पाँच गद्यरूप। केवल आहारपरिज्ञा में चारेक पद्धति आते हैं, बाकी का सारा अध्ययन गद्यरूप है।

पुण्डरीक

जिस प्रकार प्रथम श्रुतस्कन्ध के प्रथम अध्ययन में भतवादी, तज्जीवतच्छरीग-वादी, आत्मषष्ठवादी, ईश्वरवादी, नियतिवादी आदिवादियों के मतों का उल्लेख है उसी प्रकार द्वितीय श्रुतस्कन्ध के पुण्डरीक नामक प्रथम अध्ययन में इन वादियों में मेरे कुछ वादियों के मतों की चर्चा है। पुण्डरीक का अर्थ है सौ पुण्ड्रियों वाला उत्तम श्वेत कमल। प्रस्तुत अध्ययन में पुण्डराक के रूपक की कल्पना की गई है एवं उस रूपक का भावार्थ समझाया गया है। रूपक इस प्रकार है एक विशाल पुण्डरिणी है। उसमें चारों ओर सुन्दर-सुन्दर कमल खिले हुए हैं। उसके छीक मध्य में एक पुण्डरीक खिला हुआ है। वहाँ पूर्व दिशा से एक पुरुष आया और उसने इस पुण्डरीक को देखा। देखकर वह कहने लगा—मैं क्षेत्रज्ञ (अथवा खेदज) हूँ, कुशल हूँ, पठित हूँ, व्यक्त हूँ, मेघावी हूँ, अबाल हूँ, मार्गस्थ हूँ, मार्गविद् हूँ एवं मार्ग पर पहुँचने के गतिविधियों का भी ज्ञाता हूँ। मैं इस उत्तम कमल को तोड़ सकूँगा। यो कहते-कहते वह पुण्डरिणी में उत्तरा एवं द्यो द्यो आगे बढ़ने लगा त्यो-त्यो गहरा पानी एवं भारी कीचड़ आने लगा। परिणामत वह किनारे से दूर कीचड़ में फैस गया और न इस ओर बापस आ सका, न उस ओर जा सका। इसी प्रकार पश्चिम, उत्तर व दक्षिण से आये हुए तीन और पुरुष उस कीचड़ में फैसे। इतने में एक सयमी नि स्पृह एवं कुशल भिक्षु वहाँ आ पहुँचा। उसने उन चारों पुरुषों को पुण्डरिणी में फैसा हुआ देखा और सोचा कि ये लोग अकुशल, अपठित एवं अमेघावी मालूम होते हैं। इस प्रकार कही कमल प्राप्त किया जा सकता है? मैं इस कमल को प्राप्त कूँगा। यो सोच कर वह पानी में न उत्तरते हुए किनारे पर खड़ा रह कर

ही कहने लगा—हे उत्तम बमल ! मेरे पास उठ आ, मेरे पास उढ आ । यो कहने हो थे बमल यहाँ ने उठा—भिक्षु के पास ला गया ।

इस रूप का प्रथमांश—मार बताते हए सूरक्षार इसे है कि यह समार पुष्टिविज्ञों के समान है । इसमें ११ स्पष्ट पाठों का सामान्यस्पष्ट शीक्षण भगवान्बाहे । अनेक उत्तरापद याग दोष फैले हुए बगले के समान हैं । सध्य ए रहा हुआ पुष्टिविज्ञों के समान है । पुष्टिविज्ञों में प्रशिष्ट होने पाने जागे पुष्ट सम्बन्ध स्त्रियों के समान है । बुद्धम भिक्षु एवं स्पष्ट हैं, विनाश धर्मतोषस्पष्ट हैं, भिक्षु द्वारा उच्चारित शब्द धर्मसमाप्त हैं एवं पुष्टिविज्ञों का उठाना विधिन के समान है ।

उपर्युक्त धारा पुराण में मे प्रथम पूर्ण सृष्टियतन्त्रग्रन्थादी । उसके मत में दारी—ओर जीव एवं एवं है—नभिन्न है । यह आत्मवाद है । इसका दूसरा नाम तान्त्रिकवाद नहीं है । अन्तर अध्ययन ए द्वय या एवं वर्णन है । यह वर्णन दीर्घनिकाय के सामन्तर्यात् त्रुति में लान याने भगवान् बुद्ध के मारकालोन अग्नितंडिभवद्य ए उच्छ्रेद्यवाद ए वर्णन में इष्टम भिन्न है । इतना ही नहीं, इनके बाब्दों में भी समानांग दृष्टिगोदर होता है ।

दूसरा पूर्ण प्रथमस्तवादी है । उसके मत में पाप एवं गुण ही यथार्थ है जिनम जीव की उत्त्वति होती है । तजोवृत्तचतुर्गीरवाद एवं प्रथमस्तवाद में अन्तर यह है कि प्रथम के मत ए दारी—ओ—जीव एवं ही ही अधर्मी दोनों में कोई भेद ही नहीं है जद्युपि दूसरे ए मत में जीव की उत्त्वति पात्र गणाभृता के सम्मिश्रण से दारीर के बनने पर होती है एवं दारीर के नष्ट होने के साथ जीव का भी नाश हो जाता है । पञ्चमूर्त्यादी की वर्चा में आ-प्रथमस्तवादी में मत का भी उल्लेख किया गया है । जा पांच भूतों एवं अतिरिक्त छठे आत्मतत्त्व की भी मत्ता स्वीकार यरसा है यह आत्मपञ्चादी है । यृत्तिकार ने इस बादों को सास्य का नाम दिया है ।

तृतीय पूर्ण ईद्वरकारणवादी है । उसके मत में यह स्लोक ईद्वरण्त है अर्थात् समार पा कारण ईद्वरण है ।

चतुर्थ पूर्ण नियतियादी है । नियतियाद पा स्वस्पष्ट प्रथम शुतस्पन्द के प्रथम अध्ययन के द्वितीय उद्देशक की प्रथम तीन गाथाओं में वराया गया है । उसके अनुसार जगत की मारी क्रिया नियत है—अपरियतनीय है । जो क्रिया जिस स्पष्ट में नियत है वह उसी स्पष्ट में पूरी होगी । उसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता ।

अन्त में आने वाला भिक्षु इन चारों पुराणा में भिन्न प्रकार का है । वह सप्तार को असार समझ कर भिक्षु बना है एवं धर्म का वास्तविक स्वस्पष्ट समझ कर

त्यागधर्म का उपदेश देता है जिसमे निर्वाण को प्राप्ति होती है। यह धम जिन प्रणोन हैं, जीन गागकथित हैं। जो अनामकत हैं, नि सूह हैं, अहिंसादि को जीवन मे पूतरुरा दने वाले हैं वे निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। इससे विपरीत आचरण वाले भोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। यही प्रथम अध्ययन का सार है। इस अध्ययन के कुछ वाक्य एवं गव्वद आचाराग के वाक्यो एवं शब्दो से मिलते जुलते हैं।

क्रियास्थान

क्रियास्थान नामक द्वितीय अध्ययन मे विविध क्रियास्थानों का परिचय दिया गया है। क्रियास्थान का अर्थ है प्रवृत्ति का निमित्त। विविध प्रकार की प्रवृत्तियों के विविध कारण होते हैं। इन्हीं कारणों को प्रवृत्तिनिमित्त अथवा क्रियास्थान कहते हैं। इन क्रियास्थानों के विषय मे प्रस्तुत अध्ययन मे पर्याप्त प्रकाश ढाला गया है। क्रियास्थान प्रधानतया दो प्रकार के हैं धर्मक्रियास्थान और अधर्मक्रियास्थान। अधर्मक्रियास्थान के बारह प्रकार हैं—

१ अर्थदण्ड, २ अनथदण्ड, ३ हिंसादण्ड, ४ अकस्मात्दण्ड, ५ दृष्टिविपर्यासदण्ड, ६ मृप्राप्रत्ययदण्ड, ७ अदत्तादानप्रत्ययदण्ड, ८ अध्यात्मप्रत्ययदण्ड, ९ मानप्रत्ययदण्ड, १० मित्रदोपप्रत्ययदण्ड, ११ मायाप्रत्ययदण्ड, १२ लोभप्रत्ययदण्ड। धर्मक्रियास्थान मे धर्महेतुक प्रवृत्ति का समावेश होता है। इस प्रकार १२ अधर्मक्रियास्थान एवं १ धर्मक्रियास्थान इन १३ क्रियास्थानों का निरूपण प्रस्तुत अध्ययन का विषय है।

१. हिंसा आदि दूषणयुक्त जो प्रवृत्ति किसी प्रयोजन के लिए की जाती है वह अर्थदण्ड है। इसमे अपनी जाति, कुटुम्ब, मित्र आदि के लिए की जाने वाली व्रत अथवा स्थावर जीवों को हिंसा का समावेश होता है।

२. विना किसी प्रयोजन के केवल आदत के कारण अथवा मनोरजन के हेतु की जानेवालो हिंसादि दूषणयुक्त प्रवृत्ति अर्थदण्ड है।

३. अमुक प्राणियों ने मुझे अथवा मेरे किसी सम्बन्धी को मारा था, मारा है अथवा मारने वाला है—ऐसा समझ कर जो मनुष्य उन्हें मारने की प्रवृत्ति करता है वह हिंसादण्ड का भागी होता है।

४. मृगादि को मारने की भावना से बाण आदि छोड़ने पर अकस्मात् किसी अन्य पक्षी आदि का वज्र होने का नाम अकस्मात्दण्ड है।

५. दृष्टि मे विपरीतता होने पर मित्र आदि को अमित्र आदि की बुद्धि से मार देने का नाम दृष्टिविपर्यासदण्ड है।

६. अपने लिए, अपने कुटुम्ब के लिए अथवा अन्य किसी के लिए क्षूर

बोलना, झूठ बुलाना और झूठ बोलने वाले का समर्थन करना मृणप्रत्ययदण्ड है।

७ इसी प्रकार चोरी करना, फरवाना अथवा करने वाले का समर्थन करना अदत्तादानप्रत्ययदण्ड है।

८ हमेशा चिन्ता में झूंचे रहना, उदास रहना, भयभीत रहना, सकल्पविकल्प में मरन रहना अध्यात्मप्रत्ययदण्ड है। इस प्रकार के मनुष्य के मन में क्रोधादि कायायों को प्रवृत्ति चलती ही रहती है।

९ जातिमद, कुलमद, बलमद, स्वप्नमद, ज्ञानमद, लाभमद, ऐश्वर्यमद, प्रशान्मद आदि के कारण दूमरो को हीन समझना मानप्रत्ययदण्ड है।

१० अपने साथ रहने वाले में से किनी का जरा-सा भी अपराध होने पर उसे भारी दण्ड देना मिश्रदोषप्रत्ययदण्ड है। इस प्रकार का दण्ड देने वाला महापाप का भागी होता है।

११ कपटपूर्वक अनर्थकारी प्रवृत्ति करने वाले भायाप्रत्ययदण्ड के भागी होने हैं।

१२ लोभ के कारण हिंसक प्रवृत्ति में फँसने वाले लोभप्रत्ययदण्ड का उपाजन करते हैं। ऐसे लोग इस लोक व परलोक दोनों में दुखी होते हैं।

१३ तेरहवाँ क्रियास्थान धर्महेतुकप्रवृत्ति का है। जो इस प्रकार की प्रवृत्ति धीरेन्धीरे बढ़ाते हैं वे यतनापूर्वक ममस्त प्रवृत्ति करने वाले, जितेन्द्रिय, अपरिही पचसमिति एव त्रिगुप्तियुक्त होते हैं एव अन्ततोगत्वा निर्णाण प्राप्त करते हैं। इस प्रकार निर्णाण के इच्छुकों के लिए यह तेरहवाँ क्रियास्थान आचरणीय है। शुरू के बारह क्रियास्थान हिंमापूर्ण है। इनमें साधक को दूर रहना चाहिए।

बीढ़ दृष्टि से हिंमा ।

बीढ़ परम्परा में हिंसक प्रवृत्ति की परिभाषा भिन्न प्रकार की है। वे ऐसा मानते हैं कि निम्नोक्त पांच अवस्थाओं की उपस्थिति में ही हिंसा हुई कही जा सकती है, एव इसी प्रकार की हिंसा कर्मवन्धन का कारण होती है —

१ मारा जाने वाला प्राणी होना चाहिए ।

२ मारने वाले को 'यह प्राणी ह' ऐसा स्पष्ट भान होना चाहिए ।

३ मारने वाला यह समझता हुआ होना चाहिए कि 'मैं इसे मार रहा हूँ' ।

४ साथ हीं शारीरिक क्रिया होनी चाहिए ।

५ शारीरिक क्रिया के साथ प्राणी का वघ भी होना चाहिए ।

इन शर्तों को देखते हुए बीढ़ परम्परा में अकस्मात्-दण्ड, अनर्थदण्ड वर्गरह हिंसात्मन नहीं गिने जा सकते। जैन परिभाषा के अनुसार राग-द्वेषजन्य प्रत्येक

प्रकार की प्रवृत्ति हिषाक्ष होती है जो वत्ति अर्थात् भावना की तीव्रता-मदता के अनुसार कर्मवध ना कारण बनती है।

प्रमगवशाल सूत्रकार ने अष्टागनिमित्तो एव अगविन्ना आदि विविध विद्याओं का भी उल्लेख किया है। दीघनिकाय के सामन्यकलमुत्त में भी अगविद्या, उत्पातविद्या, स्वभविद्या आदि के लक्षणों का इसी प्रकार उल्लेख है।

आहारपरिज्ञा

आहारपरिज्ञा नामक तृतीय अध्ययन में समस्त स्थावर एव त्रैम प्राणियों के जन्म तथा आहार के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन है। इस अध्ययन का प्रारम्भ बीजकायो—अग्रवीज, मूलवीज, पववीज एव म्कन्धवीज—के आहार की चर्चा में होता है।

पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और वस्तुति स्थावर हैं। पशु, पक्षी, कीट, पतंग त्रैम हैं। मनुष्य भी त्रैम है। मनुष्य की उत्पत्ति कसे होती है, इसका निरूपण भी प्रस्तुत अध्ययन में है। मनुष्य के आहार के विषय में इस अध्ययन में यो वत्ताया गया है ओयण कुम्भाम तसथावरे य पाणे अर्थात् मनुष्य का आहार ओदन, कुलमाप एव त्रैम व स्थावर प्राणी है। इस सम्पूर्ण अध्ययन में सूत्रकार ने देव अथवा नारक के आहार की कोई चर्चा नहीं की है। नियुक्ति एव वृत्ति में एतद्विषयक चर्चा है। उनमें आहार के तीन प्रकार बताये गये हैं ओजआहार रोमआहार और प्रक्षेपआहार। जहाँ तक दृश्य शरीर उत्पन्न न हो वहाँ तक तैजस एव कार्मण शरीर द्वारा जो आहार ग्रहण किया जाता है वह ओजआहार है। अन्य आचार्यों के मत से जब तक इन्द्रियाँ श्वासोच्छ्वास, मन आदि का निर्माण न हुआ हो तब तक केवल शरीरपिण्ड द्वारा जो आहार ग्रहण किया जाता है वह ओजआहार कहलाता है। रोमकूप-द्वारा चमड़ी द्वारा गृहीत आहार का नाम रोमाहार है। कवल द्वारा होने वाला आहार प्रक्षेपाहार है। देवो व नारकों का आहार रोमाहार अथवा लोमाहार कहलाता है। यह निरन्तर चालू रहता है। इस विषय में अन्य आचार्यों का मत यह है—जो स्थूल पदाथ जिह्वा द्वारा इस शरीर में पहुँचाया जाता है वह प्रक्षेपाहार है। जो नाक, आँख, कान द्वारा ग्रहण किया जाता है एव धातुरूप से परिणत होता है वह ओजआहार है तथा जो केवल चमड़ी द्वारा ग्रहण किया जाता है वह रोमाहार—लोमाहार है।

बौद्ध परम्परा में आहार का एक प्रकार कवलीकार आहार माना गया है जो गन्ध, रस एव स्पष्टरूप है। इसके अतिरिक्त स्पर्शआहार, मनस्सचेतना एव विज्ञानरूप तीन प्रकार के आहार और माने गये हैं। कवलीकार आहार दो प्रकार का है। ओदारिक—स्थूल आहार और सूक्ष्म आहार। जन्मान्तर प्राप्त करते

सूक्ष्मताग

समय गति में रहे हुए जीवों का आहार सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म प्राणियों का आहार भी सूक्ष्म हो हावा है। कामादि तोन घातुओं में स्पर्श, मनस्सचेतना एवं विज्ञानरूप आहार है।^१

आहारपरिज्ञा नाम स्वस्त्रुत अध्ययन में यह स्पष्ट बताया गया है कि जीव की हिंसा किये दिना आहार भी प्राप्ति अद्यगत है। समस्त प्राणियों की उत्पत्ति एवं आहार को दृष्टि में रखने हुए यह बात आमानी ग फलित की जा सकती है। इस अध्ययन के अन्त में मगमपूर्वक आहार प्राप्त करने के प्रयास पर भार दिया गया है जिससे जीवहिंसा रूप से कम हो।

प्रत्यास्थान

चतुर्थ अध्ययन का नाम प्रत्यास्थानक्रिया है। प्रत्यास्थान का अर्थ है अहिंसादि मूलगुणों एवं मामायिकादि उत्तरगुणों के आचरण में वायक मिल होने वाली प्रवृत्तियों का वयाकारित त्याग। प्रस्तुत अध्ययन में इस प्रकार की प्रत्यास्थानक्रिया के सम्बन्ध में निम्नलिखित हैं। यह प्रत्यास्थानक्रिया निरवद्यानुष्ठानरूप होने के कारण आत्मशुद्धि के लिए वायक है। इससे विपरीत अप्रत्यास्थानक्रिया सावद्यानुष्ठानरूप होने के कारण आत्मशुद्धि के लिए वायक है। प्रत्यास्थान न करने वाले को भगवान् न अमर्यत, अविरत, पापक्रिया अमवृत वाल एवं सुप्त कहा है। ऐसा पुनर्प विवेकहीन होने के कारण सतत एवं सम्बन्ध करता रहता है। यत्पि इस अध्ययन का प्रारम्भ भी पिछले अध्ययनों की ही भाँति 'हे आयुष्मन् !' मैंने सुना है कि भगवान् ने यो कहा है' इसमें होता है तथापि यह अध्ययन भवादरूप है। इसमें एक पूर्वपक्षी अथवा प्रेरण शिष्य है और दूसरा उत्तरपक्षी अथवा समाधानकर्ता आचार्य है। इस अध्ययन का सार यह है कि जो आत्मा पट्टकाय के जीवों के वध के त्याग की वृत्तिवाली नहीं है तभा जिसने उन जीवों को किसी भी समय मार देने की छूट ले रखी है वह आत्मा इन छहों प्रकार के जीवों के साथ अनिवार्यतया यिन्द्रवत् व्यवहार करने की वृत्ति से वधा हुआ नहीं है। वह जब चाहे, जिस किमी का वध कर सकता है। उसके लिए पापकर्म के वर्णन की निरन्तर सावधान रहती है और किमी सीधा तक वह नित्य पापकर्म वायता भी रहता है क्योंकि प्रत्यास्थान के अभाव में उसकी भावना सदा सावधानुष्ठानरूप रहती है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए सूक्ष्मकार ने एक सुन्दर चिदाहरण दिया है। एक व्यक्तित वधक है—वध करने वाला है। उसने यह सोचा कि अमुक गृहस्थ, गृहस्थपुत्र, राजा अथवा राजपुरुष की हत्या करनी है। अभी थोड़ी देर सो जाऊ और फिर उसके घर में घुस कर मौका पाते ही उसका काम

^१ देखिये—अभिधर्मकोश, तृतीय कोशस्थान, श्लो० ३८-४४

तमाम कर दूगा । ऐसा सोचने वाला सोया हुआ हो अथवा जगता हुआ, चलता हुआ हो अथवा बैठा हुआ, निरन्तर उसके मन में हृत्या की भावना बनी ही रहती है । वह किसी भी समय अपनी हृत्या की भावना को क्रियारूप में परिणत कर सकता है । अपनी इस दुष्ट मनोवृत्ति के कारण वह प्रतिक्षण कर्मबन्ध करता रहता है । इसी प्रकार जो जीव मर्वंधा सयमहीन है, प्रत्याख्यान रहत है वे समस्त पद्जीवनिकाय के प्रति हिंसक भावना रखने के कारण निरन्तर कर्मबन्ध करते रहते हैं । अतएव सयमी के लिंग सावश्योग का प्रत्याख्यान आवश्यक है । जिनमें अश में सावद्वृत्ति का त्याग किया जाता है उतने ही अश में पापकर्म का बन्धन रुकता है । यही प्रत्याख्यान की उपयोगिता है । असर्थत एवं अविरत के लिए अमर्यादित मनोवृत्ति के कारण पाप के समस्त द्वारा खुले रहते हैं अत उसके लिए सर्वप्रकार के पापबन्ध की सभावना रहती है । इस सभावना को अल्प अथवा भर्यादित करने के लिए प्रत्याख्यानरूप क्रिया की आवश्यकता है ।

प्रस्तुत अध्ययन की वृत्ति में वृत्तिकार ने नागाजुनीय वाचना का पाठान्तर दिया है । यह पाठान्तर माथुरी वाचना के मूल पाठ की अपेक्षा अधिक विशद एवं सुबोध है ।

आचारश्रुत

पांचवें अध्ययन के दो नाम हैं आचारश्रुत व अनाचारश्रुत । नियुक्तिकार ने इन दोनों नामों का उल्लेख किया है । यह सम्पूर्ण अध्ययन पद्धमय है । इसमें ३३ गाथाए हैं । नियुक्तिकार के कथनानुसार इस अध्ययन का सार 'अनाचारों का त्याग करना' है । जब तक साधक को आचार का पूरा ज्ञान नहीं होता तब तक वह उसका सम्पूर्णतया पालन नहीं कर सकता । अबहुश्रुत साधक को आचार-अनाचार के भेद का पता कैसे लग सकता है ? इस प्रकार के मुमुक्षु द्वारा आचार की विरावना होने को बहुत सभावना रहती है । अत आचार की सम्पूर्णरावना के लिए साधक को बहुश्रुत होना आवश्यक है ।

प्रस्तुत अध्ययन की प्रथम ग्यारह गाथाओं में अ पुक प्रकार के एकान्तवाद को अनाचरणीय बताते हुए उसका निषेध किया गया है । आगे लोक नहीं है, अलोक नहीं है, जीव नहीं है, अजीव नहीं है, धर्म नहीं है, अधर्म नहीं है, बृष नहीं है, मोक्ष नहीं है, पुण्य नहीं है, पाप नहीं है, आक्षव नहीं है, सवर नहीं है, वेदना नहीं है, निजंरा नहीं है, क्रिया नहीं है, अक्रिया नहीं है, क्रोध-मान-माया-लोभ राग-द्वेष ससार-देव-देवा-सिद्धि-असिद्धि नहीं है, साधु-असाधु-कल्याण-अकल्याण नहीं है—इत्यादि मान्यताओं को अनाचरणीय बताते हुए लोकादि के अस्तित्व पर श्रद्धा रखने एवं तदनुरूप आचरण करने के लिए कहा गया है ।

अन्तिम कुछ गाथाओं में अनगार को अमृक प्रकार की भाषा न बोलने का उपदेश दिया गया है।

आद्र्कुमार

आद्र्कीय नामक छठा अध्ययन भी पूरा पद्धति है। इसमें कुल ५५ गाथाएँ हैं। अध्ययन के प्रारम्भ में ही 'पुराकड़ अहृ। इम सुणेह' अर्थात् 'हे आद्र! तू इस पूर्वजृत को मुन' इम प्रकार आद्र को सबोधित किया गया है। इससे यह प्रकट होता है कि इस अध्ययन में चर्चित वाद विवाद का सम्बन्ध 'आद्र' के साथ है। नियुक्तिकार ने इस आद्र को आद्रनामक नगर का राजकुमार बताया है। यह राजा श्रेणिक के पुत्र अभयकुमार का भिन्न था। अनुश्रुति यह है कि आद्रपुर अनार्यदेश में था। कुछ लोगों ने सो 'अह-आद्र' वाद की तुलना 'भेड़न' के साथ भी की है। आद्रपुर के राजा और मगधराज श्रेणिक के बीच स्नेहसम्बन्ध था। इसलिए अभयकुमार से भी आद्रकुमार का परिचय हुआ। नियुक्तिकार ने लिखा है कि अभयकुमार ने अपने भिन्न आद्रकुमार के लिए जिन भगवान् की प्रतिमा भेट भेजी थी। इसमें उसे बोध हुआ और वह अभयकुमार से मिलने के लिए उत्सुक हुआ। पूर्वजन्म का ज्ञान होने के कारण आद्रकुमार का मन कामभोगों से विरक्त हो गया और उसने अपने देश से भागकर स्वयमेव प्रव्रज्या ग्रहण कर ली। सयोगवशात् उसे एक बार साधुवेश छोड़कर गृहस्थधर्म में प्रविष्ट होना पड़ा। पुन साधुवेश स्वीकार कर वह जहाँ भगवान् महावीर उपदेश दे रहे थे, वहाँ जाने के लिए निकला। मार्ग में उसे गोशालक के अनुयायी भिक्षु, वौद्धभिक्षु, ग्रहावती (विद्यषी), हस्तितापस आदि मिले। आद्रकुमार व इन भिक्षुओं के बीच जो वाद-विवाद हुआ वही प्रस्तुत अध्ययन में वर्णित है।

इस अध्ययन की प्रारम्भिक पचीस गाथाओं में आद्रकुमार का गोशालक के भिक्षुओं के साथ वाद-विवाद है। इसमें इन भिक्षुओं ने भगवान् महावीर की बुराई की है और बताया है कि यह महावीर पहले तो त्यागी था, एकान्त में रहता था, प्रायः मौन रखता था किन्तु अब आराम में रहता है, सभा में बैठता है, मौन का सेवन नहीं करता। इस प्रकार के और भी आक्षेप इन भिक्षुओं ने भगवान् महावीर पर लगाये हैं। आद्रमुनि ने इन तमाम आक्षेपों का उत्तर दिया है। इस वाद-विवाद के मूल में कहीं भी गोशालक का नाम नहीं है। नियुक्तिकार एवं वृत्तिकार ने इसका सम्बन्ध गोशालक के साथ जोड़ा है। इस वाद-विवाद को पढ़ने से यह मालूम पहता है कि पूर्वपक्षी महावीर का पूरी तरह से परिचित व्यक्ति होना चाहिए। यह व्यक्ति गोशालक के सिवाय दूसरा कोई

नहीं हो सकता। इसीलिए इस वाद-विवाद का सम्बन्ध गोशालक के अनुयायी भिक्षुओं के साथ जोड़ा गया है जो उचित ही है। आगे बोधभिक्षुओं के साथ वाद विवाद है। इसमें तो बुद्ध शब्द ही आया है। साथ ही बोधपरिभाषा के पदों का प्रयोग भी हुआ है। यह वाद-विवाद बयालीसवीं गाया तक है। इसके बाद ब्रह्मन्ती (त्रिदण्डी) का वाद-विवाद आता है। यह इकावनवीं गाया तक है अन्तिम चार गायाओं में हस्तितापम का वाद विवाद है। ब्रह्मन्ती को नियुक्तिकार ने त्रिदण्डी कहा है जब कि वृत्तिकार ने एकदण्डी भी कहा है। त्रिदण्डी हो अथवा एकदण्डी सभी ब्रह्मन्ती वेदवादी हैं। इन्होने आहंतमत को वेदवाह्य होने के कारण अपाह्य माना है। हस्तितापम सम्प्रदाय का समावेश प्रथम श्रुत्यक्त्वान्तर्गत कुशील नामक सातवें अध्ययन में वर्णित अस्यमियों में होता है। इस सम्प्रदाय के मतानुसार प्रतिदिन खाने के लिए अनेक जीवों की हिमा करने के बजाय एक बड़े हाथी को मारकर उसे पूरे वर्ष तक खाना अच्छा है। ये तापस इसी प्रकार अपना जीवन-निर्वाह करते थे अत इनका 'हस्तितापस' नाम प्रभिद्ध हुआ।

नालदा

सातवें अध्ययन का नाम नालदीय है। यह सूत्रकृताग का अन्तिम अध्ययन है। राजगृह के बाहर उत्तर-पूर्व अर्थात् ईशानकोण में स्थित नालदा की प्रसिद्धि जितनी जैन आगमों में है उत्तनी ही बौद्ध पिटकों में भी है। नियुक्तिकार ने 'नालदा' पद का अर्थ बताते हुए कहा है कि न + अल + दा इस प्रकार तीन शब्दों से बनने वाला नालदा नाम स्वर्णिलग का है। दा अर्थात् देना—दान देना, न अर्थात् नहीं और अल अर्थात् वस। इन तीनों अर्थों का संयोग करने पर जो अर्थ निकलता है वह यह है कि जहाँ पर दान देने की बात पर किसी की ओर से वस नहीं है—ना नहीं है अर्थात् जिस जगह दान देने के लिए कोई मना नहीं करता उस जगह का नाम नालदा है। लैने वाला चाहे श्रमण हो अथवा ब्राह्मण, आजीवक हो अथवा परिद्राजक सबके लिए यहाँ दान सुलभ है। किसी के लिए किसी की मनाही नहीं है। कहा जाता है कि राजा श्रेणिक तथा अन्य बड़े-बड़े सामत सेठ आदि नरेन्द्र यहाँ रहते थे अत इसका नाम 'नारेन्द्र' प्रसिद्ध हुआ। मागधी उच्चारण की प्रक्रिया के अनुमान 'नारेन्द्र' का 'नालेन्द्र' और बाद में हस्त होने पर नालिद तथा 'इ' का 'अ' होने पर नालद होना स्वाभाविक है। नालदा की यह व्युत्पत्ति विशेष उपयुक्त मालूम होती है।

उदक पेढालपुत्त

नालदा में लेव नामक एक उदार एवं विश्वासपात्र गृहस्थ रहता था। वह जैनपरम्परा एवं जैनधर्म का असाधारण श्रद्धालु था। उसके परिचय के लिए सूत्र

में अनेक विदोषण प्रयुक्त हुए हैं। यह जैन अमणोपासक होने के कारण जैन-वैद्यज्ञान से पूर्ण परिचित था एवं सत्तियवाच सारो वात तिरियताया समझता था। उच्चा द्वार दान के लिए हमेशा तुला नहीं पा। उसे राजा के बन्त पूर में भी जानेजाने को छूट थी अर्थात् वह इतना विश्वासपाद था कि राजभडार में सो द्वया राजियों के नियानस्पाद में भी उम्रका प्रयेता अनुमत था।

नालदा के ईशानरोप में सेवदारा निर्माणित सेवदध्या—सेवदध्या नामक एक विशाल उद्धरणाला—प्याठ थी। सेवदध्या का अर्थ बताते हुए पृत्तिकार ने लिखा है कि ऐसे ने जब अपने रहने के लिए मातान घण्टाया तब उसमें से यही हुई सामग्री (सेवदध्य) द्वारा इस उद्धरणाला का निर्माण करवाया। आएव इसका नाम देषदध्या रहा। इस उद्धरणाला के ईशानकोण में हुरियजाम—हृत्तियाम नाम दा एक यनराष्ट्र था। यह यनराष्ट्र बृहुत् छहा था। इस यनराष्ट्र में एक समय गोतम इद्विन्द्रि छहरे हुए थे। उग समय वेदज्ञगोपीय पेत्रालपृत उदय नामक एक पात्तरित्यीग निग्रन्ध्य गोतम के पास आया और बोल—हे आद्युत्मान् गोतम ! मैं बृहुत् पूछना चाहता हूँ। आर उसका यथाप्रृत एव यथार्दीत उत्तर दीजिए। गोतम ने भहा—हे आद्युत्मन्। प्रश्न सुनने य समझने के बाद तटिपयक चर्चा कर्वंगा। उदय निग्रन्ध्य ने पूछा—हे आद्युत्मान् गोतम ! बापके प्रवचन का उपदेश देने याले कुमारपृत्तिग—कुमारपृत्र नामक अमण निग्रन्ध्य धायक को जब प्रत्याहयान—त्याग करवाते हुए तथ यो बहते हैं कि अनियोग^१ को छोटपर गृह्णर्त्तिरविमोक्षणन्याप^२ के अनुसार मुक्षारे नम-

१ अभियोग अर्थात् राजा को आजा, गण की आज्ञा—गणतन्त्रात्मक राज्य की आज्ञा, बलयान् की आज्ञा, माता-पिता आदि की आज्ञा तथा आजीविका का भय। इन परिस्थितियों की अनुपस्थिति में त्रस प्राणियों की हिंसा का त्याग करना।

२ गृह्णतिचौरविमोक्षणन्याय इस प्रकार है—विसी गृहस्य के छा पुत्र थे। वे छहों विसी अपराध में फर गये। राजा ने उन छहों को फांसी का दण्ड दिया। यह जानकर वह गृहस्य राजा के पास आया और निवेदन करने लगा—महाराज। यदि मेरे छहों पुत्रों को फांसी होगी तो मैं अपुत्र हो जाऊगा। मेरा वश आगे फैसे खलेगा ? मेरे वश का समूल नाश हो जायगा। कृपया पांच को छोट दीजिये। राजा ने उसकी यह बात नहीं मानी। तब उसने चार को छोड़ने की बात कही। अब राजा ने यह भी स्वीकृत नहीं किया तब उसने क्रमशः तीन, दो और अन्त में एक पुत्र को

प्राणियों की हिंसा का त्याग है। इम प्रश्नार का प्रत्याख्यान दुष्प्रत्याख्यान है। इगमे प्रत्याख्यान करने वाला य प्रत्याख्यान करने वाला दानों दोष के भागी होने हैं। यह किंग ? गमार में जाना पारण करने वाले प्राणी स्थावररूप से भी जन्म प्राप्त होते हैं और नमना में नहीं। जो स्थावररूप से जन्म लेने हैं वे ही त्रमन्त्र में भी जन्म लेने हैं तथा जो नमना में जन्म लेने हैं वे ही स्थावररूप से भी जन्म लेने हैं अत स्थावर और एम प्राणियों नी ममन में बहुत उल्लंघन होती है। कोन-ना प्राणी स्थावर हैं और कोन-ना त्रम, इसका नियटारा अथवा निश्चय नहीं हा गफना। अन नम प्राणिया ता हिंसा का प्रत्याख्यान व उपका पालन किसे सम्भव है ? ऐसी नियनि में तेव्र त्रम प्राणी को हिंसा का प्रत्याख्यान करवाने के बजाय त्रमन्त्र प्राणी को अर्थात् जो वर्तमान में त्रमन्त्र है उसको हिंसा का प्रत्याख्यान नहराना चाहिए। इन प्रकार प्रत्याख्यान में 'त्रम' के बजाय 'त्रमभत्त' शब्द का प्रयोग करना अधिक उपयुक्त होगा। इससे न प्रत्याख्यान देने वाले गों कोई दोष लगेगा, न लेने वाले का। उदय पेटालपुत्र को इस शक्ति का समाधान करने हुए गौतम इन्द्रभूति मुनि ने कहा कि हमारे मत 'त्रम' के बजाय 'त्रमभूत' शब्द का प्रयोग करने का ममन इसलिए नहीं करता कि आप-लोग जिसे 'त्रमभूत' कहते हैं उसी अद में हम लोग 'त्रम' शब्द का प्रयोग करते हैं। जिस जीव के त्रम नामन्तरं तथा त्रम आधुन्यकर्म का उदय हो उसी को त्रम कहते हैं। इम प्रकार के उदय का ममन्त्र वर्तमान से ही है, न कि भूत अथवा भविष्य से।

उदय पेटालपुत्र ने गौतम इन्द्रभूति से दूसरा प्रश्न यह पूछा है कि मान-लीजिये इस समार में जितने भी त्रमजोव है सबके सब स्थावर ही जायं अथवा जितने भी स्थावर जोव हैं सबके सब त्रम ही जाय तो आप जो प्रत्याख्यान करवाते हैं वह क्या व्यर्थ नहीं हो जायगा ? सब जोवो के स्थावर ही जाने पर त्रम की हिंसा का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। इसी प्रकार सब लोगों के व्रस ही जाने पर त्रम की हिंसा का त्याग कैसे सम्भव हो सकता है ? इसका उत्तर देते हुए गौतम ने कहा है कि सब स्थावरों का त्रम हो जाना अथवा सब वर्सों का स्थावर हो जाना असम्भव है। ऐसा न कभी हुआ है, न होता है और न होगा। दूसरा तथ्य की समझाने के लिए सूत्रकार ने अनेक उदाहरण दिए हैं। प्रस्तुत अध्ययन में प्रत्याख्यान के सम्बन्ध में इसी प्रकार की चर्चा है। इनमें कुछ शब्द एवं

छोड़ देने की विनती की। राजा ने उनमें से एक को छोड़ दिया। इसी व्याय से छ कायी में से स्थूल प्राणातिपात का त्याग किया जाता है अर्थात् त्रम प्राणियों की हिंसा न करने का नियम स्वीकार किया जाता है।

वाक्य ऐसे हैं जो पूरी तरह से समझ में नहीं आते। युतिकार ने तो अपनी पार-परिक लनुभूति के लनुसार उनका अर्थ कर दिया है किन्तु मूल शब्दों का जरा गहराई से विचार करने पर मन को पूरा सन्तोष नहीं होता। इस अध्ययन में पारशर्पितोय उदय पेड़ालपुत एवं भगवान् महावीर के मुख्य गणधर गौतम इन्द्र-भूति के बीच जो बाद-विषाद विद्वा चर्चा है उनकी पद्धति को दृष्टि में रखते हुए यह मानना अनुग्रहन न होगा कि भगवान् पादवनाम की परम्परा वाले भगवान् महावीर की परम्परा को अपने से भिन्न परम्परा के हैं में ही मानने ये, भले ही बाद में पादवनाम की परम्परा महावीर की परम्परा में मिल गई। इस अध्ययन में एक जगह स्पष्ट लिखा है कि जब गौतम उदय पेड़ालपुत को मैत्री एवं दिनद्विनिपत्ति के लिए सुमाराने लगे तो उदय ने गौतम के इस कल्यन का अनादर कर अपने स्पान पर लौट जाने का विचार किया। तएन से उदय पेड़ालपुत्ते भगव गोयम अणाटायमाणे जामेव दिंमि पाउद्धभृए तामेव दिसि पहारेत्य गमणाए।



पञ्चम प्रकरण

स्थानांग व समवायांग

ગुજરात विद्यापीठ, अहमदाबाद द्वारा सचालित्र पूजाभाई जैन ग्रन्थमाला के २३वें पुस्तक के रूप में स्थानांग^१ तथा समवायांग का प० दलसुख मालवणियाङ्कुर जो मुन्दर, सुक्रोध एवं सुस्पष्ट अनुवाद, प्रस्तावना व तुलनात्मक टिप्पणियों के साथ प्रकाशन हुआ है उससे इन दोनों अगग्रन्थों का परिचय प्राप्त हो जाता है। अतः इन ग्रन्थों के विषय में यहाँ विशेष लिखना अनावश्यक है। फिर भी इनके सम्बन्ध में घोड़ा प्रकाश ढालना अनुपयुक्त न होगा।

अगस्त्रों में विशेषत उपदेशात्मक एवं आत्मार्थों मुमुक्षुओं के लिए विद्यात्मक

- १ (अ) अभयदेवकृत वृत्तिसहित—आगमोदय समिति, वस्त्रई, सन् १९१८-१९२०, माणेकलाल चुनीलाल, अहमदाबाद, सन् १९३७
- (आ) आगमसग्रह, वनारस, सन् १८८०
- (इ) अभयदेवकृत वृत्ति के गुजराती अनुवाद के माथ—अष्टकोटि वृहद्-पक्षीय संघ मुद्रा (कच्छ), वि स १९९९
- (ई) गुजराती अनुवादसहित—जीवराज धेलाभाई दोशी, अहमदाबाद, सन् १९३१
- (उ) हिन्दी अनुवादसहित—अमोलक ऋषि, हैदराबाद, वी स २४४६
- (ऊ) गुजराती रूपान्तर—दलसुख मालवणिया, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, सन् १९५५
- २ (अ) अभयदेवकृत वृत्तिसहित—आगमोदय समिति, सूरत, सन् १९१९, मफतलाल छवेरचन्द्र, अहमदाबाद, सन् १९३८
- (आ) आगमसग्रह, वनारस, सन् १८८०
- (इ) अभयदेवकृत वृत्ति के गुजराती अनुवाद के साथ—जेठालाल हरिभाई, जैनघरम प्रसारक सभा, भावनगर, वि० स० १९९५
- (ई) हिन्दी अनुवादसहित—अमोलक ऋषि, हैदराबाद, वी० स० २४४६
- (उ) गुजराती रूपान्तर—दलसुख मालवणिया, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद सन् १९५५
- (ऊ) सकृत व्याख्या व उसके हिन्दी-गुजराती अनुवाद के साथ—मुनि धासीलाल, जैन शास्त्रोद्धार समिति, राजकोट, सन् १९६२

व निषेधात्मक वचन उपरच्छ है। कुछ सूत्रों में इस प्रकार के वचन सीधे रूप में हैं तो कुछ में कथाको, संवादो एवं रूपकों के रूप में। स्थानाग व समवायाग में ऐसे वचनों का विशेष अभाव है। इन दोनों सूत्रों के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि ये सप्रहात्मक कोश के रूप में निर्मित किये गये हैं। अन्य अगों की अपेक्षा इनके नाम एवं विषय नवदा भिन्न प्रकार के हैं। इन अगों को विषय-निष्पत्तिशीली से ऐसा भी अनुग्रान किया जा सकता है कि अन्य गद अंग पूर्णन्यावन गये होगे तथा स्मृति कथवा धारणा की सरलता को दृष्टि से अधवा विषयों की सोज की गुगमता को दृष्टि से बोहे से इन दोनों अगों की योजना की गई होनी चाह इन्हें विशेष प्रतिष्ठा प्रदान करने के हेतु इनका अगों में समावेश कर दिया गया होगा।

इन अगों को उपलब्ध सामग्री व शीली को देख कर बृत्तिकार अभयदेवसूरि के भन में जो भावना उत्सन्न हुई उसका घोटा सा परिचय प्राप्त करना अनुपयुक्त न होगा। वे लिखते हैं :

सम्प्रदायहीनत्वात् सदूहन्यं वियोगत ।
मर्वस्वपरदास्त्राणामदृष्टेरस्मृतेभ्व मे ॥१॥

वाचनानामनेकत्वात् पुस्तकानामशुद्धतः ।
सूत्राणामतिगाम्भीर्यात् मतभेदाच्च कुत्रचित् ॥२॥

—स्थानागवृत्ति के अन्त में प्रशस्ति,

यन्य ग्रन्थवग्न्य वावयजलधेलंक्षं सहस्राणि च,
चत्वार्ँरशदहो चतुर्भिरधिका मान पदानामभूत् ।
तस्योच्चैश्चुलुकाकृतिं निदघत कालादिदोपात् तथा,
दुलेयात् खिलता गतस्य कुधिय कुर्वन्तु किं मादृगा ॥१॥
रगुरुविग्रहात् वाजोतकाले मुनीषोर्गणधरवचनाना श्रस्तसधातनात् वा ।

x

x

x

सभाव्योर्जस्मस्तथापि क्वचिदपि मनसो मोहतोऽर्थादिभेद ॥५॥

—समवायागवृत्ति के अन्त में प्रशस्ति

अर्थात् ग्रथ को समझने की परम्परा का अभाव है, अच्छे तर्क का वियोग है, व स्वपर क्षास्त्र देखे न जा सके और न उनका स्मरण ही हो सका, वाचनाएं अनेक

निवासी वासिष्ठगोपीय इसिगुत्त से माणवगण एवं वधावच्चगोपीय सुस्थित व सुप्रतिवद से कोहिय नामक गण निकला ।

उपर्युक्त उल्लेख में कामद्वित गण को उत्पत्ति का कोई निर्देश नहीं है । सभव है आर्य सुहस्ती के शिष्य कामद्वित स्थविर से ही यह भी निकला हो । कल्पसूत्र की स्थविरावली में कामद्वितत्वगणविषयक उल्लेख नहीं है किन्तु कामद्वित कुलसम्बन्धी उल्लेख अवश्य है । यह कामद्वित कुल दस वैसवादिय-विस्तवातित गण का ही एक कुल है जिसको उत्पत्ति कामद्वित स्थविर से वत्तलाई गई है । उपर्युक्त सभी गण भगवान् महावीर के निर्वाण के लगभग दो सौ वर्ष के बाद के काल के हैं । बाद के कुछ गण महावीर-निर्वाण के पाँच सौ वर्ष के बाद के भी हो सकते हैं ।

स्थानाग में जमालि, तिव्यगुप्त, आपाठ, अस्वमित्र, गग, रोहगुप्त और गोद्वामाहिल इन सात निहृतों का भी उल्लेख आता है । इनमें से प्रथम दो के अतिरिक्त सब निहृतों की उत्पत्ति भगवान् महावीर के निर्वाण के बाद तीसरी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक के समय में हुई है । अतएव यह मानना अधिक उपर्युक्त है कि इस सूत्र की अन्तिम योजना बोरनिर्वाण की छठी शताब्दी में होने वाले विसी गीतार्थ पुरुष ने अपने समय तक की घटनाओं को पूर्य परम्परा से चली आते वाली घटनाओं के साथ मिलाकर की है । यदि ऐसा न माना जाय तो यह तो मानना ही पड़ेगा कि भगवान् महावीर के बाद धर्मित होने वाली उक्त सभी घटनाओं को किसी गीतार्थ स्थविर ने इस सूत्र में पीछे से जोड़ा है ।

इसी प्रकार समवायाग में भी ऐसी घटनाओं का उल्लेख है जो महावीर के निर्वाण के बाद में हुई हैं । उदाहरण के लिए १००वें सूत्र में झन्दभूति व सुधर्मी के निर्वाण का उल्लेख । इन दोनों का निर्वाण महावीर के बाद हुआ है । अत यह कथन कि यह सूत्र सुधर्मास्तामी ने जम्बूस्तामी को कहा, अथवा सुधर्मास्तामी से जम्बूस्तामी ने सुना, किस अर्थ में व कहा तक ठीक है, विचारणीय है । ऐसी स्थिति में आगमों को ग्रथवद्ध करने वाले आचार्य देवर्धिगणि समाश्रमण ही यदि इन दोनों अगमों के अतिमरुप देनेवाले माने जायें तो भी कोई हर्ज नहीं ।

शैली :

इन सूत्रों की शैली के विषय में सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि स्थानाग के प्रथम प्रकरण में एक-एक पदार्थ अथवा किया आदि का निरूपण है, द्वितीय में दो-दो का, तृतीय में तीन-चार का, यावत् अन्तिम प्रकरण में दस-दस पदार्थों अथवा कियाओं का वर्णन है । जिस प्रकरण में एकसूत्रक वस्तु का विचार है उसका नाम एकस्थान अथवा प्रथमस्थान है । इसी प्रकार द्वितीयस्थान यावत् दशमस्थान के विषय में समझना चाहिए । इस प्रकार स्थानांग में दस स्थान,

अध्ययन अथवा प्रकरण हैं। जिस प्रकरण में निरूपणीय सामग्री अधिक है उसके उपविभाग भी किये गये हैं। द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ प्रकरण में ऐसे चार-चार उपविभाग हैं तथा पचम प्रकरण में तीन उपविभाग हैं। इन उपविभागों का पारिभाषिक नाम 'उद्देश' है।

समवायाग की शैली भी इसी प्रकार की है किन्तु उसमें दस से आगे की सख्त्यावाली वस्तुओं का भी निरूपण है अत उसकी प्रकरणसङ्ख्या स्थानाग की तरह निश्चित नहीं है अथवा यों समझना चाहिए कि उसमें स्थानाग की तरह कोई प्रकरणव्यवस्था नहीं की गई है। इसीलिए नदोसूत्र में समवायाग का परिचय देते हुए कहा गया है कि इसमें एक ही अध्ययन है।

स्थानाग व समवायाग की कोशशैली बौद्धपरम्परा एवं वैदिक परम्परा के ग्रन्थों में भी उपलब्ध होती है। बौद्धग्रन्थ अगुत्तरनिकाय, पुण्डलपञ्चत्ति, महाव्युत्पत्ति एवं घर्मसग्रह में इसी प्रकार की शैली में विचारणाओं का सग्रह किया गया है। वैदिक परम्परा के ग्रथ महाभारत के वनपद (अध्याय १३४) में भी इसी शैली में विचार संग्रहीत किये गये हैं।

स्थानाग व समवायाग में सग्रहप्रवान कोशशैली होते हुए भी अनेक स्थानों पर इस शैली का सम्यक्तया पालन नहीं किया जा सका। इन स्थानों पर या तो शैली खड़ित हो गई है या विभाग करने में पूरी सावधानी नहीं रखी गई है। उदाहरण के लिए अनेक स्थानों पर व्यक्तियों के चरित्र आते हैं, परंतु का बण्णन आता है, महावीर और गौतम आदि के सुवाद आते हैं। ये सब खड़ित शैली के सूचक हैं। स्थानाग के सू० २४४ में लिखा है कि तृणवनस्पतिकाय चार प्रकार के हैं, सू० ४३१ में लिखा है कि तृणवनस्पतिकाय पांच प्रकार के हैं और सू० ४८४ में लिखा है कि तृणवनस्पतिकाय छँ प्रकार के हैं। यह अन्तिम सूत्र तृणवनस्पतिकाय के भेदों का पूर्ण निरूपण करता है जबकि पहले के दोनों सूत्र इस विषय में अपूर्ण हैं। अन्तिम सूत्र की विद्यमानता में ये दोनों सूत्र व्यर्थ हैं। यह विभाजन की असावधानी का उदाहरण है।

समवायाग में एकस्थक प्रथम सूत्र के अन्त में इस आशय का कथन है कि कुछ जीव एकभव में सिद्धि प्राप्त करेंगे। इसके बाद द्विस्थक सूत्र से लेकर तीतीसस्थक सूत्र तक इस प्रकार का कथन है कि कुछ जीव दो भव में सिद्धि प्राप्त करेंगे, कुछ जीव तीन भव में सिद्धि प्राप्त करेंगे, यावत् कुछ जीव तीतीस भव में सिद्धि प्राप्त करेंगे। इसके बाद इस आशय का कथन बद हो जाता है। इससे क्या समझा जाय? क्या कोई जीव चाँतीस भव अथवा इससे अधिक भव में सिद्धि प्राप्त नहीं करेगा? इस प्रकार के सूत्र विभाजन की शैली को दोषयुक्त बनाते हैं एवं अनेक प्रकार की विसंगति उत्पन्न करते हैं।

विषय-सम्बद्धता :

सकलनात्मक स्थानांग-समवायांग में वस्तु का निरूपण सख्ता की दृष्टि से किया गया है अतः उनके अभिवेद्यों—प्रतिपादा विषयों में परस्पर सम्बद्धता होना आवश्यक नहीं है। फिर भी वृत्तिकार ने खीचतान कर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि अमुक विषय के बाद अमुक विषय का कथन क्यों किया गया है? उद्घारणार्थं पहले के सूत्र में जम्बूद्वीपनामक द्वीप का कथन क्यों किया गया है? उद्घारणार्थं पहले के सूत्र में जम्बूद्वीपनामक द्वीप का कथन आता है और बाद के सूत्र में भगवान् महावीरविषयक वर्णन। इन दोनों का सम्बन्ध बताते हुए वृत्तिकार कहते हैं कि जम्बूद्वीप का यह प्ररूपण भगवान् महावीर ने किया है अतः जम्बूद्वीप के बाद महावीर का वर्णन असम्बद्ध नहीं है। पहले के सूत्र में महावीर का वर्णन आता है और बाद के सूत्र में अनुत्तरविमान में उत्पन्न होने वाले देवों का वर्णन। इन दोनों सूत्रों में सम्बन्ध स्थापित करते हुए वृत्तिकार कहते हैं कि भगवान् महावीर निर्वाण प्राप्त कर जिस स्थान पर रहते हैं वह स्थान और अनुत्तर विमान पास-पास ही है अतः महावीर के निर्वाण के बाद अनुत्तर विमान का कथन सुसंबद्ध है। इस प्रकार वृत्तिकार ने सब सूत्रों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध बैठाने का भारी प्रयास किया है। वास्तव में शब्दकोश के शब्दों की भाँति इन सूत्रों में परस्पर कोई अर्थसम्बन्ध नहीं है। सख्ता की दृष्टि से जो कोई भी विषय सामने आया, सबका उस सख्तावाले सूत्र में समावेश कर दिया गया।

विषय-चैविद्य

स्थानांग व समवायांग दोनों में जैन प्रवचनसमत तथ्यों के साथ ही साथ लोकसमत बातों का भी निरूपण है। इनके कुछ नमूने ये हैं

स्थानांग, सू० ७१ में श्रुतज्ञान के दो भेद बताये गये हैं। अगप्रविष्ट और अगबाह्य। अगबाह्य के पुनः दो भेद हैं आवश्यक और आवश्यक्यतिरिक्त। आवश्यक्यतिरिक्त फिर दो प्रकार का है कालिक और उत्कालिक। यहाँ उपाग नामक भेद का कोई उल्लेख नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि यह भेद विशेष प्राचीन नहीं है। इसी सूत्र में अन्यत्र केवलज्ञान के अवस्था, काल वादि की दृष्टि से अनेक भेद-प्रभेद किये गये हैं। सर्वप्रथम केवलज्ञान के दो भेद बताये गये हैं भवस्थकेवलज्ञान और सिद्धकेवलज्ञान। भवस्थकेवलज्ञान दो प्रकार का है सयोगिभवस्थकेवलज्ञान और अयोगिभवस्थकेवलज्ञान। सयोगिभवस्थकेवलज्ञान पुनः दो प्रकार का है प्रथमसमयसयोगिभवस्थकेवलज्ञान और अप्रथमसमयसयोगिभवस्थकेवलज्ञान अथवा चरमसमयसयोगिभवस्थकेवलज्ञान और अचरमसमयसयोगिभवस्थकेवलज्ञान। इसी प्रकार अयोगिभवस्थकेवलज्ञान के भी दो-चौ भेद समझने

चाहिए । सिद्धकेवलज्ञान भी दो प्रकार का है अन्तरसिद्धकेवलज्ञान व परम्पर-सिद्धकेवलज्ञान । इन दोनों के पुनः दोन्दो भेद किये गये हैं ।

इसी अग के सू० ७५ में बताया गया है कि जिन जीवों के स्पष्टन और रसना ये दो इन्द्रियाँ होती हैं उनका शरीर अस्थि, मास व रक्त से निर्मित होता है । इमी प्रकार जिन जीवों के म्पश्चन, रसना, द्राण ये तीन इन्द्रियाँ अथवा स्पष्टन, रसना, द्राण और चक्षु ये चार इन्द्रियाँ होती हैं उनका शरीर भी अस्थि, मास व रक्त से बना होता है । जिनके शोत्र सहित पांच इन्द्रियाँ होती हैं उनका शरीर अस्थि, मास, रक्त, स्नायु व शिरा से निर्मित होता है । सूत्रकार के इस कथन की जाँच प्राणिविज्ञान के आधार पर की जा सकती है ।

सू० ४४६ में रजोहरण के पांच प्रकार बताये गये हैं १ ऊन का रजोहरण, २ कैट के बाल का रजोहरण, ३ सुन का रजोहरण, ४ वल्वज (तृणविशेष) का रजोहरण, ५ मूँज का रजोहरण । वर्तमान में केवल प्रथम प्रकार का रजो-हरण ही काम में लाया जाता है ।

इसी नूत्र में निग्रन्थो व निग्रन्थियों के लिए पांच प्रकार के वस्त्र के उपयोग का निर्देश किया गया है १ जागमिक—ऊन का, २ भागिक—अलसी का, ३ शाणक-भन का, ४ पोत्तिक—सूत का, ५ तिरीडवट्ट—वृक्ष की छाल का । वृत्तिकार ने इन वस्त्रों का विशेष विवेचन किया है एव बताया है कि निग्रन्थ-निग्रन्थियों के लिए उत्सर्ग की दृष्टि से कपास व ऊन के ही वस्त्र ग्राह्य हैं और वे भी वहमूल्य नहीं अपितु अल्पमूल्य । वहमूल्य का स्पष्टीकरण करते हुए वृत्तिकार ने लिखा है कि पाटलिपुत्र में प्रचलित भूदा के अठारह स्पर्ये से अधिक मूल्य का वस्त्र वहमूल्य समझना चाहिए ।

प्रब्रज्या :

सू० ३५५ में प्रब्रज्या के विविध प्रकार बताये गये हैं जिन्हें देखने से प्राचीन समय के प्रब्रज्यादाताओं एव प्रब्रज्याग्रहणकर्ताओं की परिस्थिति का कुछ पता लग सकता है । इसमें प्रब्रज्या चार प्रकार की बताई गई है । १ इहलोक-प्रतिवद्वा, २ परलोकप्रतिवद्वा, ३ उभयलोकप्रतिवद्वा, ४ अप्रतिवद्वा । १ केवल जीवन निर्वाह के लिए प्रब्रज्या ग्रहण करना इहलोकप्रतिवद्वा प्रब्रज्या है । २ जन्मान्तर में क्षामादि सुखों की प्राप्ति के लिए प्रब्रज्या लेना परलोक-प्रतिवद्वा प्रब्रज्या है । ३ उक्त दोनों उद्देश्यों को व्यान में रखकर प्रब्रज्या ग्रहण करना उभयलोकप्रतिवद्वा प्रब्रज्या है । ४ आत्मोन्नति के लिए प्रब्रज्या स्वीकार करना अप्रतिवद्वा प्रब्रज्या है । अन्य प्रकार से प्रब्रज्या के चार भेद ये

बतलाये गये हैं १ पुरत् प्रतिवदा, २ मागत् प्रतिवदा, ३ उभयतः प्रतिवदा, ४ अप्रतिवदा। १ दिव्य व ज्ञाहारादि की प्राप्ति के उद्देश्य से ली जानेवाली प्रश्नज्या पुरत् प्रतिवदा प्रश्नज्या है। २ प्रश्नज्या लेने के बाद स्वजनों में विशेष प्रतिवद होना अर्थात् स्वजनों के लिए भोतिक सामग्री प्राप्त करने की भावना रखना मांगत् प्रतिवदा प्रश्नज्या है। ३ उपर दोनों प्रकार की प्रश्नज्याओं का मन्मिश्रित रूप चाहत् प्रतिवदा प्रश्नज्या है। ४. आत्मशुद्धि के लिए ग्रहण की जाने वाली प्रश्नज्या अप्रतिवदा प्रश्नज्या है। प्रकारान्तर से प्रश्नज्या के चार भेद इस प्रकार बताये गये हैं १ तुयावइत्ता प्रश्नज्या अर्थात् किसी को पीढ़ा पहुँचाकर अथवा मगादि द्वारा प्रश्नज्या की ओर मोड़ना एवं प्रश्नज्या देना। २ पुयावइत्ता प्रश्नज्या अर्थात् किसी को भगाकर प्रश्नज्या देना। बाय-हित को इनी प्रकार प्रश्नज्या दो गई थी। ३ तुयावइत्ता प्रश्नज्या अर्थात् बच्छी तरह सभापण करके प्रश्नज्या की ओर सूक्ष्म पंदा करना एवं प्रश्नज्या देना अथवा मोयावइत्ता प्रश्नज्या अर्थात् किसी दो मुक्त कर अथवा मुक्त करने का लोभ देकर अथवा मुख्य फरवाकर प्रश्नज्या की ओर सूक्ष्माना एवं प्रश्नज्या देना। ४ परिपुयावइत्ता प्रश्नज्या अर्थात् किसी का भोजा सामग्री आदि का प्रलोभन देकर अर्थात् उसमें भोजनादि की पर्याप्तता का आगवण उत्पन्न कर प्रश्नज्या देना।

मू० ७१२ में प्रश्नज्या के दस प्रकार बताये गये हैं १ छद्मप्रश्नज्या, २ रोपप्रश्नज्या, ३ परिद्युनप्रश्नज्या, ४, स्वप्नप्रश्नज्या, ५ प्रतिभुतप्रश्नज्या, ६. स्मारिणिकाप्रश्नज्या, ७ रोगिणिकाप्रश्नज्या, ८. अनादृतप्रश्नज्या, ९ देवसंज्ञितप्रश्नज्या, १० वत्सानुवधिताप्रश्नज्या।

१ स्वेच्छापूषक ली जाने वाली प्रश्नज्या छन्दप्रश्नज्या है। २ रोप के कारण ली जानेवाली प्रश्नज्या रोपप्रश्नज्या है। ३ दोनता अथवा दरिद्रता के कारण ग्रहण की जानेवाली प्रश्नज्या परिद्युनप्रश्नज्या है। ४ स्वप्न द्वारा सूचना प्राप्त होने पर ली जाने वाली प्रश्नज्या को स्वप्नप्रश्नज्या कहते हैं। ५. किसी प्रकार की प्रतिशा अथवा घचन के कारण ग्रहण की जाने वाली प्रश्नज्या का नाम प्रतिशुतप्रश्नज्या है। ६. किसी प्रकार की स्मृति के कारण ग्रहण की जाने वाली प्रश्नज्या स्मारिकाप्रश्नज्या है। ७ रोगों के निमित्त से ली जाने वाली प्रश्नज्या रोगिणिकाप्रश्नज्या है। ८ अनादृत के कारण ली जाने वाली प्रश्नज्या अनादृतप्रश्नज्या कहलाती है। ९ देव के प्रतिषेध द्वारा ली जाने वाली प्रश्नज्या का नाम देवसंज्ञितप्रश्नज्या है। १० पुत्र के प्रवर्जित होने के कारण माता-पिता द्वारा ग्रहण की जाने वाली प्रश्नज्या को वत्सानुवधिताप्रश्नज्या कहते हैं।

स्थविर :

सू० ७६१ में दस प्रकार के स्थविरों का उल्लेख है । १ ग्रामस्थविर, २ नगरस्थविर, ३ राष्ट्रस्थविर, ४ प्रशास्तास्थविर, ५ कुलस्थविर, ६ गणस्थविर, ७ सचस्थविर, ८ जातिस्थविर, ९ श्रुतस्थविर, १० पर्यायस्थविर ।

ग्राम की व्यवस्था करने वाला अर्थात् जिसका कहना सारा गीव माने वैसा शक्तिशाली व्यक्ति ग्रामस्थविर कहलाता है । इसी प्रकार नगरस्थविर एवं राष्ट्रस्थविर की व्याख्या समझनी चाहिए । लोगों को घर्म में स्थिर रखने वाले घर्मोपदेशक प्रशास्तास्थविर कहलाते हैं । कुल, गण एवं संघ की व्यवस्था करने वाले कुलस्थविर, गणस्थविर एवं सचस्थविर कहलाते हैं । साठ अथवा साठ से अधिक वर्ष की आयु वाले वयोवृद्ध जातिस्थविर कहे जाते हैं । स्थानाग आदि श्रुत के धारक को श्रुतस्थविर कहते हैं । जिसका दीक्षा-पर्याय दीस वर्षे का हो गया हो वह पर्यायस्थविर कहलाता है । अन्तिम दो भेद जैन परिमाप-सापेक्ष हैं । ये दस भेद प्राचीन काल की ग्राम, नगर, राष्ट्र, कुल, गण आदि की व्यवस्था के सूचक हैं ।

लेखन-पद्धति :

समवायाग, सू० १८ में लेखन-पद्धति के अठारह प्रकार बताये गये हैं जो ब्राह्मी लिपि के अठारह भेद हैं । इन भेदों में ब्राह्मी को भी गिना गया है जिसके कारण भेदों की सत्या उन्नीस हो गई है । इन भेदों के नाम इस प्रकार हैं । १ ब्राह्मी, २ यावनी, ३ दोषोपकरिका, ४ खरोच्छिका, ५ खरश्राविरा, ६ पकारादिका, ७ उच्चतरिका, ८ अक्षरपृष्ठिका, ९ भोगवतिका, १० वैणविका, ११ निह्नविका, १२ अकलिपि, १३ गणित-लिपि, १४ गाष्ठवंलिपि, १५ भृतलिपि, १६ बाद्धशलिपि, १७ माहेश्वरी-लिपि, १८ द्राविडलिपि, १९ पुलिदलिपि । वृत्तिकार ने इस सूत्र की टीका करते हुए लिखा है कि इन लिपियों के स्वरूप के विषय में किसी प्रकार का विवरण उपलब्ध नहीं हुआ अत यहाँ कुछ न लिखा गया एतत्स्वरूप न दृष्ट, इति न दर्शितम् ।

वर्तमान में उपलब्ध साधनों के आधार पर लिपियों के विषय में इतना कहा जा सकता है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि का नाम ब्राह्मीलिपि है । यावनीलिपि अर्थात् यवनों की लिपि । भारतीय लोगों से भिन्न लोगों की लिपि यावनीलिपि कहलाती है, यथा अरबी, फारसी आदि । खरोच्छी लिपि दाहिनों ओर से प्रारम्भ कर वाईं और लिखी जाती है । इस लिपि का प्रचार गाधार

देश में था। इस लिपि में उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रदेश में अशोक के एक-दो सिलालेस मिलते हैं। गधे के होठ को रारोठ कहते हैं। कदाचित् इस लिपि के मोठ का सम्बन्ध गधे के होठ के साथ ही और इसीलिए इसाम नाम सरोबी सरोळिका वयदा सरोळिका पटा हो। घरथाविता अर्थात् गुनने में कठोर लगने वाली। संभवतः इस लिपि का उच्चारण कर्ण के लिए पठोर हो जिसमें इसका नाम घरथाविता प्रत्यक्षित हुआ हो। पकारादिका जिसका प्राकृत रूप पहाराइआ व्यथा पश्चागाहना है, संभवतः पकार में प्रारम्भ होती हो जिसमें इसका यह नाम पड़ा हो। नित्तनविका का लर्प है सांकेतिक अथवा गुप्तलिपि। कदाचित् यह लिपि विशेष प्रकार के नकेतों से निर्मित हुई हो। अंकों से निर्मित लिपि का नाम बकलिपि है। गणितशास्त्र सम्बन्धी संखेतों की लिपि को गणितलिपि कहते हैं। गांधर्वलिपि अर्थात् गधवों की लिपि एवं भूतलिपि अर्थात् भूतों की लिपि। संभवतः गंधर्व जाति में आम में आने वाली लिपि का नाम गाधवलिपि एवं भूतजाति में अर्थात् भोट याने भोटिया लोगों में अथवा भूटान के लोगों में प्रचलित लिपि का नाम भूतलिपि पड़ा हो। कदाचित् ऐवाचो भाषा की लिपि भूतलिपि हो। नादमलिपि के विषय में युद्ध शात नहीं हुआ है। गाहैदवरो की लिपि का नाम माहैदवरोलिपि है। यतमान में माहैदवरी नामक एक जाति है। उसके नाम इस लिपि का कोई सम्बन्ध है या नहीं, यह अन्येषणोय है। द्रविड़ों की लिपि का नाम द्राविडलिपि है। पुस्तिलिपि शायद भील लोगों की लिपि हो। दोष लिपियों के विषय में गोर्द विशेष थात मालूम नहीं हुई है। लिपिविषयक मूल पाठ की अनुद्दि के कारण भी एतद्विषयक विशेष कठिनाई सामने आती है। बोद्धग्रन्थ ललितविस्तर में चौमठ लिपियों के नाम बताये गये हैं। इन एवं इस प्रकार के अन्यथ उत्तिष्ठित नामों के साथ इस पाठ को मिलाकर पूढ़ कर लेना चाहिए।

समवायांग, भू ४३ में ग्राही लिपि में उपयोग में आने वाले अक्षरों की संख्या ४६ बताई है। वृत्तिकार ने इस सम्बन्ध में स्पष्टीकारण फरते हुए बताया है कि ये ४६ अक्षर अकार से लगाकर क्ष सहित हफार तक के होने चाहिए। इनमें ऋ, ऋ, ल, लू और ल ये पाँच अक्षर नहीं गिनने चाहिए। यह ४६ को सम्भा इस प्रकार है ऋ, ऋ, ल, लू और लू इन चारों स्वरों के अतिरिक्त अ से लगाकर अ तक के १२ स्वर, क से लगाकर म तक के २५ स्पशाक्षर, य, र, ल और व ये ४ अत्स्थ, श, प, स और ह ये ४ उत्प्राक्षर, १क = १२ + २५ + ४ + ४ + १ = ४६।

अनुपलब्ध शास्त्र :

स्थानांग व समवायांग में कुछ ऐसे जैनशास्त्रों के नाम भी मिलते हैं जो

वर्तमान में अनुपलब्ध है। इसी प्रकार इसमें अतङ्कदशा एवं अनुत्तरौपपातिक नामक अगों के ऐसे प्रकरणों का भी उल्लेख है जो इन ग्रन्थों के उपलब्ध संस्करण में अनुपलब्ध हैं। मालूम होता है या तो नामों में कुछ परिवर्तन हो गया है या वाचना में अन्तर हुआ है।

गर्भवारण

स्थानाग, सू ४१६ में बताया गया है कि पुरुष के संसर्ग के बिना भी निम्नोक्त पाँच कारणों से स्त्री गर्भ वारण कर सकती है (१) जिस स्थान पर पुरुष का वीर्य पड़ा हो उस स्थान पर स्त्री इस ढग से बैठे कि उसकी योनि में वीर्य प्रविष्ट हो जाय (२) वीर्यसंसक्त वस्त्रादि द्वारा वीर्य के अणु स्त्री की योनि में प्रविष्ट हो जायें, (३) पुत्र की आकाशा से नारी स्वयं वीर्याणुओं को अपनी योनि में रखे अथवा अन्य से रखवावे, (४) वीर्याणुयुक्त पानी पीये, (५) वीर्याणुयुक्त पानी में स्नान करे।

भूकम्प

स्थानाग सू १९८ में भूकम्प के तीन कारण बताये गये हैं (१) पृथ्वी के नीचे के घनवात के व्याकुल होने पर घनोदधि में तूफान आने पर, (२) किसी महासमर्थ महोरग देव^१ द्वारा अपना सामर्थ्य दिखाने के लिए पृथ्वी को चालित करने पर, (३) नागों एवं सुपर्णों-गृहणों में सग्राम होने पर।

नदियाँ

स्थानाग, सू ८८ में भरतक्षेत्र में बहनेवाली दो महानदियों के नामों का उल्लेख है गगा और सिंधु। यहाँ यह याद रखना चाहिए कि गगा नाम आर्यभाषाभाषियों के उच्चारण का है। इसका वास्तविक नाम तो 'खोंग' है। 'खोंग' शब्द तिब्बती भाषा का है जिसका अर्थ होता है नदी। इस शब्द का भारतीय उच्चारण गगा है। यह शब्द अति लम्बे काल से अपने मूल अर्थ को छोड़ कर विशेष नदी के नाम के रूप में प्रचलित हो गया है। सू० ४१२ में गगा, यमुना, सरयू, ऐरावती और मही—ये पाँच नदियाँ महार्णवरूप अर्थात् समुद्र के समान कही गई हैं। इन्हें जैन श्रमणों व श्रमणियों को महोने में दोनों बार पार करने के लिए कहा गया है।

राजधानियाँ

स्थानाग सू० ७१८ में भरतक्षेत्र की निम्नोक्त दस राजधानियों के नाम दिनाये गये हैं चपा, मथुरा, वाराणसी, श्रावस्ती, साकेत, हस्तिनापुर,

१ एक प्रकार का व्यन्तर देव

२ भवनपति देवों की दो जातियाँ

कापिल्य, विदिला, कौशांबी और राजगृह। वृत्तिकार ने इनसे सम्बन्धित देशों के नाम इस प्रकार चताये हैं - लग, दूर्लेन, काशो, मुणाल, कोशल, कुर, पाचाल, विरेह, वल्म और मगध। वृत्तिकार ने यह भी लिखा है कि अमण-अमणियों को ऐसी गजघानियों में उत्तमा के तीर पर अर्थात् नामान्यतया भहीने में दोन्हीन बार अद्यता इससे अधिक प्रवेश नहीं करना चाहिए यद्योऽकि वही योवनसम्बन्ध रमणीय वारांगनाओं एव लाय मोहक सुया वाग्नोत्तेजक गामधी के दर्शन से अनेक प्रकार के दूषणों को नमावना रहती है। वृत्तिकार ने यह एक विशेष महत्वपूर्ण दात लिखी है जिसको और यत्तमानकालीन अमणमण का घ्यान आगृह्णि होना अत्यावश्यक है। राजघानियों तो अनेक हैं किन्तु वही दस परि विवशा के कारण इस ही नाम गिराये गये हैं।

चृष्टि

इसी अग के ग्रू० १७६ में अल्पवृष्टि एव महावृष्टि के सीनन्तीन कारण बतलाये गये हैं १. जिस देश अथवा प्रदेश में जलयोनि के जीव अथवा पुद्गल अन्य मात्रा में ही वही अल्पवृष्टि होती है २. जिस देश अथवा प्रदेश में देव, नाग, यश, भूत आदि की नम्यगृ आराधना न होती हो वही अल्पवृष्टि होती है ३. जहाँ से जलयोनि के पुद्गलों अर्थात् बादलों को बायु अन्यत्र गोन ले जाता है अथवा विग्रे देता है वही अल्पवृष्टि होती है ४. इनसे लोक विपरोत तीन कारणों से बहुवृष्टि अथवा महावृष्टि होती है ५. यही चताये गये देव, नाग, यश, भूत आदि की आराधना रुह कारण का बृष्टि के साथ यथा कायंकारण मन्दन्ध है, यह समझ में नहीं आता । गम्भीर है, इसका सम्बन्ध वैदिक परम्परा की उस मान्यता से ही जिसमें यज्ञ द्वारा देवों को प्रमन्त कर उनके द्वारा मेषों का प्रादुर्भाव माना जाता है ।

इस प्रकार इन दोनों अंगों में अनेक विषयों का परिचय प्राप्त होता है। वृत्तिकार ने अति परिश्रमपूर्वक इन पर विवेचन लिखा है। इयसे सूत्रों की समझने में बहुत नहायता मिलती है। यदि यह वृत्ति न होती तो इन अंगों को मन्दूर्जन्तया समझना असवध नहीं तो भी दु शय तो अवश्य होता। इस दृष्टि से वृत्तिकार की बहुश्रुतता, प्रवचनभक्ति एव अन्य परम्परा के ग्रन्थों का उपयोग की वृत्ति विशेष प्रशसनीय है ।



षष्ठ प्रकरण

व्याख्याप्रज्ञप्ति

पांचवें अंग का नाम वियाहपणति—व्याख्याप्रज्ञप्ति^१ है। अन्य अंगों की अपेक्षा अधिक विशाल एवं इसीलिए अधिक पूज्य होने के कारण इसका दूसरा नाम भगवती भी प्रसिद्ध है। विधमान व्याख्याप्रज्ञप्ति का ग्रथांग १५००० इलोक-प्रमाण है। इसका प्राकृत नाम वियाहपणति है किन्तु लेखको—प्रतिलिपिकारों की असाधानी के कारण कही-कही विवाहपणति तथा विवाहपणति पाठ भी उपलब्ध होता है। इस प्रकार वियाहपणति, विवाहपणति एवं विवाहपणति इन तीन पाठों में वियाहपणति पाठ ही प्रामाणिक एवं प्रतिष्ठित है। जहाँ कहीं यह नाम सस्कृत में आया है, सबत्र व्याख्याप्रज्ञप्ति शब्द का ही प्रयोग हुआ है। वृत्तिकार अभयदेवसूरि ने इन तीनों पाठों में से वियाहपणति पाठ की व्याख्या

-
- (अ) अभयदेवकृत वृत्तिसहित—आगमोदय समिति, बम्बई सन् १९१८-१९२१, घनपतर्सिंह बनारस, सन् १८८२, ऋषभदेवजी केशरीमलजी जैन द्वे० संस्था, रत्लाम, सन् १९३७-१९४० (१४ शतक तक)
- (आ) १५ वें शतक का अंग्रेजी अनुवाद—Hoernle, Appendix to उपासकदशा, Bibliotheca Indica, Calcutta, 1885-1888.
- (इ) षष्ठ शतक तक अभयदेवकृत वृत्ति व उसके गुजराती अनुवाद के साथ—बैचरदास दोशी, जिनागम प्रकाशक सभा, बम्बई, वि, स १९७४-१९७९, शतक ७-१५ मूल व गुजराती अनुवाद—भावानदास दोशी, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, वि स १९८५, शतक १६-४१ मूल व गुजराती अनुवाद—भगवान दास दोशी, जैन साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट, अहमदाबाद, वि स १९८८
- (ई) भगवतीसार गुजराती छायानुवाद—गोपालदास जीवाभाई पटेल, जैन साहित्य प्रकाशन समिति, अहमदाबाद, सन् १९३८
- (उ) हिन्दी विषयानुवाद (शतक १-२०)—मदनकुमार मेहता, श्रुत-प्रकाशन-मन्दिर, कलकत्ता, वि स २०११
- (ऊ) सस्कृत व्याख्या व उसके हिन्दी-गुजराती अनुवाद के साथ—मुनि घासी-लाल, जैन शास्त्रोद्धार समिति, राजकोट, सन् १९६१
- (ऋ) हिन्दी अनुवाद के साथ—अमोलक ऋषि, हैदराबाद, वि स २४४६

सर्वप्रथम करके इस पाठ को विशेष महस्त्र दिया है। व्याख्याप्रज्ञपति शब्द की व्याख्या वृत्तिकार ने अनेक प्रकार से की है

१. वि + आ + ख्या + प्र + ज्ञप्ति अर्थात् विविध प्रकार से समग्रतया कथन का प्रकृष्ट निरूपण। जिस ग्रन्थ में कथन का विविध ढंग से सम्पूर्णतया प्रकृष्ट निरूपण किया गया हो वह ग्रन्थ व्याख्याप्रज्ञपति कहलाता है वि विविधाः, आ अभिविधिना, ख्या. ख्यानानि भगवतो महावीरस्य गौतमादिविनेयान् प्रति प्रश्नितपदार्थप्रतिपादनानि व्याख्या ता प्रज्ञाप्यन्ते प्रख्यन्ते भगवता सुधर्मस्वामिना जम्बूनामानमभि यस्याम्।

२. वि + आख्या + प्रज्ञप्ति अर्थात् विविधतया कथन का प्रज्ञापन। जिस शास्त्र में विविध रूप से कथन का प्रतिपादन किया गया हो उसका नाम है व्याख्याप्रज्ञपति। वृत्तिकार ने इस व्याख्या को यो बताया है वि विविधतया विशेषेण वा आख्यायन्ते इति व्याख्या ता प्रज्ञाप्यन्ते यस्याम्।

३. व्याख्या + प्रज्ञा + आप्ति अथवा आत्ति अर्थात् व्याख्यान की कुशलता से प्राप्त होने वाला अथवा ग्रहण किया जाने वाला श्रुतविशेष व्याख्याप्रज्ञपति अथवा व्याख्याप्रज्ञाति कहलाता है।

४. व्याख्याप्रज्ञ + आप्ति अथवा आत्ति अर्थात् व्याख्यान करने में प्रज्ञ अर्थात् कुशल भगवान् से गणघर को जिस ग्रथ द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो अथवा कुछ ग्रहण करने का अवसर मिले उसका नाम व्याख्याप्रज्ञाप्ति अथवा व्याख्याप्रज्ञाति है।

विवाहप्रज्ञपति की व्याख्या वृत्तिकार ने इस प्रकार की है वि + वाह + प्रज्ञप्ति अर्थात् विविध प्रवाहों का प्रज्ञापन। जिस शास्त्र में विविध अथवा विशिष्ट अर्थप्रवाहों का निरूपण किया गया हो उसका नाम है विवाहप्रज्ञपति—विवाहपृष्णति।

इसी प्रकार विवाहप्रज्ञपति का अर्थ बताते हुए वृत्तिकार ने लिखा है कि वि अर्थात् रहित वाध अर्थात् वाधा एव प्रज्ञप्ति अर्थात् निरूपण याने जिस ग्रन्थ में वाधारहित अर्थात् प्रमाण से अवाधित निरूपण उपलब्ध हो उसका नाम विवाह-प्रज्ञपति—विवाहपृष्णति है। इन शब्दों में भी आप्ति एव आत्ति जोड़कर पूर्ववत् अर्थ समझ लेना चाहिए।

उपलब्ध व्याख्याप्रज्ञपति में जो शैली विद्यमान है वह गौतम के प्रश्नों एव मगवान् महावीर के उत्तरों के रूप में है। यह शैली अति प्राचीन प्रतीत होती है। अचेलक परम्परा के ग्रथ राजवार्तिक में भट्ट अकलक ने व्याख्याप्रज्ञपति में इस प्रकार की शैली होने का स्पष्ट उल्लेख किया है। एव हि व्याख्या-प्रज्ञपतिदण्डकेषु उक्तम् इति गौतमप्रश्ने भगवता उक्तम् (अ० ४, सू० २६, पू० २४५)।

इस अग के प्रकरणों को 'मय'—'शत' नाम दिया गया है। जैन परम्परा में 'शतक' शब्द प्रभिद्ध ही है। यह 'शत' का ही रूप है। प्रत्येक प्रकरण के अन्त में 'मय ममत' ऐमा पाठ मिलता है। शत अथवा शतक में उद्देशक रूप उपरिभाग है। ऐमे उपरिभाग कुछ शर्तकों में दम-दस है और कुछ में इससे भी अधिक है। इकुनालोमवे शतक में १९६ उद्देशक है। कुछ शर्तकों में उद्देशकों के स्थान पर वग है जबकि कुछ में शतनामक उपरिभाग भी हैं एवं इनकी संख्या ११४ तक है। केवल पन्द्रहवें शतक में कोई उपरिभाग नहीं है। शत अथवा शतक का अर्थ सी होता है। इन शर्तकों में सी का कोई सम्बन्ध दृष्टिगोचर नहीं होता। यह शत अथवा शतक नाम प्रस्तुत ग्रथ में रुढ़ है। कदाचित् कभी यह नाम अन्वयं रहा हो। इस सम्बन्ध में वृत्तिकार ने कोई विशेष स्पष्टीकरण नहीं किया है।

मगल

भगवती के अतिरिक्त अग अथवा अगवाह्य किसी भी सूत्र के प्रारम्भ में मगल का कोई विशेष पाठ उपलब्ध नहीं होता। इस पांचवें अग के प्रारम्भ में 'नमो अरिहताण' आदि पांच पद देकर शास्त्रकार ने मगल किया है। इसके बाद नमो वभीए लिवीए' द्वारा आहो लिपि को भी नमस्कार किया है। तदनन्तर प्रस्तुत अग के प्रथम शतक के उद्देशकों में वर्णित विषयों का निवेश करनेवाली एक संग्रह-नाया दी गई है। इस गाया के बाद 'नमो सुअस्स' रूप एक मगल और आता है। इसे प्रथम शतक का मगल कह सकते हैं। शतक के प्रारम्भ में उपोद्घात है जिसमें राजगृह नगर, गुणशिलक चैत्य, राजा श्रेणिक तथा रानी चिल्लणा का उल्लेख है। इसके बाद भगवान् महावीर तथा उनके गुणों का विस्तृत वर्णन है। तदनन्तर भगवान् के प्रथम शिष्य इन्द्रभूति गौतम, उनके गुण, शरीर आदि का विस्तृत परिचय है। इसके बाद 'इद्रभूति ने भगवान् से यो कहा' इस प्रकार के उल्लेख के साथ इस सूत्र में अनेक प्रकार के प्रश्न व उनके उत्तर हैं किन्तु अधिक भाग स्वर्गों, सूर्यों, इन्द्रो, असुरकुमारो, असुरकुमारेन्द्रो, उनकी अग्रमहिपियो, उनके लोकपालो, नरको आदि से सम्बन्धित हैं। कुछ प्रश्न एक ही समान है। उनके उत्तर पूवत् समझ लेने का निवेश किया गया है। कुछ स्थानों पर पन्नवणा, जीवाभिगम, नदी आदि के समान तदृतदृ विषयों को समझ लेने का भी उल्लेख किया गया है। वैसे देखा जाय तो प्रथम शतक विशेष महत्वपूर्ण है। आगे के शतकों में किसी न किसी रूप में प्राय प्रथम शतक के विषयों की ही चर्चा की गई है। कुछ स्थानों पर अन्यतीयिकों के मर्त दिये गये हैं किन्तु उनका कोई विशेष नाम नहीं बताया गया है। इस अग में

प्रश्न—पृथ्वीकाय यावत् बनस्पतिकाय के जीव कितने समय में श्वास लेते हैं ।

उत्तर—विविध समय में अथर्व विविध रीति से श्वास लेते हैं ।

प्रश्न—व्याय ये सब जीव आहार लेते हैं ?

उत्तर—हाँ ये सभी जीव आहार लेते हैं ।

प्रश्न—ये सब जीव कितने समय में आहार ग्रहण करते हैं ?

उत्तर—ये सब जीव निरन्तर आहार ग्रहण करते हैं ।

ये जीव जिन पुद्गलों का आहार करते हैं वे काले, नीले, पीले, लाल एवं सफेद होते हैं । ये सब सुगन्धी भी होते हैं और दुगन्धी भी । स्वाद में सब प्रकार के स्वादों से युक्त होते हैं एवं स्पर्श में सब प्रकार के स्पर्श वाले होते हैं ।

इसी प्रकार के प्रश्न द्विन्द्रिय, त्रीन्द्रिय एवं चतुरन्द्रिय सम्बन्धी भी हैं ।

प्रश्न—जीव आत्मारभी हैं, परारभी हैं, उभयारभी हैं अथवा अनारभी हैं ?

उत्तर—कुछ जीव आत्मारम्भी भी हैं, परारभी भी हैं उभयारभी भी हैं तथा कुछ जीव आत्मारभी भी नहीं हैं, परारभी भी नहीं हैं और उभयारभी भी नहीं है किन्तु केवल अनारम्भी हैं ।

यहाँ आरम्भ का अर्थ आक्षवद्वार सम्बन्धी प्रवृत्ति है । यतनारहित आचरण करने वाले समस्त जीव आरम्भी ही हैं । यतनासहित एवं शस्त्रोष्ठ विधान के अनुमार आचरण करने वाले जीव भी वैसे तो आरम्भी हैं किन्तु यतना यी अपदा से अनारम्भी हैं । सिद्ध आत्माएँ अपारीरा होने के कारण अनारम्भी ही हैं ।

प्रश्न—व्या असयत अथवा अविरत जीव भी मृत्यु के बाद देव होते हैं ?

उत्तर—हाँ, होते हैं ।

प्रश्न—यह वैसे ?

उत्तर—जिन्होंने भूम्य, प्याम, दाम, भच्छर आदि के उपगमं अनिच्छा में भी महे हैं वे धाणव्यन्तर नामक देवों यी गति प्राप्त करते हैं । जिन्होंने ग्रामग्रा या अनिच्छा में भी पालन किया है इम प्रधार की पुन्नीन वालविधारां अद्वा अद्वय आदि प्राणी देवगति प्राप्त करते हैं । जिन्होंने अनिच्छापूर्यं गी र्णा, ताम आदि गङ्गन त्रिया है वे भी देवगति प्राप्त करते हैं ।

देवगति :

जो असयत हैं अर्थात् उपर-ऊपर से सयम के उग्र अनुष्ठानों का आचरण करने वाले हैं एवं भीतर से केवल मान-पूजा-प्रतिष्ठा के ही अभिलाषी हैं वे मर कर कम से कम भवनवासी नामक देवगति में उत्पन्न होते हैं व अधिक से अधिक ग्रैवेयक नामक विमान में देवरूप से उत्पन्न होते हैं। जो सयम की अधिकाशतया निर्दोष आराधना करते हैं वे कम से कम सौधर्म नामक स्वर्ग में व अधिक से अधिक सर्वार्थसिद्ध नामक विमान में देव होते हैं। जिन्होंने सयम की विराधना की हो अर्थात् सयम का दूषित ढग से पालन किया हो। वे कम से कम भवनवासी देवयोनि में व अधिक से अधिक सौधर्म देवलोक में जन्म ग्रहण करते हैं। जो श्रावक धर्म का अधिकाशतया निर्दोष ढग से पालन करते हैं वे कम से कम सौधर्म देवलोक में व अधिक से अधिक अच्युत विमान में देवरूप से उत्पन्न होते हैं। जिन्होंने श्रावकधर्म का दूषित ढग से पालन किया हो वे कम से कम भवनवासी व अधिक से अधिक ज्योतिष्क देव होते हैं। जो जीव असज्जी हैं अर्थात् मन-रहित हैं वे परवशता के कारण दुःख सहन कर भवनवासी देव होते हैं अथवा वाणव्यन्तर की गति प्राप्त करते हैं। तापस लोग अर्थात् जो जिनप्रवचन का पालन करने वाले नहीं हैं वे धोग तप के कारण कम से कम भवनवासी एवं अधिक से अधिक ज्योतिष्क देवों की गति प्राप्त करते हैं। जो कादर्पिक हैं अर्थात् बहुरूपादि द्वारा दूसरों को हँसाने वाले हैं वे केवल वाह्यरूप से जैन सयम की आराधना कर कम से कम भवनवासी एवं अधिक से अधिक सौधर्म देव होते हैं। चरक अर्थात् जोर से आवाज लगाकर भिक्षा प्राप्त करने वाले श्रिदण्डी, लगोटधारी तथा परिदाजक अर्थात् कपिलमुनि के शिष्य कम से कम भवनवासी देव होते हैं एवं अधिक से अधिक ब्रह्मलोक नामक स्वर्ग तक पहुँचते हैं। किल्विष्क अर्थात् बाह्यतया जैन सयम की साधना करते हुए भी जो ज्ञान का, ज्ञानी का, धर्माचार्य का, साधुओं का अवरणवाद यानि निन्दा करने वाले हैं वे कम से कम भवनवासी देव होते हैं एवं अधिक से अधिक लातक नामक स्वर्ग तक पहुँचते हैं। जिनमार्गानुयायी तिर्यक्च अर्थात् गाय, बैल, धोड़ा आदि कम से कम भवनवासी देवरूप से उत्पन्न होते हैं एवं अधिक से अधिक लातक से भी आगे आये हुए सहस्रार नामक स्वर्ग तक जाते हैं। वृत्तिकार ने बताया है कि तिर्यक्च भी अपनी मर्यादा के अनुसार श्रावकधर्म का पालन कर सकते हैं। आजीविक अर्थात् आजीविक मत के अनुयायी कम से कम भवनवासी देव होते हैं एवं अधिक से अधिक सहस्रार से भी आगे आये हुए अच्युत नामक स्वर्ग तक जा सकते हैं। आभियोगिक अर्थात् जो जैन वेष्वारी होते हुए भी मत्र, तत्र, वशीकरण आदि का प्रयोग करने वाले हैं, सिर पर विभूति अर्थात् वासक्षेप छालने वाले हैं, प्रतिष्ठा के लिए निमित्तशास्त्र आदि का उपयोग

करने वाले हैं वे कम से कम भवनवासी देव होते हैं एव अधिक से अधिक अच्युत नामक स्थार्ग मे जाते हैं। स्वर्लिंगो अर्थात् केवल जैन वेप धारण करने वाले सम्यगदर्शनादि से भ्रष्ट सातु कम मे कम भवनवासी देवस्तप से उत्पन्न होते हैं व अधिक से अधिक ग्रैवेयक विमान मे देव बनते हैं। यह मब देवगति प्राप्त होने की अवस्था मे ही समझना चाहिए, अनिवार्य स्तप मे अर्थात् सामान्य नियम के तोर पर नहीं।

उपर्युक्त उल्लेख मे महावीर के समकालीन आजीविको, वैदिक परम्परा के तापसो एव परिव्राजको तथा जैन श्रमण श्रमणियो एव श्रावक-श्राविकाओं का निर्देश है। इसमे केवल एक बीढ़ परम्परा के भिन्नओं का कोई नामनिर्देश नहीं है। ऐसा क्यों? यह एक विधारणीय प्रश्न है। यह भी विचारणीय है कि जो केवल जैन वेपधारी हैं व वाह्यतया जैन अनुष्ठान करने वाले हैं किन्तु वस्तुत सम्यगदर्शनरहित हैं वे कौन्ते से कौन्ते स्वग तक कैसे पहुँच सकते हैं जबकि उसी प्रकार के अन्य वेपधारी मिथ्यादृष्टि वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तात्पर्य यह जान पड़ता है कि जैन वाह्य आचार की कठिनता और उग्रता अन्य श्रमणो और परिव्राजकों की अपेक्षा अधिक सयम प्रधान थी जिसमे हिमा आदि पापाचार की वाह्यरीति से सभावना कम थी। अतएव दर्शनविशुद्धि न होने पर भी अन्य मिथ्यादृष्टि की अपेक्षा जैनश्रमणो को उच्च स्थान दिया गया है।

काक्षामोहनीय ।

निर्ग्रन्थ श्रमण काक्षामोहनीय कर्म का किस प्रकार वेदन करते हैं—अनुभव करते हैं। इसका उत्तर देते हुए सूत्रकार ने आगे बताया है कि ज्ञानान्तर, दर्शनान्तर, चारित्रान्तर, लिंगान्तर, प्रवचनान्तर, प्रावचनिकान्तर, कल्पान्तर, मार्गान्तर, मतान्तर, भगान्तर, नयान्तर, नियमान्तर एव प्रमाणान्तररूप कारणो से शक्ति, काक्षित, विचिकित्सित, वुद्धिमेद तथा चित्त की कलुषितता को प्राप्त निर्ग्रन्थ श्रमण काक्षामोहनीय कर्म का वेदन करते हैं। इन कारणो की व्याख्या वृत्तिकार ने इस प्रकार की है—

ज्ञानान्तर—मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय व केवल रूप पांच ज्ञानो—ज्ञान के प्रकारो के विषय मे शका करना।

दर्शनान्तर—चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन आदि दर्शन के अवान्तर भेदो के विषय मे श्रद्धा न रखना अथवा सम्यकत्वरूप दर्शन के औपशमिकादि भेदो के विषय मे शका करना।

चारित्रान्तर—सामायिक, छेदोपस्थापनीय आदि रूप चरित्र के प्रति सशय रखना।

प्रयत्ननान्तर—जगुर्गाम एव पंचायम के भेद के विषय में चरा परा।

प्रावसनिश्चान्तर—प्रावसनिर छर्यत् प्रयत्नम का ज्ञाता। प्रावसनिको के निम्नभिन्न लापार-इषारों के प्रति चरा करा।

इन्द्रान्तर—इन्द्र छर्यता आपार। आपार के अपेक्षत्व, अनेकत्र भादि भेदों के प्रति संगम रहना।

मार्गान्तर—गाग छर्यत् परम्परा से जली जाने वाली गामानारी। विदिष प्रदार वी जामानारी से विषय में छथडा रहना।

मतान्तर—परम्परा से उसे जाने वाले शुभ-अवासरों के प्रति छथडा रहना।

नियमान्तर—एक नियम के अनुगत छाय तियमानारों के प्रति अविश्वाय रहना।

प्रमाणान्तर—प्रत्यक्षस्त्रय एक प्रमाण के अतिरिक्त अन्य प्रमाणों के प्रति विश्वाय न रहना।

इसी प्रदार छाय बारों के स्वास्त्र के विषय में भी समझ रहा थाहिये।

शेष अनगार के इस प्रदन के उत्तर में हि जीव पट्टा है गा अजीव, भगवान् में द्वनादा है कि इन दोनों में से अमृत गहने हैं और अमृत वाद में, ऐसा कोई अन्य नहीं है ये दोनों वदार्थ वादवत् हैं—गात्र है।

लोक वा आपार ।

गोतम द्वे इस प्रदन के उत्तर में हि समष्टि लोक विद्युते आपार पर रहा हुआ है, नगवान् ने बनाया है कि आहार से आपार पर यातु, यातु के आपार पर यानुह, यानुह के आपार पर पृथ्वी तथा पृथ्वी के आपार पर समस्त त्रिग एव इयावर जीव रहे हुए हैं। समस्त जीव जीवों के आपार पर रहे हुए हैं। लोक का ऐसा आपार-अपेय नाम है, यह विस आपार पर बहुजा समर्पा है? इसके उत्तर में निम्न उदाहरण दिया गया है ।—

एक घडी मध्याह्न में इता भर भर छपर से बींग दी जाय। वाद में उसे योंच से बींग वर छपर का मुँह सोल दिया जाय। इसके छपर के भाग पी हथा निफल जायगी। किर उस गाली भाग में पानी भर गर छपर से मुँह बींग दिया जाय य बींग की गाठ स्लोल दी जाय। इसमें छपर के भाग में भरा हुआ पानी नीचे भरी हृद्द द्वारा के आधार पर टिका रहेगा। इसी प्रकार लोक पृथन के आधार पर रहा हुआ है। अथवा जैसे कोई मनुष्य अपनी गमर पर हृया से भरी हृद्द मध्यक बींग फर पानी के छपर तैरता रहता है, हृया नहीं उसी प्रकार वायु के आपार पर समग्र स्लोक टिका हुआ है। इन उदाहरणों की परीक्षा आसानी से की जा सकती है।

पाश्वर्पित्य

पाश्वर्पित्य की परम्परा के श्रमणों अर्थात् पाश्वर्पित्यो द्वारा पूछे गये कुछ प्रश्न प्रस्तुत मूल में मग्नीत हैं। कालासवेसियपुत्त नामक पाश्वर्पित्य भगवान् महावीर के शिष्यों से कहते हैं कि हे स्थविरो! आप लोग सामायिक नहीं जानते, सामायिक का अर्थ नहीं जानते, प्रत्याख्यान नहीं जानते, प्रत्याख्यान का अर्थ नहीं जानते, सयम नहीं जानते, सयम का अर्थ नहीं जानते, सबर व सबर का अर्थ नहीं जानते, विवेक व विवेक का अर्थ नहीं जानते, व्युत्सर्गं व व्युत्सर्गं का अर्थ नहीं जानते। यह सुनकर महावीर के शिष्य कालासवेसियपुत्त से कहते हैं कि हे आप! हम लोग सामायिक आदि व सामायिक आदि का अथ जानते हैं। यह सुन कर पाश्वर्पित्य अनगार ने उन स्थविरों से पूछा कि यदि आप लोग यह सब जानते हैं तो बताइए कि सामायिक आदि क्या है व सामायिक आदि का अथ क्या है? इसका उत्तर देते हुए वे स्थविर कहने लगे कि अपनी आत्मा सामायिक है व अपनी आत्मा ही सामायिक का अर्थ है। इसी प्रकार आत्मा ही प्रत्याख्यान व प्रत्याख्यान का अथ है, इत्यादि। यह सुनकर पाश्वर्पित्य अनगार ने पूछा कि यदि ऐसा है तो फिर आप लोग क्रोध, मान, माया व लोभ का त्याग करने के बाद इनकी गर्हा—निन्दा क्यों करते हैं? इसके उत्तर में स्थविरों ने कहा कि सयम के लिए हम क्रोधादि की गर्हा करते हैं। यह सुन कर कालासवेसियपुत्त ने पूछा कि गर्हा सयम है या अगर्हा? स्थविरों ने कहा कि गर्हा सयम है, अगर्हा सयम नहीं। गर्हों समस्त दोषों को दूर करती है एव उसके द्वारा हमारी आत्मा सयम में स्थापित होती है। इससे आत्मा में सयम का उपचय अर्थात् सग्रह होता है। यह सब सुनकर कालासवेसियपुत्त को सतोष हुआ और उन्होंने महावीर के स्थविरों को बदन किया, नमन किया व यह स्वीकार किया कि सामायिक से लेकर व्युत्सर्ग तथा गर्हा तक के सब पदों का मुझे ऐसा ज्ञान नहीं है। मैंने इस विषय में ऐसा विवेचन भी नहीं सुना है। इन सब पदों का मुझे ज्ञान नहीं है, अभिगम नहीं है अत ये सब पद मेरे लिए अदृष्ट हैं, अश्रुतपूव हैं, अस्मृतपूव हैं, अविज्ञात हैं, अव्याकृत हैं, अपृथक्कृत हैं, अनुदृष्ट हैं, अनवधारित हैं। इसीलिए जैसा आपने कहा वैसी मुझे श्रद्धा न थी, प्रतीति न थी, रुचि न थी। अब आपकी बताई हुई सारी बातें मेरी समझ में आ गई हैं एव वैसी ही मेरी श्रद्धा, प्रतीति व रुचि हो गई है। यह कह कर कालासवेसियपुत्त ने उन स्थविरों की परम्परा में मिल जाने का अपना विचार व्यक्त किया। स्थविरों की अनुमति से वे उनमें मिल गये एव नगनभाव, मु डभाव, अस्नान, अदन्तधावन, अछव, अनुपानहता (जूते का त्याग), भूमिशब्द्या, ब्रह्मचर्यवास, केशलोच, भिक्षाग्रहण आदि नियमों का पालन कर सिद्ध, वृद्ध, मुक्त हुए।

इस उल्लेख से यह स्पष्ट मालूम होता है कि श्रमण भगवान् महावीर य श्रमण भगवान् पादवनाय को परम्पराओं के दीक्ष विद्येष भेद पा । इनके साथु एक-दूसरे को मान्यताओं से अपरिचित थे । इनमें परस्पर यदनव्यवहार भी न था । सूक्ष्माताग के योग्स्तुति अध्ययन में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान् महावीर ने स्त्रीत्याग एव रात्रिनोजनविरतमण रूप दो नियम नये बढ़ाये थे ।

पाचवें शतक में भी पादवापित्य स्वविरों की चर्चा आती है । उसमें यह बताया गया है कि पादवापित्य भगवान् महावीर के पास आकर विना यदना-नमस्कार रख्ये हो अथवा अन्य किमी प्रशार से विनय का भाव दियाये विना हो उनसे पूछने है कि असत्येय लोग में रात्रि य दियस अनन्त होने हैं अथवा परिमित ? भगवान् दोनों विकल्पों का उत्तर ही में दते हैं । इसका अर्थ यह है कि असत्येय लोग में रात्रि य दियस अनन्त भी होते हैं और परिमित भी । तब ये पादवापित्य भगवान् से पूछते हैं कि यह कसे ? इसके उत्तर में महावीर कहने हैं कि आपके पुण्यादानोंय पादव अहंत् ने लोग को पादवत कहा है, अनादि कहा है, अनन्त पहा है तथा परिमित भी कहा है । इसलिए उसमें रात्रि-दियस अनन्त भी होने हैं तथा परिमित भी । यह गुनकर उन पादवापित्यों ने भगवान् महावीर को संर्याएव सवदर्दी के रूप में पहचाना, उन्हें यन्दना-नमस्कार किया एव उनकी परम्परा को स्वीकार किया ।

इस उल्लेख से यह स्पष्ट है कि भगवान् महावीर य पादवनाय एक ही परम्परा के तीर्थंकर है, यह तथ्य पादवापित्यों को शात न था ।

इसी प्रकार का एक उल्लेख नवें शतक में भी आता है । गागेय नामक पादवापित्य अनागर ने विना यदना-नमस्कार किये ही भगवान् महावीर से नरकादि वियक्त कुछ प्रश्न पूछे जिनका महावीर ने उत्तर दिया । इसके बाद ही गागेय ने भगवान् को सर्वज्ञ-सर्वदर्दी के रूप में पहचाना । इसके पूर्ण उन्हें इस बात का पता न था अथवा निजत्य न था कि महावीर तीर्थंकर हैं, केयली हैं ।

वनस्पतिकाय ।

शतक सातवें व आठवें में वनस्पतिसम्बन्धी विवेचन है । सातवें शतक के तृतीय उद्देशक में बताया गया है कि वनस्पतिकाय के जीव यिस श्रुतु में अधिक से अधिक आहार ग्रहण करते हैं व किस श्रुतु में कम से कम आहार लेते हैं ? प्रावृद्धश्रुतु में अर्थात् श्रावण-भाद्रपद में तथा वर्षायश्रुतु में अर्थात् आश्विन-कात्तिक में वनस्पतिकायिक जोव अधिक से अधिक आहार लेते हैं । शारदश्रुतु, हेमतश्रुतु, व सन्तश्रुतु एव ग्रीष्मश्रुतु में इनका आहार उत्तरोत्तर कम होता जाता है

अर्थात् ग्रीष्मशूत्र में वनस्पतिकार्यिक जीव कम से कम आहार ग्रहण करते हैं। यह कथन वत्समान विज्ञान को दृष्टि से विचारणीय है। इसी उद्देशक में आगे बताया गया है कि आलू आदि अनन्त जीववाले वनस्पतिकार्यिक हैं। यहाँ मूल में 'आलुओं' शब्द का प्रयोग किया गया है। यह आलू अथवा आलूक नामक वनस्पति वत्समान में प्रचलित आलू से मिलती-जुलती एक भिन्न प्रकार की वनस्पति मालूम पड़ती है क्योंकि उस समय भारत में आलू की खेती होती थी अथवा नहीं, यह निर्दिष्ट नहीं है। प्रसगवशात् यह कहना भी अनुचित न होगा कि आलू मूँगफली की ही तरह डालियों पर लगने के कारण कदमूल में नहीं गिने लासकते। भगवान् ऋषभदेव के जमाने में युगलिक लोग कदाहारी-मूलहारी होते थे किर भी वे स्वर्ग में जाते थे। क्या वे कद और मूल वत्समान कद व मूल से भिन्न तरह के होते थे? वस्तुत सद्गति का सम्बन्ध मूलगुणों के पालन से अर्थात् जीवनशुद्धि से है, न कि कदादि के भक्षण और अभक्षण से।

जीव की समानता

सारवें शतक के आठवें उद्देशक में भगवान् ने बताया है कि हाथी और कुथु का जीव समान है। विशेष वर्णन के लिए सूत्रकार ने रायपसेणइज्ज सूत्र देखने की सूचना दी है। रायपसेणइज्ज में केशिकुमार श्रमण ने राजा पण्सो के साथ आत्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व के विषय में चर्चा की है। उस प्रसग पर एक प्रश्न के उत्तर में दीपक के प्रकाश का उदाहरण देकर हाथी और कुथु के जीव की समानता समझाई गई है। इससे जीव की सकृचन-प्रसारणशीलता सिद्ध होती है।

केवली

छठें शतक के दसवें उद्देशक में एक प्रश्न है कि क्या केवली इत्रियों द्वारा जानता है, देखता है? उत्तर में बताया गया है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। अठारहवें शतक के सातवें उद्देशक में एक प्रश्न है कि जब केवली के शरीर में यक्ष का आवेश आता है तब क्या वह अन्यतीर्थिकों के कथनानुसार दो भाषाएँ—असत्य और सत्यासत्य बोलता है? इसका उत्तर देते हुए बताया गया है कि अन्यतीर्थिकों का यह कथन मिथ्या है। केवली के शरीर में यक्ष का आवेश नहीं आता अतः यक्ष के आवेश से आवेष्टित होकर वह इस प्रकार की दो भाषाएँ नहीं बोलता। केवली सदा सत्य और असत्यमृषा—इस प्रकार की दो भाषाएँ बोलता है।

श्वासोच्छ्वास

द्वितीय शतक के प्रथम उद्देशक में प्रश्न है कि द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुर्निंद्रिय और पचेन्द्रिय जीवों की तरह क्या पृथ्वीकार्यिक आदि एकेन्द्रिय

जीव भी श्वासोच्छ्वास लेते हैं ? उत्तर में बताया गया है कि हाँ, लेते हैं । क्या वायुकाय के जीव भी वायुकाय को ही श्वासोच्छ्वास के रूप में ग्रहण करते हैं ? यहाँ पर वृत्तिकार ने यह स्पष्ट किया है कि जो वायुकाय श्वासोच्छ्वास के रूप में ग्रहण किया जाता है वह चेतना नहीं अपितु जड़ अर्थात् पुदगलरूप होता है । उसकी स्वतन्त्र वर्गणाएँ होती हैं जिन्हें श्वासोच्छ्वास-वर्गणा कहते हैं ।

जमालि-चरित ।

नवें शतक के तैतीसवें उद्देशक में जमालि का पूरा चरित्र है । उसमें उसे ब्राह्मणकुडग्राम से पश्चिम में स्थित क्षत्रियकुडग्राम का निवासी क्षत्रियकुमार बताया गया है तथा उसके माता-पिता का नाम नहीं दिया गया है । भगवान् महावीर के उसके नगर में आने पर वह उनके दर्शन के लिए गया एवं बोध प्राप्त कर भगवान् का शिष्य बना । बाद में उसका भगवान् के अमुक विचारों से विरोध होने पर उनसे अलग हो गया । इस पूरे वर्णन में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि जमालि महावीर का जामाता था अथवा उनकी कन्या से उसका विवाह हुआ था । जब वह दीक्षा ग्रहण करता है तब रजोहरण व पठिगग्न अर्थात् पात्र ये दो उपकरण ही लेता है । मुहूर्पत्ती आदि किन्हीं भी अन्य उपकरणों का इनके साथ उल्लेख नहीं है । जब जमालि भगवान् से अलग होता है और उनके अमुक विचारों से भिन्न प्रकार के विचारों का प्रचार करता है तब वह अपने आप को जिन एवं केवली कहता है तथा महावीर के अन्य छद्मस्थ शिष्यों से खुद को भिन्न मानता है । इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि 'जिन' और 'केवली' शब्द का प्रयोग उस समय के विचारक किस ढंग से करते थे । महावीर से अलग होकर अपनी भिन्न विचारधारा का प्रचार करने वाला गोशालक भी महावीर से यही कहता था कि मैं जिन हूँ, केवली हूँ एवं आपके शिष्य गोशालक से भिन्न हूँ । जब जमालि यो कहता है कि अब मैं जिन हूँ, केवली हूँ तब महावीर के प्रधान शिष्य इन्द्रभूति गौतम जमालि से कहते हैं कि केवली का ज्ञान-दर्शन तो पर्वतादि से निरुद्ध नहीं होता । यदि तुम सचमुच केवली अथवा जिन हो तो मेरे इन दो प्रश्नों के उत्तर दो—यह लोक शाश्वत है अथवा अशाश्वत ? यह जीव शाश्वत है अथवा अशाश्वत ? ये प्रश्न सुनकर जमालि निरुत्तर हो गया । यह देख कर भगवान् महावीर जमालि से कहने लगे कि मेरे अनेक शिष्य जो कि छद्मस्थ हैं इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं । फिर भी वे तुम्हारी तरह यो नहीं कहते कि हम जिन हैं, केवली हैं । अन्त में जब जमालि मृत्यु को प्राप्त होता है तब गौतम भगवान् से पूछते हैं कि आपका जमालि नामक कुशिष्य मरकर किस गति में गया ? इसका उत्तर देते हुए महावीर कहते हैं कि मेरा कुशिष्य अनगार जमालि मरकर अघम जाति की

देवगति में गया है। वह ससार में धूमता-धूमता अन्त में सिद्ध होगा, बुद्ध होगा, मृक्त होगा।

शिवराजपि

ग्यारहवें शतक के नवें उद्देशक में हस्तिनागपुर के राजा शिव का वर्णन है। इस राजा को इतिहास की दृष्टि से देखा जाय अथवा केवल दत्तकथा की दृष्टि से, इसका निष्ठान नहीं किया जा सकता। इसके सामत राजा भी थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यह कोई विशिष्ट राजा रहा होगा। इसे तापस होने की इच्छा होती है अत अपने पुत्र शिवभद्र को गद्दी पर बैठाकर स्वयं दिशाप्रोक्षक परम्परा की दीक्षा स्वीकार करने के लिए गगा के किनारे रहने वाले बानप्रस्थ तापसों के पास आता है एव उससे दीक्षा लेता है। दीक्षा लेते ही वह निरन्तर षष्ठ तप करने की प्रतिज्ञा करता है। इस तप के साथ वह रोज आतापनाभूमि पर आतापना लेता है। उसकी निष्य की चर्चा इस प्रकार बताई गई है षष्ठ तप के पारणा के दिन वह आतापना-भूमि से उत्तर कर नीचे आता है, वृक्ष की छाल के कपड़े पहनता है, अपनी क्षोपड़ी में आता है फिर किछिण अर्थात् बास का पात्र एव सकाइय—सकायिक अर्थात् कावड़ ग्रहण करता है। बाद में पूर्वदिशा का प्रोक्षण (पानी का छिड़काव) करता है एव ‘पूर्वदिशा के सोम महाराज घर्म-साधना में प्रवृत्त शिवराज की रक्षा करें व पूर्व में रहे हुए कद, मूल, पत्र, पुष्प, फल आदि लेने की अनुमति दें’ यो कहकर पूर्व में जाकर कदादि से अपना कावड़ भरता है। बाद में शास्त्रा, कुश, समिधा, पत्र आदि लेकर अपनी क्षोपड़ी में आता है। आकर कावड़ आदि रखकर वेदिका को साफ कर पानी व गोबर से पुताई करता है। बाद में हाथ में शास्त्रा व कलश लेकर गगानदी में उत्तरता है, स्नान करता है, देवकमं-पितृकमं करता है, शास्त्रा व पानी से भरा कलश लेकर अपनी क्षोपड़ी में आता है, कुश आदि द्वारा वेदिका बनाता है, अरणि को विसकर अरिन प्रकट करता है, समिधा आदि जलाता है व अग्नि की दाहिनी ओर निम्नोक्त सात वस्तुएँ रखता है सक्या (तापस का एक उपकरण) वल्कल, ठाण अर्थात् दीप, शश्योपकरण, कमण्डल, दण्ड और सातवाँ वह खुद। तदनन्तर मधु, धी और चावल अरिन में होम करता है, चरुबलि तैयार करता है, चरुबलि द्वारा वेश्वदेव बनाता है, अतिथि की पूजा करता है और बाद में भोजन करता है। इसी प्रकार दक्षिण दिशा के यम महाराज की, पश्चिम दिशा के वरुण महाराज की एव उत्तर दिशा के वैश्रमण महाराज की अनुमति लेकर उपयुक्त सब क्रियाएँ करता है।

ये शिवराजपि यो कहते थे कि यह पृथ्वी सात द्वीप व सात समुद्र वाली है। इसके बाद कुछ नहीं है। जब इन्हे भगवान् महावीर के आगमन का पता

लगता है तब ये उनके पास जाकर उनका उपदेश सुनकर उनके शिष्य हो जाते हैं। ग्यारह अग पढ़कर अन्त में निर्वाण प्राप्त करते हैं।

परिद्राजक तापस :

जैसे इस सूत्र में कई तापसों का वर्णन आता है वैसे ही औषधातिक सूत्र में परिद्राजक तापसों के अनेक प्रकार बताये गये हैं यथा—अग्निहोत्रीय, पोतिय—लुगी पहनने वाले, कोतिय—जमीन पर सोने वाले, जन्मई—यज्ञ करने वाले, हुबउठठ—कुड़ी रखने वाले श्रमण, दत्तवत्तलिय—दाँतों से कच्चे फल खाने वाले, उम्जग—केवल हुबकी लगाकर स्नान करने वाले, समजग—बार-बार हुबकी लगाकर स्नान करने वाले, निमज्जग—स्नान के लिए पानी में लम्बे समय तक पड़े रहने वाले, सपवत्तालग—शरीर पर भिट्ठी धिस कर स्नान करने वाले, दक्षिणकूलग—गगा के दक्षिणी किनारे रहने वाले, उत्तरकूलग—गगा के उत्तरी किनारे रहने वाले, सखघमग—अतिथि को खाने के लिए निमन्त्रित करने हेतु शख फूँकने वाले, कूलघमग—किनारे पर खड़े रह कर अतिथि के लिए आवाज लगाने वाले, मियलुद्यम—मृगलुब्धक, हस्तितापस—हाथी को मारकर उससे जीवन-निर्वाह करने वाले, उद्दडक-दण्ड ऊँचा रखकर फिरने वाले, दिशाप्रोक्षक—पानी द्वारा दिशा का प्रोक्षणकर—फल लेने वाले, वल्कवासी—वल्कल पहनने वाले चेलवासी—कपड़ा पहनने वाले, वेलवासी—समुद्र-तट पर रहने वाले, जलवासी—पानी में बैठे रहने वाले, बिलवासी—बिलों में रहने वाले, बिना स्नान किए न खाने वाले, बृक्षमूलिक—बृक्ष के मूल के पास रहने वाले, जलभक्षी—केवल पानी पीने वाले, वायुभक्षी—केवल हवा खाने वाले, शैवालभक्षी, भूलाहारी, वदाहारी त्वगहारी फलाहारी, पुष्पाहारी, दीजाहारी, पचांगि तपने वाले आदि। यहाँ यह याद रखना जरूरी है कि ये कन्दहारी तापस भी मर कर स्वर्ग में जाते हैं।

व्याख्याप्रक्षेपिति में शिवराजर्वि की ही तरह स्कन्द, तामिल, पूरण, पुद्गल आदि तापसों का भी वर्णन आता है। इसमें दानामा और प्राणामा रूप दो तापसी दीक्षाओं का भी उल्लेख है। दानामा अर्थात् भिक्षा लाकर दान करने के आचारवाली प्रक्रिया और प्राणामा अर्थात् प्राणिभात्र को प्रणाम करते रहने की प्रक्रिया। इन तापसों में से कुछ ने स्वर्गं प्राप्त किया है तथा कुछ ने इन्द्रपद भी पाया है। इससे यह फलित होता है कि स्वर्गं प्राप्ति के लिए कष्टमय तप की आवश्यकता है न कि यज्ञयागादि की। यह बताने के लिए प्रस्तुत सूत्र में बार-बार देवों व असुरों का वर्णन दिया गया है। इसी दृष्टि से सूत्रकार ने देवासुर सग्राम का वर्णन भी किया है। इस संग्राम में देवेन्द्र शक्र से भयभीत हुआ असुरेन्द्र चमर भगवान् महाथीर की शरण में जाने के कारण बच जाता है।

यह सग्राम वैदिक देवासुर सग्राम का अनुकरण प्रतीत होता है। सग्राम का जो कारण बताया गया है वह अत्यन्त विलक्षण है। इससे यह भी फ़लित होता है कि इन्द्र जैसा सबल एवं समर्थं व्यक्ति भी किस प्रकार कापायिक वृत्तियों का शिकार बनकर पामर प्राणी की भाँति आचरण करने लगता है। स्वर्ग की जो घटनाएँ बार-बार आती हैं उन्हें पढ़ने से यह मालूम होता है कि स्वर्ण के प्राणी कितने अघम, चोर, असदाचारी एवं कलहप्रिय होते हैं। इन सब घटनाओं का अर्थ यही है कि स्वर्ग वाढ़नीय नहीं है अपितु मोक्ष वाढ़नीय है। शुद्ध सथम का फल निर्वाण है जबकि दूषित सथम से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग का कारण यज्ञादि न होकर अहिंसाप्रधान आचरण ही है। स्वर्ग भी निर्वाण प्राप्ति में एक बाधा है जिसे दूर करना आवश्यक है। इस प्रकार जैन निर्गन्धी ने स्वर्ग के स्थान पर मोक्ष को प्रतिष्ठित कर हिंसा अथवा भोग के बजाय अहिंसा अथवा त्याग की प्रतिष्ठा की है।

स्वर्ग

स्वर्ग के वर्णन में वस्त्र, अलकार, ग्रथ, पात्र, प्रतिमाएँ आदि उल्लिखित हैं। विमानों की रचना में विविध रूपों, भणियों एवं बहुमूल्य पदार्थों का उपयोग बताया गया है। इसी प्रकार स्तम्भ, वेदिका, छप्पर, द्वार, खिडकी, झूला, खूंटी आदि का भी उल्लेख किया गया है। ये सब चीजें स्वर्ग में कहाँ से आती हैं? क्या यह इसी ससार के पदार्थों की कलित नकल नहीं है? स्वर्ग लौकिक आनन्दोपभोग एवं विषयविलास की उत्कृष्टतम सामग्री की उच्चतम कल्पना का श्रेष्ठतम नमूना है।

भगवान् महावीर के समय में एक मान्यता यह थी कि युद्ध करने वाले स्वर्ग में जाते हैं। व्याख्याप्रश्नपति (शतक ७, उद्देशक ९) में इस सम्बन्ध में बताया गया है कि सग्राम करने वाले को सग्राम करने से स्वर्ग प्राप्त नहीं होता अपितु न्यायपूर्वक सग्राम करने के बाद जो संग्रामकर्ता अपने दुष्कृत्यों के लिए पश्चात्ताप करता है तथा उस पश्चात्ताप के कारण जिसकी आत्मा शुद्ध होती है वह स्वर्ग में जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल सग्राम करने से किसी को स्वर्ग मिल जाता है। गीता (अध्याय २, श्लोक ३७) के 'हतो वा प्राप्त्यसि स्वर्गम्' का रहस्योदयाटन व्याख्याप्रश्नपति के इस कथन में कितने सुदर ढंग से किया गया है।

देवभाषा •

महावीर के समय में भाषा के सम्बन्ध में भी बहुत मिथ्यावारणा फैली हुई थी। अमुक भाषा देवभाषा है और अमुक भाषा अपञ्चष्ट भाषा है तथा देवभाषा बोलने से पुण्य होता है और अपञ्चष्ट भाषा बोलने से पाप होता है, इस प्रकार

की मान्यता ने लोगों के दिलों में घर कर रखा था। भगवान् महावीर ने स्पष्ट कहा कि भाषा का पुण्य व पाप से कोई सम्बन्ध नहीं है। भाषा तो केवल वोल-चाल के व्यवहार का एक साधन अर्थात् माध्यम है। मनव्य चाहे कोई भी भाषा बोले, यदि उसका चारित्र—आचरण शुद्ध होगा तो उसके जीवन का विकास होगा। व्याख्याप्रज्ञपति के र्णचर्चे शतक के चौथे उद्देशक में यह बताया गया है कि देव अर्धमागधी भाषा बोलते हैं। देवों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं में अर्धमागधी भाषा विशिष्ट है यद्यपि यहाँ यह प्रतिपादित नहीं किया गया है कि अर्धमागधी भाषा बोलने से पुण्य होता है अथवा जोवन की शुद्धि होती है। चैदिकों एवं जैनों की तरह अन्य सम्प्रदाय वाले भी देवों की विशिष्ट भाषा मानते हैं। इसाई देवों की भाषा हिन्दू मानते हैं जबकि मुसलमान देवों की भाषा अरबी मानते हैं। इम प्रकार प्राय प्रथेक सम्प्रदाय वाले अपने-अपने शास्त्र की भाषा को देवभाषा कहते हैं।

गोशालक १

पद्महर्वे शतक में मखलिपुत्र गोशालक का विस्तृत वर्णन है। गोशालक के लिए मखलिपुत्र एवं मखलिपुत्र इन दोनों शब्दों का प्रयोग होता रहा है। जैन शास्त्रों में मखलिपुत्र शब्द प्रचलित है जबकि बौद्ध परम्परा में मखलिपुत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। हाथ में चित्रपट लेकर उनके द्वारा लोगों को उपदेश देकर अपनी आजीविका चलाने वाले भिन्नक जैन परम्परा में 'मत' कहे गये हैं। प्रस्तुत शतक के अनुसार 'गोशालक' का जन्म सरवण नामक ग्राम में रहने वाले वेदविशारद गोवहूल आहूण को गोशाला में हुआ था और इसोलिए उसके पिता मखलि भख एवं माता भद्रा ने अपने पुत्र का नाम गोशालक रखा। गोशालक जब युवा हुआ एवं ज्ञान-विज्ञान द्वारा परिपक्व हुआ तब उसने अपने पिता का धधा मखपना स्वीकार किया। गोशालक स्वयं गृहस्थाश्रम में था या नहीं, इसके विषय में प्रस्तुत प्रकरण में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। चौंकि वह नग्न रहता था इससे मालूम होता है कि वह गृहस्थाश्रम में न रहा हो। जब महावीर दीक्षित होने के बाद धूमरे चातुर्मास में धूमते-फिरते राजगृह के बाहर नालन्दा में आये एवं बुनकरन्वास में ठहरे तब वही उनके पास ही मखलिपुत्र गोशालक भी ठहर गुआ था। इससे मालूम होता है कि मख भिन्नओं की परम्परा महावीर के दीक्षित होने के पूर्व भी विद्यमान थी।

१ महावीरचरिय में गोशालक के वृत्ताव के लिए एक नहीं ही कल्पना बताई है। देखिए—महावीरचरिय, षष्ठ प्रस्ताव

महावीर दीक्षित होने के बाद वारह वर्ष पर्यन्त कठोर तप साधना करते रहे। इसके बाद अर्थात् वयालीस वर्ष की आयु में चौतराग हुए—केवली हुए। इसके बाद धूमते-धूमते चौदह वर्ष में श्रावस्ती नगरी में आये। इसी समय भखलिपुत्र गोशालक भी धूमता-फिरता वहाँ आ पहुँचा। इस प्रकार गोशालक का भगवान् महावीर के साथ छप्पन वर्ष की आयु में पुन मिलाप हुआ।

इस शतक में यह भी वताया गया है कि केवली होने के पूर्व राजगृह में महावीर के चमत्कारिक प्रभाव से आकर्षित होकर जब गोशालक ने उनसे खुद अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना की तब वे मौन रहे। बाद में जब महावीर धूमते-धूमते कोल्लाक सन्निवेश में पहुँचे तब वह फिर उन्हें ढूढ़ता-ढूढ़ता वहाँ जा पहुँचा एवं उनसे पुन अपना शिष्य बना लेने की प्रार्थना की। इस बार महावीर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। बाद में वे दोनों छ वर्ष तक साथ फिरते रहे। इस समय एक प्रसग पर गोशालक ने महावीर के पास शीतलेश्या होने की बात जानी एवं तेजोलेश्या के विषय में भी जानकारी प्राप्त की। उसने महावीर से तेजोलेश्या की लविष्म प्राप्त करने का उपाय पूछा। महावीर से एतद्विषयक विषय जान कर उसने वह लविष्म प्राप्त की। बाद में वह महावीर से अलग होकर विचरने लगा।

भखलिपुत्र गोशालक जब श्रावस्ती में अपनी अनन्य उपासिका हालाहला कुम्हारिन के यहाँ ठहरा हुआ था उस समय उसकी दीक्षापर्याय चौबीस वर्ष की थी। यह दीक्षापर्याय कौन-सी समझनी चाहिए? इस सम्बन्ध में मूल सूत्र में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। सम्भवत यह दीक्षापर्याय महावीर से अलग होने के बाद की है जबकि इसने अपने नये भट का प्रचार शुरू किया। इस दीक्षा-पर्याय की स्पष्टता के विषय में प० कल्याणविजयजीकृत 'श्रमण भगवान् महावीर, देखना आवश्यक है।

मालूम होता है भगवान् महावीर के प्रधान शिष्य इन्द्रभूति गौतम को इस भखलिपुत्रा एवं भखलिपुत्र गोशालक का विशेष परिचय न था। इसीलिए वे भगवान् से भखलिपुत्र का अथ से इति तक वृत्तान्त कहने की प्रार्थना करते हैं। उस समय नियतिवादी गोशालक जिन, केवली एवं अहंत के रूप में प्रसिद्ध था। वह आजीविक परम्परा का प्रमुख आचार्य था। उसका शिष्यपरिवार तथा उपासकवर्ग भी विशाल था।

गोशालक के विषय में यह भी कहा गया है कि निम्नोक्त छ दिशाचर गोशालक से मिले एवं उसके साथी के रूप में रहने लगे शान, कलद, कणिकार, अछिद्र, अग्निवेश्यान और गोमायुपुत्र अजुंत। इन दिशाचरों के विषय में

टीकाकार कहते हैं कि ये भगवान् महावीर के पथभ्रष्ट शिष्य थे। चृणिकार का कथन है कि ये छ दिशाचर पासत्य अर्थात् पाश्वनाथ की परम्परा के थे। आवश्यकचूर्ण में जहाँ महावीर के चरित्र का वर्णन है वहाँ गोशालक का चरित्र भी दिया हुआ है। यह चरित्र बहुत हो हास्यास्पद एवं विलक्षण है।

वायुकाय व अग्निकाय

सोलहवें शतक के प्रथम उद्देशक में बताया गया है कि अधिकरणी अर्थात् एरण पर हथौडा मारते हुए वायुकाय उत्पन्न होता है। वायुकाय के जीव अन्य पदार्थों का सत्पर्श होने पर ही मरते हैं, सत्पर्श के बिना नहीं। सिंडी (अगाराकारिका—इगालकारिया) में अग्निकाय के जीव जघन्य अन्तमुहूर्त एवं उल्लष्ट तीन रात्रि-दिवस तक रहते हैं। वहाँ वायुकायिक जीव भी उत्पन्न होते हैं एवं रहते हैं क्योंकि वायु के बिना अग्नि प्रज्वलित नहीं होती।

जरा व शोक

द्वितीय उद्देशक में जरा व शोक के विषय में प्रश्नोत्तर है। इसमें बताया गया है कि जिन जीवों के स्थूल मन नहीं होता उन्हें शोक नहीं होता किन्तु जरा सी होती ही है। जिन जीवों के स्थूल मन होता है उन्हें शोक भी होता है और जरा भी। यहाँ पर भवनपति व वैमानिक देवों के भी जरा व शोक होने का स्पष्ट उल्लेख है। इस प्रकार जैन आगमों के अनुसार देव भी जरा व शोक से मुक्त नहीं हैं।

सावद्य व निरवद्य भाषा

इस प्रश्न के उत्तर में कि देवेन्द्र-देवराज शक्ति सावद्य भाषा बोलता है अथवा निरवद्य, भगवान् महावीर ने बताया है जब शक्ति ‘सुहुमकाय णिजूहित्ता’ अर्थात् सूक्ष्मकाय को ढँक कर बोलता है तब निरवद्य—निष्पाप भाषा बोलता है तथा जब वह ‘सुहुमकाय अणिजूहित्ता’ अर्थात् सूक्ष्मकाय को बिना ढँके बोलता है, तब सावद्य—सपाप भाषा बोलता है। तात्पर्य यह है कि हाथ अथवा वस्त्र द्वारा मुख को ढँके बिना बोलने वाले की भाषा निष्पाप अर्थात् निर्दोष होती है जब कि मुख को ढँके बिना बोलने वाले की भाषा सपाप अर्थात् सदोष होती है। इससे बोलने की एक जैनाभिमत विशिष्ट पद्धति का पता लगता है।

सम्यग्दृष्टि व मिथ्यादृष्टि देव :

पचम उद्देशक में उल्लुयतीर नामक नगर के एक जबू नामक चैत्य में भगवान् महावीर के आगमन का उल्लेख है। इस प्रकरण में भगवान् ने शकेन्द्र के प्रश्न के उत्तर में बताया है कि महात्रद्विसम्पन्न यावत् महासुखसम्पन्न देव भी वाह्य

पुद्गलों को ग्रहण किये विना आनेजाने, बोलने, आँख खोलने, आँस बद करने, अगोको सकुचित करने व फैलाने तथा विषयभोग करने में समर्थ नहीं। वाह्य पुद्गलों को ग्रहण कर ही वह ये सब कार्य कर सकता है। इसके बाद महाशुक्ररूप नामक स्वर्ग में रहने वाले दो देवों के विवाद का वर्णन है एक देव सम्यगदृष्टि है और दूसरा मिथ्यादृष्टि। इस विवाद में सम्यगदृष्टि अर्थात् जैन देव ने मिथ्या दृष्टि अर्थात् अजैन देव को पराजित किया। विवाद का विषय पुद्गल परिणाम कहा गया है। इससे मालूम होता है कि स्वर्गवासी देव भी पुद्गल-परिणाम आदि की चर्चा करते हैं। सम्यगदृष्टि देव का नाम गगदत्त बताया गया है। यह उसके पूर्व जन्म का नाम है। देव होने के बाद भी पूर्व जन्म का ही नाम चलता है, ऐसी जैन परम्परा की मान्यता है। प्रस्तुत प्रकरण में-गमदत्त देव का पूर्व जन्म मानने हुए कहा गया है कि वह हस्तिनापुर निवासी एक गृहपति था एवं तीर्थंकर मुनिसुव्रत के पास दीक्षित हुआ था।

स्वप्न

छठें उद्देशक में स्वप्न सम्बन्धी चर्चा है। भगवान् कहते हैं कि एक स्वप्न यथार्थ होता है अर्थात् जैसा स्वप्न देखा हो वैसा ही फल मिलता है। दूसरा स्वप्न वित्त विस्तारयुक्त होता है यह यथार्थ होता भी है और नहीं भी। तीसरा चिन्ता-स्वप्न होता है अर्थात् जाग्रत अवस्था की चिन्ता स्वप्नरूप में प्रकट होती है। चौथा विपरीतस्वप्न होता है अर्थात् जैसा स्वप्न देखा हो उससे विपरीत फल मिलता है। पाचवा अव्यवत्स्वप्न होता है अर्थात् स्वप्नदशान में अस्पष्टता होती है। आगे बताया गया है कि पूरा सोया हुआ अथवा जगता हुआ व्यक्ति स्वप्न नहीं देख सकता अपितु कुछ सोया हुआ व कुछ जगता हुआ व्यक्ति ही स्वप्न देख सकता है। सबूत, असवृत्त व सवृत्तासवृत्त ये तीनों ही जीव स्वप्न देखते हैं। इनमें से सवृत्त का स्वप्न यथार्थ ही होता है। असवृत्त व सवृत्तासवृत्त का स्वप्न यथार्थ भी हो सकता है और अथवा अर्थात् भी। साधारण स्वप्न ४२ प्रकार के हैं और महास्वप्न ३० प्रकार के हैं। इस प्रकार कुल ७२ प्रकार के स्वप्न होते हैं। जब तीर्थंकर का जीव माता के गर्भ में आता है तब वह चौहद महास्वप्न देखकर जागती है। इसो प्रकार चक्रवर्ती की माता के विषय में भी समझना चाहिए। वासुदेव की माता सात, ब्रलदेव की माता चार और माण्डलिक राजा की माता एक स्वप्न देखकर जागती है। श्रमण भगवान् महावीर ने छद्मस्थ अवस्था में एक रात्रि के अन्तिम प्रहर में दस महास्वप्न देखे थे। प्रस्तुत उद्देशक में यह भी बताया गया है कि स्त्री अथवा पुरुष अमुक स्वप्न देखे तो उसे अमुक फल मिलता है। इस चर्चा से यह मालूम होता है कि जैन वगवास्त्रों में स्वप्नविद्या को भी अच्छा स्थान मिला है।

कोणिक का प्रधान हाथी :

सप्तहवें शतक के प्रथम उद्देशक के प्रारंभ में राजा कोणिक के मुख्य हाथी के विषय में चर्चा है। इस चर्चा में भूल प्रश्न यह है कि यह हाथी पूर्वभव में कहाँ था और मरकर कहाँ जायगा? उत्तर में वराया गया है कि यह हाथी पूर्वभव में ब्रह्मरदेव था और मरकर नरक में जायगा तथा वहा से महाविदेह वर्ष में जाकर निर्वाण प्राप्त करेगा। राजा कोणिक का प्रधान हाथी कितना भाग्यशाली है कि उसको चर्चा भगवान् महावीर के मुख से हुई है? इसके बाद इसी प्रकार के अन्य हाथी भूतानन्द की चर्चा है। इसके बाद इसकी चर्चा है कि ताढ़ के वृक्ष पर चढ़कर उसे हिलाने वाले एवं फलों को नीचे गिराने वाले को कितनी कियाएँ लगती है। इसके बाद भी इसी प्रकार की चर्चा है जो सामान्य वृक्ष से सम्बन्धित है। इसके बाद इन्द्रिय, योग, शरीर आदि के विषय में चर्चा है।

कम्पः

तृतीय उद्देशक में शैलेशो अर्यात् शिलेश—मेरु के समान अक्ष स्थिति को प्राप्त अनगार कंसा होता है, इसको चर्चा है। इस प्रसग पर कंप के पांच प्रकार बताये गये हैं : द्रव्यकंप, स्त्रेकंप, कालकंप, भावकंप और भयकंप। इसके बाद 'चलना' की चर्चा है। अन्त में यह बताया गया है कि सवेग, निर्वेद, शुश्रूषा, आलोचना, अप्रतिवर्द्धता, कपायप्रत्याख्यान आदि निर्वाण-फल को उत्पन्न करते हैं।

नरकस्थ एव स्वर्गस्थ पृथ्वीकायिक आदि जीव

छठे उद्देशक में नरकस्थ पृथ्वीकायिक जीव की सौधमं आदि देवलोक में उत्पत्ति होने के विषय में चर्चा है। सातवें में स्वर्गस्थ पृथ्वीकायिक जीव की नरक में उत्पत्ति होने के विषय में विचारणा है। आठवें व नवें में इसी प्रकार की चर्चा अप्कायिक जीव के विषय में है। इससे मालूम पड़ता है कि स्वर्ग व नरक में भी पानी होता है।

प्रथमता-अप्रथमता

अठारहवें शतक में निम्नलिखित दस उद्देशक हैं। १. प्रथम, २. विशाख, ३. माकदी, ४. प्राणातिपात, ५. असुर, ६. फणित, ७. केवली ८. अनगार, ९. भवद्वय, १०. सोमिल। प्रथम उद्देशक में जीव के जीवत्व की प्रथमता-अप्रथमता की चर्चा है। इसी प्रकार जीव के सिद्धत्व आदि का विचार किया गया है।

कार्तिक सेठः

द्वातरे उद्देशक में बताया गया है कि विशाखा नगरी के बहुपुत्रिक चैत्य में भगवान् महावीर आते हैं। वहाँ उन्हें यह पूछा जाता है कि देवेश्वर—देवराज

शक पूर्वभव में कौन था ? उसे शक पद कैसे प्राप्त हुआ ? इसके उत्तर में हस्तिनापुर निवासी सेठ कार्तिक का सम्पूर्ण जीवनवृत्तान्त बताया गया है । उसने श्रावक को रथारह प्रतिमाओं का पालन कर दीक्षा स्वोकार कर मृत्यु के बाद शकपद—इन्द्रपद पाया । यह घटना मुनिसुद्रत तीर्थंकर के समय की है ।

माकदी अनगार

तीसरे उद्देशक में भगवान् के शिष्य सरलस्वभावी माकदिकपुत्र अथवा माकदी अनगार द्वारा पूछे गये कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं । माकदी अनगार ने अपना अमुक विचार अन्य जैन श्रमणों के सन्मुख रखा जिसे उन लोगों ने अस्वीकार किया । इस पर भगवान् महावीर ने उन्हें बताया कि माकदी अनगार का विचार बिल्कुल ठीक है ।

युगम

चौथे उद्देशक में गौतम ने युगम की चर्चा की है । युगम चार हैं कृतयुगम, ऋजू, द्वापर और कल्योज । युगम व युग में अर्थ की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं है । वैदिक परम्परा में कृतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग व कलयुग—ये चार युग प्रसिद्ध हैं । उपर्युक्त चारयुगों की कल्पना का आधार यहीं चार युग मालूम होते हैं । जिस राशि में से चार-चार निकालते हुए अन्त में चार बाकी रहें वह राशि कृतयुगम कहलाती है । जिस राशि में से चार-चार निकालते हुए अन्त में तीन बच रहें उस राशि को ऋजू कहते हैं । जिस राशि में से चार-चार निकालते हुए दो बाकी रहें उसे द्वापर एवं एक बाकी रहे उसे कल्योज कहते हैं ।

पुद्गल

छठे उद्देशक में फणिक अर्थात् प्रवाहित (पतला) गुड़, भ्रमर, तोता, मजीठ, हल्दी, शख, कुष्ठ, मयद, नीम, सोठ, कोट, इमली, शक्कर, वज्र, मक्खन, लोहा, पत्र, बफ़, अरिन, तैल आदि के वर्ण, रस, गध और स्पश की चर्चा है । ये सब व्यावहारिक नय की अपेक्षा से मधुरता अथवा कटुता आदि से युक्त हैं किन्तु नैश्चयिक नय की दृष्टि से पाचों वर्णों, पाचों रसों, दोनों गर्भों एवं आठों स्पशों से युक्त हैं । परमाणु-पुद्गल में एक वर्ण, एक गध, एक रस और दो स्पश हैं । इसी प्रकार द्विप्रदेशिक, त्रिप्रदेशिक, चतुष्प्रदेशिक, पञ्चप्रदेशिक आदि पुद्गलों के विषय में चर्चा है ।

मद्भुक श्रमणोपासक :

सातवें उद्देशक में बताया गया है कि राजगृह नगर के गुणशिलक चैत्य के आसपास कालोदायी, शैलोदायी, आदि अन्यतीर्थिक रहते थे । इन्होंने मद्भुक नामक

श्रमणोपासक को उपने पर्माचार्य भगवान् महावीर को धंदन करने जाते हुए देखा एव उसे मान में रोककर पूछा कि तेरे पर्माचार्य पर्मास्तिकाय, अपर्मास्तिकाय, बाकाशास्तिकाय, द्वीयास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय—इन पांच अस्तिकायों की प्रक्षेपना करते हैं, यह हैंसे, ? उत्तर में मटुक ने कहा कि जो यस्तु कायं करती हो उसे कायं द्वारा जाता ज्ञ स्वभावं सम्या हैं सम्या जो यस्तु यस्ती न हो उसे हाह नहीं जान सकते। इन प्रकार पर्मास्तिकायादि पांच अस्तिकायों को मैं नहीं जानता बता देता नहीं सकता। यह मुनकर उन अन्यतोषियों ने कहा कि वरे मटुक ! तू दैना श्रमणोपासक है कि इन पांच अस्तिकायों को भी नहीं जानता। मटुक ने उहै ममताया कि जैसे कायु के स्पर्ण का धनुभ्रय करते हुए भी हम उसके रूप को नहीं देता सकते, मुगल्न अथवा दुग्गार यो नुः पते हुए भी उसके परमाणुओं को नहीं देता नहरते, अरणि वी लकड़ी में लियो हुई अग्नि को जारते हुए भी उसके आलोदायों से नहीं देता सकते, ममुद गोः उत्त पार रहे हुए अग्नेक पदायों को देखते मैं सम्यं नहीं होते उत्तो प्रकार छद्मस्थ मनुष्य वंचास्तिकाय को नहीं देता सकता। इमवा शाय यह कठायि नहीं कि उसका अस्तित्व ही नहीं। यह मुनकर आलोदायों आदि चूप हो गए। भगवान् महावीर ने अग्ना के सामने मटुक श्रमणोपासक के हृष क्षाय को घटृत ग्रहणा की।

पुद्गल-ज्ञान

आठवें उद्देशक में यह बताया गया है कि साधारणी पूर्यक घलते हुए नाविनात्मा अनगार के पांच के नीचे मुर्गों का वस्त्वा, बतार का वस्त्वा अथवा चौटी या सूक्ष्म कीट आकर मर जाय तो उसे ईर्यापियिकी किया लगती है, गाम्परायिकी किया^१ नहीं। इसी उद्देशय में हम विषय की भी चर्चा है कि छद्मस्थ परमाणुपुद्गल को जानता व देखता है अथवा नहीं ? उत्तर में भगवान् ने बताया है कि कोई छद्मस्थ परमाणुपुद्गल को जानता है किन्तु देखता नहीं, कोई जानता भी नहीं और देखता भी नहीं। इस प्रकार द्विप्रादेशिक स्कन्ध से लिंकर असम्मेय प्रादेशिक स्कन्ध तक समझना चाहिए। अनन्त प्रादेशिक स्कन्ध को कोई जानता है किन्तु देखता नहीं, कोई जानता नहीं परन्तु देखता है तथा कोई जानता भी नहीं और देखता भी नहीं। इसी प्रकार की चर्चा अविज्ञानी तथा केवली के विषय में भी की गई है। यहाँ जानते व देखने का क्या अर्थ है, इसके सम्बन्ध में पहले ज्ञान-दर्शन की चर्चा के प्रसंग पर पर्याप्त प्रकाश ढाला जा चुका है।

१ कपायजन्य प्रवृत्ति से गाम्परायिक वर्म का वंघ होता है जिससे भवभ्रमण करना पड़ता है।

यापनीय :

दसवें उद्देशक में वाणियग्राम नगर के निवासी सोमिल द्वाहूण के कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान् महावीर ने जवणिज्ज—यापनीय, जाता—यात्रा, अन्वावाह—अव्यावाध, फासुयविहार—प्रासुकविहार आदि शब्दों का विवेचन किया है। (दिगम्बर सम्प्रदाय में यापनीय नामक एक सघ है जिसके मुखिया आचार्य शाकटायन थे। प्रस्तुत उद्देशक में आनेवाले 'जवणिज्ज' शब्द के साथ इस यापनीय सघ का सम्बन्ध है। विचार करने पर मालूम होता है कि 'जवणिज्ज' का 'यमनीय' है अधिक अथयुक्त एव सगत है जिसका सबव पाँच यमों के साथ स्थापित होता है। इस प्रकार का कोई अर्थ 'यापनीय' शब्द में से नहीं निकलता। विद्वानों को एतद्विषयक विशेष विचार करने की आवश्यकता है। यद्यपि वर्तमान में यह शब्द कुछ नया एव अपरिचित सा लगता है किन्तु स्वारवेल के शिलालेख में 'जवणिज्ज' शब्द का प्रयोग हुआ है जिससे इसकी प्राचीनता एव प्रचलितता सिद्ध होती है।)

मास

सोमिल द्वारा पूछे गये प्रश्नों का सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त होने पर कह भगवान् का श्रमणोपासक हो गया। इस प्रसग पर 'मास' का विवेचन करते हुए महीनों के जो नाम गिनाये गये हैं वे श्रावण से प्रारम्भ कर आषाढ तक समाप्त किये गये हैं। इससे मालूम होता है कि उस समय श्रावण प्रथम मास जाता रहा हृगा एव आषाढ अन्तिम मास।

विविध .

उन्नीसवें शतक में दस उद्देशक हैं लेश्या, गर्भ, पृथ्वी, महाक्षेत्र, चरम, द्वीप, भवनावास, निवृत्ति, करण और वाणव्यन्तर।

बीसवें शतक में भी दस उद्देशक हैं द्वीन्द्रिय, आकाश, प्राणवध, उपचय, परमाणु, अन्तर, बन्ध, भूमि, चरण और सौपक्षम जीव। प्रथम उद्देशक में दो इन्द्रियों वाले, जीवों की चर्चा है। द्वितीय में आकाशविषयक, तृतीय में हिंसा अर्हिसा, सत्य-असत्य आदि विषयक, चतुर्थ में इद्विश्योपचय विषयक, पञ्चम में परमाणु पुद्गलविषयक, षष्ठ में दो नरकों एव दो स्वर्गों के मध्य स्थित पृथ्वीकायिक आदि विषयक तथा सप्तम में बन्धविषयक चर्चा है। अष्टम में कर्मभूमि के सम्बन्ध में विवेचन है। इसमें वर्तमान अवसर्पणी के सब तीर्थकरों के नाम गिनाये गये हैं। छठे तीर्थङ्कर का नाम पद्मप्रभ के बजाय सुप्रभ बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि कालिक श्रुत का विच्छेद कब हुआ तथा दृष्टिवाद का विच्छेद कब हुआ? साथ ही यह भी बताया गया है कि भगवान्

वर्धमान—महावीर का तीर्थ कितने समय तक चलेगा ? उग्रकुल, भोगकुल, राजन्यकुल, इष्वाकुल, ज्ञातकुल और कौरवकुल के व्यक्ति इस घम में प्रवेश करते हैं तथा उनमें से कुछ मुक्ति भी प्राप्त करते हैं । यहाँ क्षत्रियों के केवल छ कुलों का ही निर्देश है । इससे यह मालूम होता है कि ये छ कुल उस समय विशेष उल्लङ्घण्ट गिने जाते रहे होंगे । नवम उद्देशक में चारण मुनियों की चर्चा है । चारण मुनि दो प्रकार के हैं । विद्याचारण और जंधाचारण । उग्र तप से प्राप्त होने वाली आकाशगमिनी विद्या का नाम विद्याचारण लिख है । जंधाचारण भी एक प्रकार की लिख है जो इसी प्रकार के तप से प्राप्त होती है । इन लिखियों से सम्पन्न मुनि आकाश में उड़कर बहुत दूर तक जा सकते हैं । दशम उद्देशक में यह बताया गया है कि कुछ जीवों का आयुष्य आधात-जनक विघ्न से टूट जाता है जबकि कुछ का इस प्रकार का विघ्न होने पर भी नहीं टूटता ।

इक्कीसवें, बाईसवें व तेर्हसवें शतक में विविध प्रकार की वनस्पतियों एवं वृक्षों के विषय में चर्चा है ।

बीबीसवें शतक में चीबीस उद्देशक है । इनमें उपरात, परिमाण, संघयण, ठैंचाई, संस्थान, देश्या, दृष्टि, ज्ञान, अज्ञान, योग, उपयोग, सज्जा, कपाय, इद्विय, समुद्धातु, वेदना, वेद, आयुष्य, अध्यवसान, अनुवंध एवं कालसंवेद पढ़ो हारा समस्त प्रकार के जीवों का विचार किया गया है ।

पचीसवें शतक में लेश्या, द्रव्य, सस्थान, युग्म, पर्यव, निग्रन्थ, श्रमण, ओध, भव्य, अभव्य, सम्यक्ली और मिथ्यास्ती नामक बाहर ह उद्देशक है । इनमें भी जीवों के विविध स्वरूप के विषय में चर्चा है । निग्रन्थ नामक पाठ उद्देशक में निम्नोक्त ३६ पर्वों हारा निग्रन्थों के विषय में विचार किया गया है । १. प्रज्ञापना, २. वेद, ३. राग, ४. कल्प, ५. चारित्र, ६. प्रतिसेवना, ७. ज्ञान, ८. तीर्थ, ९. लिग, १०. शारीर, ११. क्षेत्र, १२. काल, १३. गति, १४. समय, १५. निकर्व-निगास अथवा सनिगास-सनिकर्य, १६. योग, १७. उपयोग, १८. कपाय, १९. लेश्या, २०. परिणाम, २१. वध, २२. वेदन, २३. उद्दीरणा, २४. उपसंपदाहानि, २५. सज्जा, २६. आहार, २७. भव, २८. आकर्ष, २९. काल, ३०. अतर, ३१. समुद्धात, ३२. क्षेत्र, ३३. स्पष्टना ३४. भाव, ३५. परिमाण, एवं ३६. अल्पबहुत्व । यहा निग्रन्थों के पुलाक, बकुश, कुशील, निग्रन्थ एवं स्नातक के रूप में पांच भेद कर प्रत्येक भेद का उपर्युक्त ३६ पदों हारा विचार किया गया है । यहा यह बताया गया है कि बकुश एवं कुशील किसी अपेक्षा से जिनकल्पी भी होते हैं । निग्रन्थ तथा स्नातक कल्पातीत होते हैं ।

इस दद्देश्यक में इस प्रकार को सामाचारी तथा दस प्रकार के प्रायङ्गिकताओं के नी नाम गिनाये गये हैं। इनके अतिरिक्त जैन परिमापा में प्रचलित अन्य अनेक रथ्यों का इसमें निष्पत्ति हुआ है।

छट्टीसवें शतक में नी इसी प्रकार के कुछ पदों द्वारा जीवों के बदन्त के विषय में चर्चा की गई है। इस शतक का नाम व्रव्यतक है।

उत्तार्धियवें शतक में पापकर्म के विषय में चर्चा है। इस शतक का नाम क्लारसु शतक है। इसमें खारह दद्देश्यक है।

अट्टार्डियवें शतक में अर्थोपाजन के विषय में विचार किया गया है। इस शतक का नाम क्लम्बुमजन है।

उत्तरीसवें शतक में क्लम्बोग के प्रारम्भ एवं अन्त का विचार है। इस शतक का नाम क्लन्प्रभ्यापन है।

तीसवें शतक में क्लियावादी, अक्लियावादी, अज्ञानवादी एवं विज्ञानवादी की लपेक्षा से समन्व जीवों का विचार किया गया है। जो जीव शुक्लज्ञेया वाले हैं वे चार प्रकार के हैं। लेखारहित जीव केवल क्लियावादी है। क्लृज्ञेया वाले जीव क्लियावादी के अतिरिक्त तीनों प्रकार के हैं। नारकों चारों प्रकार के हैं। पृथ्वीकायिक केवल अक्लियावादी एवं अज्ञानवादी हैं। इसी प्रकार उमन्त एकेन्द्रिय, द्वैन्द्रिय, त्रीन्द्रिय एवं चतुर्न्द्रिय के विषय में समझना चाहिए। अनुष्य एवं देव चार प्रकार के हैं। ये चारों वादी अवसिद्धिक हैं अवबा अभविद्धिक, इसकी भी चर्चा की गई है। इस शतक में खारह दद्देश्यक है। इसका नाम सुमवसुरण शतक है।

इक्कठोसवें शतक में फिर युग्म की चर्चा है। यह अन्य टङ्ग से है। इस शतक का नाम उपात शतक है। इसमें २८ दद्देश्यक है।

वत्तीसवें शतक में भी इसी प्रकार की चर्चा है। यह चर्चा दद्वर्त्ता सम्बन्धी है। इसीलिए इस शतक का नाम उद्वर्तना शतक है। इसमें भी २८ दद्देश्यक है।

तौरीसवें शतक में एकेन्द्रिय जीवों के विषय में विविव प्रकार की चर्चा है। इस शतक में उद्देश्यक नहीं अपिनु अन्य वाह शतक (उपशतक) है। यह इस शतक की विशेषता है।

चाँतीसवें शतक में भी इसी प्रकार की चर्चा एवं अवान्तर शतक है।

पैतान्त्रवें शतक में कृत्युम आदि को विभिन्न भग्नवक चर्चा की गई है। यह चर्चा एकेन्द्रिय जीवों के सम्बन्ध में है। छाँतीसवें शतक में इसी प्रकार की चर्चा द्वैन्द्रिय जीवों के विषय में है।

इसी प्रकार चैतीसवें, अठतीसवें, उनचान्तीसवें एवं चाल्तीसवें शतक में क्रमग्रान्तिय, चतुर्निन्द्रिय, असन्तोपचेन्द्रिय एवं सन्तोपचेन्द्रिय जीवों के विषय में चर्चा है।

इकतालीसवें शतक में युग्म की अपेक्षा से जीवों की विविध प्रवृत्तियों के विषय में चर्चा की गई है। इस शतक में १९६ उद्देशक हैं। इसका नाम राशियुग्म शतक है। यह व्याख्याप्रज्ञसि का लन्तिम शतक है।

उपसहार •

इस अग में कुछ बातें बार-बार आती हैं। इसका कारण स्थानभेद, पृच्छकभेद तथा कामभेद है। कुछ बातें ऐसी भी हैं जो समझ में ही नहीं आती। उनके बारे में वृत्तिकार ने भी विशेष स्पष्टीकरण नहीं किया है। इस अग पर चूणि, अवचूरिका तथा लघुटीका भी उपलब्ध है। चूणि तथा अवचूरिका अप्रकाशित हैं।

ग्रन्थ के अन्त में एक गाथा द्वारा गुणविशाल सध का स्मरण किया गया है तथा श्रुतदेवता की स्तुति की गई है। इसके बाद सूत्र के अध्ययन के उद्देशों को लक्ष्य कर समय का निर्देश किया गया है। अन्त में गौतमादि गणघरों को नमस्कार किया गया है। वृत्तिकार के कथनानुसार इसका सम्बन्ध किसी प्रतिलिपिकार के साथ है। अन्त ही अन्त में शान्तिकर श्रुतदेवता का स्मरण किया गया है। साथ ही कुम्भभर, ब्रह्मशान्तियक्ष, वैरोटथा विद्यादेवी तथा अतहुडी नामक देवी को याद किया गया है। प्रतिलिपिकार ने निविज्ञता के लिए इन सब की प्रार्थना की है। इनमें से अतहुडी नाम के विषय में कुछ पता नहीं लगता।



सप्तम प्रकरण

ज्ञाताधर्मकथा

ज्ञाताधर्मकथा^१ का उपोद्घात विपाकसूत्र के उपोद्घात के ही समान है। इसमें सुधर्मस्वामी के 'ओयसी तेयसी चउणाणोवगते चोदसपुब्वी' आदि अनेक विशेषण उपलब्ध हैं। यहाँ 'विहरति' क्रियापद का तृतीय पुरुष में प्रयोग हुआ है। सुधर्मस्वामी के वर्णन के बाद जो जदूस्वामी का वर्णन आता है उसमें भी 'धोरतवस्सी' आदि अनेक विशेषणों का प्रयोग हुआ है। यहाँ भी क्रियापद का प्रयोग तृतीय पुरुष में ही हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि यह उपोद्घात भी सुधर्मा व जम्बू के अतिरिक्त किसी अन्य गीतार्थं महानुभाव ने बनाया है।

प्रस्तुत अगस्त्य के प्रथम श्रुतस्कन्ध में ज्ञातरूप—उदाहरण रूप उन्नीस अध्ययन हैं तथा द्वितीय श्रुतस्कन्ध में धर्मकथाओं के दस वर्ग हैं। इन वर्गों में चमर, बलि, चन्द्र, सूर्य, शक्रोन्द्र, ईशानेन्द्र आदि की पटरानियों के पूर्वभव की कथाएँ हैं। ये पटरानियाँ अपने पूर्वभव में भी स्त्रियाँ थीं। इनके जो नाम यहाँ दिये गये हैं वे सब पूर्वभव के ही नाम हैं। इस प्रकार इनके मनुष्यभव के ही नाम देवलोक में भी चलते हैं।

प्रथम अध्ययन 'उक्तितत्त्वाय' में अनेक विविष्ट शब्द आए हैं—गजगृह, जवणिया (यवनिका—परदा), अट्टोरस सेणीप्पसेणीओ, याग, गणनायक, बहत्तर

^१ (अ) अभ्यदेवकृत वृत्तिसहित—आगमोदय समिति, बम्बई, सन् १९१६: आगम-संग्रह, कलकत्ता, सन् १८७६, सिद्धचक्र साहित्य प्रचारक समिति, बम्बई, सन् १९५१—१९५२

(आ) गुजराती छायानुवाद—पूजाभाई जैन ग्रन्थमाला, अहमदाबाद, सन् १९३१

(इ) हिन्दी अनुवाद—मुनि प्यारचद, जैनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति, रतलाम, वि स १९९५

(ई) सस्कृत व्याख्या व उसके हिन्दी-गुजराती अनुवाद के साथ—मुनि धासीलाल, जैन शास्त्रोदार समिति, राजकोट, सन् १९६३

(उ) हिन्दी अनुवादसहित—अमोलक ऋषि हैदराबाद, वि स २४४६

(क) गुजराती अनुवादसहित (अध्ययन १-८)—जेठालाल, जैनघरे प्रसारक सभा, मावनगर, वि स ० १९८५

कला, अद्वारसविहिप्पगारदेसीभासा, उग्र, भोग, राजन्य, मल्लिकी, लेच्छकी—लिच्छवी, कुत्तियावण, विपुलपवंत इत्यादि । इन शब्दों से तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों का बोध होता है ।

कारागार ।

प्रथम श्रुतस्कन्ध के द्वितीय अध्ययन में कारागार का विस्तृत वर्णन है । इसमें कारागार की भयकर यातनाओं का भी दिग्दर्शन कराया गया है । इस कथा में यह भी बताया गया है कि आज की तरह उस समय के माँ-बाप भी बालकों को गहने पहना कर बाहर भेजते थे जिससे उनकी हत्या तक हो जाती थी । राज्य के छोटे से अपराध में फँसने पर भी सेठ को कारावास भोगना पड़ता था, यह इस कथा में स्पष्ट बताया गया है । इसमें यह भी बताया गया है कि पुत्र-प्राप्ति के लिए माताएँ किस प्रकार विविध देवों की विविध मनोतियाँ मनाती थीं । इस कथा से यह मालूम पड़ता है कि कारागार में भोजन घर से ले जाने दिया जाता था । भोजन ले जाने के साधन का नाम भोजनपिटक है । वृत्तिकार के कथनानुसार यह वास का बना होता है । इस भोजनपिटक को मुहर—छाप लगाकर व चिह्नित करके कारागार में भेजा जाता था । भोजनपिटक के साथ पानी का घड़ा भी भेजा जाता था । कारागार से छूटने के बाद सेठ आलकारिक सभा में जाकर हजामत बनवा कर सज्जित होता है । मालूम होता है उस समय कारागार में हजामत बनवाने का प्रवचन नहीं था । हजामत की दुकान के लिए प्रस्तुत कथा में 'आलकारिक सभा' शब्द का प्रयोग हुआ है । यह कथा रूपक अथवा दूष्टान्त के रूप में है । इसमें सेठ अपने पुत्र के घातक चोर के साथ बाँधा जाता है । सेठ आत्मरूप है तथा अन्य चोर देहरूप है । शत्रुरूप चोर की सहायता प्राप्त करने के लिए सेठ उसे खाने-पीने को देता था । इसी प्रकार शरीर को सहायक समझ कर उसका पोषण करना प्रस्तुत कथानक का सार है । एतद्विषयक विशेष समीक्षा में अपनी पुस्तक 'भगवान महावीरनी धर्मकथाओं' में की है ।

तृतीय अंड—अडा नामक तथा चतुर्थ कूर्म नामक अध्ययन के विशेष शब्द ये हैं—मपूरपोषक, मयगतीर—मृतगगा इत्यादि । ये दोनों अध्ययन मुमुक्षुओं के लिए बोधदायक हैं ।

शैलक मुनि :

पांचवें अध्ययन में शैलक नामक एक मुनि की कथा आती है । शैलक वीमार हो जाता है । उसे स्वस्थ करने के लिए वैद्य औषधि के रूप में मद्य पीने की स्थिकारिश करते हैं । वह मुनि मद्य तथा अन्य प्रकार के स्वास्थ्यप्रद भोजन का उपयोग कर स्वस्थ हो जाता है । स्वस्थ होने के बाद वह रस में आसक्त

होकर मद्यादि का त्याग नहो करता । यह देख कर पथक नामक उसका शिष्य विनयपूर्वक उसे मार्ग पर लाता है एव शैलक मुनि पुन सदाचार सम्बन्ध एव तपस्वी बन जाता है । जिस छग से पथक ने अपने गुरु को जाग्रत किया उस प्रकार के विनय की वर्तमान में भी कभी-कभी आवश्यकता होती है ।

इस अध्ययन में पष्टितत्र, रेवतक पर्वत वर्ग रह विशिष्ट शब्द आए हैं ।

शुक परिव्राजक

इसी अध्ययन में एक शुक परिव्राजक की कथा आती है । वह अपने धर्म को शौचप्रवान मानता है । वह परिव्राजक सौगंधिका नगरी का निवासी है । इस नगरी में उसका मठ है । वह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एव अथर्ववेद का ज्ञाता है, पष्टितत्र में कुशल है, सात्यमत में निपुण है, पांच यम एव पांच नियम युक्त शौचमूलक दस प्रकार के धर्म का निष्पण करने वाला है, दानधर्म, शौचवाम एव तीर्थाभिषेक को समझाने वाला है, वातुरक्त वस्त्र पहनता है । उसके उपकरण ये हैं त्रिदण, कुडिका, छत्र, करोटिका, कमडल, रुद्राक्षमाला, मृत्तिकाभाजन, त्रिकाण्डिका, अकुश, पवित्रक—ताँबे की अगूठी, केसरी—प्रमाजन के लिए वस्त्र का टुकड़ा । वह मात्य के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता है । सुदर्शन नामक कोई गृहस्थ उसका अनुयायी था जो जैन तीर्थंकर के परिचय में आकर जैन हो गया था । उसे पुन अपने मर्त मे लाने के लिए शुक उसके पास जाता है । वृत्तिकार ने इस शुक को व्यास का पुत्र कहा है ।

शुक कहता है कि शौच दो प्रकार का है द्रव्यशौच और भावशौच । पानी व मिट्टी से होने वाला शौच द्रव्यशौच है तथा दर्भ व मन द्वारा होने वाला शौच भावशौच है । जो अपवित्र होता है वह शुद्ध मिट्टी व जल से पवित्र हो जाता है । जीव जलाभिषेक करने से स्वर्ग में जाता है । इस प्रकार प्रस्तुत कथा में वैदिक कमकाण्ड का थोड़ा-सा परिचय मिलता है ।

जब शुक को मालूम पड़ा कि सुदर्शन किसी अन्य मर्त का अनुयायी हो गया है तो उसने सुदर्शन से पूछा कि हम तुम्हारे धर्मचार्य के पास चलें और उससे कुछ प्रश्न पूछें । यदि वह उनका ठीक उत्तर देगा तो मैं उसका शिष्य हो जाऊँगा । सुदर्शन के धर्मचार्य ने शुक द्वारा पूछे गये प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया । शुक अपनी शर्त के अनुसार जैनाचार्य का शिष्य हो गया । उसने अपने पूर्व उपकरणों का त्याग कर चोटी उखाड़ ली । वह पुण्डरीक पर्वत पर जाकर अनशन करके सिद्ध हुआ । मूल सूत्र मे पूँडरीक पवत की विशिष्ट स्थिति के विषय मे कोई उल्लेख नहीं है । वृत्तिकार ने इसे शत्रु जय पवत कहा है । प्रस्तुत प्रकरण मे जैन साधु के पञ्चमहान्त आदि आचार को एव जैन गृहस्थ के अणुप्रवर्त

आदि आचार को विनय कहा गया है। विनयपिटक आदि वीद्ध ग्रन्थों में विनय-शब्द का इसी अर्थ में प्रयोग हुआ है।

शुक्-परिवाजक की कथा में यापनीय, सरिसवय, कुलत्थ, मास इत्यादि दृवर्थक शब्दों की भी अतीव रोचक चर्चा हुई है।

थावच्चा साथंवाही :

प्रस्तुत पांचवें अध्ययन की इस कथा में थावच्चा नामक एक साथंवाही का कथानक आता है। वह लौकिक एवं राजकीय व्यवहार व व्यापार आदि में कुशल थी। इससे स्पष्ट मालूम पड़ता है कि कुछ स्त्रियाँ भी पुरुष के ही समान व्यापारिक एवं व्यावसायिक कुशलता वाली थीं। इस ग्रन्थ में आनेवाली रोहणी की कथा भी इस कथन की पुष्टि करती है। इस कथा में कृष्ण के राज्य की सीमा वैताक्य पर्वत के अन्त तक बताई गई है। यह वैताक्य पवत कीनसा है व कहाँ रित्यर है? एतद्विषयक अनुसंधान की आवश्यकता है।

ठठें अध्ययन का नाम 'तुंव' है। तुब की कथा शिक्षाप्रद है।

सातवें अध्ययन में जैसी रोहणी की कथा आती है वैसी ही कथा बाह्यविल के नये करार में मध्युकी और खूँक के सवाद में भी उपलब्ध होती है और बाठवें अध्ययन में आई हुई रोहणी तथा मल्लि की कथा में स्त्रीजाति के प्रति विशेष आदर तथा उनके सामर्थ्य, चातुर्य आदि उत्तमोत्तम गुण भी वर्णित हैं।

चोक्खा परिज्ञाजिका :

बाठवें अध्ययन के मल्लि के कथानक में चोक्खा नामक एक सार्थमतानुयायीनी परिज्ञाजिका का वर्णन आता है। यह परिज्ञाजिका वेदादि शास्त्रों में निपुण थी। उसकी कुछ शिष्याएँ भी थी। इनके रहने के लिए मठ था।

चोन एवं चीनी .

मल्लि अध्ययन में 'चीणचिमिद्वकभग्ननास' इस वाक्य द्वारा किये गए पिशाच के रूप वर्णन के प्रसंग पर अनेक बार 'चीन' शब्द का प्रयोग हुआ है। यह प्रयोग नाक की छुटाई के सन्दर्भ में किया गया है। इससे यह कल्पना की जा सकती है कि कथा के समय में चीनी लोग इस देश में आ पहुँचे हो।

झूबती नौका

नवें अध्ययन में आई हुई माकंदी की कथा में नौका का विस्तृत वर्णन है। इसमें नावसम्बन्धी समस्त साधन-सामग्री का विस्तार से परिचय दिया गया है। इस नवम अध्ययन में समुद्र में झूबती हुई नाव का जो वर्णन है वह कादम्बरी जैसे ग्रन्थ में उपलब्ध झूबती नौका के वर्णन से बहुत-कुछ मिलता-जुलता है। यह वर्णन काव्यशैली का सुन्दर नमूना है।

दसवें तथा ग्यारहवें अध्ययन की कथाएँ उपदेशप्रद हैं।

उदकज्ञात

वारहवें अध्ययने उदकज्ञात में गटर के गन्दे पानी को साफ करने की पद्धति बताई हुई है। यह पद्धति बतमानकालीन फिल्टरपद्धति से मिलती-जुलती है। इस कथानक का आशय यह है कि पुद्गल के अशुद्ध परिणाम से धृणा करने की आवश्यकता नहीं है।

तेरहवें अध्ययन में नदमणियार की कथा आती है। इसमें लोगों के आराम के लिए नदमणियार द्वारा पुष्करणी बनवाने की कथा अत्यन्त रोचक है और साथ-साथ चार उद्यान बनवाकर उनमें से एक उद्यान में चित्रसभा तथा लोगों के श्रम को दूर करने के लिए भगीतशाला और दूसरे में जलयत्रों से सुशोभित पाकशाला, तीसरे उद्यान में एक अच्छा बड़ा ओपवालय बनवाया गया था जिसमें अच्छे बैद्य भी रखे गए थे और चौथे उद्यान में आमजनता के लिए एक आलकारिक सभा बनवाई गई थी। इस कथा में रोगों के नाम तथा उनके उपचार के लिए विविध प्रकार के आयुर्वेदिक उपाय भी सूचित किए गए हैं।

चौदहवें तेयलि अमात्य के अध्ययन में जो वार्ते मिलती हैं वे आवश्यक-चूर्ण में भी बताई गई हैं।

विविध मतानुयायी

नदीफल नामक पद्महवें अध्ययन में एक सघ के साथ विविध मत वालों के प्रवास का उल्लेख है। उन मत वालों के नाम ये हैं —

चरक—त्रिदणी अथवा कछनीधारी—कौपीनधारी—तापस।

चौरिक—गली में पढ़े हुए चीथडो से कपडे बनाकर पहननेवाले सन्यासी।

चमखडिक—चमड़े के बस्त्र पहनने वाले अथवा चमड़े के उपकरण रखने वाले सन्यासी।

मिच्छुँड—भिक्षुक अथवा बौद्धभिक्षुक।

पंहुरण—शिवभक्त अर्थात् शरीर पर भस्म लगाने वाले।

गौतम—अपने साथ बैल रखने वाले भिक्षुक।

गोव्रती—रघुवश में वर्णित राजा दिलीप की भाँति गोव्रत रखने वाले।

गृहधर्मी—गृहस्थाश्रम को ही श्रेष्ठ मानने वाले।

धर्मचिन्तक—धर्मशास्त्र का अध्ययन करने वाले।

अविरुद्ध—किसी के प्रति विरोध न रखने वाले अर्थात् विनयवादी।

विरुद्ध—परलोक का विरोध करने वाले अथवा समस्त मतों के साथ विरोध रखने वाले।

वृद्ध—वृद्धावस्था में मैं सन्यास लेने में विश्वास रखने वाले।

आवक—धर्म का श्रवण करने वाले।

रक्तपट—रक्तवस्त्रधारी परिद्राजक ।

यहाँ जो अर्थ दिये गये हैं वे इस कथासूत्र की वृत्ति के अनुसार हैं। इस विषय में विशेष अनुसंधान की आवश्यकता हो सकती है।

दयालु मुनि ।

सोलहवें ‘अवरकका’ नामक अध्ययन में एक ब्राह्मणी द्वारा एक जैन मुनि को कहवी तुबी का शाक दिये जाने की घटना है। इसमें ब्राह्मण एवं श्रमण का विरोधी हो काम करता है। इस घटना से स्पष्ट मालूम पड़ता है कि इस विरोध की जड़ें कितनी गहरी हैं। मुनि चीटियों पर दया लाकर उस कहुए शाक को जमीन पर न ढालते हुए खुद ही खा जाते हैं एवं परिणामतः मृत्यु को प्राप्त होते हैं।

इस अध्ययन में वर्णित पारिष्ठापनिकासमिति का स्वरूप विशेष विचारणीय है।

पाढ़व-प्रकरण

प्रस्तुत कथा में सुकुमालिका नामक एक ऐसी कन्या की बात आती है जिसके शरोर का स्पर्श स्वाभाविकतया दाहक था। इसमें एक विवाह करने के बाद दामाद के जीवित होते हुए भी कन्या का दूसरा विवाह करने की पद्धति का उल्लेख है। इसमें द्रौपदी के पाच पति कैसे हुए इसकी विचित्र कथा है। महाभारत में भी व्यास मुनि द्वारा कही हुई इस प्रकार को और दो कथाओं का उल्लेख है। यहाँ नारद का भी उल्लेख है। उसे कलह-कुशल के रूप में चित्रित किया गया है। इसमें लोक-प्रचलित कथा कूपमङ्गक का भी दृष्टान्त के रूप में उपयोग किया गया है। पाढ़व कृष्ण के बल को परीक्षा किस प्रकार करते हैं, इसका एक नमूना प्रस्तुत ग्रंथ में मिलता है। कथाकार द्रौपदी का पूर्वभव बतलाते हुए कहते हैं कि वह अपने पूर्वजन्म में स्वच्छन्द जैन साध्वी थी तथा कामसकल्प से विरी हुई थी। उसे अस्तान के कठोर नियम के प्रति धृणा थी। वह बार-बार अपने हाथ-पौर आदि आगों को धोया करती तथा बिना पानी छीटे कहीं पर बैठती-सोती न थी। यह साध्वी भरकर द्रौपदी बनो। उसके प्राचीन कामसकल्प के कारण उसे पांच पति प्राप्त हुए। इस कथा में कृष्ण के नरसिंहस्प का भी उल्लेख है। इससे मालूम पड़ता है कि नरसिंहावतार की कथा कितनी लोकव्यापक हो गई थी। इस कथा में यह भी उल्लेख है कि कृष्ण ने अप्रसन्न होकर पाढ़वों को देशनिकाला दिया था। पाढ़वों ने निर्वासित अवस्था में पाहुमयुरा वसाई जो वर्तमान में दक्षिण में मथुरा के नाम से प्रसिद्ध है। इस कथा में शत्रु जय तथा उज्जयन्त—गिरनार पर्वत का भी उल्लेख एक साधारण पर्वत की तरह है। शत्रु जय पर्वत हस्तकल्प नगर के पास बताया गया है। वर्तमान ‘हाथप’ हस्तकल्प का ही परिवर्तित रूप प्रतीत होता है। शिलालेखों में इसे ‘हस्तवप्र’ कहा गया गया है।

आइण—आजञ—आजन्य—उत्तम धोडो—की कथा जिसमें आती है उस सत्रहवें अध्ययन में मच्छिका, पुष्पोत्तर और पद्मोत्तर नाम की तीन प्रकार की शब्दकर की चर्चा की गई है तथा उसके प्रलोभन में फैसने वालों की कैसी दुर्दशा होती है, यही वताने का इस कथा का आशय है।

सुसुमा

सुसुमा नामक अठारहवें अध्ययन में असाधारण परिस्थिति उपस्थित होने पर जिस प्रकार माता-पिता अपनी सतान के मृत शरीर का मास खाकर जीवन रक्षा कर सकते हैं इसी प्रकार पट्काय के रक्षक व जीवमात्र के माता-पिता के समान जैन श्रमण-थ्रमणियाँ असाधारण परिस्थितियों में ही आहार का उपभोग करते हैं। उनके लिए आहार अपनी सतान के मृत शरीर के मास के समान है। उन्हें रस-स्वादन की दृष्टि से नहीं अपितु सथम-साधनरूप शरीर की रक्षा के निभित्त ही असह्य कुष्ठा-वेदना होने पर ही आहार ग्रहण करना चाहिए, ऐसा उपदेश है। बीद्र ग्रन्थ मयुत्तनिकाय में इसी प्रकार की कथा इसी आशय से भगवान् बुद्ध ने कही है। विशुद्धिमार्ग तथा शिक्षासमुच्चय में भी इसी कथा के अनुसार आहार का उद्देश्य वताया गया है। स्मृतिचिद्रिका में भी वताया गया है कि मनुस्मृति में वर्णित त्यागियों से सम्बन्धित आहार-विधान इसी प्रकार का है।

इस प्रकार प्रस्तुत कथा-ग्रन्थ की मुख्य तथा अवान्तर कथाओं में भी अनेक घटनाओं, विविध शब्दों एवं विभिन्न वर्णनों से प्राचीनकालीन अनेक बातों का पता लगता है। इन कथाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने पर स्फूर्ति व इतिहास सम्बन्धी अनेक तथ्यों का पता लग सकता है।



अष्टम प्रकरण

उपासकदशा

सातवें अग उपासकदशा^१ में भगवान् महावीर के दस उपासकों—धावकों की कथाएँ हैं। ‘दशा’ शब्द दस सत्या एव अवस्था दोनों का सूचक है। उपासक-दशा में उपासकों की कथाएँ दस ही हैं अतः दस सत्यावाचक अर्थं उपयुक्त हैं। इसी प्रकार उपासकों की अवस्था का वर्णन करने के कारण अवस्थावाची अर्थं भी उपयुक्त ही है।

इस अग का उपोद्घात भी विपाक के ही समान है अतः यह कहा जा सकता है कि उतना उपोद्घात का अश बाद में जोड़ा गया है।

स्थानांग में उपासकदशाग के दस अध्ययनों के नाम इस प्रकार बताये गये हैं : आनंद, कामदेव, चूलणिपिता, सुरादेव, चुल्लशतक, कुडकोलिक, सद्दालपुत्र, महाशतक, नदिनीपिता और सालतियापिया—सालेयिकापिया। दसवाँ नाम उपासकदशाग में सालिहीपिया है जबकि स्थानांग में सालतियापिया अथवा सालेयिकापिता है। कुछ प्राचीन हस्तप्रतियों में लतियापिया, लतियपिया, लतिणीपिया, लेतियापिया आदि नाम भी मिलते हैं। इसी प्रकार नदिनीपिया के बजाय सलिताकपिया तथा सालेहीपिया नाम भी आते हैं। इस प्रकार इन नामों में काफी हेरफेर हो गया है। समवायाग में अध्ययनों की ही सत्या दी है, नामों को

१. (अ) अमयदेवकृत टीकासहित—आगमोदय समिति, बम्बई, सन् १९२०,
घनपतर्सिंह, कलकत्ता, सन् १८७६

(आ) प्रस्तावना आदि के साथ—पी एल वैद्य, पूना, सन् १९३०

(इ) अग्रेजी अनुवाद आदि के साथ—Hoernle, Bibliotheca Indica,
Calcutta, 1885-1888

(ई) गुजराती छायानुवाद—पूजाभाई जैन ग्रन्थमाला, अहमदाबाद, सन् १९३१।

(उ) सकृत व्याख्या व उसके हिन्दी-गुजराती अनुवाद के साथ—मुनि धासीलाल, जैन शास्त्रोद्धार समिति, राजकोट, सन् १९६१।

(ऊ) अमयदेवकृत टीका के गुजराती अनुवाद के साथ—भगवानदास हर्षचन्द्र,
अहमदाबाद, वि सं० १९९२

(ऋ) हिन्दी अनुवाद सहित—अमोसक ऋषि, हैदराबाद, वी सं २४४६
१७

सूचना नहीं। इसी प्रकार नदीसूत्र में भी अध्ययन सम्बन्ध का ही उल्लेख है, नामों का नहीं।

इस अग का सटिष्ठण अनुवाद प्रकाशित हुआ है। टिप्पणियाँ प्रस्तुत लेखक द्वारा ही लिखी गई हैं अत यहाँ एतद्विषयक विशेष विवेचन अनपेक्षित है।
मर्यादा-निर्धारण

प्रस्तुत सूत्र में आनेवाली कथाओं में सब श्रावक अपने खान-पान, भोग पभोग एव व्यवसाय की मर्यादा निर्धारित करते हैं। इन्होंने धन की जो मर्यादा स्वीकार की है वह वहाँ ही बड़ी मालूम होती है। खानपान की मर्यादा के अनुरूप ही सम्पत्ति की भी मर्यादा होनी चाहिए। ये श्रावक व्यापार, कृषि, व्याज का धधा एव अन्य प्रकार का व्यवसाय करते रहते हैं। ऐसा करने पर धन बढ़ता ही जाना चाहिए। इस बढ़े हुए धन के उपयोग के विषय में सूत्र में किसी प्रकार का विशेष उल्लेख नहीं है। उदाहरणार्थ गायों की मर्यादा दस हजार अथवा इससे अधिक रखी है। अब उन गायों के नये-नये बछड़े-बछड़ियाँ होने पर उनका क्या होगा? निर्धारित सम्बन्ध में वृद्धि होने पर व्रतभग होगा अथवा नहीं? व्रतभग की स्थिति पैदा होने पर बड़ी हुई सम्पत्ति का क्या उपयोग होगा?

आनन्द श्रावक के उनकी पत्नी एव एक पुत्र था। इस प्रकार वे तीन व्यक्ति थे। आनन्द ने सम्पत्ति की जो मर्यादा रखी वह इस प्रकार है हिरण्य की चार कोटि मुद्राएँ निधान में सुरक्षित, चार कोटि वृद्धि के लिए गिरवो आदि हैं, एव चार कोटि व्यापार के लिए, दस-दस हजार गायों के चार बज, पाच सौ हल्लों से जोती जा सके उतनी जमीन, देशान्तरगामी पाच सौ शकट व उतने ही अनाज आदि लाने के लिए, चार यानपात्र-नीका देशान्तरगामी व चार ही नौका घर के उपयोग के लिए। उसने खान-पान की जो मर्यादा रखी वह साधारण है।

वर्तमान में भी श्रावकलोग खान-पान के अमुक नियम रखते हुए पास में अत्यधिक परिग्रह व धनसम्पत्ति रखते हैं। कुछ लोग परिग्रह की मर्यादा करने के बाद धन की वृद्धि होने पर उसे अपने स्वामित्व में न रखते हुए स्त्री-पुत्रादिक के नाम पर चढ़ा देते हैं। इस प्रकार छोटी-छोटी चीजों का तो त्याग होता रहता है किन्तु महादोषमूलक धनसचय का काम बन्द नहीं होता।

विघ्नकारी देव

सूत्र में श्रावकों की साधना में विज्ञ उत्पन्न करने वाले भूत-पिशाचों का भयकर वर्णन है। जब ये भूतपिशाच विज्ञ पैदा करने आते हैं तब केवल श्रावक

ही उन्हें देख सकते हैं, घर के अन्य लोग नहीं। ऐसा क्यों? क्या यह नहीं कहा जा सकता कि यह सब उन श्रावकों की केवल मनोविज्ञुति है? एतद्विषयक विशेष मनोवैज्ञानिक अनुसंधान की आवश्यकता है। वैदिक एवं बौद्ध परम्परा में भी इस प्रकार के विष्णवारी देवो-दानवों व पिशाचों की कथाएँ मिलती हैं।

मासाहारिणी स्त्री व नियतिवादी श्रावक :

इस अग्रग्रन्थ में एक श्रावक की मासाहारिणी स्त्री का वर्णन है। इस श्रावक की तेरह पत्नियाँ थीं। तेरहवीं मासाहारिणी पत्नी रेवती ने अपनी बारह सौतों की हत्या कर दी थी। वह अपने पीर से गाय के बछड़ों का मास मङ्गवा कर खाया करती थी। इस सूत्र में एक कुम्भकार श्रावक का भी वर्णन है जो मखलिपुत्र गोशालक का अनुयायी था। बाद में भगवान् महावीर ने उसे युषितपूर्वक अपना अनुयायी बना लिया था। इस ग्रन्थ में कुछ हिंसाप्रधान घनों का श्रावकों के लिए निषेध किया गया है, जैसे शस्त्र बनाना, शस्त्र बेचना, विष बेचना, बाल का व्यापार करना, गुलामों का व्यापार करना आदि। एतद्विषयक विशेष समीक्षा 'भगवान् महावीरना दश उपासको' नामक पुस्तक में दिये हुए उपोद्धात एवं टिप्पणियों में देखी जा सकती हैं।

आनन्द का अवधिज्ञान :

श्रावक को अवधिज्ञान किस हृद तक हो सकता है, इस विषय में आनन्द व गौतम के बीच चर्चा है। आनन्द श्रावक कहता है कि मेरी बात ठीक है जबकि गौतम गणघर कहते हैं कि तुम्हारा कथन मिथ्या है। आनन्द गौतम की बात मानने को तैयार नहीं होता। गौतम भगवान् महावीर के पास आकर इसका स्पष्टीकरण करते हैं एवं भगवान् महावीर की आज्ञा से आनन्द के पास जाकर अपनी गलती स्वीकार कर उससे क्षमायाचना करते हैं। इससे गौतम की विनीतता एवं ऋजुरा तथा आनन्द की निर्भीकता एवं सत्यता प्रकट होती है।

उपसहार :

विद्यमान अगसूत्रो व अन्य आगमों में प्रधानत श्रमण-श्रमणियों के आचारादि का निरूपण ही दिखाई देता है। उपासकदशाग्रही एक ऐसा सूत्र है जिसमें गृहस्थ धर्म के सम्बन्ध में विशेष प्रकाश ढाला गया है। इससे श्रावक अर्थात् श्रमणोपासक के मूल आचार एवं अनुष्ठान का कुछ पता लग सकता है। श्रमण-श्रमणी के आचार अनुष्ठान की ही भाँति श्रावक-श्राविका के आचार-अनुष्ठान का निरूपण भी अनिवाय है क्योंकि ये चारों ही सघ के समान स्तम्भ हैं। वास्तव में

श्रमण-श्रमणियों की विद्यमानता का आधार भी एक दृष्टि से श्रावक श्रविकाएँ ही हैं। श्रावकस्था के आधार के बिना श्रमणस्था का टिकना समव नहीं। श्रावकघर्म की भित्ति जितनी अधिक सदाचार व न्याय-नीति पर प्रतिष्ठित होगी, श्रमणघर्म की नीव उठनी ही अधिक दृढ़ होगी। इस विचार से श्रावक-श्राविकाओं के जीवनव्यवहार की व्यवस्था इसमें को गई है। गृहस्थकर्मों को केवल आरभ-समारभकारी कह देने से काम नहीं चलता अपितु गृहस्थघर्म में सदाचार एवं सद्विचार की प्रतिष्ठा करना इसका उद्देश्य है।



नवम प्रकरण

अन्तकृतदशा

आठवीं अंग अतगढ़दसाँ^१ है। इसका स्वरूप अतकृतदशा अथवा अत-कृदशा है। अतकृत अर्थात् ससार का अत करनेवाले। जिन्होंने अपने मसार अर्थात् भवचक—जन्मभरण का अत किया है अर्थात् जो पुन जन्म-भरण के चक्र में फैलनेवाले नहीं हैं ऐसी आत्माओं का पर्याण अन्तकृतदशा में उपलब्ध है। इसका उपयोग भी विषावभूम के ही समान है।

दिग्घर धर्मस्तर के राजवारिश आदि प्रन्थों में अन्तकृतों के जो नाम मिलते हैं वे स्यानाग में उल्लिखित नामों से जटिकायतया मिलने-जुलते हैं। स्यानाग में निम्नोक्त दस नामों का निर्देश है —

नक्षी, नातग, सोमिल, रामगुप्त, मुदर्दान, जमाली, भगाली, किकम, पन्लते-तिय और फाल बंधुपुत्र।

समवायाग में अन्तकृतदशा के दस अध्ययन य सात वर्ग बताये गये हैं। नामों का उल्लेख नहीं है। नन्दीमूर्ति में इस लग के दस अध्ययन य आठ वर्ग बताये गये हैं। नामों का उल्लेख इसमें भी नहीं है।

वर्तमान में उपलब्ध अन्तकृतदशा में न तो इस अध्ययन ही है और न उपर्युक्त नामवाले अन्तकृतों का ही पर्याण है। इसमें नन्दी के निर्देशानुसार आठ वर्ग हैं,

१. (अ) अभयदेवविहित वृत्तिसहित—आगमोदय समिति, बम्बई, सन् १९२०;
घनपति सिंह, कलकत्ता, सन् १८७५.
- (आ) प्रस्तावना आदि के साथ—पी. एल वैद्य, पुना, सन् १९३२.
- (इ) अग्रेजी अनुवाद—L D Barnett, 1907
- (ई) अभयदेवविहित वृत्ति के गुजराती अनुवाद के साथ—जैनघरमं प्रसारक सभा, भावनगर, वि स १९९०
- (उ) स्वरूप व्याख्या व उसके हिन्दी-गुजराती अनुवाद के साथ—मुनि धासीलाल, जैन शास्त्रोद्धार समिति, राजकोट, सन् १९५८
- (ऊ) हिन्दी अनुवादमहित—अमोलक शृंगि, हंदरावाद, वि स २४४६.
- (ऋ) गुजराती छायानुवाद—गोपालदास जीवाभाई पटेल, जैन साहित्य प्रकाशन समिति, अहमदाबाद, सन् १९४०

समवाय के उल्लेखानुसार सात वर्ग नहीं । उपलब्ध अन्तकृतदशा के प्रथम वर्ग में निम्नोक्त दस अध्ययन हैं —

गौतम, समुद्र, सागर, गम्भीर, यिमिअ, अयल, कपिल, अक्षोभ, पसेणई और विज्ञु ।

द्वारका-वर्णन :

प्रथम वर्ग में द्वारका का वर्णन है । इस नगरो का निर्माण धनपति की योजना के अनुसार किया गया । यह किस प्रदेश में थी, इसका सूत्र में कोई उल्लेख नहीं है । द्वारका के उत्तर-पूर्व में रेवतक पवत, नन्दनवन एवं सुरप्रिय यक्षायतन होने का उल्लेख है । राजा का नाम कृष्ण वासुदेव बताया गया है । कृष्ण के अधीन समुद्रविजय आदि दस दशाहें, बलदेव आदि पांच महावीर, प्रधुम्न आदि साढे तीन करोड़ कुमार, शाम्ब आदि माठ हजार दुर्दान्त, उग्रसेन आदि सोलह हजार राजा, रुक्मणी आदि सोलह हजार देवियाँ—रानियाँ, अनग-सेना आदि सहस्रो गणिकाएँ व अन्य अनेक लोग थे । यहाँ द्वारका में रहने वाले अन्धकवृष्णि राजा का भी उल्लेख आता है ।

अन्धकवृष्णि के गौतम आदि दस पृष्ठ सयम ग्रहण कर उसका पूणतया पालन करते हुए सामायिक आदि ग्यारह अगो का अध्ययन कर अन्तकृत वर्णाति मुक्त हुए । ये दसो मुनि शत्रुञ्जय पर्वत पर सिद्ध हुए ।

द्वितीय वर्ग में इसी प्रकार के अन्य दस नाम हैं ।

गजसुकुमाल :

तृतीय वर्ग में तेरह नाम हैं । नगर भद्रिलपुर है । गृहपति का नाम नाग व उसकी पत्नी का नाम सुलसा है । इसमें सामायिक आदि चौदह पूर्वों के अध्ययन का उल्लेख है । सिद्धिस्थान शत्रुञ्जय ही है । इन तेरह नामों में गज-सुकुमाल मुनि का भी समावेश है । कृष्ण के छोटे भाई गज की कथा इस प्रकार है —

छा मुनि थे । वे छहों समान आकृतिवाले, समान वयवाले एवं समान वर्णवाले थे । वे दो-दो की जोड़ी में देवकी के यहाँ मिशा लेने गये । जब वे एक बार, दो बार व तीन बार आये तो देवकी ने सोचा कि ये मुनि बार-बार क्यों आते हैं? इसका स्पष्टीकरण करते हुए उन मुनियों ने कहा कि हम बार-बार नहीं आते किन्तु हमसबकी समान आकृति के कारण तुम्हें ऐसा ही लगता है । हम छहों सुलसा के पुत्र हैं । मुनियों की यह बात सुन कर देवकी को कुछ स्मरण हुआ । उसे याद आया कि पोलासपुर नामक गांव

में अतिमुक्तक नामक कुमारश्रमण ने मुझे कहा था कि तू छोक एवं भगवान आठ पुत्रों को जन्म देगी। देवकी ने मोचा कि उस मृति का कथन छोक नहीं निकला। वह एतद्विषयक स्पष्टीकरण के लिए स्त्रीयंकर अरिष्टनेमि के पास पहुँची। अरिष्टनेमि ने बताया कि अतिमुक्तक की बात गलत नहीं है। ऐसा हुआ है कि मुलसा के मृत बालक पैदा होते थे। उसने पुत्र देनेवाले हरिणेगमेसी देव की आराधना की। इनसे उसने तेरे जमे हुए पुत्र उठाकर उसे सौंप दिये व उसके परे हुए बालक लाकर तेरे पास रख दिये। इस प्रकार ये छ मुनि वस्तुत तेरे हां पुत्र हैं। यह मुनकर देवकी के मन में विचार हुआ कि मैंने मिथी घालण का बचपन नहीं देगा अत जब यदि मेरे एक पुत्र हो तो उसका बचपन हैऽन्। इस विचार से देवकी भारी चिन्ना में पड़ गई। इसने मैं कृष्ण वासुदेव देवकी को प्रणाम बरने लाये। देवकी ने कृष्ण को अपने मन की बात बताई। कृष्ण ने देवकी को सान्त्वना देते हुए कहा कि मैं ऐसा प्रयत्न कर्त्त्वंगा कि मेरे एक छोटा भाई हो। इसने बाद कृष्ण ने पौषधाला में जाकर तीन लगवाम कर हरिणेगमेसी देव की आराधना की व उससे एक छोटे भाई को मार्ग दी। देव ने कहा कि तेरा छोटा भाई होगा और वह छोटी उम में ही दीक्षित होगा रसिद्धि प्राप्त करेगा। बाद में देवकी को पुत्र हुआ। उसी का नाम गज अथवा गजसुकुमाल है। गज मा विवाह करने के उद्देश्य से कृष्ण ने चतुर्वेदज्ञ सोमिल बाह्यण की सोमा नामक कन्या को अपने यहाँ लाकर रखी। इसने मैं भगवान् अरिष्टनेमि द्वारका के सहजावदन उद्यान में लाये। उनका उपदेश सुनकर माता-पिता की अनुमति प्राप्तकर गज ने दीक्षा अगीकार की। सोमा ऐसी ही रह गई। सोमिल ने क्रोधित हो शमशान में व्यान करते हुए मुनि गजसुकुमाल के सिर पर मिट्टी की पाल वांधकर घघकर अगारे रखे। मुनि शान्त भाव से मृत्यु प्राप्त कर अन्तकृत हुए।

इस कथा में अनेक बातें विचारणीय हैं, जैसे पुत्र देनेवाला हरिणेगमेसी देव, कायिकसम्यक्त्वधारी कृष्ण द्वारा की गई उसकी आराधना और वह भी पौषध-धाला में, देवकी के पुत्रों का अपहरण, अतिमुक्तक मुनि की भविष्यवाणी, भगवान् अरिष्टनेमि का एतद्विषयक स्पष्टीकरण आदि।

दयाशील कृष्ण ।

तृतीय वर्ग में कृष्ण से सम्बन्धित एक विशिष्ट घटना इस प्रकार है —

एक बार वासुदेव कृष्ण सदलबल भगवान् अरिष्टनेमि को बदन करने जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक बृद्ध मनुष्य को इंटी के छेर में से एक-एक इंट उठाकर ले जाते हुए देखा। यह देखकर कृष्ण के हृदय में दया आई। उन्होंने भी इंटे उठाना पुरु किया। यह देखकर साथ के सब लोग भी इंटे उठाने लगे। देखते ही देखते

सब हँटे घर में पहुँच गईं। इससे उस वृद्ध मनुष्य को राहत मिली। वासुदेव कृष्ण का यह व्यवहार अति सहानुभूतिपूर्ण मनोवृत्ति का निर्देशक है।

चतुर्थ वर्ग में जाति आदि दस मुनियों की कथा है।

कृष्ण की मृत्यु

पांचवें वर्ग में पद्मावती आदि दस अत्कृत स्त्रियों की कथा है। इसमें द्वारका के विनाश की भविष्यवाणी भगवान् अरिष्टनेमि के मृत्यु से हुई है। कृष्ण की मृत्यु की भविष्यवाणी भी अरिष्टनेमि द्वारा ही को गई है जिसमें बताया गया है कि दक्षिण समुद्र की ओर पाहुमयुरा जाते हुए कोसवी नामक वन में वरगद के वृक्ष के नीचे जराकुमार द्वारा छोड़ा हुआ बाण बायें पैर में लगने पर कृष्ण की मृत्यु होगी। इस कथा में कृष्ण ने यह भी घोषित किया है कि जो कोई दीक्षा लेगा उसके कुटुम्बियों का पालन-पोषण व रक्षण में करूँगा।

चौथे व पांचवें वर्ग के अन्तकृत कृष्ण के ही कुटुम्बीजन थे।

अर्जुनमाली एवं युवक सुदर्शन

छठें वर्ग में सोलह अध्ययन है। इसमें एक मुद्गरपाणि यक्ष का विशिष्ट अध्ययन है। इसका सार इस प्रकार है —

अर्जुन नाम का एक माली था। वह मुद्गरपाणि यक्ष का बड़ा भक्त था। प्रतिदिन उसकी प्रतिमा की पूजा-अर्चना किया करता था। उस प्रतिमा के हाथ में लोहे का एक विशाल मुद्गर था। एक बार भोगलोलुप गुणों की एक दीली ने यक्ष के इस मन्दिर में अर्जुन को बांध कर उसकी स्त्री के साथ अनाचारपूर्ण बरताव किया। उस समय अर्जुनमाली ने उस यक्ष की खूब प्रार्थना की एवं अपने को तथा अपनी स्त्री को उन गुणों से बचाने की अत्यन्त आग्रहपूर्ण विनती की किन्तु काष्ठप्रतिमा कुछ न कर सकी। इससे वह समझा कि यह कोई शक्तिशाली यक्ष नहीं है। यह तो केवल काष्ठ है। जब वे गुणे चले गये एवं अर्जुनमाली मुक्त हुआ तो उसने उस मूर्ति के हाथ में से लोहमुद्गर ले लिया एवं उस मार्ग से गुजरनेवाले सात जनों को प्रतिदिन मारने लगा। यह घटना राजगृह नगर में हुई। यह देखकर वहाँ के राजा श्रेणिक ने यह घोषित कर दिया कि उस मार्ग से कोई भी व्यक्ति न जाय। जाने पर मारे जाने की अवस्था में राजा को कोई जिम्मेदारी न होगी। संयोगवश इसी समय भगवान् महावीर का उसी वनखण्ड में पदापांण हुआ। राजगृह का कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि वहाँ का राजा भी अर्जुनमाली के भय से महावीर को बन्धन करने न जा सका। पर इस राजगृह में सुदर्शन नाम एक युवक रहता था जो भगवान् महावीर का परम भक्त था। वह अकेला हो महावीर के बन्धनाथ उस मार्ग से रवाना

हुआ। उसके माता-पिता ने तो वहन मना किया किन्तु वह न माना। वह महारोर का साधारण भवत न दा। उसे कहा कि भगवान् मेरे गाँव के पास आये और मैं भूत्य के भय से उन्हें बचने करने न जाने को मेरी भवित अवस्था लजित होगी। यह शोधकर नुदवन रखाना हुआ। सारे में उसे अजुनमालो मिला। यह उसे मारने के लिए आगे दग्ध किन्तु मुदर्दान को कान्त मुद्रा देखकर उसका मित्र बन गया। बाद में दोनों भगवान्-महारोर के पास पहुँचे। भगवान् का उपदेश मूल कर अड्डनमालो मुनि हो गया। अन्त में उसने तिदि प्राण को।

इस बाद में एक बात नमन में नज़ी आगी कि श्रेणिक के पास राजमत्ता य संनिकब्द होने हुए भी यह अजुनमालो को छोपो को मारने से गये नज़ी रोक सका। श्रेणिक भगवान्-महारोर का बगाधारण भवन बहा जाता है किर भी वह चहें बन्दन दरने नहीं गया। सारे नगर में भगवान् का मच्चा भपन एक मुदर्दान हो सावित हुआ। नभयत् इस बाद का उद्देश्य यही यताना हो कि सच्चो शदा व भस्ति कितनो दुलभ है।

अन्य अतकृत-

छठे बांग में पद्महें अध्ययन में अतिमुख नामक भगवान्-महारोर के एक गिर्य का कथानक है। इस अध्ययन में गाँव के चोक अयवा ग्रीष्मास्थल के लिए 'इन्द्रस्यान' टाट्ट गा प्रयोग हुआ है।

सातवें बांग में तेरह अध्ययन है। इनमें अतकृत-मिदियो का वर्णन है।

आठवें बांग में दस अध्ययन हैं। इन अध्ययनों में श्रेणिक की काली आदि दस भार्याओं का वर्णन है। इस बाग में प्रत्येक अतकृत-नाध्यो के विशिष्ट तप का विस्तृत परिचय दिया गया है। इससे इनकी तपस्या की उप्रता का पता लगता है।



-
- (क) अन्यदेवविहित वृत्तिशहित—आमोड़म नमिति, मुरग, चन् १९०८
घनपत्रिका, कल्पता, चन् १८७५
- (ल) प्रस्तावना आदि के चाय—पी एन वैद्य, पूना, चन् १९३३
- (इ) अरेजो अनुवाद—L D Barnett, 1907
- (ई) मूल—जैन आन्मानन्द सभा, नावनार, चन् १९३१
- (उ) अन्यदेवविहित वृत्ति के युनरातो अनुवाद के साथ—जैनधर प्रसारक सभा,
नावनार, वि० न०, १९९०
- (ङ) हिन्दी टीका सन्ति—मुनि आन्माराम, जैन शास्त्रमाला कार्यालय,
नाहोर, चन् १९३६
- (अट्ठ) उच्चत व्याच्या व उसके हिन्दी-युन्गरतो अनुवाद के साथ—मुनि शास्त्रीलाल,
जैन शास्त्रोद्धार नमिति, गाजबोट, चन् १९५९
- (ए) हिन्दी अनुवाद सहित—अमोन्क अष्टपि, हैदराबाद, ची स २४४६
- (ऐ) युजातो आयानुवाद—गोपलदास जीवामाई पटेल, जैन साहित्य प्रकाशन
नमिति, अहमदाबाद, चन् १९४०

सूत्र में इसके तीन वर्ग, दस अध्ययन व दस उद्देशनकाल वर्ताये गये हैं। नन्दीसूत्र में तीन वर्ग व तीन ही उद्देशनकाल निर्दिष्ट हैं। इस प्रकार इन सूत्रों के उल्लेख में परस्पर भेद दिखाई देता है। इम भेद का कारण वाचना-भेद होगा।

राजवार्तिक आदि अचेलकपरम्परासम्मत ग्रन्थों में भी अनुत्तरौपपातिकदशा का परिचय मिलता है। इनमें इसके तीन वर्गों का कोई उल्लेख नहीं है। ऋषिदास आदि से सम्बन्धित दस अध्ययनों का निर्देश है। स्थानांग में दस अध्ययनों के नाम इस प्रकार हैं ऋषिदास, धन्य, सुनक्षत्र, कार्तिक, सस्थान, शालिभद्र, आनन्द, तैतली, दशार्णभद्र और अतिमुक्ततक। स्थानांग व राजवार्तिक में जिन नामों का उल्लेख है उनमें से कुछ नाम उपलब्ध अनुत्तरौपपातिक में मिलते हैं। जैसे वारियेण (राजवार्तिक) नाम प्रथम वर्ग में है। इसी प्रकार धन्य, सुनक्षत्र तथा ऋषिदास (स्थानांग व राजवार्तिक) नाम तृतीय वर्ग में है। अन्य नामों की अनुपलब्धि का कारण वाचनाभेद हो सकता है।

उपलब्ध अनुत्तरौपपातिकदशा तीन वर्गों में विभक्त है। प्रथम वर्ग में १० अध्ययन हैं, द्वितीय वर्ग में १३ अध्ययन हैं और तृतीय वर्ग में १० अध्ययन हैं। इस प्रकार तीनों वर्गों की अध्ययन-संख्या ३३ होती है। प्रत्येक अध्ययन में एक-एक महापुरुष का जीवन वर्णित है।

जालि आदि राजकुमार :

प्रथम वर्ग में जालि, मयालि, उपजालि, पुरुपसेन, वारियेण, दीघदन्त, लष्टदन्त-वेह्ल्ल, वेह्यास और अभयकुमार—इन दस राजकुमारों का जीवन दिया गया है। आयं सुधर्मा ने अपने शिष्य जम्बू को उक्त दस राजकुमारों के जन्म, नगर, माता-पिता आदि का विस्तृत परिचय करवाकर उनके त्याग व तप का सुन्दर ढंग से वर्णन किया है और बताया है कि ये दसों राजकुमार मनुष्य-भव पूर्ण करके कौन-कौन से अनुत्तर विमानों में उत्पन्न हुए हैं तथा देवयोनि पूर्ण होने पर वहाँ से च्युत होकर कहा जन्म लेंगे एवं किस प्रकार सिद्ध-चुद्ध-मुक्त होंगे।

दीघसेन आदि राजकुमार :

हितीय वर्ग में दीघसेन, महासेन, लष्टदन्त, गूढदन्त, शुद्धदन्त, हल्ल, द्रुम, द्रुमसेन, महाद्रुमसेन, सिंह, सिंहसेन, महार्सिहसेन और पुष्पसेन—इन तेरह राजकुमारों के जीवन का वर्णन जालिकुमार के जीवन की ही भाति सक्षेप में किया गया है। ये भी अपनी तप साधना द्वारा पाँच अनुत्तर विमानों में गये हैं। वहाँ से च्युत होकर मनुष्यजन्म पाकर सिद्ध-चुद्ध-मुक्त होंगे।

धन्यकुमार

तृतीय वर्ग में धन्यकुमार, सुनक्षशकुमार, ऋषिदास, पेल्लक, रामपुत्र, चन्द्रिका पृष्ठमातृक, पेडालपुत्र, पोट्टिल्ल और वेह्ल्ल—इस दस कुमारों के भोगमय ए

तपोमय जीवन का सुन्दर चित्रण किया है। इनमें से धन्यकुमार का वर्णन विशेष विस्तृत है।

धन्यकुमार काकड़ी नगरी की भद्रा सार्थवाही का पुत्र था। भद्रा के पास अपरिमित धन तथा अपरिमित भोग-विलास के साधन थे। उसने अपने सुपोषण पुत्र का लालन-पालन बड़े कँचे स्तर से किया था। धन्यकुमार भोग-विलास की सामग्री में डूब चुका था। एक दिन भगवान् महावीर की दिव्य वाणी सुनकर उसके मन में वैराग्य की भावना जाग्रत हुई और तदनुसार वह अपने विपुल वैभव का त्याग कर मुनि बन गया।

मुनि बनने के बाद धन्य ने जो तपस्या की वह अद्भूत एवं अनुपम है। तपोमय जीवन का इतना सुन्दर सर्वांगीण वर्णन श्रमणसाहित्य में तो क्या, सम्पूर्ण भारतीय साहित्य में अन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं होता। महाकवि कालिदास ने अपने ग्रन्थ कुमारसभव में पार्वती की तपस्या का जो वर्णन किया है वह महत्त्वपूर्ण होते हुए भी धन्य मुनि की तपस्या के वर्णन के समकक्ष नहीं है—उससे अलग ही प्रकार का है।

धन्यमुनि अपनी आयु पूर्ण करके सर्वार्थसिद्ध विमान में देवरूप से उत्पन्न हुए। वहाँ से च्युत होकर मनुष्य जन्म पाकर तपासाधना द्वारा सिद्ध-नुद्ध-मुक्त होंगे।



एकादश प्रकरण

प्रश्नव्याकरण

पट्टावागरण अथवा प्रश्नव्याकरण^१ दसरी अग है। इसका जो परिचय अचेलक परम्परा के राजवातिक आदि प्रन्थो एव सचेलक परम्परा के स्थानाग आदि सूत्रों में मिलता है, उपलब्ध प्रश्नव्याकरण उससे सर्वपा भिन्न है।

स्थानाग में प्रश्नव्याकरण के दस अध्ययनों का उत्तेस है उपमा, संख्या, कृषिमापित, आचार्यमापित, महायोरमापित, कोभकप्रश्न, कोमलप्रश्न, अद्दाग-प्रश्न, अगुष्ठप्रश्न और बाहुप्रश्न।

समवायांग में बताया गया है कि प्रश्नव्याकरण में १०८ प्रश्न, १०८ अप्रश्न एव १०८ प्रश्नाप्रश्न हैं जो भविष्यदा एव अगुष्ठप्रश्न, बाहुप्रश्न, दर्पणप्रश्न आदि विद्याओं से सम्बन्धित हैं। इसके ४५ अध्ययन हैं।

नन्दीसूत्र में भी यही बताया गया है कि प्रश्नव्याकरण में १०८ प्रश्न, १०८ अप्रश्न एव १०८ प्रश्नाप्रश्न हैं, अंगुष्ठप्रश्न, बाहुप्रश्न, दर्पणप्रश्न आदि विचित्र विद्यातियों का वर्णन है, नागकुमारों व सुवर्णकुमारों की संगति के दिव्य सवाद है, ४५ अध्ययन हैं।

१. (अ) अभयदेवविहित वृत्तिसहित—आगमोदय समिति, बम्बई, सन् १९१९,
घनपत्तर्सिंह, कालकत्ता, सन् १८७६.

(आ) ज्ञानविमलविरचित वृत्तिसहित—मुफितविमल जैन ग्रन्थमाला अहमदा-
बाद, वि० सं० १९९५

(इ) हिन्दी टीका सहित—मुनि हस्तिमल, हस्तिमल सुराणा, पाली,
सन् १९५०.

(ई) सस्कृत व्याख्या व उसके हिन्दी-गुजराती अनुवाद के साथ—मुनि-
धासीलाल, जैन शास्त्रोद्धार समिति, राजकोट, सन् १९६२

(उ) हिन्दी अनुवाद सहित—अमोलक ऋषि, हैदराबाद, वि० सं० २४४६,
धेरचन्द्र वांठिया, सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था, वीकानेर,
वि० सं० २००९.

(ऋ) गुजराती अनुवाद—मुनि छोटालाल, लाघाजी स्वामी पुस्तकालय
लीबड़ी, सन् १९३६.

विद्यमान प्रश्नव्याकरण में न तो उपर्युक्त विषय ही हैं और न ४५ ब्रव्यपन ही। इसमें हिंसादिक पांच आत्मों तथा अहिंसादिक पांच सवरों का दस ब्रव्ययनों में निरूपण है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रश्नव्याकरण का दोनों जैन परम्पराओं में उल्लेख है वह चर्चमान में उपलब्ध नहीं है। इसका क्य यह हुआ कि विद्यमान प्रश्नव्याकरण बाद में होनेवाले किसी गीतार्थ पुस्तकों रचना है। वृत्तिकार अमयदेव सूरि लिखने हैं कि इस समय का कोई अनविज्ञारी मनुष्य चमत्कारी विद्याओं का दुरुपयोग न करे, इस दृष्टि से इस प्रकार की सब विद्याएँ इन सूत्र में से निकाल दी गईं एवं उनके स्थान पर केवल आत्म व सबर का समावेश कर दिया गया। यहाँ एक बात विचारणीय है कि जिन भगवान् ज्योतिष आदि चमत्कारिक विद्याओं एवं इसी प्रकार की अन्य आरभ-समारभूपूर्ण विद्याओं के निरूपण को दृष्टिर प्रवृत्ति बतलाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्नव्याकरण में चमत्कारिक विद्याओं का निरूपण जिन प्रमुख ने कैसे किया होगा ?

प्रश्नव्याकरण का प्रारम्भ इस गाथा से होता है

जबू । इणमो अण्हय-सवरविणिच्छ्य पवयणस्त् ।
नीसद वोच्छामि णिच्छयत्य सुहासियत्य महेसीर्हं ॥

अर्थात् है जबू । यहाँ महर्षिग्रणीत प्रवचनसाररूप आत्म व सबर का निरूपण करते हैं ।

गाथा में जबू का नाम तो है किन्तु 'महर्षियों द्वारा सुभाषित' शब्दों से यह स्पष्ट प्रसीत होता है कि इसका निरूपण केवल सुषर्मा द्वारा नहीं हुआ है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि विषय की दृष्टि से यह सूत्र पूरा ही नया हो गया है जिसका कर्ता कोई गीतार्थ पुस्तक हो सकता है ।

असत्यवादी मत :

सूत्रकार ने असत्यभाषक के रूप में निम्नोक्त मतों के नामों का उल्लेख किया है —

- १ नास्तिकवादी अयवा वामलोकवादी—चार्वाक
- २ पञ्चस्कन्दवादी—बौद्ध
- ३ मनोर्जीववादी—मन को जीव माननेवाले
- ४ वायुजीववादी—प्राणवायु को जीव माननेवाले
- ५ अहे से जगत् की उत्पत्ति माननेवाले
- ६ लोक को स्वयम् कृत माननेवाले
- ७ सचार को प्रजापतिनिर्मित माननेवाले

- ८ ससार को ईश्वरकृत माननेवाले
- ९ सारे संसार को विष्णुमय माननेवाले
- १० आत्मा को एक, अकर्ता, वेदक, नित्य, निष्क्रिय, निर्गुण, निर्लिप्त माननेवाले
- ११ जगत् को यादृच्छिक माननेवाले
- १२ जगत् को स्वभावजन्य माननेवाले
- १३ जगत् को देवकृत माननेवाले
- १४ नियतिवादी—आजीवक

हिंसादि आस्था ।

इसके अतिरिक्त ससार में जिस प्रकार का असत्य व्यवहार में, कुटुम्ब में, समाज में, देश में व सम्पूर्ण विश्व में प्रचलित है उसका विस्तृत विवेचन किया गया है। इसी प्रकार हिंसा, चौथ, अश्रहाचर्य एवं परिग्रह के स्वरूप व दूषणों का सूक्ष्म लदा वर्णन किया गया है। हिंसा का वर्णन करते समय वैदिका, विहार, स्तूप, लेण, चैत्य, देवकुल, आयतन आदि के निर्माण में होनेवाली हिंसा का निर्देश किया गया है। वृत्तिकार ने विहार आदि का अथ इस प्रकार दिया है—विहार अर्थात् बीद्रविहार, लेण अर्थात् पवर्त में काटकर बनाया हुआ घर, चैत्य अर्थात् प्रतिमा, देवकुल अर्थात् शिखरगयुक्त देवप्रासाद ।

जो लोग चैत्य, मंदिर आदि बनवाने में होनेवाली हिंसा को गिनती में नहीं लेते उनके लिए इस सूत्र का मूलपाठ तथा वृत्तिकार का विवेचन एक चुनीती है। इस प्रकरण में वैदिक हिंसा का भी निर्देश किया गया है एवं घर्म के नाम पर होनेवाली हिंसा का उल्लेख करना भी सूत्रकार भूले नहीं हैं। इसके अतिरिक्त जगत् में चलनेवाली समस्त प्रकार की हिंसाप्रवृत्ति का भी निर्देश किया गया है। हिंसा के सदभ में विविध प्रकार के मकानों के विभिन्न भागों के नामों का, वाहनों के नामों का, खेती के साधनों के नामों का तथा इसी प्रकार के हिंसा के अनेक निमित्तों का निर्देश किया गया है। इसी प्रसंग पर अनार्य—म्लेच्छ जाति के नामों की भी सूची दी गई है।

असत्य के प्रकरण में हिंसात्मक अनेक प्रकार की भाषा बोलने का नियंत्रण किया गया है।

चौथ का विवेचन करते हुए ससार में विभिन्न प्रसंगो पर होनेवाली विविध चौरियों का विस्तार से वर्णन किया गया है।

अश्रहाचर्य का विवेचन करते हुए सर्वप्रकार के भोगपरायण लोगों, देवों, देवियों, चक्रवर्तियों, वासुदेवों, माण्डलिक राजाओं एवं इसी प्रकार के अन्य

व्यक्तियों के भोगों का वर्णन किया गया है। साथ ही शरीर के सौन्दर्य, स्त्री के स्वभाव तथा विविध प्रकार के कायोपचार का भी निरूपण किया गया है। इस प्रसग पर स्त्रियों के निमित्त होनेवाले विविध युद्धों का भी उल्लेख हुआ है। वृत्तिकार ने एतद्विषयक व्याख्या में भीता, द्रौपदी, रुक्मणी, पद्मावती, तारा, रक्तसुभद्रा, अहल्या (अहिन्निका), सुवणगुलिका, रोहिणी, किन्नरी, सुरुगा व विद्युन्मति की कथा जैन परम्परा के अनुसार उद्घृत की है।

पाचवें आङ्ग्रेव परिग्रह के विवेचन में ससार मे जिरने प्रकार का परिग्रह होता है अथवा दिवार्ड देता है उसका सविस्तार निरूपण किया गया है। परिग्रह के निम्नोक्त पर्याय वराये गये हैं सच्य, उपच्य, निघान, पिष्ट, महेच्छा, उपकरण, सरकण, सस्तव, आसवित। इन नामों में समस्त प्रकार के परिग्रह का समावेश है।

अर्हिसादि सवरं

प्रथम सवर अर्हिसा के प्रकरण मे विविध व्यक्तियों द्वारा आराध्य विविध प्रकार की अर्हिसा का विवेचन है। इसमें अर्हिसा का के पोषक विभिन्न अनुष्ठानों का भी निरूपण है।

सत्यरूप द्वितीय सवर के प्रकरण में विविध प्रकार के सत्यों का वर्णन है। इसमें व्याकरणसम्मत वचन को भी अमुक अपेक्षा से सत्य कहा गया है तथा बोलते समय व्याकरण के नियमों तथा उच्चारण की शुद्धता का ध्यान रखने का निर्देश किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में निम्नलिखित सत्यों का निरूपण किया गया है जनपदसत्य, समतसत्य, स्थापनासत्य, नामसत्य, रूपसत्य, प्रतीतिसत्य, व्यवहारसत्य, भावसत्य, योगसत्य और उपमासत्य।

जनपदसत्य अर्थात् तद्-तद् देश की भाषा के शब्दों में रहा हुआ सत्य। समतसत्य अर्थात् कवियों द्वारा अभिप्रेत सत्य। स्थापनासत्य अर्थात् चित्रों में रहा हुआ व्यावहारिक सत्य। नामसत्य अर्थात् कुलवधन आदि विशेषनाम। रूप सत्य अर्थात् वेश आदि द्वारा पहचान। प्रतीतिसत्य अर्थात् छोटे-बड़े का व्यवहार-सूचक वचन। व्यवहारसत्य अर्थात् लाक्षणिक भाषा। भावसत्य अर्थात् प्रधानता के आधार पर व्यवहार, जैसे अनेक रगवाली होने पर भी एक प्रधान रग द्वारा ही वस्तु की पहचान। योगसत्य अर्थात् सम्बन्ध से व्यवहृत सत्य, जैसे छत्रधारी आदि। उपमासत्य अर्थात् समानता के आधार पर निर्दिष्ट सत्य, यथा समुद्र के समान तालाब, चन्द्र के समान भूख आदि।

अचौर्य सम्बन्धी प्रकरण में अचौर्य से सबचित समस्त अनुष्ठानों का वर्णन है। इसमें अस्त्रों की स्थूल से लेकर सूक्ष्मतम तक व्याख्या की गई है।

ब्रह्मचर्य सम्बन्धी प्रकरण में ब्रह्मचर्य का निरूपण, तत्सम्बन्धी अनुष्ठानों का वर्णन एवं उसकी साधना करने वालों का प्ररूपण किया गया है। साथ ही अनाचरण की दृष्टि से ब्रह्मचर्यविरोधी प्रवृत्तियों का भी उल्लेख किया गया है।

अन्तिम प्रकरण अपरिप्रह से सम्बन्धित है। इसमें अपरिप्रहवृत्ति के स्वरूप, तद्विषयक अनुष्ठानों एवं अपरिप्रहव्रतधारियों के स्वरूप का निरूपण है।

इस प्रकार प्रस्तुत सूत्र में पाच आळवों तथा पाच सवरों का निरूपण है। इसमें महाद्वानों की समस्त भावनाओं का भी निरूपण है। भावा समासयुक्त है जो शीघ्र समझ में नहीं आती। वृत्तिकार ने प्रारम्भ में ही लिखा है कि इस ग्रन्थ की प्राप्य कूट पुस्तकें (प्रतियों) उपलब्ध हैं। हम अज्ञानी हैं और यह शास्त्र गभीर है। अत विचारपूर्वक अर्थ की योजना करनी चाहिए। सबसे अन्त में उन्होंने यह भी लिखा है कि जिनके पास आम्नाय नहीं है उन हमारे जैसे लोगों के लिए इस शास्त्र का अर्थ समझना कठिन है। अत यहाँ हमने जो अर्थ दिया है वही ठीक है, ऐसी बात नहीं है। वृत्तिकार के इस कथन से मालूम पड़ता है कि आगमों की आम्नाय अर्थात् परम्परागत विचारसरणि खटित हो चुकी थी—टूट चुकी थी। प्रतियों भी प्राप्य विश्वसनीय न थी। अत विचारकों को सोच-समझ कर शास्त्रों का अर्थ करना चाहिए। तत्त्वार्थराजवात्तिक (प० ७० ७३-७४) में कहा गया है कि आक्षेपविकेप द्वारा हेतुनयाश्रित प्रश्नों के व्याकरण का नाम प्रश्नव्याकरण है। उसमें लौकिक तथा वैदिक अर्थों का निर्णय है। इस विषयनिरूपण में हिंसा, असत्य आदि आळवों का अर्था अहिंसा, सत्य आदि सवरों का समावेश होना सभावित प्रतीत होना है। तात्पर्य यह है कि अगुष्ठप्रश्न, दर्पणप्रश्न आदि का विचार प्रश्नव्याकरण में है, ऐसी बात राजवात्तिकार ने नहीं लिखी है परन्तु घवलाटोका में नष्टप्रश्न, मुष्टिप्रश्न इत्यादि का विचार प्रश्नव्याकरण में है, ऐसा बताया गया है।

द्वादश प्रकरण

विपाकसूत्र

'विपाकसूत्र' के प्रारम्भ में ही भगवान् महावीर के शिष्य सुधर्मा स्वामी एवं उनके शिष्य जम्बू स्वामी का विस्तृत परिचय दिया हुआ है। साथ ही यह प्रश्न किया गया है कि भगवान् महावीर ने दसवें अग्र प्रश्नव्याकरण में अमुक-अमुक वार्ते बताई हैं तो इस घारहवें अग्र विपाकसूत्र में क्या-क्या वार्ते बताई हैं? इसका उत्तर देते हुए सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि भगवान् महावीर ने इस श्रूत के दो श्रूतस्कन्ध वताये हैं एक दुखविपाक व दूसरा सुखविपाक। दुखविपाक के दस प्रकरण हैं। इसी प्रकार सुखविपाक के भी दस प्रकरण हैं। यहाँ इन सब प्रकरणों के नाम भी बताये हैं। इनमें आनेवाली कथाओं के अध्ययन से तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति, रीतिरिवाज, जीवन-व्यवस्था आदि का पता लगता है।

प्रारम्भ में आनेवाला सुधर्मा व जम्बू का वर्णन इन दोनों महानुभावों के अतिरिक्त किसी तीसरे ही पुरुष द्वारा लिखा गया मालूम होता है। इससे यह

- १ (अ) अभयदेवकृत वृत्तिसहित—आगमोदय समिति, बम्बई, सन् १९२०, धनपत सिंह, कलकत्ता, सन् १८७६, मुचितकमलजैनमोहनमाला, वडोदा, सन् १९२०
- (आ) प्रस्तावना आदि के साथ—गो एल वैद्य, पूना, सन् १९३३
- (इ) गुजराती अनुवाद सहित—जैनघर्मं प्रसारक सभा, भावनगर, वि स १९८७
- (ई) हिन्दी अनुवादसहित—मुनि आनन्दसागर, हिन्दी जैनागम प्रकाशक सुमिति कार्यालय, कोटा, सन् १९३५, अमोलक ऋषि हैदराबाद, वि स २४४६
- (उ) हिन्दी टीकासहित—ज्ञानमुनि, जैन शास्त्रमाला कार्यालय, लुधियाना, वि स २०१०
- (क) सञ्चात व्याख्या व उसके हिन्दी-गुजराती अनुवाद के साथ—मुनि धासीलाल, जैनशास्त्रोद्धार समिति, राजकोट, सन् १९५९
- (ऋ) गुजराती छायानुवाद—गोपालदास जोवाभाई पटेल, जैन साहित्य प्रकाशन समिति, अहमदाबाद, सन् १९४०

फलित होता है कि इस उपोद्घात अंश के कर्त्ता न तो सुघर्मी हैं और न जम्बू। इन दोनों के अतिरिक्त कोई तीसरा ही पुरुष इसका कर्ता है।

प्रत्येक कथा के प्रारम्भ में सर्वप्रथम कथा कहने के स्थान का नाम, बाद में वहाँ के राजा-रानी का नाम, तत्पश्चात् कथा के मुख्य पात्र के स्थान आदि का परिचय देने का रिवाज पूर्व परम्परा से चला आता है। इस रिवाज के अनुसार प्रस्तुत कथा-योजक प्रारम्भ में इन सारी बातों का परिचय देते हैं।

मृगापुत्र ।

दु स्विपाक की प्रथम कथा चपा नगरी के पूर्णभद्र नामक चैत्य में कही गई है। कथा के मुख्य पात्र का स्थान मियग्राम-मृगग्राम है। रानी का नाम मृगादेवी व पुत्र का नाम मृगापुत्र है। मृगग्राम चपा के आस-पास में कहीं हो सकता है। इसके पास चदनपादप नामक उदान होने का उल्लेख है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ चन्दन के वृक्ष विशेष होते होंगे।

कथा शुरू होने के पूर्व भगवान् महावीर की देशना का वर्णना आता है। जहाँ महावीर उपदेश देते हैं वहाँ लोगों के शुड़ के शुड़ जावे लगते हैं। इस समय एक जन्माव पुरुष अपने साथी के साथ कहीं जा रहा था। वह चारों ओर चहल-चहल से परिचित होकर अपने साथी से पूछता है कि आज यहाँ कथा हो-हल्ला है? इतने लोग वर्षों उमड़ पड़े हैं? कथा गीव में इन्द्र, स्कन्द, नाग, मुकुल, रुद्र, शिव, कुचेर, यक्ष, भूत, नदी, गुफा, कूप, सरोवर, समुद्र, तालाव, वृक्ष, चैत्य अथवा पर्वत का उत्सव शुरू हुआ है? साथी से महावीर के आगमन की बात जानकर वह भी देशना सुनने जाता है। महावीर के ज्येष्ठ शिष्य इन्द्रभूति उस जन्माव पुरुष को देखकर भगवान् से पूछते हैं कि ऐसा कोई अन्य जन्मान्व पुरुष है? यदि है तो कहाँ है? भगवान् उत्तर देते हैं कि मृगग्राम में मृगापुत्र नामक एक जन्माव ही नहीं अपितु जन्मभूक व जन्मबधिर राजकुमार है जो केवल मासपिण्ड है अर्थात् जिसके शरीर में हाथ, पैर, नेत्र, नासिका, कान आदि अवयवों व इन्द्रियों की लाकृति तक नहीं है। यह सुनकर द्वादशागविद् व चतुर्ज्ञानधर इन्द्रभूति कुतूहलवश उसे देखने जाते हैं एवं भूमिगृह में छिपाकर रखे हुए मासपिण्डसदृश मृगापुत्र को प्रत्यक्ष देखते हैं। यहाँ एक बात विशेष ज्ञातव्य है किसी को यह मालूम न हो कि ऐसा लड़का रानी मृगादेवी का है, उसने उसे भूमिगृह में छिपा रखा था। रानी पूर्ण मातृवात्सल्य से उसका पालन-पोषण करती थी। जब गौतम इन्द्रभूति उस लड़के को देखने गये तब मृगादेवी ने आश्चर्यचिकित हो गौतम से पूछा कि आपको इस बालक का पता कैसे लगा? इसके उत्तर में गौतम ने उसे अपने धर्मचार्य मगवान् महावीर के ज्ञान के

अतिशय का परिचय कराया । मृगापुत्र के शरीर से बहुत दुर्गंध निकलती थी और वह यहीं तक कि स्वयं मृगादेवी को मुँह पर कपड़ा बांधना पड़ा था । जब गौतम उसे देखने गये तो उन्हें भी मुँह पर कपड़ा बांधना पड़ा ।

मृगापुत्र के बण्णन में एक भयकर दुखी मानव का चित्र उपस्थित किया गया है । दुखिविपाक का यह एक रोमाञ्चकारी दृष्टान्त है । गौतम ने भगवान् महावार से पूछा कि मृगापुत्र को ऐसी वेदना होने का क्या कारण है ? उत्तर में भगवान् ने उसके पूर्वभव की कथा कही । यह कथा इस प्रकार है —

भारतवर्ष में शतद्वार नगर के पास विजयवधमान नामक एक सेठ—वडा गाँव था । इस गाँव के अधीन पांच सौ छोटे-छोटे गाँव थे । इस गाँव में एकाई नामक राठोड़—रट्टच—राष्ट्रकूट (राजा द्वारा नियुक्त शासन-सचालक) था । वह अति अधार्मिक एवं कूर था । उसने उन गाँवों पर अनेक प्रकार के कर लगाये थे । वह लोगों की न्याययुक्त बात भी सुनने के लिए तैयार न होता था । वह एक बार बीमार पड़ा । उसे इवास, कास, ज्वर, दाह, कुक्षिशूल, भग्नदर, हरस, अजीर्ण, दृष्टिशूल, मस्तकशूल, अरचि, नेत्रवेदना, कणवेदना, कडू, जलोदर व कुष्ट—इस प्रकार सोलह रोग एक साथ हुए । उपचार के लिये बैद्य, वैद्यपुत्र, ज्ञाता, ज्ञातापुत्र, चिकित्सक, चिकित्सकपुत्र आदि विविध उपचारक अपने साधनों व उपकरणों से सज्जित हो उसके पास आये । उन्होंने अनेक उपाय किये किन्तु राठोड़ का एक भी रोग शान्त न हुआ । वह ढाई सौ वर्ष की आयु में मृत्यु प्राप्त कर नरक में गया और वहाँ का आयुष्य पूर्ण कर मृगापुत्र हुआ । मृगापुत्र के गर्भ में आते ही मृगादेवी अपने पति को अप्रिय होने लगी । मृगादेवी ने गमनाश के अनेक उपाय किये । इसके लिए उसने अनेक प्रकार की हानिकारक औषधियाँ भी नी किन्तु परिणाम कुछ न निकला । अन्त में मृगापुत्र का जन्म हुआ । जन्म होते ही मृगादेवी ने उसे गाँव के बाहर फेंकवा दिया किन्तु पति के समझाने पर पुन अपने पास रखकर उसका पालन-पोषण किया ।

गौतम ने भगवान् से पूछा कि यह मृगापुत्र मरकर कहाँ जायेगा ? भगवान् ने बताया कि सिंह आदि अनेक भव ग्रहण करने के बाद सुप्रतिष्ठपुर में गोरूप से जन्म लेगा, एवं वहाँ गङ्गा के किनारे भिट्ठी में दब कर मरने के बाद पुन उसी नगर में एक सेठ का पुत्र होगा । बाद में सौधर्म देवलोक में देवरूप से जन्म ग्रहण कर महाविदेह में सिद्धि प्राप्त करेगा ।

कामच्छवजा व उज्जितक

द्वितीय कथा का स्थान बाणिज्यग्राम (वर्तमान बनियागांव जो कि बैशाली के पास है), राजा मित्र एवं रानी श्री है । कथा की मुख्य नायिका कामज्ञाया—

कामच्वजा गणिका है। वह ७२ कला, ६४ गणिका-गुण, २९ अन्य गुण, २१ रत्नगुण, ३२ पुरुषोचित कामोपचार आदि में निषुण थी, विविध भाषाओं व लिपियों में कुशल थी, सगीत, नाट्य, गार्घर्व आदि विद्याओं में प्रवीण थी। उसके घर पर छ्वज फहराता था। उसकी फीस हजार मुद्राएँ थी। उसे राजा ने छत्र, चामर आदि दे रखे थे। इस प्रकार वह प्रतिष्ठित गणिका थी। कामच्वजा गणिका के अधीन हजारों गणिकाएँ थी। विजयमिश्र नामक एक सेठ का पुत्र उज्जितक इस गणिका के साथ रहने लगा एवं मानवीय कामभोग भोगने लगा। यह उज्जितक पूर्वभव में हस्तिनापुर निवासी भीम नामक कूटग्राह (प्राणियों को फौदे में फेंसानेवाला) का गोत्रास नामक पुत्र था। उज्जितक का पिता विजय-मिश्र व्यापार के लिए विदेश रवाना हुआ। वह मार्ग में लवण समुद्र में डूब गया। उसकी भार्या सुभद्रा भी इस दुर्घटना के आधात से भृत्य को प्राप्त हुई। उज्जितक कामच्वजा के साथ ही रहता था। वह पक्का शराबी, जुमारी, चोर व वेश्यागमी बन नुका था। दुर्भग्निवश इसी समय मिश्र राजा की भार्या श्री रानी को योनिशूल रोग हुआ। राजा ने सभोग के लिए कामच्वजा को अपनी उपपत्नी बनाकर उसके यहाँ से उज्जितक को तिकाल दिया। राजा की मनाही होने पर भी एक बार उज्जितक कामच्वजा के यहाँ पकड़ा गया। राजा के नौकरों ने उसे खूब पीटा, पीट-पीट कर अघमरा कर दिया और प्रदक्षिण के लिए गाँव में घुमाया। महावीर के शिष्य इन्द्रभूति ने उसे देखा एवं महावीर से पूछा कि यह उज्जितक भर कर कहाँ जायेगा? महावीर ने मृगापुत्र की भरणोत्तर दुर्गति की भाँति इसकी भी दुर्गति बताई व कहा कि अन्त में यह महाविदेह में जन्म लेकर मुक्त होगा। उज्जितक की वेश्यागमन के कारण यह गति हुई।

अभग्नसेन :

तीसरी कथा में अभग्नसेन नामक चोर का वर्णन है। वह पूर्वभव में वति पातकों, मासाहारों तथा शराबी था। स्थान का नाम पुरिमत्ताल (प्रयाग) बताया गया है। इसका भविष्य भी मृगापुत्र के ही समान समझना चाहिए। इस कथा में चोरी और हिंसा के परिणाम की चर्चा है।

शक्ट ।

चौथी कथा शक्ट नामक युवक की है। यह कथा उज्जितक की कथा से लगभग मिलती-जुलती है। इसमें वेश्या का नाम सुदशंना तथा नगरी का नाम

वृहस्पतिदत्त

पांचवीं कथा वृहस्पतिदत्त नामक पुरोहित-पुत्र को है। नगरों का नाम कीशाबी (वर्तमान कोसम गाँव), राजा का नाम शतानीक, रानी का नाम मृणालती, कुमार का नाम उदयन, कुमारवधु का नाम पद्मावती, पुरोहित का नाम सोमदत्त और पुरोहित पुत्र का नाम वृहस्पतिदत्त है। वृहस्पतिदत्त पूवजन्म में महेश्वरदत्त नामक पुरोहित था। वह ऋग्वेद, यजुर्वेद, मायवेद और अथर्ववेद में निषुण था। अपने राजा जितशत्रु की शान्ति के लिए प्रतिदिन नाह्यण, क्षत्रिय, वैश्य और गौद्र के एक-एक बालक को पकड़वाकर उनके हृदय के मासपिण्ड से शान्तियज्ञ करता था। अष्टगो और चतुर्दशी के दिन दो-दो बालकों को पकड़वाकर शान्तियज्ञ करता था। इसी प्रकार चार महीने में चार-चार बालकों, छ महीने में आठ-आठ बालकों तथा वर्ष में सोलह-सोलह बालकों के हृदयपिण्ड द्वारा शान्तियज्ञ करता था। जिस समय राजा जितशत्रु युद्ध में जाता उम समय उभको विजय के लिए नाह्यणादि प्रत्येक के एक सौ आठ बालकों के हृदयपिण्ड द्वारा शान्तियज्ञ करता था। परिणामस्त गजा की विजय होती थी। महेश्वरदत्त यह कर पुरोहित नोमदत्त का वृहस्पतिदत्त नामक पुत्र हुआ। राजपुत्र उदयन ने इसे अपना पुरोहित बनाया। इन दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध के कारण वृहस्पतिदत्त अन्त पुर में भी आनेजाने लगा। यहां तक कि वह उदयन की पत्नी पद्मावती के साथ कामकोड़ा करने लगा। जब उदयन को इस बात का पता लगा तो उसने वृहस्पतिदत्त को बहुत दुर्दशा की तथा अन्त में उसे भरवा डाला।

इस कथा में नरमेघ व शत्रुघ्न-यज्ञ का निर्देश है। इससे मालूम होता है कि प्राचीन काल में नरमेघ होते थे व राजा अपनी शान्ति के लिए नरर्हसक यज्ञ करवाते थे। इससे यह भी मालूम होता है कि नाह्यण पतित होने पर कैसे कुर्कम कर सकते हैं।

नंदिवर्धन

छठी कथा नंदिवर्धन की है। नगरी मथुरा, राजा श्रीदाम, रानी वधुश्री, कुमार नंदिवर्धन, अमात्य सुवधु व आलकारिक (नापित) चित्र है। कुमार नंदिवर्धन पूवभव में दुर्योधन नामक जेलर अथवा फौजदार था। वह अपराधियों को भयकर यातनाएँ देता था। इन यातनाओं की तुलना नारकीय यातनाओं से की गई है। प्रस्तुत कथा में इन यातनाओं का रोमाचकारी वर्णन है। दुर्योधन मर कर श्रीदाम का पुत्र नंदिवर्धन होता है। उसे अपने पिता का राज्य शोधातिशीघ्र प्राप्त करने की इच्छा होती है। इस इच्छा की पूर्ति के लिए वह अलकारिक चित्र से हजामत बनवाते समय उस्तरे से श्रीदाम का गला काट

देते के लिए कहता है। चित्र यह बात श्रीदाम को बता देता है। श्रीदाम नदि-वर्धन को पकड़वाकर दुर्दशापूर्वक मरवा देता है। नदिवर्धन का जीव भी अन्त में महाविदेह में सिद्ध होगा।

उबरदत्त व धन्वन्तरि वैद्य :

आठवीं कथा उबरदत्त की है। गाँव का नाम पाटलिखण, राजा का नाम सिद्धार्थ, साथवाह का नाम सागरदत्त, उसकी भार्या का नाम गगदत्ता और उनके पुत्र का नाम उबरदत्त है। उबरदत्त पूर्वभव में धन्वन्तरि नामक वैद्य था। धन्वन्तरि अष्टाग्रामायुर्वेद का ज्ञाता था बालचिकित्सा, शालाक्य, शल्यचिकित्सा, कायचिकित्सा, विषचिकित्सा, भूतविद्या, रसायन और वाजोकरण। उसके लघुहस्त शुभहस्त और शिवहस्त विद्येषण कुशलता के सूचक थे। वह अनेक प्रकार के रोगियों की चिकित्सा करता था। श्रमणों तथा न्राहाणों की परिचर्या करता था। वौवधि में विविध प्रकार के मास का उपयोग करने के कारण धन्वन्तरि मर कर नरक में गया। वहाँ से आगु पूर्ण कर सागरदत्त का पुत्र उबरदत्त हुआ। माता के उबरदत्त नामक यक्ष की मनोती करने के कारण समुद्र में फूट कर मर गया। माता भी मृत्यु को प्राप्त हुई। उबरदत्त अनाथ हो घर-धर भीख माँगने लगा। उसे अनेक रोगों ने घेर लिया। हाथ-पैर की अगुलियाँ गिर पड़ी। सारे शरीर से रुधिर बहने लगा। उबरदत्त को ऐसी हालत में देख कर गौतम ने महावीर से प्रश्न किया। महावीर ने उसके पूर्वभव और आगामी भव पर प्रकाश ढाला एवं बताया कि अन्त में वह महाविदेह में मुक्त होगा।

शौरिक मछलीमार :

आठवीं कथा शौरिक नामक मछलीमार की है। शौरिक गले में मछली का कटा फैस जाने के कारण तीव्र वेदना से कराह रहा था। वह पूर्व जन्म में किसी राजा का रसोदया था जो विविध प्रकार के पशु-पक्षियों का मास पकाता, मास के वैविध्य से राजा-रानी को खुश रखता और खुद भी मासाहार करता था। परिणामत वह मर कर शौरिक मछलीमार हुआ।

देवदत्ता

नवीं कथा देवदत्ता नामक स्त्री की है। यह कथा इस प्रकार है —

सिहस्रनामक राजपुत्र ने एक ही दिन में पाँच सौ कन्याओं के साथ विवाह किया। दहेज में खूब सम्पत्ति प्राप्त हुई। इन भार्याओं में से श्यामा नामक स्त्री पर राजकुमार विशेष आसवत था। शेष ४९९ स्त्रियों को वह तनिक भी परवाह नहीं करता था। यह देख कर उन उपेक्षित स्त्रियों की माताओं ने सोचा

कि पास्त्रप्रयोग, गिरप्रयाग अथवा अग्निप्रयोग द्वाग द्यामा का गाम्भीर्य बर दिया जाय तो हुमारी कल्याण मुमो हो जाएँ। यह थाने तिसी तरह द्यामा को मालूम न हो गई। उमने गजा का गृहित निया। राजा ने उन स्त्रियों एवं उनकी मानाओं दो भोजन के उपराने एक महात्र में आकर्ष कर महल में आग लगा दी। गव श्नियां जल गर जस्त हो गए। हृष्णामा गजा भर वर नरक में गया। यहाँ पाल आरं गमाएँ कर देवदत्त, गाम्भीर्य द्रुपा। देवदत्ता का विवाह एक राजगुण में हुआ। राजगुप्त मारुभास था अत अधिक समय माता की भेवा में ही व्यर्तीत फरता था। प्रान हाल उठने से राजपुत्र पुरुषनदी माता श्रीदेवी को प्रणाम गरता था। शाद म उमके घरीर पर अपने हाथों में तेल आदि की मालिगा कर उम नहलाता एवं भोजन करता था। भोजन करने के बाद उसके अपने कक्ष में सो जाने पर ही पुरुषनदी नित्याम से निवृत्त हो भोजन करता था। इससे देवदत्ता के आनन्द में विन्द पड़ने लगा। यह राजमाता की जीवनलीला समाप्त करने का उपाय माचने लगा। एक बार राजमाता के सद्य पी कर निर्दिचत होकर सो जाने पर देवदत्ता ने तन लोटपलाटा उसको गुदा में जोर से धुमेठ दी। गजमाता को मृत्यु हो गई। गजा को देवदत्ता के इस कुरुम का पता लग गया। उसने उसे पकड़ा कर मृत्युदण्ड का आदेश दिल्ला।

अजू

दमवी कथा अजू की है। स्थान का नाम वर्धमानपुर, राजा का नाम विजय, साथगाह का नाम धनदेव, साथगाह की पत्नी का नाम प्रियगु एवं सार्थवाहुपुत्री का नाम अजू है। अजू पूर्वभव में गणिका थी। गणिका का पापमय जीवन समाप्त कर धनदेव को पुन्ही हुई थी। अजू का विवाह राजा विजय के साथ हुआ। पूर्वफृत पापकर्मों के कारण अजू को योनिशूल रोग हुआ। अनेक उपचार करने पर भी रोग शान्त न हुआ।

उपगु वत कथाओं में उत्तिलिति पात्र ऐतिहासिक है या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता।

सुख विपाक

सुख विपाक नाम द्वितीय धूतस्कन्ध में आनेवाली दस कथाओं में पुण्य के परिणाम की चर्चा है। जिस प्रकार दुख विपाक की कथाओं में किसी असत्यभाषी की तथा महापरिग्रहों की कथा नहीं आती उसी प्रकार सुख विपाक की कथाओं में किसी सत्यभाषी की तथा ऐन्जिक अल्पपरिग्रहों की कथा नहीं आती। आचार के इस पक्ष का विपाकसूत्र में प्रतिनिवित्व न होना अवश्य विचारणीय है।

विपाक का विषय

इस सूत्र के विषय के सम्बन्ध में अचेलक परम्परा के राजवार्तिक, घवला, जयघवला और अगपण्णति में बताया गया है कि इसमें दुख और सुख के विपाक

अर्थात् परिणाम का वर्णन है। सचेलक परम्परा के समवायाग तथा नन्दीसूत्र में भी इसी प्रकार विपाक के विषय का परिचय दिया गया है। इस प्रकार विपाकसूत्र के विषय के सम्बन्ध में दोनों परम्पराओं में कोई वैषम्य नहीं है। नन्दी और समवाय में यह भी बताया गया है कि असत्य और परिग्रहवृत्ति के परिणामों की भी इस सूत्र में चर्चा की गई है। उपलब्ध विपाक में एतद्विषयक कोई कथा नहीं मिलती।

अध्ययन नामः

स्थानाग में कर्मविपाक (दुखविपाक) के दस अध्ययनों के नाम दिये गये हैं^१ मृगापुत्र, गोत्रास, अङ्ग, शकट, ब्राह्मण, नदिवेण, शौर्य, उदु वर, सहसोदाह-आमरक और कुमारलिङ्छवी। उपलब्ध विपाक में मिलनेवाले कुछ नाम इन नामों से भिन्न हैं। गोत्रास नाम उज्जितक के अन्य भव का नाम है। अङ्ग नाम अभग्नसेन द्वारा पूर्वभव में किये गये अडे के व्यापार का सूचक है। ब्राह्मण नाम का सम्बन्ध वृहस्पतिदत्त पुरोहित से है। नदिवेण का नाम नदिवर्धन के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। सहसोदाह-आमरक का सम्बन्ध राजा की माता को तप्तशालाका से मारनेवाली देवदत्ता के साथ जुड़ा हुआ मालूम होता है। कुमारलिङ्छवी के स्थान पर उपलब्ध नाम अजू है। अजू के अपने अन्तिम भव में किसी सेठ के यहाँ पुत्ररूप से अर्थात् कुमाररूप से जन्म ग्रहण करने की घटना का उल्लेख आता है। सभवत इस घटना को व्यान में रखकर स्थानाग में कुमारलिङ्छवी नाम का प्रयोग किया गया है। लिङ्छवी शब्द का सम्बन्ध लिङ्छवी नामक वशविशेष से वृत्तिकार ने 'लेञ्छर्द' का अर्थ 'लिस्सु' अर्थात् 'लाभ प्राप्त करने की वृत्तिवाला वर्णक्' किया है। यह अर्थ ठीक नहीं है। यहाँ 'लेञ्छर्द' का अर्थ 'लिङ्छवी वंश' ही अभिप्रेत है। स्थानाग के इस नामभेद का कारण वाचनान्तर माना जाय सो कोई असर्गति न होगी। स्थानागकार ने सुखविपाक के दस अध्ययनों के नामों का उल्लेख नहीं किया है।



१. परिशिष्ट

दृष्टिवाद

बारहवाँ अग दृष्टिवाद अनुपलब्ध है अत इसका परिचय कैसे दिया जाय ? नन्दिसूत्र में इसका साधारण परिचय दिया गया है, जो इस प्रकार है —

दृष्टिवाद की वाचनाएँ परिमित अर्थात् अनेक हैं, अनुयोगद्वार सत्येय हैं, वेद (छंदविशेष) सत्येय हैं, श्लोक सत्येय हैं, प्रत्तिपत्तियाँ (समझाने के साधन) सत्येय हैं, नियुक्तियाँ सत्येय हैं, सग्रहणियाँ सत्येय हैं, अङ्ग की अपेक्षा से यह बारहवाँ अङ्ग है, इसमें एक श्रुतस्कन्ध है, सत्येय सहज पद है, अक्षर सत्येय है, गम एव पर्यावरण अनन्त है। इसमें त्रस और स्यावर जीवो, धर्मस्तिकाय आदि शाश्वत पदार्थों एव क्रियाजन्य पदार्थों का परिचय है। इस प्रकार जिन-प्रणीत समस्त भावों का निरूपण इस बारहवें अग में उपलब्ध है। जो मुमुक्षु इस अग में बताई हुई पद्धति के अनुसार आचरण करता है वह ज्ञान के अभिद की अपेक्षा से दृष्टिवादरूप हो जाता है—उसका ज्ञाता व विज्ञाता हो जाता है।

दृष्टिवाद के पूर्व आदि भवों के विषय में पहले प्रकाश ढाला जा चुका है (प० ४४, ४८-५१)। यह बारहवाँ अग भद्रबाहु के समय से ही नष्टप्राय है। अत इसके विषय में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं जाना जा सकता। मलघारी हेमचन्द्र ने अपनी विशेषावश्यकभाष्य की वृत्ति में कुछ भाष्य-गाथाओं को 'पूर्वगत' बताया है। इसके अतिरिक्त एतद्विषयक विशेष परिचय उपलब्ध नहीं है।



२. परिशिष्ट

अचेलक परम्परा के प्राचीन ग्रन्थों में सचेलकसम्मत अंगादिगत अवतरणों का उल्लेख

जिस प्रकार वर्तमान अगसूश्रादि आगम सचेलक परम्परा को मान्य है उसो प्रकार अचेलक परम्परा को मान्य रहे हैं, यह स्पष्ट प्रतीत होता है। अचेलक परम्परा के लघुप्रतिक्रियण सूत्र के भूल पाठ में ज्ञातासूत्र के उन्नीस अध्ययन गिनाये हैं। इसी प्रकार सूत्रकृताग के तेह्स एवं आचारप्रकल्प (आचारग) के अठाईस अध्ययनों के नाम दिये गये हैं। राजवार्तिक आदि ग्रन्थों में भी अग्विषयक उल्लेख उपलब्ध है किन्तु अमुक सूत्र में इन्हें अध्ययन है, ऐसा उल्लेख इनमें नहीं मिलता। इस प्रकार का स्पष्ट उल्लेख अचेलक परम्परा के लघुप्रतिक्रियण एवं सचेलक परम्परा के स्थानाग, समवायाग व नन्दीसूत्र में उपलब्ध है। इसी प्रकार का उल्लेख अचेलक परम्परा के प्रसिद्ध ग्रन्थ प्रतिक्रियणग्रन्थश्रयी की आचार्य प्रभाचन्द्रकृत वृत्ति में विस्तारपूर्वक मिलता है, यद्यपि इन नामों व सचेलक परम्परासम्मत नामों में कहीं-कहीं अन्तर है जो नगण्य है।

ज्ञातासूत्र के उन्नीस अध्ययनों के नाम लघुप्रतिक्रियण में इस प्रकार गिनाये गये हैं —

उक्कोडणा^१ग कुम्भ^२ अडय^३ रोहिणि^४ सिस्स^५ तु व^६ सधादे^७।
मादगिम^८लिल चदिन^९ तावद्वेवय^{१०} तिक^{११} तलाय^{१२} किणे^{१३} ॥ १ ॥
सुसुकेय^{१४} अवरकके^{१५} नदीफल^{१६} उदगणाह^{१७} मङ्कुके^{१८}।
एत्ता य पुंडरीगो^{१९} णाहज्ञाणाणि उणवीस ॥ २ ॥
सचेलक परम्परा में एतद्विषयक संग्रहगाथाएँ इस प्रकार हैं —
उक्तिवत्ते^{२०} णाए सधा^{२१}डे अडे^{२२} कुम्भे^{२३} सेलए^{२४}।
तु वे^{२५} य रोहिणो^{२६} मल्ली^{२७} मागदी^{२८} चदिमा^{२९} इय ॥ १ ॥
दावद्वे^{३०} उदगणाए^{३१} मंडुकक^{३२} तेयली^{३३} चेव ।
नदिफले^{३४} अवरकंका^{३५} आयन्ने सु सु^{३६} पु डरीया^{३७} ॥ २ ॥
ये गाथाएँ सदृक्तिक आवश्यकसूत्र (पृ० ६५३) के प्रतिक्रियणाविकार में हैं।

सूत्रकृताग के तेह्स अध्ययनों के नाम प्रतिक्रियणग्रन्थश्रयी की वृत्ति में इस प्रकार है :—

अरोन्द वार्षिक में यथा "गवनीआराधना वयस्मा मूलजागतना की अपराजितमरित् विश्वाशया नामक वृत्ति म आगाराग, दार्शनिक, आवश्यक, उत्तराध्यया इव मुहूर्णाग मे पाठो या उल्लेख कर यमन्त्रम् तु इ चर्चा की गई है।^१ इसमें 'निषेषेऽपि उक्तम्' (पृ ६१२) यों कहकर निशीघ्नम् का भी उल्लेख दिया गया है। इन्होंने नहीं, भगवनीकाराधना की अनेक गायाएँ सचेलक परम्परा मे पयन्ना—प्रक्षीणन आदि ग्रंथो में अदारण उपलब्ध होती है। इससे स्पष्ट मालम होता है कि प्राचीन समय में अनेक परम्परा और सचेलक परम्परा के बीच बाफी अच्छा भवत्ता था। उन्हें एक-दूसरे के शास्त्रों का ज्ञान भी था। तत्त्वाध्यस्त्र मे विज्यादिषु द्विचरमा' (४ २६) की व्याख्या करते हुए गजवातिकार भट्टाकलंक ने 'एव हि व्याख्याप्रज्ञसिद्धेषु उक्तम्' यो गढ़ कर व्याख्याप्रज्ञति अर्थात् भगवतीसूत्र का स्पष्ट उल्लेख किया है एव उसे प्रमाणरूप से स्वीकार किया है। भट्टाकलक निर्दिष्ट यह विषय व्याख्याप्रज्ञति के २४ वे शतक के २२ वे उद्देशक के १६ वे एव १७ वे प्रश्नोत्तर में उपलब्ध है। घवलाकार वारमेन 'लोगो वादपदिद्विदो त्ति वियाह-पण्णत्तिवयणादो' (पट्टदण्डागम, ३, पृ ३५) यो कहकर व्याख्याप्रज्ञति का प्रमाणरूप से उल्लेख करते हैं। यह विषय व्याख्याप्रज्ञति के प्रथम शतक के छठे उद्देशक के २२४ वे प्रश्नोत्तर में उपलब्ध है। इसी प्रकार दशवेंकालिक,

१ उदाहरण के लिए देखिये—पृ २७७, ३०७, ३५३, ६०९, ६११

जनुयोगद्वारा, स्थानांग व विदेशीयत्वसम्बन्ध सम्बन्धित अनेक संदर्भ और अवतरण घटला दीक्षा में उपलब्ध होते हैं। एतद्विद्यक विदेश जानकारी तद् तद् माग के परिणाम देखने से ही राक्षों हैं। अनेक परम्परा के मूलाचार ग्रन्थ के दृष्टावस्थक के सत्ताम अधिकार में आनेवाली १९२ थी गाया की वृत्ति में आचार्य बसुनदी स्पष्ट लिखते हैं कि एतद्विद्यक विदेश जानकारी आचारात् से पर लेनी चाहिए। आचाराच्छात् भवति ज्ञातव्य। यह आचारागसूत्र पहीं है जो वर्तमान में सचेतक परम्परा में विद्यमान है। मूलाचार में ऐसी अनेक गायाएँ हैं जो आदव्यक-नियुक्ति ही गायाओं से कापी मिलनी-जुल्ती है। इनकी व्यास्था में पीछे से हाँनेवाले संकुचित परम्परामें अथवा पारस्परिक सम्बन्ध के अभाव के कारण कुछ अन्त व्यवस्था दृष्टगोचर होते हैं।

इस प्रकार अधेत्क परम्परा को साहित्यमामयी देखने से स्पष्ट मानूम पटता है कि इस परम्परा में भी उपलब्ध अंग आदि आगमों को सुप्रतिष्ठित स्थान प्राप्त हुआ है। आपहु या अतिरेक होने पर विपरीत परिस्थिति का जन्म हुआ एवं पारस्परिक सम्बन्ध तथा स्नेह का ह्याग होता गया।



३. परिदिष्ट

आगमों का प्रकाशन व संशोधन

एक समय था जब धर्मग्रन्थों के लिखने का रिवाज न था। उस समय धर्मपरायण आत्मार्थी लोग धर्मग्रन्थों को कठस्थ कर सुरक्षित रखते एव उपदेश द्वारा उनका यथाशक्य प्रचार करने का प्रयत्न करते थे। शारीरिक और सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन होने पर जैन निर्ग्रन्थों ने अपवाद का आश्रय लेते हुए भी आगमादि ग्रन्थों को ताडपत्रादि पर लिपिबद्ध किया। इस प्रकार के लिखित साहित्य की सुरक्षा के लिए भारत में जैनों ने जो प्रयत्न, परिश्रम और अथवय किया है वह बेजोड़ है। ऐसा होते हुए भी हस्तलिखित ग्रन्थों द्वारा अध्ययन-अध्यापन तथा प्रचारकाय उतना नहीं हो सकता जितना कि होना चाहिए। मुद्रण युग का प्रादुर्भाव होने पर प्रत्येक धर्म के आचार्य व गृहस्थ सावधान हुए एव अपने-अपने धर्मसाहित्य को छपवाने का प्रयत्न करने लगे। तिब्बती पठितों ने मुद्रणकला का आश्रय लेकर प्राचीन साहित्य की सुरक्षा की। वैदिक व बौद्ध लोगों ने भी अपने-अपने धर्मग्रन्थों को छपवा कर प्रकाशित किया। जैनाचार्यों व जैन गृहस्थों ने अपने आगम ग्रन्थों को प्रकाशित करने का उस समय कोई प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने आगम-प्रकाशन में अनेक प्रकार की धार्मिक बाधाएँ देखी। कोई कहता कि छापने से तो आगमों की आशातना अर्थात् अपमान होने लगेगा। कोई कहता कि छापने से वह साहित्य किसी के भी हाथ में पहुँचेगा, जिससे उसका दुर्घटयोग भी होने लगेगा। कोई कहता कि आगमों को छापने में आरम्भ-समारम्भ होने से पाप लगेगा। कोई कहता कि छापने पर तो श्रावक लोग भी आगम पढ़ने लगेंगे जो उचित नहीं है। इस प्रकार विविध दृष्टियों से समाज में आगमों के प्रकाशन के विरुद्ध वातावरण पैदा हुआ। ऐसा होते हुए भी कुछ साहसी एव प्रगतिशील जैन अगुओं ने आगमसाहित्य का प्रकाशन प्रारम्भ किया। इसके लिए उन्हें परम्परागत अनेक रुद्धियों को भग करना पड़ा।

अजीमगज, बगाल के बाबू धनपतर्सिंह जी को आगमों को मुद्रित करवाने का विचार सर्वप्रथम सूझा। उन्होंने समस्त आगमों को टब्बों के साथ प्रकाशित किया। जैसा कि सुना जाता है, इसके बाद श्री वीरचन्द्र राघवजी को प्रथम सवधम-परिषद में चिकागो भेजनेवाले विजयानन्दसूरिजी ने भी आगम-प्रकाशन को सहारा दिया एव इस कार्य को करनेवालों को प्रोत्साहित किया। सेठ भीर्सिंह माणेक ने भी आगम-प्रकाशन की प्रवृत्ति प्रारम्भ की एव टीका व अनुवाद के साथ एक-दो आगम निकाले। विदेश में जम्मन विद्वानों ने 'सेक्रेड बुक्स ऑफ दी ईस्ट' ग्रथमाला के अन्तर्गत तथा अन्य रूप में आचाराग, सूत्रकृताग, निषीथ, कल्पसूत्र

उत्तराध्ययन आदि को मूल अथवा अनुवाद के रूप में प्रकाशित किया। स्थानक-वासी परम्परा के जोधराज पेलाभाई नामक गृहस्थ ने जर्मन विद्वानों द्वारा मुद्रित रोमन लिपि के आगमों को नागरी लिपि में प्रकाशित किया। इसके बाद स्व० आनन्दसागर सृजनी ने आगमोदय यमिति की स्थापना कर एक के बाद एक करके तमाम आगमों का प्रदानान् रिया। मूरिजो पा पुर्यायं और परिश्रम अविनन्दनीय होते हुए भी साधनों की परिमितता तथा सहयोग के अभाव के कारण यह काम जितना बच्छा होना चाहिए पा उतना बच्छा नहीं हो पाया। इस बीच प्रस्तुत लेखक ने व्यााप्याप्रशान्ति—भगवतीमूऽन् के दो बड़े-बड़े भाग मूल, दीका, अनुवाद (मृ० व टीका दोनों का) तथा टिप्पणियों सहित श्रो जिनागम प्रकाशन सभा की सहायता ने प्रकाशित किये। इस प्रकाशन के कारण जैन उपाय में भारी छहापोह हुआ। इसके बाद जैनसंघ के अप्रणी कुषरजी भाई आनन्दजी वो अध्ययता में चलने वाली जैनर्यम प्रसारक सभा ने भी कुछ आगमों का अनुवाद सहित प्रकाशन किया। इस प्रकार आगम-प्रकाशन का माग प्रशस्त होता गया। अब तो कहीं विरोध का भाव भी नहीं दियाई देता। इधर स्थानक-वासी मुनि घोलक गृहि जी ने भी हैदराबाद के एक जैन अप्रणी की सहायता से दत्तीम आगमों का हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशन किया। शृणिजी ने इसके लिए अति श्रम किया जो गराहनीय है, किन्तु गोष्ठीयन की कमी के कारण इस प्रकाशन में अनेक स्थानों पर नुटिया रह गई है। अब तो तेरापदी मुनि भी इस काम में रख लेने लगे हैं। पजावी मुनि स्व० आत्मारामजी महाराज ने भी अनुवाद सहित कुछ आगमों पा प्रकाशन किया है। मुनि फूलचन्दजी 'भिष्णु' ने चत्तीस आगमों को दो भागों में प्रकाशित किया है। इसमें भिषुजी ने अनेक पाठ बदल दिये हैं। चयोवृढ़ मुनि घासीलालजी ने भी आगम-प्रकाशन का फार्य किया है। इन्होंने जैन परम्परा के धाचार-यिचार को ठीक-ठीक नहीं जाननेवाले धार्मण पण्डितों द्वारा आगमों पर विवेचन लिया जाया है। अत इसमें काफी अव्यवस्था द्वई है। इधर आगमप्रभाकर मुनि पुण्यविजयजी ने आगमों के प्रकाशन का कार्य प्राकृत टेक्स्ट भोसायटी के तत्त्वावधान में प्रारम्भ किया है। यह प्रकाशन आधुनिक दैली से युक्त होगा। इसमें मूल पाठ, नियुक्ति, भाव्य, चूणि एवं चृति का यथावसर समावेश किया जायगा। आवश्यकतानुसार पाठान्तर भी दिये जाएंगे। चित्यन्सूची, शब्दानुक्रमणिका, परिशिष्ट, प्रस्तावना आदि भी रहेंगे। इस प्रकार यह प्रकाशन नि-सदेह आधुनिक पद्धति का एक श्रेष्ठ प्रकाशन होगा, ऐसो अपेक्षा और आशा है। महावीर जैन विद्यालय भी मूल आगमों के प्रकाशन के लिए प्रयत्नशील है।



अनुक्रमणिका

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
अ			
वकलियि	२२०	अतगददसा	१२, १४, २६१
वक्तेद्वर	६३	अतर	२४६, २४७
वकुलेद्वर	६३	अंतहृष्टी	२४९
वकुलेसर	६३	अधकवृष्णि	२६२
वकुम	२५२	अथव्य	१३४
वग ८१, ८२, ८८, १००, ११६, वंगपणगति ८८, ९१, ९३, १००, १०३, १११, १७३, -८०		अकलक	८७, ९१, २२५
वागपृष्ठ	१४३	अकल्प्य	१७३, १७४
वाप्रविष्ट	६५, ७९, ८२, २१७	अक्षस्मात्	१४६
वंगवाह्य ६५, ८०, ८१, ८२, २१७		अक्षस्मातूदृष्ट	२०२, २०३
वंगरिति	७०	अक्षियावाद	९१, ११४
वंगरूप	८०	अक्षियावादी	१३९, १४६, १७२,
वंगविद्या	२०४		१९६, २४८
वंगसूत्र	१२७, २१२	अक्षर	२२१
वंगिरस	७०	अक्षरपुष्टिका	२२०
वंगुत्तरनिकाय	१७५, २१६	अक्षरश्चृत	६५
वंगुलप्रस्त	२६९ २७३	अक्षोभ	२६२
वंगोद्धा	१४२	अगमिक	७९
वंज्ञा	२८०, २८१	अगर्हा	२३२
वह	२५१, २८१	अगस्त्यसिंह	१०२
वडकृत	१८२	अग्नि	२२७, २४४
वडा	२५१, २७०	अग्निकाय	२४१
वंतकृन	८१	अग्निप्रयोग	२८०
वंतकृतदशा	९०, २६१	अग्निवेश्यायन	२४०
वंतकृदशम्	९०, ९१	अग्निहोत्रीय	२३७
वंतकृदशा	८८, ९०, ९१, ९८, १००, २२२, २६१	अग्निहोमवादी	१९२
		अग्नि	१७३
		अग्निहिं	१५९
		अग्नीज	२०४

अव्व	पृष्ठ	अव्व	पृष्ठ
अग्रायण	१००	अग्रमक्षियास्थान	२०२
अग्रायगीय	९०, ९०, १००	अघर्मस्तिकाय	२४५
अनेन्न	६२, ७२, ८७, ९०, ९३, ९६, १०१, १११, ११४, १५८, २८०, २८३	अग्रवनान	२४७
अनेन्नना	११४, १५४	अग्रवग्ग	१०८
अग्रोग	२७२	अग्रात्मप्रत्ययदण्ड	२०२, २०३
अनुत	२२९, २३०	अनग	८१, ८२
अट्टन	२३२	अनग्रप्रिष्ठ	६५, ७९
अछिद्र	२४०	अनगरेना	२६२
अजमाग	१९५	अनंतज्ञानी	१५६, १९१
अजितवेशकम्बल	२०१	अनंतदर्शी	१९१
अजीमगज	२८६	अनरत्वूत	६५
अजींण	२७६	अनश्चरश्चुत	६५
अजीव	१७२, २३१	अनगर	१३९, २४३
अज्ञान	२४७	अनगारस्युणकीर्ति	१७३
अज्ञानवाद	९१, १७७	अनगारस्युत	२००, २०६
अज्ञानवादी	१३९, १७२, १९५, २४८	अनदंड	२०२, २०३
अज्ञेयवाद	१७७	अनवद्या	१६७
अणाग्निय	१४९	अनवद्यागी	१६७
अणुत्तरोवाइयदसा	९२, ९४	अनात्मवाद	२०१
गणुवसु	१५१	अनात्मवादो	१३९
अणुव्रत	१८५, २५२	अनाथपिण्डिक	१३२
अतिरिय	१५९	अनादिक	७४
अतिमुक्त	२६५	अनादिकश्रुत	६५
अतिमुक्तक	२६३, २६७	अनारम	१८३
अतिथिकाय	१४८	अनाय	१४९, २७१
अथवंवद	२५२, २७८	अनायदेश	२०७
अदत्तधावन	२३२	अनुत्तर	२६६
अदत्तादान	१९३	अनुत्तरविमान	२१७
अदत्तादानप्रत्ययदण्ड	२०२	अनुत्तरोपपातिकदशम्	९०
अददागप्रश्न	२६९	अनुत्तरोपपातिकदशा	९२
		अनुत्तरोपपातिक	८१, २२२
		अनुत्तरोपपातिकदशा	८८, ९०, ९४,

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
	९८, १००, २६६, २६७		
अनुपानहना	२३२	अम्यग	१६३
अनुवध	२४७	अमरकोश	१८१, १९१
अनुयोगत	१५	अमोलफद्वयि	२८७
अन्योगदार	५९, २८५	अयल	२६२
अन्योगदारवृत्ति	१०२	अयोगव	१३४
अनेकवादी	१९६	अरबी	२२०, २३९
अनेकात्माद	७७	अरिष्टनेमि	२६३
अन्तरतिया	१०७	अरचि	२७६
अन्यतार्थिक	२२६, २४४	अर्जुन	२४०, २६४
अन्यपूर्णिक	१०७, १७२	अर्जुनमाली	२६४
अन्यस्थियसिद्ध	६८	अर्थ	१७३
अन्योन्यकिया	१२२, १२३	अर्थदण्ड	२०२
अपमान	१८६	अर्थपद	१०३
अपराजित	२६६	अर्थमालवी	१०५, २३९
अपराजितसूरि	२८४	अहंत्	१८६
अपगराजिनसूरिकृत	८८	अहंतकृपि	६९
अपरिस्थ	२७३	अलकारशाला	१०७
अपर्यवसित	६५, ७४	अल्पपरिग्रही	२८०
अपान	१०८	अल्पबहूत्व	२४७
अपीज्येय	७५, ७६	अल्पवयस्कराज्य	१६४
अप्रामाण्य	७७	अल्पवस्त्रधारी	११५
अप्रहृत्यव्यं	१९३, २७१, २७२	अल्पवृद्धि	२२३
अभग्नसेन	२७७, २८१	अवग्रह	१५४, १६५
अभग्नकुमार	२०७, २६७	अवग्रहप्रतिमा	११४
अभग्नदेव	६३, ९३, १२९, १७६, २१२, २१४, २७०	अवग्रह्यणा	१२२, १२३, १६५
अभवसिद्धिक	२८८	अवचूरिका	२४९
अभव्य	२४७	अवतारवाद	१८३
अभिधर्मकोशा	१९०	अवधिज्ञान	६४, १५५, २५९
अभिवानचिन्तामणि	१८१	अवधूत	११९
अभिनय	१०८	अवघ्य	९९
		अवरक्का	२५५

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
अवश्यान	१६२	अस्थिबहुल	१६२
अवसरणी	२४६	अस्तान	१८६, २३२
अवस्त्र	७९	अस्पष्टता	१७३
अविरुद्ध	२५४	अस्याद्वाद	१९८
अवेस्ता	१५, ५९, ७४, ७५, ७८, १३६	अहत्या	२७२
अवेस्ता-गाथा	७५	अहिंसा	१०८, २४६, २७०, २७२
अव्याकृत	१०७	अहिंसाघमं	११८
अव्याबाध	२४६	अहिन्निका	२७२
अव्याबाह	२४६	आ	
अव्याप्ति	१५८	आइण	११६, १२१, २५६
अव्यातराज्य	१६४	आध्रप्रदेश	६३
अशोक	१७६, २२१	आकर	१६०
अश्वमित्र	२१५	आकरमह	१५९
अष्टमभक्त	१३८	आकर्ष	२४७
अष्टमी	२७८	आकाश	२३१, २४६
अष्टागनिमित्त	२०४	आकाशास्तिकाय	२४५
अष्टागमहानिमित्त	६३	आगम	६०
असज्जी पंचेन्द्रिय	२४८	आगम-न्यन्थ	६१
असत्य	१०८, ११३, २४६, २७०, २७१	आगम-प्रकाशन	२८६
		आगमप्रभाकर	२८७
असत्यभाषक	२७०	आगमिकश्रृत	६५
असत्यवादी	२७०	आगमोदय समिति	२८७
असमनोज्ञ	१४२	आगर	११६
असित	६९	आगाल	११६
असितदेवल	७०	आचरित	१२१
असुर	२४३	आचाम्ल	१६२
असुरकुमार	२२६	आचार	८१, ९१, ९३, ११६
असुरकुमारेन्द्र	२२६	आचारकल्प	१२२
अस्तिकाय	१४८, २४५	आचार चूलिका	११४, १२२
अस्तिनस्तिप्रवाद	९०, ९९, १०१	आचारदशा	११७
अस्त्रेय	२७२	आचारपाहुड	८७

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
आचारप्रकल्प	१२२, २८३	आत्मोपनिषद्	१३९
आचारप्रणाली	१०८	आदर्शलिपि	२२०
आचारभूत	२००, २०६	आदान	१९३, १९८
आचाराग ६०, ६१, ८०, ८७, ८९,	१०, १७, १००, १०१, १०३,	आदानीय	१९८
१०४, १०५, १०६, १०८,	१११, ११२, १२१, १२४,	आघृतविज्ञ	१९७
१९७, २८३, २८४, २८५,	१२६, १३१, १४३, १४४, १४५	आनंद	२५७, २५९, २६७
२८६	१५२, १६७, १७५, १८४,	आनदधन	७१, १३१
आचारागनियुक्ति १०३, ११७, १२४	१९७, २८३, २८४, २८५,	आनदसागरसूरि	२८७
आचारागनियुक्तिकार	१०१	आन्दोलकमार्ग	१९४
आचारागवृत्ति ७२, १०२, १०३,	१२४	आभियोगिक	२२९
आचारागवृत्तिकार	१०१, १४७	आभूषण	१६३
आचाराग ११३, १२२, १२४	२६९	आमगध	१५२
आचारायभावित	२६९	आमगंधसुत	१२५
आचाल	११६	आमरक	२८१
आचोण	१२१	आमोस	११६
आजङ्ग	२५६	आम्रपालक	१६२
आजन्य	२५६	आयतचक्षु	१४९
आजाति	११६	आयतन	२७१
आजीवक	२७१	आययचक्षु	११६
आजीवन ऋहुचर्य	१८६	आयरिस	११६
आजीविक १०७, १४०, १५९, १७५,	१८७, २३०, २४०	आयाम	१६२
१८७, २३०, २४०	१८६	आयार	९३, ११६
आसप्रवाद	९१, ९९, १०१	आयारें	११७
आत्मवादी	१४५	आयारो	९१
आत्मपञ्चवादी	२००, २०१	आयानाई	१४५
आत्मा	१३९, २३४, २७१	आयुर्वेद	२७९
आत्मारामजी	२८७	आयुष्य	१०८, २४७
		आरभ	२२८
		आरण्यक	७८, १०३
		आरनाल	१६२

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
आनिय	१४९	आस्तिक्य	७३
आरियायण	७०	आन्कालनमुन्न	१७३
आरोप्य	१८८	आन्नव १५३, १७२, १७४, २७०,	
आरोप्य	१८०		२७१
आद्रं	२०७	आहतहिय	१९७
आद्रंकीय	१८१, २००, २०७	आहार १०८, १५८, २४७	
आद्रंकुमार	१८१, २०७	आहारपरिज्ञा २००, २०४	
आद्रंपुर	२०७	आहारपरिणाम	१७३
आयं	१८९	इ	
आयवेद	१५१	इद्र १०८, १५५, २०६, २७५	
आर्या	१२५	इद्रमूर्ति २०९, २१५, २२६, २४०,	
आपंप्राकृत	१०५		२७५
आहंतमत	२०८	इद्रमह	१५९
आलकारिक समा	२५१, २५४	इद्रस्थान	२६१
आलुअ	२३४	इद्रिय	२४७
आलुक	२३४	इद्रियोपचय	२४६
आलू	२३४	इद्वाकु	११३
आवति	११७, ११९	इद्वाकुकुल	१५९, २४७
आवश्यक ५१, २१७, २८४		इमली	२४४
आवश्यकचूणि	१२८, २४१, २५४	इसिगुत्त	२१५
आवश्यक-नियुक्ति	६४, २८५	इ	
आवश्यकवृत्ति	६४, ६७, १७३	ईर्या	११४
आवश्यकव्यतिरिक्त	२१७	ईर्यापिथ	१६३
आवश्यकसूत्र	२८३	ईर्यापिथिकी	२४५
आशीर्वादि	१९८	ईर्याशुद्धि	११२
आशुप्रज्ञ	१४९, १९१	ईर्यपणा	१२२, १२३
आश्रम	१६०	ईशाधन्तोत्तरगतोपनिषद्	१४३
आपाठ	२१५, २७६	ईशानेन्द्र	२५०
आसक्ति	२७२	ईश्वर	१८३
आसास	११६	ईश्वरकारणवादी	२०१
आसिलदेवल	१८७	ईश्वरकृत	२७१
आसुपन्न	१४९	ईश्वरवादी	२००

अनुक्रमणिका			२९५
शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
ईश्वरादिकार्तूल	२२८	उदयगिरि	१३०
ईशाई	२३९	उदयन	२७८
उ		उदीरणा	२४७
उधरदत्त	२७९	उदुबर	२८१
उग्र	१३४, २५१	उद्दद्धक	२३७
उग्रकूल	१५९, २४७	उद्देहण	२१४
उग्रसेन	२६२	उधान	१०८
उच्चकूल	१५९	उद्वर्तना	२४८
उच्चतारिका	२२०	उपकरण ११९, १५४, १६०, २७२	
उच्चारप्रस्त्रवण	१२२	उपचय	२४६
उच्चारप्रस्त्रवणनिशेष	१६५	उपजालि	२६७
उच्छेदवाद	२०१	उपधानश्रूत ११४, ११७, १२१, १२३, १२४, १५५	
उच्छृंग	१९४	उपनिषद् ७५, ७८, १०३, १३९, १४३, १४४, १४७, १५१	
उच्जयत	२५५	उपपत्ती	२७७
उच्जितक	२७६, २८१	उपपत्ती	२७७
उद्गुपतितरण	२१४	उपनिषद्कार	७७
उल्कालिक	७९, ८२, २१७	उपसंहिता	
उत्तरकूलग	२३७	उपपात	२४७, २४८
उत्तर-क्षत्रियकुड्पुर	१६६	उपमासत्य	२७२
उत्तरबलिस्थह	२१४	उपयोग	२४७
उत्तरवलिस्थहण	२१४	उपसपदाहृति	२४७
उत्तराध्ययन ८३, ११६, १४५, २८४,	२८६	उपसर्ग	१७३, १८६
		उपसर्गंपरिज्ञा	१७४, १८६
उत्थान	१७५	उपाग	८३
उत्थावविद्या	२०४	उपाध्याय	६०
उत्थाद	९९, १००	उपासक	८१, १०८, १८०
उत्थगंशुद्धि	११२	उपासकदशा ८३, ९०, ९४, ९८,	
उत्थन	१५९, २७५	१००, १७५, २५७	
उत्थवेदिभ	१६२	उपासकदशाग	२५७, २५९
उदक	१४०, २०८	उपासकाध्ययन	९०
उदकज्ञात	२५४	उपासकाध्ययनदशा	९२
उदय	२०९	उम्मज्जग	२३७

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
उल्लुयतीर	२४१	ओरायन	७५
उवहाणसुभ	११७		ओ
उवहाणसुय	१२१	ओददेशिक	१८२
उवासगदसा	९४	ओपपातिक	८२, ८३, १९२
उवासगदसाओ	९२	ओपघालय	२५४
उस्सयण	११४		क
		कटकवहूल	१६२
ऊँचाई	२४७	कडू	२७६
		कद	१५२, १६२, २३४
ऋग्वेद १०६, १०८, १३३, १५१,		कदाहारी	२३४, २३७
	२५२, २७८	कप	२४३
ऋजुमति	१५०	कपिल	२६२
ऋपभद्रे	१३०, १३४, २३४	कवल	१५४, १६५
ऋषिदास	२६७	कटासन	१५४
ऋषिभाषित	६८, १८७, २६९	कठोपनिषद्	१४४
		कन्था	२५५
एकदण्डी	२०८	कपट	१९३
एकवस्त्रधारी	११३, ११४, १५४	कपिल ७१, ७५, ७७, १६९, २२९	
एकवादी	१९६	कपिलदर्शन	७२
एकात्मवादी	१७४	कपिलवचन	७३
एकादशाग	८०	कप्पमाणवपुञ्जासुत	१४७
एकेन्द्रिय	२४८	कबीर	१३१
एककाई	२७६	कमण्डल	२३६, २५२
एलावच्च	२१४	कम्मारग्राम	१६८
एसिमकुल	१५९	कम्मावाई	१४५
		करण	२४६
ऐ		करपात्री	११५
ऐडन	२०७	करिसुशतक	२४८
ऐरावती	२२२	करणा	७३
		करोटिका	२५२
ओघ	२४७	कर्णवेदना	२७६
ओजआहार	२०४	कर्णिकार	२४०
ओक्षाजी	५९		

पद्धद	पृष्ठ	पद्धद	पृष्ठ
परंट	१६०	पहावली	१२८
पर्त	१७५, २२८	काकामोहनीय	२३०
कमदाढ़	७७, १०८, २५२	कांजी	१६२
पर्सिय	१०२	फाटा	१६२
पर्सिय	१७३, १८१	फारागिक	२२९
पर्सियाद	१७८	फालदी	२१४, २६८
पर्सियाद	११, १९, १०१	कादम्बरी	१०५, २५३
पर्सियापन	२४८	कामज्ञया	२७६
पर्सियन	१८०	कामिह्वतगल	२१५
पर्सियन	१८१, २०४	कामदेव	२५७
पर्सियि	२४६	कामद्वजा	२७६
पर्सिया	२४८	कामायेश	१६३
पर्सियी	१४५, १७८	कामिह्वि	२१४
पर्सियास	२८१	कामोचार	२७७
पर्सिये	१९२	काम्याय	२२३
पर्सियर्सन	२४८	कायचिविला	६३०
पर्सियर्सन	२४८	कायानुदि	१११
पर्से	२४०	कारागार	२७१
पर्सा	१०८, २५१, २७७	कारिक	२४४, २६७
परिषात	१३०	कारिकडे	३४३
परिषुग	२४४	कार्ण	२४३
पर्स	२४७	कार्यादेष	२४३
पर्स	१५, ११५, १३७, १२९, २१४, २८९	कालावेनियुक्त	२३२
पर्सीत	२४३	कालि	७१, ८२, १०१, २१५
पर्सागार	२३१	कालियुक्त	२४६
पर्स	१७१, १३४	कालिकाम	१९८
पर्सास	११, १११	काली	६२
पर्सिय	२४०	कालासी	१०७, ११८
पर्सीत	२४४	काली	२३१
पर्सागार	२४४	काला	२२२, १४
पर्स	२४४	कालासी	११६

जैन साहित्य का बृहद इतिहास

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
किकम	२६१	कुष्ट	२४४, २७६
किल्नरी	२७२	कूटथाह	२७७
किरियावाई	१४५	कूप	२७५
किल्विषिक	२२९	कूपयह	१५९
कीलकमार्ग	१९५	कूम	२५१
कुडकोलिक	२५७	कूलघमग	२३७
कुडकोलिय	१७५	कृतयुग	२४४
कुडलि	२१४	कृतयुगम	२४४, २४८
कुडिका	२५२	कृष्ण ७६, ७७, १८६, १९१, २५३,	
कुडिलि	२१४	२५५, २६२, २६३	
कुदकद	८७	कृष्णमृग	१६५
कुभधर	२४९	कृष्णलेख्या	२४८
कुवरजीभाई आनदजी	२८७	केनोपनिषद्	१४४
कुक्कुटक	१३५	केवलज्ञान	६४, १६९, २१७
कुक्कुरक	१३५	केवलदर्शन	१६९
कुक्षिशूल	२७६	केवली १४९, १५६, २३४, २४३	
कुणाल	२२३	केशलोच	१८६, २३२
कुत्तियावण	२५१	केशव	१८६
कुवेर	२७५	केशिकुमार	२३४
कुमारपुत्रिय	२०९	केशी-नौतमीय	११६
कुमारपुत्र	२०९	केशरी	२५२
कुमारश्रमण	२६३	कोकालिय	१९०
कुमारसभव	२६८	कोजव	१६५
कुराजा	१६०	कोट्टागकुल	१५९
कुरु	२२३	कोठ	२४४
कुल	२४७	कोटितगण	२१४
कुलत्थ	२५३	कोणिक	२४३
कुलघम	१९३	कोत्तिय	२३७
कुलस्थविर	२२०	कोमलप्रश्न	२६९
कुशल	१५४, १९१	कोल्लाक	२४०
कुशील	१९२, २०८, २४७	कोशल	१३२, २२३
कुचोलपरिभाषा	१७३	कोसवी	२६४

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
कोसम्	२७८	सिलोना	१८९
कौरवकुल	२४७	सेड	१६०
कोशावी	२२३, २७८	सेदन	१९०
कोरेय	१६५	सेयल	१९०
क्रियावाद	९१, १९४	सोमिय	१६५
क्रियावादो १३९, १४६, १७२, १७८,	१९५, २४८	स्टोरदेह	१३६
		ग	
क्रियाविदाल	९१, ९९ १०१	गग	२१५
क्रियास्थान १७३, १७४, २००, २०२		गगदत्त	२४२
क्रोध	१९४	गष्टागफुल	१५९
क्लोचता	१७३	गभीर	२६२
क्षत्तक	१३४	गज	२६२
क्षयिय ७७, १३३, १३४, १६०, २७८		गजमुकुमाल	२६२
क्षयियकुट्टाम	२३५	गढ	१६१
क्षयियकुल	१५९	गण	१३०, २१४
क्षुपा	१६५	गणघर	२४९
क्षेत्र	१९०, २४७	गणघरवाद	७१
क्षेत्रसेपनज्ञविभागयोग	१९०	गणघर्म	१९३
क्षेत्रज्ञ	१९०	गणनायक	२५०
क्षोभकप्रदन	२६९	गणराज्य	१६४
क्षीम	१६५	गणस्थविर	२२०
क्षोरवाला	१०७	गणिका	१०७, २७७, २८०
		गणिकानुण	२७७
स			
सहगिरि	१३०	गणित	८०
संडसिद्धान्तश्रुत	६३	गणितलिपि	२२०
स्वरथाविता	२२०	गणिपिटक	८०
स्वरोप्त्तिका	२२०	गति	२४७
स्वरोप्त्तिका	२२१	गमन	१६३
स्वरोप्त्ती	२२१	गमिक	७९
स्वाई	१६१	गमिकश्रुत	६५
स्वादिम	१५८	गर्व	२२२
स्वारवेल	१३०, २४६	गर्भ	२२२, २४६

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
गभंघारण	२२२	गोशालक	७०, १०७, १७५, २०७,
गर्ही	२३२		२३५, २३९, २५९
गागेय	२३३	गोष्ठामाहिल	२१५
गाघवं	१८४	गोसाल	७०
गाघवंलिपि	२२०	गौद्यपादकारिका	१४४
गाथा	१९८	गौतम	१३२, १५४, १६९, १९२,
गाथापतिपुत्र तरुण	८७		२०९, २२६, २४०, २४९, २५४,
गिरनार	६३, २५५		२५९, २६२
गिरिमह	१५९	ग्रन्थ	१९७
गीता	७६, १३७, १८३	ग्रन्थातीत	१९१
गुजरात विद्यापीठ	२१२	ग्राम	१६०
गुड	१६१, २४४	ग्रामघर्म	१९३
गुणशिलक	२२६, २४४	ग्रामस्थविर	२२०
गुफा	२७५	ग्रैवेयक	२२९, २३०, २६१
गुरु	१९८		घ
गुरुनानक	१३१	घनवात	२२२
गूढ़डत	२६७	घनोदधि	२२२
गृहपति	१३४	घासीलाल	२८७
गृहपति-चौर-विभोक्षण-न्याय	२०९	घी	१६१
गृहस्थ	१३५	घोडा	२५६
गृहस्थधम	१९३, २५९		च
गृहस्थाश्रम	१३७	चडिका	१४०
गृहिधर्मी	२५४	चडीदेवता	१९२
गोत्रास	२७७, २८१	चदनपादप	२७९
गोदास	२१४	चद्र	१०८, २५०
गोदासगण	२१४	चद्रगुफा	६३
गोमायुपुत्र	२४०	चद्रप्रज्ञप्ति	८२
गोम्भट्टसार	९१, ९२, ९३, ९६, १००, १०३, १११	चद्रिका	२६७
गोन्नतिक	१९२	चपा	२२२, २७५
गोन्नति	२५४	चक्रवर्ती	२४२
गोशाल	१०७, २२७	चतुरिन्द्रिय	२४८
		चतुर्थभक्त	१३८

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
चतुर्दशीपूर्ववर्ष	७३	चूलिका	९०, ११३
चतुर्दशी	२७८	चैलवासी	२३७
चतुर्याम	११३, १९२	चैत्य	२७१, २७५
चतुर्वर्ण	१३३	चैत्यमह	१४९
चमर	२३७, २५०	चैत्यवासी	१८८
चमारफुल	१५९	चोक्का	२५३
चरक	२२९, २५४	चोटी	२५२
चरम	२४६	चोरी	२७७
चस्त्रलि	२३६	चौयं	१९३, २७१
चमंस्कडिक	२५४	छ	
चाहाल	१३४, १५९	छद	८०
चातुर्याम	७९	छदोनुशासन	१९९
चारण	२४७	छत्र	२५२
चारणगण	८१४	छत्रमार्ग	१९५
चारित्र	२४७	छद्दमस्य	१४९
चारित्रधर्म	१९३	छाग	१६५
चारित्रान्तर	- २३०	छान्दोग्य	- १३६
चार्वाक	१३९	छेदसूत्र	६१
चिकित्सक	२७६	छेदोपस्थापना	१७३
चिकित्सकपुन	२७६	ज	
चिकित्साशास्त्र	९५	जद	७५
चित्र	२८८	जबू	१७५, २४१, २५०, २६७,
चित्रसभा	२५४		२७०, २७४
चिल्लणा	२२६	जबूद्वीप	१०७, २१७
चीन	२५३	जबूद्वीपप्रश्नप्ति	, ८२
चीनी	२५३	जबूस्वामी	, १३१
चीरिक	२५४	जगती	१०५, १२५
चुल्लशतक	२५७	जगत्कर्तृत्व	१८२
चूणि	२४९	जण्णवस्क	७०
चूणिकार	१७७	जनपदसत्य	२७२
चूलणिपिता	२५७	जननई	२३७
चूलवग	१३२	जन्मोत्सव	१६०

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
जमीय	१९८	जिनभद्रगणि	६४, ६७, ८१, १२९
जमदीत	१९८	जीव	१०८, ११७, १७२, २२८,
जमालि	१३०, २१५, २३५		२३१, २३४, २४३
जमाली	२६१	जीवनिकाय	११७
जयत	२६६	जीवराज वेलाभाई	२८७
जयती	२२७	जीवाभिगम	२२६
जयघवला	८७, ८८, ९२, ९३, १००, १०३, १७३, १७४, २८०	जीवास्तिकाय	२४५
जरा	२४१	जेल	१०८
जराकुमार	२६४	जेलर	२७८
जर्मन	१२४	जैन	६९, ११०
जल	१४०, १६२, २२७	जैन आगम	७०
जलप्रवेश	१६३	जैनधर्म प्रसारक सभा	२८७
जलभक्षी	२३७	जैन-परपरा	१०८
जलमार्ग	१६४, १९५	जैनमुनि	६१
जलवासी	२३७	जैनशास्त्र	७९, २२१
जलशौचादी	१९२	जैनश्रुत	५, ८१
जलेवी	१६१	जैनसघ	८७
जलोदर	२७६	जैनसाहित्य सशोधक	९०
जवणिज्ज	२४६	जैनसूत्र	८७
जवणिया	२५०	ज्ञातकुल	२४७
जसस	१६७	ज्ञातक्षित्रिय	१६६
जागमिक	२१८	ज्ञावखण्ड	१२५, १६७
जाणई	१४९	ज्ञातवर्मकथा	९०, ९१, ९२, ९४
जातिभोज	१२६	ज्ञाता	२७६
जातिस्थिर	२२०	ज्ञातावर्मकथा	१००, १०५, २५०
जालवरगोत्रीया	१६६	ज्ञातापुत्र	२७६
जालि	२६७	ज्ञातासूत्र	२८३
जितशत्रु	२७८	ज्ञातृकथा	९१, ९२
जिन	२३५	ज्ञातृघर्मकथा	९२
जिनकल्पी	२४७	ज्ञान	६४, १४९, १७३, १७४, २४७
जिनपालित	६३	ज्ञानपत्रमी	६४

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
ज्ञानप्रवाद	९०, ९१, १०१	तदित्यगाणा	१७३
ज्ञानवाद	१७७	तप	११९, १८८
ज्ञानान्तर	२३०	तपस्या	२६८
ज्ञानी	१४९	तप	१८६
ज्योल्ला	१६७	तापस	१०८, १५९, २३०, २३७
ज्योतिष	८०	तापसधर्म	१५२
ज्योतिष्क	२२९	तामिल	२३७
ज्योतिष्कदेव	१०७	तारा	२७२
ज्वर	२७६	तारायण	७०
	ट	तारायणरिति	१८७
टटूटी	१६५	तालाब	२७५
टवा	२८६	तिरीडवट्ट	२१८
	ठ	तिर्यञ्च	२२९
ठाण	९१	तिर्यञ्चागना	१२०
ठाख	९३, २३६	तिलक	७५
ठाणे	९१	तिलोदक	१६२
	ठ	तिष्य	१६२
ठास	१८६	तिष्यगुप्त	२१९
	ण	तीर्थ	२४७
णायाघम्मकहा	९२, ९४	तीर्थंकर	२४२, २४६
णायाघम्मकहाओ	९१	तीर्थभिषेक	२५२
	त	तुब	२५३
तंदुलोदक	१६२	तुपोदक	१६२
तच्चणिया	१४०	तूलकड	१६५
तज्जीवतच्छरीरवादी	२००, २०१	तृणवनस्यतिकाय	२१६
तत्त्वायथभाष्य	८३, ९१	तृष्णा	११९
तत्त्वायथराजवार्तिक	६७, ९१, २७३	तेजोविन्दुजपनिषद्	१४३
तत्त्वायथवृत्ति	९०	तेजोलेश्या	२४०
तत्त्वायथवृत्तिकार	८२, १७३	तेतली	२६७
तत्त्वायसूत्र	९०, २८४	तेयलि	२५४
तपागत	११४, १३९, १७९	तेरापथी	२८७
तथ्यवाद	९५	तेल	१६१

शब्द	पूर्ण	शब्द	पूर्ण
तैत्तिरीयोपनिषद्	१४५	दशानान्तर	२३०
तैल	२४४	दलसुखमालवणिया १५५, १९६, २१२	
तोता	२४४	दवनमार्ग	१९५
त्योज	२४४	दशपूर्वभर	७३
त्रस	२०९, २३१	दशरथ	१७५
त्रसभूत	२१०	दशवैकालिक	८३, १२४, १४५,
त्रिकालग्रथहिंद	१७३		१८५, २८४
त्रिकाञ्चिका	२५२	दशवैकालिकचूणि	१०२
त्रिदण्ड	२५२	दशवैकालिकनियुक्ति	१२४
त्रिदण्डी	२०७, २०८, २२९	दशवैकालिकवृत्ति ८८, १०२, १२४	
त्रिवस्त्रधारी	११३, ११४, १५४	दशा	२५७
त्रिशला	१६६	दशार्णभद्र	२६७
त्रिष्ठुम	१०५, १२५	दहा	१६१
त्रीन्द्रिय	२४८	दान	१८२
त्रेतायुग	२४४	दानधर्म	१९३, २५२
त्रैराशिक	१७६	दानामा	२३७
त्वग्धारी	२३७	दासकुल	१५९
थ		दासप्रथा	१०८
थड़िल	१९४	दाह	२७६
थावच्चा	२५३	दिग्म्बर	७१, ८७, १७६
थिमिअ	२६२	दिह्निवाए	९२
द		दिह्निवाओ	९२
दंड	२३७	दिह्निवाय	९५
दहव्यवस्था	१०८	दिशाचर	१०७, २४१
दत्तवचन	१९१	दिशाप्रोक्षक	२३६
दत्तक्षलिय	२३७	दीक्षा	१०८, १५४
दक्षिणकूलग	२३७	दीघतपत्स्वी	६१
दक्षिण-आहाणकुंडपुर	१६६	दीघनिकाय	१०३, १४२, १७५
दयानद	७५	दीप	२३६
दपंणप्रसन्न	२६९, २७३	दीघंतपत्स्वी	६१
दर्शन	१४९, १५०	दीर्घदत्त	२६७
दर्शनशास्त्र	७८	दीर्घशका	१२३

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
दीर्घसेन	२६७	देसीभासा	२५१
दीवायण	७०	दोषोपकरिका	२२०
दीवायण महारिसि	१८७	द्रमिल	६३
दुःख	२८०	द्रविड	६३
दु खविपाक	२७४, ८१	द्रव्य	२४७
दुःखस्तन्य	१७८	द्रव्यप्रमाणानुयोग	६३
दुक्षसप्तशष्ठ	१७८	द्रव्यशुत्	६४, ६५
दुर्योधन	२७८	द्रावडलिपि	२२०
दुष्काल	१२८	द्रुम	२६७
दृष्ट	१६१	द्रुमसेन	२६७
दृष्टपात	९२	द्राणपुख	१६०
दृष्टिवाद	७९, ८०, ८१, ८८, ९०, ९१, ९५, ९९, २८२	द्रोपदा	२५५, ७३
दृष्टिविषयसिद्ध	२०२	द्वादशाशागणिपिटक	
देव	१०८, १८४, २०४, २२८, २४१, २४८	द्वापर	२४४
देवकी	२६३	द्वापरयुग	२४४
देवकुल	२७१	द्वारका	२६२, २६४
देवकृत	२७१	द्विराज्य	१६४
देवगत	२२९	द्वांन्द्य	२४६, २४८
देवदत्ता	२७९, २८१	द्वाप	१०७, २४६
देवभाषा	२३८	द्वैपायन	६९, ७०
देवधिगणि	१४८, १८५, २५	ध	
देवधिगणिक्षमाश्रमण	६२, ८३	घनदेव	२८१
देवल	७०	घनपतिह	२८६
देवधाचक	६४, ६५, ७४,	घनपति	२६२
देवागना	१२०	घन्य	२६७
देवानदा	१६६	घन्यकुमार	
देवासुर-सप्राप्त	१०८	घन्यन्तरि	२७९
देवेन्द्रसूरि	१०२	घम्मपद	१४५, १८८
देशना	२२८	घरसेन	६३, ८७
		घम	१७३, १८९, १९३
		घमंकथा	९०

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
धर्मक्रिया	१७३	नदीसूत्र	८२, ८९, ९१, ११२, २१६
धर्मक्रियास्थान	२०२	२५८, २६६, २६९, २८०, २८३	
धर्मचक्र	१५५	नगर	१०८, १६०
धर्मचिन्तक	२५४	नगरधर्म	११३
धर्मवाद	९५	नगरस्थविर	२२०
धर्मशास्त्र	६०	नगरभाव	२३२
धर्मसंघर्ष	२१६	नदी	१६४, २२२, २७५
धर्मस्तिकाय	२४५	नदीमह	१५९
धर्मला	८८, ९२, ९३, ९६, १००, १०३, १७३, २८०, २८४	नदी	२६१
धर्मलाकार	२८४	नमीविदेही	६९
धीर	१४९	नरक	१०८, १४७, १७३, १९०,
धूम	११७		२४३
धूत	११४, ११७, ११९, १२४	नरकविभक्ति	१८९
धूरदान	१९४	नरकावास	१९०
धृतिमान	१९१	नरमेव	२७८
न		नरसिंह	२५५
नदनवन	२६२	नरसिंह मेहता	१३१
नदमणियार	२५४	नरागना	१२०
नदिचूर्ण	१२८	नवव्रत्यचर्य	११३, ११७
नदिणीपिया	२५७	नवागीवृत्तिकार	१२९
नदिनीपिता	२५७	नवप्रश्न	२७३
नदिवधन	१६७, २७८, २८१	नाग	१०८, १४४, २६२, २७१
नदिवृत्ति	६७, ९७, ९९	नागकुमार	२६९
नदिवृत्तिकार	१०१	नागमह	१५९
नदिपेण	२८१	नागाजुन	१२६, १२९, १८५
नदिसूत्र	६४, ७४, ८०, ११७, १०५, १२७, १३९, १५०	नागाजुनीय	१२६, १८३, १८४, २०६
नदिमृत्तिकार	६८, ७१, ७३, १२२	नागाजु नोयवाचना	१२५, १२८
नदी	८२, ९६, ९७, ९९, १०२, १०६, २२६	नाटक	७२
नदीफल	२५४	नाणी	१४९
		नाथवादिक	१८८
		नापित	२७८
		नामकरणोत्सव	१६०

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
नामसत्य	२७२	नियनिवादी	१७४, २००, २०१,
नाय	९२		२४०, २७१
नायधम्मकहा	९२	नियमान्तर	२३१
नायपुत्र	१८५	नियाग	१४७
नायाधम्मकहा	९२	नियाय	१४७
नारक	२०४	निरामगध	१५२, १९०
नारकी	२४८	निरामिष	१८२
नारद	२५५	निरालब	१४७
नारायण	६९	निग्रन्थ	१९९, २४७
नारायणरिसि	१८७	निग्रन्थघर्व	१८२
नारायणोपनिषद्	१३९	निग्रन्थसमाज	१४१
नारेन्द्र	२०८	निंजरा	१७२
नालद	२०८	निभंय	१९१
नालकोय	२००	निर्मितवादी	१९६
नालदा	१७३, २०८, २३९	नियुक्तिकार	११३, १७७
नालदीय	२०८	निर्वाण	१०८, १३९
नालिद	२०८	निविज्ञमध्ययन	१७३
नालेन्द्र	२०८	निवृत्ति	२४६
नाव	१६४, २५३	निवेद	७३
नास्तिकवाद	२०१	निशीथ	१०१, १५८, २८६
नास्तिकवादी	२७०	निशीथसुश्र	१२२, २८४
नाह	९२	निषद्या	१२२, १६३
नाहधम्मकहा	९२	निषाद	१३४
नाहसधम्मकहा	९२	निषीघिका	१२२, १२३
निकर्प	२४७	निसीह	१२२
निकाय	१४८	निह्व	१३०, २१५
निगास	२४७	निह्विका	२२०
नित्योपड	१५९	नीचकुल	१५९
निधान	२७२	नीम	२४४
निमज्जग	२३७	नृत्य	१०८
नियतवादी	१९६	नैश्वेदना	२७६
नियतिवाद	१७५, १७६	नैगम	१६०

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
नौका	२५३	परमचक्षुष्	१४९
नौकारोहण	१६३	परमत	१०९, १३८, १७२
प		परमाणु	२४६
पथाराइआ	२२१	परमाणुपूद्गल	२४५, २४६
पएसी	२३४	परलोक	१०७, १४०
पचमहाव्रत	२५२	परलोकाभाववादी	१९६
पचमूतवादी	२०१	परसमय	१७२
पंचयाम	७९, ११३	पराक्रम	१९२
पंचस्कष्टवादी	२७०	परिकर्म	८८, ९०
पड़िआ	१४९	परिकुचन	१९३
पंडित	१४९	परिग्रह	१०८, १८३, १९४, १९७,
पडितवीर्य	१९३		२७१, २७२, २८१
पडुरग	२५४	परिणाम	२४७
पथक	२५२	परिमाण	२४७
पकारादिका	२२०	परिव्राजक	१०८, १६०, २३०
पक्षिमार्ग	१९५	परिव्राजिका	१६०, २५३
पट्टण	१६०	परिशिष्टपर्व	१२४, १२८
पट्टमार्ग	१९४	परिस्थ	१५३
पट्टावली	१३०	परीषह	१२०
पडिगाह	२३५	पर्यंव	२४७
पण्हावागरण	२६९	पर्यायस्थविर	२२०
पण्हावागरणाहं	९२, ९४	पर्वत	२७५
पत्र	१६२, २२४	पर्वंबीज	२०४
पद	१०२	पलिउचण	१९३
पदार्थधर्म	१९३	पल्लतेतिय	२६१
पद्मप्रभ	२४६	पवित्रक	२५२
पद्मावती	२६४, २७२, २७८	पश्चिमदिशा	१८५
पञ्चवणा	२०६	पश्यक	१४९
पञ्चन्ना	२८४	पसेणई	२६२
परकिया	१२२, १२३, १६६	पहाराइआ	२२१
परदा	२५०	पाचाल	२२३
परमचक्षु	१४९		

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
पाडव	२५५	पाश्वपित्य	१६७, २२७, २३२
पाढ्मथुरा	२५५, २६४	पाश्वपित्यीय	२०९
पाकशाला	२५४	पावादुया	१०७
पाक्षिकसूत्र	९१	पाशमार्ग	११५
पावडगर्म	१९३	पाशस्थ	१८८
पाखडमत	१७४	पासम	१४९
पाटिलिङ्गड	२७९	पासह	१४९
पाटलिपुत्र	१२८, १८५, २१८	पासत्य	१८८, २२७
पाठभेद	८७, १८५	पासत्या	१०७
पाठान्तर	१८५	पासावच्चज्जा	१०७
पाणिपात्री	११५	पिंगमाहणपरिव्यायम्	७०
पातजल-योगदर्शन	९५	पिण्ड	२७२
पातजल-योगसूत्र	१६९	पिंडेष्णा	११४, १२२, १२३
पात्र	१५४, १६५, २३५	पिटक	७९, १०३, १०७, १७५
पात्रघारी	११५	पिशाच	२५८
पात्रैषणा	११४, १२२, १२३, १६५	पुज्जणी	१४२
पादपुङ्कन	१५४	पुढरोक	१७३, २००, २५२
पाद-विहार	१६३	पुस्कमिता	१७३, १७४
पानी	१४०	पुगलपञ्जति	२१६
पाप	१७२	पुण्य	१७२
पापकर्म	२४८	पुण्य-पाप	१७४
पायपुङ्कण	१४२	पुण्यस्कन्ध	१८१
पारसी	७५, १३६	पुत्त	१८१
पाराशर	६९, १३४	पुद्गल	१६२, २३७, २४४
पारासर	१८७	पुद्गल-परिणाम	२४२
पारिष्ठापनिकासमिति	२५५	पुद्गलस्तिकाय	२४५
पावंती	२६८	पुनर्जन्म	१३९
पाश्वं	६९, ७९	पुराण	१०३, १०४, १८३
पाश्वतोर्थ	१०७	पुरातत्त्व	१८८
पाश्वनाथ	१०७, १६७, १९२, २११	पुरिमताल	२७७
	२२७, २३२	पुरुष	१८९
पाश्वस्थ	१८८	पुष्पपरिज्ञा	१९०

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
पुरुषप्रधान	१८९	पोतक	१६५
पुरुषसूक्ष्म	१३३	पोत्ति	१८१
पुरुषसेन	२६७	पोत्तिअ	२३७
पुरुषादानीय	२३३	पोत्र	१८१
पुर्लिद	१६४	पोत्री	१८१
पुर्लिदलिपि	२२०	पीराणिकवाद	१८३
पुर्जकरिणी	२५४	प्यास	१८६
पुष्टिमात्रिक	२६७	प्रकल्प	१५८
पुष्पदत्त	६३	प्रकीर्णक	८२, २८४
पुष्पनदी	२८०	प्रक्षेप आहार	२०४
पुष्पसेन	२६७	प्रजापतिनिर्मित	२७०
पुष्पाहारी	२३७	प्रज्ञापना	८३
पुष्पोत्तर	२३९	प्रतिकूलशब्द्या	१८६
पूला	१६२	प्रतिक्रमणग्रन्थन्यौदी	१७३
पू जामाई जैन ग्रन्थमाला	२१२	प्रतिक्रमणसूच्र	८८
पूज्यपाद	९०, १७३	प्रतिक्रमणाधिकार	२८३
पूढ़ी	१६१	प्रतिमा	२३८
पूरना	१८९	प्रतिलेखन	१५४
पूरण	२३७	प्रतिसेवना	२४७
पूर्णभद्र	२७५	प्रतीतिसत्य	२७२
पूर्व १५, ९९, १००, २८२		प्रत्यक्ष	६५
पूर्वंगत ९०, ९५, २८२		प्रत्याख्यान ९१, १०१, १७३, २०५,	
पूर्वंगत गाया ८८			२१०, २३२
पृथ्वी १८३, २२७, २३१, २४६		प्रत्याख्यानक्रिया	२००
पृथ्वीकाय ११७		प्रत्याख्यानवाद	९९
पृथ्वीकायिक २४८		प्रथम	२४३
पेढालपूत २०८		प्रथमानुयोग	९०
पेढालपूत्र २६७		प्रद्युम्न	२६२
पेल्लक २६७		प्रवान	१८२
पेशाव १६५		प्रभाचद्र	१३०, २८३
पेशाचो २२१		प्रभाचद्रीयवृत्ति	१७३
पोट्टिल्ल	२६७		

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
प्रभावकचरित्र	१३०	फलकमार्ग	१९४
प्रभु	१८३	फलाहारी	२३७
प्रमाणपद	१०३	फारसी	२२०
प्रमाणान्तर	२३१	फालवंडपुत्र	२६१
प्रयाग	२७७	फासुयविहार	२४६
प्रवचनान्तर	२३१	फूल	१६२
प्रवज्या	२१९	फूलचदजी 'भिषु'	२८७
प्रशास्वास्थविर	२२०	फोजदार	२७८
प्रशनपद्धति	१२९		व
प्रशनव्याकरण ६९, ८१, ९०, ९४, ९८, १००, २६९, २७३		बघ	१७२, २४६, २४७
प्रशनव्याकरणम्	९२	बघन	१०८
प्राकृत	९०, १७४	बघशतक	२४८
प्राकृत व्याकरण	१४२	बघुश्री	२७८
प्राणवध	२४६	बमचेर	१३१
प्राणवाद	१०१	बकुश	२४७
प्राणवायु	९९	बठहङ्कुल	१५९
प्राणातिपात	२४३	बनियार्गाच	२७६
प्राणामा	२३७	बफ	२४४
प्राणावाय	९१, १०१	बबंर	१६४
प्राणाण्य	७५, ७६	बल	१७५
प्रायस्त्रित	२४८	बलदेव	२४२, २६२
प्रावचनिकान्तर	२३०	बलि	२५०
प्रावादुका	१०७	बहिद्वा	१९३
प्रासुकविहार	२४६	बहुपुत्रिक	२४३
प्रियगु	२८०	बहुमूल्य	२१८
प्रियकारिणी	१६७	बालचिकित्सा	२७९
प्रियदर्शना	१६७	बालबीयं	१९३
		बाह्य	१८७
		बाहुक	६९, ७०
फ		बाहुप्रश्न	२६९
फणित	२४३, २४४	बिन्दुसार	१७६
फल	१६२	बिलमार्ग	१९५

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
विलवासी	२३७	ब्रह्मविद्योपनिषद्	१४५
वीजाहारी	२३७	ब्रह्मव्रती	२०७, २०८
वुक्षस	१५९	ब्रह्मग्रान्तियज्ञ	२४९
वुह ७०, ७९, १०६, ११४, १३२, १३९, १४१, १४७, १४९, १५२, १५६, १७५, १७७, १७९, १८१,	१८२, २०१, २०८	ब्रह्मा	१८४
		ब्रह्मण ७८, १०३, १३१, १३३, १३५, १४९, १८४, १९९, २१५,	२७८, २८१
बुद्धवचन	७२, ७३	ब्रात्यणकुण्डग्राम	२३५
बुनकरकुल	१५९	ब्राह्मणवस्मिकमुत्त	१३२
बृहदिट्यनिका	६२, ९०	ब्राह्मणपरिवाजक	७०
बृहत्कल्प	६१	ब्राह्मी	२२०, २२६
बृहदारण्यक	७०, १४४, १८६	ब्राह्मोलिपि	२२०, २२१, २२६ म
बृहस्पतिदत्त	२७८, २८१	भग	१६५
बेन्नातट	६३	भगिय	१६५
बोक्कमलियकुल	१५९	भगद्र	२७६
बोक्कस	१३५	भगव	१८९
बोढिग	१८७	भगवती	२२४
बौद्ध ७१, ७९, १०३, १३८, १४०, १४१, १८८, १९०, १९६, २०३, २३०, २७०	भगवती-आरावना	२८४	
		भगवतीसूत्र	१५४
बौद्धव्यंत	१७८	भगवद्गीता	१४३, १९०
बौद्धपिटक	७०, ७८,	भगवान महावीरना दश उपासको	२५९
बौद्धभिक्षु	२०७, २०८	भगवान महावीरनी घर्मकथाओ	२५१
बौद्धमत	१४६, १७८, १८१	भगवान्	१४९, १८६
बौद्धविहार	२७१	भगाली	२६९
बौद्धयमण	१५९	भजन	१९४
ब्रह्म	१३१	भट्टाकल्प	२८४
ब्रह्मचर्य ११३, १२०, १३१, २७३		भद्रजस	२१४
ब्रह्मचर्यवास	२३२	भद्रिल्पुर	२६२
ब्रह्मचारी	२३५	भद्रवाहृ	६४, ६९, १०८, २१४, २८२
ब्रह्मजालमुत्त	१४१		
ब्रह्मलोक	२२९	भद्रा	२३९, २६८

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
भद्रावुधमाणवपुच्छासुत्त	१४७	भिच्छुड	२५४
भयण	१९४	भीम	२७७
भरतसेन	२२२	भीमसिंह माणेक	२८७
भव	२४७	भील	१६४, २२१
भवद्वय	२४३	भूकम्प	२२२
भवनवासी	२२९	भूख	१८६
भवनावास	२४६	भूत	१०८, २५८, २७५
भवसिद्धिक	२४८	भूतबली	६३
भव्य	२४७	भूतमह	१५९
भागिक	२१८	भूतलिपि	२२०
भागवत	१९०	भूतवाद	९५
भारद्वाज	७०, २१४	भूतवादी	१७४, २००
भाव	२४७	भूतान	२२१
भावना १२२, १२३, १२४, १२५, १६९		भृमि	२४६
भावश्रुत	६३, ६७	भृमिशय्या	२३२
भावसत्य	२७२	भोग	२५१
भाषा १६४, १९४, २३९, २४१		भोगकुल	१५९, २४३
भाषाजात ११४, १२३, १६४		भोगवतिका	२२०
भाषाजातैयणा	१२२	भोजन	१६२
भाषाप्रयोग	१६४	भोजनपिटक	२५१
भाषाविचय	९५	भोट	२२१
भाषाविजय	९५	भ्रमर	२४४
भिक्षा	१५९, १६०	म	
भिक्षाग्रहण	२३३	मद्दम	१४९
भिक्षावृत्ति	१८६	मगल	२२६
भिक्षाशृद्धि	११२	मंस	२३९
भिक्षु	१९९	मखलि	२३९
भिक्षुचर्या	११४	मखलिपुत्र ७०, २२७, २३९, २५९	
भिक्षुणी	१६५	मत्रविद्या	२६९
भिक्षुसमय	१७८	मदिर	२७१
भिक्षारी	१५९	मकान	१६३
		मव्वत्तन	१६१

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
मक्षवलिपुत्र	१०७	मनोती	१०८
मगध	१४६, १४७	ममत्व	१६९
मगधराज	१९०	मयगतीर	२५१
मच्छिङ्का	२५६	मयद	२४४
मच्छर	१८६	मयालि	२६७
मछली	१६२	मयूरपोषक	२५१
मछलीमार	२७९	मर्यादा	२२९
मजीठ	२४४	मलघारी हेमचद्र	२८२
मज्जमनिकाय	१०३, १३९, १४९, १७५	मलमूत्रविसर्जन	१६५
मडव	१६०	मलयगिरि	६७
मतान्तर	२३१	मत्तिल	२५३
मतिज्ञान	६५	मत्तिलकी	२५१
मतिमान	१४९	मस्तकशूल	२७६
मथुरा	१२८, १८५, २२२, २७८	महर्षि	१८२
मध्युकी	२५३	महाअध्ययन	२००
मदिरापान	१०८	महाकंपंप्रकृतिप्राभृत	६३
मदुरा	२५५	महाक्ष्यप	७०
मध्य	१६१, २५१	महागिरि	२१४
मध्यपान	१०७	महाजाण	१४८
मदुक	२४४	महाद्रुमसेन	२६७
मधु	१६१	महाधवला	८७
मधुरायण	७०	महानदी	१२३
मध्यमपद	१०३	महानरक	११०
मन पर्याय	१५०	महापरिक्षा	११७, ११९
मन पर्यायज्ञान	६४	महापरिणा	११७
मन शुद्धि	१११	महाभारत ६९, ७०, ७२, ७३, १०३,	११९
मनस्सचेतना	२०४	१३८, २१६, २५५	११९
मनु	१३७	महामार्ग	१४८
मनुष्य	२०४, २४८	महायात	१४८, १८०
मनुस्मृति	१३५, १३६, १६५	महारथ	१८६
मनोजीववादी	२७०	महावश	१७६

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
महायदेह	१२८	पा।।।	११४
महायोगि	१४८	पालदग्ध	२१४
महायोर १९, ७९, ११४, १२०,		पान्दिष्टराजा	२४३
१२१, १२३, १२५, १३६, १५४,		पाण्डुक्षेपनियद्	१४४
१६६, १७३, १९०, १९९, २०७,		पातग	७०, २६१
२११, २१४, २१७, २२६, २२८,		पापुरायण	७०
२३५, २३६, २३८, २४७, २५९,		पापुरोधाघना	८७, १२६, २०६
२६४, २६८		पान	१९५
महायोरन्यग्रित	१६६	पाप्रत्ययदण्ड	२०२, २०३
महायोग्यरित्य	२३९	पाया	१८२, १८३, १९३
महायोर जैन विद्यालय	२८७	पायाप्रत्ययदण्ड	२०२, २०३
महायोरनायित	२६९	पार	१४७
महायोहि	१४८	पार्ग	१७३, १९४
महायृष्टि	२२३	पार्गन्तर	२३१
महायूत्पत्ति	२१६	पास	२४६, २५३
महाप्रत	१२३, १८५	पासकस्ती	१६१
महायतक	२५७	पाहण	१४९
महायुक्तस्य	२८२	पाहन	१३३
महासिंहसेन	२६७	पाहेश्यरोलिमि	२२०
महासेन	२६७	मितवादी	१९६
महासव	२४६	मित्र	२७६
महास्वभ	२४२	मित्रदोषप्रत्ययदण्ड	२०२, २०३
महिमानगरी	६३	मिथिला	२२३
मही	२२२	मिथ्यात्वी	२४७
महेच्छा	२७२	मिथ्यादृष्टि	७३
महोरग	२२२	मिथ्याश्रुत	६५, ६७
मांस १६१, १६२, १८०, १८१,		मिथगाम	२७५
मामभक्षण	१८१	मिथलुद्धय	२३७
मासमोजन	१५२, १८०	मिलिदपञ्च	१४०
मासाहार	१५२, २७९	मीमासक	७४
माकदिक पुत्र	२४४	मुङ्कोपनियद्	१४७
माकदी	२४३, २४४, २५३	मुडभाव	२३२

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
मुकुद	२७५	मोक्षमार्ग	१७४
मुकुदमह	१५९	स्लेच्छ	१६४, २७१
मुक्तात्मा	१०७	य	
मुणि	१४९	यक्ष	१०८, २३४, २७५
मुद्गरपाणि	२६४	यक्षमह	१५९
मुनि	१४९	यक्षा	१२४
मुनिसुवत	२४२, २४४	यजुर्वेद	२५२, २७८
मुष्टिप्रश्न	२७३	यज्ञ	१४०, १४७
मुसलमान	२३९	यति	१२५
मुहपत्ती	१५४, २३५	यतिवृषभ	८७
मूल	१६२, २३४	यतिसमय	१७३
मूल-आराधना	२८४	यथाजात	११५
मूलबीज	२२४	यम	७०, १८२, २३६
मूलाचार	२८५	यमकीय	१९८
मूलाराधना	८८	यमनीय	२४६
मूलाहारी	२३४, २१७	यमुना	२२२
मृगाराम	२७५	यवनिका	२५०
मृगलुब्धक	२३७	यवोदक	१६२
मृगादेवी	२७५	यशोदा	१६७
मृगापुत्र	२७५, २८१	यशोमती	१६७
मृगावती	२७८	यशोविजय	७१, १३१
मृतगगा	२५१	याग	१४७, २५०
भूतिकाभाजन	२५२	याज्ञवल्क्य	७०
मृत्यु	१८४	यात्रा	२४६
मृत्युभोज	१२६	यादृच्छक	२७१
मृषाप्रत्यदण्ड	२०२	याथातथ्य	१९७
मेघावी	१४९, १८१	यापनीय	२४६, २५३
मेयज्जगोत्रीय	२०९	यावनी	२२१
मेष	१६५	यावन्त	११७
मेहावी	१४९, १८१	यास्क	७४
मैथुनविरमण	१९२	युगलिक	२३४
मोक्ष	१७३, २३८	युग्म	२४४, २४७, २४८

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
युद्ध	१०७, २३८	राजवार्तिक	८८, ९१, ९२, १०३,
योग	२४७		१११, १७३, २२५, २६९,
योगदृष्टिसमुच्चय	७१		२८०, २८३
योगशास्त्र	१२८	राजवार्तिकार	२८४
योगशास्त्रप्रकाश	१२८	राजा	१६०, १८४
योगसत्य	२७२	राजा-रहित राज्य	१६४
योगसूत्र	१९०	राज्यसंस्था	१०७
योनिशुल	२७७, २८०	राठोड	२७६
र		रात्रिभोजन	१८५, १९२
		रात्रिभोजनत्याग	११३
रक्तपट	२५५	रामगृष्ट	६९, १८७, २६१
रक्तसुभद्रा	२७२	रामपुत्र	७०, २६७
रजोहरण	१५४, २१८, २३५	रामायण	७२, ७३
रजुमार्ग	१९५	रायपत्तेण इज्ज	२३४
रट्ठरुद	२७६	राष्ट्रकूट	२७६-
रतिकल्प	१२४	राष्ट्रधर्म	१९३
रतिगुण	२७७	राष्ट्रस्थविर	२२०
रत्नमुनिस्मृतिप्रथ	१५५	रक्षिमणी	२६२, २७२
रस	११९	रण	१६२
रसायन	२७९	रद्द	१०८, २७५
राक्षस	१८४	रद्रमह	१५९-
राग	२४७	रद्वाक्षमाला	२५२
राजकुल	१६०	रूप	१२२, १२३
राजगृह	२०८, २२३, २२६, २२८, २४०, २४४, २५०	रूपदर्शन	१६६
		रूपसत्य	२७२
राजधानी	१६०, २२२	रेवतक	२५२, २६०
राजन्य	२५१	रेवतो	२५९
राजन्यकुल	१५९, २४७	रैवतक	२५२, २६२
राजप्रश्नीय	८२, ८३	रोग	२७६
राजप्रसेनकीय	८२	रोम आहार	२०४
राजभूत्य	१६०	रोहगृष्ट	२१५
राजवंश	१६०	रोहण	२१४-

शब्द		पृष्ठ	शब्द		पृष्ठ
रोहिणी		२५३, २७२	लोकसार		११९
ल			लोकाशाह		१५५
लतियापिया		२५७	लोकाशाह और उनकी विचारधारा	१५५	
लघुटीका		२४९	लोगविजय		११७
लघुप्रतिकमण		२७३	लोगावाई		१४५
लघुशका		१२३	लोभ		१९४
लतामार्ग		१९४	लोभप्रत्ययदण्ड	२०२, २०३	
लतिणीपिया		२५७	लोमाहार		२०४
लत्तियपिया		२५७	लोहा		२४४
लचि		१०७	ल्युक		२५३
ललितविस्तर		१५६, २२१	व		
ललिताकपिया		२५७	वक्रता		१९३
लवण		१०७	वग्धावन्नच		२१५
लङ्टदन्त		२६७	वचनशूदि		१११
लातक		२२९	वज्र		२४४
लिंग		२४७	वत्स		२२३
लिञ्चो		२५१, २८१	वनपर्व		२१६
लिम्पु		२८१	वनवासी		१३५
लीला		१८३	वनस्पति	१०८, २२७, २४७	
लूता		१६२	वनस्पतिकाय		२२७
लेखन-पद्धति		२२०	वनीषक		१५९
लेञ्छई		२८१	वराहमिहिर		१७६
लेञ्छकी		२५१	वरिसवकण्ह		७०
लेण		२७१	वरुण	७०, २३६	
लेतियापिया		२५७	वर्ण	१३४, १३५	
लेव		२०८	वर्णान्तर	१३४, १३५	
लेश्या	२४६, २४७, २४८		वर्णभिलाषा		१५३
लोक	१८३, २३१		वघमान	६९, ११८, १६७, १९०,	
लोकबिंदुसार	९१, ९९, १०१				२४७
लोकवाद	१८३		वघमानपुर		२८०
लोकवादी	१४६		वर्षाकृतु		१६३
लोकविजय	११३, ११७, १२४		वर्षावास		१६३

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
वलभी	६०, १२८, १८५	घातुदेय	२४२
वत्वल	२३७	घाहनमार्ग	१९५
वत्वदासी	२३७	ग्रिघंवणाशक्ति	१०८
वसिष्ठगोत्रीय	२१४	विषयापणत्ति	९१
वसु	१५१	विधिप्रत्यर्थी	१६४
वसुदेवहिंडी	१०५, १५१	विजय	२६७, २८०
वसुनदी	२८५	विजयमित्र	२७७
वसुमत	१५१, १५४	विजयवर्धमान	२७६
वस्त्र	१६५	विजयानदसूरि	२८६
वस्त्रधण	१६४	विजयोदया	२८४
वस्त्रधारण	१६४	विज्ञानरूप	२०४
वस्त्रैषणा	११४, १२२, १२३	विदेह	२२३
वाचकवद्ग	१२९	विदेहता	१६७
वाचना	१२५, १२७, १७५	विद्याचारण	२४७
वाचनामेद	८७	विद्यानुप्रकाद	९९, १०१
वाजीकरण	२७९	विद्यानुषाद	९९, १०१
वाणव्यन्तर	२२९, २४६	विद्याम्यास	१०७
वाणिज्य	१३४	विद्युन्मति	२७२
वाणिज्यधारम	२७६	विनय	१७३
वाणिज्यप्राप्तम्	२४६	विनयपिटक	१६३, १६५, २५३
वादविवाद	१०७	विनयवाद	९१
वानप्रस्थ	१३८	विनयवादी १३९, १७२, १९५, २४८	
वामलोकवादी	२७०	विनयशुद्धि	११२
वायुकाय	२४१	विपाकप्रज्ञप्ति	९१, ९३
वायुजीववादी	२७०	विपाकश्रुत	९५, १००
वायुपुराण	१०४	विपाकश्रुतम्	९२
वायुभक्षी	२३७	विपाकसूत्र ८१, ९०, ९५, ९८, २७४	
वाराणसी	२२२	विपुलपर्वत	२५१
वारिभद्रक	१९२	विपुलमति	१५०
वारिपेण	२६७	विवाधप्रज्ञप्ति	९३, २२४
वालभी वाचना	१२८	विवाहपणत्ति	९३, २२४
वासिष्ठगोत्रीया	१६६	विभज्यवाद	७७

जैन साहित्य का बृहद इतिहास

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
विभ्रम	१७३	विषचिकित्सा	२७९
विमान	२३८	विषप्रयोग	२८०
विमुक्ति १२२, १२३, १२४, १२५,	१६९	विष्णु	१८२, २६२, २७१
विमोक्ष	१२०	विष्वक्सेन	१९१
विमोक्ष ११२, ११३, ११७, १२०		विशुद्धिमण्ड	१८०, १८८
विमोह ११२, ११३, ११७, १२०, १२४, १४१		विस्सवातितगण	२१४
वियाहपण्णति	९३, ९४, २२४	विहार	१६३, २७१
वियाहपन्नति	९२	वीतराग	१२३
विद्व	२५४	वीतरागता	१०८, १११
विवाहपण्णति	९३	वीर	१४९, १९०
विवाहसुअ	९२	वीरचद राघवजी	२८६
विवाहसुअे	९२	वीरसन	२८४
विवाहसुत्त	९५	वीरस्तव	१९०
विवाहसुए	९५	वीरस्तुति	१७३, १८५, २३३
विवायपण्णति	९१, ९३	वीय	१७३, १७५, ११७
विवायसुअ	९५	वीयप्रवाद	९९, १००
विवाह	२५५	वीर्यानुप्रवाद	९०, १००
विवाहपण्णति	९३, २२४	वृक्ष	२७५
विवाहपन्नति	९२	वृक्षमह	१५९
विवाहपन्नतो	९१	वृक्षमूलिक	२३७
विवाहप्रज्ञप्ति	२२४	वृत्तिकार	१७५, १७७
विवाहे	९१	वृद्ध	२५४
विशाख	२४३	वृष्टि	२२३
विशाखा	२४३	वेद ६०, ७०, ७१, ७२, ७३, ७८, ७९, १०३, १०४, १५०, १५१, २४७	
विशाला	१८५	वेदन	२४७
विशुद्धिमार्ग	२५६	वेदना	२४७
विशेषावश्यकमार्य ६४, ६७, ७१, ८० १०६, १२९, २८२, २८५		वेदवादी	२०८
विशेषावश्यकमार्यकार ८८, १०२, १६७		वेदवान्	१५१
		वेदवित्	१५१
		वेदसाहित्य	६२

वनुकमणिका		१२१	
शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
वेदिका	२७१	व्याकरणशास्त्र	१७२
वेपर्व	१५१	व्याख्याप्रज्ञिति	८१, ९१, ९२, ९३,
वेपवी	१५१		९४, ९७, १००, १७५,
वेयालिय	१८४		२२४, २८४, २८७
वेलवासी	२३७	व्यापार	१०८
वेश्यागमन	२७७	व्यावृत	१६८
वेषभूता	१०८	व्यास	२५२, २५४
वेसिनकुल	१५९	व्यासभाष्य	१९०
वेहस्ल	२६७		श
वेहायस	२६७	शास	१ २२४
वेजयत	२६६	शाकट	१७७, २८१
वेणिका	२२०	शम्पकर	२४४, २५३
वेणव	१३४	शक	२३७, २४१, २४४
वेताव्य	२५३	शफेन्ड्र	२४१, २५०
वेतालीय	१२५, १४८, १७३, १८४	शतद्वार	१ २७६
वेदारिक	१८४	शतानीक	१ २७८
वेदिक	१९०	शत्रुजय	२५२, २५५, २६२
वेदेह	१३४	शत्रुघ्न-यजा	२७८
वेद्य	२७६	शबर	१६६
वेद्यपुत्र	२७६	शब्द	६४, १२२, १२३
वेदव	११९	शब्दश्वेषण	१६६
वैरोष्टधा	२४९	शम	७३
वैशालिक	१८५	शयन	११९, १६३
वैशाली	२७६	शयनासनशुद्धि	- ११२
वैश्य	१३३, १३४, २७८	शय्या	११४
वैश्यकुल	१५९	श्येषणा	१२२, १२३
वैश्यमण	७०, १०८, २३६	श्योपकरण	२३६
वैश्वदेव	२३६	शरीर	११९, २१८, २४७
वौहू	१५१	शत्यचिकित्सा	२७९
व्यवसाय	१०८, १६३	शस्त्र	१४७
व्यवहारवर्म	१७३	शस्त्रपरिज्ञा	११३, ११७, ११५
व्यवहारसत्य	१ २७२	शस्त्रप्रयोग	२६०

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
शहद	१६१	शुर्णिग	१०५, १२४, १४५
शाकटायन	२४६	शूकर	१८१
शाक्ष्य	१४१, १८८	शूकरमददव	१८१
शाक्यपुत्र बुद्ध	७०	शूकरमासभक्षण	१८१
शाखावज्ज्ञनी	२७७	शूद्र	१३३, १३४, २७८
शाखामार्ग	१९५	शूरसेन	२२३
शाण	१६५	शृखला	१९८
शाणक	२१८	शोपद्रव्या	२०९
शान	२४०	शोषवती	१६८
शान्तिपर्व	१३८	शौक	१९७
शान्तियज्ञ	२७८	शौलक	२५२
शान्त्व	२६२	शैलेशी	२४३
शालाक्य	२७९	शैलोदायी	२४४
शालिमद्र	२६७	शैव	१८८
शास्त्रलेखन	६१	शैवालभक्षी	२३७
शिक्षासमुच्चय	१८०, २५६	शोक	२४१
शिक्ष्य	१३३	शौच	१३५, १३८, २५२
शिव	१०८, २३६, २७५	शौचघर्म	११४, २५२
शिवभग्र	२३६	शौरसेनी	९३
शिवराजिंष	२३६	शौरिक	२७९
शिशुपाल	१८६	शौर्य	२८१
शिष्य	११७	स्यामा	२७९, २८०
शीतलेश्या	२४०	स्यामाक	१६८
शीरोणीय	११७, ११८, १२४	अमण	१५९, १६७, १९९, २४७,
शीलाक	१०२, १०५, १२०, १२४, १२५, १२६, १७७		२५५, २५६
		अमणवर्या	११९
शीलाकदेव	१७६	अमणघर्म	१८४, १९३
शीलाकसूरि	१४६	अमण भगवान् महावीर	२४०
शीलांकाचायं	७२	अमणसघ	८७, १२८
शुक	२५८	अमणसूत्र	१७२
शुक्ललेश्या	२४८	अमणी	२५६
शुद्धदत	२६७	अमणोपासक	२५९

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
आवक	२५४, २५७, २५९	इतेताम्बर	७१, ८७, १८७
आवकघरमं	१३३, २२९	ष	
आवण	२४६	षट्काय	२५६
आवस्ती	१३२, १७५, २२२, २४०	षट्खंडागम	६२, ६३, ८७
ऐयक	१२४	षट्हावश्यक	२८५
श्री	२७६	षष्ठतप	२३६
श्रीस्ख	१६१	षष्ठितन्त्र	१५२
श्रीदाम	२७८	स	
श्रीदेवी	२८०	संकलिका	११८
श्रुत	६०, ६३, १७२	सञ्चिडि	१६०
श्रुतज्ञान	६०, ६३, ६४, २१७	सञ्चञ्चमक	२३७
श्रुतज्ञानी	१५०	संगीतशाला	२५४
श्रुतदेवता	२४९	संगीतिका	१७५
श्रुतधर्म	१९३	संग्राम	२३८
श्रुतपंचभी	६४	सघ	२४९
श्रुतपुरुष	८१	सघधर्म	१९३
श्रुतसागर	१७२६	संघयण	२४७
श्रुतसागरकृत	९१	संघस्थविर	२२०
श्रुतसाहित्य	६२	संघय	२७२
श्रुतस्थविर	२२०	संजयबेलविट्ठ्युत्त	१७७
श्रुति	६०	संज्ञा	२४७
श्रेणिक	२०७, २०८, २२६, २६४	संज्ञी	२४७
श्रेयास	१६७	संज्ञी पंचेन्द्रिय	२४८
श्रेष्ठतमज्ञानव्याघात	१८५	संतान	२५६
श्रेष्ठतमज्ञानी	१८५	सनिकर्ष	२४७
श्रेष्ठतमदर्शी	१८५	सनिगास	२४७
श्लोक	१२५	संनिवेश	१६०
श्लोकवार्तिक	१०३	सपक्षालग	२३७
श्वपाक	१३४	संच्यास	१३८
श्वास	२७६	संमज्जग	२३७
श्वासोच्छ्वास	१०८, २३५	समतसत्य	२७२-

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
संयम	२३२, २४७	समनोज्ञ	१९२
सथमधर्म	१८३	समय	१७३, १७४
सयुत्तनिकाय	१०३, १७५, १७९, १८०, २५६	समवसरण	१०८, १४६, १७३, १७७, १९५, २४८
सरक्षण	१७२	समवाग	९१
स वर	१७२, २७०, २७२	समवाओ	९१
सवेग	७३	समवाय	८१, ९१, ९३
सशायवाद	१७७	समवायपाहुड	८७
स्त्रृकृत	९१	समवायवृत्ति	१७६
सत्त्व	२७२	समवायाग	६९, ८०, ८७, ८९
सस्थान	२४७, २६७		९०, ९१, ९६, ९७, ९९
सत्त्वेदिम	१६२		१००, १०१, १०६, ११२,
सकथा	२३६		१२५, १२७, १७२, १७४,
सचेलक	६२, ८७, ८८, ९२, ९५, ९६, १०१, ११२, २८१, -		१७५, १९६, २५७, २६१, २६६, २६८, २८०, २८३
सचेलकता	११४, १५४	समवायागवृत्ति	९७, ९९
सत्कार	११९	समवायागवृत्तिकार	१०१
सत्कर्मयाद	- १३९	सामाचारी	२४८
सत्यपरिणा	११७	समाजव्यवस्था	१०७
सत्यपरिणा	१३५	समाप्ति	११४
सत्य	१०८, २४६	समुच्छेदवादी	११६
सत्यप्रवाद	९०, ९९, १०१	समुद्घात	२४७
सत्यभाषी	२८०	समुद्रविजय	२६३
सत्यरूप	२७२	सम्पत्ति	११७, ११८
सदन	११९, १२२	सम्यक्कारित्र	११९
सद्म	१२२	सम्यक्तप	११९
सद्दालपुत्त	१७५	सम्यक्त्व	११७, ११९
सद्दालपुत्र	२५७	सम्यक्त्वाद	११९
सद्धा	१२२	सम्यक्त्वी	२४७
सन	१६५	सम्यक्शुत	६५, ६७
सप्तर्णवसित	६५, ७४	सम्यग्ज्ञान	११९

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
प्रस्तरांव	११९	प्रावदि	२१२
प्रस्तुति	७१	प्राप्तिर्व्याप्ति	१९८
प्रस्तुत	१५	प्राप्ति	१८३
प्रस्तु	१११	प्राप्ति	१९९
प्रस्तुत	१७०	प्राप्तिरूप	१९१
प्रस्तुत्य	२४३	प्राप्तिरूपिणी	२४५
प्रस्तुति	२०५	प्राप्तिरूपि,	२५१
प्रस्तुति	१५६	प्राप्तिरूपिणी	२६७
प्रस्तुति	१५६, १७१	प्राप्तिरूपिणी	२६७
प्रस्तुत्य	१९३	प्राप्तिरूपिणी	२६७
प्रस्तुत्य	१११	प्राप्तिरूपिणी	२६७
प्रस्तुत्य	१११	प्राप्तिरूपि,	२३७
प्रस्तुत्य	१११	प्राप्तिरूपिणी	२६७
प्रस्तुत्य	२८९	प्राप्तिरूपिणी	११७, ११८
प्रस्तुत्य	१७१	प्राप्ति	२६७
प्रस्तुत्य	२८१	प्राप्तिरूप	२१७, २७१
प्रस्तुत्य	२८१	प्राप्तिरूप	१४८
प्रस्तुत्य	१००, १०३, १२१	प्राप्तिरूप	१२२
प्रस्तुत्य	७१	प्राप्तिरूपिणी	८२
प्रस्तुत्य	१४१	प्राप्तिरूपिणी	११७, २७१
प्रस्तुत्य	२८१	प्राप्तिरूपिणी	१४८
प्रस्तुत्य	२८१	प्राप्तिरूपिणी	१४८
प्रस्तुत्य	१४१, १४२	प्राप्तिरूपिणी	२१४
प्रस्तुत्य	७७	प्रीता	२७२
प्रस्तुत्य	१७१, २५२	प्रीतपर	१२४
प्रस्तुत्य	२२२	प्रुग्ना	१८०, २५५
प्रस्तुत्य	२१२	प्रुग्ना	१७५
प्रस्तुत्य	१५९	प्रुग्नालिपा	२५५
प्रस्तुत्य	२७१	प्रुण	२८०
प्राणिय	११५	प्रुतिपाक	२७४, २८०
प्रात्यादी	१९६	प्रुण	७१, १९९
प्रातिपुन	७०	प्रुण	१५०
प्रामन्त्र्यफलगुप्त	२०१, २०४	प्रुतगढ	९२, ९३, १७३
प्रामयेद	२५२, २७८	प्रुतिपात	१२५, १३२, १४५,
प्रमाणाती	११५		१४७, १५२, १९०

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
सुत्तपाहुड	८७	सूत्रकृतम्	११
सुदर्शन	२५२, २६१, २६४, २६५	सूत्रकृताग	६८, ६९, ७०, ९७, १००, १०४, १०६, १०७, १०८,
सुदर्शना	१६७, २७७	१४५, १४८, १७२, २३३, २८३, २८४, २८६	
सुदृढयड	९१, ९२, १७३	सूत्रकृतागमा आवता विशेषनामे	१८८
सुधर्मा	११४, ११५, १२७, १७५, २१५, २५०, २६७, २७०,	सूदयड	९२, ९३, १७३
	२७४	सूदयद	९३, १७३
सुधर्मस्त्वामी	१३१	सूयगड	६८, ९३, १७३
सुनक्षत्र	२६७	सूयगडे	११
सुनक्षत्रकुमार	२६७	सूयगडो	११
सुपर्ण	२२२	सूयं	१०७, १५५, २२६, २५०
सुपार्श्व	१६७	सूयग्रहण	१०७
सुप्रतिबद्ध	२१५	सेक्रेट ट्रुक्स ऑफ दी ईस्ट	२८६
सुप्रतिष्ठपुर	२७६	सेज्जा	१२२
सुप्रभ	२४६	सेठ	१८५
सुवंधु	२७८	सेणीप्पसेणीओ	२५०
सुवालोपनिषद्	१४३	सेसदविथा	२०९
सुभद्रा	२७७	सोठ	२४४
सुभाषित	१५६	सोफ़क्समजीव	२४६
सुरप्रिय	२६२	सौम	७०, २२५
सुरादेव	२५७	सौमदत्त	२७८
सुरुपा	२७२	सौमा	२६३
सुल्सा	२६२, २६३	सौमिल	२४३, २४६, २६२, २६३
सुवर्णकुमार	२६९	सौरठ	६३
सुवर्णगुलिका	२७२	सौरियण	७०
सुस्थित	२१५	सौर्गविका	२५२
सुहस्ती	२१४, २१५	सौधमं	२२९
सूत	१३४	सौराष्ट्र	६३
सूतगड	१७३	स्कद	१०८, २७५
सूतिकमं	१६७	स्कदमह	१५९
सूत्र	५९	स्कंदिलाचाय	१२८, १२९
सूत्रकृत	८१, ९०, ९३, १७४		

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
स्कंधवीज	२०४	स्पर्श आहार	२०४
स्कंधवादी	१७४	स्पर्शना	२४७
स्तूप	२७१	स्मृति	६०
स्तूपमह	१५९	स्मृतिचट्रिका	२५६
स्त्री	१८९	स्याद्वाद	१९८
स्त्री-स्याग	२३३	स्वजन	२१९
स्त्री-परिज्ञा	१८९	स्वप्न	२४२
स्त्री-परिणाम	१७२, १७३	स्वप्नविद्या	२०४, २४२
स्त्री-संसर्ग	१२०	स्वभावजन्य	२७१
स्त्री-सहवास	१९१	स्वमत	१७२
स्थडिल	१९४	स्वयम्भूकृत	२७०
स्थलमार्ग	१६४	स्वर्ग १०७, १०८, २२६, २३७,	
स्थविरावली	१२९, २१४		२४३
स्थान ८१, ९३, १२२, १२३,		स्वसमय	१७३
	१६३	स्वादिम	१५८
स्थानकवासी	५५, २८७		ह
स्थानपाहुड	८७	हस	१५१
स्थानम्	९१	हही	१६२
स्थानाग ६९, ८७, ८८, ९०, ९७,		हृत्यजाम	२०९
१००, १०६, ११७, १७५,		हृत्यनागपुर	२३६
१९६, २१२, २५७, २६१,		हरस	२७६
२६७, २६९, २८३, २८५		हरिगिरि	७०
स्थानाग-समवायाग	१९६	हरिणगमेषी	१०८
स्थानागसून	९५	हरिणगमेसी	२६३
स्थापनासत्य	२७२	हरिमद्र	६४, ६७, १०२, १२४,
स्थावर	२१०, २३१		१६९, १७३
स्थितप्रशंता	१०८	हरिमद्रसूरि	७१, ७२, ८२
स्थितात्मा	१९१	हरिवशकुल	१२९
स्थिरवास	१६१	हरिषचन्द्र	१२९
स्थूलभद्र	१२४	हलायुध	१७६
स्नातक	२४७	हल्दी	२४४
स्नान	१६३	हल्ल	२६७

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
हस्तकल्प	२५५		२७०, २७१, २७७
हस्तव्रग्र	२५५	हिंसादण्ड	२०२
हस्तिताप्स	२०७, २०८, २३७	हिन्दु	२३९
हस्तिनापुर	२२२, २४२, २४३, २७७	हिमवत येरावली	१३०
हस्तियाम	२०९	हीनयान	१४८
हस्तोत्तरा	१६६	हुवचटठ	२३७
हाथप	२५५	हृदयपिण्ड	२७८
हारित	२१४	हेतुवाद	९५
हाला	१७५	हेमचन्द्र	१०६, १२४, १२८, १९८
हालाहला	२४०	हेमन्त	१६२
हिंसा	१०८, १३६, १८१, १८५, २०३, २४६,	हैदरावाद	२८७



सहायक ग्रन्थों की सूची

- अभिधर्मकोश—स्व० श्री राहुल साकृत्यायन
आचाराङ्गनियुक्ति—आगमोदय समिति
आचाराङ्गवृत्ति—“
आत्मोपनिषद्
आवश्यकवृत्ति—हरिभ्र—आगमोदय समिति
ऋग्वेद
✓कृष्णभाषित—आगमोदय समिति
ऐतरेयब्राह्मण
कठोपनिषद्
केनोपनिषद्
गाथाओं पर नवो प्रकाश—स्व० कवि स्वरदार
गीता
जैन साहित्य सशोधक—आचार्य श्री जिनविजयजी
तत्त्वार्थभाष्य
तैत्तिरीयोपनिषद्
✓नन्दिवृत्ति—हरिभ्र—ऋग्वेदव केशरीमल
✓नन्दिवृत्ति—मलयगिरि—आगमोदय समिति
नारायणोपनिषद्
✓पतेतपशेमानी (पारसी धर्म के 'खोरदेह-अवेस्ता' नामक ग्रन्थ का प्रकरण)
—कावशजी एदलजी कागा
पालिकसूत्र—आगमोदय समिति
प्रश्नपद्धति—आत्मानद जैन सभा, भावनगर
✓बुद्धचर्या—स्व० श्री राहुल साकृत्यायन
बृहदारण्यक
ब्रह्मविद्योपनिषद्
मज्ज्ञमनिकाय—नालंदा प्रकाशन
मनुसृति
महावीरचरिय—देवचद लालभाई
महावीर-वाणी—स्वामी आत्मानद की प्रस्तावना—मनसुखलाल ताराचद

माण्डुक्योपनिषद्
 मिलिदपञ्च
 मुण्डोपनिषद्
 योगदृष्टिमुच्चय—देवचद लालभाई
 ~ लो राशाह और उनको विचारणा (गुरुदेव रत्नमुनि स्मृति-ग्रथ)

—प० दलसुख मालवणिया

वायुपुराण (पत्राकां)
 ~ विशेपावश्यकभाष्य—यशोविजय जैन ग्रन्थमाला, वनारम
 वैदिक सम्झौता का इतिहास (मराठी)—श्री लक्ष्मणशास्त्री जोशी
 पट्टवण्डागम
 समवायागवृत्ति—आगमोदय समिति
 सूत्रकृतागनियुक्ति—आगमोदय समिति
 स्थानाग-समवायाग—प० दलसुख मालवणिया, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद
 हलायुधकोश



